त्रयोदश माला, खंड 20, अंक 8

बुधवार, 28 नवम्बर, 2001

7 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 52
Date 12/6/2022

(खण्ड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 20, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)

अंक 8, बुधवार, 28 नवम्बर, 2001/7 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
इजराइल के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 143	2-36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 144 से 160 . . .	36-61
अतारांकित प्रश्न संख्या 1575 से 1804	61-380
सभा पटल पर रखे गए पत्र	380-393
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	393
बीसवां प्रतिवेदन . .	393
नियम समिति	
पहला प्रतिवेदन .	393
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन	393-394
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश .	394
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
तिरेपनवां प्रतिवेदन	394
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
साक्ष्य	395
समिति के लिए निर्वाचन	
कॉयर बोर्ड	395
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2001-2002	396
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1998-1999 . . .	396

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव को न्यायिक हिरासत में पर्याप्त सुरक्षा देने के बारे में	399-402
जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्व्यवस्थापन विधेयक के बारे में	402-406
भारतीय वायु क्षेत्र में अमरीकी हेलीकॉप्टर के प्रवेश के बारे में	407-416
''दि हिन्दू'' समाचार पत्र में प्रकाशित पैगम्बर मोहम्मद तथा हजरत अबू बकर सिद्दीक के कथित व्यंग्य चित्र के बारे में	417-421
नियम 377 के अधीन मामले	422-435
(एक) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	422-423
(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों विशेष रूप से राजस्थान के अलवर जिले का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा. जसवंतसिंह यादव	423
(तीन) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में धान और बाजरा के समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक अर्गल	423
(चार) सहकारी समितियों के लिए दोहरी लेखापरीक्षा का प्रावधान करने वाले आयकर अधिनियम के उपबंधों की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय .	424
(पांच) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर हावड़ा–जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता	
डा. अशोक पटेल .	424-425
(छह) राजस्थान में स्वरूपनगर–श्रीगंगानगर रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में बदलने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री निहाल चन्द चौहान	425
(सात) चिकित्सा शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कनार्टक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. एस. बसवराज	425-426
(आठ) राजस्थान में रामगढ़ से गदारा रोड तक इदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम चरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	426

विषय | कॉलम

(नौ) सुपारी और पिराई योग्य कोपरा के मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके 427

(दस) पश्चिम बंगाल में हाथियों के उत्पात को रोकने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां . 427-428

(ग्यारह) लुम्बनी (नेपाल)–खनुवा–नौतनवां–कुशीनगर सड़क को बौद्ध परिपथ से जोड़े जाने की आवश्यकता

कुंवर अखिलेश सिंह 428

(बारह) हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री बी. वी. एन. रेड्डी 428-429

(तेरह) घोसी, उत्तर प्रदेश के अफीम उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान 429

(चौदह) देश में विशेषकर हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

डा. सुशील कुमार इन्दौरा 429-430

(पन्द्रह) फिरोजपुर सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच नई सड़क खोले जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री जोरा सिंह मान 430-431

(सोलह) आन्ध्र प्रदेश में सिकंदराबाद छावनी के सिविलियनों को हो रही कठिनाइयों का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजैया मल्याला 431

(सत्रह) बाहरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किए जाने की आवश्यकता

श्री टीएच. चाओबा सिंह 431-432

(अठारह) राजसहायता देकर चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मानसिंह पटेल 432

(उन्नीस) फरक्का और कोलकाता के बीच दिन के समय में एक रेलगाडी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी 433

विषय	कॉलम
(बीस) केरल में कुछ किस्म की मछलियां पकड़ने पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी	433
(इक्कीस) वर्ष 2002-2003 को तमिल वर्ष घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. मोहन	433-434
(बाईस) देश के विभिन्न जिलों में केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व संबंधित संसद सदस्यों से परामर्श किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रनाथ सिंह	434
(तेईस) आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर में रेल मण्डल स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई. वी. राव	435
(चौबीस) हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब क्षेत्र में बाता नदी पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य	435-436
संविधान (बानवेवां संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16 का संशोधन)	436-537
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती वसुन्धरा राजे	436-437, 478-480
सरदार बूटा सिंह	437-443
डा. संजय पासवान	443-445
श्री बाजू बन रियान	446-447
श्री राजैया मल्याला . . .	447-449
श्री रामजीलाल सुमन	449-451
श्री मोहन रावले . .	451-453
श्री के. एच. मुनियप्पा	454-455
श्री रतन लाल कटारिया .	455-458
श्री बालकृष्ण चौहान	458-459
श्री ए. कृष्णास्वामी	459-461
डा. वी. सरोजा	461-463

विषय	कॉलम
श्री सुशील कुमार शिंदे	463-466
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	466-468
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	468-470
श्री आनन्द मोहन बिश्वास	470-472
श्री माणिकराव होडल्या गावित	472-473
श्री त्रिलोचन कानूनगो	473-475
श्री ई. पोन्नुस्वामी	475-476
श्री रामदास आठवले	476-478
खंड 2 और 1	495-522
पारित करने के लिए प्रस्ताव	523-536
संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक	536-710
(नए अनुच्छेद 21क का अंतःस्थापन, अनुच्छेद 45 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन तथा अनुच्छेद 51क का संशोधन)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	536-612
डा. मुरली मनोहर जोशी	537-546, 547-549, 602-611
श्री समीक लाहिड़ी	549-556
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल .	556-560
श्री रवि प्रकाश वर्मा	560-565
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति	566-569
श्री मोहन रावले . . .	569-574
श्री बालकृष्ण चौहान	574-575
कुमारी ममता बनर्जी . .	575-579
श्री जोवाकिम बखला .	579-580
डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा	580-583
श्री सी. श्रीनिवासन .	583-585
डा. ए. डी. के. जयशीलन	585-588

विषय	कॉलम

श्री अजय चक्रवर्ती 588-591

श्री श्रीनिवास पाटील 591-592

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 592-595

डा. सुशील कुमार इन्दौरा 595-596

श्री जी. एम. बनातवाला 596-599

श्रीमती सोनिया गांधी 599-602

श्री ए. सी. जोस 602-610

श्री शिवराज वि. पाटील 546-547,
610-611

खंड 2 से 4 और 1 625-695

पारित करने के लिए प्रस्ताव 696-708

लोक सभा

बुधवार, 28 नवम्बर, 2001/7 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

इजराइल के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत भ्रमण पर आए अपने सम्माननीय अतिथियों—इजराइल के नेसेट के सदस्य श्री एमनॉन रूबेस्टिन तथा इजराइली संसदीय शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं।

शिष्टमंडल सोमवार, 26 नवम्बर, 2001 को भारत आया। शिष्टमंडल के सदस्य इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से नेसेट के अध्यक्ष और इजराइल की जनता को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : **अध्यक्ष महोदय, 24 नवम्बर को हिन्दू अखबार में हजरत मौहम्मद साहब का कार्टून छपा है। इस पर मैंने नोटिस भी दिया है।**

अध्यक्ष महोदय : अलवी जी, आप जीरो ऑवर में बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर) : महोदय, उन समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए, जो इस तरह की खबरें दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को प्रश्न काल के बाद उठाएं। प्रश्न संख्या 141

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

नवजात शिशुओं की मौत

\+

***141. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लखनऊ के एक प्रमुख अस्पताल में आक्सीजन की कमी से नवजात शिशुओं की हाल में हुई मौतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य सरकार द्वारा भेजी गई तथा केन्द्रीय दल के निष्कर्षों द्वारा परिपुष्ट की गई सूचना के अनुसार किंग जार्ज मेडिकल

कालेज, लखनऊ में नवजात गहन परिचर्या एकक में शिशुओं की मृत्यु रोगियों की गम्भीर प्राथमिक दशा के कारण, न कि आक्सीजन की कमी के कारण, हुई थी।

विशेषज्ञों के एक केन्द्रीय दल ने इस मामले की जांच-पड़ताल की है और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं अनुबन्ध के रूप में संलग्न हैं।

इस पद्धति को सुदृढ़ करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार ने नर्सों के अतिरिक्त पदों का सृजन करने, ए एम सी सहित उपकरणों की प्रचालनात्मक कार्यकुशलता का विश्लेषण करने और उसमें सुधारों की सिफारिश करने हेतु समिति का गठन करने, आक्सीजन आपूर्ति लाइन को सुकर बनाने, उसमें सुधार करने और उसे सुदृढ़ करने जैसे कुछ उपाय करने का निर्णय किया है।

अनुबन्ध

1. किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के नवजात गहन परिचर्या एकक में 3-5 नवम्बर, 2001 को कुल 11 मौतें हुई थीं।

2. इन 11 शिशुओं में से 10 शिशु बाहर उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों और लखनऊ में उपचर्या गृहों और अन्य अस्पतालों में पैदा हुए थे। के. जी. एम. सी. के प्रसूति विभाग में केवल एक बच्चे का ही जन्म हुआ था।

3. सभी 10 शिशुओं को बहुत ही नाजुक स्थिति में के. जी. एम. सी. लाया गया था। के. जी. एम. सी. में हुआ बच्चा समय से बहुत पहले हुआ था और जन्म के समय उसका भार कम था तथा जब उसे नवजात गहन परिचर्या एकक में दाखिल कराया गया उसकी सामान्य स्थिति खराब थी।

4. कुल 11 शिशुओं में से 5 शिशु समय से पहले हुए थे और 6 समय पर हुए थे। समय से पूर्व 5 शिशुओं में जुड़वां शिशुओं के एक जोड़े का जन्म के समय कम भार था। समय पर हुए छह शिशु, जो मर गए थे, में से तीन शिशु को प्रघात सहित पूतिजीवरक्तता थी, दो शिशुओं को बहु-अंग प्रणाली क्षय (मल्टी-आर्गन सिस्टम फेल्योर) सहित गंभीर जन्म श्वासावरोध था और एक शिशु श्वास न्यूमोनिया से पीड़ित था। सभी शिशुओं को अस्पताल में देर से और विभिन्न दूरियों से तथा अस्थिर स्थिति में लाया गया। 11 मौतों में से 8 मौतें अस्पताल में दाखिल कराने के चौबीस घंटों के भीतर हुईं जिससे रोगियों की नाजुक स्थिति का पता चलता है।

5. 4 नवम्बर, 1.00 बजे प्रातः से लेकर 4 नवम्बर 1.30 बजे सायं तक 12 घंटे की अवधि के बाद आक्सीजन की कोई केन्द्रीय आपूर्ति बनाए नहीं रखी जा सकी क्योंकि सभी 13 बल्क आक्सीजन सिलिन्डर खत्म हो गए थे। तथापि, 9 छोटे सिलिन्डरों का वैकल्पिक प्रबंध था जहां से सभी शिशुओं को हुड अथवा अम्बू बैग के द्वारा आक्सीजन मिली। मैकेनिकल वैन्टीलेटर पर रखे एक शिशु को मशीन से बाहर ले जाना पड़ा था और उसे छोटे आक्सीजन सिलिन्डर से जुड़े हुए अम्बू बैग पर रखा गया।

6. किसी भी समय कोई भी शिशु आक्सीजन देने से वंचित नहीं था।

7. उस पूर्ववर्ती अवधि, जिसमें केन्द्रीय आक्सीजन आपूर्ति उपलब्ध थी, की मृत्यु दर की तुलना केन्द्रीय आक्सीजन आपूर्ति की अनुपलब्धता की अवधि मृत्यु-दर से करने पर कोई अन्तर नहीं पाया गया।

8. डाक्टरों, नर्सों, ग्रेड घ कर्मचारियों और रोगियों के परिचरों के दर्ज किए गए साक्षात्कारों और कथनों से प्रकट हुआ कि सभी रोगियों को आक्सीजन मिल रही थी। एक अभिभावक, जिसके शिशु की मृत्यु हुई थी, ने वेंटीलेटर से शिशु को हटाने और शिशु को छोटे सिलिन्डर से मिलने वाले आक्सीजन वाले अम्बू बैग पर रखने के कारण नाराजगी व्यक्त की।

9. अस्पताल की इंडेंट और आक्सीजन सिलिंडरों की आपूर्ति से इस बात की पुष्टि हुई कि 3 नवम्बर, 2001 को भी आक्सीजन सिलिन्डरों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की गई। दो वेंटीलेटरों के लगातार प्रयोग से बल्क सिलिन्डर समाप्त हो गए और 12 घंटे तक आक्सीजन की कोई केन्द्रीय आपूर्ति नहीं हुई। तथापि, रिकार्ड से पता चला है कि पर्याप्त संख्या में छोटे आक्सीजन सिलिंडर वार्ड में उपलब्ध थे।

10. नवजात शिशु गहन परिचर्या यूनिट और केन्द्रीय

आक्सीजन प्रणाली के 8 नवम्बर, 2001 को किए गए भौतिक सत्यापन से आक्सीजन की सतत् आपूर्ति के जारी रहने का पता चला और मशीन या पाइम लाइन में किसी खराबी का पता नहीं चला।

निष्कर्ष :

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में नवजात शिशु गहन परिचर्या यूनिट में हुई ग्यारह मौतें रोगियों की गम्भीर प्राथमिक स्थिति के कारण हुई थीं और इनका कारण आक्सीजन की कमी होना नहीं ठहराया जा सकता है।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खेदपूर्ण स्थिति है। इस देश का भविष्य बच्चों की खुशहाली पर निर्भर करता है। वर्तमान घटना हमें स्वतंत्रता पूर्व के दिनों की याद दिलाती है जब बच्चों की यूं ही असामयिक मौत हो जाया करती थी। अधिकांश बच्चे जन्म के एक वर्ष के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाया करते थे। आज यही स्थिति लखनऊ में है। मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार कुल 11 शिशुओं में से 5 शिशु समय से पहले हुए थे और 6 समय पर हुए थे। समय से पूर्व हुए 5 शिशुओं में जुड़वां शिशुओं के एक जोड़े का जन्म के समय कम भार था। समय पर हुए छह शिशु, जो मर गए थे, में से तीन शिशु को प्रघात सहित पूतिजीवरक्तता थी, दो शिशुओं को बहु–अंग प्रणाली क्षय (मल्टी–आर्गन सिस्टम फेल्योर) सहित गंभीर जन्म श्वासावरोध था और एक शिशु श्वास न्यूमोनिया से पीड़ित था। सभी शिशुओं को अस्पातल में देर से और विभिन्न दूरियों से तथा अस्थिर स्थिति में लाया गया। 11 मौतों में से 8 मौतें अस्पताल में दाखिल कराने के चौबीस घंटों के भीतर हुईं जिससे रोगियों की नाजुक स्थिति का पता चलता है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि प्रथमतः गर्भवती माताओं के कल्याण के लिए कौन–कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है। क्या उनकी देख–रेख के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई योजना लागू की गयी है? कुछ राज्यों में ऐसी महिलाओं को संतुलित आहार तथा आर्थिक मदद देने की ऐसी योजनाएं हैं। क्या ऐसी कोई दवा है जिसे गर्भवती माताओं को देने से स्वस्थ शिशुओं का जन्म हो?

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, स्कीम्स तो बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, पहले तो उनकी डिलीवरीज के लिए, न्यूट्रीशनल रिकवायरमेंट को पूरा करने के लिए उनकी मदद की जाती है। इस समस्या का समाधान प्राइमरी हैल्थ सेंटर के इम्प्रूव करने से होगा। माननीय सदस्य का प्रश्न मुख्य प्रश्न की परिधि से बहुत बाहर है, इसलिए उसके लिए एक अलग नोटिस की जरूरत पड़ेगी। यदि वे चाहें तो मैं उन्हें बाद में लिखित जवाब भिजवा दूंगी।

[अनुवाद]

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न अस्पतालों की दशा तथा अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में है। महोदय, ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मृत्यु के बारे में 22 नवम्बर, 2001 के 'डेकन क्रानिकल' में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। जो निम्नांकित है

"एकल सदस्य समिति जिसने इस माह के आरंभ में के. जी. मेडिकल कालेज अस्पताल में हुए 11 नवजात शिशुओं की मृत्यु की जांच की थी, ने बुधवार को बताया कि मृत्यु ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण नहीं हुई थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है। तथापि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति ने बताया कि अस्पताल के नवजात शिशु कक्ष में जहां बच्चों की मृत्यु हो गयी थी, में ऑक्सीजन की कमी थी तथा जीवन रक्षक उपकरण चालू हालत में नहीं थे। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि वेंटीलेटर, इन्फेंट वार्मर, इन्क्यूबेटर तथा पलसीमीटर नामक जीवन रक्षक उपकरण चालू हालत में नहीं थे।"

यदि सिलेंडर उपलब्ध भी हों तो भी हम लोग रोगी की जान नहीं बचा सकते हैं। उक्त उपकरण को भी समुचित चालू हालत में होना चाहिए। अस्पताल में कोई भी उपकरण काम नहीं करता है। वस्तु स्थिति इस प्रकार है। ऐसी स्थिति में अस्पताल में रोगी की मृत्यु ही होगी, उसकी जीवन रक्षा नहीं।

मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि इसके लिए वह किसको जिम्मेवार मानेंगे। वे कहते हैं कि यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और उन्होंने राज्य सरकार को इसके बारे में निर्दिष्ट भी किया है। यह बात यहीं समाप्त नहीं होती है। सारे उपकरणों को संतोषजनक रूप से चालू स्थिति में होना चाहिए। गैर–चिकित्सा कोर स्टाफ भी इसमें शामिल हैं। अधिकांश अस्पतालों में वे निष्क्रिय रहते हैं। ऐसे कई पद भी खाली पड़े हैं। हर आदमी यह समझता है कि अस्पताल में केवल

डॉक्टर ही काफी है। केवल डॉक्टर काफी नहीं हैं। उसके साथ सहायक तकनीकी स्टाफ भी काफी महत्वपूर्ण हैं। क्या इस स्थिति में सुधार के लिए मंत्री महोदया कोई कदम उठा रही हैं जिससे कि ये उपकरण चालू स्थिति में रहें।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की चिंता से शत–प्रतिशत सहमत हूं कि उन्होंने जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यह सही बात है कि इस घटना के कारण हमें जितना भी क्षोभ हो वह कम है। दो टीमें इंक्वायरी के लिए गयी थीं। एक टीम को स्टेट गवर्नमेंट ने और एक को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा था। जिसमें दो वरिष्ठ डाक्टर थे। एक तो श्री ए.के. दत्त, डायरेक्टर प्रो. एंड हैड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पैडिएट्रिक्स, लेडी–हार्डिंग और दूसरी उमा चावला, ज्वाइंट डायरेक्टर, एपीटमोलॉजी, एन.आई.सी.डी. दिल्ली। लेकिन दोनों टीमों के निष्कर्ष में आया है कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मृत्यु नहीं हुई। यह बात भी सच है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की टीम थी उसने बहुत सारी कमियों की ओर इशारा किया है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे थे और बहुत सारे इक्विमेंट्स की कमी थी। जैसे यूनिट में दस इन्फेंट वार्मर, पांच इन्क्यूबेटर, आठ वेंटीलेटर हैं और 6 फोटो थिरेपी हैं। जिनमें से 8 इन्फेंट वार्मर काम कर रहे हैं बाकी खराब हैं, 3 इन्क्यूबेटर काम कर रहे हैं बाकी खराब हैं, तीन वेंटीलेटर काम कर रहे हैं और 5 फोटो थिरेपी काम कर रहे हैं। मैं आपकी चिंता से सहमत हूं कि ये पर्याप्त नहीं हैं। इनके लिए जो लोग और स्टॉफ नर्सेज काम करने के लिए चाहिए उनकी भी कमी है। यहां तक कि सेंट्रल गैस पाइपलाइन ऑपरेटर की भी कमी है। इनकी ओर जो आपने इशारा किया वह सही है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से समय–समय पर उन्हें धन मुहैया कराया गया है लेकिन पता नहीं प्रोसीजरल प्रोब्लम की वजह से या किसी और कारण से ऐसा है। मैं पहले केन्द्र सरकार की बात कहूंगी। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को समय–समय पर चिट्ठी लिखकर उनके सुधार के लिए पेशकश की है और डेढ़ करोड़ रुपया भी दिया था। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट 24 अगस्त, 2001 को दिया था। डायगनोस्टिक फैसिलिटीज इन्क्लूडिंग ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज के लिए, केवल यू.पी. गवर्नमेंट को ही नहीं, हर स्टेट गवर्नमेंट को हमने लिखा है। साथ ही इसके लिए फाइनेंस असिस्टेंट भी डेढ करोड़ रुपया पहले ही दे दिया गया है। अब किन परिस्थितियों में इसका उपयोग नहीं किया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके अलावा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल कालेजों में सारी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सूटेबल प्रोजेक्ट्स ड्राफ्ट करें और एक नमूना भी उनके लिए भेज दिया गया है कि किस तरह से उनको प्रोजेक्ट बनाकर भेजना है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की इसमें सहायता लेना चाहते हैं। इसके लिए राज्य सरकारों को 14 मई को चिट्ठी भी भेजी गई है। ऐसा भी नहीं है कि आफ्टर दी इवैन्ट ऐसा हुआ हो। 14 मई को चिट्ठी गई और 21 जून को एक रिमाइंडर भी गया। हमें उत्तर प्रदेश सरकार से ऐकनॉलेजमेंट मिला लेकिन बहुत सी राज्य सरकारों से ऐकनॉलेजमेंट भी नहीं मिला है।

श्री अकबर अली खांदोकर : वैस्ट बंगाल से मिला है।

प्रो. रीता वर्मा : नहीं। इसके अलावा स्ट्रेथिंग ऑफ एमरजेंसी फेसिलिटी के बारे में राज्य सरकारों को कहा गया है। यह बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है इसलिए इसे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रखा जाए। शहरों मे स्थित या राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित राज्य के अस्पतालों की आपात सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए एक दूसरा पायलट प्रोजेक्ट है। के.जी. मेडिकल कालेज, लखनऊ को डेढ़ करोड़ रुपया दिया गया है। इसके अलावा एक स्टेट हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है...*(व्यवधान)* आप जानना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है या वह क्या कर रही है, मैं वही बात बता रही हूं। यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ये सब काम किए जा रहे हैं। यदि इतने में आपकी समस्या का समाधान हो जाता है तो मैं बैठ जाती हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : महोदय, माननीय मंत्री महोदय को आवंटित धनराशि खर्च न किए जाने की स्थिति पर कार्यवाही करनी चाहिए। अगर धन आवंटित किया जाता है और उसको खर्च नहीं किया जाता तो दोषी अधिकारियों को, जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, निवारक दण्ड दिया जाना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : मैं माननीय सदस्य से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इसका संज्ञान ले रही होगी।

श्री राम मोहन गाड्डे : अनुबन्ध के पृष्ठ दो, पैरा नौ में बताया गया है कि दो वेंटीलेटरों के लगातार प्रयोग के

कारण ऑक्सीजन खत्म हो गयी थी और बारह घंटे तक ऐसी कोई केन्द्रीय आपूर्ति की व्यवस्था नहीं थी जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। हालांकि रिकार्ड बताते हैं कि वहां ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय दल ने ऐसे विरोधाभाषी वक्तव्य कैसे दिया?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार सभी राज्यों के साथ मिलकर सुनिश्चित करेगी कि बुनियादी सुविधाएं, जीवनरक्षक उपकरणों अथवा दवाइयों की कमी के कारण भविष्य में इस तरह मृत्यु न हो?

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट में यह बात साफ है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बड़े सिलेंडरों द्वारा की जाती थी। ये बड़े सिलेंडर भी खत्म हो गये तो छोटे सिलेंडर उपलब्ध थे। उन छोटे सिलेंडरों की सहायता से, बच्चों को अंबू बैग की सहायता से ऑक्सीजन दिया गया। इसलिए यह कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। हालांकि बड़े बड़े सिलेंडर खत्म हो गये थे लेकिन नौ छोटे सिलेंडर थे इसलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। हालांकि यह डिलिवरी सिस्टम फॉल्टी है। जैसा मैं अभी बता रही थी कि इसके सुधार के लिए हमने पहले भी पैसा ऑफर किया और अभी भी ऑफर कर रहे हैं। इसके सुधार के लिए जो केन्द्रीय मदद होगी, हम देने को तैयार हैं।

श्री एन. टी. षणमुगम : महोदय, आपातकाल की स्थिति में प्रसूति के मामलों में तथा इसी तरह की अन्य स्थिति के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने के लिए मरीज दर–दर भटकते हैं। अतः अपने देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर सुलभ कराने के लिए भारत सरकार ने क्या कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके लिए एक अलग से नोटिस देना होगा। मैं इसकी डिटेल्स भेज दूंगी।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, इन बच्चों का जिस अस्पताल से ट्रांसफर किया गया, वह कौन सा अस्पताल था? उन्हें ट्रांसफर करते समय मेडिकल प्रिसक्रिप्शन में क्या लिखा था? उन्होंने इसमें लिखा था कि पेशेंट्स की हालत गम्भीर है।

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सहयोगी सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि आज भी हमारे देश में बहुत से बच्चे घर में पैदा होते हैं। और जब उनकी हालत खराब होने लगती है तो वे बड़े अस्पताल में लाते हैं। कई प्राइवेट क्लीनिक ऐसे हैं जहां बच्चे डिलिवर किये जाते हैं लेकिन होते ही मेडिकल कालेज या स्टेट गवर्नमेंट के अस्पतालों में भेज दिये जाते हैं। अक्सर ऐसे बच्चों की स्थिति खराब हो जाती है तो उन्हें अस्पतालों में भेजा जाता है। फिर प्रापर सावधानी लिये बिना कई बार खुले रिक्शे में भी भेज दिये जाते हैं।

श्री किरीट सोमैया : इन 10 केसों का क्या हुआ?

प्रो. रीता वर्मा : ये 10 केस इसी तरह के हैं और बाकी उनकी प्रिसक्रिप्शन क्या–क्या है, वह भेज दूंगी।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस : अध्यक्ष महोदय, जब यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उस समय मैं लखनऊ में थी। माननीय मंत्री महोदया द्वारा दिए गए उत्तर से मैं थोड़ा भ्रमित हूं। हमें बताया गया कि जांच आयोग ने कहा कि यह सब ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुआ। उस समय सभी बड़े सिलेंडर समाप्त हो गए थे और छोटे सिलेंडरों का प्रयोग किया जाना था। मैं जब लखनऊ में थी और जिस समय यह घटना घटी, उस समय सभी समाचार–पत्रों तथा पत्रकारों में यह बात जोरों पर थी कि अस्पताल द्वारा खरीदे गए सिलेंडर पूरे भरे हुए नहीं थे। अतः इसमें भ्रष्टाचार का मामला भी बनता है। क्या जांच आयोग ने भ्रष्टाचार दृष्टिकोण से भी जांच की? क्या इस तरह के सिलेंडर खरीदे गए जो पूरे भरे हुए नहीं थे और इसलिए वे जल्दी खत्म हो गए?

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की दो इंक्वायरी कमेटीज बनी हुई हैं। इन दोनों की इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों का देहांत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुआ है। हम निश्चित तौर पर, जो रिपोर्ट है, उसी का संज्ञान देंगे। इसके

अलावा बाकी जो रिपोर्ट्स हैं या कहने–सुनने में आया है, यदि इस बारे में माननीय सदस्य की नजर में कोई निश्चित तथ्य आयें तो उनका स्वागत है, हम उसका संज्ञान लेंगे।

[अनुवाद]

इंटरनेट टेलीफोनी

***142. श्री पवन कुमार बंसल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय से विदेश संचार निगम लिमिटेड के शेयरों के मूल्य और विनिवेश की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। सरकार ने इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) अधिनियम 1997 के अनुसार, लाइसेंस के नियम एवं शर्तों के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें मांगना बाध्यकारी है। तदनुसार, 20.7.2001 को टीआरएआई से सिफारिशें मांगी गई हैं जिनकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है। इसके लिए टीआरएआई ने 23 नवम्बर, 2001 को एक परामर्शी दस्तावेज जारी किया है।

(ग) विदेश संचार निगम लि. का और आगे विनिवेश करने का निर्णय 1 फरवरी, 2001 को लिया गया था। किसी भी कम्पनी का शेयर मूल्य विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, यदि मुझे मंत्री महोदय की तारीफ करनी हो तो मैं कहूंगा कि प्रश्न, खासकर प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर वास्तव में बहुत शिक्षाप्रद तथा सूचनाप्रद है। कृपया ध्यान दें, मेरा प्रश्न क्या था। मैं जानना चाहता था कि इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति देने से विदेश संचार निगम लिमिटेड के शेयरों के मूल्य और विनिवेश की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। हमने जो उत्तर पाया वह यह है कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के और विनिवेश करने का निर्णय दिनांक 1 फरवरी, 2001 को लिया गया। मैंने इसके बारे में नहीं पूछा था। उत्तर के दूसरे भाग में कहा गया है कि किसी भी कम्पनी का शेयर मूल्य विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। मंत्री महोदय को इस मामले में मुझे जानकारी प्रदान करने के लिए ईमानदारीपूर्वक धन्यवाद देना चाहिए। मेरा प्रश्न यह था : इस निर्णय से विदेश संचार निगम लिमिटेड के शेयरों के मूल्य और विनिवेश की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है? इसे बड़ी सुविधा से नजरअन्दाज कर दिया गया है।

इस भाग का स्पष्ट उत्तर पूछते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि निर्धारित समय से दो वर्ष पहले ही अगले साल 1 अप्रैल से अन्तर्राष्ट्रीय कॉल पर से वी.एस.एन.एल. का एकाधिकार समाप्त करने का निर्णय निश्चित रूप से वी.एस.एन.एल. के शेयरों के मूल्य तथा इसकी भूमिका को कम करने वाला था। अब यदि हम इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति दे देते हैं तो एक बार फिर इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। इस तरह वे वर्तमान पारंपरिक अन्तर्राष्ट्रीय कॉल की दरों एवं वी.ओ.आई.पी. अर्थात् वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की कीमतों में तथा उनकी गुणवत्ता में सामंजस्य किस प्रकार से बैठा पायेंगे ताकि लोगों के लिए इंटरनेट टेलीफोनी एवं पारंपरिक कॉल में से एक को विश्वसनीय विकल्प के रूप में चुनना संभव हो सके।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, प्रथमतः यदि भाग (ग) का उत्तर माननीय सदस्य को संतुष्ट नहीं कर पाया है तो वास्तव में मुझे इसका खेद है।

सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरी समझ में इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति देने से वी.एस.एन.एल. के विनिवेश पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसका साधारण सा कारण यह है कि वी.एस.एन.एल. के पास अपनी सहज क्षमता है। यह पिछले कई वर्षों से इस व्यवसाय में है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति देने से विनिवेश प्रक्रिया या वी.एस.एन.एल. को प्राप्त होने वाली संभावित आय पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है।

जहां तक शेयर के मूल्य का सवाल है, जैसा कि माननीय सदस्य वाकिफ हैं यह प्रतिदिन बदलता रहता है। इसलिए, वर्तमान में दिया गया मेरा उत्तर भविष्य में वह वी.एस.एन.एल. के शेयर के लिए श्योरिटी नहीं है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि 1 अप्रैल, 2002 से इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति देने की हमारी घोषणा से पहले वी.एस.एन.एल. के शेयर का मूल्य बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 200 रुपये से थोड़ा कम था। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता और न ही इसका श्रेय लेना चाहता हूं। किन्तु इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति देने की घोषणा के ठीक दूसरे दिन ही वी.एस.एन.एल. के शेयर के मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं। किन्तु कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बंद होने के वक्त वी.एस.एन.एल. के शेयर का मूल्य 226.30 रुपये था। जब हमने अपने निर्णय की घोषणा की, वी.एस.एन.एल. के शेयर का मूल्य 196.10 रुपये था। दूसरे दिन यह बढ़कर 212.15 रुपये हो गया। अभी इसका मूल्य 226.30 रुपये है। इसके बावजूद मैं इस बात का श्रेय नहीं लेता कि इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति देने के मेरे निर्णय के कारण वी.एस.एन.एल. के शेयर के मूल्य में वृद्धि हुई है। भाग (ग) में मैंने जवाब दिया है कि किसी भी कम्पनी का शेयर मूल्य विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति देने के इरादे ने शेयर मूल्य को नहीं घटाया है। इस प्रकार, सम्भवतः यदि शेयर मूल्य कम नहीं हुआ है तो विनिवेश प्रक्रिया या विनिवेश मूल्य पर नाममात्र का ही असर होगा।

इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति देने का निर्णय आम जनता के हित में लिया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, हम सभी को ज्ञात है कि इंटरनेट टेलीफोनी के दो तरीके हैं। एक जिसे हम सीधे इंटरनेट टेलीफोनी कहते हैं, तथा दूसरा वी.ओ.आई.पी (वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) के नाम से जाना जाता है। वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट भेजने का तरीका है। इसलिए गुणवत्ता थोड़ी बेहतर होगी। आमतौर पर इंटरनेट टेलीफोनी इंटरनेट के माध्यम से भेजे जाने वाले ई–मेल के जैसा ही है। इसलिए इसकी गुणवत्ता उतनी बेहतर नहीं होगी। किन्तु मैं समझता हूं कि इस चरण में मेरे द्वारा सभी प्रकार के आंकड़ों को दिया जाना असामयिक होगा क्योंकि इस सम्माननीय सभा द्वारा पारित कानून के तहत हमें ब्यौरे देने हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि जब सरकार ने इंटरनेट टेलीफोनी शुरू करने की घोषणा की है, तब इसके शुरू किए जाने के तरीके, संबंधित नियमों व विनियमों के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सिफारिशें की जानी हैं। हमने इसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास भेज दिया है। वे पहले ही तत्संबंधी स्थिति–पत्र की घोषणा कर चुके हैं। जब हमें 'ट्राई' अपनी सिफारिशें दे देता है तथा सरकार अपना अंतिम निर्णय ले लेती है तभी मैं इसके बारे में ब्यौरा दे पाने में सक्षम हो पाऊंगा।

श्री पवन कुमार बंसल : मैंने एक क्षण के लिए भी यह कहने का साहस नहीं किया कि इंटरनेट टेलीफोनी की आवश्यकता नहीं है। यह निश्चित रूप से जनता की मदद करेगा। हम हमेशा से इसकी मांग करते रहे हैं। मेरी एकमात्र चिंता जो पहले थी और अभी भी है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर सरकार विकट स्थिति में पड़ जाए। मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता था। यह भय गुणवत्ता और लागत में तालमेल तथा सामंजस्य स्थापित करने में विफलता के कारण उत्पन्न हुआ। मैं विश्वासपूर्वक आशा करता हूं कि 'ट्राई' इसके संबंध में गहराई से विचार करेगा। परन्तु मैं समझता हूं कि इस विषय पर संसद में चर्चा होने से पहले सरकार को तत्संबंधी अपने विचार तय करने थे।

मैं यही जानना चाहता था। अभी, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर अनुमति देने से पूर्व कन्जर्वेन्स विधेयक के पारित होने का इंतजार करेगी? या इसे तुरंत निपटाया जाएगा।

श्री प्रमोद महाजन : दो प्रश्न हैं। जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेट टेलीफोनी की आवाज आम टेलीफोन की आवाज की तरह नहीं होगी। पूरे विश्व में अनुभव यही है कि यह कम गुणवत्ता और आवाज संप्रेषण के साथ एक सस्ता विकल्प है। स्वभावतः, वे लोग जो सामान्य तथा साधारण संवाद भेजना चाहते हैं, जिनके लिए विलम्ब या आवाज की गुणवत्ता के बजाय कीमत माने रखती है, इसको चुनेंगे। जो बेहतर गुणवत्ता और सेवा चाहते हैं वे आम पारंपरिक प्रणाली को अपनायेंगे।

जहां तक निर्णय का सवाल है, जैसा कि मैंने बताया, सरकार का इंटरनेट टेलीफोनी को 1 अप्रैल, 2002 से प्रारंभ करने का इरादा है क्योंकि उस तिथि को वी.एस.एन.एल. का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। हमने कहा है कि सिफारिशें आएंगी। कन्जर्वेन्स विधेयक इस सम्माननीय सभा की स्थायी समिति के पास लम्बित पड़ा है। मुझे आशा है कि स्थायी समिति का प्रतिवेदन जल्दी ही इस सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि हम बजट सत्र के दौरान प्रतिवेदन पाते हैं तो कन्जर्वेन्स

विधेयक भी पारित हो जाएगा। किन्तु वर्तमान में मैं कन्जर्वेन्स विधेयक और इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति प्रदान किए जाने के बीच कोई संबंध नहीं पाता। आपको यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि स्थायी समिति जितनी जल्दी से हमें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी उतनी जल्दी हम कन्जर्वेन्स विधेयक पारित कर देंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम विधेयक की खातिर लोगों को इंटरनेट टेलीफोनी की सुविधा प्राप्त करने हेतु अनुमति देने से इन्कार नहीं करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल : वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वी. ओ.आई.पी.) पूर्णतया अनुमत्य है क्योंकि यह अधिकांशतः कम्प्यूटर प्रयोक्ताओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास वी.ओ.आई. पी. का नियमित रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई अनुमान है क्योंकि यह अनुमत्य है। इटरनेट टेलीफोनी बिल्कुल ही अलग चीज है। क्या विद्यमान इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट टेलीफोनी के लिए अनुमति मिलेगी? यदि नहीं, तो प्रेस रिपोर्ट मे उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार वर्तमान में चालू हाई स्पीड इंटरनेट टेलीफोनी को अनुमति नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं?

श्री प्रमोद महाजन : मैं पहले दूसरे भाग का उत्तर देता हूं। जैसा कि मैंने बताया इस समय सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से अपनी सिफारिशें देने के लिए अनुरोध किया है। मैं नहीं जानता कि 'ट्राई' इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इसकी अनुमति देता है अथवा नहीं। ऐसी परिस्थिति में मैं उनके क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। सरकार 'ट्राई' द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लेगी। मैं इस समय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बारे में तटस्थ हूं। पहले 'ट्राई' तत्संबंधी निर्णय ले। इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य के पास उन्हें बाद में भेज सकता हूं।

श्री रूपचन्द पाल : वी.ओ.आई.पी. अनुमत्य है। यह अवैधानिक नहीं है। इंटरनेट टेलीफोनी और वी.ओ.आई.पी. दो अलग-अलग चीजें हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप गुणवत्ता आवाज आदि के बारे में क्या परामर्श देने जा रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, इस समय इन दोनों चीजों के बारे में भ्रान्ति है।

श्री प्रमोद महाजन : कोई भ्रांति नहीं है। मैं माननीय सदस्य, श्री बंसल के प्रश्न का जवाब देते वक्त इसका उत्तर दे चुका हूं। मैंने बताया कि दो तरीके हैं। एक जिसे आप इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी के नाम से जानते हैं तथा दूसरा वी.ओ.आई.पी. जो सामान्यतः इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए निर्धारित लाइनों से जाता है। कोई भ्रान्ति नहीं है। इसे करने के दो तरीके हैं। वी.ओ.आई.पी. की अनुमति दी जाती है, परन्तु जैसा कि मैंने बताया, यह सभी निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा परिचालित हैं। इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। इसी कारण से मैंने कहा कि जब मुझे आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे हम उन्हें माननीय सदस्य के पास भेजने की कोशिश करेंगे।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वी.एस.एन.एल. अपनी विश्वसनीयता खो रहा है अथवा नहीं, क्योंकि इंटरनेट सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के प्रभार नहीं दिए जाते। यदि इसे वी.एस.एन.एल. के माध्यम से संचालित किया जाए तो इस पर काफी अधिक प्रभार लगता है। बहुत से निजी आपरेटर हैं जो कम कीमत लेते हैं। क्या इस निर्णय को स्वीकार करने के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय कॉलें सस्ती हो जाएंगी। चिर-प्रतीक्षित प्रतिवेदन को वस्तुतः कब प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

दूसरे, विश्व के कितने देश आपके वी.ओ.आई.पी. नेटवर्क को अनुमति देते हैं। कितने देश इसकी अनुमति नहीं देते हैं? कितने देशों का इस पर नियंत्रित है। इसके तीन प्रकार हैं। कुछ देशों ने अनुमति दे दी है, कुछ ने इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है और कुछ देशों ने पूरे मुद्दे पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए किनको अनुमति दी जाने वाली है? क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है?

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, इस प्रश्न के दो भाग हैं। जैसा कि मैंने बताया, 31 मार्च को इंटरनेशनल वायस ट्रेफिक पर से वी.एस.एन.एल. का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। इसके पहले हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में दूसरी कम्पनियां सामने आएं। सरकार ने बहुत पहले ही 'ट्राई' से अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी के संबंध में अपनी सिफारिश देने को कहा है। उन्होंने सिफारिशें भेजी हैं। सरकार सभी सिफारिशें स्वीकार कर चुकी है। अब हम इसके लिए समझौते का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि सभी कुछ ठीक-ठाक चलता रहा तो अप्रैल अथवा मई में हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के मामले में काफी निजी कंपनियां होंगी। उस समय तक वी. एस.एन.एल. भी निजी कंपनी होगी जिसमें सरकार का स्वामित्व केवल 26 प्रतिशत होगा। उस समय, विभिन्न कंपनियों के बीच

अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी। इसलिए, अंततः उपभोक्ता या ग्राहक या आम आदमी को लाभ होगा।

दूसरे भाग के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इंटरनेट टेलीफोनी, फैक्स या सार्वजनिक इंटरनेट पर स्वीकृत आवाज की व्यवस्था है। 25 देश इसकी अनुमति देते हैं। उनमें से एक अंगोला है। मुझे नहीं लगता कि नाम बताने में मुझे सभा का समय लेना चाहिए। उनमें से कुछ विनियमित हैं। उनमें से कुछ को समय विशेष पर विनियमित किया जाना है। कुछ को विनियमित नहीं किया गया है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : कुल कितनों को प्रतिबंधित किया गया है?

श्री प्रमोद महाजन : 32 देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं जानकारी भेज सकता हूं। मैं उदाहरण दे सकता हूं। ये देश हैं, अल्बानिया, क्यूबा, पाकिस्तान, मोरोक्को और म्यांमार। इनकी संख्या बहुत अधिक है। हमारे पास दो सौ देश हैं। मुझे उनकी जानकारी नहीं है। परन्तु श्री जसवंत सिंह को अवश्य इसकी सही जानकारी होगी।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मैं यह जानकारी आपसे ले लूंगा।

श्री विष्णु पद राय : महोदय, हाल ही में 'ट्राई' ने आई.एल.डी. खोलने संबंधी सिफारिश की है। क्या मंत्री महोदय सिफारिशों की मुख्य बातों और उस पर सरकार के विचारों से सभा को अवगत करायेंगे?

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मूल रूप से ये सिफारिशें की गई हैं। मुख्य विशेषतायें दो या तीन हैं। 'ट्राई' ने कहा है कि असीमित प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए अर्थात् जारी किए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। तत्पश्चात् उसका कहना है कि आवेदक कंपनी को प्रवेश–शुल्क के रूप में 25 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे जो वापसी योग्य नहीं होंगे। इसकी 25 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति होनी चाहिए। 'राजस्व–भागीदारी' अथवा 'वार्षिक–लाइसेंस–शुल्क' के नाम से प्रचलित देय राशि यू.एस.ओ. मूल्य सहित समन्वित–सकल–राजस्व के 15 प्रतिशत की दर से होनी चाहिए। निर्धारित दायित्वों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कंपनी को तीन वर्षों में चार मार्ग स्थापित करने चाहिए। कम से कम चार मार्गों–एक मार्ग उत्तरी अमेरिका, एक यूरोप, एक खाड़ी प्रदेश पर और अन्य एक दक्षिण–पूर्वी एशिया अथवा सुदूर–पूर्व से टेलीफोनी यातायात परिचालित होना है। कार्य निष्पादन बैंक गारंटी लगभग 25 करोड़ रुपये होना चाहिए। सरकार ने ये सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। सरकार इसकी घोषणा कर चुकी है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो उत्तर दिया और जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तरों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या युनाइटेड स्टेट जैसे देशों में इंटरनेट टेलीफोनी बन्द है और यदि बन्द है, तो कब से ऐसा है और वहां पी.एस.टी.एन. टेलीफोन पर क्या कोई दूसरा प्रभाव हुआ है और यदि वहां प्रभाव नगण्य है, तो ऐसे कौन से कारण हैं कि इससे भारत में समस्या उत्पन्न हो सकती है?

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका में इंटरनेट टेलीफोनी कुछ समय से वैध है। वहां का संचार मंत्रालय मेरे अधीन नहीं है। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि सही–सही इसकी शुरूआत कब हुई थी परंतु कुछ समय से वहां इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है।

ऐसे समय मेरे लिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि वहां पी.एस.टी.एन. टेलीफोनी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तथापि, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है, यह कहा जाता है कि शुल्क दर कम होने की वजह से अमरीका में 10–15 प्रतिशत लोग इंटरनेट टेलीफोनी का उपयोग करते हैं। जैसा कि मैंने कहा है यह निम्न गुणवत्ता वाला हो सकता है। परन्तु साथ ही वहां कम शुल्क की व्यवस्था है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका में, जहां प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक है, फिर भी 10–15 लोग इंटरनेट टेलीफोनी का उपयोग करते हैं। यदि यहां इतने लोग भी इसका उपयोग करते हों, तो मेरे विचार से इससे आम लोगों को फायदा होगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाना

\+

***143. श्री सी. श्रीनिवासन :**

श्री दिलीप संघाणी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्य–वार नाम क्या हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान चार लेनों वाली सड़कें बनाने का कार्य शुरू किया गया था और वह पूरा हो गया है;

(ख) इस कार्य हेतु राज्य–वार स्वीकृत और खर्च की गई धनराशि कितनी–कितनी है;

(ग) क्या पर्याप्त धन की अनुपलब्धता के कारण अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाने का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और राष्ट्रीय राजमार्ग–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाए जाने के कार्य को द्रुत गति से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1.4.1998 से 31.3.2001 के दौरान स्वीकृत और व्यय की गई धनराशि के साथ–साथ उन राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्य–वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है जहां चार लेन बनाने का कार्य शुरू अथवा पूरा किया गया था।

(ग) जी, नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाने से संबंधित ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए किए गए उपायों में शीघ्र निर्णय एवं भुगतान व्यवस्था, कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए बोनस की व्यवस्था और विलम्ब के लिए जुर्माना तथा परियोजना तैयार करने, कार्य के पर्यवेक्षण और अनुरक्षण के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता प्राप्त करना, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का सरलीकरण तथा सड़क निर्माण के लिए उपस्करों के आयात हेतु सीमा शुल्क से छूट शामिल है।

अनुबंध

गत तीन वर्षों (1.4.1998 से 31.3.2001) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन बनाने का कार्य शुरू/पूरा किया गया

क्र.सं.	राज्य	रा.रा.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	अवार्ड राशि (करोड़ रु.)	प्रारंभ तारीख	31.3.01 तक व्यय (करोड़ रु.)*	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	5	विजयवाड़ा–राजमुंदरी खंड (इलूरु के पास)	5.00	16.00	जून, 2000	2.01	प्रगति पर
2.		5	विजयवाड़ा–चिल्कालूरीपेट पैकेज–I	25.00	60.00	मार्च, 1999	29.88	प्रगति पर
3.		5	विजयवाड़ा–चिल्कालूरीपेट पैकेज–II	32.00	59.00	मार्च, 1999	30.38	प्रगति पर
4.		5	विजयवाड़ा–चिल्कालूरीपेट पैकज–III	23.78	55.00	मार्च, 1999	21.81	प्रगति पर
5.		5	विजयवाड़ा–चिल्कालूरीपेट (कृष्णा पुल सहित) पैकेज–IV	2.88	53.00	मई, 1999	42.19	प्रगति पर
6.		7	नागपुर–हैदराबाद (एन एस/8)	17.00	34.80	दिस., 1999	18.63	प्रगति पर

*इसमें भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वृक्षों की कटाई, अंतर, मूल्यवृद्धि, स्थापना प्रभार और पर्यवेक्षण प्रभार शामिल हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.		7	हैदराबाद–बंगलौर (एन एस/9)	12.50	23.55	दिस., 1999	11.02	प्रगति पर
8.		9	नंदीगांव–विजयवाड़ा	48.00	59.00	अक्तू., 1996	79.2	पूर्ण, नव. 2000
9.	असम	37	गुवाहाटी बाइपास	7.90	46.78	जून, 2000	12.98	प्रगति पर
10.	बिहार	2	मोहनियां–सासाराम	45.00	229.96	फर., 2001	0.68	प्रगति पर
11.		2	देहरी–आन–सोन–औरंगाबाद	40.00	217.99	फर., 2001	0.6	प्रगति पर
12.		31	पूर्णिया–गयाकोटा (ई डब्ल्यू/4)	15.15	53.68	दिस., 1999	14.65	प्रगति पर
13.	गुजरात	8	अहमदाबाद–वदोदरा एक्सप्रेसमार्ग चरण–I	43.00	134.07	अगस्त, 2000	55.12	प्रगति पर
14.		8	सूरत (चल्तन)–अतुल	79.60	234.88	नव., 2000	27.24	प्रगति पर
15.		8	अतुल–कैजाली	38.60	162.05	नव., 2000	16.28	प्रगति पर
16.		8ए	गांधीधाम–समखियाली पैकेज–I	18.00	31.61	सित., 1998	38.90	पूर्ण, सित., 2000
17.		8ए	गांधीधाम–समखियाली पैकेज–II	22.00	54.16	मई, 1999	44.67	प्रगति पर
18.		8ए	गांधीधाम–समखियाली पैकेज–III	16.16	35.70	मई, 1999	36.53	प्रगति पर
19.		14	पालनपुर के समीप आबू रोड डीसा खंड (ई डब्ल्यू/1)	10.00	15.68	दिस., 1999	17.24	पूर्ण, अप्रैल, 2001
20.	हरियाणा	1	दिल्ली सीमा–समालखा (एन एस/2)	15.00	36.50	दिस., 1999	25.67	प्रगति पर
21.	कर्नाटक	4	सीरा बाइपास	5.80	15.47	जुलाई, 2000	1.98	प्रगति पर
22.		7	हैदराबाद–बंगलौर (देवनहल्ली के पास 4 लेन बनाना) (एन एस/10)	7.00	18.36	जन., 2000	9.34	पूर्ण, जुलाई, 2001
23.		7	बंगलौर–होसूर खंड	25.00	71.15	अप्रैल, 1994	74.57	पूर्ण, जुलाई, 1998
24.	केरल	47	अलवाई–शेरथलै खंड	47.00	145.04	मई, 1994	131.3	पूर्ण, मार्च, 1999
25.	मध्य प्रदेश	3	आगरा–ग्वालियर खंड (मुरैना के पास) (एन एस/6)	10.00	24.10	जुलाई, 2000	5.43	प्रगति पर
26.	महाराष्ट्र	6	अमरावती बाइपास	18.00	34.13	मई, 2000	9.48	प्रगति पर
27.		8	कैजाली–मनौर	57.40	168.85	नव., 2000	27.55	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.		4	पश्चिमी विपथन	34.25	92.06	जून, 2000	37.47	प्रगति पर
29.		7	नागपुर–अदीलाबाद (एन एस/7)	25.60	59.89	सित., 1999	52.18	पूर्ण. नव. 2001
30.	उड़ीसा	5	भद्रक–चंडीखोल (ओ आर–II)	75.00	283.93	फर., 2001	30.64	प्रगति पर
31.		5	चंडीखोल–जगतपुर	33.00	105.61	फर., 2000	6.72	प्रगति पर
32.		5	भुवनेश्वर–खुर्दा (ओ आर–I)	30.00	118.90	फर., 2001	13.74	प्रगति पर
33.		5	कटक–भुवनेश्वर खंड	27.80	275.13	फर., 1995	241.82	पूर्ण, दिस. 2000
34.	पंजाब	1	जालंधर बाइपास (एन एस/I)	14.40	54.09	नव., 1999	29.97	प्रगति पर
35.	राजस्थान	8	जयपुर बाइपास चरण–I	14.00	59.40	सित., 1998	97.86	पूर्ण, मार्च, 2001
36.		8	किशनगढ़ में आर ओ बी	1.00	18.00	मार्च, 1998	4.45	पूर्ण, फर. 2000
37.		3	आगरा–धौलपुर (एन एस/5)	10.00	17.99	दिस., 1999	21.22	पूर्ण, मार्च 2001
38.	तमिलनाडु	4 व 45	चेन्नई बाइपास चरण–I	19.00	42.45	जून, 1998	57.00	प्रगति पर
39.		7	करूर बाइपास को चार लेन का बनाना और अमरावती नदी पर अतिरिक्त पुल	9.36	34.96	अगस्त, 1999	7.71	प्रगति पर
40.		7	करूर आर ओ बी का निर्माण	0.84	9.66	जुलाई, 1999	4.46	प्रगति पर
41.		7	होसूर–कृष्णागिरि	46.60	172.26	मार्च, 2001	0.46	प्रगति पर
42.		7	सलेम बाइपास (एन एस/12)	8.40	23.86	दिस., 1999	10.07	प्रगति पर
43.		7	तोपुर घाट से होते हुए बंगलौर–सलेम–मदुरै (एन एस/14)	7.40	17.00	दिस., 1999	4.11	प्रगति पर
44.		7	हाथीपल्ली–होसूर	15.58	33.03	दिस., 1999	13.98	प्रगति पर
45.	उत्तर प्रदेश	24	मुरादाबाद बापाइस	18.00	77.90	अप्रैल, 1999	53.19	प्रगति पर
46.		24	गाजियाबाद–हापुड़ और हापुड़ बाइपास	33.00	81.10	अप्रैल, 1999	52.34	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.		27	नैनी के पास यमुना नदी पर केबिल आधारित पुल	6.00	219.78	दिस., 2000	35.57	प्रगति पर
48.		2	इटावा बाइपास	14.00	69.44	फर., 2001	7.67	प्रगति पर
49.		2	सिकंदरा–भौंटी	62.00	289.30	फर., 2001	26.36	प्रगति पर
50.		2	फतेहपुर–खागा	77.00	295.53	मार्च, 2001	1.02	प्रगति पर
51.		2	खागा–कोखराज	43.00	179.85	फर., 2001	17.95	प्रगति पर
52.		2	हांडिया–वाराणसी	72.00	265.38	मार्च, 2001	1.00	प्रगति पर
53.		25	लखनऊ–कानपुर खंड (ई डब्ल्यू/2)	10.42	28.71	अप्रैल, 2000	14.25	प्रगति पर
54.		25	लखनऊ–कानपुर (ई डब्ल्यू/3)	16.00	39.82	दिस., 1999	9.19	प्रगति पर
55.		3	आगरा–ग्वालियर (एन एस/4)	16.00	36.11	दिस., 1999	33.07	पूर्ण, जुलाई 2001
56.		2	मथुरा–आगरा	51.33	127.54	दिस., 1995	134.07	पूर्ण, अप्रैल 2000
57.	पश्चिम बंगाल	31	डलखोला–इस्लामपुर (ई डब्ल्यू/5)	23.00	61.84	दिस., 1999	17.25	प्रगति पर
58.		31	डलखोला–इस्लामपुर उपखंड 2 (ई डब्ल्यू/6)	23.85	76.76	अप्रैल, 2000	17.92	प्रगति पर
59.		6	कोलाघाट–खड़गपुर (डब्ल्यू बी–II)	64.00	391.00	फर., 2001	39.16	प्रगति पर
60.		6	धनकुनी–खड़गपुर (पुल) (डब्ल्यू बी–II)	1.73	67.00	फर., 2001	6.73	प्रगति पर
61.		2	बराकर–रानीगंज	35.40	141.09	सित., 1997	131.00	पूर्ण, मार्च 2001

श्री सी. श्रीनिवासन : महोदय, मुझे माननीय मंत्री के उत्तर से निराशा हुई है। उनके वक्तव्य में बहु–उल्लिखित तमिलनाडु की सड़क परियोजनाएं नहीं हैं। उदाहरण के लिए पूर्व भूतल–परिवहन मंत्री ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मदुरई–डिंडिगुल राजमार्ग पर चार लेन बनाने के काम को मंजूरी दे दी थी। यदि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को प्राथमिकता दी जाती है, तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य सड़कों को भी समान महत्व मिले। अतः, मंत्री महोदय को इन कारणों का पता लगाना होगा कि डिंडिगुल क्षेत्र को क्यों छोड़ा गया।

यदि इसे छोड़ा नहीं गया तो माननीय मंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि धनराशि की समस्या है, जबकि नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने यह बताया है कि भूतल–परिवहन मंत्रालय के पास 20,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि अनुप्रयुक्त पड़ी है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, माननीय सदस्य ने एक विशेष सड़क के बारे में पूछा है। तमिलनाडु में जारी परियोजनाओं का ब्यौरा यहां दिया गया है। अब मैं भी माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक सड़कों को चार लेन वाला बनाने का संबंध है, इस पर कार्य समय के अंदर ही नहीं बल्कि समय से पहले चल रहा है। अतः उनका यह कहना उचित नहीं है कि किसी

सड़क विशेष की उपेक्षा की गई या उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं इसके बारे में आपको विशेष जानकारी दूंगा। अन्यथा स्वर्ण चतुर्भुज के पहले चरण में संपूर्ण सड़कों को सभी जगह चार लेनों वाला बनाने के लिए सभी टेंडर दिसम्बर तक दे दिए जाएंगे। अभी केवल 10–11 टेंडर दिए जाने हैं। अतः विलंब का कोई कारण नहीं है।

श्री सी. श्रीनिवासन : धन्यवाद, महोदय।

क्या राष्ट्रीय राजमार्ग–4 और 45 पर चेन्नई बाइपास पर काम शुरू करते समय अधिक यातायात की समस्या के समाधान के लिए और दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए अन्नामलाई को डबल–डेकर सड़क बनाना और चेन्नई माउंट मार्ग पर गिंडी तक लंबा सड़क उपरिपुल बनाना उचित नहीं होगा?

यदि सरकार तमिलनाडु को धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने की इच्छुक है, तो वह इन परियोजनाओं को कब शुरू करेगा?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, चार लेनों वाली कुछेक सड़कें राज्य सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार बनायी जा रही हैं और यह मामला उनमें से एक है। मामले पर जांच चल रही है और वहां चार लेनों वाली सड़क बनेगी या एलिवेटिड राजमार्ग बनाया जाना आवश्यक है अथवा सड़क उपरिपुल बनाया जाना है अर्थात् इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस मामले पर विचार किया जाएगा।

श्री सी. श्रीनिवासन : धन्यवाद, महोदय।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पश्चिम बंगाल की यह चार लेन वाली सड़क परियोजना, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग–31 भी एक परियोजना है, मुझे उत्तर से पता चला है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दलखोला से इस्लामपुर तक दो कारणों से काम रुका हुआ है।

ये कारण बहुत रोचक हैं। जब वे सडक–निर्माण हेतु एक पीपल का पेड़ काटने का प्रयास करते हैं, तो सुबह उसमें से दो सांप निकल आते हैं और स्थानीय लोग कहते हैं कि उन्हें उसकी पूजा करनी चाहिए। उन्होंने वहां छोटा सा मंदिर बना दिया और उस भाग में काम रुक गया क्योंकि उन्हें उस सड़क को थोड़ा मोड़कर बनाने का स्थान नहीं मिला। दूसरी समस्या यह है कि यह सड़क इस्लामपुर शहर में मिलती है, जो एक उपखंड मुख्यालय है और जिसके कारण सभी दुकानें और मकान गिराये जाने हैं। इसलिए, यह विवाद शुरू हो गया है कि बाइपास किस ओर से जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप संपूर्ण कार्य रुक गया है।

क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और यथाशीघ्र इसका समाधान निकालेंगे?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा। मैं एकल या दो लेनों को चार लेन वाली सड़क में बदलने के लिए जो सामान्य तरीका अपनाया जा रहा है, उसकी जानकारी सभा को दूंगा।

हमने प्रारंभिक सर्वेक्षण किया है जिसमें एक विशेषज्ञ दल जाता है और प्रारंभिक सीध के बारे में निर्णय करता है। उसके आधार पर भूमि अथवा संपत्ति के अधिग्रहण का काम शुरू होता है। तत्पश्चात् उस सड़क की व्यवहार्यता के मद्देनजर, और अंततः यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस सड़क पर यातायात सुचारु रूप से चले, स्थानीय लोगों से मंत्रणा करके एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसलिए कई बार स्थानीय लोग किसी विशेष सीध में सड़क बनवाना चाहते हैं जो सड़क के ज्यामितिय दृष्टिकोण से व्यवहार्य या वांछनीय नहीं होता। एक बार किसी विशेष सीध–रेखा अथवा उसके तरीके पर विशेषज्ञ द्वारा निर्णय करने के उपरांत कि किस स्थान पर बाई–पास होना चाहिए, सड़क उपरिपुल होना चाहिए अथवा ऊंचा उठा हुआ राजमार्ग होना चाहिए, हम तदनुरूप निर्णय करते हैं और उसके पश्चात् उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से लखनऊ का नेशनल हाईवे बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है और वह पिछले कई सालों से बन रहा है लेकिन अभी तक वह दिल्ली से हापुड़ तक भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। क्या सरकार दिल्ली से लखनऊ तक डबल रोड कर रही है? वह कब तक कम्प्लीट हो पाएगा? जो हापुड़ तक है, वह भी अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है। वह कब तक कम्प्लीट हो पाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे और दूसरी रोड्स बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर फंड उत्तर प्रदेश को भेजा है। क्या वह सड़कों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? आप उसे विजिलेंट कर रहे हैं या नहीं या वह उत्तर प्रदेश के सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : अध्यक्ष

महोदय, दो सवाल पूछे गए हैं—एक हापुड़—मुरादाबाद वाले सैक्शन पर काम बहुत दिनों से चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है, समय से चल रहा है और आपको ध्यान होगा कि हापुड़ का बाई—पास करीब—करीब तैयार है, मुरादाबाद का आधा बाई—पास खुल गया है और आधे बाई—पास में रेलवे ओवर ब्रिज और राम गंगा के पुल की वजह से थोड़ी समस्या है। वह अगले साल के शुरू तक पूरा हो जाएगा।

दूसरा सवाल आपने पूछा है कि रोड्स के लिए जो पैसा दे रहे हैं, उसे प्रदेश सरकार इस्तेमाल कर रही है या नहीं। यह इस प्रश्न से थोड़ा हटकर है क्योंकि प्रश्न चार लेनिंग के बारे में है और आप शायद सेंट्रल रोड फंड या नेशनल हाईवे को रख—रखाव के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सेंट्रल रोड फंड के अंदर हमने व्यवस्था की है कि वन—थर्ड ऑफ दी एलॉटमेंट पहले दिया जाता है। यदि उसका यूटीलाइजेशन सही हो तब दूसरी इंसटालमेंट देते हैं। अगर वह पैसा कहीं और डायवर्ट कर दिया जाता है तो सामान्यतः पहली इंसटालमेंट शायद मिसयूज कर पाएं लेकिन उनको दूसरी और तीसरी नहीं मिलेगी।...*(व्यवधान)* ऐसा किसी प्रदेश के बारे में कहना संभव नहीं है। जब हमारे पास यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट आएगा और सही होगा तभी उनको दूसरी इंसटालमेंट देंगे। वे पहली इंसटालमेंट का क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारी जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्रधान मंत्री स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना एक अच्छी परियोजना है। आंध्र प्रदेश में निर्माण कार्य का ठेका दे दिया गया है और कार्य जोर—शोर से चल रहा है। लेकिन सड़कों को चौड़ा करते समय अनेक लोग विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लोग अर्थात् अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विस्थापित किया गया है।

क्या सरकार विस्थापितों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने पर विचार करेगी? आप उन्हें कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं। वे 30 अथवा 40 वर्षों से उस भूमि में रह रहे हैं और सड़कों को चौड़ा किए जाने से वे सभी विस्थापित हो गए हैं। विशेष रूप से कमजोर वर्गों—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप उन लोगों को भी शामिल कर सकते हैं जिन्हें अपने घरों से वंचित होना पड़ा है और इसमें आपको अधिक धनराशि देने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी अथवा नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई निदेश दिया गया है अथवा नहीं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : मैं प्रक्रिया को स्पष्ट कर देता हूं। जब हम कोई भूमि अथवा सम्पत्ति का अधिग्रहण करना चाहते हैं तो हम राज्य सरकार से प्रक्रिया का पालन करने, मुआवजा निर्धारित करने का अनुरोध करते हैं और हम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पूरा मुआवजा देते हैं और इस पर आपत्ति नहीं करते हैं।

उन्हें मकान देने के संबंध में, मैं सुझाव देता हूं कि चूंकि हम उन्हें पूरा मुआवजा दे रहे हैं इसलिए राज्य सरकारों को इंदिरा आवास योजना तथा अपनी व्यवस्था में अन्य योजनाओं के अंतर्गत मकान देने में हमारी सहायता करनी चाहिए। उन्हें अलग से वित्तीय सहायता देना तथा मकान उपलब्ध कराना हमारे लिए संभव नहीं होगा।

श्री के. येरननायडू : इंदिरा आवास योजना एक सरकारी योजना है और इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : राज्य सरकार इस योजना को चला रही है। यदि समन्वय स्थापित हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि उन राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध में दिया गया है। इन्होंने जो अनुबंध दिया है, उसमें जहां उत्तर प्रदेश में 12 पथों का नाम है, वहां बिहार में मात्र तीन का नाम है। एक तो हम यह जानना चाहते हैं कि पथों के चयन का क्राइटीरिया क्या है और इसके साथ हम यह भी जानना चाहते हैं कि इन्होंने जो बहुत सी रोड्स एन.एच. में ली हैं, जैसे हमारे यहां छपरा से महमूदपुर वाया जलालपुर, बनियापुर, यह किस लेन में शामिल की हुई है, क्योंकि बाढ़ से रोड्स क्षतिग्रस्त हो गई हैं, राज्य सरकार उसकी देखभाल नहीं कर रही है तो क्या उस पर धनराशि उपलब्ध कराकर ये जल्दी से जल्दी उसे फोर लेन में बनवाने का काम करेंगे?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहले इन्होंने कहा है कि जो हमने इसमें दिखाया है, उसमें बिहार का कम दिखाया गया है तो प्रश्न माननीय सदस्य का था कि तीन साल के अन्दर एक अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 2001 तक कौन से ऐसे काम हैं, जो या तो शुरू किए गए हैं या खत्म हो गए हैं। हमने उससे भी ज्यादा सूचना इसमें दी है। यह उन्हीं सड़कों का ब्यौरा है, जो इस बीच में या तो शुरू हुई हैं या समाप्त हुई हैं। जहां तक इनके दूसरे प्रश्न का भाग है, उसका नेशनल हाईवे से संबंध है, फोर लेनिंग से नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज में हम लोग बाकी पूरे नेशनल हाईवेज का व्यवस्थित ढंग से रखरखाव कर रहे हैं। जो माननीय सदस्य जी ने कहा है, उस सड़क पर भी मैं आवश्यक रूप से विचार करूंगा।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाने के उद्देश्य से पेड़ों को काटा जा रहा है। मेरा प्रश्न है कि इन पेड़ों की क्षतिपूर्ति किस तरह की जाएगी? क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : जहां तक पेड़ों को काटने के लिए मुआवजा देने का संबंध है, वन विभाग से अनुमति ली जाती है और हम काटे गए पेड़ों की दुगनी कीमत वन विभाग को देते हैं। वन विभाग के पास भुगतान की जाने वाली राशि का हिसाब लगाने वाली पद्धति है। काटे गए प्रत्येक पेड़ के स्थान पर वन विभाग दो पेड़ लगा रहा है और हम पूरा मुआवजा देते हैं जो काफी बड़ी राशि होती है। मुझे आशा है कि वन विभाग राज्यों में अपना कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे : ये नेशनल हाईवेज और फोर लेनिंग करते हैं, यह ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ फिलोसफी आपकी नहीं है, कोआर्डीनेशन नहीं है। आपने नेशनल हाईवेज का एक तो एक्ट लाने का तय किया था, एक जगह एक स्टेट में नेशनल हाईवेज की एक फ्राविक पद्धति की विड्थ होती है। दूसरी जगह दूसरी होती है। मुख्य बात यह है कि जब फोर लेन बनाते हैं, वहां काफी एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वहां सर्विस लेन नहीं बनाई जाती। आपका जो निगम है, नेशनल हाईवे है और जो हाउसिंग अथोरिटीज़ हैं, ये अलग-अलग हैं, इनमें आपस में कोर्डिनेशन नहीं है। इसकी वजह से रास्तों पर बच्चे खेलते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैंने खुद देखा है कि एक बार एक ट्रक के नीचे दो बच्चे आ गए। उनका ब्रेन बाहर आ गया। इसलिए जब वहां सर्विस लेन नहीं बने, इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं कई बार देखता हूं कि आपका इस बारे में कोई सिस्टम नहीं है, कोर्डिनेशन नहीं है और उस पर कोई वाच डॉग नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके निगम, नेशनल हाईवे और पी.डब्ल्यू.डी. में आपसे में कोर्डिनेशन स्थापित करने के लिए आप जो नया एक्ट लाने वाले थे, वह कब तक लाएंगे और यह असुविधा कब तक दूर होगी?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : अध्यक्ष जी, बड़ा लम्बा सवाल है और थोड़ा विषय से बाहर का सवाल है। आपने फोर लेन के बारे में कहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह सर्विस लेन के बारे में बहुत सजग हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उन्होंने टिप्पणी की है क्योंकि हम सड़कें चौड़ी कर रहे हैं, अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। मेरे विचार से यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं कि अब चौड़ी सड़कें बन रही हैं, उस पर चलने वाले वाहनों में अनुशासन नहीं है। जैसा पहले वह खराब सड़कों पर और सिंगल लेन पर चलते थे, उसी तरह से इन सड़कों पर भी चल रहे हैं। आज भी इन सड़कों पर बैलगाड़ियां चल रही हैं, विपरीत दिशा से ट्रैफिक चलता है और सडक के बीच में बच्चे खेलते हैं। इसलिए अनुशासन आने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे खुशी है कि इस प्रकार का अनुशासन स्वयं आ भी रहा है। दूसरी बात आपने सर्विस लेन के बारे में कही है। जहां भी हमें जमीन मिलती है, हम वहां इसे बनाते हैं। 'राइट ऑफ दि वे' वह 60 मीटर हो, लेकिन हमें 25 मीटर के लिए भी जमीन नहीं मिल रही है। इसलिए सर्विस लेन नहीं बना पाते। हमारा उद्देश्य है कि सर्विस लेन बने इसलिए जहां भी हमें जमीन मिलती है, वहां हम बनाते हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : सर्विस लेन के बारे में आप जो नेशनल एक्ट लाने वाले थे, उसके बारे में आपको क्या कहना है ?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : जहां तक इस एक्ट का सवाल है, तो ये तमाम चीजें राज्य से सम्बन्धित हैं। नेशनल एक्ट राज्यों के साथ मिलकर ही बनेगा। हमने सभी मुख्यमंत्रियों को इस बारे में पत्र लिखा है। अभी तक सिर्फ छः राज्यों ने इस तरह का एक्ट बनाया है। वे सब बनाएंगे, तब हम विचार करेंगे।

श्रीमती कान्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में जो लिखित उत्तर दिया गया है, उसमें बिहार की स्थिति भी दर्शाई गई है और कहा है कि वहां काम प्रोग्रेस पर है। मैं इस रास्ते से हमेशा आती–जाती हूं। वहां प्रोग्रेस का कोई नामो–निशान भी नहीं है। आपने मोहनिया से सासाराम और डेहरी ऑन सोन से औरंगाबाद की बात कही है। सासाराम से डेहरी–आन–सोन 12 किलोमीटर का रास्ता बचता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या इसको भी इसमें शामिल किया गया है या नहीं?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के दो भाग हैं। पहले में कहा गया है कि जो उत्तर में दर्शाया गया है, उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने वाकई वहां देखा हो तो काम शुरू हो चुका है। हमने मोहनिया से सासाराम का फरवरी, 2001 में ठेका दे दिया था। उसके बाद सामान वगैरह इकट्ठा करने में कुछ समय लगा, फिर बरसात आ गई। अभी तक वहां 60 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। जहां तक आपने अतिरिक्त जोड़ने की बात कही है, तो एलायन्मेंट तय हो चुका है, उसके अलावा दूसरी सड़क जोड़ने का हमारा इरादा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास पाटील : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें भारी क्रेनों की सहायता से पेड़ उखाड़कर उन्हें सड़क के किनारे लगाने की नई तकनीक के बारे में पता है? श्री नितिन गोदामरी ने मुम्बई–पुणे राजमार्ग पर इस तकनीक का प्रयोग किया है और यह कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। यदि पुराने पेड़ों को उखाड़कर उन्हें सड़क के किनारे लगाने की नई तकनीक अपनायी जाती है तो वृक्षों की आयु का भी ध्यान रखा जाएगा और वृक्ष अधिक तेजी से बढ़ेंगे। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस नई तकनीक को भारत में कुछ अन्य स्थानों में भी अपनाया जाएगा?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं और जिस फोर–लेन राष्ट्रीय राजमार्ग की चर्चा हो रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें सिल्चर से पोरबंदर जो फोर–लेन है, ईस्ट–वेस्ट कौरीडोर फोर–लेन नेशनल हाइवेज को 2007 में निर्माण कार्य पूरा करना है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार भाग मुजफ्फरपुर से फॉरबिसगंज तक एन.एच. 57 का कार्य कब प्रारम्भ होने जा रहा है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि यह काम 2007 में पूरा करना है। फेज–I का काम, इस प्रोजेक्ट का काम अभी होना है, अगले साल के शुरू से ईस्ट–वेस्ट और नॉर्थ–साउथ कौरीडोर के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना शुरू हो जाएगा और मुझे आशा है कि बारी–बारी करके यह काम 2002–2003 में शुरू हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री के. ए. सांगतम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अकेला पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जबकि विभिन्न राज्यों के संसद सदस्य विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अनेक बार अपने विचार व्यक्त करते हैं। मैं यहां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं पिछले 15 मिनट से बोलने की अनुमति मांग रहा हूं। बोलने के लिए अवसर देने हेतु बहुत–बहुत धन्यवाद।

7 अक्तूबर, 1996 को नागालैण्ड सरकार ने 110 कि.मी. मार्ग से 123 कि.मी. मार्ग, केवल 13 कि.मी. सड़क, जिसे सड़क पार करने वाले वाहनों तथा लोगों के लिए बहुत खतरनाक समझा जाता है तथा लगभग हर सप्ताह यहां एक दुर्घटना होती है, बनाने का प्रस्ताव भेजा है।

वर्ष 1996 से यातायात तीन गुना बढ़ गया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा वहां अपने दौरे के दौरान इस सड़क के लिए 16 करोड़ रुपये आवंटित करने हेतु सहमत हुए थे। यह भाग राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर है जिसे ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व–युद्ध के दौरान बनाया था।

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय ने 19 जनवरी, 2000 को

यह प्रस्ताव अनुमोदित किया है। मैं जानना चाहता हूं कि परियोजना की क्या स्थिति है, परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और यह सड़क कब पूरी होगी? यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। अन्य राज्यों में हजारों किलोमीटर लम्बी चार लेन वाली सड़कें हैं लेकिन नागालैण्ड राज्य के लिए यह 13 कि.मी. सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे इस संबंध में अनुरोध कर रहा हूं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, माननीय सदस्य संभवतः इसे चार लेन वाली सड़क के बजाए इसे दो लेन वाली सड़क में बदलने के लिए कह रहे हैं। प्रश्न चार लेन वाली सड़क से संबंधित है। तथापि, मैं उन्हें इस विशेष 13 कि.मी. सड़क के बारे में खास ब्यौरा दूंगा कि इसके लिए कितनी धनराशि दी गई है। माननीय सदस्य बहुत सक्रिय हैं वह मेरे पास आकर काफी प्रश्न पूछते रहते हैं। इसलिए, मैं इस प्रश्न के संबंध में उन्हें जानकारी भेज दूंगा।

श्री हन्नान मोल्लाह : जैसा कि बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर कार्य प्रगति पर है लेकिन इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों की पिछली बाढ़ के दौरान काफी क्षति हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर टूट–फूट की मरम्मत पर 25 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 19 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यदि आप इन राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करना चाहते हैं तो इनकी मरम्मत करने और इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। यह प्रस्ताव अभी भी भारत सरकार के पास लंबित है। सरकार को लंबित प्रस्ताव को स्वीकृति देनी चाहिए ताकि सड़क को चार लेनों वाली बनाने का कार्य सरल हो जाए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : यह प्रश्न भी सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग, जो एकल लेन अथवा दोहरी लेन वाले हैं तथा जिन्हें बाढ़ से नुकसान पहुंचा है, की मरम्मत से संबंधित है। जिन सड़कों को बाढ़ से नुकसान पहुंचता है, उनके लिए प्रत्येक वर्ष अलग से आवंटन किया जाता है। हम पश्चिम बंगाल को यथासंभव अधिक धनराशि देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरी राशि एक वर्ष में नहीं दी जा सकती है।

जहां तक चार–लेन वाली परियोजना में टूट–फूट की मरम्मत का संबंध है, वह स्वतः ही ठेके में शामिल हो जाएगा। माननीय सदस्य राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31क के बारे में कह रहे थे। इसमें इसका उल्लेख नहीं है।

इसलिए, एन.एच.डी.पी. कार्यक्रम को छोड़कर जहां तक सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग का संबंध है, इसके लिए धनराशि राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए सामान्य वार्षिक आवंटन में से दी जाती है। हम पश्चिम बंगाल को यथासंभव अधिक धनराशि देने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शुल्क मुक्त इन्फोटेक वस्तुएं

***144. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन द्वारा 217 इन्फोटेक वस्तुओं को शुल्क मुक्त बनाने की निर्धारित समय–सीमा के बारे में मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मतभेद क्या है;

(ग) क्या विश्व व्यापार सगठन द्वारा निर्धारित समय–सीमा का अनुपालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां। विश्व व्यापार संगठन के आईटीए–1 करार में निर्दिष्ट 217 सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर मूलभूत सीमा शुल्क को हटाने के लिए विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन कर लिया गया है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रशिक्षित चिकित्सकों का विदेश पलायन

***145. श्री निखिलानन्द सर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से प्रशिक्षित चिकित्सकों में से 49 प्रतिशत चिकित्सकों ने विदेशों में नौकरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) बड़े पैमाने पर चिकित्सकों के विदेश पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) संस्थान के पास ऐसा कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। उच्चतर योग्यताएं हासिल करने, बेहतर जीविका उपार्जन के अवसरों, अधिक आर्थिक लाभों आदि के लिए कार्मिकों का बाहर जाना सभी संस्थाओं में एक सामान्य बात है। तथापि, संस्थान से त्यागपत्र देने वाले/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले संकाय सदस्यों की संख्या प्रति वर्ष कुल संकाय स्ट्रैन्थ की 2 प्रतिशत से कम है।

भारत और नेपाल के बीच सम्बन्ध

***146. श्री जी. एस. बसवराज :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय–समय पर उत्पन्न विभिन्न वास्तविक एवं प्रत्यक्ष बाधाओं सहित भारत नेपाल संबंधों पर सितम्बर, 2001 में चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन मुद्दों पर मतभेद होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इनमें से कितने मुद्दों का निपटान किया गया है; और

(घ) अब तक बकाया पड़े मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) नेपाल ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे स्थायी ऐतिहासिक, भौगोलिक संबंधों और साझा सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित अति घनिष्ठ संबंध हैं। अपने संबंधों के सभी पहलुओं पर प्रभावी बातचीत करने के लिए भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय तंत्र–व्यवस्थाओं की रूप–रेखा है जिसके अन्तर्गत समय–समय पर पारस्परिक क्रिया–कलाप होते हैं। पिछले सितम्बर में और बाद में भी दोनों पक्षों द्वारा द्विपक्षीय व्यापार संधि, सीमा रेखांकन और जल संसाधन सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

1996 की भारत नेपाल संधि की वैधता को और पांच वर्षों के लिए बढ़ाने से पूर्व इस संधि के क्रियान्वयन के दौरान उभरे कुछ मुद्दों को निपटाने के लिए दोनों पक्षों के तकनीकी प्रतिनिधिमंडलों के बीच इस समय बातचीत चल रही है। भारत–नेपाल सीमा पर संयुक्त तकनीकी स्तर की एक समिति (जे टी सी) सीमा–स्तम्भों के समन्वयकों की पुनः पुष्टि और संयुक्त क्षेत्र सत्यापन के माध्यम से सीमा के रेखांकन को पुनः रेखांकित करने के लिए कार्य कर रही है। जे टी सी को 2003 तक सीमा पट्टी नक्शों को पूरा करने के लिए दोनों सरकारों से अधिदेश मिला है। यह कार्य सन्तोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है। हाल के समय में जल संसाधन सहयोग के क्षेत्र में भी कुछ प्रगति हुई है। तकनीकी विशेषज्ञों का एक संयुक्त दल 6,500 मेगावाट की पंचेश्वर परियोजना पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है और आशा है कि यह अगले वर्ष पूरी हो जाएगी। दोनों सरकारों ने एक संयुक्त परियोजना कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है ताकि साप्ता कोशी और सुन कोशी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य सरल हो सके।

सरकार का यह प्रयास रहा है और सदैव रहेगा कि अपनी द्विपक्षीय समस्याओं पर शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत हो और इन्हें दोनों देशों के लोगों की अवधारणाओं, चिन्ताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप तेजी से हल किया जाए। विदेश मंत्री ने इस वर्ष जून में हुई दुखद घटना पर नेपाल के महामहिम महाराज को हमारी गहरी संवेदना व्यक्तिगत रूप से प्रकट करने तथा अपने मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री शेर बहादुर देउवा के प्रति हमारी वचनबद्धता की पुष्टि के लिए 17 से 19 अगस्त, 2001 तक नेपाल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने नेपाल के नेताओं के साथ आपसी हित–चिन्ता के मसलों पर भी चर्चा की और उनकी बैठकें अत्यन्त लाभदायक, रचनात्मक और आशापूर्ण रहीं ।

सी. एन. जी. का प्रयोग

***147. श्री अमर राय प्रधान :**
श्री अरूण कुमार :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसों और अन्य वाहनों में सी. एन. जी. प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार को सी. एन. जी. बसों की विनिर्माण त्रुटियों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार इन त्रुटियों को किस प्रकार दूर करने का है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जरनल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) और (ख) मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के अध्ययन के आधार पर, इस क्षेत्र में विभिन्न विशेषज्ञों के साथ संपर्क करके और अन्य देशों में प्रचलित मानकों को ध्यान में रखते हुए जनता के सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए दिनांक 12.10.1999 को एक अधिसूचना जारी की गई थी । इस पर अनेक सुझाव प्राप्त हुए थे और इन सुझावों को ध्यान में रखकर दिनांक 9.2.2000 को मोटर वाहनों में सी. एन. जी. के उपयोग के लिए टाइप अनुमोदन और उत्सर्जन मानक तैयार किए गए थे। सी. एन. जी. प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अद्यतन मानक दिनांक 19.11.2001 को अधिसूचित किए गए हैं ।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय को सी. एन. जी. बसों में विनिर्माण संबंधी दोषों के बारे में कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, दिल्ली में सी. एन. जी. बसों में आग की अनेक दुर्घटनाओं के बाद दिल्ली परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, बस निर्माताओं, परीक्षण एजेंसियों और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच संपर्क हुआ है। दिल्ली परिवहन निगम ने सी. एन. जी. बसों के संबंध में गैस रिसाव, चालू करने/प्रज्वलन समस्या, रेडिएटर/क्लच/एक्सीलरेटर समस्याओं आदि से संबंधित कुछ प्रचालन संबंधी समस्याओं की सूचना दी है जिसकी ओर बस निर्माताओं द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। बस निर्माताओं ने दिल्ली परिवहन निगम और निजी प्रचालकों और तकनीशियनों के लिए इस संबंध में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं ।

हृदय शल्य चिकित्सा

***148. श्री ए. नरेन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित निर्धन रोगियों की सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क हृदय शल्य चिकित्सा नहीं की जाती है और उनसे बड़ी भारी रकम वसूल की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धन व्यक्तियों की निःशुल्क हृदय शल्य चिकित्सा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले रोगियों, जो हृदय की समस्याओं सहित बड़े प्राणघातक रोमों से पीडित हैं, को किसी भी अतिविशिष्टता वाले सरकारी अस्पताल/संस्थान अथवा अन्य सरकारी अस्पताल से चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भी अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बीमारी सहायता निधियों की स्थापना करने के लिए कहा गया है। इन में से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मण्डल वाले) जहां ऐसी निधियां स्थापित की गई हैं, को सहायता अनुदान विमुक्त किया जा रहा है। यह सहायता अनुदान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा राज्य निधि/सोसाइटी को दिए गए अंशदानों के 50 प्रतिशत की सीमा तक इस शर्त पर दिया जाता है कि गराबी रेखा से नीचे की अधिक जनसंख्या और प्रतिशतता वाले राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कनार्टक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बगांल के लिए यह अधिक से अधिक 5 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ रुपये होगा ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की निधियों को दाताओं से अंशदान/दान भी प्राप्त हो सकता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर बीमारी सहायता निधि अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले रोगियों को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता विमुक्त करेगी तथा ऐसे समी मामलों को जहां वित्तीय सहायता की मात्रा 1.5 लाख रुपये से अधिक होने की संभावना है, राष्ट्रीय बीमारी सहायता निधि को अग्रेषित करेगी ।

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डल वाले) ने बीमारी सहायता निधि स्थापित की है

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम, राजस्थान, गोवा, गुजरात, सिक्किम, बिहार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पांडिचेरी ।

केन्द्रीय निधि से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ और अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों जैसे डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली तथा जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी के चिकित्सा अधीक्षकों के पास अग्रिम भी रखा गया है ताकि वे अपने–अपने अस्पतालों/संस्थानों में उपचार के लिए आने वाले प्रत्येक सुपात्र मामले में 50,000 रुपये तक की तात्कालिक वित्तीय सहायता मंजूर कर सकें। निम्हान्स, बंगलौर और सी एन सी आई, कोलकाता, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटिड हॉस्पिटल्ज (के जी एम सी) लखनऊ, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची को भी ऐसे अस्पतालों की सूची में शामिल किया गया है। जब कभी भी संबंधित अस्पतालों/संस्थानों से अग्रिम की समुपयोजन रिपोर्टें प्राप्त होती हैं तब अग्रिम की पुनःपूर्ति कर दी जाती है। उपचार प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान से तदर्थ सहायता भी विमुक्त की जा रही है ।

[हिन्दी]

मोबाइल टेलीफोन सेवा

***149. श्री हरिभाई चौधरी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आधुनिक संचार प्रणाली की उपलब्धता के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ख) क्या कई निजी संचालक सरकार द्वारा मोबाइल सेवा आरम्भ करने के मामले में कानूनी अड़चनें पैदा कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार का इस समस्या से किस प्रकार निपटने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) सरकार का इरादा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराने का है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने मोबाइल टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। सरकार निजी ऑपरेटरों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ।

[अनुवाद]

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

***150. श्री मंजय लाल :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार के सभी जिलों में उक्त कार्यक्रमों को पूरा कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबसधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) प्रशिक्षण प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। जागरूकता पैदा करने के बारे में प्रशिक्षण एकीकृत कौशल विकास प्रशिक्षण, विशेषज्ञता कौशल प्रशिक्षण, विशिष्ट प्रबन्धन और सम्प्रेषण प्रशिक्षण, दाई प्रशिक्षण और रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण जैसे विभिन्न एकीकृत हैंड्स ऑन कौशल विकास प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नोडल प्रशिक्षण संस्थान है जो राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण संस्थाओं के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है और उनको मानीटर करता है। महिलाओं का स्वास्थ्य, जिसमें ग्रामीण

और शहरी क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य भी शामिल है, एक प्रमुख घटक है और इसमें प्रसव–पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर सेवाएं, किशोर स्वास्थ्य, गर्भनिरोधक तथा प्रजनन मार्गीय संक्रमणों की रोकथाम और इलाज से संबंधित प्रशिक्षण शामिल हैं।

(ग) और (घ) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार में 29 जिलों में आरम्भ किया गया है। 23 जिलों को दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अलग से शामिल किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं ।

विवरण

बिहार में प्रशिक्षण कार्यक्रम

सहयोगी प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम : राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, पटना

बिहार में प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 ए एन एम ट्रेनिंग सेंटर, 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (महिला) के नेटवर्क के माध्यम से आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त 12 अन्य संस्थाओं को विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण के लिए चुना गया है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य प्रशिक्षण में प्रगति

जिलों के नाम जहां पर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के अन्तर्गत प्रशिक्षण आरम्भ किया गया है।

क्र.सं.	जिलों के नाम	प्रशिक्षित किए जा चुके व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1	बेगूसराय	33
2	पूर्वी चम्पारण	188
3	पश्चिमी चम्पारण	58
4	गया	98
5	औरंगाबाद	86
6	बांका	420
7	भागलपुर	50
8	भोजपुर	87
9	बक्सर	91
10	दरभंगा	150
11	गोपालगंज	180
12	जहानाबाद	211
13	जमुई	84
14	कटिहार	30
15	लखी सराय	58
16	मधुबनी	321
17	मुंगेर	69
18	मुजफ्फरपुर	199
19	नालंदा	238
20	नवादा	62
21	पटना	180
22	पूर्णिया	150
23	रोहतास	150
24	समस्तीपुर	155
25	सारन (छपरा)	214
26	सीतामढ़ी	236
27	सारन	150
28	सुपोल	180
29	वैशाली	381

जिन जिलों में दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है :

समस्तीपुर, बक्सर, बेगूसराय, नवादा, पूर्णिया, औरंगाबाद, मुंगेर, गोपालगंज, सहरसा, सिवान, वैशाली, भागलपुर, खगड़िया, गया, पश्चिमी चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, किशनगंज में प्रशिक्षण अभी शुरू होना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा बिहार और झारखंड के लिए झारखंड बनने से पहले 469.34 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई थी।

बकाया धनराशि

***151. श्री एन. एन. कृष्णदास :**
श्री ए. कृष्णास्वामी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2001 तक समूचे देश में एम. टी. एन. एल. और बी. एस. एन. एल. के प्रयोक्ताओं पर कुल कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) बकाया धनराशि की वसूली हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) बकाया धनराशि की वसूली हेतु बी. एस. एन. एल और एम. टी. एन. एल. के कार्यकारी तंत्र और कार्यान्वयन के तरीके क्या हैं;

(घ) क्या बकाया धनराशि की वसूली हेतु किन्हीं बाहरी संगठनों को कमीशन के आधार पर नियुक्त किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) समूचे देश में महानगर टेलीफोन निगम लि. और भारत संचार निगम लि. की 31 मार्च, 2001 तक टेलीफोन उपभोक्ताओं पर बकाया धनराशि निम्नानुसार है :

महानगर टेलीफोन निगम लि.	966 करोड़ रु.
भारत संचार निगम लि.	2803 करोड़ रु.

(ख) बिलों की धनराशि को वसूलने के लिए निम्न–लिखित प्रयास किए गए :

(i) बिल अदा न करने वाले उपभोक्ताओं को अपने बकाये जमा करने के लिए टेलीफोन पर याद दिलाई जाती है; ऐसा न करने पर उनके टेलीफोन काट दिए जाते हैं;

(ii) बकाया धनराशि का भुगतान करवाने के लिए टेलीफोन राजस्व निरीक्षक और फील्ड स्टाफ को बिल की अदायगी न करने वाले दोषी उपभोक्ताओं के पास भेजा जाता है। यदि फिर भी बिल जमा न कराया जाए, तो दोषी उपभोक्ताओं के दूसरे टेलीफोन भी काट दिए जाते हैं।

(iii) यदि उक्त उपायों से कोई परिणाम न निकले, तो जहां व्यवहार्य हो, दोषियों के खिलाफ बिल वसूली के लिए मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं।

(ग) एमटीएनएल/बीएसएनएल अपनी फील्ड यूनिटों के लिए बिलों की बकाया धनराशि वसूलने के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर इन निर्धारित लक्ष्यों के तहत समय–समय पर वसूली को मॉनीटर करते रहते हैं। एमटीएनएल/बीएसएनएल की प्रत्येक यूनिट सर्किल में पुराने बकाया बिलों की धनराशि को वसूलने के लिए लिक्विडेशन बोर्ड काम कर रहे हैं। जो स्टाफ पूराने बिलों की बकाया धनराशि का निपटान करने के लिए कार्रवाई करता है, उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

(घ) और (ङ) बीएसएनएल द्वारा हाल ही में बनाए गए मार्ग–निर्देशों के अनुसार, सर्किलों को जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार के पुलिस, राजस्व और अन्य विभागों की सेवाएं लेने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है और इसके लिए उन्हें वसूल की गई राशि के 1.5 प्रतिशत तक कमीशन देने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

एड्स के मामले

***152. श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में एड्स/एच. आई. वी. के मामलों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो एड्स के मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन राज्यों में उक्त रोगों के नियंत्रण हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1998, 1999 एवं 2000 के दौरान आयोजित राष्ट्रव्यापी एच आई वी प्रहरी निगरानी मे पता चला कि देश में एच आई वी संक्रमण के फैलाव में काई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। एच आई वी संक्रमणों की अनुमानित संख्या वर्ष 1998 में 3.5 मिलियन, वर्ष 1999 में 3.71 मिलियन और वर्ष 2000 में 3.86 मिलियन थी। एड्स रोगियों की राज्यवार सूचित संचयी संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जो एच आई वी संक्रमण को आगे और फैलने से रोकने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु एक प्रभावी और सतत कार्यनीति को उच्चतम प्राथमिकता देती है। प्रभावकारी सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण हेतु जन शिक्षा के लिए ज· ·चार अभियानों से लेकर सुरक्षित उपाय अपनाने में लागों को मदद करने के लिए लक्षित कार्यकलापों के उपयोग तक व्यापक कार्यकलापों का उपयोग किया जा रहा है। सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यक्रमों को भी कार्यक्रम के विभिन्न घटकों जैसे कि यौन संचारित रोग का नियंत्रण, कण्डोम प्रोग्रामिंग एवं रक्त निरापदता में शामिल कर दिया गया है।

सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यनीति दो स्तरों पर चलाई जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यनीति के कार्यान्वयन में राजनीतिक एवं मीडिया समर्थन, सामाजिक लामबन्दी, एच आई वी/एड्स से ग्रसित लोगों के लिए अनुकूल माहौल का सृजन जो सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए सामाजिक कलंक एवं भेदभाव को कम करता है, शामिल हैं।

राज्य स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा स्थानीय भाषाओं में स्थानीय प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए चलाए जा रहे हैं। यौनसंचारित रोगों एवं एच आई वी/एड्स के बारे में जन सामान्य और जनसंख्या के असुरक्षित वर्गों में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य/संघ क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रव्यापी परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

विवरण

विगत 3 वर्षों (1998–2000) के दौरान एड्स रोगियों की सूचित संख्या

क्र.सं.	राज्य	1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वी.स.	0	0	9
2.	आंध्र प्रदेश	7	2	485
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	3	11	62
5.	बिहार	0	0	36
6.	चंडीगढ़	0	124	114
7.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
8.	दमन एवं दीव	1	0	0
9.	दिल्ली	13	0	64
10.	गोवा	0	7	10
11.	गुजरात	2	1	245
12.	हरियाणा	0	0	47
13.	हिमाचल प्रदेश	0	16	15
14.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
15.	कर्नाटक	39	47	541
16.	केरल	1	0	56
17.	लक्षद्वीप	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	76	116	294
19.	महाराष्ट्र	824	64	348
20.	मणिपुर	0	61	364
21.	मेघालय	0	0	0
22.	मिजोरम	0	7	3
23.	नागालैंड	0	19	51
24.	उड़ीसा	0	0	52
25.	पांडिचेरी	9	0	0
26.	पंजाब	48	52	31

1	2	3	4	5
27.	राजस्थान	25	27	106
28.	सिक्किम	1	0	0
29.	तमिलनाडु	532	2730	4206
30.	त्रिपुरा	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	16	41	93
32.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
33.	अहमदाबाद नगर निगम	0	0	0
	कुल	1597	3325	7232

रूस के उप-प्रधान मंत्री का दौरा

***153. श्री सुन्दर लाल तिवारी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रूस के उप प्रधान मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनसे हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिंहा के आमन्त्रण पर रूसी परिसंघ की सरकार के उपाध्यक्ष और भारत–रूस व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी अन्तर–सरकारी आयोग (आई आर आई जी सी) के सह–अध्यक्ष महामहिम श्री इल्या क्लेबानोव ने 14 से 16 अक्तूबर, 2001 तक भारत यात्रा की। अपनी भारत यात्रा के दौरान श्री क्लेबानोव भारत के माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधान मंत्री से मिले। उन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात की। श्री क्लेबानोव की बैठकों के दौरान भारत–रूस द्विपक्षीय संबंधों तथा अफगान के साथ–साथ क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर चर्चा हुई। आई आर आई जी सी की बैठक में केवल द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों की समीक्षा ही हुई। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ हुई श्री क्लेबानोव की बैठक में सैन्य–तकनीकी सहयोग पर भारत–रूस अन्तर–सरकारी आयोग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। श्री क्लेबानोव ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) के साथ एक व्यावसायिक बैठक में भी भाग लिया।

(ग) यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने बहु–फलकीय संबंधों को उनके द्वारा दिए जा रहे महत्व को दोहराया। इस संबंध में रूसी पक्ष ने माननीय प्रधान मंत्री की 4–7 नवम्बर, 2001 की रूसी परिसंघ की यात्रा के महत्व की पुनः पुष्टि की। क्षेत्र में हो रही घटनाओं पर विचारों में समानता थी जिनमें तालिबान के बाद अफगानिस्तान में व्यापक आधार वाली और प्रातिनिधिक सरकार को महत्व दिया जाना शामिल है। यह सहमति हुई थी कि सार्वभौमिक आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और स्थिरता के लिए खतरा है। आतंकवाद का सामना करने के लिए सहयोग समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय वास्तविकता की अनिवार्यता बन रहा है। दोनों पक्ष इस पर भी सहमत हुए कि इस बुराई का व्यापक और दीर्घकालीन आधार पर सामना करना चाहिए और यह कार्यवाही उन पर भी की जानी चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन, सहायता और सुरक्षित शरण प्रदान करते हैं। दोनों पक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और ऐसे और अन्य परिवर्ती संगठित अपराधों का सामना करने में, जो आतंकवाद और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को बढ़ाते हैं, भारत और रूसी परिसंघ के बीच सहयोग के स्तर पर अपना सन्तोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तौर–तरीकों पर भी विचार किया और भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सक्रिय विकास पर अपना पूरा संतोष व्यक्त किया।

[अनुवाद]

विदेश संचार निगम लिमिटेड

***154. श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
डा. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड राष्ट्रीय लम्बी दूरी के संचार क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड ने राष्ट्रीय लम्बी दूरी के संचार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड राष्ट्रीय लम्बी दूरी के संचार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना को पट्टे पर लेने हेतु किसी वर्तमान अवसंरचना प्रदाता से सम्पर्क स्थापित करने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) जी, हां। विदेश संचार निगम लिमिटेड राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार कर रहा है और इसके लाइसेंस के लिए कम्पनी ने 2 नवम्बर, 2001 को आवेदन कर दिया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विदेश संचार निगम लिमिटेड बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाले के साथ, घरेलू लम्बी दूरी नेटवर्क पर संचारण क्षमता प्राप्त करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दे रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य नीति

***155. श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली समाप्त होने के कगार पर है और राज्य सरकारें इसको पुनर्जीवित कर पाने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार देश में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु एक महत्वाकांक्षी नई स्वास्थ्य नीति लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली समाप्ति के कगार पर नहीं है। तथापि, यह सत्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रबन्धन को और अधिक कार्यकुशल होने की आवश्यकता है जो राज्य सरकारों के हाथ में है।

सरकार को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की कवरेज और पहुंच तथा प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति के कतिपय अन्तरों के बारे में जानकारी है और राज्य सरकारों के परामर्श से इन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रथम रेफरल एककों और जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता और उनके उपयोग का मूल्यांकन करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने देश के चुनिंदा जिलों में एक सुविधा सर्वेक्षण भी किया है।

भारत सरकार ने एक समग्र राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई है जिसमें कई उपायों का सुझाव दिया गया है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के कार्यकरण में स्पष्ट रूप से सुधार होना शुरू हो गया है। उपायों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों, प्रसिद्ध स्वास्थ्य व्यावसायियों और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। नीति के प्रारूप पर प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रारूप में सुझाए गए उपाय निम्नलिखित हैं

– सरकारी अंशदान को 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करके स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 5.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करना।

– इसी अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद।

– प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन को बढ़ाकर कुल जन स्वास्थ्य निवेश का 55 प्रतिशत करना।

– विकेन्द्रीकृत प्रणाली के जरिए केन्द्रीय सरकार वित्त पोषण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अनिवार्य औषधों की आपूर्ति।

विवरण

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत राज्यों और संघ राज्यों को वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, औषधों एवं अनिवार्य उपभोज्यों की खरीद और ए. एन. एम. की यात्रा लागत के आकस्मिक व्यय तथा उपस्करों एवं फर्नीचर की मरम्मत के लिए धन विमुक्त किया जा रहा है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए बाहरी वित्तीय सहायता से क्षेत्र विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। क्षेत्र परियोजना के मुख्य कार्यकलापों में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, कार्मिक आवासों, प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण और फर्नीचर तथा उपकरणों आदि की पूर्ति शामिल है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बड़े और छोटे सिविल कार्य संघटक के लिए स्कीमें राज्य सरकारों को आपरेशन थिएटरों, प्रसव कक्षों के निर्माण/मरम्मत/रखरखाव तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पानी और बिजली की आपूर्ति के प्रावधान/उन्नयन हेतु धन उपलब्ध कराती हैं।

स्वास्थ्य मेलों तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविरों आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एएनएम एवं कार्मिकों की कुशलता सुधार के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राज्य सरकारों को जहां आवश्यक समझा जाता है, लेडी डाक्टर/अतिरिक्त ए एन एम/संवेदनाहारक/स्त्री रोग विशेषज्ञ आदि जैसे अनिवार्य कार्मिकों को अनुबन्ध के आधार पर पैसा देकर सेवाएं लेने के लिए सरकार धन प्रदान कर रही है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत औषध एवं उपकरण भी प्रदान किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

***156. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :**
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की समीक्षा करने अथवा उसमें संशोधन करने का है;

(ख) क्या भारत लोगों को सस्ते मूल्यों पर आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाने में असमर्थ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तक बनाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) वर्ष 1983, जब पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई थी, से देश में हुए महत्वपूर्ण जानपदिक रोग विज्ञानीय और जनांकिकीय परिवर्तनों के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2001 का एक प्रारूप तैयार किया गया है और उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) उचित दामों पर औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय समय पर अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश जारी करती रही है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के रूप में जाना जाने वाला वर्तमान आदेश 6 जनवरी, 1995 को जारी किया गया। औषध नीति में उचित मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता वाली औषधों की उपलब्धता पर जोर दिया जाता है। औषधों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और उनको उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए किए गए उपायों में कुछ मदों को छोड़कर औषध उद्योग से लाइसेंस को समाप्त करना; विनिर्दिष्ट सीमा तक विदेशी निवेश का स्वतः अनुमोदन; ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति देना; और यदि स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नई औषध तैयार की जाती है तो 5 वर्षों की अवधि के लिए मूल्य नियंत्रण से छूट देना शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत निःशुल्क औषधों की आपूर्ति की जाती है। इसके साथ–साथ विकेन्द्रीकृत प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के वित्त–पोषण से अनिवार्य औषधों की आपूर्ति एक पहल है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति–2001 के प्रारूप में है।

(घ) केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों, विख्यात स्वास्थ्य व्यवसायियों और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद, स्वास्थ्य परिचर्या के बारे में शीर्षस्थ परामर्शी निकाय को शामिल करते हुए व्यापक विचार–विमर्श के पश्चात् राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का एक प्रारूप तैयार किया गया है। इस नीति के प्रारूप पर प्राप्त हुई टिप्पणियों की जांच की जा रही है और अन्तिम रूप देने के पश्चात् इस नीति को मंत्रिमंडल को अनुमोदनार्थ भेजा जाएगा।

सड़क सुरक्षा

***157. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री जी. गंगा रेड्डी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोकने और सड़क सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए मोटरयान अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पैदल यात्रियों और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेनानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) मोटरयान अधिनियम 1988 के उल्लंघन के लिए जैसे अधिक गति, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, पंजीकरण अथवा परमिट के बगैर वाहन के उपयोग अथवा मोटरवाहनों से छेड़छाड़ करने के लिए जुर्माना बढ़ाने हेतु कुछ उपायों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, शराब अथवा नशीले पदार्थों का सेवन करके वाहन चलाने के लिए अस्थायी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करना, परिवहन वाहनों में श्रव्य और दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार को अधिकृत करना और अधिक भार लदान को रोकने के उपायों को कठोर बनाना जैसे कुछ अन्य उपाय हैं।

(ग) सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं

(i) इकहरी लेन को चौड़ा करके दो लेन का बनाना

(ii) दो लेन के चुनिंदा खंडों को 4/6 लेन का बनाना

(iii) सड़क ज्यामिति में सुधार

(iv) बाइपासों का निर्माण

(v) कमजोर और संकरे पुलों एवं पुलियों का पुनर्निर्माण

(vi) पेव्ड शोल्डर की व्यवस्था

(vii) कमजोर मार्गों का सुदृढ़ीकरण

(viii) जंक्शन सुधार

(ix) लेवल क्रासिंग के स्थान पर सड़क उपरि पुलों का निर्माण

(x) पूर्व परावर्तक सड़क संकेत

(xi) थर्मोप्लास्टिक सड़क चिह्नांकन

(xii) पार्किंग–विश्राम स्थल की व्यवस्था

(xiii) सर्विस सड़कों की व्यवस्था

(xiv) अधिक यातायात सघनता वाले मार्गों पर मार्गस्थ सुविधाएं, और

(xv) विभिन्न श्रेणी के सड़क प्रयोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना आदि।

नए डाकघरों के लिए लंबित प्रस्ताव

***158. श्री भर्तृहरि महताब :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में नए डाकघर खोलने के लिए भारी संख्या में प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से राज्यवार कितने डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में तेजी लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (घ) वर्ष 2001–2002 के लिए 500 शाखा डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में तथा 50 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। तथापि, डाकघरों का

खोला जाना सरकार द्वारा अपेक्षित पदों की मंजूरी सहित निर्धारित मानदण्डों के पूरा होने और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित संख्या में पदों की मंजूरी के लिए यह मामला सरकार के साथ उठाया गया है।

विवरण

योजना वर्ष 2001–2002 में डाकघर खोलने के लिए वास्तविक लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15	1
2.	असम	35	2
3.	बिहार	60	5
4.	छत्तीसगढ़	25	1
5.	दिल्ली	2	2
6.	गुजरात (दमन, दीव और दादरा नगर हवेली सहित)	20	3
7.	हरियाणा	2	1
8.	हिमाचल प्रदेश	5	1
9.	जम्मू व कश्मीर	13	1
10.	झारखण्ड	30	2
11.	कर्नाटक	20	2
12.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	2	1
13.	मध्य प्रदेश	21	3
14.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	70	7
15.	पूर्वोत्तर राज्य (असम को छोड़कर)	35	2
16.	उड़ीसा	14	2
17.	पंजाब (चण्डीगढ़ सहित)	6	2
18.	राजस्थान	20	2
19.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	5	2
20.	उत्तर प्रदेश	45	2
21.	उत्तरांचल	25	1
22.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह सहित)	30	5
	कुल	500	50

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश

***159. श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों में निवेश की गई पूंजी का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2001 के अन्त तक इन इकाइयों में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ग) सरकारी क्षेत्र और गैर–सरकारी क्षेत्र में निवेश की गई पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उद्योग की मांगें पूरी करने के लिए वर्तमान पूंजी निवेश पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो किस आधार पर आकलन किया गया?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) देश की कुल सॉफ्टवेयर औद्योगिक इकाइयों में से लगभग 70 प्रतिशत इकाइयां भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी

पार्क (एसटीपीआई) के अंतर्गत पंजीकृत हैं। एसटीपीआई के अंतर्गत इकाइयों ने मार्च, 2001 तक अनुमानित 4000 करोड़ रुपये मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है।

[हिन्दी]

नए डाकघर खोलने संबंधी मानदंड

***160. श्री महेश्वर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण, शहरी, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(ख) वर्तमान मानदण्ड में परिवर्तन के संबंध में न्यायमूर्ति तलवार समिति की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) ग्रामीण शहरी, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंड विवरण में दिए गए हैं। न्यायमूर्ति तलवार समिति के विचारार्थ विषयों में डाकघर खोलने के मानदंड शामिल नहीं थे।

विवरण

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड :

1.1 जनसंख्या :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी :

(क) सामान्य क्षेत्रों में

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि. मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय :

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की 33⅓ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाडी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

2. विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में :

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/–रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/–रु. है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में :

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिए।

सर्किल अध्यक्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट दे सकते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड :

1. जनसंख्या :

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000।

2. दूरी :

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

3. अनुमानित आय :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

[अनुवाद]

संयुक्त अरब अमीरात में शरण ले रहे सरगना

1575. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1 नवम्बर, 2001 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में अनेक सरगनाओं ने शरण ले रखी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) उनके प्रत्यर्पण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) भारत सरकार ने समाचार मद में उल्लिखित कुछ व्यक्तियों सहित 33 व्यक्तियों के विरुद्ध 'रेड कार्नर नोटिस' जारी कर दिया था, जिसका आधार की गई जांच और एकत्रित की गई जानकारी यह थी कि ये व्यक्ति और इनमें से कुछ व्यक्तियों के संयुक्त अरब अमीरात में रहने अथवा वहां यात्रा पर गए होने की संभावना है।

(ख) और (ग) भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की है ताकि प्रत्यर्पण संधि पर अनुवर्ती कार्रवाई के स्वरूप संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से सहायता और सहयोग प्राप्त हो सके।

पूर्वोत्तर राज्यों में डाक सेवा

1576. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में डाकघरों के लिए नए भवनों के निर्माण और रख–रखाव हेतु कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में कितने नए डाकघर स्थापित किए गए; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन राज्यों में कितने नए डाकघरों की स्थापना का प्रस्ताव है और इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में नए भवनों के निर्माण और डाकघरों के रखरखाव के लिए आवंटित राशि क्रमशः 295.86 लाख, रु. 308.00 लाख रु. तथा 468.89 लाख रु. है।

(ख) इन राज्यों में 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान खोले गए नए डाकघर क्रमशः 64, 24 तथा 7 हैं।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनंतिम रूप से 37 नए डाकघर खोलने का लक्ष्य है बशर्ते कि अपेक्षित पदों की मंजूरी सहित मानदंड पूरे होते हों तथा संसाधन उपलब्ध रहें। इस

प्रयोजन के लिए 68.89 लाख रु. की राशि आवंटित की गई है।

ब्राजील में दूतावास परिसर का निर्माण

1577. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील ने ब्रासिलिया में एक दूतावास परिसर के निर्माण हेतु भारतीय दूतावास को वर्ष 1965 में ही एक भूखंड उपहार स्वरूप दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दूतावास अपने विभिन्न अधिकारियों के लिए किराए पर आवास उपलब्ध कराना जारी रखे हुए है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने कई अवसरों पर संकल्पनात्मक विन्यास नक्शे के लिए एक वास्तुकार को नियुक्त करने तथा निर्माण की अनुमानित लागत का निर्धारण करने सहित निर्माण परियोजना शुरू करने के लिए कदम उठाए थे। इस परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता अभी स्थापित की जानी है। ब्राजील में कुछ कम किराया संरचना की तुलना में प्रचलित निर्माण की उच्च लागत का होना मुख्य कारण है। ब्राजील में निर्माण की लागत 1000 अमरीकी डालर प्रति वर्गमीटर होना अत्यधिक है जबकि अन्य कई देशों में निर्माण की लागत 400–500 अमरीकी डालर प्रति वर्गमीटर है। अतः राजदूतावास आवास को किराए पर लेता आ रहा है।

राष्ट्रीय बचत पत्र

1578. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बचत पत्र पर ऋण प्रदान करने हेतु आई.डी.बी.आई. के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपभोक्ता अपने राष्ट्रीय बचत पत्र पर ऋण प्राप्त करें, इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) ऋण प्राप्त करने हेतु डाकघरों में छोटे जमाकर्ताओं को इस सुविधा से किस हद तक मदद मिलने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। आई डी बी आई बैंक के साथ 20.10.2001 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें डाकघर के जरिए राष्ट्रीय बचत पत्रों पर ऋण की सुविधा का भी प्रावधान है।

(ग) ग्राहकों के लिए मानदंड इस प्रकार हैं–राष्ट्रीय बचत पत्र वैयक्तिक तथा कम से कम तीन वर्ष पुराने होने चाहिए। राष्ट्रीय बचप पत्र के अंकित मूल्य के 75 प्रतिशत तक ऋण लिया जा सकता है। अधिकतम 10,000/– रु.।

(घ) ऐसी आशा है कि यह सुविधा अल्प जमाकर्ताओं के लिए लाभप्रद होगी क्योंकि यह डाकघर में एक ही खिड़की पर आराम से और आसानी से ऋण लेने की सुविधा प्रदान करती है।

ब्रेक ब्लाक की चोरी

1579. श्री सुबोध राय : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि मुंबई पत्तन न्यास में ब्रेक ब्लाक की चोरी आम घटना है जिसके कारण भारी क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी क्षति की मात्रा कितनी है; और

(ग) ऐसी क्षति को पुनः होने से रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य ब्रेक ब्लाक की चोरी का उल्लेख कर रहे हैं। मुंबई पत्तन न्यास के क्षेत्र में अप्रैल, 1998 से मार्च, 2001 के दौरान ब्रेक ब्लाक और अन्य कार्गो की उठाईगिरी/चोरी की छुट–पुट घटनाएं हुई हैं। घटनाओं की वर्षवार संख्या और हानि की मात्रा नीचे दी गई है–

	1998–1999	1999–2000	2000–2001
1. चोरी की घटनाओं की संख्या	27	27	27
2. चुराए गए माल की कीमत	19,61,647 रु.	19,56,085 रु.	6,96,931 रु.
3. बरामद माल की कीमत	9,69,406 रु.	16,47,006 रु.	4,81,474 रु.

(ग) किए गए उपायों में संवेदनशील शेडों/भंडारगृहों पर व्यक्तियों की 24 घंटे तैनाती, सादे कपड़ों में विशेष सुरक्षा स्टाफ की तैनाती, सुरक्षा स्टाफ और गेट पर आने/जाने वाले कार्गो की आकस्मिक जांच और सुरक्षा स्टाफ द्वारा कार्गो की डिलीवरी की आकस्मिक जांच किया जाना शामिल हैं।

[हिन्दी]

पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं

1580. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री राजो सिंह :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है,

(ख) यदि हां, तो उन ग्राम पंचायतों की जिला–वार संख्या कितनी है जहां विशेषकर बिहार, जम्मू–कश्मीर और राजस्थान में अब तक टेलीफोन सुविधाएं प्रदान नही की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को बेहतर टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। 1.11.2001 की स्थिति के अनुसार **देश में 35,525 ग्राम पंचायतों में दूरसंचार सुविधा प्रदान नहीं की गई है। बिहार,** जम्मू–कश्मीर और राजस्थान में **क्रमशः 2864, 564 और 543** ग्राम पंचायतें अभी तक दूरसंचार सुविधा रहित **हैं।** जिलेवार **ब्यौरे** संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) शेष ग्राम पंचायतों को शामिल करने के लिए वायरलेस–इन–लोक लूप (डब्ल्यूएलएल), सी–डॉट टीडीएमए/पीएमपी और सेटलाइट जैसी नई प्रौद्योगिकियों की **शुरूआत** की जा रही है। निधियों के उपलब्ध होने पर नई **प्रौद्योगिकी** के उपस्करों द्वारा दोषपूर्ण मल्टी एक्सेस रेडियो रिले (एमएआरआर) आधारित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को **बदलने** की योजना है।

विवरण

बिहार में दूरसंचार सुविधा रहित ग्राम पचायतें

जिला	दूरसंचार सुविधारहित ग्राम पंचायतें	जिला	दूरसंचार सुविधारहित ग्राम पंचायतें
पू. चम्पारण	109	गया	28
मुजफ्फरपुर	10	औरंगाबाद और जहानाबाद	75
शिवहर	4	अरवल	25
सीतामढ़ी	11	नवादा	32
प. चम्पारण	47	बेगूसराय	34
सारण	250	पटना	557
सीवान	380	नालंदा	527
गोपालगंज	420	रोहतास	91
दरभंगा	70	कामुर	86
मधुबनी	108	जोड़	2864

राजस्थान में दूरसंचार सुविधा रहित ग्राम पंचायतें

जिला	दूरसंचार सुविधारहित ग्राम पंचायतें	जिला	दूरसंचार सुविधारहित ग्राम पंचायतें
1	2	1	2
अलवर	26	बाड़मेर	2
बांसवाड़ा और डूंगरपुर	63	भरतपुर और धौलपुर	46

1	2	1	2
बीकानेर	5	सवाई माधोपुर और करोली	96
बूंदी	27		
चित्तौड़गढ़	63	सीकर	9
चुरू	3	सिरोही और जालौर	3
जैसलमेर	8	टोंक	1
जयपुर और दौसा	104	उदयपुर और राजसमंद	78
झालावाड़	8		
जोधपुर	1	जोड़	543

जम्मू–कश्मीर में दूरसंचार सुविधा रहित ग्राम पंचायतें

जिला	दूरसंचार सुविधारहित ग्राम पंचायतें	जिला	दूरसंचार सुविधारहित ग्राम पंचायतें
अनंतनाग	110	उधमपुर	30
बारामूला	94	डोडा	39
बडगाम	62	पुंछ	3
कुपवाड़ा	57	लेह	30
पुलवामा	59		
श्रीनगर	34	कारगिल	28
कथुआ	18	जोड़	564

[अनुवाद]

एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों में आयुर्वेद पाठ्यक्रम

1581. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग और होम्योपैथी पाठ्यक्रम में आयुर्वेद को शामिल करने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) के साथ समर्थन जुटा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर भारतीय चिकित्सा परिषद् की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् से अनुरोध किया गया था कि वे एम बी बी एस छात्रों को सुग्राही बनाने के लिए उनकी पाठ्यचर्या में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के मूलभूत सिद्धांतों और संकल्पनाओं पर एक माड्यूल शुरू करने पर विचार करें।

(ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने राज्यों के चिकित्सा शिक्षा के निदेशकों, सभी मेडिकल कालेजों के संकायाध्यक्षों/प्रिंसिपलों की राय मांगी है।

धूल नियंत्रण प्रणाली

1582. श्री विकास चौधरी : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा मार्च, 1990 में धूल नियंत्रण प्रणाली पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या यह प्रणाली अभी भी काम नहीं कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसे चालू हालत में लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) 5.25 करोड़ रु.।

(ख) और (ग) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में धूल नियंत्रण प्रणाली की आपूर्ति और स्थापना ठेकेदारों द्वारा नवम्बर, 1986 में बल्क हैंडलिंग सुविधा के लिए दिए गए ठेके के एक हिस्से के रूप में की गई थी। चूंकि पत्तन न्यास धूल नियंत्रण प्रणाली सहित ठेकेदार द्वारा आपूर्त कुछ प्रणालियों के कार्य निष्पादन से संतुष्ट नहीं था इसलिए उन्होंने माल और सेवाओं के मूल्य के संबंध में ठेकेदार को देय अंतिम स्तरीय 10% भुगतान रोक लिया था। ठेकेदार द्वारा कमियों और खामियों को दूर करवाने के लिए पत्तन न्यास द्वारा किए गए प्रयासों से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। ठेकेदार द्वारा किए गए एक उल्लेख के बाद ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान को रोकने का मुद्दा विवाचन का मामला बन गया था। जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास को विवाचन का निर्णय रोके गए भुगतानों

को जारी करने का निर्देश देते हुए जुलाई, 1997 में प्रकाशित किया गया था। विवाचन की कार्यवाही के दौरान कमियों और खामियों को सुधारने के मामले में कोई प्रगति नहीं की गई। विवाचन के निर्णय का समाधान होने के पश्चात् पत्तन न्यास ने धूल नियंत्रण प्रणाली को प्रचालित करने के लिए पुनः प्रयास किए परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ।

हाल ही में हैंडल किए गए शुष्क बल्क ट्रैफिक की मात्रा और निकट भविष्य में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में उर्वरकों, उर्वरकों की कच्ची सामग्री और खाद्यान्न ट्रैफिक में होने वाली और वृद्धि के लिए अप्रत्यक्ष संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास ने धूल नियंत्रण प्रणाली को प्रचालित करने के लिए और खर्च करना उचित नहीं समझा है।

[हिन्दी]

'डाल्फिन' मोबाइल सेवा

1583. श्री मोहन रावले : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का 'डाल्फिन' मोबाइल फोन–सेवा को किसी प्राइवेट पार्टी को सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चेन्नई पत्तन न्यास द्वारा ठेकेदारों को अधिक भुगतान

1584. श्री अबुल हसनत खां : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सही है कि 'ब्रेकवाटर' के निर्माण हेतु चेन्नई पत्तन न्यास द्वारा ठेकेदार को 10.09 करोड़ रु. की राशि का अधिक भुगतान किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ठेकेदार को अधिक भुगतान की वापसी हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जी, हां। इन्नौर पत्तन परियोजना में ब्रेक वाटर के निर्माण के लिए पत्थरों के खनन और उन्हें कार्य स्थल पर ले जाने से संबंधित एक ठेके में ठेकेदार को 10.09 करोड़ रु. की राशि गैर–स्वीकार्य समझी गई है।

(ग) पत्तन ने ठेकेदार द्वारा पहले से प्रस्तुत बैंक गारंटियों को भुनाकर इस राशि को उससे वसूल करने के लिए कार्यवाही की थी। इसी बीच ठेकेदार उच्च न्यायालय में चला गया और एक अंतरिम व्यादेश प्राप्त कर लिया जिसमें पत्तन को बैंक गारंटी का उपयोग करने से रोका गया था। अब यह मामला न्यायाधीन है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वी.एस.ए.टी. सुविधा

1585. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक इजराइली उपकरण निर्माण कंपनी ने 'वेरी स्माल एपेरचर टर्मिनल' (वी.एस.ए.टी.) टेलीफोनी सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या उक्त कंपनी ने भारत में दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए निर्माण इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य टेलीफोनी सुविधाएं प्रदान करने वाले उपकरण की तुलना में वी.एस.ए.टी. से क्या लाभ हैं;

(घ) क्या सरकार ने इजराइली कंपनी के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने देश के दूरस्थ क्षेत्रों में उपग्रह टर्मिनलों द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) ऐसी ही एक प्रौद्योगिकी है जिस पर विचार

किया जा रहा है। इजराइल की एक कम्पनी ने ग्रामीण टेलीफोनी के लिए वीएसएटी आधारित समाधान पर एक प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। तथापि, उनसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण कार्य को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है तथा कम्पनी ऐसी यूनिट की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) देश के दूरस्थ क्षेत्रों जिन्हें स्थल आधारित किसी अन्य प्रौद्योगिकी द्वारा अभिगम्य नहीं बनाया जा सकता, में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपग्रह ही एकमात्र व्यवहार्य रास्ता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

1586. श्री सुबोध मोहिते : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लघु उद्योगों से संबंधित कानून, नियम, विनियमन और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस अध्ययन दल द्वारा सूचीबद्ध समस्याओं पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जिनका सामना लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ए.एस.सी.आई.) हैदराबाद से इस विषय पर अंतिम रिपोर्ट अब तक प्रतीक्षित है।

(ग) अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही, रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

1587. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कोई प्रतीक्षा सूची मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो जिला–वार विशेषकर कुर्नूल जिले में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कनेक्शनों को जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन कनेक्शनों को कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश में जिला–वार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। कुर्नूल जिला में प्रतीक्षा सूची 1141 है।

(ग) (i) जहां कहीं तकनीकी रूप से व्यवहार्य है प्रतीक्षा सूची निपटायी जा रही है।

(ii) अव्यवहार्य क्षेत्रों में कनेक्शन जारी करने के लिए एक्सचेंजों की क्षमता और आऊटडोर केबल नेटवर्क में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि की जा रही है।

(घ) इस वर्ष का लक्ष्य 31.3.2002 तक 5.30 लाख कनेक्शन प्रदान करना है और यह पूरा हो जाने की संभावना है। 1,46,469 की मौजूदा प्रतीक्षा सूची 31.3.2002 तक निपटा लिये जाने की संभावना है। तकनीकी रूप से अव्यवहार्य मामलों, यदि कोई हों, को अगले वित्तीय वर्ष में निपटा लिया जाएगा।

विवरण

31.10.2001 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में प्रतीक्षा सूची का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	आदिलाबाद	2441
2.	अनंतपुर	3941
3.	चित्तूर	11440

1	2	3
4.	कुड्डपा	1986
5.	पूर्वी गोदावरी	6339
6.	गुन्टूर	10485
7.	हैदराबाद	9326
8.	रंगारेड्डी	7876
9.	करीमनगर	4790
10.	खम्माम	8055
11.	कृष्णा	7231
12.	कुरनूल	1141
13.	महबूब नगर	4963
14.	मेडक	6360
15.	नालगोन्डा	11422
16.	नेल्लोर	9669
17.	निजामाबाद	5139
18.	प्रकाशम	8538
19.	श्रीकाकुलम	5134
20.	विशाखापट्टनम	7880
21.	विजयनगरम्	2716
22.	वारंगल	6099
23.	पश्चिमी गोदावरी	3498
	जोड़	146469

[हिन्दी]

तार-सेवाओं का आधुनिकीकरण

1588. श्री बीर सिंह महतो : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में तार–सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए कोई बजटीय आवंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में तार आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा किये जाने की आशा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में तार–सेवाओं का आधुनिकीकरण सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, कलकत्ता में 128 लाइनों के माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एसएफएमएसएस), इलेक्ट्रॉनिक की–बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर्स (ईकेबीसी) और उपयुक्त टर्मिनल–युक्तियों का प्रयोग करके किया गया है। जिलावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस प्रयोजनार्थ अलग से कोई बजट आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, आवश्यकताओं की पूर्ति टेलेक्स और टेलीग्राफ–कार्यों के लिए किए गए बजट आवंटन से की जाती है।

(ङ) आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये कार्य मांग और आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं।

विवरण

आधुनिकीकरण का जिलेवार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	आधुनिकीकृत टर्मिनल	इलेक्ट्रानिक की–बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर्स
1	2	3	4
1.	बांकुरा	8	1
2.	बीरभूम	12	1
3.	बर्धवान	38	4

1	2	3	4
4.	कलकत्ता	31	6
5.	कूचबिहार	14	1
6.	दक्षिणी दिनाजपुर	3	1
7.	दार्जिलिंग	23	3
8.	हुगली	17	2
9.	हावड़ा	10	1
10.	जलपाईगुड़ी	7	1
11.	मालदा	11	1
12.	मिदनापुर	29	3
13.	मुर्शिदाबाद	17	1
14.	नादिया	9	1
15.	उत्तरी 24 परगना	13	1
16.	पुरुलिया	10	1
17.	दक्षिणी 24 परगना	9	
18.	उत्तरी दिनाजपुर	3	1

उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं

1589. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में डाक, तार और दूरसंचार सेवाओं की स्थिति खराब है;

(ख) क्या यह भी सही है कि राज्य में उक्त सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सर्किल में डाक, तार और दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) **डाक सेवाएं :**

उत्तर प्रदेश सर्किल में डाक सेवाएं आमतौर से संतोषप्रद हैं। हाल में किए गए लाइव मेल सर्वेक्षण से निम्नलिखित स्थिति का पता चलता है :

डाक की श्रेणी	मानदंडों के अनुसार वितरित डाक	
	शहरी	ग्रामीण
अपंजीकृत डाक	90.1%	92.6%
पंजीकृत डाक	91%	92%
मनीआर्डर	70.3%	72.8%

तार सेवाएं :

उत्तर प्रदेश में तार सेवाओं का स्तर घटिया नहीं है। वर्ष 2000–2001 के दौरान 12 डे लाइट आवर्स के भीतर वितरित तारों के प्रतिशत के रूप में मापी गई तार सेवा की गुणवत्ता 94 प्रतिशत के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में लगभग 94 प्रतिशत रही है।

दूरसंचार सेवाएं :

महोदय, उत्तर प्रदेश में दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक हैं।

(ख) और (ग) **डाक सेवाएं :**

सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सेवा की गुणवत्ता में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है। जहां तक डाक सेवाओं का संबंध है इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) उपग्रह द्वारा मनीआर्डर भेजने के लिए 23 वी एस ए टी तथा 100 ई एस एम ओ स्थापित किए गए हैं।

(ii) शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए 17 कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा कुछ और स्थापित किए जा रहे हैं।

(iii) 819 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले जा चुके हैं तथा वर्ष 2001–2002 के दौरान 170 केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(iv) पंजीकृत डाक पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 6 कम्प्यूटरीकृत रजिस्ट्रेशन चैनल स्थापित किए गए हैं।

(v) ग्राहकों को बेहतर और अच्छे स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए बचत बैंक कार्यों का भी कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। 12 डाकघरों में बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क हैं।

जहां तक बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की औसत उत्पादकता का संबंध है, उत्तर प्रदेश सर्किल का देश में चौथा स्थान है तथा बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क में प्रति नोड औसत उत्पादकता के संबंध में इसका पांचवां स्थान है।

तार सेवाएं :

सेवा की गुणवत्ता में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है और इसमें सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

दूरसंचार सेवाएं :

सेवा में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है।

चरणबद्ध रूप से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

(i) भूमिगत पेपर कोर केबिलों को जेली भरे केबिलों से बदलना।

(ii) केबिलों को नलियों में बिछाना।

(iii) भूमिगत केबिलों को ग्राहकों के परिसरों तक बिछाना ताकि ड्राप वायर समाप्त किया जा सके। इस संबंध में 5 पेयर भूमिगत केबल की शुरूआत ऐसा ही एक कार्य है।

(iv) व्यापक पैमाने पर नेटवर्क में डिजिटल लाइन कन्संट्रेटर की शुरूआत।

(v) अधिक से अधिक दूरस्थ लाइन यूनिटें खोलकर आउटडोर संयंत्र के आकार में तदनुरूपी कमी करके प्रत्येक एक्सचेंज द्वारा सेवित क्षेत्र को कम करना।

(vi) बाह्य संयंत्रों को समय-समय पर सुव्यवस्थित बनाना।

(vii) क्रमशः 4 और 2 कनेक्शनों की आरंभिक लोडिंग के लिए 10 पेयर और 5 पेयर डी पी के मानदण्ड को उदार बनाना।

(viii) केवल शहरी क्षेत्रों में इनडोर उपयोग के लिए 20 पेयर डी पी के प्रयोग तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम संभव सीमा/पोल तक सीमित रखना।

(ix) जहां व्यवहार्य हो लाइन स्टाफ/फील्ड स्टाफ के लिए पेजर।

(x) छोटे और मध्यम एक्सचेंजों में केन्द्रीकृत फाल्ट बुकिंग की व्यवस्था।

(xi) दोष-सुधार सेवा का कम्प्यूटरीकरण।

[अनुवाद]

किराए पर मकान लेना

1590. श्री महबूब जहेदी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मंत्रालय ने आवास निर्माण हेतु अधिकृत भूखंड पर बीजिंग, दोहा, मस्कट और गैबोरोन में चांसरी-सह-दूतावास आदि के निर्माण हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या वर्ष 1999-2000 तक किराए पर मकान लेने के लिए 26.27 करोड़ रुपए व्यय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क), (ग) और (घ) जी, हां। बीजिंग, दोहा, मस्कट और गैबोरोन में चांसरी और राजदूतावास परियोजनाएं सरकार द्वारा अर्जन की गई भूमि पर भू-खण्डों पर कार्रवाई प्रगतिशील चरणों में है। दोहा और गैबोरोन में निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं। बीजिंग में चांसरी परियोजना और मस्कट में राजदूतावास परिसर परियोजना संबंधी परिकल्पित खाका योजनाओं को अन्तिम रूप देने की कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है।

(ख) जी, हां। 1992-93 और 1999-2000 के बीच बीजिंग, दोहा, मस्कट और गैबोरोन में किराए का कुल भुगतान 26.27 करोड़ रुपए था। इस बात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि इन देशों में संयुक्त वार्षिक किराया देयता 4.64 करोड़ रुपए है। निर्माण लागत अनुमानतः 93 करोड रुपए है।

[हिन्दी]

योग और प्राकृतिक चिकित्सा

1591. श्री जय प्रकाश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार देश में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संस्थान में योग प्रशिक्षक पद को अधिक आकर्षक बनाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) योग के विकास और प्रचार को सरकार द्वारा पहले ही प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) से (घ) 11.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सुदृढ़ीकरण की एक परियोजना अनुमोदित की गई है। प्रस्ताव में नए परिसर का निर्माण और संस्थान के भीतर क्षमता का विकास शामिल है। नए परिसर में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में योग का संवर्धन और प्रचार, योग की प्रभावकारिता में शिक्षा प्रशिक्षण, थिरेपी और अनुसंधान शामिल हैं।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को पुनरुज्जीवित करना

1592. श्री जे. एस. बराड़ : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें व्यवहार्य बाजार प्रदान करने के क्रम में क्या लघु उद्योगों वाली वस्तुओं को विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में खपत के लिए निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) लघु उद्योगों का संवर्धन और संरक्षण सरकार की जागरूक नीतियों में से एक रहा है। लघु उद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ करने और इसकी प्रतियोगितात्मकता को घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर बढ़ाने के लिए सरकार ने 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है जिसमें ऋण तक सरल पहुंच, बाजार सहायता, 25 लाख रु. तक के समपार्श्विकता मुक्त संयुक्त ऋणों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पूंजी सब्सिडी और सुधरी हुई आधारिक संरचना का प्रावधान है।

(ख) से (घ) सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत 358 मदें विशेष रूप से लघु उद्योगों से खरीद हेतु उद्दिष्ट की गई हैं।

अनुसूचित जनजाति संबंधी उप-समूह का गठन

1593. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों की रक्षा और विकास से संबंधित नीतियों और विधानों के बारे में योजना आयोग द्वारा गठित उप–समूह ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस उप–समूह द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण हेतु योजना आयोग की विषय–निर्वाचन समिति द्वारा उपसमूह की किन–किन सिफारिशों पर विचार किया गया?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। अनुसूचित जनजातियों की रक्षा और विकास से संबंधित नीतियों और विधानों

के बारे में योजना आयोग द्वारा गठित उप–समूह ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

(ख) इस विषय के बारे में उप–समूह द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है और सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण के बारे में दसवीं योजना की विषय–निर्वाचन समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय उप–समूह की सिफारिशों पर विचार किया गया था।

विवरण

भूमि-सम्बन्धी

1. जनजातीय भू–अन्यसंक्रामण की समस्या का समाधान करने और अन्य संक्रामित जनजातीय भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे–

(i) जैसा कि भूरिया समिति रिपोर्ट (1995) में सुझाया गया है तथा पीईएसए अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (i) और (एम) (ii) के अनुसार, भूमि अर्जन अधिनियम और कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम में सारवान संशोधन अपेक्षित हैं।

(ii) राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित विद्यमान विनियमों और कानूनों को उपर्युक्त (i) में दिए गए सुझाव के अनुरूप बनाया जाना चाहिए और बचाव के रास्ते बन्द कर दिए जाने चाहिए। समता और खोए हुए अवसरों की प्रतिपूर्ति के हित में कानूनों और उनके कार्यान्वयन में जनजातियों के पक्ष में सकारात्मक झुकाव होना चाहिए।

(iii) भूधृति की सुरक्षा, निहित स्वार्थों से जनजातीय स्वामियों का संरक्षण और अनावश्यक मुकदमेबाजी की परेशानी से बचाव सुनिश्चित करने वाले भूमि सुधार के विभिनन पहलुओं से संबंधित कानूनों को अपनाया जाना चाहिए।

(iv) जनजातियों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों अर्थात् पारी खेती करने वालों, जंगल ग्राम में रहने वालों और आदिम जनजातीय समूहों से संबंधित कानूनों और नीतियों को उनके पर्यावरण विशिष्ट के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

(v) जिन क्षेत्रों में गलतियों, भ्रम और अस्पष्टता को सुधारने का कार्य नहीं किया गया है, वहां सर्वेक्षण और पुनर्वास कार्य शुरू किया जाना चाहिए। परंतु यहां महत्वपूर्ण निषेध यह है कि साम्प्रदायिक व्यवस्था सहित विद्यमान भूमि जोत प्रक्रिया का पूरी तरह से आदर किया जाना चाहिए और इस संबंध में कोई जोर–जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। कम्प्यूटरीकरण से इस मामले में सहायता मिल सकती है।

(vi) आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण विनियम ने अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि अंतरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया था। दुर्भाग्यवश, इसे समाप्त कर दिया गया है। मूल रूप से यह एक अच्छा अनुकरणीय आदर्श है।

(vii) समग्र रूप से, जनजातीय समुदायों को पूर्ण प्रयासों में पूर्ण रूप से भाग लेने, नियंत्रित करने और दिशा–निर्देश देने के लिए उन्हें सशक्त बनाने हेतु कानूनी, प्रशासनिक और नीतिगत उपाय शुरू किए जाने चाहिए।

(viii) विद्यमान कानूनों और समता निर्णय के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों को कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, दो और मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है (i) कि विद्यमान कानूनों का पूर्ण रूप से आदर किया जाना चाहिए और वे निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किए जाने चाहिए; (ii) विकास परियोजना की अवस्थिति की अपरिहार्यता की अवस्था में पुनर्वास ऐसा होना चाहिए जो विस्थापित जनजातियों, विशेष रूप से उनके सामुदायिक लोकाचार को ध्यान में रखते हुए उनके प्रारम्भिक जीवन स्तर में सुधार ला सके; और (iii) तेजी से बदलते हुए परिदृश्य के अनुरूप बनने के लिए जनजातीय उप–योजना कार्यनीति के बहुत से आयामों में समय–समय पर संशोधन करने होंगे।

वन-सम्बन्धी

2. वनों के संरक्षण, पुनर्जीवन और विकास में पूरी तरह से जनजातीय लोगों को सम्बद्ध करने के लिए और साथ ही

वनों में और उनके आस–पास रहने वालों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराने के लिए, निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए–

(i) जंगलों के विनाश के महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण जंगलों का गैर–कानूनी कटाव और ठेकेदारों और उनके मजदूरों द्वारा जंगलों को समाप्त किया जाना है। इस कार्य को रोकने के उद्देश्य से, जितना शीघ्र हो सके ठेकेदारों के स्थान पर जनजातीय सहकारी संस्थाएं, श्रमिक सहकारी संस्थाएं, सरकारी निगमों, आदि जैसे संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए।

(ii) छोटे–छोटे वन उत्पादों का संरक्षण करना, पुनः उत्पादन करना और इष्टतम संग्रहण करना और साथ ही ऐसे उत्पादों के विपणन के लिए संस्थागत प्रबंध करना।

(iii) राजस्व ग्रामों के समतुल्य जंगल ग्रामों का विकास करना।

(iv) जनजातीय हिताधिकारियों के स्तर को सुधारने के लिए परिवारोन्मुखी स्कीमें।

(v) विद्यमान वन क्षेत्रों पर दबाव को कम करने के लिए, सब्सिडी आधार पर घरेलू ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रावधान सहित, जंगल में और जंगल के आस–पास के क्षेत्रों में जनजातीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू करना।

झूमकृषि

3. झूमकृषि के प्रश्न पर, इस विषय पर हुए अभिनव अनुसंधानों के आलोक में जो इसके पूर्ण त्याग को अवैज्ञानिक और पूर्णतः हानिकारक रूप में हतोत्साहित करते हैं तथा विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह अनुसूचित जनजाति के लाखों लोगों–कुछ लोग इसकी संख्या दो मिलियन बताते हैं, के जीने का ढंग है, भावनात्मक व्यवहार किए जाने की आवश्यकता है।

वन नीति संकल्प, 1998

4. 1998 के वन नीति संकल्प में निहित शब्दों और भावना का अनुकरण किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी इसके सिद्धान्त और प्रयोग में अंतर विद्यमान है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों की भी संवीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय वन अधिनियम, 1927

5. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के कारण विवाद हो रहा है, परन्तु आरक्षित वनों और पीईएसए अधिनियम, 1996 के संबंध में दो कारणों से विवादों का समाधान शीघ्र किए जाने की आवश्यकता है। प्रथमतः 73वें और 74वें संवैधानिक संशाधनों और पीईएस अधिनियम, 1996 के संदर्भ में संवैधानिक अधिदेश परम महत्व के हैं। वास्तव में पीईएसए अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम द्वारा किए गए अपवादों और आशोधनों के साथ संविधान के भाग IX में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित प्रवृत्त किसी भी कानून का कोई भी प्रावधान, जो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने की तारीख से तत्काल पूर्व, जो भाग IX के प्रावधानों के साथ असंगत हो, तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि सक्षम विधान मंडल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका संशोधन अथवा निरसन नहीं कर दिया जाता अथवा जब तक इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त न हो जाए। द्वितीय, सत्तर दशक पुराने औपनिवेशिक भारतीय वन अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को भी उनके अत्यंत प्रशंसनीय उद्देश्यों को बनाए रखते हुए, वर्तमान समय की परिस्थितियों की वास्तविकताओं के समनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। अनुसूचित क्षेत्रों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में विधायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन अपेक्षित है।

लघु वन उत्पाद (एमएफपी) संबंधी

6. योजना आयोग की नौवीं पंचवर्षीय (1997–2002) योजना दस्तावेज के मध्यावधि मूल्यांकन में तीन मदों नामतः बेंत, बांस और महुआ बीजों को कुछ विधिक समस्याओं के कारण लघु वन उत्पादों (एमएफपी) की सूची से निकालने का उल्लेख किया गया है। चूंकि इन मदों से लाखों जनजातियों की जीविका जुड़ी हुई है, इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें बनाए रखा जाए।

7. बड़े आकार वाली बहुद्देशीय समितियां (लैम्पस) (क) उनसे उनके अतिरिक्त कृषि और वन उत्पाद को उचित मूल्यों पर खरीदती हैं (ख) नियंत्रित और उचित मूल्यों पर उन्हें कुछ

बुनियादी आवश्यकताओं जैसे मिट्टी का तेल, चीनी, नमक बेचती हैं (ग) उन्हें उत्पादन अथवा उपभोग ऋण प्रदान करती हैं। हमारी सूचना यह है कि इनमें से बहुत सी समितियां अपक्रियात्मक हो गयी हैं। ये समितियां न केवल आधारिक स्तर पर ही कार्य करती हैं बल्कि अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमुख लाभकारी भी हैं। उनको किसी भी तरह से स्वस्थ पगडण्डी पर लाने के लिए प्राथमिक जनजातीय सहकारिताओं को, उनको पुनः ईजाद करने अथवा उनको सुधारने या उन्हें पुनर्जीवित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बातें जनजातीय उत्पादों के विपणन करने की किसी भी स्कीम में अपरिहार्य हैं और इस प्रसंग में यह आवश्यक है कि (i) इनका गठन प्रमुख रूप से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से किया जाए और (ii) इन्हें नये पीईएसए पंचायत संरचना के साथ सुव्यवस्थित रूप से सम्बद्ध किया जाए।

8. जिला स्तरीय क्रेडिट और विपणन समितियों को राज्य–स्तरीय जनजातीय विकास सहकारी निगमों, जनजातीय विकास निगमों, वन विकास निगमों के साथ तथा बाद में राष्ट्रीय–स्तरीय ट्राइफेड के साथ सम्बद्ध होना चाहिए। व्यवसायियों ने जोरदार तरीके से अपनी बात कही है कि लिकेज केवल अवास्तविक ही नहीं हैं, अपितु पूर्वोक्त बहुत से संगठन समानान्तर रूप से तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण और मूल उद्देश्य यह है कि प्राप्तियां सीधे जनजातीय उत्पादकों से होनी चाहिए और संग्रहकर्ताओं को इस तथ्य के कारण प्रभावी तरीके से परास्त किया जाना चाहिए कि इस पर निर्भर रहने वाले बिचौलियों का न केवल विलोपन अथवा उन्मूलन ही हो, अपितु इन विशेष संगठनों में से उन कुछेक से यह पुष्टि भी करा लेनी चाहिए जिन्होंने उन्हें बाह्य प्रयोजनों से अंगीकार किया है जो उनके चार्टर में उल्लिखित पावन उद्देश्यों से कहीं दूर हैं।

9. उपर्युक्त की दृष्टि से और हमारे अनुभव के आलोक में, प्राथमिक स्तर पर, अनुसूचित क्षेत्रों में जिन जनजातीय सहकारी समितियों के निदेशक मण्डल में अनुसूचित जनजातियों का स्पष्ट और प्रबल बहुमत है, उन्हें जनजातियों को खरीद, बिक्री और क्रेडिट के लाभ प्रदान करने के लिए सरल प्रक्रिया के साथ बहुउद्देशीय आधार पर कार्य करना चाहिए। ये समितियां जिला स्तर की समितियों और संगठनों से सम्पर्क रख सकती हैं। लेकिन राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों ने यह प्रमाणित किया है कि जनजातीय हितों के सम्बन्ध में वे अधिक चिन्तित नहीं हैं। वास्तव में, प्रत्यक्ष प्राप्तियों और विपणन, स्वतंत्र बाजार प्रचालन जनजातियों के लिए द्विस्तरीय बेहतर लाभ ला सकते हैं। दी गई शर्तों में जब कभी और जहां कहीं मूल्य इष्टतम स्तर से नीचे होने लगे तो उनके कार्य को न्यूनतम मूल्य समर्थन प्रदान करने की ओर मोड़ा जा सकता है। इन मूल्यों को जोखिम भरे, प्रबंधीय और उद्यमी निवेशों आदि के कारण संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन, क्षति और खतरे के लिए अपेक्षित श्रम में व्यतीत समय के लिए जनजातियों को प्रतिपूर्ति करनी चाहिए। सांविधिक न्यूनतम मजदूरी के प्रश्न को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता होगी।

10. राज्य और राष्ट्रीय स्तर की एजेन्सियां, मूल्य समर्थन एजेंसियों के रूप में कार्य करने के अलावा, वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण, हाट और बाजारों के विकास, प्राथमिक सहकारिताओं के गठन गैर–सरकारी संगठनों और स्वयं–सेवी समूहों की सहायता कर सकती थी।

11. ग्राम वन, प्रतिरक्षित वनों और आरक्षित वनों में उनके विकास के लिए कार्यशील योजनाओं को सक्षम बनाने के लिए एमएफपी सम्पत्ति की वस्तु–वार सूची बनायी जानी चाहिए। एमएफपी विकास और पुनरुत्पादन के लिए पर्याप्त संसाधन अलग से रखे जाएं। वन अनुसंधान निकायों को एमएफपी में अनुसंधान और विकास पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।

वन ग्राम

12. हम अभी भी अनभिज्ञ हैं कि क्या वन के ग्रामवासियों को नागरिकों के कुछ सामान्य अधिकार जैसे जो जमीन वे जोत रहे हैं उस पर उनका हक, कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सेवाओं आदि की निविष्टियों जैसे विकास लाभ प्रदान किए गए हैं। इसकी जांच की जाने की आवश्यकता है।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार

13. जोत को मान्यता प्रदान करने और उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए संसाधनों और स्वदेशी ज्ञान के प्रति उपयुक्त विधिक और संस्थागत प्रबंध सुनिश्चित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। यहां तक कि एमएफपी तक पहुंच के संबंध में भी जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक वर्गों में भी अवांछित भेद–भाव की रिपोर्टें रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों से संसाधनों की जैविक चोरी की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। अब चूंकि जैविक विविधता बिल, 2000 लम्बित है अतः यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आदिवासी हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण (एनबीडीए) राज्य जैविक विविधता बोर्ड

प्राधिकरण (एसबीडीए) तथा जैविक विविधता प्रबंध समितियों को चाहिए कि इस उद्देश्य के लिए वे पर्याप्त ध्यान दें जिसके लिए आदिवासी प्रतिनिधि या विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व हो।

वन विकास एजेंसियां तथा संयुक्त वन प्रबंध

14. ऐसे संसाधनों तथा स्वदेशी ज्ञान के लिए आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित रखने तथा उन्हें बनाए रखना और मान्यता के लिए उपयुक्त विधायी तथा संस्थागत प्रबंध सुनिश्चित किए जाने की अति आवश्यकता है। अब चूंकि जैविक विविधता बिल, 2000 लम्बित है अतः यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आदिवासी हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण (एनबीडीए) राज्य जैविक विविधता बोर्ड प्राधिकरण (एसबीडीए) तथा जैविक विविधता प्रबंध समितियों को चाहिए कि इस उद्देश्य के लिए वे पर्याप्त ध्यान दें जिसके लिए आदिवासी प्रतिनिधि या विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व हो।

नियोजित विकास तथा संवैधानिक आदेशानुसार सशक्तिकरण

15. अब चूंकि जन संस्थागत अवसंरचना निचले स्तर से सृजित होनी शुरू हो गयी है जैसे ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा राज्य तथा राष्ट्रीय विधानों के लिए माध्यमिक पंचायतें तथा जिला पंचायतें इन संस्थागत मशीनी तंत्रों को उनकी अपनी अवधारणा का विकास के युग का प्रयोग करते हुए जनता द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। आदिवासी लोगों को सुविधाओं से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए तथा अपनी इच्छाओं को बताने के लिए उपलब्ध विकल्प देने चाहिए।

16 पंचायत के कार्यकर्ताओं को नियोजित विकास तथा शासन की कला के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों में कार्यशील कार्यकर्ताओं में भी आदिवासी जीवन तथा संस्कृति, बदलते हुए वातावरण में ढलने की ओर प्रगति करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए।

17 पीईएसए एक्ट, 1996 ''पंचायतों के अधिकार तथा प्राधिकार जो स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने में आवश्यक है'' तथा यह सुरक्षा सुनिश्चित निहित कि पंचायतें किसी भी पंचायत के निम्नतर स्तर या ग्राम सभा के अधिकारों तथा प्राधिकार उच्च स्तर की पंचायतों को न अपनायें। इसे ध्यान में रखते हुए एक तरीका लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के पावरफुल मेग्नाकार्टा के अनुसार संघीय प्रतिनिधि उत्तराधिकारी के लोअर रंग्स कह सकते हैं।

18. आरंभ में, संबंधित राज्यों को विधान बनाने चाहिए या पहले से बने हुए हैं और यदि आवश्यक है तो पीईएसए एक्ट, 1996 की सच्ची भावना से संशोधन करना चाहिए इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की एक समिति गठित की जाए।

19. ग्राम पंचायत के चयनित वार्ड सदस्यों (या ग्राम सभा के चयनित अथवा निर्धारित क्षेत्रों में नामजद के निर्णय के अनुसार) ग्राम पंचायतें गठित होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के सरपंच माध्यमिक स्तर पर पंचायत समिति के प्रतिनिधि होने चाहिए। जिले में पंचायत समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के प्रमुख होने चाहिए। प्रतिनिधियों का यह सोपान प्रत्येक स्तर पर उत्साह और जवाबदेही पैदा करेगा, जो संघीय उत्तराधिकारी के उच्चतम स्तर के द्वारा होना चाहिए।

20. विभिन्न स्तरों पर पंचायतों तथा तदनुरूपी कार्यकारी मशीनरी के बीच पूर्ण रूप से संबंध बनाए जाने की आवश्यकता है। वास्तव में जिलों के विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तथा तकनीकी संगठनों के साथ–साथ राज्यों के बीच भ्रम, दुष्क्रिया तथा अकुशलता प्रचुर मात्रा में है। इस मामले की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

21. पांचवें और छठे अनुसूचित क्षेत्रों में वित्तीय प्रबन्धों को गिरावट से बचाने के लिए, केन्द्रीय व राज्य, दोनों निधियों को राज्य सरकारों के माध्यम से जारी किए बिना सीधे क्रमशः जिला पंचायतों एवं एडीसी को अंतरित कर देना चाहिए। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त निधियों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसा सुस्पष्ट तन्त्र भी विकसित किया जाना चाहिए जिससे कि जिला पंचायतों एवं एडीसी द्वारा प्राप्त निधियों का उप जिला स्तर पर समान रूप से वितरण किया जा सके। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को विधान के अनुसार विषयों एवं निधियों का अंतरण किया जाना चाहिए।

22. कुछ स्वतंत्र निकायों का सृजन किया जाना चाहिए जिन्हें राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर मानीटरिंग प्राधिकरणों के रूप में कार्य करना चाहिए। इन प्राधिकरणों को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए तथा इनमें अनुसूचित जनजाति व गैर–अनुसूचित जनजाति के सुप्रतिष्ठित सार्वजनिक लोग (चाहे वे विधायक हों अथवा नहीं) विशेषज्ञ, शिक्षाविद् इत्यादि शामिल होने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकास वास्तव में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और इसके लिए जवाबदेही भी है।

गरीबी उपशमन

23. जनजातीय मामलों का एक सर्वांगपूर्ण मंत्रालय अक्तूबर, 1999 से अस्तित्व में आया है। ऐसा होने से यह युक्तियुक्त है कि राज्य में जनजातीय विकास विभाग से अपेक्षित नोडल एवं मूलभूत भूमिका केन्द्र में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निभायी जाए। भारत सरकार के कार्यनियमों में इस हेतु संशोधन किया जाना चाहिए।

24. जनजातीय सोसाइटियों में नवीनतम प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का तत्काल एवं पूर्णरूप से समावेश होना चाहिए। बहुत कुछ उनकी समीकरण क्षमताओं एवं पर्यावरण सम्बन्धी उस उपयुक्तता पर निर्भर करेगा जिसमें वे रहते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में विभेदक व संगत प्रौद्योगिकी समावेश तथा जनजातीय समुदायों द्वारा उन्हें अपनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि उनके अधिक से अधिक लाभकारी परिणाम प्राप्त हो सकें।

25. जनजातियों में गरीबी उपशमन कार्यनीति का मुख्य तत्व है—उनकी निर्वाह—आधारित अर्थव्यवस्था में ह्रास की रोकथाम करना एवं उनको भूमि, वन, नदियां, समुद्र, जल, चारागाह एवं वायु जैसे जीवन प्रदायिनी प्रणालियों की बहाली करना। जो अन्य तत्व निःसन्देह जोड़े जा सकते हैं वे हैं : शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित पेय जल, आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य—विज्ञान। मुख्य प्राथमिकता शोषण की रोकथाम के लिए दी जानी चाहिए। द्वितीय, पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए। अन्य उपाय पूरे होने चाहिए।

असंगति, विस्थापन एवं व्यवस्था

26. किसी ऐसी परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को जिसमें पौराणिक जीवनदायिनी प्रणाली एवं लोकाचार का उल्लंघन करते हुए ग्राम समुदाय व जनजातीय समुदायों का विस्थापन शामिल हों, हल्के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए तथा उस पर वास्तव में, अत्यन्त गम्भीरता से एवं सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। परियोजना की लागत के आधार पर पंचायत निकायों सहित अनुमोदन प्रदान करने वाले शीर्ष प्राधिकारियों को स्थापित किए जाने चाहिए। प्रत्येक प्रस्ताव पर विशेषकर निहित मानव लागत पर उन्हें सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए।

27. इस विचार से सहमत होते हुए कि इन क्षेत्रों में व्याप्त जमीन के अन्दर व ऊपर की अपार सम्पदा का दोहन लम्बे समय तक नहीं छोडा जा सकता, एक ऐसी कार्यनीति की आवश्यकता है जिससे जनजातीय लोगों का एवं जिस भू—भाग पर उनका अधिकार है उसका विकास साथ—साथ हो सके। ऐसा तभी हो सकता है जब कार्यनीति, चाहे वह अवधारणा और आशय में कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो, स्थानीय स्वशासी निकायों पंचायत शीर्ष द्वारा इस प्रकार बनाई जाये जो योजनाकारों से सामंजस्य स्थापित करे। निबंधन व प्रावधान पूर्ववर्ती द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर वे औद्योगीकरण की ऐसी गति निर्धारित कर सकते हैं जो उनके अनुकूल हो, का निर्धारण कर सकते हैं; इसे स्थानीय युवाओं की व्यावसायीकरण की गति के अनुरूप बनाया जा सकता है जिससे वे उसमें भाग लेने की स्थिति में हो सकें। दूसरी परिस्थिति जिसे वे विनिर्दिष्ट कर सकते हैं वह है स्थानीय लोगों को ऐसे उद्यमों में भागीदार बनाया जाना जो वार्षिक आय प्राप्ति के सुनिश्चित दर के साथ प्रायोजित किए गए हों। तीसरा, लीज अवधि का परिसीमन हो सकता है। ये कुछ तात्कालिक सुझाव हैं।

ऋणग्रस्तता की समस्या

28. वर्तमान कानून साहूकारों द्वारा उद्‌यापन को रोक पाने में असफल हो चुके हैं। वस्तुतः कुछ राज्यों ने इस विषय पर कानून ही नहीं बनाये हैं जबकि कुछ अन्य अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के साहूकारी कानूनों में कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। कानूनी आवरण संविधान की पांचवीं अनुसूचित के पैरा—5 (2)(सी) तथा पंचायत (अनुसूचित उद्देश्यों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुच्छेद 4 (एम)(V) द्वारा दिया गया है। इनके साथ अनुरूपता रखते हुए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सुस्पष्ट कानून बनाए जाने चाहिए।

29. जनजातीय क्षेत्रों में कोई भी सब्सिडी—सहऋण स्कीम प्रचालित नहीं की जानी चाहिए। परन्तु, प्राथमिक तथा एलएएमपीएस के माध्यम से आसान शर्तों पर उपभोक्ता ऋण का प्रावधान होना चाहिए जिसे उनके निदेशक मंडल के संपूर्ण जनतांत्रिक व अन्य ढांचागत व्यवस्था से पुनर्जीवित किया जा सके। प्राथमिक सहकारिताओं को उत्तरदायी ढंग से कार्य करने के लिए और अधिक स्वतंत्रता देने के हित में सहकारी कानूनों को पुनर्भिमुखीकरण किया जाना चाहिए।

आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी)

30. आदिम जनजातियों के 75 समूह विभिन्न प्रकृति के हैं तथा पूर्णतया विभिन्न पर्यावरण में रहते हैं। अतः प्रथम आवश्यकता उन्हें समझने की है। इसका अर्थ है कि इनके प्रत्येक समूह जो प्रत्येक छोटा है तथा जिसकी कुल आबादी

15–16 लाख है–को सक्षम टीम द्वारा विस्तार से समझाना होगा तथा उसका रेखाचित्र तैयार करना होगा। उनकी जीविका सम्बन्धी कार्यनीतियां एवं सुगम्य क्षेत्रों की पहचान की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है।

31. पीईएसए अधिनियम, 1996 के द्वारा पंचायतों, युवा संगठनों, महिला दलों, इन लघु जनजातीय सोसाइटियों के सदस्यों के सेल्फ हेल्प समूहों को संगठित करने के प्रयास करने चाहिए। इन अन्तजाति समूहों के बन जाने के बाद, यह एक सर्वोत्तम तरीका हो सकता है कि वे अपने कार्यक्रम स्वयं तैयार करें और उन्हें निष्पादित करें। इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि शुरूआत एक सुविचारित परियोजना रिपोर्ट अथवा कार्य योजना से हो।

32. सामान्य दृष्टिकोण से उप–समूह निम्नलिखित कार्य–पदों की सिफारिश करता है–(क) उचित वास्तविक दूरी के भीतर सुरक्षित पेय जल स्रोत प्रदान करना। (ख) उनकी पारिस्थितिकी प्रणाली को संरक्षण परिरक्षण व प्रोन्नत करना। (ग) उनको शोषण से बचाना तथा (घ) सद्भावना तथा उनका विश्वास दोनों प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य एवं शिक्षा (जो माध्यम उनके अनुकूल हो) को प्रवेश–बिन्दु बनाना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

33. चूंकि नियोजित विकास के बने–बनाए कार्यक्रम व स्कीमें पूर्वोत्तर के बिल को पूरा नहीं कर सकते, कुछ परिवर्तन हुए हैं परन्तु बहुत से अभी किए जाने हैं। उदाहरण के लिए, क्रेडिट प्रवाह स्थानीय भूमि जोत प्रणाली के अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय अनुभवस्यूत आवश्यकताओं के लिए कार्यक्रमों एवं स्कीमों के विकास में राज्य एवं स्थानीय प्रशासनों को और अधिक सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। अन्य मुद्दों जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनमें शामिल हैं–

(i) विस्तृत समीक्षा हेतु छठी अनुसूची की मांगें तथा पिछले दशकों के अनुभव के आधार पर कुछ संशोधन। गृह मंत्रालय को ध्यान देने चाहिए।

(ii) कुछ पूर्वोत्तर समूहों के निर्धारण संबंधी सुपात्र मामलों को अन्य समूहों से अलग किया जाना चाहिए तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय में उन पर शीघ्रता से कार्रवाई की जानी चाहिए।

(iii) वन संरक्षण अधिनियम 1980, के कार्यान्वयन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के आलोक में, संबंधित मंत्रालयों को इससे आगे आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

(iv) प्रदेश के कई क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया नहीं हुई प्रतीत होती है। इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। यहां एक चेतावनी (दर्ज) है कि स्थानीय भूमि धारण व्यवस्थाओं, रिवाजों व परम्पराओं के प्रति उचित संवदेनशीलता दिखाई जानी चाहिए।

(v) स्थानीय प्रशासन द्वारा अंतर्जातीय संघर्षों जैसे कुकी–नागा, बोडो चाय बागान श्रम को सावधानीपूर्वक एवं बिना किसी पक्षपात के निपटाना चाहिए।

(vi) शिकायत का एक मुख्य स्रोत यह है कि यद्यपि विधायिकाओं व परिषदों में बहुमत है, पंचायतों को अनुसना किया जाता है। छठी अनुसूची में एक प्रावधान है कि 3–सदस्यीय जिला परिषद में, राज्यपाल के द्वारा 4 सदस्यों से अधिक नामांकन नहीं किया जा सकता लेकिन शिकायत यह है कि इसका प्रयोग पुनः मुख्य समूहों के खिलाफ किया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, भूरिया समिति की सिफारिशों पर, पीईएसए अधिनियम, 1996 की धारा 4 (एच) में पंचायत ढांचे में, उन अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, का नामांकन, कुल सदस्यता में 1/10 से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रावधान का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।

(vii) मणिपुर सरकार ने छठी अनुसूची के रूप में कुछ जनजातीय जिलों को बढ़ाने को कहा है। इसकी शीघ्रता से जांच होनी चाहिए।

(viii) असम में, चार जनजातीय परिषद क्षेत्रों बोडो, मिशिंग, तीवा एवं राभा में, राज्य सरकार द्वारा गठित प्रतिनिधि पंचायत ढांचे की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ix) उत्तर–पूर्वी राज्यों में बांग्लादेश से अंतर्वाह एक विवादग्रस्त समस्या है। उत्तर–पूर्वी राज्यों में कुछ जनजातीय समूह भूमि के लगातार क्षय एवं

जनसांख्यिकीय गड़बड़ी के कारण कष्ट पा रहे हैं। इन राज्यों में घोर अव्यवस्था का सामना करने का एक तरीका अनुसूचित जनजातियों अर्थात् रियांग को भूमि की पुनः वापसी हो सकता है।

शिक्षा

34. वर्तमान रुझानों को ध्यान में रखते हुए देश के जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित शैक्षिक संस्थानों की संख्या, योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों से बहुत पीछे है। इस कमी को दूर करने के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है।

35. जनजातीय विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पुरानी और सर्वविदित हो चुकी है। शिक्षक स्थानीय निरीक्षण के नाम पर भागने में समर्थ हैं। विभागीय निरीक्षण उदासीन एवं अप्रभावी है। इस अनुपस्थिति का उपचार होना चाहिए। एक रास्ता स्थानीय जनजातीय समुदाय में शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन की जांच हो सकता है जिससे वे ध्यान रख सकें।

36 जनजातीय युवकों को रोजगार व स्वरोजगार की प्राप्ति हेतु जनजातीय शिक्षा के व्यवसायीकरण का तर्कसंगत महत्व है। इसके लिए अच्छे पैमाने पर संस्थाकरण की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि देश में लगभग चार सौ सामुदायिक बहुशिल्प विद्यमान हैं। किन्तु उनमें से अधिकतर में जनजातीय विद्यार्थियों की आवश्यकता की अनुकूलता की कमी है। जनजातीय वातावरण एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम एवं अनुकूलता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वे इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में बढ़ते हुए अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ होने चाहिए।

37. जनजातियों में महिला शिक्षा बहुत कम प्रतिशत में है। भारत सरकार पहले से ही कम साक्षरता निवासों की पहचान कर चुकी है जहां महिला साक्षरता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विशेष आधार पर प्रयास किए जाने चाहिए।

38. जनजातीय जनसंख्या में एक ऐसा भाग है जो व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, प्रशासन विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा के बढ़ते महत्व के संदर्भ में जनजातीय बच्चों को अंग्रेजी भाषा पढ़ाने का समर्थन करता है।

39 वजीफे एवं छात्रवृत्तियां आदि समय पर वितरित किए जाने चाहिए।

स्वास्थ्य

40. यह सामान्य धारणा कि जनजातीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था लगभग निरर्थक समूह है, पूरी तरह से सत्य स्थापित नहीं है। यह मानसिक शारीरिकवाद एवं औषधि विज्ञान के दोहरे फलक पर आधारित है। कुछ भी हो, इसकी एक तार्किक मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता है। जनजातीय स्वास्थ्य व्यवस्था के कुछ भाग सामान्य प्रयोग के लिए भी प्रासंगिक हो सकते हैं।

41. इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि आधुनिक ऐलोपैथिक चिकित्सा जनजातीय क्षेत्रों में अतिक्रमण/हमला कर रही है। युवा पीढ़ी विशेषरूप से इसकी ओर प्रवृत्त है, अंशतः शाय्द इसके समर्थन में प्रचार के दबाव से। तथापि, योजना आयोग के नरम मानदण्डों के अनुरूप जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना के लिए उनमें यथोचित कर्मचारी व दवाईयों के स्टाक को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। तथ्य यह है कि उनकी जनजातीय जनसंख्या में पहुंच (i) जनजातीय क्षेत्रों की कठिन स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या मानदण्डों में और छूट के द्वारा (ii) भौतिक दूरी के स्थान पर उनके लगने वाले यात्रा समय के आधार पर बढ़नी चाहिए।

42. समग्र स्थिति पर विचार करते हुए, जनजातीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोग रोधी एवं उपचारी दोनों पहलू महत्वपूर्ण हैं। परन्तु रोकथाम, स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान के दृष्टिकोण पर वरीयता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

43. जनजातीय व्यवच्छेदन व शरीर–विज्ञान की विशेषताएं विशेषकर विशिष्ट असामान्य व अनुवांशिकी गड़बडियों से संबंधित, की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे–सेल मेम्ब्रेन रोग, एन्जाईम गडबडी, जी–6 पीडी–कमी, लाल रक्त सेल गड़बड़ी विभिन्न रूप से कष्ट पहुंचाते हैं। इसी प्रकार, जनजातीय परिवारों की विशेष चिन्ताओं की अपनी ही विलक्षणताएं हैं। उन्हें राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकलापों को शामिल करना चाहिए। यह संभव है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य द्वारा मानव वंशावली के रहस्य को सुझाकर सम्पूर्ण समाज को लाभान्वित किया जा सके जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सके।

44. जनजातीय दवा वाले लोगों जैसे ओझा, गुनिया, दिसारी की भूमिका की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं का उपभोग करना चाहिए क्योंकि उन्हें जनजातीय समुदायों का विश्वास

प्राप्त है। उन्हें प्राथमिक ऐलोपैथी सिद्धान्तों एवं प्रैक्टिस प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। वही दृष्टिकोण स्थानीय दाइयों एवं प्रसविकाओं के लिए भी उचित है।

45. रोकथाम, उपचारी, पर्यावरणीय, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विज्ञान सहित सभी पहलुओं से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों में एक गहन स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है।

जनजातीय नीति की आवश्यकता

46. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान, पुनरीक्षण अथवा उसे सीमित करने तथा किसी मादक पदार्थ का सेवन करने के अधिकार निर्धारित क्षेत्रों में पंचायत में निहित हैं, मामले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में वे जनजातीय मानव शक्ति विशेषकर युवा शक्ति के अभिरक्षक हैं।

एन्थ्रैक्स की पहचान करने वाली मशीन

1594. श्री के. येरननायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.) ने एन्थ्रैक्स की पहचान हेतु नई मशीन विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन्थ्रैक्स पाउडर की पहचान करने हेतु इसकी क्षमता का मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग का सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है) द्वारा विकसित की गई एक्सरे वैगेज प्रणाली जिसका इस्तेमाल विमानपत्तनों सहित अधिक सुरक्षा वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जा रहा है, किसी पाउडर रूपी पदार्थ की मौजूदगी का पता लगा सकती है।

(ख) और (ग) इस मशीन का रासायनिक पदार्थों/पाउडर जैसे कि विम, चॉक पाउडर, नमक, टेल्कम पाउडर आदि की 5 मिलीग्राम मात्रा तक के लिए परीक्षण किया गया है और यह अभिपुष्टि की गई है कि किसी भी लिफाफे, बैग, थैली, ब्रीफकेस आदि में रखा पाउडर रूपी पदार्थ का पैची फार्म में पता लगाया जा सकता है। पैची फार्म में पाउडर का पता लगने और देखे जाने पर वे व्यक्ति जो डाक, पैकेजेस आदि हैंडल करते हैं, उपयुक्त सावधानियां बरतने के लिए सतर्क हो सकते हैं।

तमिलनाडु में कृषि उद्योग

1595. श्री ए. के. मूर्ति : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के पिछड़े जिलों के लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का गरीब लोगों के लिए रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु तमिलनाडु के चेंगलपट्टु में लघु कृषि उद्योग की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) सरकार देश भर में ग्रामोद्योग सेक्टर में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से पहले ही ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। देश में पिछड़े जिलों मे रोजगार सृजन हेतु कोई नई स्कीम कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) आर.ई.जी.पी. का कार्यान्वयन तमिलनाडु के चेंगलपट्टु जिले सहित सारे देश में किया जा रहा है। जबकि के.वी.आई.सी. समस्त देश हेतु जिले-वार प्रस्ताव तैयार नहीं करती है, चेंगलपट्टु के पात्र तथा जीवनक्षम मामलों को उक्त कार्यक्रम के तहत लिया जा सकता है।

ब्रांड वाली दवाओं के लिए जाली बिल

1596. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 मई, 2001 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समाचार पत्र में **'सी.जी.एच.एस. डिस्काउंट्स स्कवीज केमिस्ट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार** की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार के ध्यान में कितने मामले लाए गए और प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा सी.जी.एच.एस. औषधालयों में ब्रांड वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

1597. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु इनमें भारी पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उद्योग और व्यापार जगत के लिए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उत्पादकता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कृषि यंत्रीकरण प्रणालियों के विकास के लिए कई उपाय किए हैं। इसके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने विभिन्न आईसीएआर संस्थानों को नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराई है तथा कृषि मंत्रालय एवं आईसीएआर के लिए डेटाबेस तथा वेबसाइट विकसित की हैं। ये उद्योगों को सरलता से उपलब्ध हो सकती हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई है। "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी वेबसाइट (http:\\www.mofpi.nic.in) में नीति, खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों के ब्यौरे, मंत्रालय की योजनागत योजना आदि पर जानकारी उपलब्ध कराता है तथा अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियों को सम्पर्क उपलब्ध कराता है जो उद्योग एवं व्यापार के लिए सहायक हो सकते हैं।" कृषि मंत्रालय से संबंधित सूचना उनकी वेबसाइट (http:\\www.agmarknet.nic.in) में उपलब्ध है।

विवरण

कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग

कृषि इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित उपकरणों/प्रणालियों का विकास किया गया है–

1. मृदा पोषक तत्व अनुमान प्रणाली
2. चावल पॉलिश परिमापन प्रणाली
3. उर्वरक परीक्षण किट
4. सौर शक्ति प्राप्त अनाज परिमापन प्रणाली
5. ट्रेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीज ड्रिल चोक सूचक
6. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल पम्पों के लिए सौर इन्वर्टर

इन उत्पादों के प्रौद्योगिकी अंतरण के प्रयास संभावित उद्योगों के साथ पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

उत्पादकता में सुधार के सुरक्षित अनाज भण्डारण (अनाज खत्ती) स्वचालन पर एक परियोजना प्रस्ताव संगठन (एफसीआई) के परामर्श से तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव भारतीय खाद्य निगम को उनकी प्रतिभागिता के लिए भेज दिया गया है।

चाय प्रसंस्करण के लिए ज्ञान पर आधारित स्वचालन प्रौद्योगिकी के विकास की एक परियोजना की अवधारणा चाय अनुसंधान संघ के साथ मिलकर तैयार की गई है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सीएसआईआर तथा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है। खुम्बी की खेती के लिए निगरानी प्रणाली, सौर एवं वैद्युत फसल ड्रायर जैसे अन्य कृषि–इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों का विकास किया जा रहा है।

हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण

1598. श्री एस. अजय कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हेपेटाइटिस–बी के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में हेपेटाइटिस–बी की दवाइयां और टीके निःशुल्क उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) वायरल हेपेटाइटिस 'बी' सहित अनेक इटिओलॉजिकल एजेंटों द्वारा वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो को सूचित किए गए वायरल हेपेटाइटिस के रोगियों की संख्या के बारे में सूचना विवरण के रूप में संलग्न है। वायरल हेपेटाइटिस 'बी' के कारण हुए मामलों के अनुपात की सूचना अलग से नहीं दी गई है।

(ग) से (च) सरकार ने शिशुओं को हेपेटाइटिस 'बी' वैक्सीन देने की शुरूआत करने के लिए राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में एक मार्गदर्शी परियोजना का अनुमोदन किया है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 जिलों और 15 बड़े शहरों के स्लमों में शिशुओं को हेपेटाइटिस 'बी' से निःशुल्क प्रतिरक्षित किया जाएगा। मार्गदर्शी परियोजना के दौरान प्राप्त किए गए अनुभवों का उपयोग अन्य जिलों में हेपेटाइटिस 'बी' वैक्सीन की शुरूआत करने में किया जाएगा। इस परियोजना को एक बाह्य एजेंसी, ग्लोबल एलांयस ऑन वैक्सीन एण्ड इम्यूनाइजेशन द्वारा वित्तपोषण का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

भारत में वायरल हेपेटाइटिस के सूचित किए गए आंकड़े, 1996–1999

वर्ष	रोगियों की संख्या
1996	131808
1997	133594
1998	113527
1999*	130269

स्रोत : केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो *आंकड़े अनन्तिम हैं।

बी.एस.एन.एल. की संचालनात्मक गतिविधियां

1599. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड विभिन्न राज्यों में अपनी गतिविधियां चलाने हेतु साझीदारों की तलाश में है;

(ख) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड आंध्र प्रदेश में अपनी गतिविधियां निजी कंपनियों के साथ चलाना चाहता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निजीकरण का कार्य कब तक हो जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विटामिन 'ए' की खुराक देने के बाद बच्चों की मौत

1600. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में असम में विटामिन 'ए' की खुराक देने से बहुत से बच्चे प्रभावित हुए और उनमें से कई की मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी जांच हेतु असम में कोई केन्द्रीय दल भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रलय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (च) असम सरकार द्वारा 11 नवम्बर, 2001 को बच्चों को विटामिन 'ए' देने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान आयोजित किया गया था। इस अभियान को यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित किया गया था। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि विटामिन 'ए' खुराक लेने के कुछ घण्टों के भीतर ही काफी बच्चों में अनुषंगी प्रभावों के लक्षण सूचित किए गए और कुछ की मृत्यु हो गई। 20.11.2001 की स्थिति के अनुसार 953 बच्चे प्रतिकूल लक्षणों से पीड़ित बताए गए हैं और 19 की मौतें सूचित की गई हैं। मौतों के कारण की जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मौतों को विटामिन 'ए' देने के साथ नहीं जोड़ा जाना संभावनीय नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घटना के बारे में घटनास्थल पर जांच करने के लिए अधिकारियों का एक दल भेजा है। दल ने सूचित किया है कि अभियान के दौरान यूनिसेफ ने अभियान के लिए विटामिन 'ए' घोल के साथ आमतौर पर साथ दिए जाने वाले 2 मिली. चम्मच के स्थान पर 5 मिली. कप सप्लाई किया। दल द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि अभियान के दौरान कुछ बच्चों ने विटामिन 'ए' की अधिक खुराक ले ली होगी जिसके परिणामस्वरूप विषक्तता के लक्षण पैदा हुए। दल ने अभियान के दौरान उपयोग की गई विटामिन 'ए' के तीन बैचों के नमूने भी लिए थे। केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता द्वारा किए गए विश्लेषण के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने मानक गुणवत्ता के थे।

भारत सरकार ने राज्य सरकारों को विटामिन 'ए' अनुपूरण के लिए अभियान आयोजित करने की बजाय विटामिन 'ए' देने के लिए चल रहे नेमी कार्यक्रम को सुदृढ़ करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस घटना के संबंध में संसद के दोनों सदनों में एक वक्तव्य दिया है। विटामिन 'ए' देने से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमात्मक और तकनीकी पहलुओं की जांच करने के लिए डा. एन. के. गांगुली, महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

सीधी डायलिंग सुविधा

1601. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जरवरी, 2001 को इसकी घोषणा करने के बावजूद अभी तक कोड 95 के साथ 200 किलोमीटर तक सीधे डायल करने की सुविधा शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सुविधा के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। इन्ट्रा सर्किल के लिए 200 कि.मी. की स्लैब दूरी तक सभी स्थानों पर '95' पर सीधे डायलिंग की सुविधा शुरू की जा चुकी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में पारपत्र कार्यालय स्थापित करना

1602. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या महाराष्ट्र में कुछ और पारपत्र कार्यालय खोले जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पारपत्र कार्यालयों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं। महाराष्ट्र में पहले से ही मुम्बई, नागपुर, थाणे, पुणे में चार पासपोर्ट कार्यालय स्थित हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई-मेल सेवाएं

1603. श्री किरीट सोमैया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को और अधिक त्वरित सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु देश भर में इलेक्ट्रानिक डाक सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में विशेषकर महाराष्ट्र में कितने ई–डाक केन्द्र खोले गये हैं;

(ग) कितने ई–डाक केन्द्रों ने विशेषकर महाराष्ट्र में कार्य करना शुरू कर दिया है;

(घ) ई–डाक सेवा आरंभ करने के पश्चात् अभी तक इस क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ङ) उपभोक्ताओं को इस योजना की ओर आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। 'ई–पोस्ट' नामक एक नई सेवा एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में अगस्त, 2001 में पांच राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में शुरू की गई है।

(ख) ई–पोस्ट केन्द्रों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है–

(क) आंध्र प्रदेश	–	50
(ख) केरल	–	51
(ग) गुजरात	–	44
(घ) महाराष्ट्र	–	58
(ङ) गोवा	–	01

(ग) महाराष्ट्र में अट्ठावन ई–पोस्ट केन्द्र खोले गये हैं।

(घ) **वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.इंडियनपोस्टआफिस. नेट जहां ई–पोस्ट सेवा प्रदान की जाती है** उसे लगभग 25,000 **लोग (हिट्स पर डे) प्रतिदिन देख रहे हैं। अब तक** लगभग **2,500 लोगों ने यह सेवा लेने के लिए स्वयं को** पंजीकृत कराया **है। कुल लगभग 1900 संदेश पारेषित किए गए हैं।**

(ङ) इन राज्यों में घर–घर इस सेवा के बारे में पूर्ण जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए और साथ ही पेम्पलैट वितरित करके एक विशेष प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडार खोलना

1604. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार एक बहुराज्यीय सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी केन्द्रीय भंडार की शाखाएं खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय भंडार–समिति का पंजीकरण, उप–विधि संख्या 2 के पंजीकरण द्वारा दिनांक 8.9.2000 से बहुराज्यीय सहकारी समिति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जिसके द्वारा उपर्युक्त समिति का कार्य–क्षेत्र बढ़ाकर भारत–संघ तक कर दिया गया। उपर्युक्त समिति की शेष उप–विधियां केन्द्रीय पंजीयक द्वारा दिनांक 8.8.2001 से बहुराज्यीय सहकारी समिति–अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर दी गई हैं। नई पंजीकरण संख्या एम.ई. सी.एस./सी.आर./110/2000 है।

(ग) और (घ) आवश्यकताओं और अपने संसाधनों के अनुसार, राज्यों में अपनी नई शाखाएं खोले जाने की व्यवहार्यता का समुचित अध्ययन करने के बाद केन्द्रीय भंडार उन्हें (राज्यों में नई शाखाएं) खोले जाने के बारे में विचार करेगा।

भारतीय लोक-प्रशासन-संस्थान

1605. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 'भारतीय लोक प्रशासन संस्थान' का कार्यकरण, **उद्देश्य और वार्षिक बजट कितना है;**

(ख) गत दो वर्षों से आज की तिथि तक सरकार ने इस संस्थान की कितनी सिफारिशें स्वीकार की हैं और इनसे सरकार को क्या लाभ हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संस्थान को बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारतीय लोक–प्रशासन–संस्थान, वर्ष 1860 के समिति–पंजीकरण–अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान, निम्नलिखित उद्देश्यों से, वर्ष 1954 में एक समिति के रूप में स्थापित किया गया–

1. लोक–प्रशासन के अध्ययन को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण–कार्यक्रम, सम्मेलन तथा लोक–प्रशासन और सरकारी–तंत्र से संबंधित मसलों के बारे में अनुसंधान सहित अध्ययन–पाठ्यक्रम आयोजित करना और उन्हें सुकर बनाना।

2. लोक–प्रशासन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से लोक–प्रशासन आदि पर प्रकाशन निकलवाना और सरकार के तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कृत्यकारियों को लोक–प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुलभ करवाना।

3. लोक–प्रशासन का प्रशिक्षण सुलभ करवाने तथा लोक–प्रशासन के अध्ययन को बढ़ावा देने की दृष्टि से पत्रिका तथा अनुसंधान पत्र और पुस्तकें प्रकाशित करवाना।

4. लोक–प्रशासन का अध्ययन सुकर बनाने की दृष्टि से पुस्तकालय तथा सूचना–सेवाएं कायम करना तथा उनका रख–रखाव करना और उनके बारे में जानकारी का प्रसार करना।

5. उपर्युक्त समिति के उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, भारत में सुविधाजनक केन्द्रों पर उपर्युक्त समिति की क्षेत्रीय शाखाएं गठित करना अथवा करवाना।

6. लोक–प्रशासन का उद्देश्य पूरा करने में सहायता करने के प्रयोजनों से, अनुमोदित संस्थाओं और निकायों से सहयोग करना।

7. उपर्युक्त समिति के उद्देश्यों के अनुसरण में, पारितोषिक, छात्रवृत्ति तथा वजीफा देना।

8. उपर्युक्त उद्देश्य पूरे करने तथा उन्हें बढ़ावा देने हेतु धन तथा निधि के लिए अपीलें और आवेदन जारी करना तथा उपहार, दान तथा नकदी और प्रतिभूतियों तथा चल अथवा अचल किसी भी तरह की संपत्ति का अंशदान स्वीकार करना।

वर्ष 1999–2000, वर्ष 2000–2001 तथा वर्ष 2001–2002 के दौरान उपर्युक्त संस्थान का कुल बजट, क्रमशः 859.00 लाख रु., 990 लाख रु. तथा 1098.00 लाख रु. था।

(ख) उपर्युक्त संस्थान, सेमिनारों/सम्मेलनों आदि के माध्यम से तथा अनुसंधान–परियोजनाएं आरम्भ करके/विभिन्न सरकारी अभिकरणों के लिए परामर्शदायी सुपुर्द कार्य करके सरकार को नीतिगत जानकारी मुहैया करवाता है। पिछले दो वर्ष के दौरान, भारतीय लोक–प्रशासन–संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार/सम्मेलन और आरंभ की गई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं–

वर्ष	200–2001	2001–02 (अब तक)
सम्मेलन/सेमिनार	14	4
अनुसंधान–परियोजनाएं	14	11 (चल रही हैं)
परामर्शदायी सुपुर्द कार्य	3	7 (चल रहे हैं)

सेमिनारों/सम्मेलनों तथा अनुसंधान/परामर्शदायी परियोजनाओं के माध्यम से मिली जानकारी से सरकार को अपनी नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। फिर भी, उनसे हुए लाभ की मात्रा, निश्चित रूप से आंक पाना सम्भव नहीं है।

(ग) सरकार का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों पर बकाया देनदारियां

1606. श्री पी. एस. गढ़वी :
श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राज्यों पर देनदारियां खतरनाक स्तर तक पहुंच गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई बातचीत की है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 31 मार्च, 2001 (संशोधित अनुमान) की स्थिति के अनुसार राज्यों के बकाया ऋणों, अग्रिमों तथा अन्य देनदारियों संबंधी एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जो राज्यों के राजकोषीय सुधारों पर लक्षित हैं। यदि ये सुधार लागू हो जाते हैं तो वर्ष 2004–05 तक राज्यों की ऋण देयताओं को धारणीय स्तर तक लाने की आशा की जाती है।

विवरण

31 मार्च, 2001 (संशोधित अनुमान) के अनुसार राज्यों के बकाया ऋण, अग्रिम तथा अन्य देनदारियां

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2001 (संशोधित अनुमान)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	40,421
2.	अरुणाचल प्रदेश	988
3.	असम	10,791
4.	बिहार	37,653
5.	गोवा	461
6.	गुजरात	38,970
7.	हरियाणा	14,176
8.	हिमाचल प्रदेश	8,990
9.	जम्मू व कश्मीर	7,676
10.	कर्नाटक	26,090
11.	केरल	25,399
12.	मध्य प्रदेश	29,304
13.	महाराष्ट्र	61,316
14	मणिपुर	1,791
15.	मेघालय	1,399
16.	मिजोरम	1,395
17.	नागालैण्ड	1,888
18.	उड़ीसा	23,451
19.	पंजाब	54,423
20.	राजस्थान	34,102
21.	सिक्किम	746
22.	तमिलनाडु	23,165
23.	त्रिपुरा	2,359
24.	उत्तर प्रदेश	88,438
25.	पश्चिम बंगाल	54,416

स्रोत : राज्यों के वित्त लेखे तथा बजट दस्तावेज।

लघु उद्योगों का निर्यात के क्षेत्र में कार्यनिष्पादन

1607. श्री जी. जे. जावीया : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में किए गए निर्यात की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : वर्तमान वर्ष 2001–2002 के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के द्वारा निर्यात के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये संबंधित निर्यात संवर्धन काउंसिलों द्वारा वित्त वर्ष समाप्त होने पर ही उपलब्ध कराए जाते हैं। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए कुल निर्यात का लगभग 35% लघु उद्योगों द्वारा हो रहा है।

[हिन्दी]

एस.एस.आई. के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका को सहायता

1608. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने लघु उद्योग के क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका की सहायता करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक इस मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई. सी.) एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, का एक गैर–व्यापारी (प्रतिनिधि) कार्यालय, भारतीय परियोजनाओं और उत्पादों के निर्यात द्वारा भारतीय लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु और भारत से दक्षिण अफ्रीका में लघु परियोजनाओं की प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए, जोहनेसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था। एन एस आई सी ने कुछ लघु उद्योग परियोजनाएं दक्षिण अफ्रीका में भी स्थापित की हैं।

(घ) दक्षिण अफ्रीका में भारतीय परियोजनाओं की सफलता से अफ्रीका में भारतीय उत्पादों और प्रौद्योगिकियों हेतु मांग उत्पन्न करने की संभावना है।

बढ़ती गरीबी

1609. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 2001 के 'नवभारत टाइम्स' में "देश में बढ़ रही है गरीबी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार में वर्ष 1991 से 1997 के बीच ग्रामीण गरीबी में वृद्धि और महिलाओं पर पड़ रहे गरीबी के भारत का उल्लेख किया गया है।

(ख) उपर्युक्त समाचार में उल्लिखित गरीबी अनुमानों का आधार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) की 53वीं रिपोर्ट के अनुसार है। योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा लगभग 5 वर्ष के अंतराल पर कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। ऐसे दो नवीनतम सर्वेक्षण वर्ष 1993–94 और 1999–2000 में कराए गए थे। वर्ष 1991 और 1997 के दौरान एन एस एस ओ ने लघु

(थिन) प्रतिदर्श सर्वेक्षण किए थे। इनका योजना आयोग द्वारा गरीबी के प्रभाव क्षेत्र का आकलन करने में प्रयोग नहीं किया जाता। अतः वर्ष 1991 अथवा 1997 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। एनएसएसओ द्वारा वर्ष 1993–94 में कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 50वें दौर से आंकलित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 37.27% था। 30–दिवसीय प्रत्याह्वान संबंधी 55वें दौर के नवीनतम वृहत् सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 1999–2000 में 27.09% ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी।

(ग) देश में गरीबी उपशमन और उसे कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय कार्रवाई है, ये हैं—(i) आर्थिक विकास का तीव्रीकरण, (ii) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने, समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को उठाने के माध्यम से मानव और सामाजिक विकास इत्यादि, तथा (iii) गरीबों के लिए रोजगार और आय सृजन कार्यक्रमों तथा परिसम्पत्ति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार।

[अनुवाद]

कर्नाटक में मेगा परियोजनाएं

1610. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च स्तरीय समिति ने कर्नाटक में 1413 करोड़ रुपये के निवेश वाली छः मेगा परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने उक्त परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 22 अक्तूबर, 2001 को हुई इसकी बैठक में अनुमानित 1413.42 करोड़ रुपये के निवेश वाली छः परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

(ख) उच्चस्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित मेगा परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिनांक 22.10.2001 को उच्चस्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित मेगा परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	अवस्थिति	उत्पाद	निवेश (रु. करोड़ में)	रोजगार
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स बायोकॉन इंडिया लि. विस्तार	हैब्बागोडी होसूर रोड बंगलौर	फार्मेटिकल इंग्रिडियेंट एंड एनजिम्स	60.62	500
2.	मैसर्स सुप्रीम बिल्ड केप (प्रा.) लि.	देवर्बिसनहाली वार्थुस होबली बंगलौर (दक्षिण)	आईटीपार्क/होस्पिलिटी/मनोरंजन सहित एकीकृत अवसंरचना	230.00	3000
3.	मैससं सुब्रमण्या कंस्टर्क्सन एंड डवलेपमेंट कंपनी लि.	बेनरघल्ला रोड तवारेकिरी, बंगलौर (दक्षिण)	आई.टी. पार्क	183.80	2700

1	2	3	4	5	6
4.	मैसर्स शमनूर सुगर लि. विस्तार	दुग्गावती हरपनहल्ली तालुक देवागिरी	शुगर को जेनेरेशन, बायो कम्पोस्ट प्लांट एंड केन फार्म	88.00	200
5.	मैसर्स टाटा टेलिसर्विसिज लि.	पूरे कर्नाटक राज्य में	दूरसंचार संजाल (नेटवर्क)	800	1442
6.	मैसर्स जिंदल विजयनगर स्टील लि.	तोरनगल्लु बेलारी जिला	अनुषंगी औद्योगिक सम्पदा विकास	51.00	600
	कुल			1413.42	8442

कॉयर उद्योग का विकास

1611. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य से केरल में कॉयर उद्योग को विकसित करने के संबंध में कोई नया अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कॉयर उद्योग के लिए आधारमूत ढांचे को विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) केन्द्रीय सरकार को केरल की राज्य सरकार से, पूर्व में कॉयर उद्योग के विकास के संबंध में कोई नया अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामोद्योगों को राजसहायता

1612. श्री पदमसेन चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने **की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग ने सरकार से राजसहायता **के लिए अनुरोध किया है;**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के लिए खादी ग्रामोद्योग के कुल कारोबार के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करती है, तथापि विगत तीन वर्षों के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को योजना एवं योजना–भिन्न शीर्ष के अंतर्गत जारी निधियों का विवरण और वर्तमान वित्त वर्ष हेतु बजट प्रावधान निम्नलिखित है–

(रु. लाख में)

	1998–1999	1999–2000	2000–2001 –	2001–2002 (ब.अ.)
योजना	34623	20193	32000	35400
योजना–भिन्न	32006	7870	7797	8263
योग	66629*	28063	39797	43663

*विगत ऋणों का नवीनीकरण शामिल है।

(घ) वित्त वर्ष के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा कुल कारोबार हेतु कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है, तथापि जहां तक व्यय का संबंध है, वर्तमान वित्त वर्ष हेतु बजट प्रावधान को लक्ष्य माना जा सकता है।

मधुमक्खी पालन पर खर्च

1613. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग और ऐसी ही अन्य एजेंसियों ने वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान मधुमक्खी पालन पर कितना खर्च किया;

(ख) क्या मधुमक्खी पालन उद्योग के संरक्षण हेतु देश के विभिन्न भागों विशेषकर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और उत्तरांचल में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान मधुमक्खी पालन हेतु के.वी.आई.सी. द्वारा संवितरित राशि।

(रु. लाख में)

वर्ष	जारी की गई राशि केवीआईसी का बजट स्रोत	सी.बी.सी.*	कुल योग
1997–98	10.92	–	10.92
1998–99	21.02	–	21.02
1999–2000	57.99	21.15	79.14

*कन्सॉर्टियम बैंक क्रेडिट

(ख) जी, हां।

(ग) केवीआईसी ने मध्यप्रदेश में श्योपुर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और उत्तरांचल राज्य में हल्द्वानी में संभाव्यता अध्ययन किया है। ये सर्वेक्षण केवीआईसी–यूएनडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया था। श्योपुर में, इसने परंपरागत मधुमक्खी पालकों/मधुमक्खी खोजियों के 140 परिवारों की पहचान की है और पाया है कि सीजन के दौरान शहद इकट्ठा करने के द्वारा प्रति व्यक्ति औसत आय लगभग 2100/– रु. है। सहारनपुर में 200 मधुमक्खीपालक हैं, जिनके पास एपिज मेलिफेरा बी कॉलोनीज हैं। इन मधुमक्खी पालकों का वार्षिक अनुमानित शहद उत्पादन 2 से 4 लाख कि.ग्रा. की रेंज में होता है। हल्द्वानी के मामले में, वहां 4000 मधुमक्खी पालक हैं, जो 5 से 800 की संख्या में मधुमक्खी कॉलोनियों की प्रोसेसिंग करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र का अनुमानित वार्षिक उत्पादन 3 से 5 लाख किलोग्राम है और शहद का मुख्य स्रोत यूकेलिप्टस, लीची, सूरजमुखी और सरसों हैं।

उपर्युक्त स्थानों में अर्थात् श्योपुर (म.प्र.), सहारनपुर (उ.प्र.) और हल्द्वानी (उत्तरांचल) में मधुमक्खी पालन विकास हेतु केवीआईसी अन्य बातों के साथ–साथ निम्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है–

1. मधुमक्खी की बेहतर नस्ल का विकास और उनका बहुगुणन।
2. मधुमक्खी पालकों को बेहतर किस्म की मधुमक्खियां वितरित की जाती हैं।
3. मधुमक्खी पालकों और मधुमक्खी खोजियों के कौशल उन्नयन हेतु रानी पालन और शहद के गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष प्रशिक्षण।
4. मधुमक्खी खोजियों द्वारा शहद निकालने के वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए हैं ताकि जलने इत्यादि से मधुमक्खियों का मारा जाना रोका जा सके।
5. विशेष रूप से उपकरणों, अच्छे स्तर के बी–बॉक्स, प्रशिक्षण सुविधाओं इत्यादि हेतु आधारिक संरचना विकास कार्य भी हाथ में लिया गया है।

फिजियोथैरेपी की मांग

1614. श्री सुरेश चन्देल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न प्रकार की शल्य–चिकित्सा के असफल होने की स्थिति में फिजियोथैरेपी उपचार की अनिवार्यता के कारण फिजियोथैरेपी सेवाओं की मांग में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भविष्य में देश में फिजियाथैरेपिस्टों की मांग के बारे में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) सरकार को देश में भौतिक चिकित्सा उपचार के लिए बढ़ रही मांग के बारे में पता है। तथापि आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में महा डाकपाल का कार्यालय

1615. श्री के. ए. सांगतम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिलांग के महा डाकपाल के कार्यालय को विभाजित करने और दीमापुर, नागालैंड में मुख्य महा डाकपाल का एक अन्य कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के कब तक प्रभावी हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निधियों का आवंटन

1616. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राज्य–वार प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्य हेतु प्रत्येक राज्य सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की है और केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को धनराशि आवंटित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) राज्यों के कुल योजना परिव्यय उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा संबंधित मुख्यमंत्रियों के बीच विचार–विमर्श के द्वारा, संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, निर्णित किए जाते हैं। संसाधन उपलब्धता में केन्द्रीय सहायता तथा राज्यों के निजी संसाधन शामिल हैं। कुल योजना परिव्यय के अंतर्गत क्षेत्रवार आवंटन राज्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं तथा इन्हें योजना आयोग के परामर्श से, राज्य की प्राथमिकताओं तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अंतिम रूप दिया जाता है। ये प्रतिव्यक्ति आधार पर निर्णित नहीं किए जाते। वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 एवं 2000–01 हेतु कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राज्य योजनाओं के लिए राज्यवार आवंटन तथा संबंधित राज्य की जनसंख्या के अनुसार कुल आवंटन विभाजित करते हुए प्रति व्यक्ति आवंटन संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

(ग) राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण तथा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है जो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1991 में अनुमोदित गाडगिल–मुखर्जी फार्मूले के आधार पर आवंटित की जाती है। इस फार्मूले के अनुसार राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित आधार पर आवंटित की जाती है–

1. कुल सहायता का 30% विशेष श्रेणी राज्यों हेतु आरक्षित है।
2. प्रत्येक समूह (विशेष श्रेणी/गैर–विशेष श्रेणी) के लिए सहायता नीचे दिए गए मानदंड पर आवंटित की जाती है–

मानदंड	वेट (%)
(i) जनसंख्या (1971)	60
(ii) प्रति व्यक्ति आय	25
(iii) निष्पादन	7.5
(iv) विशेष समस्याएं	7.5

विवरण-I

वर्ष 1998–99 से 2000–2001 हेतु कृषि क्षेत्रक के लिए राज्यवार प्रति व्यक्ति आवंटित राशि

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना 1998–99		वार्षिक योजना 1999–2000		वार्षिक योजना 2000–2001	
		आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)	प्रति व्यक्ति (रुपये में)	आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)	प्रति व्यक्ति (रुपये में)	आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)	प्रति व्यक्ति (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	170.77	23	181.27	24	202.75	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	146.11	1410	52.77	497	45.62	419
3.	असम	167.81	64	202.63	76	169.33	63
4.	बिहार	112.21	11	82.65	8	77.14	7
5.	गोवा	8.50	63	9.55	69	10.94	78
6.	गुजरात	350.60	75	414.90	87	512.32	106
7.	हरियाणा	127.35	67	118.08	61	97.74	49
8.	हिमाचल प्रदेश	183.00	308	202.04	333	182.87	295
9.	जम्मू व कश्मीर	194.56	216	185.49	202	204.15	218
10.	कर्नाटक	268.31	54	303.35	60	313.29	61
11.	केरल	237.80	74	258.50	79	259.50	79
12.	मध्य प्रदेश	312.79	41	302.25	39	258.21	33
13.	महाराष्ट्र	330.66	36	415.36	45	468.78	50
14.	मणिपुर	28.61	131	29.88	134	19.65	86
15.	मेघालय	44.10	210	46.00	214	53.26	242
16.	मिजोरम	43.70	504	38.49	430	31.86	345
17.	नागालैंड	23.17	152	26.87	171	28.91	178
18.	उड़ीसा	152.99	42	132.65	36	97.43	267
19.	पंजाब	127.11	56	151.06	66	171.86	74
20.	राजस्थान	364.31	71	336.69	65	179.81	34

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	19.70	383	20.09	378	23.16	422
22.	तमिलनाडु	392.11	65	343.38	57	410.40	67
23.	त्रिपुरा	33.42	102	32.82	98	41.80	122
24.	उत्तर प्रदेश	716.19	45	839.45	52	824.34	51
25.	पश्चिम बंगाल	180.98	24	239.93	31	119.93	15
	प्रयुक्त जनसंख्या अनुमान		1998		1999		2000

विवरण-II

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 हेतु ग्रामीण विकास क्षेत्रक के लिए राज्यवार प्रति व्यक्ति आवंटित राशि

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना 1998-99		वार्षिक योजना 1999-2000		वार्षिक योजना 2000-2001	
		आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)	प्रति व्यक्ति (रुपये में)	आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)	प्रति व्यक्ति (रुपये में)	आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)	प्रति व्यक्ति (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	363.92	48	334.08	44	180.74	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.24	282	25.16	237	24.21	222
3.	असम	154.18	59	173.16	65	210.95	78
4.	बिहार	1019.29	101	1158.82	113	930.17	89
5.	गोवा	3.34	25	5.28	38	2.58	18
6.	गुजरात	306.79	65	307.16	64	441.2	91
7.	हरियाणा	74.76	39	46.55	24	83.72	42
8.	हिमाचल प्रदेश	67.37	113	71.23	117	61.28	99
9.	जम्मू व कश्मीर	80.61	89	75.41	82	51.64	55
10.	कर्नाटक	253.4	51	244.19	48	289	56
11.	केरल	70.34	22	90.56	28	64.9	20
12.	मध्य प्रदेश	352.89	46	356.06	46	487.19	62
13.	महाराष्ट्र	774.46	85	1020.08	110	973.56	103

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	9.28	43	10.05	45	51.4	225
15.	मेघालय	22.53	107	23.57	109	44.05	200
16.	मिजोरम	51.81	598	41.56	464	42	455
17.	नागालैंड	44.05	289	52.55	334	35.76	220
18.	उड़ीसा	228.56	63	273.87	75	183.78	49
19.	पंजाब	116.53	52	150.03	66	124.4	54
20.	राजस्थान	301.93	59	324.4	63	382.25	72
21.	सिक्किम	9.47	184	8.12	153	10.6	193
22.	तमिलनाडु	470.98	79	458.4	76	559.26	92
23.	त्रिपुरा	32.64	100	26.62	80	34.72	101
24.	उत्तर प्रदेश	1066.87	68	1035.84	65	959.76	59
25.	पश्चिम बंगाल	279.03	.36	387.26	50	382.49	49
	प्रयुक्त जनसंख्या अनुमान		1998		1999		2000

[अनुवाद]

केबलों की चोरी

1617. श्री त्रिलोचन कानूनगो :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में केबलों और अन्य दूरसंचार उपकरणों की चोरी के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार विभाग को इससे कितना नुकसान हुआ; और

(ग) ऐसी चोरियों को रोकने हेतु प्रत्येक दूरसंचार सर्किल द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केबलों और अन्य दूरसंचार उपकरणों की चोरी के कारण भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को कुल 6,28,81,532/– रु. की हानि हुई।

(ग) ऐसी चोरी को रोकने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं–

(i) स्टोर की सामग्री की उपयुक्त रूप में जिम्मेदारी तय करना;

(ii) स्टोर की सामग्री की सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध करना;

(iii) सतर्कता अनुभाग द्वारा औचक जांच;

(iv) सामग्री प्रबंध अनुभाग का कम्प्यूटरीकरण;

(v) स्टोर की सामग्री को लाने–ले जाने का कार्य गेट–पास जारी करके ही किया जाना और स्टोर में प्रवेश केवल ड्यूटी पर उपस्थित कर्मचारी के लिए ही प्रतिबंधित करना;

(vi) चोरी रोकने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के साथ तालमेल करना;

(vii) प्रमुख केबल मार्गों की निगरानी;

(viii) प्रवेश छिद्रों (मैनहोलों) को अवरुद्ध करना;

(ix) अधिक संख्या में रिमोट सब्सक्राइबर यूनिट आदि उपलब्ध कराकर भूमिगत केबलों की लंबाई घटाना।

[हिन्दी]

इंस्पेक्टर राज

1618. श्री पी. आर. खूंटे : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को 'इंस्पेक्टर राज' से मुक्त कराने के लिए सिफारिशें देने हेतु समिति गठित की है और 'इंस्पेक्टर राज' शब्द का अर्थ क्या है; और

(ख) वर्ष 2001–2002 के बजट में यथा घोषित, अगस्त, 2000 की 'नई ऋण गारंटी योजना' के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर छत्तीसगढ़ में लघु उद्योगों को किस सीमा तक ऋण उपलब्ध कराया गया?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) यह संदर्भ संभवतः लघु उद्योगों हेतु क्रेडिट गारंटी योजना के लिए है। यह योजना लघु उद्योगों को ऋणों के विस्तार के लिए पात्र परिदाय संस्थानों को सहयोग प्रदान करने हेतु 25 लाख रु. तक के ऋण के लिए गारंटियां प्रदान करती है। 31. अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार स्कीम के अंतर्गत, संस्वीकृत गारंटियों की राज्यवार संख्या के संदर्भ में डाटा संलग्न विवरण में 'दिया गया है।

विवरण

क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत संस्वीकृत राज्यवार गारंटियां

(31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार) (रु. लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृतियां
1	2
अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह	1.31
आंध्र प्रदेश	62.56
असम	99.03
बिहार	22.54
छत्तीसगढ़	34.78
दिल्ली	3.35
गोवा	1.45
गुजरात	33.21
हरियाणा	28.68
हिमाचल प्रदेश	34.49
जम्मू–कश्मीर	6.16
झारखंड	32.44
कर्नाटक	98.76
केरल	67.87
मध्यप्रदेश	156.55
महाराष्ट्र	129.40
मणिपुर	15.20
मेघालय	1.47
मिजोरम	6.82
नागालैंड	0.15
उड़ीसा	17.46
पंजाब	54.11
राजस्थान	40.21
सिक्किम	1.80
तमिलनाडु	299.83
उत्तर प्रदेश	331.15

1	2
उत्तरांचल	3.26
प. बंगाल	49.39
कुल योग	1633.43

टिप्पणी : यह योजना जनवरी, 2001 से परिचालन में है।

एसटीडी कॉलों को स्थानीय कॉलों में बदलना

1619. श्री भेरूलाल मीणा :

श्री ताराचन्द भगोरा :

डा. चरणदास महंत :

श्री रामेश्वर डूडी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दो सौ कि.मी. की दूरी तक वाली टेलीफोन कॉलों को और अधिक सस्ता बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो नई दरों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार 500 कि.मी. तक की एसटीडी कॉलों को स्थानीय कालों में बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिनियम), 1997 के अंतर्गत, केवल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को टैरिफ निर्धारण का अधिकार दिया गया है।

महाराष्ट्र में ई-मेल सेवाएं

1620. श्री वाई. जी. महाजन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में देश के कुछ जिला–मुख्यालयों में ई–मेल सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के जिलों के नाम क्या हैं;

(ग) इस योजना पर होने वाले अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सहित देश के सभी जिला–मुख्यालयों में उपलब्ध इंटरनेट अभिगम्यता के एक भाग के रूप में ई–मेल सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

(ग) और (घ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन निर्देशिकाएं

1621. डा. बलिराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एम.टी.एन.एल. दिल्ली ने टेलीफोन उपभोक्ताओं में वितरण हेतु वर्ष 1999 और 2000 में क्रमशः 15 लाख मुख्य निर्देशिकाएं और 10 लाख अनुपूरक निर्देशिकाएं छपवाई थीं;

(ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा दोनों निर्देशिकाओं को छपवाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) 31 जनवरी, 2001 तक कितने उपभोक्ताओं को दोनों निर्देशिकाएं उपलब्ध कराई गईं और इस समय कितनी निर्देशिकाएं स्टाक में पड़ी हैं और वे कितने मूल्य की हैं;

(घ) क्या एम.टी.एन.एल. का विचार वर्ष 2001 के लिए एक नई मुख्य निर्देशिका प्रकाशित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो निर्देशिका के खंडों और उनकी लागत का उल्लेख करते हुए ऐसी कुल कितनी निर्देशिकाएं प्रकाशित कराई जाएंगी;

(च) क्या 75% उपभोक्ता निर्देशिका एकत्र करने में अनिच्छा दर्शाते हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर अपने पास रखते हैं और इसलिए उन्हें निर्देशिका की आवश्यकता नहीं होती; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त फालतू खर्च पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) इन निर्देशिकाओं को छपवाने पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नवत है—

15 लाख मुख्य निर्देशिकाएं	24,16,20,000.00 रु.
10 लाख पूरक निर्देशिकाएं	14,18,09,997.00 रु.

(ग) 31.01.2001 तक जिन उपभोक्ताओं को निर्देशिकाएं उपलब्ध करायी गई हैं, उनकी संख्या :

मुख्य 1999 अंक	11,69,000 (लगभग)
पूरक 2000 अंक	1,64,000 (लगभग)

इस समय स्टॉक में पड़ी निर्देशिकाओं की संख्या :

मुख्य 1999 अंक	1,93,000 (लगभग)
पूरक 2000 अंक	1,41,000 (लगभग)

इनका कुल मूल्य :

मुख्य 1999 अंक	3,10,88,440 (लगभग)
पूरक 2000 अंक	1,99,95,210 (लगभग)

(घ) और (ङ) मौजूदा नीति के अनुसार एम.टी.एन.एल हर एक वर्ष छोड़कर मुख्य निर्देशिका जारी करता है। वर्ष 2001 के लिए 14 लाख निर्देशिका छपवाने का निर्णय लिया गया है। कितने खंडों में यह निर्देशिका छपवायी जाएगी और इस पर कितना व्यय होगा, इस संबंध में निविदा पर अंतिम निर्णय लेने के बाद तय किया जाएगा।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

1622. श्रीमती कान्ति सिंह :
मोहम्मद शहाबुद्दीन :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री राजो सिंह :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री 13.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3312 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित प्रत्येक राजमार्ग की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) घोषित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ताकि इन मार्गों का निर्माण और आधुनिकीकरण किया जा सके; और

(ग) उन्हें पूरा करने के लिए क्या समय सारिणी तैयार की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित प्रत्येक राजमार्ग की कुल लंबाई के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए धनराशि राज्य–वार आवंटित/निर्धारित की जाती है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग–वार।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य यातायात की आवश्यकता, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है।

विवरण

बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित प्रत्येक राजमार्ग की कुल लंबाई के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण

क्र.सं.	रा.रा. सं.	सड़क का नाम	लंबाई कि.मी.
1	2	3	4
1.	30ए	फतुआ–चांदी–हारनोत–सकसोहरा–बाढ़	69.00

1	2	3	4
2.	77	हाजीपुर–मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी–सोनबरसा	142.00
3.	80	मोकामा से बिहार–झारखंड सीमा वाया भागलपुर–साहबगंज	190.50
4.	81	कोरा से बिहार–पश्चिम बंगाल सीमा वाया कटिहार	100.00
5.	82	गया–राजगीर–बिहारशरीफ–मोकामा	130.00
6.	83	पटना–पुनपुन–गया–बोधगया–डोभी	130.00
7.	84	रा.रा. 30 पर आरा से बक्सर वाया भोजपुर	75.00
8.	85	छपरा (रा.रा. 19) से गोपालगंज (रा.रा. 28) वाया सिवान	95.00
9.	98	पटना से बिहार–झारखंड सीमा वाया फुलवारी–भुसौला, नौबतपुर, बिक्रम, अरवाल, औरंगाबाद	157.00
10.	99	डोभी से बिहार–झारखंड सीमा	10.00
11.	101	छपरा–बनियापुर–महाराजगंज–बरौली	60.00
12.	102	छपरा–रीवाघाट–मुजफ्फरपुर	80.00
13.	103	हाजीपुर–मुशरीघरारी	55.00
14.	104	चकिया–नरहर पकारी पुल–मधुबन–शिवहर–सीतामढ़ी–हारलखी–उमागांव–जयनगर–खुटौना–नरहिया	160.00
15.	105	दरभंगा–अंसी–जयनगर	66.00
16.	106	बीरपुर–मधेपुरा–बीहपुर	130.00
17.	107	महेशखुंट–सहरसा–राजसिमरी–बख्तियारपुर–बरही–सहरसा–बैजनाथपुर–मधेपुरा–मुरलीगंज–पूर्णिया	145.00
		जोड़	1794.5

सिटिजन चार्टर

1623. **श्री सी. कुप्पुसामी :**

श्री प्रभुनाथ सिंह :

डा. एस. जगतरक्षकन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्तूबर, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "सिटिजन चार्टर ए डॉक्यूमेंट फार एंड ऑफ दि बाबूज एक्रास दि टेबल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनांक 31.10.2001 के नई दिल्ली (मेट्रो) संस्करण में "सिटिजन चार्टर ए डॉक्यूमेंट फॉर एण्ड ऑफ दि बाबूज एक्रास दि टेबल" शीर्षक से कोई समाचार नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि

1624. श्री कोलुर बसवनागौड : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, कर्नाटक में विभिन्न मेडिकल कालेजों में बढ़ाई जाने वाली स्नातकोत्तर सीटों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाने के लिए अनुमोदन देने हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) कर्नाटक सरकार द्वारा दिए गए अनिवार्यता प्रमाणपत्र के आधार पर, स्नातकोत्तर सीटों में बढ़ोतरी करने के लिए जनवरी, 2001 के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं–

1. जे जे एम मेडिकल कालेज, दावणगेरे
2. एम आर मेडिकल कालेज, गुलबर्गा
3. सेंट जान्स मेडिकल कालेज, बंगलौर
4. फादर मूलर्स मेडिकल कालेज, मंगलौर

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की संस्तुतियों पर जे जे एम मेडिकल कालेज, दावणगेरे और सेंट जान्स मेडिकल कालेज, बंगलौर में कुछ विषयों में सीटों में बढ़ोतरी करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, कतिपय पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने की अनुमति देने संबंधी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की संस्तुतियों पर विभाग में कार्रवाई चल रही है। तथापि फादर मूलर्स मेडिकल कालेज, मंगलौर के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की संस्तुतियों की प्रतीक्षा है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बारे में सम्मेलन

1625. श्री आर. एस. पाटिल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के एक सम्मेलन में आग्रह किया था कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए–1) में शामिल सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के संबंध में सीमा शुल्क में छूट का जहां तक संबंध है, कई उत्पादों को पहले ही आधारभूत सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। अन्य उत्पादों पर चरणबद्ध रूप से शुल्क शून्य दर तक किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के मुद्दे का जहां तक संबंध है, सरकार ने सभी सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों को उत्पाद शुल्क से छूट देना व्यावहारिक नहीं समझा है। सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात से उपार्जित निर्यात लाभ को आयकर अधिनियम के तहत कर से छूट प्राप्त है।

चेचक का टीका

1626. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के पास जैव–आतंकवाद के हथियार के रूप में उपयोग किए जा रहे चेचक के गम्भीर खतरे के चलते व्यापक स्तर पर चेचक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन चेचक के टीकाकरण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के खतरे के कारण उसके पक्ष में नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) व्यापक चेचक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वैक्सीन की गंभीर प्रतिक्रिया के खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समस्त जनसंख्या के टीकाकरण की सिफारिश नहीं की जाती है।

परमाणु हथियारों के जखीरे पर भारत का दृष्टिकोण

1627. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विगत वर्षों में महाशक्तियों द्वारा संचित परमाणु हथियारों के जखीरे के बारे में अपनी नीति स्पष्ट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संचित जखीरे को कम करने में यह नीति किस हद तक लाभकारी पाई गई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से ही, सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण का एक प्रबल प्रस्तावक रहा है और इस उद्देश्य के प्रति अनेक पहलकदमियां की हैं। भारत परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए सबसे अधिक वरीयता देता है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने सदैव एक समय के भीतर चरणबद्ध कार्यक्रम में नाभिकीय हथियारों के खात्मे के उद्देश्य से बहुपक्षीय वार्ता की तत्काल शुरूआत का समर्थन किया है।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका और रूसी परिसंघ सुविख्यात करारों जैसे कि स्टार्ट–I और स्टार्ट–II के जरिए वर्षों से अपने परमाणु हथियारों में कटौती कर रहे हैं। इस आशय की खबरें मिल रही हैं कि दोनों देश अपने परमाणु हथियारों में और कटौती करेंगे।

डाक टिकटें जारी करना

1628. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में दलित समुदाय के महान समाज सुधारक श्री अय्यन काली का स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन डाक टिकटों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्री अय्यन काली पर स्मारक डाक–टिकट वर्ष 2002 में जारी करने का अनुमोदन किया गया है।

उपस्कर की आपूर्ति

1629. श्री एच. जी. रामुलू :
श्री राजो सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोप्पल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मौजूदा दूरभाष केन्द्रों को तथा संबंधित विस्तार कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपेक्षित सामग्री की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) राज्य–वार किन–किन स्थानों पर, विशेषकर कोप्पल में दूरभाष केन्द्र शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) कोप्पल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 88 दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। गौण स्विचन क्षेत्रों (एस एस ए) के लिए यथा लक्षित पर्याप्त सामग्री की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोप्पल में मुस्तुर, येरिहानचिनाल, जी. नागलापुरा और सुग्गिनाहल्ली में चार नए दूरभाष केन्द्र शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर 2001–2002 के दौरान कर्नाटक में 125 नए दूरभाष केन्द्र शुरू करने की योजना बनाई गई है जिनकी अवस्थिति का निर्धारण फील्ड यूनिटों द्वारा दर्शाई गई मांग के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

झारखंड में नए डाकघर

1630. श्री राम टहल चौधरी :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान झारखंड राज्य में जिलेवार कितने नए डाकघर, शाखा उप डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितने डाकघर खोले गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा राज्य में डाक सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में मौजूदा डाकघरों को आधुनिक बनाने/उनका विस्तार करने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(च) इस अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(छ) इन डाकघरों के कब तक आधुनिक बनाए जाने/खोले जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों और विशेषकर सरकार द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों के पदों की मंजूरी दी जाए। इस संबंध में झारखंड सर्किल के लिए जिलावार निर्धारित लक्ष्य विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राज्य में डाकघरों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है–

डाकघर की श्रेणी	शहरी	ग्रामीण	कुल
प्रधान डाकघर	13	शून्य	13
विभागीय उप–डाकघर	224	207	431
अतिरिक्त विभागीय उप–डाकघर	11	17	28
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	19	2552	2571
कुल	267	2776	3043

(ग) से (ङ) झारखंड में डाक सेवाएं संतोषजनक हैं। विभाग ने राज्य में डाक सेवाओं में सुधार लाने के प्रयोजन से चुने हुए डाकघरों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ 300 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को इनफ्रास्ट्रकचरल उपस्कर प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं।

(च) झारखंड सर्किल को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान आधुनिकीकरण के लिए 20 लाख रु. तथा डाकघर और पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए 24 लाख रु. आवंटित किए गए हैं।

(छ) सरकार का प्रयास उपर्युक्त लक्ष्यों को 31 मार्च, 2002 तक पूरा करने का होगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

झारखंड राज्य में 2001–2002 के दौरान डाकघर खोलने के जिलावार लक्ष्य

क्र.सं.	जिले का नाम	विभागीय उप डाकघरों की संख्या	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या	कुल
1	2	3	4	5
1.	रांची	शून्य	05	05
2.	दुमका	शून्य	05	05
3.	धनबाद	शून्य	06	06

1	2	3	4	5
4.	सिंहभूम	01	04	05
5.	हजारीबाग	शून्य	04	04
6.	गिरिडीह	शून्य	03	03
7.	पलामू	01	03	04
	कुल	02	30	32

[अनुवाद]

टेलीफोन निर्देशिका

1631. श्री चिंतामन वनगा :
श्री मोहन रावले :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जांचे परखे गए सर्किलों में रायल्टी के रूप में प्रति वर्ष टेलीफोन निर्देशिकाओं के न छपने के कारण राजस्व का कुल कितना घाटा हुआ;

(ख) उन मुद्रकों के नाम क्या हैं, जिन्होंने अपने ऊपर बकाया रायल्टी और धनराशि का भुगतान नहीं किया; और

(ग) रायल्टी की धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक की टिप्पणियां

1632. श्री रामजीवन सिंह :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री के. येरननायडू :
श्री नरेश पुगलिया :
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :
डा. ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री टी. एम. सेल्वागनपति :
श्री किरीट सोमैया :
श्री कमलनाथ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक ने जम्मू और कश्मीर के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। 29 अक्तूबर, 2001 को श्रीनगर में एक प्रेस ब्रीफिंग में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (यू एन एम ओ जी आई पी) के मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक मेजर जनरल हरमन लोईगेल्ट ने जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर राजनैतिक स्वरूप की कुछ टिप्पणियां की थीं।

(ग) सरकार का विचार है कि ऐसी टिप्पणियां अनावश्यक थीं और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाया था। संयुक्त राष्ट्र के शान्ति-कार्य विभाग, जिसके अन्तर्गत यू एन एम ओ जी आई पी कार्य करता है, ने मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों को अस्वीकार कर दिया था और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की ओर से क्षमा मांगी थी। बाद में 1 नवम्बर को प्रेस द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता ने कहा था कि सभी मुख्य सैन्य पर्यवेक्षकों को मुख्यालय से अनुमति लिए बिना राजनैतिक टिप्पणियां करने की अनुमति नहीं है; जनरल को उनकी क्षमता की सीमा स्मरण करा दी गई है; और यह कि उनके वक्तव्य से महासचिव के विचार प्रतिलक्षित नहीं होते हैं। सरकार ने मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक को बुलाया था और उसे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि उनकी टिप्पणियां पूरी तरह से अवांछित और अस्वीकार्य हैं। मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक ने सैन्य कार्यों के महा निदेशक, सेना मुख्यालय, भारत सरकार को लिखे एक पत्र में अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी थी।

टेलीफोन कालों के लिए अधिक शुल्क लेना

1633. डा. वी. सरोजा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ स्टार होटल ग्राहकों द्वारा उनके होटलों में की गई टेलीफोन कालों के लिए अधिक शुल्क लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में मामले को होटल एसोसिएशन आफ इण्डिया के साथ उठाया है और ग्राहकों को टेलीफोन से वास्तविक कालिंग कार्ड के प्रयोग की अनुमति भी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) मामले पर पर्यटन विभाग के साथ चर्चा की गयी जिन्होंने टेलीफोन कॉलों के लिए अधिक शुल्क लेने और वर्चुअल कॉलिंग कार्डों का उपयोग करने की अनुमति न देने के मुद्दों पर किसी नियंत्रण को लागू करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि उन्हें कोई विनियामक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं।

तथापि, भारतीय होटल एसोसिएशन को इस बात के लिए राजी करने के प्रयास किये जायेंगे कि वे अपने होटल में ठहरने वाले लोगों को जहां तक संभव हो, वर्चुअल कॉलिंग कार्ड के उपयोग की अनुमति दें।

कर्नाटक में वायरलैस लोकल लूप सेवा

1634. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश भर में वायरलैस लोकल लूप सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में उक्त सेवा को शुरू करने के लिए किन–किन शहरों का चयन किया गया है; और

(ग) कर्नाटक में उक्त सेवा को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बी एस एन एल ने अभी तक देश के चुनिंदा शहरों में ही डब्ल्यू एल एल–सेवा चालू की है। देश के कुछेक ग्रामीण क्षेत्रों में भी डब्ल्यू एल एल–सेवा प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) कर्नाटक के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवा देने हेतु प्रस्तावित शहरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) **शहरी**

क्र.सं.	नगर	लाइनों की संख्या	स्थिति
1.	बंगलौर	5,000 लाइनें	29.9.2001 को चालू
2.	बंगलौर	20,000 लाइनों की वृद्धि (5,000 से 25,000 तक)	वर्ष 2002 के दौरान प्रस्तावित
3.	मैसूर	10,000 लाइनें	वर्ष 2002 के दौरान प्रस्तावित

(ii) **ग्रामीण**

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन और डब्ल्यू एल एल–प्रणाली द्वारा प्रकीर्ण टेलीफोन–लाइन लगाने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष में डब्ल्यू एल एल–सेवा प्रदान करने के लिए कर्नाटक–सर्किल को 5,000 लाइनों वाले 27 बेस स्टेशन आवंटित किये गये हैं। बेस स्टेशन–स्थलों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	कर्नाटक के बेस स्टेशन का स्थान
1	2
1.	चन्नापटना
2.	दाद्दाबालापुर
3.	होसकोट
4.	कनकपुरा
5.	रामनगरम्
6.	अल्लूर
7.	बेलूर

1	2
8.	एच. एन. पुर
9.	हसन
10.	सकलेशपुर
11.	बागिपल्ली
12.	बांगरपेट
13.	चिकबालापुर
14.	कोलार
15.	मालूर
16.	सी. आर. नगर
17.	गुण्डलुपेट
18.	एच. डी. कोट
19.	कोल्लीगल
20.	टी. नरसीपुरा
21.	सी. एन. हल्ली
22.	कोरतागिरी
23.	ममुगिरी
24.	पावगाडा
25.	सिरा
26.	तिपतुर
27.	तुरुवेकरि

[हिन्दी]

डाक टिकटें जारी करना

1635. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव वर्ष में जैन आचार्य सम्राट आनन्द ऋषि जी महाराज पर डाक टिकट जारी करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त डाक टिकटों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) श्री आनंद ऋषि महाराज पर वर्ष 2002 में एक स्मारक डाक–टिकट जारी करने का मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश और बिहार में डब्ल्यू एल एल कनेक्शन

1636. श्री राम प्रसाद सिंह :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में अब तक जिले–वार कितने वायरलैस–इन–लोकल लूप कनेक्शन प्रदान किए गए हैं; और

(ख) इस वर्ष के शेष भाग और अगले वर्ष के दौरान प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित वायरलैस–इन–लोकल लूप कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारतीय संचार निगम लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश व बिहार में अब तक उपलब्ध कराए गए वायरलैस–इन–लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) कनेक्शनों के जिलावार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	राज्य	जिला	डब्ल्यू एल एल कनेक्शनों की संख्या
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	2134

1	2	3	4
2.		इलाहाबाद	890
3.		लखनऊ	2548
4.		गोरखपुर	328
5.	बिहार	भोजपुर	94
6.		वैशाली	841
7.		सेखपुरा	57
8.		पटना	2435
9.		खगड़िया	44
10.		मुजफ्फरपुर	50
11.		समस्तीपुर	207
12.		रोहतास	639

(ख) बी एस एन एल द्वारा वर्ष के शेष भाग तथा अगले वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश व बिहार के दूरसंचार सर्किलों में दिए जाने वाले प्रस्तावित डब्ल्यू एल एल कनेक्शनों के ब्यौरे इस प्रकार है

क्र.सं. दूर संचार सर्किल	2001–2002 के शेष समय के दौरान प्रस्तावित डब्ल्यू एल एल कनेक्शन	2002–2003 के दौरान प्रस्तावित डब्ल्यू एल एल कनेक्शन
1. उत्तर प्रदेश (पूर्व)	74852	2002–2003 के दौरान समूचे देश में 18 लाख डब्ल्यू एल एल कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। दूर संचार सर्किल वार ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
2. उत्तर प्रदेश (प.)	23047	
3. बिहार	40787	

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा

1637. श्री बहादुर सिंह :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री भीम दाहाल :
श्री अम्बरीश :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री शिवाजी माने :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद किन–किन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने भारत की यात्रा की;

(ख) उनके साथ क्या विचार–विमर्श किया गया और उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या आतंकवाद के बारे में भारत द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से उन्हें अवगत कराया गया; और

(घ) यदि हां, तो उस पर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने क्या विचार व्यक्त किए?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) महोदय, यह सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	विश्व व्यापार केन्द्र पर हवाई हमलों के बाद भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के नाम और पदनाम	देश का नाम	यात्रा की तारीखें	उनके साथ हुई चर्चाएं और उनका निष्कर्ष	क्या आतंकवाद के संबंध में भारत ने जो पक्ष लिया उसकी जानकारी उन्हें दी गई	यदि हां, तो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्त विचार
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री नगूयेन डे नियेन विदेश मंत्री	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	11–16 सितम्बर, 2001	द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा हुई जिसमें भारत–वियतनाम संबंधों को सुदृढ़ करने में सहायता मिली।	जी नहीं, (11 सितम्बर, के हमलों के शीघ्र बाद अर्थात् 12 सितम्बर की दोपहर को कोई आधि–कारिक बात–चीत नहीं हुई)	प्रश्न नहीं उठता (14 सितम्बर को उनकी यात्रा के दौरान पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों के साथ हुई औपचारिक बातचीत में वियत–नाम के विदेश मंत्री ने कहा कि वियतनाम आतंकवादी हमले की निंदा करता है, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में भारत तथा अन्य सभी देशों का समर्थन करता है तथा इस खतरे को रोकने के लिए अमरीका के प्रयासों का समर्थन करता है)।
2.	श्री सेबेस्टियन ओयू–ड्राओएओ रोजगार तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण मंत्री	बुरकिना फासो	16–21 सितम्बर, 2001	व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में चर्चा हुई।	जी, नहीं	
3.	प्रो. साम ओंगरी जन स्वास्थ्य मंत्री	कीनिया	26–30 सितम्बर, 2001	स्वास्थ्य शिखर–सम्मेलन	जी, नहीं	
4.	श्री सानीओयूलाह लौथान, सामाजिक सुरक्षा मंत्री	मारीशस	26 सितं–बर से 1 अक्तूबर, 2001	जेल सुधार और कैदियों के आदान–प्रदान के बारे में चर्चा हुई।	जी, नहीं	
5.	श्री टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री	यू.के.	5-6 अक्तू. 2001	अफगानिस्तान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए अन्तर्राष्ट्रीय	जी, नहीं	प्रधानमंत्री ब्लेयर ने भारत की भूमिका की प्रशंसा की तथा

1	2	3	4	5	6	7
				समर्थन जुटाने के अपने प्रयासों के अंग के रूप में वे भारत की यात्रा पर आए। भारत ने उन देशों के विरुद्ध कार्रवाई करने की महत्ता को उजागर किया जो आतंकवाद को आश्रय देते हैं, समर्थन देते हैं और धन देते हैं। तालिबान–पश्च स्थिति में अफगानिस्तान में भावी राजनीतिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।		चालू हालात में संयम बरतने को कहा तथा आतंकवाद के सभी कृत्यों की निन्दा की जिनमें जम्मू तथा कश्मीर विधान सभा पर हुआ हमला भी शामिल है।
6.	श्री अब्दुलाही इब्राहिम कानो राज्य के स्पीकर	नाइजीरिया	7 – 17 अक्तूबर, 2001	अध्ययन यात्रा	जी, नहीं	
7.	श्री जुगरेन क्रोबोग स्टेट सेक्रेटरी	जर्मनी	12 अक्तूबर, 2001	श्री क्रोबोग की विदेशमंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तथा विदेश सचिव के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान की भौगोलिक राजनैतिक स्थिति पर चर्चा की और आतंकवाद की महाविपदा पर विचार विमर्श किया।	जी, हां	उन्होंने अफगानिस्तान में उत्पन्न स्थिति पर निकट परामर्श बनाए रखने की जर्मन की इच्छा को व्यक्त किया।
8.	श्री इल्या क्लेबानोव रूसी परिसंघ के उपप्रधानमंत्री; व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय एवं सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध भारत–रूस अन्तर – सरकारी आयोग के सह–अध्यक्ष तथा सैन्य तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध भारत–रूस अन्तर–सरकारी के सह–अध्यक्ष	रूसी परिसंघ	14–16 अक्तूबर, 2001	इस यात्रा के दौरान 15 अक्तूबर, 2001 को भारत और रूस के बीच भारत–रूस अन्तर–सरकारी आयोग की अन्तर–सत्रीय समीक्षा बैठक हुई। भारतीय पक्ष की ओर से भारत–रूस अन्तर–सरकारी आयोग के अध्यक्ष वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा हैं। श्री क्लेबानोव ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भेंट की, उन्होंने विदेशमंत्री श्री जसवंत सिंह, रक्षा मंत्री तथा भारतीय पक्ष की सैन्य तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध भारत–रूस अन्तर–सरकारी आयोग के अध्यक्ष श्री जार्ज फर्नांडीस, प्रधानमंत्री के प्रधान	जी, हां	भारत और रूस दोनों ने इस बात की पुष्टि की कि सार्वभौम आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा है। आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग करना समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता के लिए अनिवार्य बन गया है। दोनों पक्षों का विश्वास है कि इस खतरे का मुकाबला व्यापक तथा दीर्घावधिक आधार पर किया जाना चाहिए और यह उनके विरुद्ध भी होना चाहिए जो आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, शरण देते हैं अथवा

1	2	3	4	5	6	7
				सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री बृजेश मिश्र से अलग–अलग बातचीत की।		सुरक्षित आश्रय देते हैं। भारत और रूसी परिसंघ का इस प्रकार की पद्धति की स्थापना करने में पूरा योगदान देने का इरादा है। वे इस सहमति से अग्रसर हुए कि किसी राजनीतिक, जातीय, धार्मिक, आर्थिक अथवा अन्य आधारों के अन्तर्गत आतंकवादी कृत्यों का कोई औचित्य नहीं है। आतंकवाद एक परम बुराई है; यह एक सार्वभौम महाविपदा है जिसका मिलजुल कर मुकाबला करना है। भारत और रूसी परिसंघ ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तथा नशीली दवाओं के गैर–कानूनी व्यापार का मुकाबला करने में भारत और रूसी परिसंघ के बीच सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी आधार को मजबूत बनाने के लिए अपने–अपने प्रयासों को जारी रखने तथा समन्वित करने के लिए अपना–अपना संकल्प दोहराया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध व्यापक अभिसमय के भारतीय प्रारूप का समर्थन व्यक्त किया।
9.	श्री लियोन्पो जिग्मी वाई थिन्ले विदेश मंत्री	भूटान	15–22 अक्तूबर, 2001	वे "भूटान की जीवन्त धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराएं" नामक भूटानी प्रदर्शनी के	जी, हां	गणमान्य व्यक्ति ने आतंकवाद के किसी भी स्वरूप का विरोध करने के हमारे विचारों

1	2	3	4	5	6	7
				उद्घाटन के सिलसिले में भारत की यात्रा पर आए।		का समर्थन किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के लिए भारत की पहल के लिए समर्थन व्यक्त किया।
10.	श्री कोलिन पोवेल अमरीकी विदेश मंत्री	अमरीका	16–17 अक्तूबर, 2001	आतंकवाद के विरुद्ध सार्वभौम अभियान पर चर्चा हुई जिसमें अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाइयां, पश्च–तालिबान राजनीतिक ढांचा तथा आपसी हित–चिन्ता के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसले शामिल हैं।	जी, हां	गणमान्य व्यक्ति भारत द्वारा लिए गए पक्ष पर सहमत हुए।
11.	श्री वी. आई. त्रुबुनिकोव, रूसी परिसंघ के प्रथम विदेश उपमंत्री	रूसी परिसंघ	18–19 अक्तूबर, 2001	श्री त्रुबुनिकोव ने अफगानिस्तान से सम्बद्ध भारत–रूस संयुक्त कार्यकारी दल (जे डब्ल्यू जी) के तीसरे सत्र के लिए भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जे डब्ल्यू जी की बैठक में भारतीय पक्ष की ओर से सह–अध्यक्ष श्रीमती चोकिला अय्यर, विदेश सचिव के साथ सह–अध्यक्षता की। वे गृहमंत्री, विदेशमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मिले। अफगानिस्तान से सम्बद्ध जे डब्ल्यू जी की समाप्ति पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था।	जी, हां	भारत और रूस दोनों ने इस की पुष्टि की कि सार्वभौम आतंकवाद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिए खतरा है और इस बुराई से निरन्तर लड़ने के लिए अपने संकल्प को दोहराया।
12.	श्री नन्द कुमार बोधा पर्यटन मंत्री	मारीशस	18–24 अक्तूबर, 2001	भारतीय उद्योग परिसंघ की बैठक।	जी, हां	
13.	श्री एलन लारसन अमरीका के आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों से सम्बद्ध अंडर सेक्रेटरी आफ स्टेट	अमरीका	20 अक्तूबर, 2001	अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाइयों सहित आतंकवाद के विरुद्ध सार्वभौमिक अभियान, तालिबान के बाद के राजनीतिक स्वरूप और आपसी हित–चिन्ता के	जी, हां	गणमान्य व्यक्ति भारत के पक्ष से सहमत हुए।

1	2	3	4	5	6	7
				द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा हुई थी।		
14.	श्री योसिरोमारी जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री जे. कोइजूमी के विशेष दूत के रूप में भारत की यात्रा की।	जापान	28–30 अक्तूबर, 2001	उन्होंने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षामंत्री से मुलाकात की। श्री मोरी हमारे प्रधानमंत्री को सम्बोधित कोइजूमी का एक पत्र लाए थे जिसमें आतंकवाद के विरुद्ध अपने अभियान में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत सरकार के सहयोग की प्रशंसा की गई थी; 1 अक्तूबर, 2001 को श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले के लिए संवेदना व्यक्त की गई थी और भारत द्वारा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बद्ध व्यापक अभिसमय के लिए समर्थन किया गया था। प्रधानमंत्री ने मोरी को बताया कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई एक सार्वभौमिक लड़ाई है और भारत ने गठबंधन के लिए पूर्ण समर्थन का प्रस्ताव किया है। उन्हें बताया गया कि तालीबान शासन द्वारा आतंकवाद के समर्थन से भारत पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। तालीबानोन्तर परिदृश्य में, एक व्यापक आधार वाली सरकार बनेगी जिसमें विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों का न्यायोचित प्रतिनिधित्व होगा। प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने सूचित किया कि भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में पूर्णतः भाग लेगा। गृहमंत्री ने प्रस्तावित किया कि भारत और जापान आतंकवाद से संबद्ध एक संयुक्त	हां	श्री मोरी ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भारत सरकार के सहयोग के लिए सराहना व्यक्त की; और कहा कि जापान इस क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग का इच्छुक है। श्री मोरी ने 1 अक्तूबर, 2001 को श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले की भी निन्दा की।

1	2	3	4	5	6	7
				कार्य समूह का गठन और आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता से संबद्ध एक करार भी संपन्न कर सकते हैं। उन्होंने हमारे सुझावों पर गौर किया और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सहमत हुए। प्रधान मंत्री ने संघर्ष पश्च अफगानिस्तान के भारत की संकल्पना के संबंध में 27 अक्तूबर, 2001 को जपान के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है।		
15.	श्री गेराड श्रोडर, जर्मन चांसलर	जर्मनी	28–31 अक्तूबर, 2001	चांसलर श्रोडर एक सरकारी यात्रा पर आए थे जिसके दौरान उन्होंने राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति के साथ विचार–विमर्श किया। इस विचार विमर्श का मुख्य आकर्षण अफगानिस्तान की स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की महाविपत्ति था। उनके साथ आए आंतरिक मंत्री श्री ओटो शिली और गृह मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध उपायों और रणनीतियों पर चर्चा की। हमने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध एक संयुक्त कार्य समूह के रूप में गहन परामर्श बनाए रखने संबंधी आवश्यकता पर बल दिया। हमने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध भारत के मसौदा व्यापक अभिसमय के लिए जर्मनी से समर्थन भी मांगा।	हां	जर्मनी नेतृत्व ने अपने इस दृष्टिकोण को दोहराया कि जर्मनी अमरीका या कश्मीर में आतंकवादी कृत्यों के बीच किसी प्रकार का अन्तर नहीं करेगा। जर्मनी ने मौजूदा स्थिति में भारत के संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया।
16.	श्री हूबट वेड्रिन, विदेश मंत्री	फ्रांस	1 नवम्बर, 2001	इस यात्रा के दौरान, अफगानिस्तान के भविष्य, पाकिस्तान की स्थिति और	हां	फ्रांसीसी मंत्री ने उभरती हुई स्थिति में भारत के संयमित दृष्टिकोण की सराहना की थी।

1	2	3	4	5	6	7
				अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती पर चर्चा हुई थी। दोनों नेताओं ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने और इस मसले पर घनिष्ठ सहयोग बनाने की अपनी–अपनी वचनबद्धता दोहरायी। भारत ने जनरल मुशर्रफ के साथ आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई मे पश्चिम के शामिल होने पर चिन्ता व्यक्त की।		
17.	श्री जार्ज ए. पपनड्रू, विदेश मंत्री	यूनान	2 नवम्बर, 2001	उन्होंने अमरीका में 11 सितम्बर के आतंकवादी हमलों के पश्चात की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर और अफगानिस्तान में भावी राजनैतिक संरचना के गठन पर भी विदेशमंत्री के साथ विचार–विनिमय किया। विदेशमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि आतंकवाद के विरुद्ध मौजूदा गठबंधन को आतंकवाद की जड़ को खत्म करना चाहिए और अपने आपको अल कायदा नेटवर्क तक सीमित नहीं रखना चााहिए।	हां	भारत और यूनान इस बात पर सहमत हुए कि अफगानिस्तान में भावी सरकार व्यापक आधार वाली और अफगानिस्तान के लोगों की प्रतिनिधि होनी चाहिए। यूनान के विदेश मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत सीमा–पार आतंकवाद का एक दीर्घकालिक शिकार होता रहा था और आतंकवाद को कुचलने तथा दमन करने की आवश्यकता है जहां कहीं भी और जिस रूप में भी जहां वह विद्यमान है।
18.	श्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड, यू. एस. सेक्रेटरी आफ डिफेंस	यू. एस. ए.	4 – 5 नवम्बर, 2001	अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई, तालीबानोन्तर राजनैतिक संरचना और परस्पर हित–चिन्ता के व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों सहित आतंकवाद के विरुद्ध सार्वभौमिक अभियान पर चर्चा हुई थी।	हां	प्राधिकारी भारत द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर सहमत हुए।
19.	सुश्री मेरी रोबिन्सन, मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर	यू. एन.	15–19 नवम्बर, 2001	एच सी एच आर का दौरा एक द्विपक्षीय स्वरूप का नहीं था, तथापि, वे माननीय राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, विधि,	भारत के आतंकवाद के मसले पर दृष्टिकोण को उनके भारतीय	एच सी एच आर ने हमारी हितचिन्ताओं पर गौर किया, सीमा–पार आतंकवाद के फलस्वरूप भारत में मारे गए व्यक्तियों और पेश आ रही

1	2	3	4	5	6	7
				न्याय और कंपनी मामले मंत्री तथा मुख्य न्यायाधीश से मिलीं। उन्होंने डा. नजमा हेपतुल्ला, राज्य सभा उप–सभापति और उन अन्य सांसदों जो मानवाधिकार मसलों में रुचि रखते हैं, से भी मुलाकात की। आतंकवाद उनकी विभिन्न मुलाकातों/बैठकों के दौरान चर्चा का एक विषय था, तथापि, मानवाधिकारों पर स्वयं अधिक ध्यान दिया गया, विशेषरूप से इस वर्ष अगस्त–सितम्बर में डर्बन में संपन्न नस्लवाद के विरुद्ध विश्व सम्मेलन के संदर्भ में तथा समाज के वंचित लोगों और महिलाओं तथा बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारों पर अधिक ध्यान दिया गया, चूंकि एच सी एच आर के कार्यक्रम में उनके कार्यालय द्वारा आयोजित तथा भारत की मेजवानी में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबद्ध न्यायसंगतता पर न्यायधीशों के लिए एक कार्यशाला भी शामिल थी।	वार्ताकारों द्वारा एच सी एच आर को संप्रेषित किया था।	निरर्थक हिंसा पर सहानुभूति व्यक्ति की, और हमारी विधियों की सीमाओं के भीतर, अपने नागरिकों के जीवन के लिए मूल मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए हमारे दृढ़ निश्चय की सराहना की।
20.	श्री कोला बी. जमोडू, उद्योग मंत्री	नाइजीरिया	22 नवम्बर, 2001	उद्योग संबंधी मामले	नहीं	

कुडनकुलम परियोजना

1638. श्री पी. डी. एलानगोवन :

श्री वी. वेत्रिसेलवन :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री जी. एस. बसवराज :

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

श्री एम. दुराई :

श्री तिरुनावकरसू :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस तमिलनाडु के कुडनकुलम

में प्रस्तावित नाभिकीय ऊर्जा परियोजना की लागत पर अंततः सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या संयंत्र में अन्तनिर्मित पर्याप्त सुरक्षोपायों के लिए कोई मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस परियोजना के लिए स्वदेशी और आयातित प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले जहां संयंत्र को स्थापित किया जाना है, में आवास, अस्पताल और पीने के पानी जैसी न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुरोध किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 13,171 करोड़ रुपए की लागत पर कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना (यूनिट एक तथा दो) के प्रगत लाइट वाटर रिएक्टरों 2x1000 के निर्माण के लिए वित्तीय संस्वीकृति दे दी जिसमें 1 : 1 के ऋण इक्विटी अनुपात में रूसी ऋण और भारतीय वित्त पोषण शामिल है, जिसमें रूसी ऋण को कर्ज मानते हुए इक्विटी सरकारी बजटीय सहायता के रूप में होगी।

(ग) कुडनकुलम परियोजना का निर्माण–कार्य शुरू करने की निर्धारित तारीख मई, 2002 है। आवश्यक आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है और वह प्रगति पर है।

(घ) और (ङ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए ई आर बी) ने कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना के निर्माण की अनुमति दे दी है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यह सुनिश्चित करने कि सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं, के बाद ही विभिन्न चरणों पर नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने के लिए संस्वीकृति जारी करता है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत परियोजना का डिजाइन उपयुक्त, विश्वसनीय और विविध सुरक्षा प्रणालियों से युक्त है और इसमें अतिरिक्तत विशिष्टताओं को समाविष्ट किया गया है।

(च) रूसी संगठन संयंत्र का पूर्ण डिजाइन तैयार करेगा और पूरे संयंत्र के लिए सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति भी करेगा। भारतीय पक्ष पर आधारभूत सुविधाओं का डिजाइन तैयार करने और उन्हें विकसित करने, संयंत्र का निर्माण करने, उसे स्थापित, कमीशन, प्रचालित करने और उसका अनुरक्षण करने की जिम्मेदारी है।

(छ) और (ज) मानक प्रक्रिया के अनुसार, सभी आवश्यक सुविधाओं जिनमें अस्पताल, पानी की सप्लाई, शिक्षा आदि शामिल हैं, सहित एक पूरी टाउनशिप की योजना है। ये सुविधाएं संयंत्र के निर्माण के दौरान तथा बाद में उसके प्रचालन और अनुरक्षण के दौरान आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों का ब्यौरा

1639. श्री रामानन्द सिंह : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सतना जिले में सरकार द्वारा चलाई जा रही लघु उद्योग इकाइयों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय बाध्यताओं के कारण बंद हुई या बंद होने के कगार पर पहुंची लघु उद्योग इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इन लघु उद्योगों पर निगरानी रखती है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) लघु उद्योग इकाइयां अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की जाती हैं। सरकार की भूमिका इनके संवर्धन और विकास में सहायता करने की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा सतना जिले में कोई लघु उद्योग इकाई स्थापित नहीं कि गई है।

(ख) और (ग) बंद इकाइयों पर सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित रुग्ण इकाइयों पर डाटा संगृहीत करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संगृहीत नवीनतम डाटा के अनुसार मार्च, 2000 के अंत तक मध्य प्रदेश राज्य में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 6072 थी। सरकार लघु उद्योग इकाइयों के मध्य औद्योगिक रुग्णता की घटना से पूरी तरह अवगत है, और इसने संभाव्य जीवनक्षम इकाइयों की समय पर पहचान करने और उनके पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अन्तर्संस्थानिक समितियों (एस. एल. आई. आई. सी.) के रूप में संस्थानिक तंत्र, बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास सेल और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पात्र इकाइयों के लिए पुनर्वास सहायता में विस्तार करने हेतु जारी किए गए विस्तृत दिशा–निर्देश भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़ा वर्ग/अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित व्यक्तियों का योग्यता के आधार पर चयन

1640. श्री भान सिंह भौरा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) के व्याख्यात्मक विवरण के पैरा 11 के अंतर्गत योग्यता के आधार पर चयनित अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधित व्यक्तियों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में दर्शाना अपेक्षित नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. और पिछड़ा वर्ग से संबंधित ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो विभिन्न सेवा–श्रेणियों में योग्यता के आधार पर चयनित भर्ती/पदोन्नत हुए और उनकी गणना उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं की गई; और

(ग) ऐसे कितने उदाहरण हैं जिनमें उक्त अवधि के दौरान, उक्त श्रेणियों से संबंधित प्रत्याशियों को चयनित तो योग्यता के आधार पर किया गया, किंतु जिनके नाम के उल्लेख का समायोजन उनके समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के लिए कर दिया गया और इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय का विभाजन होने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थापना की गई थी और स्टाफ का औपचारिक विभाजन 1.6.2001 से ही किया जा सका। अतः मंत्रालय के संबंध में सूचना शून्य है।

[हिन्दी]

लम्बित योजना

1641. श्री महेश्वर सिंह :
श्री रामदास आठवले :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास राज्य–वार विशेषतः महाराष्ट्र की कितनी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को दिल्ली सरकार की ओर से इन परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (च) राज्यों की वार्षिक योजनाओं में प्रस्तुत परियोजनाओं को राज्यों के साथ योजना आयोग में वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान विचार–विमर्श के बाद अन्तिम रूप दिया जाता है। कुछ सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए निवेश/क्षमता की दृष्टि से योजना आयोग का भी अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित है। महाराष्ट्र या दिल्ली सरकार अथवा किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तावित ऐसी कोई भी परियोजना योजना आयोग में अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

संघ लोक सेवा आयोग

1642. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति ने सिविल सेवा भर्ती में कमियां पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने भर्ती–प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न सुझावों की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) संघ लोक सेवा आयोग (यू. पी. एस. सी.), अन्य बातों के साथ–साथ, विभिन्न सेवाओं की आवश्यकताएं ध्यान में रखते हुए, परीक्षा–प्रणाली में और सुधार लाने की दृष्टि से, सिविल सेवा–परीक्षा की योजना की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर विशेषज्ञ–समितियां नियुक्त करता है। मौजूदा समीक्षा की आवश्यकता, प्रशासनिक परिवेश में आए बदलावों, उदारीकरण, वैश्वीकरण, प्रौद्योगिक उन्नति तथा देश और नौकरशाही की बदलती भूमिका के कारण पड़ी है। यह उद्देश्य ध्यान में रखते हुए, सिविल सेवा–परीक्षा की मौजूदा योजना कीं व्यापक समीक्षा किए जाने की दृष्टि से, उपर्युक्त आयोग द्वारा जुलाई 19, 2000 को प्रोफेसर वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय विशेषज्ञ–समिति गठित की गई। उपर्युक्त समिति ने उपर्युक्त आयोग को अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 22, 2001 को पेश कर दी। परीक्षा की मौजूदा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने के पश्चात् उपर्युक्त समिति ने सिविल सेवाओं में भर्ती के तरीकों में सुधार लाने के उपायों और सेवा में प्रवेश के समय प्रशिक्षण आदि जैसे संबद्ध मुद्दों के बारे में कई सिफारिशें की हैं। इस समय, संघ लोक सेवा आयोग, उपर्युक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार कर रहा है। इस बारे में सरकार को अभी तक संघ लोक सेवा आयोग से कोई भी प्रस्ताव विशेष प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

दूरसंचार-जिले

1643. श्री राजो सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार, राज्य–वार कितने दूरसंचार–जिले हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रत्येक राजस्व–जिले में नए दूरसंचार–जिले बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य–वार दूरसंचार–जिलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	दूरसंचार–जिलों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	1
2.	आंध्र प्रदेश	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	7
5.	बिहार	17
6.	छत्तीसगढ़	6
7.	दिल्ली	1
8.	गोवा	1
9.	गुजरात	18

1	2	3
10.	हरियाणा	9
11.	हिमाचल प्रदेश	6
12.	जम्मू और कश्मीर	5
13.	झारखंड	6
14.	कर्नाटक	19
15.	केरल	11
16.	मध्य प्रदेश	34
17.	महाराष्ट्र	30
18.	मणिपुर	1
19.	मेघालय	1
20.	मिजोरम	1
21.	नागालैंड	1
22.	उड़ीसा	12
23.	पंजाब	11
24.	राजस्थान	24
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	18
27.	त्रिपुरा	1
28.	उत्तरांचल	6
29.	उत्तर प्रदेश	49
30.	पश्चिम बंगाल	14

[अनुवाद]

डाक पत्रों पर एकाधिकार

1644. श्रीमती मिनाती सेन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पत्र डाक सेवा से अपना एकाधिकार समाप्त करने और इसे व्यापार विभाग में अलग–अलग निदेशालय को देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अपने सामाजिक चरित्र को किस प्रकार बनाए रखने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चेन्नई पत्तन न्यास पर बेकार पड़ी क्रेन

1645. डा. डी. वी. जी. शंकर राव : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चेन्नई पतन न्यास के लिए 27.10 करोड़ रुपये की लागत से तीन बड़ी क्रेनें खरीदी गई थीं जो बेकार पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं और इन क्रेनों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इन महंगी क्रेनों की खरीद के कारणों का पता लगाने और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए किसी जांच का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) चेन्नई पत्तन न्यास ने तैयार उर्वरक और उर्वरक की कच्ची सामग्री के आयात को सुकर बनाने के लिए तीन नई क्रेनें खरीदकर पुरानी क्रेनों के स्थान पर स्थापित किया था और उन्हें जवाहर गोदी की बर्थों पर लगाया था जहां कोयला भी हैंडल किया जाता है। क्रेनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि तैयार उर्वरक, कच्चा उर्वरक, खाद्यान्न, तराशे हुए पत्थरों, स्फटिक आदि के लिए स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता होती है। कोयला हैंडलिंग प्रचालनों को जवाहर गोदी बर्थों से इन्नौर को स्थानान्तरित किया जाना है।

बच्चों में आयोडीन और विटामिन ए की कमी

1646. **श्री अनादि साहू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो ने उड़ीसा में कम आमदनी वाले वर्ग के बच्चों में कुपोषण के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्वेक्षण में बच्चों में आयोडीन और विटामिन ए की कमी का उल्लेख किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कुपोषण के शिकार बच्चों को पोषक आहार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय पोषण मानिटरिंग ब्यूरो ने उड़ीसा में शहरी स्लमों, ग्रामीण तथा जनजातीय बच्चों में नैदानिक पोषणिक अल्पता सहित आहार और पोषण सर्वेक्षण कराये हैं। मध्यम और गंभीर कुपोषण जनजातीय बच्चों में सर्वाधिक था जिसके बाद ग्रामीण बच्चों और शहरी स्लमों के बच्चों में था।

(ग) विटामिन 'ए' की कमी की व्याप्तता शहरी स्लमों में 2.5 प्रतिशत और जनजातीय बच्चों में 0.1 प्रतिशत सूचित की गई थी।

(घ) देश में बच्चों की पोषणिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय कर रही है :

- बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन;
- आय पैदा करने वाली स्कीमों के माध्यम से लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाना;
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती कीमत पर अनिवार्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता;
- जागरूकता बढ़ाने और स्तनपान को बढ़ावा देने सहित आहार संबंधी आदतों में वांछित बदलाव लाने के लिए पोषण शिक्षा।

(i) समेकित बाल विकास सेवा योजना

(ii) विशेष पोषण कार्यक्रम

(iii) बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम

(iv) गेहूं आधारित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम

(v) प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना

(vi) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जैसे अनुपूरक आहार कार्यक्रम

- विशिष्ट पोषण अल्पता विकार निवारण कार्यक्रम;

(क) राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम;

(ख) प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विटामिन 'ए' की कमी के कारण हुए विकारों का रोग निरोधन और लौह अल्पता के कारण हुई पोषणिक रक्ताल्पता;

(ग) सूक्ष्म पोषक कुपोषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शी परियोजना जैसे अनुपूरक आहार कार्यक्रम।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों में संलिप्त गैर-सरकारी संगठन

1647. **श्री एस. अजय कुमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 1 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1486 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने में संलिप्त गैर–सरकारी संगठनों से संबंधित राज्यवार जानकारी एकत्रित कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) सूचना वृहत स्वरूप की होने के कारण इसे एकत्र करने में समय लगा है और संकलन के पश्चात् इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

मादा भ्रूण की हत्या

1648. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :**

श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री जी. एस. बसवराज :

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य मादा भ्रूण हत्याओं को रोकने में विफल हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि प्रशासन की ओर से प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 1994 को कार्यान्वित करने में पूरी तरह लापरवाही बरती गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4 मई, 2001 के अपने आदेश में यह कहा है कि प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा बहुत हद तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। तदनुसार, न्यायालय ने केन्द्र सरकार, केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एवं उपयुक्त प्राधिकारियों के लिए कुछ निर्देश जारी किए।

माननीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्देश दिया कि केन्द्र सरकार को प्रसव–पूर्व लिंग निर्धारण तथा कन्या भ्रूणहत्या के प्रचलन के विरुद्ध जन–जागरूकता पैदा करनी चाहिए। इस अधिनियम को पूरी शक्ति एवं उत्साह के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उपयुक्त प्राधिकारियों की सहायता करने एवं उन्हें सलाह देने के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित सलाहकार समिति की दो बैठकों के बीच की अवधि 60 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक की छह महीनों में कम–से–कम एक बार होनी चाहिए। सरकार को केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड में उन व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए वास्तविक रूप से समय निकाल सकते हैं। केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं इसे मानीटर करना चाहिए। इसे सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को इस अधिनियम के कार्यान्वयन एवं कार्यकरण पर निम्नलिखित सूचना वाले तिमाही विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करने चाहिए :

1. अल्ट्रासाउन्ड मशीनों का प्रयोग करने वाले निकायों सहित जेनेटिक काउंसेलिंग केन्द्रों, जनेटिक प्रयोग–शालाओं तथा जेनेटिक क्लिनिकों का सर्वेक्षण।
2. उपर्युक्त निकायों का पंजीयन।
3. इस अधिनियम के उल्लंघन में प्रचालित गैर–पंजीकृत निकायों की तलाशी एवं रिकार्डों की जब्ती सहित की गई कार्रवाई।
4. इस अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायतें तथा उनके अनुसरण में की गई कार्रवाई।
5. जागरूकता अभियानों की संख्या एवं उनका स्वरूप तथा उनसे प्राप्त किए गए परिणाम।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड को इस अधिनियम के कार्यान्वयन में सामना की जा रही कठिनाइयों एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता की जांच करनी चाहिए। इस बोर्ड को चिकित्सा व्यावसायिक निकायों/संघों से भी प्रसव–पूर्व लिंग निर्धारण तथा कन्या भ्रूण हत्या के प्रचलन के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने की अपेक्षा रखनी चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में उपयुक्त प्राधिकारियों की सूची प्रकाशित करनी चाहिए तथा विज्ञापनों, प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, विज्ञापन पट्टियों (हार्डिंग) तथा अन्य उपयुक्त साधनों के जरिए प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण तथा कन्या भ्रूणहत्या के प्रचलन के विरुद्ध जन–जागरूकता पैदा करनी चाहिए।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला तथा उप–जिला स्तरों पर पूरी तरह से अधिकार संपन्न उपयुक्त प्राधिकारी तथा सलाहकार समितियां नियुक्त की जानी चाहिए।

उपयुक्त प्राधिकारियों को इस अधिनियम के उल्लंघन में विज्ञापन देने वाले किसी व्यक्ति अथवा विधिमान्य प्रमाण–पत्र के बिना प्रचालन करने वाले निकायों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए तथा तिमाही विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(घ) प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994/नियमों तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्रवाइयां/कार्यकलाप किए गए हैं

(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी राज्यों. तथा संघ राज्य क्षेत्रों में उपयुक्त प्राधिकरण एवं सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं।

(2) अधिकतर बड़े राज्यों में जिला तथा उप-जिला स्तर पर उपयुक्त प्राधिकरण तथा सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं।

(3) केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने इस अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के निरीक्षण के लिए दो उप-समितियां, दो समूह तथा एक कार्यान्वयन एवं मानीटरिंग दल भी गठित किया है।

(4) तकनीकी उप-समितियों ने इस अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन में अनुभव की गई कठिनाइयों तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम/नियमों के संशोधनों को अन्तिम रूप दिया है।

(5) कन्या भ्रूणहत्या की बुराई के उन्मूलन के लिए अधिनियम/नियमों के उपबंधों, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बारे में जन-जागरूकता पैदा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, मेडिकल संघों तथा अन्य निकायों की सहायता भी ली जा रही है।

(6) अधिनियम/नियमों के उपबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

(7) प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, विज्ञापन पट्टियों तथा अन्य साधनों के जरिए जन-जागरूकता भी पैदा की जा रही है।

(8) अधिनियमों/नियमों के उपबंधों कार्यान्वयन के लिए डाक्टरों की सहायता एवं सहयोग बढ़ाने के लिए देश भर के दो लाख से अधिक डाक्टरों को लिखा गया है।

मां से बच्चे को एच आई वी संक्रमण होना

1649. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मां से बच्चे को एच आई वी संक्रमण होने के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र सहायता और अन्य चिकित्सीय संस्थाओं की संस्तुतियां और टिप्पणियां क्या हैं;

(ख) क्या ये टिप्पणियां सरकार को स्वीकार्य हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रति व्यक्ति इसके उपचार पर कितनी लागत आती है; और

(ङ) इस उपचार की प्रभावशीलता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएनएडस और अन्य चिकित्सा संस्थाओं ने पाया है कि मां से बच्चे को होने वाला एच आई वी संक्रमण लगभग एक-तिहाई एच आई वी संक्रमित गर्भवती माताओं में गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर स्तनपान के माध्यम से हो सकता है। इन संगठनों, संस्थाओं ने संस्तुति की है कि मां से बच्चे में होने वाले संचरण के लिए बचाव कार्यक्रम देशों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चलाए जाने चाहिए।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इसके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता के मूल्यांकन हेतु पांच उच्च व्याप्तता वाले राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और मणिपुर में अलग-अलग स्थानों पर ग्यारह संस्थाओं में मां से बच्चे को होने वाले संचरण की रोकथाम पर मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की हैं।

(घ) और (ङ) मां से बच्चे में होने वाले संचरण को रोकने के लिए रोगनिरोधन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले एन्टी रिट्रोवायरल औषध की प्रति व्यक्ति लागत अलग-अलग होती है। संचरण को रोकने में ऐसे उपचार-विधानों की क्षमता लगभग 50 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

कम्प्यूटर विनिर्माण इकाइयां

1650. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स (आई. बी. एम.) कम्पनी को देश में, विशेषतः महाराष्ट्र में कम्प्यूटर विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान देश में राज्य–वार विशेषतः महाराष्ट्र में स्थापित की जाने वाली आई. बी. एम. कम्प्यूटर इकाइयों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) मैसर्स आईबीएम वर्ल्ड ट्रेड कार्पोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका को औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय द्वारा इनपुट तथा आउटपुट युक्तियों, नेटवर्क उत्पाद सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण सेवाओं सहित कम्प्यूटर प्रणालियों के विनिर्माण, विपणन और निर्यात के लिए टाटा इन्डस्ट्रीज एण्ड एसोसिएट्स के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन करने के लिए दिनांक 25 अक्टूबर, 1991 को अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रस्तावित स्थापना–स्थल दिल्ली/कर्नाटक राज्य है, जिसके आधार पर कम्पनी की स्थापना बंगलौर में की गई है।

(ग) महाराष्ट्र में पिछले दो वर्षों के दौरान आईबीएम के सहयोग से किसी कम्प्यूटर इकाई की स्थापना नहीं की गई है। आईबीएम के साथ किए गए अन्य सहयोगों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

आईबीएम के साथ सहयोग की सूची

क्र.सं.	पंजीकरण की तिथि	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेश सहयोगकर्त्ता का नाम
1.	9/9/90	टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	आईबीएम वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, सं. रा. अ.
2.	17/4/97	टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा इन्फो, बंगलौर	आईबीएम वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, सं. रा. अ.
3.	10/9/90	टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	आईबीएम वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, सं. रा. अ.
4.	1/1/99	आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्रा. लि., बंगलौर	आईबीएम वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, सं. रा. अ.
5.	18/4/97	आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली	आईबीएम वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, सं. रा. अ.
6.	19/4/97	आईबीएम ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली	आईबीएम वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, सं. रा. अ.
7.	31/8/91	आईबीएम इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	आईबीएम वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, सं. रा. अ.
8.	27/8/91	आईबीएम इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	आईबीएम, संयुक्त राज्य अमेरिका

[अनुवाद]

दूरसंचार और डाक विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

1651. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तमिलनाडु क्षेत्र में दूरसंचार और डाक विभाग के बड़े क्षेत्रफल की भूमि पर अतिक्रमण हो रखे हैं और अवैध तरीके से लोग इन पर अधिकार जमाए हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी भूमियों को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) (1) तमिलनाडु क्षेत्र में दूरसंचार विभाग की किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही अवैद्य तरीके से लोग इन पर अधिकार जमाए हुए हैं।

(2) तथापि, तमिलनाडु क्षेत्र में डाक विभाग की भूमि के 8 प्लाटों के कुछ भाग पर अतिक्रमण हुआ है और इस पर अवैध तरीके से लोगों द्वारा अधिकार जमाया हुआ है जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण "क" में दिए गए हैं।

(ग) डाक प्राधिकारियों ने इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु राज्य के संबंधित प्राधिकारियों को लिखा है। प्रत्येक मामले में डाक विभाग द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी ब्यौरे उसी विवरण के कालम सं. (4) में दिए गए हैं।

विवरण

भूमि के अतिक्रमण और डाक विभाग द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी विवरण

क्र.सं.	नाम	जिला	अतिक्रमण का स्वरूप	जिस तारीख से अतिक्रमण है, की गई कार्रवाई तथा मामले की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5
1.	कड्डलोर बीच रोड	कड्डलोर	पड़ोसी द्वारा अतिक्रमण किया गया है।	इस मामले को जिला राजस्व अधिकारी कड्डलोर के साथ उठाया गया है, अभी स्थान खाली करवाया जाना है।
2.	कोवाइपुदुर	कोयम्बटूर	स्थल के कोने में एक मंदिर का निर्माण किया गया है।	5.6.96 से। इस मामले को निपटाने हेतु तहलसीलदार को निर्देश देने के लिए कोयम्बटूर के जिलाधीश को लिखा गया है।
3.	सांगानूर	कोयम्बटूर	भूस्वामी के स्वामित्व वाले टायलों से निर्मित मकान को खाली नहीं किया गया है।	1997 से। अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति को हटाने हेतु अपेक्षित कदम उठाने के लिए राजस्व मंडलीय अधिकारी को लिखा गया है। उससे सम्पर्क किया गया है। एस एस पी, कोयम्बटूर राजस्व मंडलीय अधिकारी, कोयम्बटूर के सम्पर्क से इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं।
4.	कृष्णागिरी	धर्मापुरी	झोंपड़ियां डाल कर अनधिकृत अतिक्रमण किया हुआ है।	9.02.96 से अतिक्रमण हटाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करने के लिए 27.11.2000 और 5.3.2001 को जिलाधिकारी को भी लिखा है। कार्रवाई हेतु प्रयास जारी हैं।
5.	धर्मापुरी	धर्मापुरी	विभागीय स्थल पर एक प्राइवेट पार्टी द्वारा 8 मीटर लंबी अहाते की दीवार का निर्माण किया गया है।	27.1.99 से। डाकघर अधीक्षक, धर्मापुरी द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई है।
6.	अलायमपट्टी	सलेम	ऐसबेसटास की नालीदार	मई 93 से।

1	2	3	4	5
			चादर/फूस की छत वाली पत्थर की इमारत का निर्माण।	अतिक्रमण हटाने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए जिलाधीश द्वारा आश्वासन दिया गया है।
7.	अतुर	सलेम	स्थल के परिसर में स्थित टाइल से निर्मित स्कूल की दो इमारतों को खाली करवाना है।	जून 97 से। अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति द्वारा न्यायालय में दायर किए गए मामले को 6.10.99 को निरस्त किया गया। न्यायालय के निर्णय की प्रति राजस्व मंडलीय अधिकारी से जनवरी 2001 के दौरान ही प्राप्त हुई है। अतिक्रमण हटाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करने के लिए राजस्व मंडलीय अधिकारी प्राधिकरण को लिखा गया है।
8.	एलमपिल्ला	सलेम	पक्की इमारत का निर्माण करके तीन पार्टियों द्वारा अतिक्रमण।	1980 से। डाकघर अधीक्षक, सलेम पश्चिम प्रभाग स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

बेरोजगार व्यक्तियों का पुनर्वास

1652. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन 80 लाख व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार कर रही है जो रुग्ण छोटी औद्योगिक इकाइयों के बंद हो जाने के कारण अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) बंद इकाइयों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। भारतीय रिजर्व बैंक जो लघु उद्योगों (एस एस आईज) में रुग्णता पर आंकड़े इकट्ठे करता है, बंद लघु उद्योगों और उनके कामगारों पर आंकड़े नहीं रखता। सरकार को लघु उद्योग इकाइयों में औद्योगिक रुग्णता की समस्या की पूरी जानकारी है और उसने संभाव्य जीवनक्षमता वाली रुग्ण इकाइयों की समय पर पहचान करने और उनके पुनर्वास हेतु विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य स्तरीय अन्तर्संस्थानिक समितियों के रूप में संस्थानिक तंत्र, बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थानों में विशेष पुनर्वास सेल और पात्र इकाइयों को पुनर्वास सहायता में विस्तार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विस्तृत दिशानिर्देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से और घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु सरकार ने एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है जिसमें अन्यों के साथ-साथ शामिल हैं, बढ़ी हुई राजकोषीय और ऋण सहायता, बेहतर आधारभूत और विपणन सुविधाएं और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन।

[हिन्दी]

आरक्षण संबंधी कार्यालय-ज्ञापन

1653. श्री रतन लाल कटारिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण और पदोन्नति संबंधी पांच कार्यालय-ज्ञापन वापस ले लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इन कार्यालय–ज्ञापनों को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग ने अपने दो कार्यालय–ज्ञापनों अर्थात् दिनांक 29.08.1997 के कार्यालय–ज्ञापन संख्या 36012/5/97–स्था. (आर.) और दिनांक 22.07.1997 के कार्यालय–ज्ञापन संख्या 36012/23/96–स्था. (आर.) द्वारा जारी अनुदेश, अपने दिनांक 20.07.2000 के कार्यालय–ज्ञापन संख्या 36012/5/97–स्था. (आर.) खण्ड–II और दिनांक 03.10.2000 के कार्यालय–ज्ञापन संख्या 36012/23/96–स्था. (आर.) खण्ड–II द्वारा उपयुक्त रूप से आशोधित कर दिए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.01.1997 के कार्यालय–ज्ञापन संख्या 20011/1/96–स्था. (घ) में निहित प्रावधान, उपयुक्त रूप से आशोधित करने के क्रम में, भारत के संविधान में अपेक्षित संशोधन करने की दृष्टि से, सरकार ने लोक–सभा में एक विधेयक पेश कर दिया है।

यूनानी औषधियां

1654. श्री अनंत गुढे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. जी. एच. एस. के तहत यूनानी औषधालयों में औषधियां खरीदने की कोई प्रणाली नहीं है;

(ख) क्या लाभार्थियों को अनुपलब्ध यूनानी औषधियां उपलब्ध कराने का कोई तरीका है;

(ग) महाराष्ट्र में कितने यूनानी औषधालय हैं और ये किन–किन स्थानों पर हैं;

(घ) क्या यूनानी औषधियों की आपूर्ति के लिए औषधियों की स्थानीय खरीद की प्रणाली शुरू किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) इस संबंध में अन्य राज्यों में सी. जी. एच. एस. की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के साथ अनुमोदित दर संविदा के जरिए यूनानी औषध की खरीद के लिए प्रावधान है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना हैदराबाद, बैंगलूर तथा कोलकाता में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के साथ अनुमोदित दर संविदा वाली अनुमोदित फर्मों के जरिए यूनानी औषधों की पर्याप्त आपूर्ति है। इसलिए इन शहरों में यूनानी औषधों की कोई स्थानीय खरीद नहीं की जा रही है। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लखनऊ के मामले में औषधें जो यूनानी औषधालय में उपलब्ध नहीं हैं, की आपूर्ति लाभार्थियों को प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से खरीद के बाद की जा रही है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली में विज्ञापन देकर स्थानीय केमिस्टों की नियुक्ति के लिए पहले प्रयत्न किए गए थे किन्तु कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन यूनानी पद्धति के लिए स्थानीय केमिस्टों की नियुक्ति हेतु दूसरा प्रयत्न करने के लिए निर्णय लिया गया है जिसके लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(ग) महाराष्ट्र में कोई यूनानी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय नहीं है।

(घ) से (च) सूचना ऊपर (ख) में दी गई है।

टेलीफोन उपभोक्ता

1655. श्री रामजीलाल सुमन :
डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में संचार, विशेषतः दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए किए गए प्रयासों के बाद टेलीफोन उपभोक्ताओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सितंबर, 2001 के अंत में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं का राज्य–वार प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या यह प्रतिशत देश के प्रत्येक राज्य में अलग–अलग है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रतिशत में अंतर के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 2001 के अंत में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं का राज्यवार प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रतिशत में अंतर निम्नलिखित कारकों के कारण है :

(i) लोगों की वहन करने की क्षमता,

(ii) असमान जनसंख्या घनत्व, और

(iii) व्यावसायिक और वाणिज्यिक हित आदि।

विवरण

30.09.2001 की स्थिति के अनुसार राज्यवार टेलीफोन–घनत्व

क्र.सं.	राज्य	टेलीफोन–घनत्व
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार	8.69
2.	आंध्र प्रदेश	4.31
3.	अरुणाचल प्रदेश	3.81
4.	असम	1.49
5.	बिहार	0.85
6.	छत्तीसगढ़	1.12
7.	दिल्ली	19.66
8.	गोवा	12.01
9.	गुजरात	5.61
10.	हरियाणा	4.36
11.	हिमाचल प्रदेश	6.5
12.	जम्मू और कश्मीर	1.9
13.	झारखंड	1.19
14.	कर्नाटक	5.01
15.	केरल	8.08
16.	मध्य प्रदेश	2.18
17.	महाराष्ट्र	6.67
18.	मणिपुर	1.26
19.	मेघालय	2.09
20.	मिजोरम	4.4
21.	नागालैंड	1.75
22.	उड़ीसा	1.62
23.	पंजाब	7.45
24.	राजस्थान	2.62
25.	सिक्किम	5.14
26.	तमिलनाडु	6.31
27.	त्रिपुरा	1.9
28.	उत्तर प्रदेश	1.64
29.	उत्तरांचल	3.25
30.	पश्चिम बंगाल	2.53

टिप्पणी : झारखंड, छत्तीसगढ, उत्तरांचल, सिक्किम और उत्तर–पूर्व–II सर्किलों में निजी आपरेटरों द्वारा प्रदत्त स्थिर टेलीफोन कनेक्शनों और सेल फोनों के संबंध में स्थिति क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर–पूर्व–I में शामिल है।

[अनुवाद]

मिनी टूल रूम्स और प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु निधियां

1656. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से कर्नाटक में गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेन्टर के अधीन मिनी टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए निधियां जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार से कर्नाटक के हुबली में मिनी टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु मिनी टूलरूम स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(ग) स्कीम के स्वीकृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रस्ताव पूर्ण नहीं था और तदनुसार राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

भारतीय पत्रकारों को वीजा

1657. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पत्रकारों को अफगानिस्तान की घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए वीजा प्रदान करने हेतु पाकिस्तान से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अब तक कितने भारतीय पत्रकारों (प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, दोनों) को वीजा दिए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं को शामिल करने के लिए भारतीय पत्रकारों को वीसा प्रदान करने के प्रश्न को विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाया गया जिसमें इस्लामाबाद में हमारे उच्चायुक्त द्वारा पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ यह मामला उठाया जाना भी शामिल है।

(ख) और (ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार किसी भी भारतीय पत्रकार (भारतीय पासपोर्ट धारक) को 11 सितम्बर, 2001 के पश्चात पाकिस्तान सरकार द्वारा वीसा जारी नहीं किया गया।

[हिन्दी]

पासपोर्ट के लम्बित आवेदन

1658. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पटना के पासपोर्ट कार्यालय में लम्बित आवेदनों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिनांक 16.11.2001 की स्थिति के अनुसार पटना पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के लिए ऐसे केवल 40 आवेदन पत्र लंबित थे जिनके लिए ठीक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मिल चुकी थी और अन्य सभी कागजात पूरे थे।

(ग) पासपोर्ट के लिए आवेदनों में विलम्ब का मुख्य कारण स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्टों का नहीं मिलना होता है। पासपोर्ट अधिकारी पुलिस सत्यापन रिपोर्टों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकरणों के संपर्क में है।

[अनुवाद]

चेचक का जैविक हथियार के रूप में प्रयोग

1659. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेचक को जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने की आशंका के मद्देनर स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सावधान रहने की चेतावनी दी है;

(ख) क्या यह सच है कि चेचक एन्थ्रेक्स से भी अधिक खतरनाक और छूत वाला रोग है और इसको रोक पाना मुश्किल है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या ऐहतियाती उपाय कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) 1. चिन्हों और लक्षणों, प्रसार की संभावित विधि, उद्भवन अवधि, प्राणघातकता और वैक्सीनों की उपलब्धता, एंटि माइक्रोवायरल थिरेपी और उपचार के साथ-साथ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा तैयार किए गए हथियारों

के रूप में प्रयुक्त जैव कारकों की एक विस्तृत सूची सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य सेवा निदेशकों और केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों को परिचालित की गई है जिसमें उन्हें निम्नलिखित ऐहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है :

(i) आपाती आकस्मिकता के लिए अधिक से अधिक संख्या में बिस्तर निर्धारित करना।

(ii) यथासंभव अधिक से अधिक वैक्सीनों/सीरा/औषधों का स्टाक रखना।

(iii) समन्वित कार्रवाई के लिए डाक्टरों का एक विशेष दल गठित करना। उन्हें ऐसे हथियारों और उपचार उपायों के प्रभाव के संबंध में सुग्राही बनाया जाना चाहिए।

2. डेंगू, एंथ्रैक्स आदि जैसे जनस्वास्थ्य महत्व के हाल ही में प्रकट हो रहे रोगों के प्रबंधन (निदान, उपचार, सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप आदि) समीक्षा करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में दो विशेषज्ञ समूह बैठकें (1 और 17 अक्तूबर) आयोजित की गईं। देश के विभिन्न संगठनों से आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में जाने-माने विशेषज्ञों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली के विभिन्न सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के अध्यक्षों ने इस बैठक में भाग लिया और वर्तमान वैश्विक के बैकड्राप में जैव आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

3. स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर, 2001 को नई दिल्ली में जैव और रसायन आतंकवाद पर एक बैठक-सह-कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों, गृह सचिवों और स्वास्थ्य सेवा निदेशकों, देश के विभिन्न संगठनों के आयुर्विज्ञान के क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञों और दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों के अध्यक्षों ने भाग लिया और विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। राज्यों के प्रतिनिधियों ने उनके द्वारा किए गए तैयारी संबंधी उपायों के बारे में जानकारी दी और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधों की उपलब्धता का आश्वासन दिया।

(ख) और (ग) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन पुष्टि करता है कि यदि चेचक का प्रकोप होता है तो उसकी रोकथाम करने की उत्तम विधि रोगियों की खोज करना और इस रोग की रोकथाम करना है। समस्त जनसंख्या के टीकाकरण की संस्तुति नहीं की जाती है क्योंकि वैक्सीन की गंभीर प्रतिक्रिया होने का खतरा रहता है जिससे मौत भी हो सकती है।

ऑप्टिकल फाइबर केबल

1660. डॉ. जसवंतसिंह यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऑप्टिकल फाइबर सब-मैरिन केबल के साथ भारत और विभिन्न देशों को जोड़ने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्हें इस वित्तीय वर्ष के दौरान ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़े जाने की संभावना है; और

(घ) इससे उपभोक्ताओं को किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) विदेश संचार निगम लि. 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से एसएटी-3/डब्ल्यूएएससी/एसएएफई नामक सबमैरिन केबल को संस्थापित करने के कार्य में भाग ले रहा है। इस केबल को मलेशिया, भारत, मॉरीशस, रियूनियन आइलैंड, दक्षिण अफ्रीका और अन्य पश्चिम अफ्रीका देशों से होते हुए अंततः पुर्तगाल तक बिछाया जाना है। इस प्रणाली के वर्ष 2002 की पहली तिमाही तक चालू हो जाने की आशा है। मैसर्स भारती बीटी इंटरनेट लिमिटेड की योजना भारत को सिंगापुर से जोड़ने की है। मैसर्स डिशनेट डीएसएल लिमिटेड की योजना भारत से सिंगापुर, जकार्ता और अमेरिका के पश्चिम तट तक सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 'अन्डर सी केबल' बिछाने की है। इस प्रणाली के जुलाई, 2002 तक चालू हो जाने की आशा है।

(घ) उपर्युक्त परियोजनाओं के चालू हो जाने पर भारत से कुछ देशों तक बड़ी संख्या में बैंडविड्थ उपलब्ध होने की आशा है। इससे, बैंडविड्थ की लागत भी कम होने की आशा है। इस प्रकार, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी उपलब्ध

होने पर उपभोक्ताओं के लाभान्वित होने की आशा की जाती है।

सेल्यूलर हैंडसेट का स्वदेशी उत्पादन

1661. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सेल्यूलर हैंडसेटों की हमारी संपूर्ण आवश्यकता आयात से पूरी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सेटों के देश में ही निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में हैंडसेटों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दूरसंचार उपस्करों, जिनमें सेल्यूलर हैण्ड-सेट भी शामिल हैं, के विनिर्माण को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है, अतएव कंपनियां सेल्यूलर हैण्ड-सेटों का निर्माण करने के लिए विनिर्माण-यूनिटें स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, विनिर्माण-क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। स्वदेशी सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल फोनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के संबंध में सरकार ने सेल्यूलर फोनों के कल-पुर्जों पर मूल सीमा-शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) समाप्त कर दिया है। तथापि, सेल्यूलर हैण्ड-सेटों का भारी मात्रा में निर्माण करने की आवश्यकता है। यद्यपि, सेल्यूलर मोबाइल फोन का उत्पादन 100 प्रतिशत वार्षिक की दर से हो रहा है जबकि 200,000 उपभोक्ता प्रति माह बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी उत्पादन अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। जिस स्तर तक स्वदेशी आधार की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है। आईटीआई, एचटीएल तथा मैसर्स ग्लोबल मार्केटिंग एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी जैसी कुछ कंपनियों ने इस प्रकार के हैण्ड-सेटों का देश में निर्माण करने के लिए अवसंरचना स्थापित करने की इच्छा दर्शायी है।

(घ) आगामी 5 वर्षों के लिए देश में सेल्यूलर हैण्ड-सेटों की प्रत्याशित आवश्यकता लगभग 31 मिलियन की होगी।

[हिन्दी]

इंटरनेट और इलैक्ट्रॉनिक डाक-संबंधी टेलीफोन-सुविधा

1662. श्री रामशकल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जिला-मुख्यालयों में इंटरनेट और इलैक्ट्रॉनिक डाक-संबंधी टेलीफोन-सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्ष में इस योजना से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के लाभान्वित होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) नई दूरसंचार नीति-1999 (एनटीपी 99) में यह परिकल्पना की गयी थी कि इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति देने के प्रश्न पर प्रौद्योगिकीय नव-प्रवर्तनों और राष्ट्रीय विकास पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर समीक्षा की जाएगी। तदनुसार, सरकार द्वारा समीक्षा की गयी और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, मामले को 20.7.2001 को ट्राई के पास भेजा गया है और इस संबंध में इसकी सिफारिश मांगी गयी है। उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी जिला-मुख्यालयों में उपलब्ध इंटरनेट अभिगम्यता के एक भाग के रूप में इलैक्ट्रॉनिक मेल-सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करना

1663. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999, 2000 और वर्ष 2001 में सितम्बर, 2001 तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जारी पासपोर्टों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) पासपोर्ट जारी करने में इन कार्यालयों द्वारा औसतन कितना समय लिया जाता है;

(ग) इन कार्यालयों में पासपोर्टों के लिए छह मास से अधिक समय से लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन आवेदनों के शीघ्र निपटारे के लिए कौन–से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) 1999, 2000 और 2001 (सितम्बर 2001 तक) के दौरान भोपाल (म.प्र.), जयपुर (राजस्थान) और पटना (बिहार) स्थित पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या नीचे दी गई है :

पासपोर्ट कार्यालय	1999	2000	2001 (सित. तक)
भोपाल	38,808	38,331	32,796
जयपुर	73,292	66,612	59,904
पटना	58,383	43,448	41,970

(ख) सरकार का यह प्रयास रहता है कि पासपोर्ट 35 दिनों में जारी कर दिया जाए बशर्ते आवेदन–पत्र हर प्रकार से पूरे हों और पुलिस की स्पष्ट सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो जाए। तथापि, पुलिस की स्पष्ट सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण और आवेदकों द्वारा अधूरी सूचना देने के कारण पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा लिया जा रहा औसत समय भिन्न है। इन कार्यालयों द्वारा पुलिस की स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पासपोर्ट जारी करने में लिया जा रहा समय नीचे दिए अनुसार है :

(i) भोपाल – 7 दिन

(ii) जयपुर – 20 दिन

(iii) पटना – 2–3 दिन

(ग) और (घ) इन तीन कार्यालयों में छह माह से अधिक समय से पासपोर्ट जारी करने के लिए लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या नीचे दिए अनुसार है

(i) भोपाल – 1879

(ii) जयपुर – 5529

(iii) पटना – 4300

इन लम्बित आवेदनों में से अधिकांश आवेदन या तो पुलिस की स्पष्ट सत्यापन रिपोटं न मिलने के कारण अथवा कुछ अतिरिक्त अपेक्षाओं के मामले में आवेदकों द्वारा उन्हें पूरा न करने के कारण लम्बित पड़े हैं। इन पासपोर्ट कार्यालयों को पुलिस अधिकारियों को अविलम्ब रिपोर्टों को भेजने की याद दिलाने और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवेदकों को याद दिलाने के लिए अनुदेश दिए गए हैं।

पारादीप पत्तन पर कोयला संभलाई संयंत्र

1664. श्री के. पी. सिंह देव : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर हाल ही में एक नया कोयला संभलाई संयंत्र स्थापित और चालू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस नए कोयला संभलाई संयंत्र से कितना अतिरिक्त लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या पत्तन में कुछ सामान्य बर्थ भी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। पारादीप पत्तन न्यास के यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग संयंत्र को दिनांक 11.9.2001 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है।

(ख) इसमें दक्षिण भारत जहां तमिलनाडु में इन्नौर स्थित एक उतराई पत्तन पहले ही राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है, में थर्मल स्टेशनों तक रेल एवं समुद्र परिवहन के लिए लागत की बचत वाली और दक्ष कोयला लदान सुविधा उपलब्ध है। इस प्रणाली में चलती हुई रेलगाड़ी से कोयला उतार कर बर्थ पर प्रतीक्षारत जलयान में लादने की परिकल्पना की गई है। इसमें इस बात में भी पर्याप्त लचीलेपन की सुविधा है कि यदि बर्थ पर कोई जलयान नहीं है तो वहां से कार्गो को किसी स्टेकयार्ड में भेजा जा सकता है। जहां से आवश्यकतानुसार इसे पुनः उठाया जा सकता है और जलयान में लादा जा सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) दो बर्थें जो यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग प्रणाली का हिस्सा हैं, के अतिरिक्त पत्तन के पश्चिमी ओर दो अन्य सामान्य कार्गो बर्थों को 11.9.2001 को चालू किया गया था। इस प्रकार बर्थों की कुल संख्या 9 से बढ़कर 13 हो गई है जबकि पारादीप पत्तन में 14 मिलियन टन की वर्तमान क्षमता में 23 मिलियन टन की वृद्धि हुई है जिससे पत्तन की समग्र क्षमता बढ़कर 37 मिलियन टन हो गई है।

के.वी.आई.सी. का पुनर्गठन

1665. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की संरचना का ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) (क) जी, हां। 2 अक्तूबर, 2001 को नया आयोग गठित किया जा चुका है।

(ख) आयोग का संयोजन निम्न प्रकार से है

क्षेत्रीय सदस्य

1. उत्तरी क्षेत्र	डॉ. महेश शर्मा, नई दिल्ली
2. दक्षिणी क्षेत्र	अधिसूचित किया जाना है।
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	अधिसूचित किया जाना है।
4. पूर्वी क्षेत्र	अधिसूचित किया जाना है।
5. केन्द्रीय क्षेत्र	अधिसूचित किया जाना है।
6. पश्चिमी क्षेत्र	अधिसूचित किया जाना है।

विशेषज्ञ सदस्य

7.	अधिसूचित किया जाना है।
8.	अधिसूचित किया जाना है।

पदेन सदस्य

9. वित्तीय सलाहकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग।

10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग।

डॉ. महेश शर्मा, सदस्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को उक्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति

1666. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अभी तक हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक के कब तक होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के पश्चात अब तक इसकी चार बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(ग) समिति की अगली बैठक यथासंभव शीघ्र ही बुलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

बतरा, एस्कॉर्ट और गंगाराम अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं

1667. श्री राममूर्ती सिंह वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को पहले एस्कॉर्ट, अपोलो, बतरा और सर गंगाराम अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं को वापस लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में अनुशंसित अस्पतालों में भी वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो उक्त अस्पतालों में उपलब्ध थीं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 18.9.96 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता प्राप्त 24 प्राइवेट अस्पतालों में उपचार करवाने की अनुमति दी गई थी जिसमें एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली और बतरा अस्पताल एवं चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली शामिल थे। तथापि, दिनांक 18.9.96 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता प्राप्त नहीं था।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन प्राइवेट अस्पतालों को नए सिरे से मान्यता देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं जिनके आधार पर स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन के तहत 55 प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता प्रदान की गई थी। चूंकि पूर्व पैरा में उल्लिखित अस्पतालों ने सरकार द्वारा नए सिरे से मान्यता के लिए निविदा दस्तावेज में रखी गई निबंधन और शर्तों के साथ-साथ संशोधित दरों पर अपनी सहमति नहीं दी थी इसलिए उक्त अस्पतालों को दिनांक 7.9.2001 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लाभ के लिए यह निर्णय किया गया है कि वे इन अस्पतालों में उपचार करवा सकते हैं लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 18.9.96 के पूर्व कार्यालय ज्ञापन में दी गई पैकेज डील दरों के अनुसार परिसीमित होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष उत्पादों का निर्यात/आयात

1668. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत पर लगे प्रतिबंधों को उठाए जाने के पश्चात भारतीय अंतरिक्ष उत्पादों का संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात आसान हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अमरीका को भारतीय अंतरिक्ष उत्पादों के निर्यात की अनुमानित राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हमारे देश ने अमरीका द्वारा 'प्रतिबंध' की अवधि के दौरान उपग्रह प्रौद्योगिकी की मुख्य उप-प्रणालियों का स्वदेशीकरण कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान "इसरो" द्वारा आयात किए गए संघटकों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारत पर लगे प्रतिबंधों के भाग के रूप में इसरो पर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह से उठाया नहीं गया है। इस प्रकार, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि संयुक्त राज्य अमरीका (यू. एस. ए.) को किया जाने वाला भारतीय अन्तरिक्ष उत्पादों का निर्यात किस हद तक प्रभावित होगा। इसके पश्चात ही अमरीका को भारतीय अन्तरिक्ष उत्पादों के निर्यात की अनुमानित राशि का निर्धारण किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) आत्मनिर्भरता भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य है और उपग्रह प्रणालियों में ऊर्जा, संचार, नियंत्रण, संरचनाएं एवं नीतभार जैसे विविध अवयवों का सातत्य रूप में स्वदेशीकरण किया जा रहा है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इसरो ने अपने कार्यक्रम के लिए कुछ विशेष अन्तरिक्ष-अर्हक इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और सामग्रियों तथा भू-परीक्षण उपस्कर का निर्यात किया है।

आरक्षित पदों को अनारक्षित करने के मामले

1669. श्री के. ए. सांगतम : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.4.1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/6/88-स्था. (एससीटी), जो 1.4.1989 से प्रभावी हैं द्वारा अ.जा., अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने पर प्रतिबंध के बावजूद अ.जा., अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को बड़ी संख्या में अनारक्षित करके अन्यों द्वारा भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन उदाहरणों को बताएं जहां बजाय उन व्यक्तियों से जिनके लिए लघु उद्योग मंत्रालय में 1.4.1989 से पद आरक्षित थे, अन्य व्यक्तियों से अ.जा., अ.ज.जा. और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों को अनारक्षित किया गया और भरा गया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) 15 अक्तूबर, 1999 से लघु उद्योग मंत्रालय बनने पर अनु.जा./अनु.जं.जा./ अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती हेतु आरक्षित किसी भी रिक्ति को अनारक्षित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय परिवहन नीति

1670. श्री साहिब सिंह : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भू–तल परिवहन, जल परिवहन, रेलवे और हवाई परिवहन प्रणाली समेकित और एक–दूसरे के पूरक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त चारों परिवहन प्रणालियों को समेकित करते हुए कोई व्यापक "राष्ट्रीय परिवहन नीति" विद्यमान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार की उक्त सभी चारों परिवहन प्रणालियों को समेकित करने के लिए कोई कार्यबल गठित करने की योजना है; और

(ङ) तत्संबंधी मुख्य बातें और उसके लिए निर्धारित समयावधि क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने हाल ही में समन्वित परिवहन नीति दस्तावेज को अंतिम रूप दिया है।

(ग) से (ङ) इस दस्तावेज में विभिन्न परिवहन प्रणाली से संबंधित व्यापक नीतिगत मुद्दे हैं। इनमें विस्तार, आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन, मूल्य निर्धारण और वित्तपोषण, ऊर्जा और पर्यावरण, निजी क्षेत्र की भागीदारी, नियामक ढांचा और संगठनात्मक ढांचा शामिल है। इस दस्तावेज में प्रस्तुत परिवहन नीति के रुख से उस दिशा का पता चलता है जिसमें प्रत्येक प्रणाली से संबंधित नीति बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक प्रणाली के लिए विस्तृत नियोजित लक्ष्य और प्राथमिकताओं का उल्लेख अनुवर्ती परियोजना दस्तावेजों में किया जाएगा।

योग्यता के आधार पर चयनित अ.जा./ अ.ज.जा. और अ.पि.व. के व्यक्ति

1671. श्री रामदास आठवले : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरईएस) के स्पष्टीकरण टिप्पणों के पैरा 11 के अंतर्गत यथाप्रदत्त अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व से संबंधित व्यक्ति, जो योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं उन्हें उनके समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे के सामने दर्शाने की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में योग्यता के आधार पर चयनित/भर्ती/पदोन्नत किए गए अ.जा./ अ.ज.जा. और अ.पि.व. से संबंधित व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है और उन्हें उनके समुदाय के लिए "रिक्तियों/पदों के आरक्षित कोटे" में नहीं गिना गया है; और

(ग) क्या ऐसे उदाहरण हैं जहां अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. से संबंधित उम्मीदवार हैं जिन्हें योग्यता के आधार पर चुना गया है, किन्तु समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के सामने दर्शाया/समायोजित किया गया है, और इसके क्या कारण हैं?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का सृजन 1 सितम्बर, 2001 को किया गया था। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में पदों के संबंध में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग कैडर अथारिटी है। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में 1 सितम्बर, 2001 से कोई भर्ती नहीं की गई है।

बकाया आरक्षित रिक्तियों का भरा जाना

1672. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर लघु उद्योग मंत्रालय में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार यथासुनिश्चित समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में निर्धारित बकाया आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान आज की तारीख में प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे, और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नए रिक्त पदों/दिए गए पदों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पूर्व के वर्षों की अनु.जा./अनु.ज.जा. हेतु आरक्षित रिक्तियां जो कि बकाया/आगे लायी गयी हैं, उसे अलग से तथा पृथक् ग्रुप माना जाएगा तथा वह किसी सीलिंग के अध्यधीन नहीं होगा।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

बकाया आरक्षित रिक्तियों का भरा जाना

1673. सरदार बूटा सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित "पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों" को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गयी बकाया अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/बने पदों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग

1674. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 01.01.1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह 'क') में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59 प्रतिशत है। (अनुसूचित जातियां–10.38 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां–3.21 प्रतिशत) और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') में यह केवल 14.41 प्रतिशत है (अनुसूचित जातियां–11.73 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां–2.68 प्रतिशत) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत (अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत) है;

(ख) यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत (i) प्रथम श्रेणी (समूह 'क') और (ii) द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') और इनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी. ओ. पी. टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर (i) सामान्य, (ii) अनुसूचित जातियों, (iii) अनुसूचित जनजातियों और (iv) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सेवाओं में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग

1675. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केंद्र सरकार के अंतर्गत 01.01.1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह "क") की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिशत केवल 13.59 है (अनुसूचित जातियां–10.38 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां 3.21 प्रतिशत) और द्वितीय श्रेणी (समूह "ख") में यह केवल 14.41 प्रतिशत (अनुसूचित जातियां–11.73 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां–2.68 प्रतिशत) हैं जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत (अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत) है;

(ख) यदि हां, तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत (i) प्रथम श्रेणी (समूह "क") और (ii) द्वितीय श्रेणी (समूह "ख") और इनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी. ओ. पी. टी. के कार्यलय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर (i) सामान्य (ii) अनुसूचित जातियों, (iii) अनुसूचित जनजातियों और (iv) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रमुख पत्तनों में अतिरिक्त भूमि

1676. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :
श्री मोहन रावले :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में विभिन्न प्रमुख पत्तनों में अतिरिक्त भूमि कितनी है;

(ख) क्या सरकार को कुछ प्रमुख पत्तनों में भूमि प्रबंधन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) प्रमुख पत्तन अपने कब्जे वाली अतिरिक्त भूमि के उचित उपयोग की योजना किस प्रकार बना रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (घ) इस क्षेत्र में पत्तनों और पत्तन आधारित क्रिया–कलापों का विस्तार और विकास तथा पत्तन की भूमि का उपयोग किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। विभिन्न पत्तनों में फालतू भूमि को बताना कठिन है क्योंकि इसका उपयोग भावी विकास के साथ जुड़ा हुआ है। मंत्रालय ने सभी महापत्तनों को उनके कब्जे वाली समस्त भूमि और खाली भूमि यदि कोई हो, के लिए भूमि उपयोग योजना तैयार करने के लिए कहा है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास

1677. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि आर्थिक सुधार प्रक्रिया के कार्यान्वयन के पश्चात पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की दर तेजी से गिरी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का पूर्वांचल राज्य गठित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप नुकसान की भरपाई के लिए इसे विशेष दर्जा देने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) यह सुझाव देने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि आर्थिक उदारीकरण नीतियों को अपनाने के कारण उत्तर प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संगठनों को समाप्त करना

1678. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कोई संदर्भ आया है कि बहुत से मूल उपक्रमों/विभागों को केवल इसलिए जीवित रखा गया है ताकि राज्य के नौकरशाहों और वरिष्ठ अधिकारियों को खपाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर हुए खर्च का कोई अध्ययन किया है;

(ग) अब तक पहचान किए गए ऐसे संगठनों की संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार का ऐसे संगठनों को बंद करने के लिए कोई निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) से (च) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित ऐसे कोई संदर्भ सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकारी जनशक्ति का पुनर्गठन करना/उसे युक्तिसंगत बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकारी कार्यबल के आकार को सही करने के बारे में सरकार द्वारा उठाये गये कुछ कदम निम्न प्रकार हैं :

(i) सरकार ने (1.1.92 की स्थिति के अनुसार) पदों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया था। वित्त मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न ग्रुपों से संबंधित लगभग 1.83 लाख पद समाप्त कर दिये गये हैं।

(ii) अभी हाल में, चार विभाग अर्थात् कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, चीनी और खाद्य तेल विभाग तथा पूर्ति विभाग या तो समाप्त कर दिये गये हैं अथवा मिला दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, दूर–संचार सेवा तथा दूर–संचार प्रचालन विभाग 1 अक्तूबर, 2000 से निगमित कर दिये गये हैं।

(iii) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) योजनागत और गैर–योजनागत पदों के सृजन पर नियंत्रण रखने के लिये समय–समय पर अनुदेश जारी करता रहा है ताकि स्थापना संबंधी व्यय में कमी की जा सके। अगस्त, 1999 में उस मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के अनुदेश जारी किये गये थे कि वे अन्य बातों के साथ–साथ वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के साथ परामर्श करते हुए मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि में खाली पड़े सभी पदों की समीक्षा करें। इन अनुदेशों में यह प्रावधान भी किया गया है कि जब तक यह समीक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अनुमोदन के बिना कोई खाली पद नहीं भरा जायेगा।

(iv) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मई, 2001 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को यह अनुरोध करते हुए अनुदेश जारी किये हैं कि वे

प्रत्येक वर्ष में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती को एक–तिहाई तक सीमित रखें और आगे यह शर्त भी लगाई है कि यह सीमा मंत्रालयों/विभागों के कुल स्वीकृत पदों के 1 प्रतिशत से अधिक न हो। तदनुसार, मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई है कि वे चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित रिक्त पदों के साथ शुरू करते हुए वार्षिक सीधी भर्ती योजनाएं तैयार करें।

(v) व्यय विभाग द्वारा, अन्य बातों के साथ–साथ, केन्द्रीय सरकार के कृत्यों, कार्यकलापों और प्रशासनिक ढांचे में कमी लाने हेतु मार्गदिशा सुझाने के लिये गठित किये गये व्यय सुधार आयोग ने कुल मिलाकर 36 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के संबंध में 10 रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशें मंत्रालयों/विभागों आदि के आकार को सही करने/पुनर्गठित करने के बारे में हैं। व्यय विभाग ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे आयोग की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करें।

उपर्युक्त के अलावा, यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में केन्द्रीय सरकार के कार्य का निष्पादन भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 में निर्दिष्ट कार्य आवंटन के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार किसी भी एक निश्चित समय पर मंत्रालयों/विभागों की संख्या प्रशासनिक सुविधा पर आधारित होती है तथा मंत्रालयों/विभागों का सृजन/उन्मूलन/पुनर्गठन करना प्रधान मंत्री का विशेषाधिकार है।

अ.भा.आ.सं. में मुर्दाघर

1679. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मुर्दाघर बहुत खराब दशा में है और डीप फ्रीजर लम्बे समय से खराब पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो डीप फ्रीजर कब से कार्य नहीं कर रहा है और उसकी मरम्मत/प्रतिस्थापन नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश के ऐसे प्रतिष्ठित अस्पताल के मुर्दाघर को साफ रखने और उचित रख–रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार संस्थान के पास एक वाक–इन टाइप कोल्ड रूम है जिसका रख–रखाव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के इंजीनियरिंग सेवा विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान के पास दो कोल्ड स्टोरेज कैबिनेट हैं, जो पिछले कुछ महीनों से इष्टतम ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। इन कोल्ड स्टोरेज कैबिनेटों के नियमित रखरखाव और मरम्मत हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध को अंतिम रूप देने हेतु प्रयास जारी हैं।

भारत और बंगलादेश के बीच परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान

1680. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच परिक्षेत्रों के आदान–प्रदान में असाधारण देरी हुई है, यद्यपि 1972 की इंदिरा–मुजीब संधि में आदान–प्रदान का स्पष्ट प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलादेश को तीन–बीघा गलियारे के पट्टे के हस्तांतरण के कारण ब्रह्मातर–कुचलीबाड़ी के भारतीय नागरिकों के लिए अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का उन नागरिकों, की पीड़ा को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जो परिक्षेत्रों तथा मुख्य भूमि के बीच पारगमन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारत–बंगलादेश भूमि सीमा समझौता, 1974 के अनुसार विदेशी अंतःक्षेत्र में अदला–बदली की जानी है। विदेशी अंतःक्षेत्र में अदला–बदली का सीधा संबंध भारत और बंगलादेश के बीच संयुक्त सीमांकन कार्य को सम्पन्न करने से है। भारत–बंगलादेश की लगभग 6.5 कि.मी. की सीमा भूमि के संयुक्त सीमांकन का कार्य अभी सम्पन्न किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कारगिल मेमोरियल कॉलेज

1681. श्री सईदुज्जमा :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्धता की प्रतीक्षा कर रहे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खोले जाने वाले कारगिल मेमोरियल कॉलेज में नामांकन के लिए कई छात्रों को प्रतीक्षा–सूची में रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) विभिन्न पदों पर अब तक कितनी और कब से भर्तियां की गई हैं; और

(घ) इन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान पर कितना खर्च आया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉलेज के नाम से सफदरजंग अस्पताल में एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया है। यह प्रस्तावित कॉलेज गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली से संबद्ध किया गया है। कॉलेज में प्रवेश शुरू करने हेतु आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न पदों हेतु भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

परमाणु विद्युत उत्पादन

1682. श्री राजैया मल्याला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में परमाणु ऊर्जा से कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) इस समय आंध्र प्रदेश में कोई परमाणु बिजलीघर नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर ये प्रश्न ही नहीं उठते।

अधिकारियों को विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण

1683. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में शैक्षणिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता में सुधार के लिए ख्याति प्राप्त विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों का चयन/प्रयोजन/नाम–निर्देशन/प्रतिनियुक्ति करती है जहां कुछ मामलों में इस तरह के प्रशिक्षण पर आने वाला खर्च द्विपक्षीय/अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अन्तर्गत प्रायोजित करने वाले देशों/एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान लघु उद्योग मंत्रालय की ओर से इस तरह के अल्पावधि/दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की वर्ष–वार संख्या क्या है;

(ग) इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं और इनकी प्रतिशतता क्या है;

(घ) संविधान के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है जिसके अभाव में उनके द्वारा सामना की गई ऐतिहासिक एवं शैक्षणिक बाधाएं और उनके विरुद्ध व्याप्त गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में उनकी उचित हिस्सेदारी से उन्हें वंचित कर सकते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त सांविधिक निर्देशों की अवहेलना करने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) ज़ी, हां।

(ख) और (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान लघु उद्योग मंत्रालय से व्यक्ति जिन्होंने अल्प/दीर्घकालिक अवधि का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया, उनके संबंध में वर्षवार ब्यौरा निम्नोक्त है :

क्र.सं. वर्ष	प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या	उनमें अनु.जा./ अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़े वर्ग की सं.	प्रतिशत
1. 1996–97	17	4	23.53
2. 1997–98	14	3	21.43
3. 1998–99	19	6	31.58
4. 1999–2000	14	2	14.29
5. 2000–2001	12	3	25

(घ) और (ङ) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले अभिकरण/देश द्वारा अपेक्षित वरीयता, वांछित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा तथा संबद्ध अनुभव के आधार पर किया जाता है। अन.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन हेतु वरीयता दी जाती है।

दूरसंचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण

1684. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के चक्रवात प्रभावित और चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए, विशेषकर उड़ीसा राज्य में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) इसके लिए, विशेषकर उड़ीसा राज्य में उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :

1. उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में माइक्रोवेव–प्रणालियों को चरणबद्ध तरीके से आप्टिकल फाइबर केबल मीडिया द्वारा बदला जा रहा है।
2. ओवर हैड लाइनों को भूमिगत केबल द्वारा बदला जा रहा है।
3. चक्रवात के दौरान पूरी तरह से बिजली गुल हो जाने की स्थिति में भी इंजन आलटरनेटर, पोर्टेबल जनरेटर उपलब्ध करा कर निरन्तर बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।
4. उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में आधुनिक "वायरलेस लूप प्रौद्योगिकी" उपलब्ध कराई जा रही है।
5. उपग्रह आधारित टेलीफोनों की व्यवस्था की गई है।
6. उड़ीसा में भारतीय मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन प्रणाली (आईएमपीसीएस) की शुरूआत करने की योजना बनाई गई है।

(ग) उड़ीसा में दूरसंचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

1. पुरी, खुर्दा, नयागढ़, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, बालासोर, बरहमपुर, भद्रक जैसे चक्रवात–प्रवण जिलों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी।
2. 90 प्रतिशत माइक्रोवेव लिंक ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक द्वारा बदले गए हैं।
3. कटक और पुरी जिलों के सभी महत्वपूर्ण नगरों में सिंक्रोनस ट्रान्सफर मोड (एसटीएम) लिंक उपलब्ध कराए गए हैं।
4. उपग्रह–आधारित 8 टेलीफोन पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं और ये कार्य कर रहे हैं।

'बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो' आधार पर परियोजना

1685. श्री वैको :

डा. सी. कृष्णन :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 'बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो' (बीओटी) के आधार पर शुरू किए जाने के लिए कितनी परियोजनाओं को चिन्हित किया गया;

(ख) प्रत्येक परियोजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक ऐसी कितनी परियोजनाओं का कार्य सौंप दिया गया है और इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आएगी, इन्हें किस वर्ष पूरा किया जाएगा, इनसे किन–किन राज्यों को जोड़ा जाएगा और साथ ही इनके अंतर्गत किस तरह की सडकें बनाई जाएंगी;

(घ) इस संबंध में राजग सरकार की नीति क्या है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं से राज्यों को किस तरह लाभान्वित होने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) बी ओ टी परियोजनाओं के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति, न्यूनतम पथकर/रियायत अवधि पर आधारित प्रतियोगी संविदा के जरिए अर्थक्षम राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं जैसे पुल, सड़कोपरि पुल, बाइपास, चार लेन बनाना आदि शुरू करना है।

(ङ) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति भी उपर्युक्त विवरण में दी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से वाहन प्रचालन लागत में बचत होगी, यात्रा शीघ्र, आरामदायक तथा सुरक्षित होगी और अनुरक्षण लागत में कमी आएगी।

विवरण

26.11.2001 की स्थिति के अनुसार सौंपी गई बी ओ टी परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य (जोड़े जाने वाले)	रा.रा.सं.	परियोजना	लागत करोड़ रु.	वर्तमान स्थिति	पूरा होने का वर्ष	बनाई जाने वाली सड़क की किस्म	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	5	नेल्लौर–टाडा	760.00	कार्यान्वयन के अधीन	12/2003	4 लेन डामर सड़क	(i) पथकर आधारित (ii) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सौंपी गई
2.	आंध्र प्रदेश	5	अंकापल्ली–तुनी	265.00	–यथोक्त–	12/2003	4 लेन कंक्रीट सड़क	(i) वार्षिकी आधारित (ii) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सौंपी गई
3.	आंध्र प्रदेश	5	तुनी–धर्मावरम	231.90	–यथोक्त–	12/2003	4 लेन डामर सड़क	(i) वार्षिकी आधारित (ii) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सौंपी गई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	आंध्र प्रदेश	5	धर्मावरम–राजामुंदरी	206.00	–यथोक्त–	12/2010	4 लेन डामर सड़क	(i) वार्षिकी आधारित (ii) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सौंपी गई
5.	आंध्र प्रदेश	5	6 पुलों का निर्माण 259.00–309.00 कि.मी.	50.00	4 पुल पूरे हो गए हैं 2 का कार्य चल रहा है	4/2002	पुल	पथकर आधारित
6.	छत्तीसगढ़	6	दुर्ग बाइपास	68.00	पूरा हो गया है	12/2000	बाइपास कंक्रीट सड़क	पथकर आधारित
7.	गुजरात	8	बत्रक पुल	49.67	पूरा हो गया है	2/2001	पुल निर्माण	पथकर आधारित
8.	गुजरात	8	माही पुल	42.00	पूरा हो गया है	4/2001	अतिरिक्त 2 लेन पुल का निर्माण	पथकर आधारित
9.	गुजरात	8	नर्मदा पुल	113.00	पूरा हो गया है	1/2001	पहुंच मार्गों सहित अतिरिक्त 2 लेन पुल का निर्माण	पथकर आधारित
10.	कर्नाटक	4	तुमकुर–नीलमंगला	125.00	कार्यान्वयन के अधीन	12/2003	4 लेन डामर सड़क	पथकर आधारित वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सौंपी गई
11.	कर्नाटक	4	हुबली–धारवाड़ बाइपास	68.00	पूरा हो गया है	10/2000	बाइपास डामर सड़क	पथकर आधारित
12.	कर्नाटक	5	महाराष्ट्र सीमा–बेलगाम	332.00	कार्यान्वयन के अधीन	12/2003	4 लेन कंक्रीट और डामर सड़क	वार्षिकी आधारित वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सौंपी गई
13.	महाराष्ट्र	3 व 4	थाणे–भिवंडी बाइपास	103.00	कार्यान्वयन के अधीन	4/2002	4 लेन डामर सडक	पथकर आधारित
14.	महाराष्ट्र	4	पुणे और सतारा के बीच खम्बातकी घाट 773/0–781/0 कि.मी.	37.80	पूरा हो गया है	9/2000	4 लेन डामर सड़क	पथकर आधारित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	महाराष्ट्र	3	नरधाना गांव के समीप 228.0 कि.मी. में आर ओ बी	34.21	पूरा हो गया है	7/1999	पहुंच मार्गों सहित आर ओ बी	पथकर आधारित
16.	महाराष्ट्र	6	वेनगंगा पुल नागपुर–रायपुर खंड 491 कि.मी.	32.60	पूरा हो गया है	3/2001	बड़े पुल	पथकर आधारित
17.	महाराष्ट्र	6	नसीराबाद के निकट आर ओ बी	10.45	पूरा हो गया है	7/2000	पहुंच मार्गों सहित आर ओ बी	पथकर आधारित
18.	महाराष्ट्र	17	पातालगंगा पुल	33.3	पूरा हो गया है	7/1999	आर ओ बी और पहुंच मार्गों सहित बड़े पुल	पथकर आधारित
19.	पंजाब	22	डेराबासी, अम्बाला–कालका में आर ओ बी कि.मी. 32.080 कालका	31.48	कार्यान्वयन के अधीन	12/2001	4 लेन, आर ओ बी	पथकर आधारित
20.	राजस्थान	8	किशनगढ़ में आर ओ बी	–	पूरा हो गया है	4/1998	आर ओ बी	पथकर आधारित
21.	राजस्थान	8	उदयपुर बाइपास	24	पूरा हो गया है	20/04/1998	बाइपास डामर सड़क	पथकर आधारित
22	तमिलनाडु	45	ताम्बरम–टिंडीवनम	375.00	कार्यान्वयन के अधीन	12/2003	4 लेन डामर सड़क	वार्षिकी आधारित वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सौंपी गई
23.	तमिलनाडु	47	कोयम्बटूर बाइपास और अतुपलन पुल	95.00	पूरा हो गया है	1/2001	पुल/बाइपास डामर सड़क	पथकर आधारित
24.	तमिलनाडु	5	कोरतलैयार पुल 26/4 कि.मी.	25.00	पूरा हो गया है	5/2001	पथकर आधारित पुल	पथकर आधारित
25	पश्चिम बंगाल	2	पानागढ़–पलसित	350.00	कार्यान्वयन के अधीन	12/2004	4 लेन डामर सड़क	वार्षिकी आधारित वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सौंपी गई

अफगानिस्तान का मामला

1686. प्रो. आई. जी. सनदी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अफगानिस्तान के भविष्य पर निर्णय करने के लिए भारत की सहभागिता वाले तन्त्र के संबंध में सुझाव देते हुए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पत्र लिखे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सुझाव पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थीं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अनेक राज्य/शासनाध्यक्षों को अफगानिस्तान में सरकार के भावी स्वरूप और इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क की आवश्यकता के बारे में भारत की चिन्ताओं और दृष्टिकोण के बारे में पत्र लिखा है। यह पत्र कनाडा, तुर्कमेनिस्तान, यू.के., अमरीका और उजबेकिस्तान के राज्य/शासनाध्यक्षों को संबोधित थे।

पत्र में प्रधान मंत्री ने भारत के इस पक्ष को स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान में भावी सरकार व्यापक आधार वाली होनी चाहिए, जिसमें विभिन्न जातीय और धर्मों का प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए; अफगानिस्तान में भावी राजनैतिक संरचना को आतंकवाद और उग्रवाद को फैलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; अन्तर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के भीतर, जिनमें ऐसे देश शामिल हैं जिनकी इन मामलों में तर्क-संगत रुचि है और प्रभाव है, इन मुद्दों को सुलझाने तथा संघर्ष के बाद के अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और पुनर्वास की महत्ता की तत्काल आवश्यकता है और इस संबंध में संघर्ष के बाद के अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और पुनर्वास कार्य के लिए लगभग 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-शृंखला देने की सरकार की मंशा की घोषणा की।

(ग) अफगानिस्तान में भावी सरकार के स्वरूप पर भारत के दृष्टिकोण और उस देश में बनती हुई सैन्य राजनैतिक और मानवीय स्थिति पर बातचीत के लिए अफगानिस्तान में व्यापक आधार वाली, बहु-जातीय सरकार की स्थापना की आवश्यकता पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यापक सहयोग बना है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर भी सहमत है कि अफगानी क्षेत्र का आतंकवाद और उग्रवाद को फैलाने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि तालिबान सैन्य शासन के दौरान हुआ था।

डरबन विश्व सम्मेलन

1687. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशी द्वेष और इससे संबंधित असहिष्णुता के विरुद्ध डरबन में आयोजित विश्व सम्मेलन सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों जिसमें भारत की अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं, के विरुद्ध बरते जा रहे भेदभाव को ध्यान में रखने में असफल साबित हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्मेलन में किस घोषणा को स्वीकार किया गया है इसमें भारतीय दृष्टिकोण को किस सीमा तक समायोजित किया गया?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर, 1997 के अपने संकल्प 52/111 के अनुसार निर्णय किया था कि 30 अगस्त से 8 सितम्बर, 2001 तक डरबन में आयोजित होने वाले तीसरे विश्व सम्मेलन का विषय रंगभेद, जातीय भेदभाव, विदेशी द्वेष और सम्बद्ध असहिष्णुता होना चाहिए। इस विषय से असम्बद्ध कारणों, यथा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित भेदभाव, के आधार पर भेदभाव डरबन सम्मेलन की कार्य-सूची में शामिल नहीं था।

(ग) भारत का सतत् और सिद्धान्तगत विचार यह रहा है कि रंगभेद मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निर्धारित मानवीय गरिमा के प्रति असम्मान और मूल्यों के प्रति अभिशाप है और इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार किए जाने की आवश्यकता है। रंगभेद, जातीय भेदभाव, विदेशी द्वेष और सम्बद्ध असहिष्णुता को रोकने और समाप्त करने के लिए विधि, शिक्षा, विकास के माध्यम से और अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के मानदण्डों और उत्तरदायित्वों को ईमानदारी से क्रियान्वित करके प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अन्य सदस्य इस विचार को मानते हैं और यह विश्व सम्मेलन की घोषणा और कार्यवाही कार्यक्रम में निर्धारित और प्रतिलक्षित है।

डॉल्फिन योजनाओं से प्राप्त लक्ष्य

1688. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एम.टी.एन.एल. ने हाल ही में डॉल्फिन सेल्यूलर सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि एम.टी.एन.एल. 10000 से भी कम उपभोक्ता ढूंढ़ पाया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एम.टी.एन.एल. द्वारा एक अच्छी सेवा प्रदाता के रूप में अपनी छवि सुधारने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने 7 फरवरी, 2001 को दिल्ली में और 27 फरवरी, 2001 को मुंबई में डॉल्फिन सेल्यूलर मोबाइल सेवा शुरू की है।

(ख) जी, नहीं। वस्तुतः आज की तारीख तक की स्थिति के अनुसार डॉल्फिन के 60000 से अधिक उपभोक्ता हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। एम.टी.एन.एल. एक अच्छे सेवा प्रदाता के रूप में अपनी छवि बढ़ाने के सभी प्रयास करने में सतत रूप से लगा हुआ है।

(ङ) एम.टी.एन.एल. द्वारा डॉल्फिन की सेवा में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

- कवरेज में और सुधार लाने के लिए नेटवर्क का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है।
- दिल्ली से सटे शहरों अर्थात् फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा को भी कवर किया जा रहा है।
- देश के भीतर सभी स्थानों में और विदेशों में भी रोमिंग सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।
- शीघ्र ही "प्री-पेड सर्विस" शुरू की जा रही है।
- सेवा को बाजार में लाने और ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में फ्रेन्चाइजियों को नियुक्त किया गया है।
- ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए समय-समय पर विशेष संवर्धनात्मक मार्केटिंग स्कीमें शुरू की जा रही हैं।
- डॉल्फिन ब्रांड को लोकप्रिय बनाने और ग्राहक आधार बढ़ाने की दृष्टि से जोरदार विपणन और केन्द्रित मीडिया प्रचार शुरू किए गए हैं।

पर्सनल कम्प्यूटरों (पी.सी.) की मांग

1689. श्री वाई. वी. राव : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पर्सनल कम्प्यूटरों (पी.सी.) की मांग में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अध्ययन कराया गया है; और

(ग) आने वाले वर्षों में देश के कम्प्यूटर उद्योग की वृद्धि दर क्या रहने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी पर गठित 10वीं योजना कार्यकारी दल ने आगामी वर्षों में कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग में निम्नलिखित उत्पादन होने का अनुमान लगाया है :

2001-02	4000 करोड़ रु.
2002-03	4800 करोड़ रु.
3003-04	5700 करोड़ रु.

कश्मीर में उग्रवाद

1690. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका कश्मीर के आतंकवाद को पाकिस्तान से जोडने पर राजी हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमेरिका कश्मीर में सक्रिय

आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर भी सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) अमरीकी सरकार ने कई अवसरों पर पाकिस्तान तथा भारत में आतंकवाद के बीच सम्पर्कों को स्वीकार किया है। सार्वभौम आतंकवाद के ढांचे से सम्बद्ध वर्ष 2000 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अमरीकी विदेश विभाग ने माना कि "जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की सैन्य सरकार पिछली पाकिस्तानी सरकार के कश्मीर विद्रोह का लगातार समर्थन कर रही है और कश्मीरी आतंकवादी समूह पाकिस्तान में लगातार सक्रिय हैं, पैसा उगाह रहे हैं तथा नए कैडर की भर्ती कर रहे हैं।"

(ख) और (ग) वाशिंगटन डी सी में 9 नवम्बर, 2001 को प्रधानमंत्री की अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने गौर किया कि दोनों देश आतंकवाद के लक्ष्य हैं और उन्होंने आतंकवाद तथा विश्व में सभी जगह इसके प्रायोजन के खिलाफ सार्वभौम संघर्ष की आवश्यकता की पुष्टि की। 5 अक्तूबर, 2001 को व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग में यह कहा कि राष्ट्रपति बुश ने 1 अक्तूबर, 2001 को श्रीनगर में आतंकवादी हमलों की निन्दा की और राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि "आतंकवाद सभी जगह से समाप्त होना चाहिए जिसमें कश्मीर भी शामिल है"। हरकत–उल–मुजाहिद्दीन जिसे अमरीकी विदेश विभाग ने विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित किया है, के अलावा अमरीकी ट्रेजरी विभाग ने जैश–ए–मोहम्मद को हरकत–उल–मुजाहिद्दीन के साथ–साथ कुछ अन्य पाकिस्तान आधारित संगठनों तथा व्यक्तियों को विशेष रूप से नामित सार्वभौम आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया है।

समुद्री प्रशिक्षण संस्थान

1691. श्री अनन्त नायक : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की योजना देश में समुद्री प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण करने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजनार्थ समुद्री प्रशिक्षण संस्थानो का उन्नयन करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवीं योजना के दौरान और अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में समुद्री प्रशिक्षण का उन्नयन करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) नौचालन प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण करना और स्तर बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार द्वारा संचालित नौचालन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाओं का निरंतर आधुनिकीकरण किया जा रहा है और स्तर बढ़ाया जा रहा है ताकि उन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित स्टैंडर्ड्स आफ ट्रैनिंग सर्टिफिकेशन एंड वाच–कीपिंग कन्वेंशन–95 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान स्तर पर लाया जा सके।

(ग) सरकार द्वारा संचालित नौचालन प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में प्रशिक्षण उपस्करों का अधिग्रहण करने और छात्रावास भवन, तरणताल आदि के निर्माण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित योजना स्कीमें प्रचालित की जा रही हैं :

(i) प्रशिक्षण और कल्याण स्कीम–प्रशिक्षण उपस्करों का अधिग्रहण।

(ii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त एजेंसी (जैसे एन बी सी सी) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सिविल निर्माण कार्य।

(iii) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सिविल निर्माण कार्य।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीमवार आवंटन और खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त फरवरी, 1997 से सरकार ने नौवहन महानिदेशालय, मुंबई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र में नौचालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दे दी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	1997–1998		1998–1999		1999–2000		2000–2001		2001–2002 (पूर्वानुमानित)		जोड़	
		आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	प्रशिक्षण कल्याण स्कीम–प्रशिक्षण उपस्करों का अधिग्रहण	6.00	5.94	3.00	2.88	2.00	1.78	3.00	2.70	4.50	4.50	18.50	17.80
2.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को छोड़कर अन्य एजेंसी (जैसे एन बी सी सी) द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सिविल निर्माण कार्य	–	–	4.00	3.91	6.00	6.00	8.00	8.00	13.00	13.00	31.00	30.91
3.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले सिविल निर्माण कार्य	6.49	1.76	5.89	3.62	2.99	2.90	2.50	2.50	2.50	2.50	20.37	13.28

डाक सेवाओं के स्तर में गिरावट

1692. श्री दिन्शा पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में देश में डाक की वित्तीय स्थिति में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सॉफ्टवेयर का विकास

1693. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या संचार मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में सॉफ्टवेयर के विकास और संचार व्यवसाय को प्रोत्साहन देती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्य को किस सीमा तक सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद को ए–वन शहर का दर्जा दिलाने के लिए इसका उन्नयन करने और इसे अपना अन्तर्राष्ट्रीय इन्टरनेट गेटवे उपलब्ध कराने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है/लिए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों को हैदराबाद से दो वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क मेगाबिट्स प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) लिंक उपलब्ध कराए गए थे।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय इन्टरनेट की रीढ़ हैदराबाद नोड को अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे कनेक्टिविटी से युक्त ए-1 का दर्जा दिलाने के लिए इसके उन्नयन को सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दिया गया है। प्रापण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है।

डब्ल्यूएलएल प्रणाली को शुरू किया जाना

1694. श्री खारबेल स्वाइं : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डब्ल्यूएलएल प्रौद्योगिकी को पूरे भारत में शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ताओं के लिए इसे लगाने की लागत बहुत अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इन दरों को कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार का देश में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रौद्योगिकी शुरू करने का प्रस्ताव है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने दिल्ली और मुंबई में इस प्रौद्योगिकी को शुरू कर दिया है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का वर्ष 2002-2003 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 8 लाख कनेक्शन और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ग) से (च) जी, नहीं। वायरलेस इन लोकल लूप पर स्थिर टेलीफोन के लिए संस्थापन प्रभारों सहित प्रशुल्क (टैरिफ) उपभोक्ता टर्मिनल के लिए 10,000 रु. की विशेष जमा राशि को छोड़कर नियमित तारयुक्त लाइनों वाले कनेक्शनों के समान हैं। 10,000 रु. के बदले उपभोक्ताओं के लिए 20 रु. प्रति माह की दर से वैकल्पिक रूप से बीमा योजना भी शुरू की गई है। कॉलों के लिए प्रशुल्क प्रभारों (टैरिफ चार्जेज) का निर्धारण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा किया जाता है।

दूरभाष केन्द्र के लिए भवन

1695. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सिक्किम में जिलावार ऐसे कितने दूरभाष केन्द्र हैं जिनके पास विभागीय भवन हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान राज्य के दूरभाष केन्द्रों के लिए कुछ और विभागीय भवनों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 8 हैं

क्र.सं.	जिले का नाम	विभागीय भवन में एक्सचेंजों की संख्या
1.	सिक्किम (पूर्व)	4
2.	सिक्किम (पश्चिम)	1
3	सिक्किम (उत्तर)	1
4.	सिक्किम (दक्षिण)	2
	जोड़	8

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पासपोर्ट नियमों में संशोधन

1696. श्री ए. नरेन्द्र : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आतंकवादी और पृथक्कतावादी गतिविधियों पर कारगर ढंग से अंकुश लगाने के लिए पासपोर्ट नियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के संशोधन हेतु 22 नवंबर, 2001 को राज्य सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक पासपोर्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का अध्यादेश 8) को प्रतिस्थापित करता है और इसमें उस व्यक्ति के पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज को खारिज करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदत्त करने का प्रावधान किया गया है जो आपराधिक अथवा राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो ताकि उसे उस अवधि के दौरान देश छोड़ने से रोका जा सके जब उसके पासपोर्ट को जब्त अथवा खारिज करने की कार्रवाई आरम्भ की जा रही हो अथवा जब वास्तव में पासपोर्ट जब्त अथवा खारिज किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विलम्ब शुल्क

1697. श्री सुबोध राय : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेल मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1992 में पुनरीक्षित विलम्ब शुल्क को मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट (एम. पी. टी.) द्वारा जनवरी, 1998 तक क्रियान्वित नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इससे (एम. पी. टी.) को कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) मुंबई पत्तन न्यास द्वारा संशोधित विलंब शुल्क प्रभार सेंट्रल रेलवे के निर्णय की विलंब से सूचना प्राप्त होने के कारण 5.1.98 से लागू किए गए थे। सेंट्रल रेलवे ने दिनांक 15.10.1992 से 4.1.1998 तक संशोधित विलंब शुल्क प्रभारों को लागू न करने के कारण 353 लाख रू. की धनराशि का दावा किया है।

(ग) मुंबई पत्तन न्यास ने सेंटर रेलवे के दावे का प्रतिवाद किया है क्योंकि संशोधित प्रभारों को पूर्व प्रभावी रूप से वसूल नहीं किया जा सकता। भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवेज को पत्तन न्यासों के साथ किए जाने वाले करारों की शर्तों की समीक्षा करने के निदेश दिए हैं ताकि उचित परिवर्तन किए जा सकें।

राजस्व का अर्जन

1698. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि संचार क्षेत्र ने राजस्व अर्जन के संदर्भ में उच्च वृद्धि दर दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस क्षेत्र में राजस्व में कितनी वृद्धि दर्ज की गई;

(ग) इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में कितना विदेशी–निवेश हुआ; और

(घ) आंतरिक और बाह्य स्रोतों के माध्यम से इस क्षेत्र में आगे कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) संचार क्षेत्र ने अपने राजस्व उपार्जन में संतुलित वृद्धि दर्शायी है। पिछले दो वर्षों के दौरान राजस्व में वृद्धि का प्रतिशत इस प्रकार है :

वर्ष	दूरसंचार विभाग		डाक विभाग
	बीएसएनएल	एमटीएनएल	
1999–2000	10 प्रतिशत	3 प्रतिशत	15 प्रतिशत
2000–2001	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत	5 प्रतिशत

(ग) पिछले दो वर्षों में इस सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि इस प्रकार हैं

वर्ष	दूर–संचार विभाग	डाक विभाग
1999–2000	212.7 करोड़ रु.	शून्य
2000–2001	888.6 करोड़ रु.	शून्य

(घ) आशा है कि आने वाले वर्षों में आंतरिक स्रोतों से यह वृद्धि–दर बनी रहेगी और दूरसंचार सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पिछले वर्षों से अधिक होगा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में तदर्थ शिक्षक

1699. श्री महबूब जहेदी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शिक्षकों की तदर्थ भर्ती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में तदर्थ आधार पर कितने शिक्षक कार्य कर रहे हैं;

(ग) इस तरह की व्यवस्था के क्या आधार हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) संकाय पदों में आरक्षण के मामले पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संकाय द्वारा दायर सिविल रिट याचिका में दिनांक 15.11.1994 को दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के कारण इस संस्थान में सहायक प्रोफेसरों के स्तर पर तदर्थ नियुक्ति का अवलम्ब लिया गया है; इस समय करीब 120 सहायक प्रोफेसर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने उसके बाद 26.11.2001 को निर्णय दिया है तथा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहायक प्रोफेसर के पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

1700. श्री अमर राय प्रधान : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष श्रेणीवार/पदवार कितने अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की;

(ख) ऐसे अधिकारियों को क्या लाभ दिए गए;

(ग) आज की तारीख में ऐसी सेवानिवृत्ति के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े हुए हैं;

(घ) क्या ऐसी सेवानिवृत्ति से सरकार के समुचित कार्यकरण पर किसी तरह से कोई प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार का किस तरह से इसका प्रबन्ध करने का विचार है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (च) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का सृजन पहली सितम्बर, 2001 को किया गया था। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के पदों के संबंध में संवर्ग प्राधिकरण औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग है। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के किसी भी अधिकारी ने पहली सितम्बर, 2001 के बाद से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति नहीं मांगी है।

पासपोर्ट अदालतें

1701. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पासपोर्ट अदालतें लगाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001–2002 में कितनी पासपोर्ट अदालतें लगाई गईं;

(ग) किन–किन नगरों में ऐसी पासपोर्ट अदालतें लगाई गई थीं; और

(घ) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान आंध्र प्रदेश में अब तक तीन पासपोर्ट अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं।

(ग) ये अदालतें निम्नलिखित शहरों में आयोजित की गई

(i) कुडप्पा (14 और 15.9.2001)

(ii) विशाखापट्टनम (21.7.2001)

(iii) हैदराबाद (3.11.2001)

(घ) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करना एक सतत प्रक्रिया है। किए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं : (i) प्रसंस्करण प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण, (ii) पासपोर्ट आवेदन फार्म का सरलीकरण, (iii) पासपोर्ट सेवाओं का विकेंद्रीकरण ताकि निर्धारित स्पीड पोस्ट केंद्रों में भरे हुए आवेदन

पत्र जमा करवाए जा सकें (iv) अत्यावश्यक मामलों में अल्पावधि वैधता के बारी के बाहर पासपोर्टों हेतु तत्काल योजना लागू करना, (v) पासपोर्टों में मशीनी लेखन लागू करना और (vi) पुलिस सत्यापन प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना।

[हिन्दी]

उपग्रह छोड़ा जाना

1702. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक सरकार द्वारा कितने उपग्रह छोड़े गये हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रत्येक उपग्रह पर कितनी धनराशि खर्च की गयी और इनके विविध उपयोग क्या होंगे;

(ग) क्या विदेशों द्वारा उपरोक्त उपग्रहों का प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इनके जरिये कितनी आय अर्जित हुई है; और

(ङ) उक्त उपग्रहों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी की प्रतिशतता कितनी है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने पांच उपग्रहों का प्रमोचन किया है। उपग्रहों, उनकी लागत और उनके उपयोगों का ब्यौरा निम्नलिखित है

1. इन्सैट–2 ई 3 अप्रैल 1999 को एरियन राकेट द्वारा इस उपग्रह का प्रमोचन किया गया। इसमें 17 सी–बैण्ड प्रेषानुकर और मौसमविज्ञानीय नीतभार शामिल हैं। प्रमोचन और बीमा सहित उपग्रह की लागत 475 करोड़ रुपये है। उपग्रह संचार सेवाएं और मौसमविज्ञानीय आंकड़े प्रदान कर रहा है।

2. आई.आर.एस.–पी–4 दो अतिरिक्त विदेशी उपग्रहों के साथ 26 मई, 1999 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट द्वारा इस उपग्रह का प्रमोचन किया गया। इसमें समुद्र के अध्ययन के लिए समुद्री कलर मानीटर और बहु–आवृत्ति क्रमवीक्षण माइक्रोवेव रेडियोमीटर शामिल हैं। उपग्रह की लागत 47.75 करोड़ रुपये है। यह उपग्रह समुद्री और तटीय अध्ययनों के लिए महत्त्वपूर्ण आंकड़े प्रदान कर रहा है।

3. इन्सैट–3 बी : यह उपग्रह एरियन राकेट द्वारा 22 मार्च, 2000 को प्रमोचित किया गया। इसमें 12 सी–बैण्ड, 3 के.यू–बैण्ड प्रेषानुकर और मोबाइल उपग्रह सेवाएं शामिल हैं। प्रमोचन और बीमा सहित उपग्रह की लागत 495 करोड़ रुपये है। यह उपग्रह विविध प्रयोक्ताओं को संचार सेवाएं प्रदान कर रहा है।

4. जीसैट–1 : यह परीक्षणात्मक उपग्रह भारत के भू–तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट के प्रथम विकासात्मक उड़ान द्वारा 18 अप्रैल, 2001 को प्रमोचित किया गया। कुछ विशिष्ट अन्तरिक्षयान और नीतभार संबंधी प्रौद्योगिकियों की जांच करने हेतु इस उपग्रह का उपयोग किया जा रहा है। उपग्रह की लागत 31.15 करोड़ रुपये है।

5. प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह (टी ई एस) दो अतिरिक्त विदेशी उपग्रहों सहित भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट द्वारा 22 अक्तूबर, 2001 को इस उपग्रह का प्रमोचन किया गया। यह उपग्रह सुदूर संवेदन उपयोगों के लिए 1 मीटर विभेदन वाला एक पेनक्रोमेटिक कैमरा अपने साथ ले गया है; भावी प्रतिबिंबन प्रणाली से संबंधित क्रांतिक प्रौद्योगिकियों की जांच करने हेतु उपग्रह का उपयोग किया जाता है। उपग्रह की लागत 47.50 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) इन्सैट–2 ई उपग्रह की प्रेषानुकर क्षमता का हिस्सा 10 मिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष की दर से अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संगठन (इन्टेलसैट) को लीज पर दिया गया है। आई आर एस–पी 4 उपग्रह से प्राप्त वैज्ञानिक आंकड़े सहयोगात्मक आधार पर अनुसंधानकर्त्ताओं को जर्मनी, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमरीका में उपलब्ध कराए जाते हैं और आंकड़ों के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

(ङ) सभी उपर्युक्त उपग्रहों का डिजाइन, विकास, संविरचन, समुच्चय, समाकलन और जांच स्वदेशी रूप में किया जा रहा है। केवल कुछ आवश्यक इलेक्ट्रानिक संघटकों का आयात किया जा रहा है।

स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों को अपने नियंत्रण में लेना

1703. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1971 से अब तक पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन स्वतन्त्रता सेनानियों (भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव) के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाया गया है। वर्तमान समय में हुसैनीवाला में स्थित स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक प्रतिकृतियां हैं। मूल चबूतरे की अवस्थिति ज्ञात नहीं है, जिसे पाकिस्तानी सेना दिसंबर 1971 में उठा कर ले गई थी।

आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु भारत-ब्रिटिश सहयोग

1704. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए भारत को सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद से निपटने के लिए न तो यू.के. और न ही किसी अन्य देश से सहायता मांगी है। सरकार ने केवल अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में, पाकिस्तान के सीमा–पार आतंकवाद के लिए सहायता और प्रोत्साहन की भूमिका को उजागर करने का प्रयास किया है।

भारत और यू.के. विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और नशीली दवा अवैध व्यापार से संबद्ध संयुक्त कार्य समूह की रूपरेखा के तहत अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती का प्रतिकार करने के लिए निकट से सहयोग कर रहे हैं। इस वर्ष मार्च में, अपने आतंकवादी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में संचालित छह प्रमुख आतंकवादी समूहों का निषेधन किया। हाल के महीनों में, यू.के. ने उन व्यक्तियों और समूहों की परिसम्पत्तियों को भी जब्त किया, जिन्होंने, "आतंकवादी कृत्य किए हैं अथवा करने के लिए एक प्रमुख खतरा बने हुए हैं या सामग्रीगत समर्थन प्रदान करना माना गया है।"

11 सितम्बर को अमरीका में आतंकी हमलों के पश्चात बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौती की पूर्ण समाप्ति के लिए यू.के. ने अनुरोध किया है। यू.के. का मानना है कि उन राज्यों पर निरंतर दबाव की आवश्यकता है जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों को समर्थन, प्रश्रय या सहक्रिया के कृत्य करते हैं। यू.के. सब प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है और जिसमें जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद शामिल है। सरकार यू.के. के दृष्टिकोण की सराहना करती है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त भूमि का बेचा जाना

1705. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादक पूंजी में वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त भूमि को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल कितनी अतिरिक्त भूमि है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई नीति तैयार की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इससे किस सीमा तक उत्पादक पूंजी में वृद्धि होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) से (ङ) सरकार की यह नीति रही है कि सभी उत्पादक संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाए। इस संबंध में सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सरकार ने अनेक मामलों में उत्पादक पूंजी में वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त भूमि का निपटान किया है। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अपने पुनर्वास कार्यक्रमों/टर्न एराउन्ड कार्य–नीतियों के भाग के रूप में अतिरिक्त भूमि का निपटान किया है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के आवास के लिए सार्वजनिक/निजी क्षेत्र भागीदारी संबंधी नीतिगत ढांचे के प्रतिपादन हेतु सरकार ने सचिव, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। कार्यदल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पास खाली पड़ी भूमि का आकलन करेगा तथा ईडब्ल्यूएस आवासों में तेजी लाने के उद्देश्य से भूमि को एक संसाधन के रूप में उपयोग में लाने हेतु संभावनाओं का पता लगायेगा।

लेखा-परीक्षा टिप्पणियां

1706. श्री अरूण कुमार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दूरसंचार विभाग में बड़ी संख्या में लेखा–परीक्षा टिप्पणियां लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन टिप्पणियों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(ग) इन टिप्पणियों में कितनी धनराशि संलिप्त है; और

(घ) भविष्य में लेखा–परीक्षा टिप्पणियों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। 31.3.1995, 31.3.1996, 31.3.1997, 31.3.1998 और 31.3.1999 को समाप्त वर्षों के लिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निहित 755 अभ्युक्तियों में से केवल 17 मदों के उत्तर लेखा परीक्षा को भेजे जाने शेष हैं, जो केवल 2.25 प्रतिशत ही होता है।

(ग) उपरोक्त 5 वर्षों के दौरान इन 17 पैराओं में 189.73 करोड रुपये की राशि शामिल है।

(घ) दूरसंचार विभाग के प्रचालनकर्ता भाग के निगमीकरण द्वारा गठित भारत संचार निगम लि. ने राजस्व तथा व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया संस्थापित की है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय का आकलन

1707. श्री नवल किशोर राय :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 90 के दशक के अंत में देश की प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000–2001 के दौरान देश की राज्यवार प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या थी;

(ग) विश्व के विकसित देशों के नागरिकों की वार्षिक प्रति व्यक्ति औसत आय की तुलना में देश के प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय क्या है; और

(घ) 90 के दशक के दौरान देश के प्रति व्यक्ति की आय में किस सीमा तक वृद्धि हुई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, वर्ष 1999–2000 के दौरान निवल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों पर) के संदर्भ में मापित राज्य–वार प्रति व्यक्ति आय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 2000–2001 के लिए सूचना केवल कुछ राज्यों के संबंध में उपलब्ध है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार, प्रचलित मूल्यों पर कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी) के संदर्भ में मापित देश के लिए प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000–01 में 17530 रुपये थी।

(ग) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट, 2002 के अनुसार, सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के संदर्भ में मापित भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में उच्च आय

वाले देशों की 27510 अमरीकी डालर आय की तुलना में 460 अमरीकी डालर थी।

(घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार, वर्ष 1993–94 में स्थिर मूल्यों पर कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपी) में मापित प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1990–91 में 7321 रुपये से बढ़कर वर्ष 1999–2000 में 10204 रुपये हो गई।

विवरण

प्रतिव्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों पर)
(13.11.2001 के अनुसार स्थिति)

(रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद	
		1999–2000 (त्वरित अनुमान)	2000–2001 (अग्रिम अनुमान)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	14715	
2.	अरुणाचल प्रदेश	14338	
3.	असम	9612	
4.	बिहार	6328	
5.	गोवा	लागू नहीं	
6.	गुजरात	18625	
7.	हरियाणा	21114	
8.	हिमाचल प्रदेश	15012	
9	जम्मू व कश्मीर	12338	
10.	कर्नाटक	16343	
11.	केरल	18262	
12.	मध्य प्रदेश	लागू नहीं	
13.	महाराष्ट्र	23398	
14.	मणिपुर	10614	
15.	मेघालय	11678	13029
16.	मिजोरम	लागू नहीं	
17.	नागालैण्ड	लागू नहीं	
18.	उड़ीसा	9162	
19.	पंजाब	23040	
20.	राजस्थान	12533	12914
21.	सिक्किम	लागू नहीं	
22.	तमिलनाडु	19141	21229
23.	त्रिपुरा	10213	10931
24.	उत्तर प्रदेश	9765	
25.	पश्चिम बंगाल	15569	18021
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	लागू नहीं	
27.	चंडीगढ	46347	
28.	दिल्ली	35705	39620
29.	पांडिचेरी	30768	

खादी ग्रामोद्योग की वित्तीय स्थिति

1708. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग की वर्तमान वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इसकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) के.वी.आई.सी. (खादी ग्रामोद्योग आयोग) को पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

खादी ग्रामोद्योग आयोग को जारी धनराशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	1998–1999	1999–2000	2000–2001
1.	**योजना**			
1.	खादी अनुदान	15960	9470	10500
2.	खादी ऋण	2098	1500	675
3.	ग्रामोद्योग अनुदान	8400	5400	1350
4.	ग्रामोद्योग ऋण	900	250	–
5.	एस एंड टी (खादी)	30	–	28
6.	एस एंड टी (ग्रामोद्योग)	170	70	195
7.	आरईजीपी	4665	1103	11000
	उप योग	32223	17793	23748
2.	**गैर-योजना**			
8	खादी अनुदान	2400	2400	2400
9.	प्रशासनिक व्यय	2560	2410	2410
10.	एच.बी.ए. ऋण	30	30	150
	उप–योग	4990	4840	4950
	कुल योग	37213	22633	28708

[अनुवाद]

एड्स की औषधि पर अनुसंधान

1709. श्री किरीट सोमैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच.आई.वी./एड्स के संबंध में आयुर्वेदिक औषधियों अथवा अनुसंधान संबंधी कोई प्रस्ताव अथवा सूचना उपलब्ध है;

(ख) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और औषधि निर्माता उद्योगों के साथ इस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित कोई समन्वय तंत्र विकसित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभाग को भारत के बाहर के एड्स रोगियों की तुलना में भारत के एड्स रोगियों में कुछ असाधारण अथवा विशेष चीज देखने को मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना

1710. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री आर. एस. पाटिल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत व्यावसायिक समझौतों और दोहन हेतु औसतन 60 कि.मी. की दूरी के 7 अलग–अलग सैक्टर बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों में कार्य आरंभ हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो गुणवत्ता नियंत्रण मानकों को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है और इसमें प्रत्येक राज्य की कितनी भागीदारी है; और

(च) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से कर्नाटक में इसके अंतर्गत कब तक वास्तविक कार्य आरंभ होगा?

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) से (ग) जी, नहीं, तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) ने निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी)/वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी निवेश के लिए ठेका दिया है/देने का प्रस्ताव किया है। ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(घ) गुणवत्ता के लिए विनिर्देश उस ठेके में ही निर्धारित किए जाते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उद्यमी से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यवेक्षण परामर्शदाता के रूप में योग्य कार्मिक की नियुक्ति करें। एन एच ए आई और बी ओ टी परियोजना के लिए रियायतग्राही भी गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के निरीक्षण और अपेक्षित मानकों के अनुरक्षण के लिए स्वतंत्र परामर्शदाताओं की नियुक्ति करें।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज के कार्यान्वयन के लिए 25055 करोड़ रु. की लागत (वर्ष 2000 के मूल्यों पर) अनुमोदित की जा चुकी है। आवंटन राज्यवार नहीं किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई संलग्न विवरण–II के अनुसार है।

(च) संलग्न विवरण–I के अनुसार है।

विवरण-I

निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी)/वार्षिकी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना	किस्म	राज्य	लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति	पूरा होने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	नेल्लौर–टाडो	बी ओ टी	आंध्र प्रदेश	760.00	कार्यान्वयन के अधीन	दिस., 2003
2.	तुमकुर–नीलमंगला	बी ओ टी	कर्नाटक	125.00	कार्यान्वयन के अधीन	दिस., 2003
3.	पानागढ़–पलसित	वार्षिकी	पश्चिम बंगाल	350.00	कार्यान्वयन के अधीन	दिस., 2004
4.	अंकापल्ली–तुनी	वार्षिकी	आंध्र प्रदेश	265.00	कार्यान्वयन के अधीन	दिस., 2003
5.	तुनी–धर्मावरम	वार्षिकी	आंध्र प्रदेश	231.00	कार्यान्वयन के अधीन	–
6.	धर्मावरम–राजमुंदरी	वार्षिकी	आंध्र प्रदेश	206.00	कार्यान्वयन के अधीन	–
7	महाराष्ट्र सीमा–बेलगाम	वार्षिकी	कर्नाटक	332.00	कार्यान्वयन के अधीन	दिस., 2003
8.	ताम्बरम–टिंडीवनम	वार्षिकी	तमिलनाडु	375.00	कार्यान्वयन के अधीन	दिस., 2003
9.	किशनगढ़ में आरओबी	बी ओ टी	राजस्थान	18.00	पूरा हो गया है	फर., 2000
10.	जयपुर–किशनगढ़	बी ओ टी	राजस्थान	610.00	संशोधित पी एफ क्यू पर प्रस्ताव मांगा गया है	प्रारंभ होने के 30 माह बाद
11.	द्वितीय विवेकानंद पुल	बी ओ टी	पश्चिम बंगाल	600.00	समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं	जून, 2005

1	2	3	4	5	6	7
12.	पलसित–भकुनी	वार्षिकी	पश्चिम बंगाल	अनुमान लगाया जाना है	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है	प्रारंभ होने के 30 माह बाद
13.	दिल्ली–गुड़गांव	बी ओ टी	दिल्ली–हरियाणा	555.00	प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है	अप्रैल, 2005
14.	नेल्लौर बाइपास	वार्षिकी	आंध्र प्रदेश	100.00	प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है	दिस., 2003

विवरण-II

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की लंबाई (कि.मी.) राज्यवार विभाजन

क्र.सं.	राज्य	लंबाई (कि.मी.)
1.	आंध्र प्रदेश	1014
2.	बिहार	204
3.	दिल्ली	25
4.	गुजरात	485
5.	हरियाणा	152
6.	झारखंड	192
7.	कर्नाटक	623
8.	महाराष्ट्र	487
9.	उड़ीसा	440
10.	राजस्थान	725
11.	तमिलनाडु	342
12.	उत्तर प्रदेश	756
13.	पश्चिम बंगाल	406
	जोड़	5851

दुसाम्बे सम्मेलन में भारत की भागीदारी

1711. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री शिवाजी माने :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने तजाकिस्तान की राजधानी दुसाम्बे में हाल ही में आयोजित अफगान गृह युद्ध में उत्तरी गठबंधन का समर्थन करने वाले देशों के अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे राष्ट्रीय हितों पर पड़ता है, जिसमें हमारे सुरक्षा हित भी शामिल हैं। अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सरकार राजनयिक रूप से सक्रिय है और अफगानिस्तान में दिलचस्पी रखने वाले अनेक देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ भी संपर्क में रही है। इसी संदर्भ में सरकार ने अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं पर विभिन्न बैठकों और सम्मेलनों में भाग लिया है।

मधुमेह के लिए हौम्योपैथिक औषधि

1712. श्री पवन कुमार बंसल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हौम्योपैथिक औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने मधुमेह का इलाज करने के लिए औषधि विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वाणिज्यिक रूप से इस औषधि को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) हौम्योपैथिक औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने सिफेलेंड्रा इंडिका के साथ एलबिनों चूहों में ऐलॉक्सन द्वारा उत्पन्न मधुमेह पर अनुसंधान संबंधी अध्ययन किया है तथा यह परिकल्पना की गई है कि यह औषध अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के पुनर्जनन को शुरू कर सकता है जो प्राणियों में इन्सुलिन के उत्पादन के लिए जिम्मेवार है। मधुमेह के उपचार के लिए इस औषध का प्रयोग हौम्योपैथों द्वारा कई दशकों से किया जाता रहा है और यह बाजार में व्यापारिक दृष्टि से उपलब्ध है।

एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथों को "इन्फोरमेशन कियोस्क्स" में परिवर्तित किया जाना

1713. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश भर में मौजूदा एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथों को "इन्फोरमेशन कियोस्क्स" में परिवर्तित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) कौन-कौन से राज्यों में इस प्रणाली को कार्यान्वित किया जाना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) की निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की योजना है। इन उद्यमियों में सभी ब्लॉक मुख्यालयों में स्थानीय/एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ के उन्नयन सहित इन्टरनेट ढाबा स्थापित करने के लिए स्थानीय/एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ फ्रेंचाइजी शामिल हैं तथापि, महानगर टेलीफोन निगम लि. की इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) योजना की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

1. बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालयों में निःशुल्क इन्टरनेट अभिगम्यता सुविधा प्रदान की जाएगी, जबकि शहरी ब्लॉक मुख्यालयों में 1500 घंटे निःशुल्क इन्टरनेट अभिगम्यता की अनुमति दी जाएगी।

2. ग्रामीण एवं शहरी ब्लॉक मुख्यालयों के इन्टरनेट ढाबा फ्रेंचाइजियों को पीएसटीएन प्रभारों का 25 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा।

3. इन्टरनेट अभिगम्यता के लिए बिना बारी के आधार पर एसटीडी/आईएसडी सुविधा के बिना एक टेलीफोन लाइन दी जाएगी और बीएसएनएल, फ्रेंचाइजियों को अपने प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षण भी देगा।

(ग) यह सुविधा प्रदान करना, अपेक्षित अवसंरचना में निवेश करने की फ्रेंचाइजियों की इच्छा पर निर्भर करता है।

(घ) यह योजना सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला

1714. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए एक 'कॉनसर्ट ऑफ डेमोक्रेसिज' तैयार करने हेतु कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सहयोग देने पर सहमत होने वाले देशों की संख्या क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) पिछली दो दशाब्दियों से आतंकवाद से पीड़ित होने के कारण भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को प्राथमिकता देने की आवश्यकता की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान निरन्तर आकर्षित किया है। 11 सितम्बर की दुखद घटना ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में अत्यधिक जागरूकता और अत्यावश्यकता सामने ला दी है। अन्य देशों के साथ अपने पारस्परिक क्रियाकलापों में हमने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद

एक ऐसा सार्वभौमिक अभिशाप है जिसे अलग नहीं रखा जा सकता और यह कि इसके विरुद्ध संघर्ष को तात्कालिक स्थिति से आगे जाना होगा तथा इस संघर्ष को व्यापक, सार्वभौमिक तथा स्थायी बनना होगा। भारत ने यह भी बताया है कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए कोई राजनैतिक, धार्मिक, जातीय, वैचारिक अथवा कोई अन्य औचित्य नहीं हो सकता। आतंकवाद–रोधी अन्तर्राष्ट्रीय उपायों को आतंकवादी गतिविधियों को चलाने वालों तक ही सीमित न रख कर ऐसे व्यक्तियों तक अमल में लाया जाना चाहिए जो आतंकवादियों को उकसाते हैं, समर्थन, वित्त पोषण अथवा उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं।

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्गत किए गए प्रयासों सहित सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का स्वागत करता है। इस रूप–रेखा के भीतर भारत ने 28 सितम्बर, 2001 के सुरक्षा परिषद् संकल्प 1373 का स्वागत किया है। भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने में कानूनी रूप–रेखा को मजबूत बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय की पहल की है।

10 नवम्बर, 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने संबोधन में प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सशक्त शब्दों में भारत का दृष्टिकोण व्यक्त किया जिसमें सीमा–पार आतंकवाद पर हमारी चिन्ताएं शामिल हैं।

आतंकवाद का सामना करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में अत्यधिक जागरूकता और बढ़ता हुआ सहयोग है।

[हिन्दी]

नैदानिक उपकरण

1715. डा. बलिराम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के लिए विभिन्न नैदानिक उद्देश्यों हेतु खरीदी गई मशीनों और यंत्रों का अलग–अलग मूल्य क्या है;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार उक्त नैदानिक उपकरणों में से कितने उपकरण खराब पड़े हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न नैदानिक उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) खराब उपकरणों की कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गरीब लोगों के आकलन के लिए विशेषज्ञ-दल

1716. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराजसिंह चौहान :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब व्यक्तियों की संख्या और अनुपात का आकलन करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ–दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अंतर्निहित मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) योजना आयोग ने गरीबी के अनुमान की पद्धति की जांच करने और यदि आवश्यक हो, तो गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से सितम्बर, 1989 में गरीबों के अनुपात और उनकी संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल का गठन किया था। विशेषज्ञ दल ने जुलाई, 1993 को अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी थी।

(ख) विशेषज्ञ दल ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी;

(i) न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग

के अनुमान पर कार्य–बल द्वारा सिफारिश की गई गरीबी रेखा, अर्थात् 1973–74 की कीमतों पर अखिल भारतीय स्तर पर 49.09 रुपये (ग्रामीण) और 56.64 रुपये (शहरी) के मासिक प्रति व्यक्ति कुल व्यय जिसे क्रमशः पूरा 49 रुपये और 57 रुपये कर दिया गया है, को आधार रेखा के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

(ii) राष्ट्रीय स्तर की गरीबी रेखा को, राज्य विशिष्ट कीमत सूचकांकों और अन्तरराज्यीय कीमत विभेदक के सूचक का उपयोग करते हुए राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं में अलग–अलग करना।

(iii) बाद के वर्षों में, उपयोग के लिए विशेष रूप से संरक्षित कीमत सूचक द्वारा राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं को अद्यतन करना।

(iv) उपर्युक्त (ii) में यथा–अनुमानित राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं का उपयोग करते हुए उपभोग के सीएसओ स्तर को समायोजित किए बिना राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) से प्राप्त उपभोग व्यय वितरण संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों से राज्य विशिष्ट गरीबी अनुपात का अनुमान लगाना, जैसा कि पूर्व कार्य बल पद्धति में किया जा रहा था।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में पूर्ण योजना आयोग की एक बैठक में लघु संशोधनों सहित मार्च, 1997 में इसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थीं।

[अनुवाद]

केरल में पेरियारम और कोच्चि चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता देना

1717. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 1 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1566 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने केरल में पेरियारम और कोच्चि चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से इन्हें शीघ्र मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) पेरियारम में मेडिकल कालेज को मान्यता प्रदान करने को रोक दिया गया है क्योंकि कालेज के प्राधिकारी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानदण्ड के अनुसार सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाए हैं। जहां तक कोच्चि में मेडिकल कालेज का संबंध है, इसे केन्द्रीय सरकार ने अक्तूबर, 2000 में अनुमति दे दी और मान्यता प्रदान करने का प्रश्न तभी उठेगा जब कालेज में दाखिल हुआ पहला बैच अपनी अंतिम परीक्षा दे देगा।

धूम्रपान पर प्रतिबंध

1718. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री जय प्रकाश :
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्रीमती शीला गौतम :
डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करने वाले सिगरेट निर्माताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार के पास धूम्रपान रोधी कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) जी, हां। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे सहित सार्वजनिक स्थानों नामतः प्रेक्षागृहों, अस्पताल भवनों, स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों, न्यायालय भवनों, सार्वजनिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक जन सुविधाओं में धूम्रपान निषेध के निर्देश देते हुए दिनांक 2.11.01 को एक आदेश पारित किया है तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों एवं संघ क्षेत्र के स्वास्थ्य सचिवों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के व्यापक प्रचार हेतु आवश्यक प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध करते हुए पत्र भेजा गया है ताकि आम जनता यह जान सके कि धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर निषिद्ध है और इस रूप में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए। इस मंत्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का व्यापक प्रचार करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में एक विज्ञापन निकलवाया जा रहा है।

सिगरेट (उत्पादन, पूर्ति एवं संवितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 में अन्य बातों के साथ–साथ सिगरेटों के विज्ञापन पर प्रतिबंध के प्रावधान हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन दण्डनीय है और अधिनियम के अन्तर्गत धारा 19 ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध करार देती है। धारा 17, 18 और 19 में अपराधी को दण्ड देने और उस पर मुकदमा चलाने का प्रावधान है। धारा 8, 9, 10, 12 और 13 जैसे अन्य प्रावधान हैं जिनमें पैकेटों की खोज, उन्हें काबू में लेने और उन्हें जब्त करने तथा दोषियों पर जुर्माना लगाने के प्रावधान हैं।

इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेजा गया है कि उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से पालन किया जाता है तथा कानून लागू करने वाला प्राधिकारी अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के विचार से 7 मार्च, 2001 को राज्य सभा में एक समुचित विधेयक नामतः "सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (प्रचार निषेध एवं व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, पूर्ति एवं संवितरण विनियमन)" प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ–साथ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध की बात कही गई है।

उक्त विधेयक को जांच एवं रिपोर्ट के लिए मानव संसाधन विकास की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां

1719. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री लक्ष्मण सेठ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने आयुर्वेदिक औषधों को बढ़ावा देने के लिए पहले ही निम्नलिखित उपाय किए हैं;

(i) आयुर्वेदिक भेषज संहिता समिति ने पादपमूल की 258 आयुर्वेदिक औषधों के भेषज सहित संबंधी मानकों का विकास किया है।

(ii) एक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत भेषज संहिता संबंधी मानकों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं को आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधों के पादप मूल की 385 एकल औषधों का आवंटन किया गया है।

(iii) केन्द्रीय आयुर्वेदिक एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद आयुर्वेदिक औषधों में अनुसंधान कर रही है।

(iv) आयुर्वेदिक औषधों की गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत एक पृथक औषध तकनीकी परामर्शी बोर्ड का गठन किया गया है।

(v) 23 जून, 2000 को आयुर्वेदिक औषधों के उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेदिक औषधों की अच्छी निर्माण पद्धतियों को अधिसूचित किया गया है।

(vi) राज्य सरकार की औषध परीक्षण प्रयोगशाला और आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधों की फार्मेसियों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2000–2001 के दौरान 20.46 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

(vii) आयुर्वेदिक औषधों के लिए औषध परीक्षण प्रयोगशाला को मान्यता देने के लिए आयुर्वेदिक औषधों के परीक्षण हेतु औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत 28 सितम्बर, 2001 को अधिसूचना जारी की गई है।

(viii) निर्यात के लिए आयुर्वेदिक औषधों को छूट देने और लेबल लगाने, पैक करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत नियम 161 में संशोधन किया गया है।

(ix) 24 नवम्बर, 2000 को आयुर्वेदिक औषधों में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पादपों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक औषधीय पादप बोर्ड गठित किया गया है।

(ग) (i) 2001–2000 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशाला और आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधों की फार्मेसियों को सुदृढ़ करने के लिए 18.50 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं।

(ii) औषधीय पादप बोर्ड का 16.10 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान है।

(iii) कृषि तकनीकों के विकास और औषधीय पादपों और जड़ी–बूटी उद्यानों की खेती–बाड़ी के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु 3.50 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं।

(iv) भारतीय चिकित्सा पद्धति पर भेषज संहिता समिति और इस योजना के अन्तर्गत कार्य कर रही प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1.94 करोड़ रुपये निश्चित किए गए हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान की जेलों में पड़े भारतीय

1720. श्री नरेश पुगलिया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि पाकिस्तानी जेलों में पडे बहुसंख्यक भारतीय कैदी खराब जीवन दशाओं और उत्पीड़न के कारण पागल होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तानी जेलों में भारतीय कैदियों के साथ दुर्व्यवहार की लगातार खबरें हैं। दुर्व्यवहार के इन तथा अन्य मामलों का इस्लामाबाद स्थित हमारे मिशन के अधिकारियों द्वारा कोंसली सहायता के दौरान जहां पता चलता है, उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

(ग) सरकार भारतीय नजरबंदियों के साथ बेहतर बर्ताव करने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के मसले को तथा उनकी शीघ्र रिहाई एवं स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाती रहेगी।

कर्नाटक में सरकारी चिकित्सा कालेजों को केन्द्रीय अनुदान

1721. श्री कोलुर बसवनागौड़ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने अत्याधुनिक नैदानिक उपकरणों को खरीदने के लिए राज्य के चयनित सरकारी चिकित्सा कालेजों

को प्रति वर्ष 1.5 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001–02 के दौरान उक्त सहायता अनुदान के लिए कर्नाटक के चयनित सरकारी चिकित्सा कालेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सहायता अनुदान जारी करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु चुनिंदा सरकारी मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना हाल ही में शुरू की है।

(ख) उपर्युक्त प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाक वार्ता को दुबारा आरंभ किया जाना

1722. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री सुरेश कुरुप :
डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से न्यूयार्क में द्विपक्षीय वार्ता पुनः आरम्भ करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) पाकिस्तानी नेतागण समय–समय पर भारत के साथ संवाद की बहाली की दुष्प्रचारात्मक मांग करते हैं, विशेषरूप से उस समय जब वे अन्तर्राष्ट्रीय श्रोताओं को संबोधित करते हैं। इन आह्वानों का उद्देश्य भारत में सीमा–पार आतंकवाद के पाकिस्तान के सतत प्रायोजन से अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान हटाना तथा इस नीति के क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पडने वाले प्रभाव पर बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय चिन्ता है। यह रणनीति स्पष्ट रूप से असफल हो गई है। आतंकवाद की राज्य प्रायोजन की व्यापक निन्दा हुई है, और यह स्पष्ट मान्यता है कि आतंकवाद के लिए कोई औचित्य नहीं है जिसे जहां कहीं भी वह विद्यमान है, समाप्त किया ही जाना चाहिए।

भारत आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए जब तक दृढता से कृतसंकल्प है तब तक उसे निर्णायक रूप से कुचला जाता है।

भारत ने सदैव पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी के संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम सदैव संवाद के पहलकर्ता रहे हैं। हाल के वर्षों में, हमारी पहलकदमियों में उस संयुक्त संवाद की स्थापना शामिल है जिसमें आस्था और विश्वास उत्पन्न करने, परस्पर लाभकारी सहयोग स्थापित करने तथा अनसुलझे मसलों का समाधान करने का प्रयास है। मई, 2001 में, प्रधान मंत्री ने भी राष्ट्रपति मुशर्रफ को आगरा में शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित करते हुए पहल की थी। पाकिस्तान को सीमा–पार आतंकवाद को अपना प्रायोजन बंद कर देना चाहिए ताकि एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके जिसमें सकारात्मक संवाद हो।

आई. आई. आई. टी. के लिए अनुदान

1723. श्री एच. जी. रामुलू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. आई. टी.) के लिए केन्द्र सरकार से 10 करोड़ रु. का समांश प्रारंभिक अनुदान राशि जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) कर्नाटक सरकार ने उक्त अनुरोध किस तिथि को किया था और किस तिथि को इस आशय का अनुस्मारक भेजा; और

(घ) उक्त संस्थान के लिए समांश प्रारंभिक अनुदान राशि जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना करने संबंधी मामले पर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में आई. टी. में मानव संसाधन विकास (एच. आर. डी.) मंत्रालय संबंधी कार्यबल में विस्तार से चर्चा की गई थी। कार्यबल ने सिफारिश की है कि सभी प्रमुख राज्यों को राज्य/केन्द्रीय निधिकरण तथा उद्योग सहभागिता से अनन्य सूचना प्रौद्योगिकी उन्नत करने की सुविधा दी जा सकती है। इस प्रकार की शुरूआत हेतु केन्द्रीय निधि इस स्कीम के अन्तिम रूप से तैयार होने पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम. एच. आर. डी.) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशें

1724. श्री राम टहल चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों से कार्यवाही हेतु सिफारिश की है; और

(ख) ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कार्यवाही की सिफारिश की गई है और उक्त अवधि के दौरान आज तक इनमें से ऐसे अधिकारियों की मंत्रालय-वार संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों को जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सलाह दी उनकी संख्या 4330 है। इनमें से 1217 अधिकारियों के विरुद्ध संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। इस बारे में मंत्रालय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार के उन अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने वर्ष 1998, वर्ष 1999 और वर्ष 2000 के दौरान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सिफारिश की

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	उन अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की गई				उन अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध पिछले स्तम्भ में संदर्भित सलाह के आधार पर कार्रवाई की गई				
		1998	1999	2000	कुल	अभियोजन	भारी शास्ति	लघु शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	52	48	33	133	0	20	4	0	24
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड	155	82	161	398	4	19	10	0	33
3.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	33	34	55	122	8	17	4	10	39
4.	कृषि और सहकारिता विभाग	5	19	12	36	0	1	2	1	4
5.	पशुपालन और डेयरी विभाग	3	2	0	5	0	1	1	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	परमाणु ऊर्जा विभाग	4	1	1	6	0	2	2	0	4
7.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	2	0	0	2	0	0	1	0	1
8.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	0	1	7	8	0	0	0	0	0
9.	कम्पनी कार्य विभाग	0	2	10	12	1	1	0	2	4
10.	उपभोक्ता मामले विभाग	0	6	0	6	0	0	0	0	0
11.	संस्कृति विभाग	3	0	1	4	0	0	1	1	2
12.	रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग	7	18	37	62	1	9	8	0	18
13.	आर्थिक कार्य विभाग	6	1	1	8	0	0	1	1	2
14.	व्यय विभाग	0	1	0	1	0	0	0	0	0
15.	उर्वरक विभाग	0	13	18	31	0	0	0	0	0
16.	भारी उद्योग विभाग	2	2	15	19	0	0	0	0	0
17.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12	12	0	24	0	0	2	0	2
18.	खान विभाग	15	12	6	33	0	2	2	0	4
19.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	11	22	15	48	25	3	2	0	30
20.	डाक विभाग	19	30	20	69	0	7	6	0	13
21.	राजस्व विभाग	0	3	2	5	0	0	0	0	0
22.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2	1	9	12	2	1	1	0	4
23.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग	3	3	1	7	0	2	0	1	3
24.	अन्तरिक्ष विभाग	0	2	0	2	0	0	0	0	0
25.	इस्पात विभाग	0	1	5	6	0	0	0	0	0
26.	शर्करा और खाद्य तेल विभाग	0	0	1	1	0	0	0	0	0
27.	आपूर्ति विभाग	1	2	11	14	0	1	3	1	5
28.	दूर संचार विभाग	252	252	616	1120	0	67	60	19	146
29.	महिला और बाल विकास विभाग	0	0	1	1	0	0	0	0	0
30.	युवा मामले और खेल विभाग	5	2	0	7	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	कोयला मंत्रालय	3	1	19	23	0	1	0	0	1
32.	वाणिज्य मंत्रालय	11	6	2	19	1	1	0	0	2
33.	रक्षा मंत्रालय	52	69	60	181	17	26	11	5	59
34.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1	0	7	8	0	0	0	0	0
35.	विदेश मंत्रालय	1	10	12	23	1	2	3	5	11
36.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	0	2	0	2	0	0	0	0	0
37.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	19	26	24	69	0	2	1	2	5
38.	गृह मंत्रालय	25	19	26	70	5	8	4	1	18
39.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	47	18	38	103	5	2	7	4	18
40.	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	7	0	1	8	0	1	1	0	2
41.	श्रम मंत्रालय	1	5	6	12	0	2	0	0	2
42.	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	1	0	0	1	0	0	0	0	0
43.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	8	4	3	15	0	0	0	0	0
44.	विद्युत मंत्रालय	2	0	1	3	0	1	0	0	1
45.	रेल मंत्रालय	391	497	517	1405	0	229	463	20	712
46.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3	3	7	13	0	1	2	3	6
47.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1	0	0	1	0	0	0	1	1
48.	जहाजरानी मंत्रालय	2	7	4	13	0	0	1	0	1
49.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	6	0	0	6	0	0	0	0	0
50	लघु उद्योग कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	1	2	2	5	0	1	0	0	1
51	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	0	0	1	1	0	0	0	0	0
52.	वस्त्र मंत्रालय	1	3	0	4	0	0	0	0	0
53.	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय	34	51	42	127	0	15	10	8	33
54.	जल संसाधन मंत्रालय	2	4	10	16	0	4	0	0	4
	कुल	1211	1299	1820	4330	70	449	613	85	1217

[अनुवाद]

राज्यों को विशेष दर्जा

1725. श्री ए. कृष्णास्वामी :
श्री मंजय लाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू और कश्मीर के अलावा किसी अन्य राज्य को भी विशेष दर्जा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य ने इस आशय का कोई अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) वर्तमान में निम्नलिखित राज्य विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तरांचल।

(ग) से (ङ) विशेष श्रेणी दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जिनकी अधिकांश आदिवासी जनसंख्या प्रमुख रूप से पहाड़ी क्षेत्र में है, संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में स्थित है, जिसकी सामाजार्थिक अवसंरचना विकसित नहीं है, कम राजस्व आकार तथा राज्य की वित्तीय स्थिति गैरव्यवहार्य और समग्र रूप से आर्थिक पिछड़ापन हो। हालांकि बिहार, गोवा, उडीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड ने समय-समय पर विशेष श्रेणी दर्जा देने का अनुरोध किया है, ये राज्य विशेष श्रेणी राज्य के सभी लक्षण नहीं रखते हैं, अतः उनको विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है।

धर्मार्थ चिकित्सालय

1726. श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने शहर में कतिपय धर्मार्थ चिकित्सालयों के लिए रियायती मूल्य पर भूमि दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन धर्मार्थ चिकित्सालयों को रियायती मूल्य पर सरकारी भूमि दिए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है;

(घ) क्या सरकार ने यह जानने के लिए इन चिकित्सालयों के कार्यकरण का कोई आकलन किया कि उक्त उद्देश्य की उपलब्धि कहां तक हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजा जाना

1727. डा. वी. सरोजा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि टेलीफोन-उपभोक्ताओं के कनक्शनों के बाहरी तारों से छेड़छाड़ करके अवैध ढंग से एस.टी.डी./आई.एस.डी. कॉलें की जा रही हैं और परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को गलत बिल पहुंचते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गलत बिलिंग के लिए मुआवजा प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) यदि उपभोक्ताओं द्वारा डॉयनमिक एसटीडी लॉक को प्रयोग किया जाता है तो केबलों के साथ छेड़छाड़ करके

एटीडी/आईएसडी के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी, स्थिति ठीक करने के लिए खम्भों और डी पी पर ताला लगाने के उपाय किए गए हैं। बाहर के कर्मचारियों को भी एमडीएफ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा ऐसी सभी शिकायतों की जांच की जाती है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जाती है।

(ग) और (घ) जिन मामलों में उपर्युक्त कारणों से गलत बिल जारी किए जाते हैं उनमें क्षतिपूर्ति/छूट प्रदान की जाती है। उपभोक्ता के अभिमत को ध्यान में रखते हुए संदेहास्पद मामलों में भी छूट (रिबेट) दी जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुकम्पा के आधारों पर नियुक्ति

1728. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सेवाकाल के दौरान डाक कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में सरकार मृत कर्मचारी की पत्नी/पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा–निर्देश जारी किये हैं; और

(ग) उपरोक्त मंत्रालय में गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में सरकार को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने मामलों में नियुक्तियां की गईं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) किसी सरकारी कर्मचारी, जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है अथवा जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके आश्रित परिवार का एक सदस्य अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए विचार किए जाने का पात्र होता है।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जो अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्कीम को विनियंत्रित करता है। यह विभाग नोडल मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करता है।

इस स्कीम का उद्देश्य ऐसे सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देना है जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है अथवा जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो जाता है और अपने परिवार को असहाय तथा आजीविका के किसी साधन के बिना छोड़ जाता है, ऐसे सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय अभाव से राहत देना और इस विपत्ति से उबरने में मदद देना है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष में सीधी भर्ती के लिए होने वाली रिक्तियों में से 5 प्रतिशत रिक्त पदों पर की जा सकती हैं। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करते समय ऐसी नियुक्ति के लिए रिक्त पद की उपलब्धता एक सम्बद्ध तथ्य है तथा अनुकम्पा आधार पर एक वर्ष के भीतर ऐसी नियुक्ति की सिफारिश मृतक अथवा चिकित्सा आधार पर सेनानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति सहित सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके वास्तविक रूप से जरूरतमंद मामले में ही की जा सकती है।

(ग) (i) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए डाक विभाग को प्राप्त आवेदनों की संख्या और दी गई नियुक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	दी गई नियुक्तियों की संख्या
1998	1650	491
1999	1780	458
2000	2053	346

(ii) महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा दी गई नियुक्तियों की संख्या निम्नानुसार है

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	दी गई नियुक्तियों की संख्या
1998	185	99
1999	253	60
2000	244	39

बैटरी-चालित दूरभाष

1729. श्री रामानन्द सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सतना जिले के गांवों में बैटरी चालित दूरभाष सुविधा का खंडवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैटरी चालित दूरभाष सुविधा विफल हो गई है और इन गांवों में बैटरी चालित दूरभाष सुविधा के स्थान पर केबल प्रणाली के माध्यम से दूरभाष सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो बैटरी चालित दूरभाषों को चालू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सतना जिले में बैटरी चालित टेलिफोन अर्थात् ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा का खण्ड–वार ब्यौरा निम्नवत है :

क्र.सं.	खण्ड (ब्लाक) का नाम	एमएआरआर वीपीटी की सं.
1.	रामपुर बाघेलां	72
2.	मझगावन	135
3.	सोहवाल	148
4.	उंचेहरा	35
5.	मेहर	68
6.	अमरपतन	74
7.	नागौड	111
8.	रामनगर	0
	जोड़	643

(ख) जी, नहीं। किन्तु दोष दर अधिक है क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी की प्रणालियां होने के कारण इनका अनुरक्षण करना कठिन है। गांवों में बेहतर दूरसंचार सुविधा प्रदान करने के लिए डब्ल्यूएलएल (ग्रामीण) सी–डॉट टीडीएमए–पी एम पी जैसे नए प्रौद्योगिकी वाले उपस्करों को लगाने की योजना है। इसके अलावा गांवों में नये एक्सचेंज खुलते ही बैटरी चालित इन टेलीफोनों को भूमिगत केबल से बदलने का प्रस्ताव है।

(ग) एमएआरआर उपस्कर के संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से वार्षिक अनुरक्षण के ठेके के लिए सम्पर्क किया गया है।

[अनुवाद]

बकाया रिक्तियां

1730. श्री भान सिंह भौरा : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 01–01–1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह 'क') में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिशत केवल 10.68 है (अनुसूचित जातियां–08.48 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों–2.27 प्रतिशत) और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') में यह केवल 13.20 प्रतिशत है अनुसूचित जातियां–09.68 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां 3.52 प्रतिशत जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत (अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत) है;

(ख) यदि हां, तो इनके मंत्रालय के सभी (1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों, (2) सांविधिक संगठनों/निगमों, (3) स्वायत्तशासी संगठनों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में (i) प्रथम श्रेणी (समूह 'क') और (ii) द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') और समकक्ष स्तर के कुल कितने पद हैं; और

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर (i) सामान्य, (ii) अनुसूचित जातियों, (iii) अनुसूचित जनजातियों और (iv) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

आतंकवाद पर भारत का रुख

1731. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के संबंध में भारत सरकार की अधिकारिक प्रतिक्रिया समय–समय पर बदलती रही

है—जैसा प्रधान सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और प्रधान मंत्री के वक्तव्यों से प्रतीत होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या मंत्री महोदय प्रधान सुरक्षा सलाहकार की अमरीका यात्रा के निष्कर्ष से संबद्ध अधिकारिक प्रति, विदेश मंत्री द्वारा 12 सितम्बर के बाद से अब तक दी गई दैनिक प्रैस सूचना तथा गृहमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा समाचार माध्यमों में दिये गये वक्तव्यों को सभा पटल पर रखेंगे ताकि सभा आश्वस्त हो सके कि उक्त मामले में भारत सरकार का अधिकारिक दृष्टिकोण एक जैसा रहा है?

विदेश मंत्री (विदेश मंत्री) : (क) और (ख) जी, नहीं। आतंकवाद के विरुद्ध भारत सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार के वक्तव्यों में आतंकवाद के सभी प्रकारों और स्वरूपों के लिए सरकार का एकाग्र और अटल विरोध सतत और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है।

आंध्र प्रदेश में मांग-पर-टेलीफोन

1732. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में "मांग–पर–टेलीफोन" उपलब्ध कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में टेलीफोन–उपलब्धता के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश की स्थिति क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है

(i) आन्ध्र प्रदेश में 2795 एक्सचेंजों में से 1752 ऐसे एक्सचेंज हैं जहां अतिरिक्त संयोजक क्षमता उपलब्ध है जिससे कनेक्शन तत्काल प्रदान किए जा सकते हैं। राज्य में कुछ शहरों/नगरों में पहले से ही मांग पर कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।

(ii) फिक्सड फोनों के लिए स्विचन क्षमता की 6,10,600 और लाइनें जोड़ने का लक्ष्य है।

(iii) इसके अलावा 23,000 लाइनों की शहरी वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) प्रणाली की भी योजना बनायी गई है।

(iv) बीएसएनएल ने आन्ध्र प्रदेश में 1,46,469 की प्रतीक्षा सूची की तुलना में, चालू वर्ष के दौरान, 5,30,000 सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

(v) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य मामले अगले वित्त वर्ष में निपटाए जाएंगे।

(ग) 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में टेलीफोनों की उपलब्धता की तुलनात्मक स्थिति अनुबंध में दर्शायी गई है। प्रति 100 की जनसंख्या पर टेलीफोन घनत्व भी संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.10.2001 की स्थिति के अनुसार राज्य–वार टेलीफोन कनेक्शन और टेली–घनत्व

क्र.सं.	राज्य	टेलीफोन कनेक्शन	टेली–घनत्व
1	2	3	4
1.	अंडमान एण्ड निकोबार	31130	8.74
2.	आंध्र प्रदेश	3313365	4.38
3.	अरुणाचल प्रदेश	41571	3.81
4.	असम	402309	1.51
5.	बिहार	727019	0.88
6.	छत्तीसगढ़	234832	1.13
7.	दिल्ली	2781664	20.18
8.	गोवा	161358	12.01
9.	गुजरात	2910286	5.71
10.	हरियाणा	937053	4.44
11.	हिमाचल प्रदेश	400011	6.58
12.	जम्मू एण्ड कश्मीर	195265	1.94
13.	झारखंड	324088	1.20

1	2	3	4
14.	कर्नाटक	2685944	5.09
15.	केरल	2610401	8.18
16.	मध्य प्रदेश	1342517	2.22
17.	महाराष्ट्र	6560423	6.78
18.	मणिपुर	30129	1.26
19.	मेघालय	48303	2.09
20.	मिजोरम	39220	4.4
21.	नागालैंड	34704	1.75
22.	उड़ीसा	606454	1.65
23.	पंजाब	1915945	7.61
24.	राजस्थान	1504833	2.66
25.	सिक्किम	27776	5.14
26.	तमिलनाडु	4019695	6.37
27.	त्रिपुरा	60639	1.9
28.	उत्तर प्रदेश	2745458	1.65
29.	उत्तरांचल	275337	3.25
30.	पश्चिम बंगाल	2308434	2.86

टिप्पणी : झारखंड, छत्तीसगढ, उत्तरांचल, सिक्किम और पूर्वोत्तर–II सर्किलों में प्राइवेट प्रचालकों द्वारा प्रदान किए गए फिक्सड टेलीफोन कनेक्शनों और सेल फोनों की स्थिति क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर–I में शामिल हैं।

[हिन्दी]

ग्रामों में टेलीफोन-सुविधा

1733. श्री राजो सिंह :

श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और झारखंड में ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं जो बंद हैं अथवा काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार, बिहार और झारखंड के जिलावार कितने ग्रामों में टेलीफोन–सुविधा है;

(ग) 2001–2002 के दौरान कितने ग्रामों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है तथा इसे कहां–कहां उपलब्ध कराया जायेगा;

(घ) आज की तिथि के अनुसार बिहार और झारखंड में जिलावार कितने व्यक्ति टेलीफोन–कनेक्शन की प्रतीक्षा–सूची में हैं; और

(ङ) इस प्रतीक्षा–सूची का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) बिहार में एक और झारखंड में 6 टेलीफोन एक्सचेंज अविश्वसनीय माध्यम के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) बिहार और झारखंड में टेलीफान सविधायुक्त गांवों की संख्या जिलावार सूचना संलग्न विवरण–I और II के अनुसार है।

(ग) बिहार में वर्ष 2001–2002 के दौरान जिन गांवों में उक्त सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, उनकी संख्या संबंधी सूचना संलग्न विवरण–III के अनुसार है।

झारखंड में शेष सभी 20,973 गांवों को यह सुविधा वर्ष 2002 के दौरान उपलब्ध करा दी जाएगी। स्थल संबंधी निर्णय संस्थापना के समय लिया जाता है।

(घ) बिहार और झारखंड में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या संबंधी सूचना संलग्न विवरण IV और V में दी गई है।

(ङ) बिहार और झारखंड में प्रतीक्षा सूची को वर्ष 2002 तक निपटाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे।

विवरण-I

बिहार में टेलीफोन सुविधायुक्त गांवों की स्थिति

क्र.सं.	जिले का नाम	आज की तारीख तक टेलीफोन सुविधायुक्त गांवों की संख्या
1	2	3
1.	भोजपुर	638

1	2	3
2.	बक्सर	342
3.	भागलपुर	800
4.	बांका	475
5.	प. चम्पारण	381
6.	छपरा	589
7.	सिवान	437
8.	गोपालगंज	389
9.	दरभंगा	550
10.	मधुबनी	533
11.	गया	749
12.	औरंगाबाद	492
13.	जहानाबाद और अरवाल	450
14.	नवादा	394
15.	बैशाली	1399
16.	कटिहार	374
17.	पूर्णिया	366
18.	अररिया	377
19.	किशनगंज	262
20.	खगरिया	241
21.	बेगुसराय	437
22.	पूर्वी चम्पारण	674
23.	मुजफ्फरपुर	625
24.	सिहोर	52
25.	सितामढ़ी	638
26.	मुंगेर	419
27.	लखीसराय	298
28.	शेखपुरा	307
29.	जमुई	310
30.	पटना	980
31.	नालंदा	922
32.	सहरसा	346
33.	सुपौल	334
34.	माधेपुरा	374
35.	समस्तीपुर	719
36.	रोहतास	686
37.	कैमूर	358

विवरण-II

झारखंड में टेलीफोन सुविधायुक्त गांवों की स्थिति

क्र.सं.	जिले का नाम	आज की तारीख तक टेलीफोन सुविधायुक्त गांवों की संख्या
1	2	3
1.	बोकारो	443
2.	धनबाद	795
3.	दुमका	244
4.	पाकुर	82
5.	जामतारा	114
6.	गोड्डा	148
7.	साहिबगंज	217
8.	देवघर	364
9.	चतरा	99

1	2	3
10.	हजारीबाग	494
11.	कोडरमा	320
12.	गिरिडीह	440
13.	गरवा	245
14.	लतेहर	136
15.	पलामू	382
16.	रांची	1000
17.	लोहारडगा	277
18.	गुमला	102
19.	सिमडेगा	327
20.	पूर्वी सिंहभूम	1097
21.	सरायकेला	141
22.	प. सिंहभूम	598

विवरण-III

बिहार में दूरसंचार सुविधा प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित गांवों की स्थिति

क्र.सं.	जिले का नाम	2001-2002 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने वाले गांवों की संख्या
1	2	3
1.	भोजपुर	398
2.	बकसर	464
3.	भागलपुर	337
4.	बांका	948
5.	प. चम्पारण	200
6.	छपरा	305
7.	सिवान	310
8.	गोपालगंज	300
9	दरभंगा	544
10.	मधुबनी	533
11.	गया	2059
12.	औरंगाबाद	1418
13.	जहानाबाद और अरवाल	479
14.	नवादा	633
15.	बैशाली	0
16.	कटिहार	863
17.	पूर्णिया	699
18.	अररिया	326
19.	किशनगंज	457
20.	खगरिया	0
21.	बेगुसराय	250
22.	पूर्वी चम्पारण	608
23.	मुजफ्फरपुर	700
24.	सिहोर	90
25.	सितामढ़ी	240
26.	मुंगेर	300
27.	लखीसराय	200
28.	शेखपुरा	29
29.	जमुई	1100
30.	पटना	759
31.	नालंदा	527

1	2	3
32.	सहरसा	146
33.	सुपौल	220
34.	माधेपुरा	81
35.	समस्तीपुर	385
36.	रोहतास	1126
37.	कैमूर	1041

विवरण-IV

बिहार में प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिला–वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	31.10.2001 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	भोजपुर	4436
2.	बकसर	434
3.	भागलपुर	1908
4.	बांका	274
5.	प. चम्पारण	3224
6.	छपरा	3833
7.	सिवान	7989
8.	गोपालगंज	3403
9.	दरभंगा	3224
10.	मधुबनी	4256
11.	गया	709
12.	औरंगाबाद	1327
13.	जहानाबाद और अरवाल	640 और 818
14.	नवादा	1495
15.	बैशाली	5933
16.	कटिहार	1440
17.	पूर्णिया	2084
18.	अररिया	834
19.	किशनगंज	220
20.	खगरिया	4148
21.	बेगुसराय	7301
22.	पूर्वी चम्पारण	6411
23.	मुजफ्फरपुर	2917
24.	सिहोर	1561
25.	सितामढ़ी	2977
26.	मुंगेर	1780
27.	लखीसराय	877
28.	शेखपुरा	26
29.	जमुई	279
30.	पटना	11236
31.	नालंदा	5677
32.	सहरसा	798
33.	सुपौल	1118
34.	माधेपुरा	408
35.	समस्तीपुर	7171
36.	रोहतास	3484
37.	कैमूर	1904

विवरण-V

झारखंड में प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिला–वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	31.10.2001 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1.	बोकारो	4378
2.	धनबाद	4261
3.	दुमका	467
4.	पाकुर	59
5.	जामतारा	—
6.	गोड्डा	535
7.	साहिबगंज	309
8.	देवघर	2896
9.	चतरा	320
10.	हजारीबाग	6083
11.	कोडरमा	421
12.	गिरिडीह	386
13.	गरवा	205
14.	लतेहर	87
15.	पलामू	745
16.	रांची	3008
17.	लोहारडगा	141
18.	गुमला	194
19.	सिमडेगा	07
20.	पूर्वी सिंहभूम	3403
21.	सरायकेला	617
22.	प. सिंहभूम	939

पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा

1734. श्री पदमसेन चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में हिंदुओं को आतंक के साये में जीना पड़ रहा है—जैसा कि 24 अक्तूबर, 2001 के 'दैनिक जागरण' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने 24 अक्तूबर, 2001 को दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट को देखा है।

पाकिस्तान में धार्मिक उग्रवाद और रूढ़िवाद के बढ़ते हुए प्रभाव, जिसमें पाकिस्तान राज्य द्वारा इसे दिया गया सक्रिय सहयोग और समर्थन शामिल है, के कारण पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बढ़ती हुई असुरक्षा और प्रणालीबद्ध भेद–भाव की शिकायतें करते रहे हैं। हाल ही में बहावलपुर (पाकिस्तान) में पाकिस्तानी क्रिश्चियनों के मारे जाने की रिपोर्ट थी।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति भेद–भाव का तत्व पाकिस्तान राज्य के मूलभूत ढांचे में ही है। यह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की प्रथा तथा पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताने और डराने–धमकाने के लिए पाकिस्तान के ईश निंदा विरोधी कानूनों के उपयोग में दिखाई पड़ता है।

सरकार का यह विचार है कि यह सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए, एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप–रेखा का होना अनिवार्य है। यह भी स्पष्ट है कि ऐसे राज्य जो अपने निजी विकृत प्रयोजनों से धार्मिक उग्रवाद और रूढ़िवाद को सक्रिय रूप से बढ़ाते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की संरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ होते हैं।

लघु उद्योग उत्पादों के लिए बार कोड

1735. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योग–उत्पादों के लिए कम्प्यूटरीकृत बार कोड आवंटित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादों की बार कोड योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों को सरकार की ओर से किसी तरह की सहायता मिलने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) ई. ए. एन. इंडिया वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत वर्तमान में लघु उद्योगों (एस एस आईज) सहित सभी उत्पादों के बार कोड ग्रहण करने हेतु ई. ए. एन. नम्बर पंजीकृत एवं आवंटित कर रहा है।

(ग) और (घ) लघु उद्योग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु, हाल ही में बनाई गई बाजार विकास सहायता योजना में लघु उद्योगों द्वारा बार कोड के पंजीकरण हेतु सहायता देने का विचार किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में ''एड्स-II'' परियोजना

1736. श्री सुरेश चन्देल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में "एड्स–II" परियोजना शुरू करने के लिए 395.58 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार से 291.58 लाख रुपये की शेष धनराशि का भुगतान प्राप्त न होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को शेष धनराशि का भुगतान कर दिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के लिए वर्ष 1999–2000 के दौरान एड्स–II परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 395.58 लाख रुपए की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया था।

(ख) और (ग) उपलब्ध बजटीय प्रावधानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी को 1999–2000 के दौरान 318 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई थी। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2000–01 के दौरान 212 लाख रुपए की अनुमोदित कार्य योजना की तुलना में 262.50 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई है।

वर्ष 2001–02 में हिमाचल प्रदेश सोसाइटी के लिए अनुमोदित कार्य योजना 266–89 लाख रुपये की है जिसमें से अब तक 150 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के लिए और 113.50 लाख रुपए रिलीज करने का अनुमोदन कर दिया गया है। यह धन राशि शीघ्र ही रिलीज कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

आतंकवाद के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण

1737. श्री के. येरननायडू : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने में चयनित दृष्टिकोण अपनाने के संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष के विरुद्ध अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) भारत, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बताने के लिए सतत प्रयास करता रहा है कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है जिसके लिए आतंकवाद के विरुद्ध जहां भी इसका अस्तित्व है, समेकित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

(ख) 5 अक्तूबर, 2001 को प्रेस विज्ञप्ति में व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति बुश ने 1 अक्तूबर को श्रीनगर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है और राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि "आतंकवाद का खात्मा हर जगह अवश्य ही होना चाहिए, और इसमें कश्मीर भी शामिल है।" वाशिंगटन

डी. सी. में दिनांक 9 नवम्बर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ भारत के प्रधान मंत्री की बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने महसूस किया कि दोनों ही देश आतंकवाद का शिकार हैं और विश्व भर में आतंकवाद और इसके प्रायोजकों के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध की आवश्यकता की संपुष्टि की।

स्वास्थ्य-परिचर्या पर व्यय

1738. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशतांक के रूप में स्वास्थ्य–परिचर्या पर सरकारी व्यय योजना–दर–योजना घटता ही जा रहा है, जबकि हाल के वर्षों में स्वास्थ्य–परिचर्या संबंधी आवश्यकताएं लगातार बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तत्व क्या है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्ग निदेशानुसार स्वास्थ्य–परिचर्या पर व्यय की मात्रा सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी.पी.) का कम से कम 5 प्रतिशत होना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो इस समय स्वास्थ्य–परिचर्या पर जो व्यय किया जा रहा है, उसकी मात्रा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है;

(ङ) क्या स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए योजना–परिव्यय के कम आवंटन का मुख्य कारण निधिदाय की कमी है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का आगामी वर्षों में स्वास्थ्य–परिचर्या के लिए कुल योजना–परिव्यय में वृद्धि करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) विभिन्न योजनाओं के दौरान कुल योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए परिव्यय के अनुपात में कोई कमी नहीं हुई है और लोगों की बढ़ रही स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए आठवीं योजना की तुलना में नौवीं योजना में वास्तव में इस प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश वर्ष 1990 के 1.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1999 में 0.9 प्रतिशत हो गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य परिचर्या पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2000 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में देश में स्वास्थ्य व्यय वर्ष 1997 के आसपात लगभग 5.2 प्रतिशत रहा है।

(ङ) से (छ) केन्द्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में अपने अंशदान को बढ़ाने का प्रत्येक प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3.24 प्रतिशत की तुलना में नौवीं पंचवर्षीय योजना में समग्र योजना परिव्यय कुल योजना परिव्यय का 4.01 प्रतिशत रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रारूप में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 0.9 प्रतिशत सरकारी अंशदान के साथ व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 5.2 प्रतिशत से बढ़कर सन् 2010 तक 2 प्रतिशत सरकारी अंशदान के साथ सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक करना परिकल्पित है। विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयनों हेतु विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभिकरणों से सहायता प्राप्त करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के लिए संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। कुछ राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से स्वास्थ्य ढांचे का भी उन्नयन किया गया है।

यूरेनियम के भंडार

1739. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ के तीन खनिज–बहुल जिलों में उच्च गुणतायुक्त यूरेनियम पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) ने छत्तीसगढ़ के राजनन्द–गांव, रायगढ़ और बस्तर जिलों के विभिन्न भागों में यूरेनियम के मौजूद होने का पता लगाया था।

(ख) इन भंडारों में से, राजनन्दगांव जिले के बोडल

नामक स्थान पर ऐम्फिबोलाइट संजाति के शैलों से सम्बद्ध लगभग 1500 मीटरी टन यूरेनियम ऑक्साइड विद्यमान है। इस क्षेत्र में अन्वेषण कार्य 1980 के दशक के मध्य तक पूरा कर लिया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में जिन अन्य स्थानों पर यूरेनियम मौजूद है। वे हैं राजनन्दगांव जिले में जंगलपुर, रायगढ़ जिले में जुबा, दमदमा, दुलापाली, पारसकोल और बस्तर जिले में दरबा, काकुलगढ़ कोंडालूर, अबुजमार। इस समय इनमें से कुछेक क्षेत्रों में विभिन्न चरणों पर अन्वेषण कार्य चल रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान

1740. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से एक "राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे ग्रामीण औद्योगिकीकरण और सतत विकास की प्रक्रिया में कितना बढ़ावा मिलने की आशा है?

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा का दर्जा बढ़ाए जाने के लिए अप्रैल, 2001 में आई. आई. टी., दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। परियोजना के लिए 8.35 करोड़ रु. का परिव्यय है और इसका उद्देश्य खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी इनपुट्स प्रदान करने के लिए एक तन्त्र का सृजन करना है। परियोजना अवधि तीन वर्ष है। प्रत्याशा की जाती है कि परियोजना से ग्रामीण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी और खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र वाणिज्यिक तौर पर जीवनक्षम बनेगा।

[हिन्दी]

सहायकों की पदोन्नति

1741. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति के निदेशानुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग ने जुलाई, 2001 के अपने परिपत्र के जरिये मंत्रालयों/विभागों से केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के संबंध में सूचना मांगी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के ऐसे कार्मिकों की मंत्रालयवार और विभागवार संख्या कितनी है जिनकी सीधे सहायक के रूप में नियुक्ति हुई थी;

(ग) अब तक कितने सहायकों की अवर सचिव, उप सचिव और निदेशक के स्तर तक पदोन्नति हुई है; और

(घ) केन्द्रीय सचिवालय–सेवा में मंत्रालयवार और विभागवार ऐसे कितने पदोन्नत सहायक हैं जो उच्च श्रेणी लिपिक स्तर से पदोन्नति पाकर इस पद पर पहुंचे हैं और अवर सचिव, उप सचिव तथा निदेशक श्रेणी के पदों पर पदोन्नति की तुलना में इसकी प्रतिशतता कितनी है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस बारे में संसदीय स्थायी समिति द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी विभिन्न संवर्गों से एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मीडिया लैब एशिया के अंतर्गत परियोजनाएं

1742. श्री रामशकल : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार 'मीडिया लैब एशिया' परियोजना के अंतर्गत लखनऊ और कानपुर के बाजारों में 'इन्फो लैब', 'चिकन कैड' और 'इन्फोट्रांस' योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई ?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) मीडिया लैब एशिया ने मीडिया लैब एशिया परियोजनाओं के आरम्भिक समूह के

लिए एक हब के रूप में लखनऊ–कानपुर क्षेत्र को चुना है। यह हब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–कानपुर में केन्द्रित करने की योजना है। परियोजनाओं अर्थात् चिकन–कैड, इन्फो '–ठेला–सुचिक' एण्ड इन्फोट्रान्स को अब तक मीडिया लैब एशिया द्वारा इस हब में पूरा करने के लिए चुना गया है।

चिकन कैड परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों तथा बाह्य विश्व के बीच सम्पर्क का प्रदर्शन करना है। इस परियोजना का लक्ष्य डिजाइन को गांव से अथवा बाहर से डिजाइन के सरल साधन उपलब्ध कराना, इन डिजाइनों को ग्रामीण स्तर पर भेजना, इन डिजाइनों को कम लागत के, सुदृढ़ प्रिंटरों के इस्तेमाल से मुद्रित करना तथा इन्हें कढ़ाईकारों को उपलब्ध कराना है।

इन्फो–ठेला का उद्देश्य आम आदमी को ठेलों (साइकिल अथवा तिपहिया साइकिल) पर रेलवे स्टशनों, बस–स्टैंडों, बाजारों, न्यायालय, कटक्टरी आदि संस्थानों पर चल सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं उपलब्ध कराना है जैसे कि डाक सेवाएं, मीडिया सेवाएं, व्यापारिक लेन–देन सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं, मनोरंजन सेवाएं आदि।

सुचिक परियोजना का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित समुचित साधनों का विकास करना है, जिनका इस्तेमाल बच्चों के लिए नई चित्र कथाएं तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तथा कम्प्यूटर पर उनका प्रदर्शन किया जा सकता है।

इन्फोट्रान्स परियोजना का उद्देश्य आपदा नियंत्रण उपायों में सुधार करने के लिए भारतीय रेल की ट्रेनों की दिशा निगरानी और नैदानिकी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणालियों का इस्तेमाल करना है।

वी. एस. एन. एल. की कर्मचारी-
संख्या में कमी

1743. श्री के. पी. सिंह देव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी.एस.एन. एल.) का अपनी कर्मचारी–संख्या में कमी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इस प्रस्ताव को लाने के क्या कारण हैं; और

(घ) जिन कर्मचारियों को निकाले जाने की संभावना है उनके लिए प्रस्तावित वैकल्पिक बेरोजगार योजना का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

झारखण्ड में दूरभाष केन्द्र

1744. श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखण्ड राज्य में बेर्मों दूरभाष केन्द्र अपने उपभोक्ताओं को कुशल सेवाएं उपलब्ध कराने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष इस दूरभाष केन्द्र ने औसतन कितने समय तक काम करना बन्द कर दिया था;

(ग) सरकार द्वारा राज्य में बेर्मों और अन्य दूरभाष केन्द्रों के आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु दूरभाष केन्द्र–वार क्या क़दम उठाए गए हैं; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए दूरभाष केन्द्र–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) मार्च, 2001 से पहले पारेषण माध्यम में उत्पन्न समस्या और एक्सचेंज ठप्प हो जाने के कारण बेर्मों एक्सचेंज प्रभावित हुआ है।

(ख) पिछले वर्ष 46 घंटों के लिए एक्सचेंज ठप्प हुआ था।

(ग) बेर्मों एक्सचेंज के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) पुराने सी–डॉट एसबीएम एक्सचेंज को नए सी–डॉट एमबीएम एक्सचेंजों से बदलकर एक्सचेंज में 1600 लाइनों की वृद्धि की गई थी।

(2) बेर्मों के लिए एसटीडी चैनलों की संख्या 60 से बढ़ाकर 90 कर दी गई।

(3) विश्वसनीय माध्यम प्रदान किया गया है।

(4) मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान क्षमता में 1 हजार लाइनों की वृद्धि की योजना है। झारखण्ड में अन्य एक्सचेंजों के विस्तार की योजना विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) निधियां समग्र रूप से सर्किल के लिए आवंटित की जाती हैं, न कि एक्सचेंजवार। वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों हेतु झारखण्ड सर्किल के वास्ते आवंटित निधि 180.11 करोड़ रुपये है।

विवरण

झारखंड के लिए एक्सचेंज-वार विस्तार योजना

एक्सचेंज का नाम	स्विच का प्रकार	निवल क्षमता संवर्द्धन
1	2	3
डाल्टनगंज	एमएएक्स-एक्सएल	1000
लोयाबाद	ओसीबी-283	2000
बालीडीह	ई-10बी	1000
कतरास	ई-10बी आरएलयू	1000
सीएफआरआई	ओसीबी-283	2000
बोकारो सैक्टर-4	ईडब्ल्यूएसडी	2000
देवघर	एमएएक्स-एक्सएल	6000
दुमका	एमएएक्स-एक्सएल	2000
गोडा	एमएएक्स-एक्सएल	600
साहेबगंज	एमएएक्स-एल	1000
दुमका	एमएएक्स-एल	1000
इचक	एमएएक्स-एक्सएल	696
सायल	ई 10बी	1000
झुमरी तलैया	एमएएक्स-एल	896
अरगोदा	ई 10बी	1000
राजरपा	ई 10 बी	1000
आदित्यपुर-2	ईडब्ल्यूएसडी	3000
छोटा गोविंदपुर	ओसीबी	2000
चक्रधरपुर	एमएएक्स-एक्सएल	600
टेल्को	ओसीबी-283	2000
कनके	ओसीबी-283	1000
बरियैतु	ओसीबी-283	2000
चुतिया	ईडब्ल्यूएसडी	2000
हरिहरगंज	सी-डॉट	512
नागरूतरी	सी-डॉट	480
जपला	सी-डॉट	32
लालपनिया	सी-डॉट	0
कथारा	सी-डॉट	616
तेनुघाट	सी-डॉट	632
केडला	सी-डॉट	696
चौपारन	सी-डॉट	24
हल्दीपोखर	सी-डॉट	632
चावका	सी-डॉट	32
बेरो	सी-डॉट	664
सिसई	सी-डॉट	64
तमार	सी-डॉट	696
झन्मुण्डी	सी-डॉट	696
पाथरगामा	सी-डॉट	696
अमरापरा	सी-डॉट	64
बालुमठ	सी-डॉट	208

1	2	3
रेहा	सी–डॉट	664
लातेहर	सी–डॉट	664
भावनाथपुर	सी–डॉट	632
गोमोह	सी–डॉट	632
चिकुन्डा	सी–डॉट	1000
चतरा	सी–डॉट	400
दोनचाहाट	सी–डॉट	664
सरैया	सी–डॉट	664
राजधनवार	सी–डॉट	664
डलोहोमिलगंज	सी–डॉट	590
चकुलिया	सी–डॉट	344
सरायकेला	सी–डॉट	704
चांदिल	सी–डॉट	704
मुरि	सी–डॉट	696
दकरा	सी–डॉट	400
बेरो	सी–डॉट	696
पिपरबार	सी–डॉट	400
चिरकुंडा	ओसीबी–283	1600
गोमला	ओसीबी–283	1600
घटशिला	ओसीबी–283	600
धुरवा मेन	ओसीबी–283	8000
गोला	ई 10बी	664
धनबाद एन (सरायडेला)	ई 10बी	2000
कटरास	ई 10बी	2000
पंडरा	ई 10बी	1000

1	2	3
बोकारो सैक्टर V	ईडब्ल्यूएसडी	1000
बोकारो सैक्टर VIII	ईडब्ल्यूएसडी	1000
मांगो II	ईडब्ल्यूएसडी	2000
चुतिया	ईडब्ल्यूएसडी	2000
धुर्वा सैक्टर II	ईडब्ल्यूएसडी	2000
चास बाजार	ईडब्ल्यूएसडी	2000
परडिह (मांगो)	ईडब्ल्यूएसडी	2000
अशोक नगर	ईडब्ल्यूएसडी	1500
सीएमपीडीआईएल	ईडब्ल्यूएसडी	1000
मेसरा	ईडब्ल्यूएसडी	500
एमईसीओएन	ईडब्ल्यूएसडी	3000
ज्ञामकुम	ईडब्ल्यूएसडी	500
सीमेन्स	ईडब्ल्यूएसडी	2000
तपुदाना	ईडब्ल्यूएसडी	500
डाल्टनगंज	एमएएक्स–एक्सएल	3000
दुमका	एमएएक्स–एक्सएल	2000
गोड्डा	एमएएक्स–एक्सएल	1000
साहेबगंज	एमएएक्स–एक्सएल	1000
झुमरी तलैया	एमएएक्स–एक्सएल	1000
चक्रधरपुर	एमएएक्स–एक्सएल	1000
बस्ताकोला	ओसीबी–283	2000
झरिया	ओसीबी–283	2000
हीरापुर	ओसीबी–283	2000
भूलिनगर	ओसीबी–283	3000
सिंदरी	ओसीबी–283	2000

1	2	3
कांटा टोली	ओसीबी–283	3000
सिनिडीह	ओसीबी–283	600
बरदवारी	ओसीबी–283	3000
गोलमुरी	ओसीबी–283	3000
मनिफिट	ओसीबी–283	1000
परसुडिह	ओसीबी–283	2000
टाटा नगर	ओसीबी–283	1000
आरटीटीसी	ओसीबी–283	2000

[हिन्दी]

बिहार में संचार ढाबा

1745. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में "संचार ढाबा" कार्यक्रम अब तक शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त वर्णित कार्यक्रम के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) बिहार में संचार ढाबा स्थापित करने का कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है।

— 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार, ब्लॉक मुख्यालयों में 49 संचार ढाबे स्थापित किए जा चुके हैं।

(ग) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार ढाबे स्थापित करने का कार्य शुरू किया जा चुका है।

[अनुवाद]

गुजरात में इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्र

1746. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषकर सौराष्ट्र और कच्छ प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 2001–2002 के दौरान और आज की तिथि तक इलैक्ट्रानिक दूरभाष केन्द्रों की स्थापना की जानी थी और उनकी क्षमता क्या थी;

(ख) ये दूरभाष केन्द्र कब तक शुरू किये जाएंगे;

(ग) गुजरात के कच्छ जिले में भीषण भूकम्प के कारण वर्तमान दूरभाष केन्द्रों को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दूरभाष केन्द्रों में हुई खराबी को ठीक कर दिया गया है और उपभोक्ताओं को सेवाएं बहाल कर दी गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस समस्या का समाधान कब तक किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) वर्ष 2001–2002 के दौरान, कुल 127 इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है और 31 अक्तूबर, 2001 तक 34 एक्सचेंज चालू किए गए हैं। सूचियां क्रमशः विवरण I और II के रूप में संलग्न हैं।

(ख) वर्ष 2001–2002 के लिए नियोजित शेष एक्सचेंजों को 31 मार्च, 2002 तक स्थापित किए जाने की आशा है।

(ग) कच्छ जिले में भूकम्प से क्षतिग्रस्त एक्सचेंजों का ब्यौरा निम्नवत है

1.	एक्सचेंज जिनकी सेवाएं प्रभावित हुईं	147
2.	एक्सचेंज जिनके भवन प्रभावित हुए	145
3.	स्टाफ क्वार्टरों को क्षति	146

(घ) उन उपभोक्ताओं के अलावा, जिनके टेलीफोन सेफ–कस्टडी में थे और जो दूरस्थ स्थानों पर चले गये हैं, सभी 147 एक्सचेंजों की सेवाएं बहाल की गई हैं। सभी क्षतिग्रस्त एक्सचेंज भवनों और स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत की जा चुकी है।

(ङ) भुज, अंजार, भचाऊ के प्रवासी उपभोक्ताओं के टेलीफोनों की बहाली का कार्य शुरू किया जा चुका है और इसके दिसम्बर, 2001 तक पूरा होने की आशा है अन्य सभी टीएनएफ (तकनीकी रूप से अव्यवहार्य) मामलों को फरवरी, 2002 के अन्त तक निपटाया जाएगा।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रस्तावित क्षमता
1	2	3
1.	कालीकुंज	184
2.	विंचिया	184
3.	देवादथाल	152
4.	असलगम	184
5.	कन्नोतार	184
6.	कथवाडा	160
7.	रामसाल	184
8.	देवगाम	184
9.	नेसादी	184
10.	समधियाला	184
11.	शेदुभार	184
12.	शेखपिपरिया	184
13.	थोर्दी (अमरेली)	152
14.	बोरिया	184
15.	घामनाड	184
16.	गुरुदेश्वर	184
17	खानपुरदेश	184
18.	इंदोर	184
19.	उमाधारा	184
20.	मंजुला	184
21.	जीतनगर	184
22.	नानीबेनवान	184
23.	नवागाम	184
24.	तालोद्रा	184
25.	पाटना	184
26.	भचाऊ	184
27.	वीरपोडे	184
28.	कटपोई	184
29.	राहियाद	352
30.	गुंदिया	184
31.	लखीगाम	184
32.	निकोदा	152
33.	ओभा	184
34.	थोर्दी (बीवी)	184
35.	सेदरादा	184
36.	चित्रावाव	184
37.	इंगोराला	184
38.	जूना जालिया	184
39.	लाकादिया	184
40.	लुवाना	184
41.	नाना असराना	184
42.	परवाला	184
43.	सरतानपार	184
44.	तरेड	184
45.	वराल	184
46.	ववदी	184
47.	नवगाम	184

1	2	3
48.	नारा	152
49.	हमीरपार	152
50.	भद्रेश्वर	184
51.	कालीतालवदी	184
52.	समेत्रा	184
53.	भद्रा	184
54.	छेर	184
55.	मेकादा	184
56.	चोसाला	152
57.	दितवास	152
58.	बोरिया	152
59.	केलवा	184
60.	चोरिमाला	152
61.	हथर्वा	152
62.	सुनोख	152
63.	मथसार	152
64.	तालपुरी	152
65.	कनेरा	152
66.	कानादर	184
67.	साबलवाद	184
68.	अंजना	184
69.	खामभालिदा	184
70.	भैंसदाद	184
71.	धुलारपुर	184
72.	जिंनावरी	184

1	2	3
73.	भोजा बेदी	184
74.	ववदी	184
75.	राजपार	184
76.	पदाना–पाटिया	184
77.	रानपुर	152
78.	रघनाथपुरा	152
79.	मानपुर	184
80.	मोटा जोरावरपुरा	184
81.	तरोरा	184
82.	तुवाड	184
83.	वादडोड	184
84.	पादला	184
85.	केवादिया	184
86.	मोतीपुरा	184
87.	रनिया	184
88.	बाघरोली	184
89.	मोहलेल	184
90.	बाघी	152
91.	नेकनाम	152
92.	पदवाला	168
93.	पंचसिया	152
94.	साजापार	152
95.	कानापार	152
96.	सावदी	152
97.	हदमाटिया	152

1	2	3
98.	सलपिपलिया	152
99.	खजुरादी	152
100.	जुंदाला	184
101.	मोता हदमाटिया	184
102.	खादयादी	184
103.	मेसारिया	184
104.	देवगाद	500
105.	पटा–परदी	500
106.	कुमकोतार	500
107.	कोसडी	500
108.	नेहाली	500
109.	जामनिया	500
110.	पिपलोद	500
111.	गोरिया	152
112.	मोथमंदला	184
113.	धोलीभाल	184
114.	आया	184
115.	तरणेतार	152
116.	मंगलेज	184
117.	घेज	1000
118.	काकदेवल	1000
119.	रणवेरिकुर्द	1000
120.	शुकाला	184
121.	उदवगाम	1000
122.	अम्बापानी	184
123.	देगाम (चिखली)	184
124.	कोन्दोलपादा	184
125.	बोरीगाम	184
126.	कालीबेल	184
127.	उमरखुई	184

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 के दौरान, अक्तूबर, 2001 तक चालू किए गए एक्सचेंजों की सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता
1	2	3
1.	रणपुर	152
2.	चोसाला	152
3.	तलपुरी	152
4.	चोरीमाला	152
5.	रूघनाथपुरा	152
6.	कनेरा	152
7.	रानिया	184
8.	नेकनाम	152
9.	पड़वाला	168
10.	थोर्डी	152
11.	नारा	152
12.	हमीरपार	152
13.	पंचसिया	152
14.	साजापार	152
15.	कानापार	152

1	2	3
16.	सेवदी	152
17.	हदमतिया	152
18.	तारनेतर	152
19.	माथासर	152
20.	वाघरोलि	184
21.	सालपिपलिया	152
22.	देवादथाल	152
23.	बोरिया	152
24.	दितवास	152
25.	खजुराड़ी	152
26.	बाघी	152
27.	कथवाड़ा	160
28.	रहियाद	352
29.	हथरवा	152
30.	सुनोख	152
31.	निकोड़ा	152
32.	खदयादी	184
33.	मोटा हदमतिया	184
34.	गोरिया	152

[हिन्दी]

सी. जी. एच. एस. लाभार्थियों को सुविधायें

1747. श्री आर. एस. पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सी. जी. एच. एस. लाभार्थियों के कार्ड का शुल्क बढ़ाने से सरकार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं उसी अनुपात में नहीं बढ़ी हैं;

(ग) क्या आपातकाल में सी. जी. एच. एस. लाभार्थियों को सफदरजंग और राम मनोहर अस्पताल भेजा जाता है जहां भारी भीड़ के कारण उन्हें कोई प्राथमिकता और अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाती है; और

(घ) सरकार द्वारा सी. जी. एच. एस. लाभार्थियों को बेहतर सुविधायें प्रदान करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) हाल ही में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को कई नई सुविधाएं दी गई हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार योजना में मासिक अंशदान में बढ़ोतरी से इनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

(ग) आपात स्थिति में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अस्पताल में से किसी भी निजी अस्पताल में सीधे इलाज करा सकते हैं और यह केवल सफदरजंग/राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक ही सीमित नहीं है। आपाती स्थितियों में लाभार्थी उपचार के लिए गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों/नर्सिंग होम्स में भी जा सकते हैं जिसके पश्चात प्रति पूर्ति हेतु सरकार से कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त की जा सकती है।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपये)

मुख्य शीर्ष 0210	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अंशदान	
	वर्ष	राशि
	1998–99	24.40
	1999–2000	39.63
	2000–2001	45.25
	2001–2002 (सितम्बर, 2001 तक)	23.34

[अनुवाद]

बिल संबंधी नई व्यवस्था

1748. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने पिछले महीने के दौरान की गई एस. टी. डी. और आई. एस. डी. कॉलों के ब्यौरों के साथ बिल बनाने संबंधी व्यवस्था को समाप्त करने कर निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तत्संबंधी नई व्यवस्था के लाभों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। एस टी डी/आई एस डी कॉलों के ब्यौरे सहित टेलीफोन बिल अब भी प्रदान किए जाएंगे। तथापि ग्राहक को एक बार इसके लिए अनुरोध करना होगा।

(ग) उपभोक्ताओं के विभिन्न समूहों और टेलीफोन सलाहकार समिति जैसे विभिन्न मंचों के साथ की गई कई बैठकों के दौरान यह महसूस किया गया कि सभी उपभोक्ता एस टी डी ब्यौरे नहीं मांगते और कुछ ही उपभोक्ता एस टी डी ब्यौरे चाहते हैं। एस टी डी ब्यौरों से न केवल कागज की अधिक खपत होती है बल्कि बिलों को भेजने में भी अधिक लागत आती है। इसी बीच एक साफ्टवेयर भी विकसित किया गया है जिसके माध्यम से एस टी डी ब्यौरों को प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा इंटरनेट पर देखा जा सकता है। इससे उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी जो इंटरनेट पर बिलों का ब्यौरा देखना चाहते हैं। समाचार पत्रों में पते सहित उपयुक्त विज्ञापन दिए गए हैं और इस पते पर उन उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन दिए जा सकते हैं जो कॉल के ब्यौरों सहित बिल चाहते हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये विशेष भर्ती अभियान

1749. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16 (4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों का 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में डी ओ पी टी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 में यथा सुनिश्चित समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में बकाया आरक्षित रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों के पदों में आरक्षित वर्गों के लिए उत्पन्न नई रिक्तियों/पदों का ब्यौरा क्या है ?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूडी) : (क) जी, हां।

(ख) सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय के विभाजन के बाद नवम्बर, 2001 में बनाया गया था। कर्मचारियों का औपचारिक विभाजन 1.6.2001 से प्रभावी हुआ। इस मंत्रालय में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणियों में बकाया रिक्तियों का कोई मामला देखने में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1.6.2001 के बाद पर आधारित रोस्टर में निम्नलिखित रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं :

समूह	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
क	1	–	1
ख	–	1	2
ग	1	3	1
घ	–	–	–

जैव आतंकवाद का मुकाबला

1750. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने जैव आतंकवाद और जैव संसाधित जीवों के अविवेकपूर्ण प्रयोग का मुकाबला करने हेतु आवश्यक एहतियात और सुरक्षा उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जैव आतंकवाद से निपटने का कार्य जिन शीर्ष एजेंसियों को सौंपा गया हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

1. हथियारों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जीव–विज्ञानीय कारकों की एक ब्यौरेवार सूची इनके चिह्नों एवं लक्षणों, प्रसार की संभावित विधि इनकी उद्भवन अवधि, घातकता और वैक्सीनों की उपलब्धता सहित सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों और स्वास्थ्य सेवा निदेशकों तथा केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों को निम्नलिखित एहतियाती उपाय करने के सलाह देते हुए परिचालित की गई है :

   – आपाती आकस्मिकता के लिए बिस्तरों की अधिकतम संख्या निर्धारित करना

   – यथासंभव वैक्सीनों/सीरा/औषधों का भंडारण करना

   – समन्वित कार्रवाई के लिए डाक्टरों का एक विशेष दल बनाना। उनको ऐसे हथियारों और उपचार संबंधी उपायों के प्रभाव के बारे में सुग्राही बनाया जाना चाहिए।

2. डेंगू, एन्थ्रैक्स आदि हाल ही में उभरने वाले जन–स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रोगों के प्रबंधन (निदान, उपचार, सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलापों आदि) की समीक्षा करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेषज्ञ दल की दो बैठकें (1 और 17 अक्तूबर) में आयोजित की गईं। देश में विभिन्न संगठनों के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, दिल्ली में विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों के प्रमुखों ने बैठक में भाग लिया और मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में जैव आतंक के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया।

3. सी डी एलर्ट में जारी होने वाले दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ दल की दो बैठकें (18 एवं 21 अक्तूबर, 2001) आयोजित की गईं।

4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक संस्थान राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, 22 शामनाथ मार्ग, दिल्ली–110054 को एन्थ्रैक्स के संदेहास्पद नमूनों की जांच करने हेतु नौडल एजैन्सी नियुक्त किया गया है। संदेहास्पद नमूने प्राप्त करने और इसकी जांच करने के लिए चौबीसों घंटे एक नियंत्रण कक्ष काम कर रहा है (दूरभाष सं. 3912901 (10 बजे पूर्वाहन से 6 बजे अपराह्न तक) और 3971875 (6 बजे अपराह्न से 10 बजे पूर्वाह्न)।

5. सी डी एलर्ट, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का मासिक न्यूजलेटर "जैव आतंक–जन स्वास्थ्य प्रणाली का सतर्क रहाना" अनन्य रूप से एन्थ्रैक्स पर व्यापक रूप से परिचालित किया गया है। आम जनता की सूचना के लिए इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वेबसाइट (एच टी टी पी :/एम ओ एच एफ डब्ल्यू. एन आई सी. आई एन) में भी रखा गया है।

6. एन्थ्रैक्स के संबंध में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसे प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

7. स्वास्थ्य विभाग ने 29 अक्तूबर, 2001 को नई दिल्ली में जैविक एवं रासायनिक आतंकवाद पर एक बैठक सह–कार्यशाला आयोजित की जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों, गृह सचिवों और स्वास्थ्य सेवा निदेशक, देश में विभिन्न संगठनों के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों और दिल्ली में सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों

के प्रमुखों ने भाग लिया और विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श किया। राज्य के प्रतिनिधियों ने किए गए प्रारम्भिक उपायों के बारे में सूचना दी और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधों की उपलब्धता का आश्वासन दिया।

8. जैविक आतंकवाद पर चिकित्सा एवं पराचिकित्सा कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में सतत चिकित्सा शिक्षा कार्य–कलाप आयोजित किए जा रहे हैं। स्थिति की मानीटरिंग की जा रही है।

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक संस्थान राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, 22 शामनाथ मार्ग, दिल्ली–110054 को एन्थ्रैक्स के संदेहास्पद नमूनों की जांच करने हेतु नोडल एजैन्सी नियुक्त किया गया है। संदेहास्पद नमूने प्राप्त करने और इसकी जांच करने के लिए चौबीसों घंटे एक नियंत्रण कक्ष काम कर रहा है (दूरभाष सं. 3912901 (10 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक) और 3971875 (6 बजे अपराह्न से 10 बजे पूर्वाह्न)। 23 नवम्बर, 2001 के शाम तक राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान में जांच के लिए 312 संदेहास्पद लिफाफे प्राप्त हुए। 263 नमूनों की जांच पहले ही की जा चुकी है, कोई भी पॉजीटिव नहीं पाया गया।

भारत में एन्थ्रैक्स बेसिलस की पुष्टि करने की सुविधाओं वाले कुछ प्रयोगशालाओं की सूची :

– राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (दूरभाष सं. 011–3912901, 011–397175, 011–3913148)

– राष्ट्रीय हैजा एवं आन्त्ररोग संस्थान, कोलकाता (अतिसार रोग एवं अन्य आन्त्ररोग जनक) (दूरभाष सं. 033–3501176, 033–3508493)

– सूक्ष्म जीवविज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (वाइरस विज्ञान)

– राष्ट्रीय वाइरस विज्ञान संस्थान, पुणे (एच आर वी/पोलियो को छोड कर वाइरल रोग) (दूरभाष सं. 020–6124386)

– एन्टेरोवाइरस अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई (पोलियो) (दूरभाष सं. 022–4148756)

– वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र, पांडिचेरी (वेक्टर्स, फिलेरिएसिस) (दूरभाष सं. 0413–372041)

– चिकित्सा कीटविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, मदुरई (वेकटर्स एवं अन्य वेक्टर जनित रोग) (दूरभाष सं. 0452–530746)

– हाफकिन्स संस्थान, मुम्बई

– नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ आकूपेशनल हेल्थ, मेगानी नगर, अहमदाबाद–380016 (दूरभाष सं. 079–2865142, 079–2867351)

– इण्डियन वेंटरीनरी रिसर्च इन्स्टीच्यूट, इज्जत नगर, उ. प्र. 243122 (दूरभाष 091–581–447069)

एक करोड़ नौकरियों के सृजन के लिये विशेष दल की स्थापना

1751. श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा दसवीं योजना अवधि के दौरान प्रतिवर्ष एक करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन के लिये विशेष दल की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दल की सिफारिशों को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। योजना आयोग द्वारा दसवीं योजना अवधि के दौरान प्रति वर्ष 10 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सुअवसरों के सृजन के लिए कार्यनीति एवं कार्यक्रमों हेतु एक विशेष दल की स्थापना की गई है।

(ख) से (घ) विशेष दल 30 नवम्बर, 2001 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

[हिन्दी]

भारत-पाक मुद्दों पर मध्यस्थता

1752. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे युद्ध के पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच लम्बित मुद्दों पर मध्यस्थता हेतु कुछ देशों ने प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) कुछ देशों ने भारत–पाकिस्तान संबंधों में दोनों के सहमत होने की स्थिति में अपनी भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की है। भारत की स्थिति सर्वविदित है। शिमला समझौता और लाहौर घोषणा में, जो कि भारत–पाकिस्तान संबंधों की आधारशिलाएं हैं, प्रत्यक्ष द्विपक्षीय मार्ग के माध्यम से दोनों देशों द्वारा सभी मुद्दों को शांतिपूर्वक निपटाए जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। भारत–पाकिस्तान संबंधों में किसी भी प्रकार से किसी तीसरे देश को शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर और उनके छिपने के ठिकाने

1753. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में 11 सितम्बर, 2001 को हुए हमले और अमरीका द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के बाद सरकार ने अमरीकी सरकार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण केन्द्रों और उनके छिपने के ठिकानों की सूची सौंपी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तानी अधिकारियों ने उग्रवादियों को इन केन्द्रों को खाली करने और छोड़ने तथा आस–पास के गांवों में लोगों के साथ हिल–मिल जाने का आदेश दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सूची सौंपने के बाद जम्मू और कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों में आतंकवादियों के अभियान के संबंध में अमरीकी रणनीति में कोई परिवर्तन देखा गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने आतंकवाद के प्रतिकार से सम्बद्ध भारत–अमरीकी संयुक्त कार्यदल की बैठक के दौरान और अन्य सभी उपयुक्त अवसरों पर अमरीका को आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एवं पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों के ब्यौरे पेश किए हैं।

(ग) आतंकवाद से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प सं. 1373 के अंतर्गत भी पाकिस्तानी प्राधिकारियों को आतंकवाद में लिप्त इकाइयों अथवा व्यक्तियों को किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समर्थन देने से बचने तथा उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान करने से इंकार करने के लिए विवश किया है। तथापि, यह सर्वविदित है कि पाकिस्तानी प्राधिकारियों की सक्रिय मिली भगत से आतंकवादी गुट पाकिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से इन्हें संचालित कर रहे हैं।

(घ) से (च) अमरीका और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के अधिकांश देशों का यह दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता और आतंकवाद का सफाया होना चाहिए चाहे वह कहीं भी हो। यह स्थिति वाशिंगटन डी सी में 9 नवम्बर, 2001 को हमारे प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात के बाद जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य में दोहरायी गई। दोनों नेताओं ने गौर किया कि दोनों देश आतंकवाद के लक्ष्य हैं और उन्होंने आतंकवाद एवं विश्व में सभी जगहों में इसके प्रायोजन के विरुद्ध सार्वभौम संघर्ष की आवश्यकता की संपुष्टि की। 5 अक्तूबर, 2001 को व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने आगे कहा कि राष्ट्रपति बुश ने 1 अक्तूबर, 2001 को श्रीनगर में आतंकवादी आक्रमणों की निंदा की और राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि "आतंकवाद का सभी जगहों से सफाया होना चाहिए जिसमें कश्मीर भी शामिल है।"

[हिन्दी]

विदेश में तीर्थयात्रा

1754. **श्री रामदास आठवले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेश में प्रत्येक तीर्थयात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की वर्ष–वार संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक तीर्थयात्रा के लिये तीर्थयात्रियों का चयन करने के लिए किन मानदण्डों को अपनाया जा रहा है; और

(ग) तीर्थयात्रावार उनको कितनी सहायता दी गई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) महोदय, सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	तीर्थ यात्रा का नाम	पिछले तीन वर्षों में विदेश में प्रत्येक तीर्थ यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों की वर्ष–वार संख्या			प्रत्येक तीर्थ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के चयन के लिए अपनाए जा रहे मानदण्ड	तीर्थ यात्रा–वार उन्हें उपलब्ध कराई गई सहायता की सीमा
		1999	2000	2001		
1	2	3	4	5	6	7
1.	कैलास मानसरोवर	459	492	493	यात्रियों के चयन की प्रक्रिया खुली और स्पष्ट है। यात्रा के लिए आवेदन मांगने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी किए जाते हैं। यात्रियों का चयन कम्प्यूटर की यादृच्छिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।	विदेश मंत्रालय यात्रियों द्वारा किए जा रहे व्यय की आंशिक रूप से पूर्ति करने के लिए कुमाऊं मण्डल विकास निगम को प्रति यात्री 3,250 रुपये देता है। सरकार निःशुल्क चिकित्सा जांच और सहायता, और लिपुलेख दर्रे तक सुरक्षा और बचाव, यात्रा की अवधि के लिए बीमा और संचार सम्पर्क उपलब्ध कराती है। प्रत्येक यात्री जत्थे को सम्पर्क अधिकारी दिया जाता है। दिल्ली सरकार यात्रियों को उनके जाने–आने की अवधि के दौरान 4–5 दिनों के लिए नई दिल्ली में अशोक यात्री निवास में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था करती है।
2.	हज यात्रा	62,100	71,909	71,133	1999 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए हज कोटा दिया जाता है। चूंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या सरकार द्वारा आवंटित कोटे से	सरकार हज कमेटी, मुम्बई के माध्यम से जा रहे हज यात्रियों के बारे में हवाई यात्रा के लिए यात्रियों को सहायता देती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनन्तिम रूप से उपलब्ध कराई गई कुल सहायता निम्नानुसार है :

1	2	3	4	5	6	7
					कम है, अंतिम तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों की पुष्टि कर दी गई थी।	वर्ष सहायता (रुपयों में) 1999 93,51,77,000 2000 1,19,86,82,000 2001 1,34,36,83,000
3.	पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्राएं				धार्मिक स्थलों की यात्राओं पर भारत–पाक प्रोतोकोल, 1974 के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या का कोटा निर्धारित है। प्रोतोकोल में ऐसे स्थानों की संख्या भी तय है जहां की यात्रा की जाएगी। सिख जत्थों के लिए राज्य सरकारें उन्हें आवंटित कोटे के अनुसार सूचियां भेजती हैं। हिन्दू जत्थों को धार्मिक निकायों द्वारा भेजा जाता है।	कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती।
	(i) बैशाखी	2,308		1,800		
	(ii) गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस			600		
	(iii) महाराज रणजीत सिंह की बरसी			260		
	(iv) गुरु नानक देव जयंती			**2,200		
	(v) हयात पिताफी में शादानी दरबार	38	40			
	(vi) कातस राज					

**यह जत्था 27.11.2001 को पाकिस्तान जाएगा।

[अनुवाद]

जीरो एंट्री शुल्क

1755. श्री वाई. वी. राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं (पी. एम. आर. टी. एस.) के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लेने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 1 नवम्बर, 2001 को पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं (पी एम आर टी एस) के लिए नए लाइसेंस हेतु नीति की घोषणा की है। नीति की प्रमुख विशेषताएं विवरण में दी गई हैं।

विवरण

पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं (पी एम आर टी एस) के लिए नए लाइसेंस प्रदान करने संबंधी नीति की प्रमुख विशेषताएं

1. पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं के प्रचालन हेतु लाइसेंस, डिजिटल प्रौद्योगिकी में जारी किए जाएंगे।
2. लाइसेंस 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा।
3. आवेदक एक भारतीय रजिस्टर्ड कंपनी होगी। कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी पूरी लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय 49 प्रतिशत से बढायी नहीं जाएगी।
4. कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

5. वाणिज्यिक पी एम आर टी एस प्रणालियों के लिए लाइसेंस शुल्क, सेवा से प्राप्त "समायोजित सकल राजस्व" का 5 प्रतिशत होगा।

6. पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क कनेक्टिविटी (पी एस टी एन) की अनुमति दी जाएगी।

7. पी एम आर टी एस लाइसेंस के अन्तरण की अनुमति दी जाएगी।

8. इस्तेमाल में लाई गई प्रत्येक प्रकार की प्रणाली के लिए यथा–निर्धारित उपयुक्त मॉनिटरिंग उपस्कर, मॉनिटरिंग के लिए लाइसेंसधारक द्वारा सुरक्षा–हित में प्रदान किए जाएंगे।

जर्मनी के चांसलर की यात्रा

1756. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के चांसलर ने हाल में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी परिणाम क्या निकला ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां। संघीय जर्मन के चांसलर श्री गेर्हर्ड श्रोडर 28 से 31 अक्तूबर, 2001 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए। जर्मन चांसलर के साथ आन्तरिक मंत्री श्री ओटो चिली, आर्थिक मंत्री डा. वार्नर म्यूलर तथा उच्च स्तरीय आधिकारिक, व्यवसाय एवं मीडिया शिष्टमंडल भी आया।

(ख) और (ग) चांसलर के कार्यक्रम में नई दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के साथ बातचीत शामिल था। चर्चाओं में विभिन्न मसले शामिल थे जिनमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, आपसी हित–चिंता के क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसले विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष तथा अफगानिस्तान में उत्पन्न स्थिति शामिल है। जर्मन चांसलर ने 1 अक्तूबर को श्रीनगर में आतंकवादी हमले की निंदा की तथा इस बात को दोहराया कि जर्मनी आतंकवादी कृत्यों तथा अच्छे और बुरे आतंकवादियों में भेद नहीं करेगा। चांसलर श्रोडर ने सुझाव दिया कि दोनों देशों के बीच वार्षिक तौर पर उच्चतम राजनैतिक–स्तरीय मुलाकातें होनी चाहिए जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने मान लिया। प्रधानमंत्री ने चांसलर श्रोडर की बर्लिन की यात्रा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। इस यात्रा के दौरान आर्थिक संबंधों विशेषकर अवसंरचनात्मक और सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस यात्रा के दौरान मथानिया, राजस्थान में 140 मेगावाट वाले एकीकृत सौर विद्युत संयंत्र के लिए कुल 670 करोड़ रुपये की जर्मन सहायता तथा एकीकृत ग्रामीण जलापूर्ति, पोलियो एवं उर्वरकों से सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए सहायता से संबंधित चार करार संपन्न हुए।

[हिन्दी]

संयुक्त दूरसंचार परियोजनायें

1757. श्री मोहन रावले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और दक्षिण कोरिया ने हाल में दोनों देशों और अन्य देशों में संयुक्त दूरसंचार परियोजनायें शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में, दिनांक 7.9.2001 को माननीय संचार मंत्री ने अपने कोरिया दौरे के समय सियोल में संचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणतंत्र के संचार मंत्रालय और कोरिया गणतन्त्र के सूचना एवं संचार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन में उल्लिखित विषयों में से एक विषय, दोनों देशों तथा अन्य देशों में परियोजनाएं शुरू करने के लिए संचार क्षेत्र के संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना है। विशिष्ट परियोजनाओं पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर उद्योग में संकट

1758. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि सॉफ्टवेयर उद्योग अभी संकट के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्योग को बचाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कौन–से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) सॉफ्टवेयर उद्योग में इस समय कोई संकट नहीं है।

(ग) सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए दिए गए प्रोत्साहन

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ई पी सी जी) योजना को तार्किक बनाया गया है और 5 प्रतिशत शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी दोहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी$_2$सी) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश प्रस्तावों को स्वतः अनुमोदन।

3. ई एच टी पी तथा एस टी पी योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आई एम एस सी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ई ओ यू/ई पी जेड/एस टी पी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ई ओ यू/ई पी जेड/एस टी पी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी टी ए) अभिगम की अनुमति दी गई है। अनुमति पत्र में शामिल मदों के लिए हार्डवेयर इकाइयों की घरेलू शुल्क क्षेत्र बिक्री में ब्रोडबैंडिंग की अनुमति।

5. निर्यात उन्मुखी (ई ओ यू/ई पी जेड/एस टी पी/ई एच टी पी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं पेरिफेरलों पर वृद्धिमान ह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। अब इन कटौतियों की सम्पूर्ण सीमा पहले के 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष की अवधि में 90 प्रतिशत तक होगी।

6. निर्यात के प्रयोजन में बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

7. अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत रूस को रुपये में होने वाले निर्यात में मूल्य संसाधित मानदंडों को 100 प्रतिशत से घटा कर 33 प्रतिशत तक करना।

8. कम्प्यूटर पर 60 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास।

9. वर्ष 2001–02 के बजट में उच्चतम सीमा शुल्क की उच्चतम दर 35 प्रतिशत है। सामान्य तौर पर सभी प्रकार के आयातों पर से 10 प्रतिशत की दर का सीमा शुल्क अधिभार समाप्त कर दिया गया है, किन्तु विशिष्ट छूटों को छोड़कर सभी प्रकार के आयातों पर 4 प्रतिशत की दर से विशिष्ट अतिरिक्त शुल्क (एस ए डी) जारी है। वर्ष 2000–01 के बजट में कम्प्यूटर तथा उपान्त उपस्करों पर सीमा शुल्क की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था और इस वर्ष भी यही दर है। सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्मसंसाधकों, रंगीन मॉनीटरों के डेटा प्रदर्श ट्यूबों एवं विक्षेपण संघटक–पुर्जों पर सीमा शुल्क शून्य दर तक घटा दिया गया है। वर्ष 2001–02 के बजट में विश्व व्यापार संगठन (आई टी तथा दूरसंचार उत्पाद) के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आई टी ए–1) की मदों पर सीमा शुल्क की विद्यमान दर 20–25 प्रतिशत से को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए विशिष्ट कच्ची सामग्रियों पर सीमा शुल्क की रियायती दर चालू है। दूरसंचार के कल–पुर्जों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। सेमीकण्डक्टर के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की 32 मदों (अतिरिक्त) पर 5 प्रतिशत की दर से रियायती सीमाशुल्क की अनुमति दी गई है।

10. वर्ष 2001–02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16 प्रतिशत की

एकल दर को लागू करते हुए संरचना को तर्कसंगत बनाया गया है और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एस ई डी) की 16 प्रतिशत की एकल दर से है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा/शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ई ओ यू/ई पी जेड/एस टी पी/ई एच टी पी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10 क तथा 10 ख के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ई एस बी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80 एच एच ई में दी गई कम्पयूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण को शामिल कर लिया गया है।

16. धारा 80 एच एच ई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध होंगे।

17. आयकर अधिनियम की धारा 10क, 10ख तथा 80 एच एच ई के तहत आई टी समर्थित सेवाओं को आयकर लाभ के योग्य बनाया गया है।

18. संख्या ई ओ यू/ई पी जेड/एस टी पी/ई एच टी पी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों आदि को दान करने की अनुमति दी गई है।

19. विदेशी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और गैर व्यवसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त विद्यालयों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्कर को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

20. उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में उद्यम पूंजी उपक्रम किए गए निवेश से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

21. उद्यम पूंजी वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

22. उद्यम पूंजी निधी की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों से वितरित आय पर कर, आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों के आधार पर निवेशकर्ता पर लगेगा। उन उद्यम पूंजी उपक्रमों के शेयर जिनमें उद्यम पूंजी निधियों ने आरम्भिक निवेश किया था, बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाने पर भी उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

23. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आई आई) को किसी कम्पनी में साम्यपूंजी के कुल 24 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001–02 के बजट में इस सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

24. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत, आईटी सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनियों के निवासी कर्मचारी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जीडीआर से हुई आय पर 10 प्रतिशत के रियायती दर पर आयकर देय होगी।

25. धारा 80–झ क (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधान के अन्तर्गत करावकाश का विस्तार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई एस पी) तथा ब्रौडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को उपलब्ध कराया गया है।

26. ए डी आर/जी डी आर के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अन्तर्गत

अब स्थानीय शेयरों को एडी आर/जीडी आर में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है।

27. कम्प्यूटरों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125 प्रतिशत की भारित कटौती का प्रावधान किया गया है।

28. सरकार ने 100 करोड़ रुपये के संग्रह से एक सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (एन एफ एस आई टी) के लिए एक राष्ट्रीय उद्यम निधि (एन एफ एस आई टी) का गठन किया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अंशदान 30 करोड़ रुपये होगा।

29. निर्यात/आयात समव्यवहार समय को कम करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 'ज्ञात पोतवाणिक' के लिए 24 घंटे की प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने हेतु एक योजना को अंतिम रूप दिया है। मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा हवाई लादान परिसर में सप्ताह के दिनों में 2 पारियां और छुट्टी के दिन 1 पारी शुरू की गई है।

30. एस टी पी आई ने एस टी पी इकाइयों के कारोबार को बढ़ाने और लघु एवं मझौले उद्यमियों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में व्यवसाय सहायता केन्द्र की स्थापना की है, यह नवम्बर 1999 से कार्य कर रहा है।

31. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं से संबंधित है। यह इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करेगा।

फोटोकॉपी पेपर

1759. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री 29.08.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5553 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार ए-4 आकार के मोदी जीरॉक्स फोटोकॉपी पेपर को विनिर्माता से अधिक कीमत पर खरीदता रहा है जबकि उनके अधिकृत डीलर खुले बाजार में उक्त पेपर को कम कीमत पर बेच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत 24 महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान केन्द्रीय भंडार किस कीमत पर ये पेपर खरीदता रहा है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय भंडार सीधे मैसर्ज जीरॉक्स मोदी कॉर्पोरेशन लिमिटिड से मोदी फोटोकॉपियर पेपर खरीद रहा था। आपूर्तिकर्त्ता से इस आशय का एक वचन-पत्र हासिल कर लेने के पश्चात् सामान लिया जाता था कि वे किसी भी अन्य ग्राहक को केन्द्रीय भंडार को उद्धृत दरों से निम्नतर दरों पर सामान की आपूर्ति नहीं करेंगे। यदि ऐसा काई भी मामला केन्द्रीय भंडार के ध्यान में आता है तो यह खंड लागू करने की दृष्टि से आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। कुछ समय पहले इस बात का पता लगा था कि मैसर्ज जीरॉक्स मोदी कार्पोरेशन लिमिटिड ने फोटोकॉपियर पेपर, केन्द्रीय भंडार को उद्धृत दर से निम्नतर दर पर बेचे थे और तदनुसार मैसर्ज जीरॉक्स मोदी कॉर्पोरेशन को देय धनराशि में से 60,19,822/रुपये की धनराशि वसूल की गई।

(ख) खरीद-मूल्य का उजागर किया जाना केन्द्रीय भंडार के वाणिज्यिक हित के प्रतिकूल रहेगा तथा इससे अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं की तुलना में यह (केन्द्रीय भंडार) अलाभप्रद स्थिति में आ जाएगा। फिर भी, एम. एक्स ए-4 का विक्रय-मूल्य निम्नानुसार था :

	अवधि		
	11/99 से 11/2000 तक	11/2000 से 02/2001 तक	03/2001
एम. एक्स. 75	150.00	155.10	150.40
एम. एक्स. 80	170.00	175.85	175.85
एम. एक्स. स्पैक्ट्रम	127.00	132.00	132.00
एम. एक्स. चैलेंजर	106.00	111.00	111.00
एम. एक्स. कॉलेटैक	638.80	643.25	–

01.04.2001 से कोई बिक्री नहीं हुई है।

मीडिया लैब एशिया

1760. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीडिया लैब एशिया (एम. एल. ए.) के लिए दक्षिण कोरिया के साथ हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दक्षिण कोरियाई पक्ष के साथ संयुक्त अनुसंधान और विकास की पहल के बारे में चर्चा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोरिया ने गुवाहाटी के आई.आई.टी. को अपनाने हेतु अपनी स्वीकृति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) दक्षिण कोरिया के साथ मीडिया लैब एशिया के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है। किन्तु सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मीडिया लैब और दक्षिण कोरिया के बीच पूर्वी मीडिया लैब पूर्वी एशिया की स्थापना की संभावना के बारे में बातचीत हुई है, जो जैव प्रौद्योगिकी कला और उन्नत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी/रोबोटिकी पर केन्द्रित थी।

(ख) और (ग) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में संयुक्त भागीदारी के लिए दक्षिणी कोरिया की सरकार के साथ अन्वेषणात्मक विचार-विमर्श शुरू हुए हैं। कोरियाई पक्ष ने सूचित किया है कि आईआईटी को उनके विकास के चरणों में सहायता करने के साथ ही वे सभी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में कोरियाई विश्वविद्यालयों/संस्थानों को भी संबद्ध करना चाहते हैं। कोरिया ने विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रमों, शिक्षक वर्ग विनिमय कार्यक्रमों और संयुक्त डाक्टोरल कार्यक्रमों में रुचि दर्शाई है। किन्तु, इस संबंध में कोरिया की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी

1761. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन–सी नीति अपनायी गयी है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र राज्यों में अस्पताल खोलने को इच्छुक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) सरकार सभी को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने पर बल देने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को प्रदान करने की अपनी नीति के समग्र उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध है। तथापि, स्वास्थ्य परिचर्या राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें अपने स्वास्थ्य परिचर्या ढांचे के विकास क्षेत्र को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) और (घ) प्राइवेट अस्पतालों की बढ़ती हुई संख्या से पता चलता है कि प्राइवेट क्षेत्र देश में अस्पताल खोलने का इच्छुक है। जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है।

विवरण

1.1.1998 को प्राइवेट और स्वैच्छिक संगठनों के अस्पतालों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अस्पताल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2802
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	80
4.	बिहार	90
5.	गोवा	91
6.	गुजरात	2152
7.	हरियाणा	20
8.	हिमाचल प्रदेश	9

1	2	3
9.	जम्मू व कश्मीर	2
10.	कर्नाटक	56
11.	केरल	1958
12.	मध्य प्रदेश	0
13.	महाराष्ट्र	2583
14.	मणिपुर	5
15.	मेघालय	4
16.	मिजोरम	5
17.	नागालैंड	0
18.	उड़ीसा	14
19.	पंजाब	39
20.	राजस्थान	–
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	119
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तर प्रदेश	159
25.	पं. बंगाल	133
26.	पांडिचेरी	21
27.	दिल्ली	23
28.	अंडमान नि. दी. समूह	2
29.	दादरा व नगर हवेली	2
30.	चण्डीगढ़	–
31.	लक्षद्वीप	–
32.	दमन व दीव	2
	योग	10371

स्रोत : स्वा. सेवा निदेशालय, राज्य/संघ क्षेत्र सूचित नहीं किए गए।

प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य

1762. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य (आर. सी. एच.) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को आवंटित धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखते हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा इस धनराशि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य विशेषकर कर्नाटक को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को भारत सरकार को कार्यकलाप–वार आवधिक व्यय रिपोर्ट भेजना अपेक्षित है जिसके माध्यम से समुपयोजन स्थिति की मानीटरिंग की जाती है। राज्यों को भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी ए जी) सी ए जी पैनल में रखे गए लेखा परीक्षकों के माध्यम से वार्षिक आधार पर लेखों की लेखा परीक्षा करवाना और उनको भारत सरकार को भेजना अपेक्षित होता है। इस विभाग के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकलापों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए समय समय पर विभिन्न राज्यों और जिलों का दौरा भी करते हैं।

(ख) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को आवंटित किए गए धन को अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) धन को जारी करते समय राज्यों को केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए धन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है जिनके लिए उनको जारी किया गया है।

(घ) 1998–99 से 2000–01 तक कर्नाटक सहित प्रत्येक राज्य को वर्ष–वार वस्तुगत और नकद आवंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम–वस्तुगत/नकद आवंटनों का ब्यौरा (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	1998-99			1999-2000			2000-01		
		वस्तुगत	नकद	योग	वस्तुगत	नकद	योग	वस्तुगत	नकद	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,365.28	463.44	2,828.72	2,280.24	1,854.12	4,134.36	2,488.26	1,385.98	3,874.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	72.17	261.05	333.22	98.79	155.24	254.03	121.45	157.40	278.85
3.	असम	1,091.53	262.37	1,353.90	1,297.92	675.18	1,973.10	1,632.12	473.54	2,105.66
4.	बिहार	3,893.57	728.49	4,622.06	4,704.37	1,233.34	5,937.71	5,469.56	2,535.90	8,005.46
5.	गोवा	35.25	33.24	68.49	43.71	32.33	76.04	107.67	9.15	116.81
6.	गुजरात	1,665.18	813.66	2,478.84	1,805.25	712.41	2,517.66	2,260.26	818.54	3,078.81
7.	हरियाणा	691.24	482.30	1,173.54	691.63	691.81	1,383.44	1,028.44	1,559.08	2,587.52
8.	हिमाचल प्रदेश	318.87	383.25	702.12	216.87	267.44	484.31	327.66	385.83	713.49
9.	जम्मू व कश्मीर	430.32	120.87	551.19	388.82	246.46	635.28	466.42	430.62	897.05
10.	कर्नाटक	1,749.07	383.11	2,132.18	1,587.55	489.17	2,076.72	2,077.70	1,642.66	3,720.36
11.	केरल	990.81	771.29	1,762.10	908.23	592.56	1,500.79	1,301.07	1,141.16	2,442.23
12.	मध्य प्रदेश	3,471.91	1,074.99	4,546.90	3,633.27	1,762.99	5,396.26	3,708.37	3,340.11	7,048.48
13.	महाराष्ट्र	3,174.10	750.69	3,924.79	3,273.53	1,274.39	4,547.92	3,464.77	748.39	4,213.16
14.	मणिपुर	91.73	85.43	177.16	138.44	500.24	638.68	95.08	365.98	461.06
15.	मेघालय	137.85	66.89	204.74	148.52	92.78	241.30	125.79	65.45	191.24
16.	मिजोरम	63.28	467.11	530.39	43.53	543.46	586.99	55.75	699.26	755.01
17.	नागालैंड	84.98	80.52	165.50	96.48	126.81	223.29	77.58	146.84	224.42
18.	उड़ीसा	1,501.24	560.59	2,061.83	1,387.12	1,023.94	2,411.06	1,205.60	1,352.97	2,558.57
19.	पंजाब	864.15	162.45	1,026.60	861.70	296.75	1,158.45	852.84	685.15	1,537.99
20.	राजस्थान	2,176.83	695.96	2,872.79	2,537.67	1,206.13	3,743.80	2,877.31	2,309.15	5,186.46
21.	सिक्किम	34.68	91.31	125.99	48.34	44.74	93.08	31.29	21.51	52.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	तमिलनाडु	2,129.42	329.14	2,458.56	1,563.99	1,026.40	2,590.39	1,095.89	2,325.08	3,420.97
23.	त्रिपुरा	157.51	254.09	411.60	151.71	238.13	389.84	176.34	135.89	312.24
24.	उत्तर प्रदेश	6,843.66	1,395.69	8,239.35	7,558.30	3,844.59	11,402.89	8,595.57	4,535.89	13,131.46
25.	पश्चिम बंगाल	2,623.35	579.65	3,203.00	2,576.80	1,218.49	3,795.29	2,459.93	1,945.63	4,405.56
26.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	17.75	46.47	64.22	25.52	27.06	52.58	18.29	23.89	42.18
27.	चंडीगढ़	27.31	28.22	55.53	21.38	118.11	139.49	38.37	16.04	54.41
28.	दादरा व नगर हवेली	8.99	32.24	41.23	10.43	23.99	34.42	11.41	6.26	17.67
29.	दमण व दीव	7.15	27.49	34.64	8.35	32.05	40.40	5.44	3.32	8.76
30.	दिल्ली	306.08	157.39	463.47	354.68	103.84	458.52	458.10	266.22	724.32
31.	लक्षद्वीप	3.95	32.47	36.42	6.81	22.57	29.38	3.90	16.94	20.84
32.	पांडिचेरी	42.75	38.14	80.89	25.36	45.06	70.42	28.43	19.85	48.29
	योग	37,071.96	11,659.99	48,731.95	38,495.31	20,522.56	59,017.87	42,666.66	30,129.37	72,796.03

डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण

1763. श्री दिन्शा पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना का मुख्य जोर विशेषकर देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में डाक संबंधी गतिविधियों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर था;

(ख) यदि हां, तो योजना के चार वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए निर्धारित लक्ष्य और हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति से गुजरात में पिछड़े क्षेत्र किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी की शुरूआत और उन्नयन तथा डाक कार्यों के आधुनिकीकरण पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था। हालांकि प्रौद्योगिकी की शुरूआत और आधुनिकीकरण मुख्यतः बड़े डाकघरों में किया गया लेकिन देश के दूर दराज के इलाकों में भी जनता को सुविधा प्रदान करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

(ख) नौवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 1332 विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में 1050 डाकघरों में इतने ही ई एस एम ओ स्थापित किए गए। अन्य 150 नए हाई स्पीड वी एस ए टी स्टेशन स्थापित करके इस मद के लिए योजना के दौरान पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। दूसरी मद लोकल एरिया नेटवर्क में पी सी आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना के संबंध में थी। ऐसी 4,000 मशीनें स्थापित करने का लक्ष्य था। इसकी तुलना में विभाग ने 4,500 मशीनों से अधिक मशीनें स्थापित की हैं। नौवीं योजना के पहले चार वर्षों में 440 डाकघरों के लक्ष्य की तुलना में 700 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया है।

(ग) गुजरात राज्य में वर्ष 1997–98 के दौरान 9 डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें प्रदान की गयीं। वर्ष 1999–2000 के दौरान गुजरात राज्य में बारह डाकघरों में विस्तारित उपग्रह मनीआर्डर सेवा प्रदान की गई। जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है, ये सभी स्थान पिछड़े माने जाते हैं।

वर्ष 1997–98 से 2000–2001 के दौरान गुजरात के

पिछड़े इलाकों में तेरह डाकघरों का उनके रखरखाव में सुधार करके, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीनें, जाली नोटों का पता लगाने वाली मशीन आदि जैसे उपकरण प्रदान करके उनका आधुनिकीकरण किया गया है।

दूरसंचार उपस्कर

1764. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र की विकास परिषद ने सिफारिश की है कि दूरसंचार उपस्कर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले आयातित संघटक शुल्क मुक्त होने चाहिए;

(ख) क्या यह सिफारिश की गई है कि घरेलू दूरसंचार उपस्कर उद्योग को मानित निर्यात दर्जा दिया जाये;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। विकास परिषद के कुछ सदस्यों द्वारा यह मामला ध्यान में लाया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण

1765. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शैक्षणिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु चयनित/प्रायोजित/नामनिर्दिष्ट/प्रतिनियुक्त करती है जबकि कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत योजक देशों/एजेन्सियों द्वारा द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अन्तर्गत वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्षवार कितने व्यक्तियों को अल्पावधि/दीर्घावधि पाठयक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी प्रतिशतता क्या है;

(घ) संविधान के अनुच्छेद 46 में अ. जा./अ. ज. जा. और अ. पि. व. के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनके अभाव में सदियों से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े रहने और सामाजिक भेदभाव के चलते वे उपलब्ध अवसरों से वंचित रह जाते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त संवैधानिक निदेशों की अनदेखी करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में लघु उद्योग हेतु लक्ष्य

1766. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में विशेषकर पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार के उद्योग निदेशालय ने लघु उद्योग इकाइयों को राज सहायता प्रदान करने के लिए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीकरण के माध्यम से राज्य में लघु उद्योग (एस. एस. आई) इकाइयों की स्थापना हेतु एक लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्यों की उपलब्धि कमोबेश हर वर्ष की जाती हैं। वर्ष 2000–2001 में राज्य के लिए 27,000 यूनिटों का लक्ष्य रखा गया था और 26,859 यूनिटों की उपलब्धि की गई। राज्य में पिछड़े आदिवासी जिलों

के सम्बन्ध में वर्ष 2000–2001 के लिए 25,840 यूनिटों का लक्ष्य रखा गया था और 25,652 यूनिटों की उपलब्धि प्राप्त की गई।

सिक्किम में दूरभाष सुविधाएं

1767. श्री भीम दाहाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार सिक्किम में कितने गांवों में दूरभाष सुविधाएं हैं और कितने गांवों में नहीं हैं; और

(ख) सिक्किम के सभी गांवों में ऐसी सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 1.11.2001 की स्थिति के अनुसार सिक्किम राज्य में 325 गांव दूरसंचार सुविधायुक्त हैं और 102 गांव दूरसंचार सुविधा रहित हैं।

(ख) दिसम्बर, 2002 तक सभी गांवों में दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर एवं निधियां उपलब्ध हों।

एड्स का टीका

1768. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में इस समय कुल कितने एड्स रोगी हैं;

(ख) क्या वैज्ञानिकों ने एड्स का टीका विकसित कर लिया है और वे एड्स की बीमारी को नियंत्रित करने के प्रति आश्वस्त हैं;

(ग) क्या एशिया और पैसिफिक में एड्स संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान यह बताया गया कि सब से उत्कृष्ट परीक्षणों के परिणाम नवम्बर, 2001 में उपलब्ध होंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई परीक्षण कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह टीका एड्स के नियंत्रण में कहां तक उपयोगी पाया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) 30 अक्तूबर, 2001 तक देश में सूचित किए गए एड्स रोगियों की कुल संचयी संख्या 29007 है।

(ख) जी, नहीं। वैज्ञानिकों को अभी तक कोई एड्स वैक्सीन नहीं मिला है।

(ग) से (च) जी, हां। एड्स वाज परीक्षण के परिणाम उपलब्ध होने थे, लेकिन इस वैक्सीन (वैक्सजेन एड्स वाज) के उपलब्ध परिणामों का अन्तरिम विश्लेषण इसकी प्रभावकारिता का कोई निर्णायक प्रमाण प्रदान नहीं करता है। अतः इस वैक्सीन के अध्ययन को एक और वर्ष 2002 तक जारी रहना है।

चौथे सेल्यूलर लाइसेंस

1769. श्री जी. एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में चौथे सेल्यूलर लाइसेंस हेतु नई बोली आमंत्रित करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार के लिए अधिक बोलीदाताओं ने बोली लगाने में रुचि दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) अंडमान–निकोबार तथा पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किलों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए नए लाइसेंस प्रदान करने और रिक्त स्लॉट भरने हेतु मार्च, 2001 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। अंडमान–निकोबार, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किलों के लिए कोई निविदाएं प्राप्त नहीं हुई थीं। तदनुसार, दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई) की सिफारिशें प्राप्त करने का निर्णय लिया। टी आर ए आई की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं, तथापि सरकार को इस मामले पर अभी निर्णय लेना है।

सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल कालेज

1770. श्री अमर राय प्रधान :
श्री रामदास आठवले :
श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
डा. जसवंतसिंह यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या मेडिकल कालेज चालू शिक्षण वर्ष के दौरान स्थापित कर दिया जाएगा,

(ग) क्या मेडिकल कालेज खोलने की व्यवहार्यता देखने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कोई उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी,

(घ) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो समिति की सिफारिश क्या है;

(च) इससे कितने छात्रों को लाभ होगा; और

(छ) सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित शिक्षक वर्ग का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखर दी जाएगी।

(च) 100 छात्रों को दाखिला देने का प्रस्ताव है।

(छ) शिक्षण संकाय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानदंडों के अनुसार होगा।

[हिन्दी]

मलेरिया के उन्मूलन के लिए निधियों का आवंटन

1771. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मलेरिया के उन्मूलन हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटित तथा जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को सूचित किया है कि मलेरिया के उन्मूलन हेतु आवंटित राशि अपर्याप्त है जिसके कारण उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया–रोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के वितरण की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) भारत सरकार राज्यों/संघ क्षेत्रों को वस्तुगत अर्थात् कीटनाशक, मलेरिया–रोधी औषधें, लार्वानाशक इत्यादि के रूप में सहायता प्रदान करती है। सामग्रीगत अनुदान के अतिरिक्त 7 पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य, क्षेत्रों तथा मलेरिया के उच्च स्थानिक मारी और आदिवासी बाहुल्य वाले 8 राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के 100 जिलों को नकद सहायता प्रदान की जाती है और संबंधित राज्य सरकार जारी की गई धनराशि का उपयोग करती हैं।

कुछेक राज्यों से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत

सहायता के पैटर्न के अनुसार राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम (एन ए एम पी) के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

विवरण

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-01)

(लाख रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	482.93	322.86	644.11
अरुणाचल प्रदेश	186.61	303.27	293.79
असम	2170.42	2267.01	2657.87
बिहार	403.05	481.35	87.20
गोवा	7.72	10.93	0.97
गुजरात	611.11	489.04	211.23
हरियाणा	260.39	259.03	78.34
हिमाचल प्रदेश	51.47	46.11	89.06
जम्मू और कश्मीर	72.57	52.73	84.29
कर्नाटक	264.47	662.66	233.38
केरल	102.73	117.72	75.93
मध्य प्रदेश	454.49	893.40	711.54
महाराष्ट्र	260.26	282.97	286.74
मणिपुर	377.34	403.05	235.70
मेघालय	231.55	306.70	303.58
मिजोरम	172.53	309.56	235.26
नागालैंड	183.34	240.83	278.91
उड़ीसा	385.14	329.67	547.63
पंजाब	290.67	288.96	148.32
राजस्थान	1994.15	1146.16	286.86
सिक्किम	8.47	11.65	0.12
तमिलनाडु	240.72	392.31	133.91
त्रिपुरा	356.97	375.89	480.94
उत्तर प्रदेश	1121.92	622.18	544.11
पश्चिम बंगाल	330.90	296.36	454.47
दिल्ली	37.21	75.40	100.46
पांडिचेरी	6.15	10.32	13.55
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	155.68	116.46	231.76
चंडीगढ़	44.30	47.25	44.79
दादरा नगर हवेली	24.90	25.94	18.12
दमण और दीव	10.08	16.42	9.90
लक्षद्वीप	5.24	5.81	5.57
कुल	11305.48	11210.00	9518.41
कालाजार	1000.00	1000.00	1000.00
ई ए सी	3517.39	6064.95	7389.73
स्थापना/प्रचार/अनुसंधान	571.10	541.35	1271.41
कुल योग	16393.97	18816.30	19179.55

[अनुवाद]

फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज

1772. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेटेंट मामलों पर लघु उद्योगों के लिए राष्ट्रीय पेटेंट सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन आफ स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अथवा अन्य उपयुक्त संगठन को नामनिर्दिष्ट करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार पेटेंट आवेदन करने तथा अधिकारों के लिए पेटेंट प्राप्त करने हेतु लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, नहीं।

भ्रष्टाचार पर रोक

1773. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य सतर्कता आयुक्त ने हाल ही में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विभिन्न जगहों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किए गए उपाय बेअसर हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या अन्य रणनीति अपनाई जाएगी ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग ने देश में भ्रष्टाचार का स्तर कम करने की दृष्टि से अनेक उपाय सुझाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ सतर्कता तथा भ्रष्टाचार–निरोधी तंत्र को सुदृढ़ बनाए जाने के अतिरिक्त, कुछ कानूनों का अधिनियमित किया जाना/उन्हें संशोधित किया जाना शामिल है जैसे कि बेनामी लेन–देन निषेध–अधिनियम के अंतर्गत नियमों का बनाया जाना, सूचना के स्वातंत्र्य विधेयक का अधिनियमन, आयकर–अधिनियम तथा सीमा–शुल्क और उत्पाद–शुल्क–अधिनियम को क्रमशः छूट–विहीनता तथा विवेकाधिकार विहीनता के सिद्धान्त के आधार पर संशोधित किया जाना।

(ग) और (घ) सरकार, निष्कलुष प्रशासन मुहैया करवाने तथा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रशासन में कदाचार रोकने का प्रयास एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इस बारे में बनाई गई नीतियां, बदलते परिवेश के प्रति और अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाने की दृष्टि से समय–समय पर आशोधित की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में, संबंधित सचिव और विभागाध्यक्ष अपने–अपने संगठनों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उत्तरदायी हैं। सरकार द्वारा संसद में केन्द्रीय सतर्कता–आयोग–विधेयक तथा लोकपाल–विधेयक पहले ही पेश कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 45 सूचना और सुविधा–काउंटर खोलने के अलावा, 61 विभागों/संगठनों के संबंध में नागरिक चार्टर तैयार किए गए हैं।

निजी आपरेटरों को लाइसेंस

1774. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज तक बुनियादी टेलीफोन तथा सेल्यूलर सेवाएं चलाने के लिए विभिन्न निजी आपरेटरों को जारी लाइसेंसों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार कितने चूककर्ताओं ने अपनी शर्तें पूरी नहीं की हैं; और

(ग) इससे सरकार को हुए घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) अभी तक देश में बुनियादी तथा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के प्रचालन हेतु विभिन्न निजी प्रचालकों को जारी लाइसेंसों का राज्य–वार ब्यौरा क्रमशः विवरण–I तथा–II में संलग्न है।

(ख) उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), बिहार तथा उड़ीसा में चार सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसों के संबंध में मै. कोशिका टेलकम लि. को छोड़कर बुनियादी टेलीफोन तथा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के सभी निजी

लाइसेंसधारकों ने अपने देयों का भुगतान कर दिया है। जहां तक निष्पादन दायित्वों का संबंध है; बुनियादी टेलीफोन सेवा के छः निजी लाइसेंसधारकों तथा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के सात निजी लाइसेंसधारकों ने रोल आउट की प्रतिबद्धता/कवरेज दायित्वों को पूरा करने में चूक की है।

(ग) सरकार ने निष्पादन संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विलम्ब तथा विलम्बित भुगतानों के दण्ड ब्याज हेतु लाइसेंस की शर्तों में की गई व्यवस्था के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानियों की वसूली कर ली हैं। उत्तर प्रदेश (पश्चिम), बिहार तथा उड़ीसा के सेवा क्षेत्रों के लिए सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं से संबंधित मै. कोशिका टैलकॉम लि. के तीन लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश (पूर्व) के सेवा क्षेत्र का संबंध है, मै. कोशिका टेलकॉम लि. ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है और उच्च न्यायालय ने लाइसेंस रद्द करने के प्रति स्थगनादेश दिया है और यह मामला इस समय न्यायाधीन है।

विवरण-I

बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए निजी लाइसेंसधारकों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	सर्किल का नाम	निजी लाइसेंसधारकों के नाम
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
2.	आंध्र प्रदेश	मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि.,
		मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
3.	असम	शून्य
4.	बिहार	मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
5.	दिल्ली	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायन्स कम्युनिकेन्शस लि.
		मै. टाटा टेली सर्विसेज लि.
6.	गुजरात	मै. रिलायन्स टेलीकम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
		मै. टाटा टेली सर्विसेज लि.
7.	हरियाणा	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
8.	हिमाचल प्रदेश	मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
9.	जम्मू–कश्मीर	शून्य
10.	कर्नाटक	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
		मै. टाटा टेली सर्विस लि.
11.	केरल	मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
12.	मध्य प्रदेश	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
13.	महाराष्ट्र	मै. हेग्स टेलकॉम इण्डिया लि.
		मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
14.	पूर्वोत्तर	शून्य
15.	उड़ीसा	मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
16.	पंजाब	मै. एच एफ सी एल इन फोटेल लि.
		मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
17.	राजस्थान	मै. श्याम टेलेलिंक लि.
		मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
18.	तमिलनाडु	मै. भारती टेलीनेट लि.
		मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
		मै. टाटा टेली सर्विसेज़ लि.
19.	उत्तर प्रदेश–पश्चिम	मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
20.	उत्तर प्रदेश–पूर्व	मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.
21.	पश्चिम बंगाल	मै. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लि.

विवरण-II

निजी आपेरेटरों की सूची जिन्हें सेल्यूलर मोबाइल टैलीफोन सेवा के लाइसेंस जारी किए गए

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र (महानगरीय/ दूरसंचार सर्किल)	ऑपरेटर का नाम
1	2	3
1.	दिल्ली	भारती सेल्यूलर लि.
		स्टर्लिंग सेल्यूलर लि.
		बिरला ए टी एण्ड टी कम्युनिकेशन्स लि.
2.	मुम्बई	बी पी एल मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि.
		हुत्चिसन मैक्स टेलीकॉम लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
3.	कोलकाता	स्पाइस सैल लि.
		ऊषा मार्टिना टेलीकॉम लि.
		रिलाएबल इन्टरनेट सर्विसेज लि.
4.	चेन्नई	आर पी जी सेल्यूलर सर्विसेज लि.
		स्काईसेल कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.
		बाराखम्बा सेल्स एंड सर्विसेज लि.
5.	आंध्र प्रदेश	टाटा सेल्यूलर लि.
		भारती मोबाइल लि.
		बाराखम्बा सेल्स एंड सर्विसेज लि.
6.	असम	रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा) लि.
7.	बिहार	कोशिका टेलीकॉम प्रा. लि.*
		रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा) लि.
8.	गुजरात	फैस्सल लि.
		बिरला ए टी एंड टी कम्युनिकेशन्स लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
9.	हरियाणा	एस्कोटे लमोबाइल कम्युनिकेशन्स (प्रा.) लि.
		एयर सेल डिजिलिंक इण्डिया लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
10.	हिमाचल प्रदेश	भारती टेलीनेट लि.
		रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा) लि.
		एस्कॉर्ट्स टेलीकम्युनिकेशन्स लि.
11.	कर्नाटक	भारती मोबाइल लि.
		स्पाइस कम्युनिकेशन्स लि.
		मै. बाराखम्बा सेल्स एंड सर्विसेज लि.
12.	केरल	एस्कोटे लमोबाइल कम्युनिकेशन्स (प्रा.) लि.
		बी पी एल सेल्यूलर लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
13.	महाराष्ट्र	बी पी एल मोबाइल सेल्यूलर लि.
		बिरला ए टी एंड टी कम्युनिकेशन्स लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
14.	मध्य प्रदेश	आर पी जी सेलकॉम लि.
		रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा.) लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
15.	पूर्वोत्तर	रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा.) लि.
		हैक्साकॉम इण्डिया लि.
16.	उड़ीसा	कोशिका टेलीकॉम प्रा. लि.*
		रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा.) लि.

1	2	3
17.	पंजाब	स्पाइस कम्युनिकेशन्स लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
		एस्कॉर्ट्स टेलीकम्युनिकेशन्स लि.
18.	राजस्थान	एयर सेल डिजिलिंक इण्डिया लि.
		हैक्साकॉम इण्डिया लि.
		एस्कॉर्ट्स टेलीकम्युनिकेशन्स लि.
19.	तमिलनाडु	बी पी एल मोबाइल सेल्यूलर लि.
		एयर सेल लि.
		भारती सेल्यूलर लि.
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	एस्कोटेल मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि.
		कोशिका टेलीकॉम प्रा. लि.*
		भारती सेल्यूलर लि.
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	एयर सेल डिजिलिंक इण्डिया लि.
		कोशिका टेलीकॉम प्रा. लि.
		एस्कॉर्ट्स टेलीकम्युनिकेशन्स लि.
22.	पश्चिम बंगाल	रिलायन्स टेलीकॉम (प्रा.) लि.

*ये लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

दोष दर

1775. डा. वी. सरोजा : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए महानगर टेलीफोन निगम लि. की मुम्बई/नई दिल्ली में वास्तविक दोष–दर बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आगामी वर्षों में दोष दर में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम टी एन एल), दिल्ली में उच्च दोष–दर के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं :

- नगर निगम दिल्ली (एम सी डी), नई दिल्ली नगर निगम (एन डी एम सी), लोक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी), दिल्ली जल बोर्ड (डी जे बी), मैट्रो रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एम टी आर एस), आदि जैसी विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किए गए अत्यधिक मात्रा में खुदाई कार्य।
- वर्षा ऋतु के दौरान पेपर कोर केबलों में खराबियों की भारी मात्रा।
- टेलीफोन उपकरणों में खराबियां।
- एक ही भवन में बहुप्रयोजनीय मुख्य वितरण ढांचा (एम डी एफ) जिससे नेटवर्क जुड़ जाता है।
- पोलों पर वितरण प्वाइंट प्रदान करने की व्यवस्था करना तथा इन वितरण प्वाइंटों से ड्राप वायर ले कर कनेक्शन देना।
- एक ही स्थान में कई खम्भों को लगाना तथा उन्हें पाइपों के जरिए एक दूसरे से जोड़ना।

एम टी एन एल, मुम्बई में मेले के दिनों विभिन्न बाहरी एजेन्सियों द्वारा की गई अत्यधिक खुदाई के कारण केबलों में भारी खराबी आती है फलस्वरूप मानसून के दौरान दोष–दरों में वृद्धि होती है। इस कारण से दोष दरों में वृद्धि हुई है। मुम्बई नगर निगम समन्वयन समिति (बी एम सी) की बैठक में हमारी केबलों को हुई क्षति का विवरण विभिन्न एजेन्सियों के सभी भागीदारों के समक्ष पेश किया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि खुदाई शुरू करने से पहले पूर्ण सूचना दी जाए ताकि हम अपनी केबलों का पता लगाने के लिए अपने स्टाफ को नियुक्त कर सकें एवं क्षतियों का परिहार किया जा सके।

(ग) एम टी एन एल ने दोष दरों में कमी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- पेपर कोर भूमिगत केबलों को आगामी दो वर्ष के भीतर डिजीटल लाइन कन्सन्ट्रेटर (डी एल सी) सहित जेल्ली भरे केबलों/आप्टीकल फाइबर केबलों में बदला जा रहा है।

- पांच पेयर केबल तथा वॉल डी पी शुरू करके ओवर हैड तार कम से कम किए गए हैं।
- जंक्शन नेटवर्क को आप्टीकल फाइबर केबल लिंक में पूर्ण रूप से अन्तरित कर दिया गया है।
- ज्यादा रिमोट स्विचिंग यूनिट (आर एस यू)/रिमोट लाइन यूनिट (आर एल यू) नियोजित करके उपभोक्ता लूप की दूरी कम की जा रही है।
- बेहतर निष्पादन के लिए उपभोक्ता अभिगम्यता नेटवर्क में फिक्सड वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल) और डिजीटल लाइन कन्सन्ट्रेटर (डी एल पी) प्रणाली शुरू की जा रही है।
- कम्प्यूटरीकृत दोष रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की गई है जो बुकिंग, परीक्षण तथा संबंधित लाइन स्टाफ को दोष शिकायतें भेजने में सहायक है।
- इसके अलावा, दोषों को शीघ्र दूर करने के लिए लाइन स्टाफ से शीघ्र व आसानी से संपर्क साधने के वास्ते उन्हें पेजर दिए जाते हैं और दोष दूर किए जाने के बाद परीक्षण स्टाफ इस बात की पुष्टि करता है।
- एमटीएनएल की पांच वर्ष से अधिक पुराने और दो बार से अधिक मरम्मत शुदा सभी टेलीफोन उपकरणों को बदलने की उदारीकृत नीति है। इसका चरणबद्ध रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। पहले चरण में, आठ वर्ष से अधिक पुराने उपकरण बदले जा रहे हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु निधियां

1776. श्री सुबोध राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अनुसंधान कार्य हेतु कम निधियां निर्धारित की जा रही हैं;

(ख) क्या 1991–2000 के दशक के दौरान चलाई गई 339 अनुसंधान परियोजनाओं में से 31 मार्च, 2000 तक 153 परियोजनाओं के संबंध में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है;

(ग) क्या संस्थान जले हुए मामलों, कुत्ता काटने के मामलों तथा संचारी रोगों का उपचार नहीं कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान प्रयोजनों हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि जैसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से प्रति वर्ष 12 से 15 करोड़ रुपये की अनुसंधान निधियां बाहरी अनुदानों के माध्यम से प्राप्त करता है। संस्थान अपने योजना आवंटन के बड़े भाग का उपयोग मशीन एवं उपस्कर की खरीद पर भी करता रहा है और खरीदी मशीनों से कई मशीन अनुसंधान प्रयोजनों एवं रोगी उपचर्या दोनों में काम आती हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 1991–2000 के दशक के दौरान 348 परियोजनाएं चलाई हैं जिनमें से केवल 99 परियोजनाओं की रिपोर्टें प्रतीक्षित हैं जिनमें से अधिकांश ऐसे क्षेत्रों से संबंधित हैं जहां एक परियोजना दूसरी परियोजना को सम्पूरित/आच्छादित करती है।

(ग) से (ङ) संस्थान अपने आपात विभाग और अंतरंग वार्डों में जले हुए किसी भी रोगी का उपचार करने के लिए सुसज्जित है। तथापि, अस्पताल में अलग से कोई बर्न यूनिट नहीं है। सामान्यतया कैजूएल्टी में आने वाले जले हुए रोगियों को तात्कालिक प्राथमिक उपचार प्रदान करके उन्हें सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। रिकन्सट्रक्टिव शल्य चिकित्सा (सर्जरी) एवं प्लास्टिक सर्जरी जैसे पोस्ट बर्न सर्जरी के मामलों को सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया जाता है क्यों कि उस अस्पताल में सुस्थापित सुविधाएं उसी अस्पताल में उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कैजूएल्टी में आने वाले कुत्ता द्वारा काटे गए रोगियों को प्राथमिक उपचार और आवश्यक सलाह दी जाती है।

दरों की तुलना

1777. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री रघुनाथ झा :

क्या **प्रधान मंत्री** 29 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5569 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 2001 के दौरान केन्द्रीय भण्डार द्वारा आमंत्रित

की गई खुली और सीमित निविदाओं का ब्यौरा क्या है, इनमें से कितनी निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं और निविदाओं को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान आमंत्रित खुली और सीमित निविदाओं की तुलना में इनकी क्या स्थिति है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भण्डार ने फेबर–केसटैल की मदों की दरों की तुलना इसके समान भारतीय उत्पादों के साथ कभी नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव पर विचार किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) केन्द्रीय भण्डार द्वारा मार्च, 2001 से, आमंत्रित की गई खुली और सीमित निविदाओं की संख्या क्रमशः 20 और 05 है। इनमें से 03 खुली और 04 सीमित निविदाओं के बारे में निर्णय कर लिया गया है तथा 03 खुली निविदाओं एवं 01 सीमित निविदा को रद्द कर दिया गया है।

(ख) से (च) यह मसला विचाराधीन है।

घरेलू लम्बी दूरी की सेवा

1778. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वी. एस. एन. एल ने घरेलू लम्बी दूरी (डी एल डी) सेवा के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वी. एस. एन. एल. द्वारा आई एस डी सेवा में अपनी 25 प्रतिशत भागीदारी कम करने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) संचालन के प्रथम चरण में वी एस एन एल द्वारा कुल कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(च) वी एस एन एल द्वारा डी एल डी में अपने संचालन हेतु तैयार विस्तृत ले आउट योजना क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। वी एस एन एल ने 2 नवम्बर, 2001 को राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन एल डी) सेवा के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु दूरसंचार विभाग को एक आवेदन पत्र दिया है।

(ग) और (घ) वी एस एन एल ने राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा खोलने और इसे विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा के साथ मिलाकर एकीकृत सेवा शुरू करने के उद्देश्य से इस परियोजना को हाथ में लिया है। इससे वी एस एन एल को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

(ङ) लगभग 800 करोड़ रुपये (आठ सौ करोड़ रुपये)।

(च) रोल आउट प्लॉन, डी एल डी मार्गदर्शी सिद्धान्तों और रोल आउट दायित्वों के अनुरूप है।

केन्द्रीय भंडार द्वारा कारोबार

1779. श्री अरूण कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार द्वारा किसी वर्ष में किसी एक मद के 2 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार की जानकारी केन्द्रीय सतर्कता–आयोग को देना अपेक्षित होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार ऐसे कारोबार की जानकारी केन्द्रीय सतर्कता–आयोग को नहीं दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) केन्द्रीय

सतर्कता–आयोग द्वारा दिनांक 12.03.1999 को जारी किए गए कार्यालय–ज्ञापन में केन्द्र–सरकार के मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह विनिर्देश दिया गया है कि वे दो करोड़ रुपये से अधिक धनराशि के स्टोर/क्रय तथा संविदा किए जाने के बारे में विवरणी प्रस्तुत करें। एक सहकारी समिति होने के नाते केन्द्रीय भंडार पर उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञापन लागू नहीं होता। यद्यपि केन्द्रीय सतर्कता–आयोग के कार्यालय से एक पत्र मिला है जिसमें केन्द्रीय भण्डार से निर्धारित प्रोफॉर्मा में जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया है, तथापि, केन्द्रीय भंडार ने इस बारे में छूट देने का अनुरोध करते हुए उपर्युक्त आयोग से यह मसला उठाया है।

सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

1780. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को भारत संचार निगम लिमिटेड से सार्वजनिक टेलीफोन बूथों को चलाने को समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे दूरगामी मामलों पर व्यापक जनमत की राय ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही?

संचार मंत्रालय में राज़्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निलम्बित सरकारी कर्मचारी

1781. श्री किरीट सोमैया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने निलम्बित सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले भरण–पोषण भत्ते में कटौती करने का निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे निलम्बित कर्मचारियों के परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) मामले विशेष का हवाला नहीं दिए जाने के कारण, उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय ढूंढ़ पाना संभव नहीं हो पाया है। फिर भी, मूल नियम 53 के अनुसार, सीधे सरकारी कर्मचारी से संबंधित कारणों से, उसका निलंबन लंबा खिंच जाने पर, उसके निलंबन के प्रथम तीन माह की अवधि के दौरान उसे देय निर्वाह–भत्ते की धनराशि, अधिकतम 50 प्रतिशत तक कम की जा सकती है।

[हिन्दी]

अवर श्रेणी-लिपिक और अपर श्रेणी-लिपिक की पदोन्नति

1782. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के अवर श्रेणी लिपिक तथा अपर श्रेणी लिपिक को पदोन्नति हेतु अपेक्षित नियत समय की तुलना में अगली पदोन्नति के लिए कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या सरकार महसूस करती है कि केन्द्रीय सचिवालय–सेवा में पदोन्नति में गतिरोध का मुख्य कारण केन्द्रीय सचिवालय- सेवा के सहायक ग्रेड में पदोन्नति में गतिरोध है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त ग्रेडों में गतिरोध को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) केन्द्रीय सचिवालय की लिपिकीय सेवा के अवर श्रेणी–लिपिक–ग्रेड और उच्च

श्रेणी–लिपिक–ग्रेड तथा केन्द्रीय सचिवालय–सेवा का सहायक–ग्रेड, 33 संवर्गों में विकेन्द्रीकृत है। संगत सेवा–नियमों के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय की लिपिकीय सेवा के किसी अवर श्रेणी–लिपिक और उच्च श्रेणी–लिपिक की क्रमशः उच्च श्रेणी–लिपिक–ग्रेड और सहायक–ग्रेड में पदोन्नति किए जाने के बारे में विचार किए जाने की दृष्टि से पात्रता–सेवा के रूप में क्रमशः 8 वर्ष और 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा अपेक्षित है। वर्ष, 1998 की प्रवर सूची के अवर श्रेणी–लिपिकों को वर्ष, 1999 और वर्ष, 2000 की प्रवर सूची में उच्च श्रेणी–लिपिक के ग्रेड में पदोन्नत करने और वर्ष, 1986 की प्रवर सूची के उच्च श्रेणी–लिपिकों को वर्ष, 2000 की प्रवर सूची में सहायक–ग्रेड में पदोन्नत करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सचिवालय–सेवा–नियमावली, 1962 के अनुसार, उच्च श्रेणी–लिपिकों की सहायक–ग्रेड में पदोन्नति, संबंधित संवर्गों में वरिष्ठता कोटे में सुलभ रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रगतिरोध दूर करने की दृष्टि से, सरकार ने सुनिश्चित कॅरिअर–प्रोन्नयन की योजना लागू कर दी है जिसके अनुसार, केन्द्र–सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी किए जाने पर और 12 वर्ष तथा 24 वर्ष की सेवा कर लिए जाने के पश्चात् दो वित्तीय उन्नयन दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.
को प्रशिक्षण

1783. डा. बलिराम : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शैक्षणिक प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु चयनित/प्रायोजित/नामनिर्दिष्ट/प्रतिप्रायुक्त करती है जबकि कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत प्रायोजक देशों/एजेन्सियों द्वारा द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत वहन की जाती है,

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के वर्षवार कितने व्यक्तियों को अल्पावधि/दीर्घावधि पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी प्रतिशतता क्या है;

(घ) ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष व्यवस्था की गयी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय के विभाजन के बाद नवम्बर, 2001 में बनाया गया था। कर्मचारियों का औपचारिक विभाजन 1.6.2001 से प्रभावी हुआ। कर्मचारियों के औपचारिक विभाजन के बाद विदेश में दीर्घावधि और अल्पावधि दोनों तरह के प्रशिक्षण पर गए अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :

विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
16	2	1	—
	(12.5%)	(6.25%)	

विदेश में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों का नामांकन कार्यात्मक आवश्यकता, देखे जा रहे कार्यक्षेत्र, उम्र, विगत अनुभव आदि के आधार पर किया जाता है। तथापि, अ. जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. उम्मीदवारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं।

राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित
योजनाओं का हस्तांतरण

1784. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को केन्द्रीय मंत्रालयों से राज्यों को हस्तांतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो योजनाएं कब तक राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाएंगी?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) की फरवरी, 1999 में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के हस्तांतरण संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति बनाई गई थी। वित्त, कृषि, मानव संसाधन विकास तथा उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री इस समिति के सदस्य हैं। समिति के विचारार्थ विषय हैं

1. केन्द्र द्वारा अवधारण की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तथा जिन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित किया जाना है, की पहचान करना एवं सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को तदनुसार वर्गीकृत करना।

2. जिन केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित करने हेतु पहचान किया जाएगा उनके लिए निर्धारण, निधिकरण प्रणाली, हस्तांतरण के लिए समय–सीमा तथा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सहित हस्तांतरण हेतु रीतियों को सुझाना।

3. भावी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की प्रचुरता से बचने के लिए नई केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को प्रस्तुत करने हेतु मानदण्ड निर्धारित करना।

राष्ट्रीय विकास परिषद समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 2002 तक है।

शिशु मृत्यु दर

1785. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कई दशकों में देश में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में 1000 जन्म पर राज्य–वार वर्तमान शिशु मृत्यु–दर कितनी है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ देश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। नमूना पंजीयन प्रणाली द्वारा 1971 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर 129 होने का अनुमान लगाया गया था जो 1981 में घटकर 110 और 1991 में 80 हो गई थी।

(ग) वर्ष 1999 के दौरान शिशु मृत्यु–दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 70 होने का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 1999 की राज्यवार शिशु मृत्यु दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनीसेफ बाल स्वास्य से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। इनमें अन्य के साथ–साथ रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम और पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता, चिकित्सा और परीचिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलाप और यूनीसेफ सहायता प्राप्त बार्डर डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बाल परिचर्या सेवाओं की प्रदानगी में सुधार लाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को सुदृढ़ करना भी शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	भारत/राज्य/संघ क्षेत्र	शिशु मृत्यु–दर
1	2	3
	भारत*	**70**
	बड़े राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	66
2.	असम	76
3.	बिहार	63
4.	गुजरात	63

1	2	3
5.	हरियाणा	68
6.	कर्नाटक	58
7.	केरल	14
8.	मध्य प्रदेश	90
9.	महाराष्ट्र	48
10.	उड़ीसा	97
11.	पंजाब	53
12.	राजस्थान	81
13.	तमिलनाडु	52
14.	उत्तर प्रदेश	84
15.	पश्चिम बंगाल	52
	छोटे राज्य	
1.	अरुणाचल प्रदेश	43
2.	छत्तीसगढ़	78
3.	गोवा	21
4.	झारखंड	71
5.	हिमाचल प्रदेश	62
6.	जम्मू एवं कश्मीर	अपूर्ण
7.	मणिपुर	25
8.	मेघालय	56
9.	मिजोरम	19
10.	नागालैंड	अनुपलब्ध
11.	सिक्किम	49
12.	त्रिपुरा	42
13.	उत्तरांचल	52
	संघ क्षेत्र	
1.	अण्डमान एंड निकोबार द्वीप समूह	25
2.	चंडीगढ़	28
3.	दादरा एवं नगर हवेली	56
4.	दमन एवं दीव	35
5.	दिल्ली	31
6.	लक्षद्वीप	32
7.	पांडिचेरी	22

*जम्मू और कश्मीर को छोडकर

नोट : 1. विवरण प्राप्त न होने के कारण जम्मू और कश्मीर के आंकडे संकलित नहीं किए गए। अधूरी सूचना प्राप्त होने के कारण नागालैंड की शिशु मृत्यु दर उपलब्ध नहीं है।

2. छोटे राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों की 1997–99 की तीन वर्ष की अवधि के शिशु–मृत्यु दर के आंकडे।

स्रोत : नमूना पंजीयन प्रणाली 1999

[हिन्दी]

सभी के लिए स्वास्थ्य

1786. श्री ब्रह्मानन्द मण्डल :

श्री पदमसेन चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'सभी के लिए स्वास्थ्य' के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) 'सभी के लिए स्वास्थ्य' 1983 में तैयार

की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का समग्र उद्देश्य रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 में दर्शाए गए लक्ष्यों में से प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में विवरण संलग्न है। ऐसे कारकों, जो यद्यपि महत्वपूर्ण हैं लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं जैसे कि पेय जल, स्वच्छता, पोषण, शिक्षा आदि के लिए सुस्पष्ट रूप से ध्यान देने के अतिरिक्त 1983 की नीति लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता पर भी खामोश थी।

(घ) बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान जैसी चल रही स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को बढ़ाने के अतिरिक्त सरकार देश के बदलते जनांकिकीय एवं जानपदिक रोग विज्ञानी परिदृश्य पर ध्यान देने के लिए एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप दे रही है।

विवरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

क्र.सं.	संकेतक		उपलब्धियों का वर्तमान स्तर	लक्ष्य, 2000
1	2		3	4
1.	शिशु मृत्यु दर	ग्रामीण	75*(1999)	
		शहरी	44*(1999)	
		कुल	70*(1999)	60 से नीचे
2.	प्रसवकालीन मृत्यु दर		43(1997)	30–35
3.	अशोधित मृत्यु दर		8.7(1999)*	9
4.	विद्यालय जाने से पूर्व आयु के बच्चे (0–4)			
	मृत्यु दर		23.1(1997)	10
5.	मातृ मृत्यु दर		4–5(1996)	2 से नीचे
6.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	पुरुष	62.4(1996–2001)	64
		महिला	63.4(1996–2001)	64
7.	जन्म के समय वजन			
	2500 ग्राम से नीचे वजन वाले शिशु (प्रतिशत)		30	10
8.	अशोधित जन्म दर		26.1(1999)	21
9.	प्रभावी दम्पति सुरक्षा दर (प्रतिशतता)		46.2* (31.03.2000)	60
10.	कुल प्रजनन दर**		3.3(1997)	
11.	वृद्धि दर (वार्षिक)		1.74% *(1999)	1.20
12.	परिवार का आकार		3.5(1993)	2.3
13.	प्रसव पूर्व परिचर्या प्राप्त करने वाली गर्भवती माताएं (प्रतिशतता)		40–50	100
14.	प्रशिक्षित दाईयों द्वारा प्रसूति (प्रतिशतता)		53.7 (1996)	100
15.	प्रतिरक्षण स्थिति (प्रतिशतता) कवरेज			
	टी टी (गर्भवती महिलाओं के लिए)		79.0*(1999–2000)	100
	टी टी (विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए)		(1999–2000)	
	10 वर्ष		53.6*(1999–2000)	100
	16 वर्ष		50.2*(1999–2000)	100
	डी पी टी (शिशु)		92.8*(1999–2000)	100
	पोलियो (शिशु)		93.4*(1999–2000)	100
	विद्यालय में नए प्रवेश पाने वाले बच्चों (5–6 वर्ष) के लिए डी टी		99.1*(1999–2000)	100
16.	बी सी जी (शिशु)		63.8*(1999–2000)	100

1	2	3	4
17.	कुष्ठ–व्याप्तता दर	5.2/10000 जन. (मार्च 2000)	1/10000 जन.
	पता लगाए गए रोगियों में से रोग पर काबू पाए गए रोगियों की प्रतिशतता	91% (1999)	80%
18.	दृष्टिहीनता व्याप्तता दर (%)	1.4	0.3
19.	क्षय रोग–पता लगाए गए रोगियों में से रोग पर काबू पाए गए रोगियों की प्रतिशतता	84 (1999) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	85 (संशोधित राष्ट्रीय क्षय–रोग नियंत्रण कार्यक्रम)

*अनन्तिम

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 में शामिल नहीं है।

अनुपातिक वार्षिक आवश्यकता मूल्यांकन की उपलब्धि प्रतिशतता।

[अनुवाद]

दूरसंचार क्षेत्र में सुधार

1787. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र से विनियमन हटाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार के पास बैंडविड्थ के विस्तार हेतु कदम उठाने का कोई प्रस्ताव है जो कि दूरसंचार क्षेत्र से विनियमन हटाए बिना सम्भव नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास विदेश संचार निगम को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) दूरसंचार क्षेत्र में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ङ) नई दूरसंचार नीति (एन टी पी–99) का मुख्य लक्ष्य नागरिकों को वहनीय और कारगर संचार सुविधा उपलब्ध कराना है। एन टी पी–99 में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी प्रचालकों को सेवा के समान अवसर प्रदान करते हुए, समयबद्ध ढंग से दूरसंचार क्षेत्र को अधिक से अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। देश के लिए भीतर की सभी दूरसंचार सेवाओं, नामतः बुनियादी, सेल्यूलर मोबाइल, रेडियो पेजिंग, इंटरनेट, वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वी–सेट) वॉयस मेल, राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एल एल डी), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस तथा पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिग सर्विस (पी एम आर टी एस) को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया है।

(ख) और (ग) पर्याप्त बैंडविड्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई एस पी) को इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने हेतु भारत में समन्वित विदेशी उपग्रहों से सीधे बैंडविड्थ लेने की अनुमति दी गई है।

2. इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेटवे हेतु सबमैरीन केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

3. राष्ट्रीय लंबी दूरी नीति के अंतर्गत, अवसंरचना प्रदाताओं को डार्क फाइबर्स, मार्गाधिकार (राइट ऑफ वे), डक्ट स्पेस तथा साथ ही छोर से छोर तक बैंडविड्थ प्रदान करने की भी अनुमति दी गई है।

4. बैंडविड्थ की मांग पर उपलब्धि सुनिश्चित करने संबंधी उपायों के बारे में दूरसंचार विभाग को सलाह देने के लिए एक बैंडविड्थ सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिससे आई टी और दूरसंचार उद्योग की प्रमुख हस्तियां शामिल हैं।

(घ) जी, नहीं।

नाभिकीय ऊर्जा स्टेशनों का उन्नयन

1788. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्यमान नाभिकीय ऊर्जा स्टेशनों का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश की ऊर्जा आवश्यकता की किस सीमा तक पूर्ति होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभाग परमाणु बिजलीघरों के संघटकों/उपस्करों की हालत और स्थिति पर निगरानी रखने के लिए सर्वेक्षण करता है। पूर्ववर्ती सर्वेक्षणों के आधार पर संयंत्र के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के बारे में निर्णय लिया जाता है। प्रचालन के लिए विनिर्दिष्ट प्रभावी संपूर्ण विद्युत वर्षों (ई. एफ. पी. वाई.) के समाप्त होने पर, सुरक्षा बढ़ाने के लिए संयंत्र का अपग्रेडेशन जिसमें संयंत्र के शीतलक चैनल और अन्य सुरक्षा प्रणालियां बदलना शामिल है, को अनुपूरक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और कतिपय अन्य प्रणालियों में संशोधन करने, जैसा भी उपयुक्त हो, के कार्य को क्रियान्वित करना प्रस्तावित है। संयंत्र का अपग्रेडेशन सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और उसके कार्यकाल की अवधि को बढ़ाने के उपाय की दृष्टि से आवश्यक होता है, और इस प्रकार संयंत्र की उत्पादन क्षमता बरकरार रखना सुनिश्चित करना है। इस अपग्रेडेशन कार्यक्रम को समय और आवश्यकतानुसार क्रमिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है।

आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण

1789. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अल्पसंख्यकों और ऊंची जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को रोजगार में आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके लिए कब तक आरक्षण–कोटा निर्धारित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत-फ्रांस सहयोग

1790. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 सितम्बर, 2001 को भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने आतंकवाद से लड़ने के लिए टेलीफोन वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो किन–किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या भारत और फ्रांस का दृष्टिकोण विश्व में आतंकवाद से लड़ने के लिए एक जैसा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों द्वारा कोई कार्य–योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। प्रधान मंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने 22 सितम्बर, 2001 को टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने अमरीका में 11 सितम्बर को आतंकवादी हमलों के पश्चात आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के घटनाक्रम पर चर्चा की।

(ग) से (ङ) भारत और फ्रांस का अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रति समान दृष्टिकोण है और वे द्विपक्षीय स्तर पर तथा बहुपक्षीय मंचों पर प्रयासों में समन्वय कर रहे हैं। भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण का दमन करने संबंधी उस अभिसमय का समर्थन किया है जो संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस द्वारा प्रायोजित किया गया था। फ्रांस, इस समय संयुक्त राष्ट्र में विचाराधीन, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक अभिसमय के भारतीय मसौदे का समर्थन कर रहा है। दोनों देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध एक द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह भी स्थापित किया है, जिसकी पहली बैठक 7 सितम्बर, 2001 को पेरिस में संपन्न हुई थी।

बकाया रिक्तियां

1791. श्री रामदास आठवले : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16 (4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित "पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों" को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर पोत परिवहन मंत्रालय में डी. ओ. पी. टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगायी गयी बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान, पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/बने पदों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

चावल, दाल और अन्य किराना वस्तुओं के नमूने

1792. श्री रामजी मांझी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चावल, दालों तथा अन्य किराना वस्तुओं की खेप में से नमूने लेकर और प्रयोगशाला परीक्षण में पास होने के पश्चात् इनकी केन्द्रीय भंडार को आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कितने नमूने लिए गए और उनमें से कितने प्रयोगशाला परीक्षण में असफल रहे;

(घ) क्या राज्य मंत्री (पी. पी.) को केन्द्रीय भंडार द्वारा दालों की बिक्री तथा खरीद में चल रहे भारी कदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से और दिल्ली के कुछ विधान सभा सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भंडार के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल, दालों और किराना-वस्तुओं की, मानव-उपभोग की दृष्टि से उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु प्रयोगशाला में जांच-पड़ताल की जाती है।

(ग) अप्रैल, 2001 से मार्च, 2001 तक की अवधि के दौरान जांच के लिए 1968 नमूने लिए गए तथा उनमें से 348 नमूने प्रयोगशाला-जांच में खरे नहीं उतरे। अप्रैल, 2001 से अक्तूबर, 2001 तक की अवधि के दौरान भी जांच हेतु 1009 नमूने लिए गए और उनमें से 126 नमूने प्रयोगशाला-जांच में खरे नहीं उतरे।

(घ) और (ङ) संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के एक विधायक से एक शिकायत मिली, जिसकी जांच की गई। दालों की खरीद और बिक्री में कोई भी अनाचार/भ्रष्टाचार ध्यान में नहीं आया।

केन्द्रीय भंडार द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति

1793. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय भंडार सरकारी विभागों को निम्न मूल्य की वस्तुओं के बजाय उच्च मूल्य की वस्तुओं की आपूर्ति करता है जबकि जातिगत नाम से भी वस्तुओं की मांग की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकारी विभागों को आपूर्ति में मदद के बजाय निविदाएं मंगाना अलाभकारी सिद्ध हुआ है और निविदा की गई बहुत सी वस्तुएं महीनों तक केन्द्रीय भंडार में उपलब्ध नहीं रहतीं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। निविदाएं आमंत्रित करके केन्द्रीय भंडार, सरकारी विभागों को वस्तुएं उचित मूल्य पर बेचने में समर्थ होता है और इस तरह, सरकार द्वारा वहन की जाने वाली कीमतें कम हो जाती हैं और यदि किसी कारण से किसी समय विशेष पर केन्द्रीय भंडार में कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हो तो केन्द्रीय भंडार मांगकर्त्ता विभाग (विभागों) को 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' जारी कर देता है।

केन्द्रीय भंडार

1794. श्री रघुनाथ झा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भण्डार की बिक्री में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष, 2000–2001 के दौरान किराना उपभोक्ता वस्तुएं, राशन और लेखन सामग्री शीर्ष के अंतर्गत भण्डार के बिक्री संबंधी आंकड़े क्या हैं और विगत दो वर्षों की तुलना में ये कितने हैं;

(ग) बिक्री में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कमी को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं। वस्तुतः कुल बिक्री बढ़ी है।

(ख) इस बारे में विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) (क) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

बिक्री के वार्षिक तुलनात्मक आंकड़े

(रुपये लाख में)

	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4
किराना	**5023.80**	**4480.12**	**4897.15**
उपभोक्ता	1739.01	1680.66	1732.29
राशन	668.50	621.08	335.17
लेखन–सामग्री	12888.94	16363.22	20973.51
कुल	20320.25	23145.08	27938.12

आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उच्च स्तरीय समूह

1795. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक उच्च स्तरीय अन्तरमंत्रालयीन समूह का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने निम्नलिखित प्रयोजनों से विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा, वित्त, एन एस सी एस, और संबंधित सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए आतंकवाद के विरोध हेतु एक अंतःएजेंसी दल का गठन किया है

(i) विश्वव्यापी आतंकवाद पर स्पष्ट और विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण को रूप देना;

(ii) मित्र सरकारों को सही, पर्याप्त और विश्वसनीय सूचना/गुप्त सूचनाएं प्रदान करना;

(iii) विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एकत्रित जानकारियों/प्रश्नों/प्रतिक्रियाओं पर सरकार को परामर्श देना;

(iv) आतंकवादी गतिविधियों पर स्वदेशी और विदेशी मीडिया पर सरकार को परामर्श देना; और

(v) आतंकवाद संबंधी मुद्दों पर दिलचस्पी रखने वाले विदेशी दलों के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क हेतु अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को परामर्श देना।

केन्द्रीय भंडार द्वारा एस. टी.-I फार्म का नहीं दिया जाना

1796. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्रीमती रेनु कुमारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली बिक्री कर विभाग पंजीकृत डीलरों से सारांश आकलन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भंडार द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं को एस. टी.–I फार्म उपलब्ध न कराए जाने से आपूर्तिकर्त्ता सारांश आकलन से वंचित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को एस. टी.–I फार्म की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार, अपने व्यापारियों को समय–समय पर स्थानीय/केन्द्रीय बिक्री–कर–अधिनियम के अनुसार यथा अपेक्षित सांविधिक प्रपत्र उपलब्ध करवाता है। केन्द्रीय भंडार को ऐसे किसी भी दृष्टांत की जानकारी नहीं है जिसमें आपूर्तिकर्त्ता को इस कारण से, प्राप्य तुरंत मूल्यांकन से वंचित रखा गया हो।

(ग) और (घ) (क) और (ख) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण

1797. श्री जी. जे. जावीया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर में अभी भी कुछ ऐसे दूरभाष केन्द्र हैं जिनको आधुनिक बनाये जाने और उनमें एस. टी. डी./आई. एस. डी. सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा होगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। जामनगर गौण स्विचन क्षेत्र में इस समय कार्यरत सभी 134 एक्सचेंज इलैक्टॉनिक एक्सचेंज हैं और सभी में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग/अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन 134 इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में से 131 ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणालियों से और शेष 3 यू एच एफ प्रणालियों से जुड़े हुए हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

प्रधान मंत्री का पत्र

1798. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने कश्मीर में हाल ही में आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं के बाद अमरीकी राष्ट्रपति को पत्र लिखा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1 अक्तूबर, 2001 को राष्ट्रपति बुश को अपने पत्र में प्रधान मंत्री ने उस दिन श्रीनगर में आतंकवादी हमले के बारे में लोगों के गुस्से और सीमा पार आतंकवाद, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, से देश की रक्षा के लिए सरकार की जिम्मेदारी की जानकारी दी। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन, जैश–ए–मुहम्मद ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति की टेलीफोन पर की गई इस घोषणा के बाद कि उनके क्षेत्र से कोई आतंकवादी ग्रुप सक्रिय नहीं है, उस दिन इस कायरतापूर्ण कार्यवाही की जिम्मेदारी ली।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रशिक्षण

1799. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शैक्षणिक

प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण हेतु चयनित/प्रायोजित/नामनिर्दिष्ट/प्रतियुक्त करती है जबकि कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत प्रायोजक देशों/एजेंसियों द्वारा द्विपक्षीय/अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अन्तर्गत वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान योजना मंत्रालय के वर्षवार कितने कार्मिकों को उक्त लघु/दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी प्रतिशतता क्या है; और

(घ) संविधान के अनुच्छेद 46 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु किए गए विशेष प्रावधानों का ब्यौरा क्या है जिसके अभाव में वह सदियों से शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे हैं और उनके साथ सामाजिक भेदभाव बरता जाता रहा है जिसके रहते उन्हें उक्त अवसरों से वंचित रहना पड़ा?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना निम्न प्रकार से है

वर्ष	उन अधिकारियों की कुल संख्या जो अल्पावधि/दीर्घावधि प्रशिक्षण पर गए हुए हैं	उनमें से अनु. जाति अनु. जनजाति–अन्य पिछड़ा वर्ग	प्रतिशत
1998	16	0–2–0 = 2	12.50
1999	08	2–0–1 = 3	37.50
2000	06	2–0–0 = 2	33.33

(घ) योजना मंत्रालय प्रशिक्षण मामलों हेतु नोडल मंत्रालय नहीं है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नामांकन, देश/संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों हेतु अपेक्षित, विभिन्न कार्यक्रम घोषणाओं के प्रत्युत्तर में, वरिष्ठता, तकनीकी अर्हताएं, आयु प्रतिबंध तथा संगत अनुभव के आधार पर किये जाते हैं। इस मापदण्ड का नामांकन करते समय अन्य अधिकारियों के साथ–साथ अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु भी समानरूप से अनुपालन किया जा रहा है। तथापि, अनु. जाजि/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उपयुक्त अधिकारियों के नाम उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में अग्रेषित किए जाते हैं। उम्मीदवारों का चयन पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान पर अन्तिम रूप से निर्भर करता है।

टेलीफोन सुविधाएं

1800. श्री वैको : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के बारे में अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य–वार कितने ग्रामों में टेलीफोन, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ नहीं हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने ग्रामीण लोगों की पहुंच टेलीफोन तक नहीं है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में टेलीफोन और सार्वजनिक बूथों की सुविधाएं कब तक मिलने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा, सीधी एक्सचेंज लाइनों (डी इ एल) और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का प्रयोग करते हुए, चरणबद्ध ढंग से प्रदान की जाती है, बशर्ते उपस्कर और अन्य अवसंरचना उपलब्ध हो।

(ख) टेलीफोन रहित गांवों की राज्य–वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) वर्ष 2002 तक देश में प्रत्येक राज्य को टेलीफोन सुविधा प्राप्त होने की आशा है।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल/राज्य का नाम	टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की संख्या (31.10.2001 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	0
2.	आंध्र प्रदेश	6059
3.	असम	7628
4.	बिहार	24191
5.	झारखंड	24944
6.	गुजरात	4202
7.	हरियाणा	39
8.	हिमाचल प्रदेश	2326
9.	जम्मू और कश्मीर	2701
10.	कर्नाटक	10
11.	केरल	0
12.	मध्य प्रदेश	14455
13.	छत्तीसगढ़	8764
14.	महाराष्ट्र	10926
15.	पूर्वोत्तर-I	4659
16.	पूर्वोत्तर-II	5123
17.	उड़ीसा	21374
18.	पंजाब	0
19.	राजस्थान	14791
20.	तमिलनाडु	92
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	13787
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4662
23.	उत्तरांचल	7984
24.	पश्चिम बंगाल	;4299
25.	कोलकाता	47
26.	दिल्ली	0
	जोड़	193063

धनराशि का आवंटन

1801. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण बजट में आयुर्वेद और अन्य देशी चिकित्सा पद्धतियों के लिए धनराशि के आवंटन को दोगुना करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इन पद्धतियों के लिए, आवंटन इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य बजट का दो प्रतिशत है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देशी चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के लिए पिछले दो वर्षों में बजट में काफी वृद्धि हुई है। भावी आवंटनों का अभी निर्णय नहीं लिया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य बजट में आवंटन और तुलना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी नामतः आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी और योग और प्राकृतिक चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने 1995 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का एक स्वतंत्र विभाग बनाया है। इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 4 अनुसंधान

परिषदों, 10 राष्ट्रीय संस्थानों, 2 राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह विभाग औषधीय पादपों के विकास और उनकी खेती के लिए तथा कृषि तकनीकों को तैयार करने, स्नातक/स्नातकोत्तर संस्थाओं के उन्नयन, औषधों के मानवीकरण, आंतरिक और बाह्य अनुसंधान को बढ़ावा देने, सूचना, शिक्षा और संचार तथा इन प्रणालियों को स्वास्थ्य परिचर्या की मुख्य धारा में लाने के लिए कई महत्वपूर्ण स्कीमें चला रहा है।

विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट अनुमान

	स्वास्थ्य विभाग			परिवार कल्याण विभाग			भा.चि.प. होमियोपैथी विभाग				भा.चि.प. एवं होमियो.
	योजना	योजनेत्तर	कुल	योजना	योजनेत्तर	कुल	योजना	योजनेत्तर	कुल	कुल योग	का प्रति.
1999–2000	1139.26	1309.96	2449.22	2920.00	488.10	3408.10	59.13	41.83	100.96	5958.28	1.69 प्रतिशत
2000–2001	1277.86	1296.14	2574.00	3520.00	850.47	4370.47	100.00	43.50	143.50	7087.97	2.02 प्रतिशत
2001–2002	1426.74	1314.38	2741.12	4210.00	752.28	4962.28	120.00	45.56	165.56	7868.96	2.10 प्रतिशत

प्रतिभूति जमा

1802. श्री रामजी मांझी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही के एक फैसले में यह निर्णय दिया है कि धनादेश भी चैक हैं और निर्णय की प्रतियां ओ. एम. एंड ए. जी. एम. (प्रतिभूति) केन्द्रीय भंडार को कार्यवाही के लिए भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय भंडार द्वारा अभी भी जमा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धरोहर राशि मांगने के क्या कारण हैं तथा चैक स्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जबकि कोई भुगतान–आदेश उस सीमा तक एक चैक भी होता है जिस तक वह एक परक्राम्य लिखत प्रपत्र हो, कोई भुगतान–आदेश अथवा ड्राफ्ट भी किसी बहुत विश्वस्त स्रोत से भुगतान का शर्त–रहित आदेश ही होता है। ऐसा चैक के संबंध में नहीं हो सकता। अतः केन्द्रीय भंडार, बयाना–धनराशि, बैंक–ड्राफ्ट/भुगतान–आदेशों के माध्यम से मांगती है, न कि किसी चैक के माध्यम से। यह निर्धारित करना भी क्रेता का विवेकाधिकार होता है कि बयाना–धनराशि किस तरीके से/लिखत प्रपत्र के माध्यम से दी जाए।

समूह "क" सेवा

1803. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण किए जाने के मद्देनजर भारतीय डाक एवं तार लेखा तथा वित्त सेवा समाप्त सी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय डाक एवं तार वित्त सेवा समूह "क" सेवा के अधिकारियों के भाग का निर्णय करने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो बैठक में क्या निर्णय लिया गया तथा सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय दिया गया;

(घ) क्या इस सेवा के अधिकारियों को न तो सिविल सेवा परीक्षा में उनके पूरे अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है और न ही बाद के अवसरों में अन्य समूह "क" सेवा में जाने की इस दलील पर अनुमति दी गई कि पूरी समूह "क" सेवा एक समान है;

(ङ) यदि हां, तो इस सेवा के अधिकारियों को अन्य समूह "क" सेवा में नहीं माना जा रहा है; और

(च) एक संगठित सिविल सेवा के रूप में उनकी सेवाओं को जारी रखने के लिए किस अन्य विकल्प पर विचार किया जा रहा है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, नहीं। दिनांक 1.10.2000 से दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण के साथ ही भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा ग्रुप "क" के अधिकांश कैडर पर निगमित निकाय भारत संचार निगम लि. में स्थानांतरित हो गए हैं और इस सेवा के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर समझे जा रहे हैं।

(ख) दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण के बाद भारतीय डाक तथा दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ग्रुप "क" से संबंधित मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी।

(ग) बैठक में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की गई : (i) भारतीय डाक तथा दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ग्रुप "क" का अन्य सिविल सेवाओं में विलय करना और (ii) इस सेवा के अधिकारियों को दूरसंचार क्षेत्र के लिए सेवा कर की उगाही करने का कार्य सौंपना। इनकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

(घ) जी, हां। उस समय सरकार की प्रचलित नीति के अनुसार, अधिकारियों के कुछ बैंचों को अन्य किसी ग्रुप "क" सेवा में जाने अथवा पहले इस्तीफा दिए बिना सिविल सेवा परीक्षा में दोबारा बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी।

(ङ) इस मुद्दे पर सिविल सेवा के अन्य संगठित ग्रुप "क" के कैडर नियंत्रक प्राधिकारियों के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

(च) पेंशन, भविष्य निधि और दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंस शुल्क की जांच जैसे अन्य अतिरिक्त सार्थक क्षेत्रों का कार्य दूरसंचार विभाग के उन एककों को सौंपा गया है जिनका पर्यवेक्षण इस सेवा द्वारा किया जाता है।

केन्द्रीय भण्डार की खरीद नीति

1804. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भण्डार में किसी उत्पाद को सूचीबद्ध रखने और न रखने के संबंध में कोई नीति नहीं है;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केवल उन्हीं मदों को सूचीबद्ध रखने का प्रस्ताव है जिनकी गुणवत्ता उपलब्ध मदों के मुकाबले ज्यादा बेहतर हो अथवा उपलब्ध मदों की बिक्री इतनी ज्यादा हो कि उसकी आपूर्ति के लिए अतिरिक्त आपूर्तिकर्त्ता की आवश्यकता हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) केन्द्रीय भण्डार अपने संसाधनों, स्थान तथा समय को ध्यान में रखते हुए जाने-माने ब्रैंडों के उन उत्पादों को ही विक्रय के लिए सूचीबद्ध करता है जिनकी उपभोक्ताओं द्वारा मांग की जाती है। जहां तक संभव होता है, खाद्य-अपमिश्रण-निवारण-अधिनियम, एगमार्क, भारतीय मानक-ब्यूरो तथा भारतीय मानक-संस्थान द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप उत्पाद ही बेचे जाते हैं।

(घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। जहां तक संभव होता है, केन्द्रीय भण्डार, अपने ग्राहकों को उनके द्वारा मांगे गए ब्रैंड अथवा मेक की ही वस्तुएं उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : महोदय, लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से मैं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा

(3) के अंतर्गत भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज महा–न्यायवादी (अपर उपमहानिरीक्षक), अपर जज महान्यायवादी (कमान्डेन्ट, भर्ती तथा सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 2001 जो 25 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 799 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4477/2001]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : महोदय, मैं कुमारी उमा भारती की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद नीति, 2001 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4478/2001]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) का.आ. 899 (अ) जो 19 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग एच–5 (मद्रास–विशाखापत्तनम खंड) को चौड़ा करने के संबंध में है।

(दो) का.आ. 929 (अ) जो 20 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एच–5 (विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(तीन) का.आ. 930 (अ) जो 20 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय पश्चिम बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (कोलाघाट से खड़गपुर तथा पंसकुरा बाईपास खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(चार) का.आ. 947 (अ) जो 26 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (कोलाघाट से खड़गपुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(पांच) का.आ. 949 (अ) जो 26 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एच–5 (मद्रास–विजयवाड़ा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(छह) का.आ. 950 (अ) जो 26 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास से विजयवाड़ा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(सात) का.आ. 951 (अ) जो 26 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास से विजयवाड़ा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(आठ) का.आ. 952 (अ) जो 26 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास से विजयवाड़ा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(नौ) का.आ. 963 (अ) जो 27 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

तथा जिसका आशय पश्चिम बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (गोविन्दपुर ब्राह्मण सासन से रूपनारायणपु खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(दस) का.आ. 964 (अ) जो 27 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उड़ीसा राज्य के खुर्दा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(ग्यारह) का.आ. 965 (अ) जो 27 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(बारह) का.आ. 975 (अ) जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसका आशय पश्चिम बंगाल राज्य के बर्दवान जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पानागढ़–पल्सित खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(तेरह) का.आ. 977 (अ) जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखपत्तनम–भुवनेश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(चौदह) का.आ. 1006 (अ) जो 8 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय पश्चिम बंगाल राज्य के हावड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दनकुंज–कोलाघाट खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(पन्द्रह) का.आ. 1075 (अ) जो 1 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(सोलह) का.आ. 1076 (अ) जो 1 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (दिल्ली से जयपुर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(सत्रह) का.आ. 1077 (अ) जो 1 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(अठारह) का.आ. 992 (अ) जो 4 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे से सतारा खंड) पर भूमि का अर्जन करना है।

(उन्नीस) का.आ. 973 (अ) जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (सिकंदरा और खागा) पर भूमि का अर्जन करना है।

(बीस) का.आ. 974 (अ) जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (प्रस्तावित सासाराम बाईपास) पर भूमि का अर्जन करना है।

(इक्कीस) का.आ. 872 (अ) जो 11 सितम्बर, 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 12 जून, 2001 की

अधिसूचना संख्या का.आ. 513 (अ) में कतिपय संशोधन करना है।

(बाईस) का.आ. 873 (अ) जो 11 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (तुमकुर से हरिहर के बीच का खंड) पर भूमि का अर्जन करना है।

(तेईस) का.आ. 1029 (अ) जो 13 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (लखनऊ–कानपुर खंड) पर भूमि का अर्जन करना है।

(चौबीस) का.आ. 1030 (अ) जो 13 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (लखनऊ–कानपुर खंड) पर भूमि के अधिग्रहण के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि का अर्जन) लखनऊ को प्राधिकृत करना है।

(पच्चीस) का.आ. 1031 (अ) जो 13 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 ख (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 और 56 को जोड़ने वाले) लखनऊ बाईपास पर भूमि के अर्जन के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि का अर्जन) लखनऊ को प्राधिकृत करना है।

(छब्बीस) का.आ. 1032 (अ) जो 13 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा–ग्वालियर खंड) पर भूमि के अर्जन के लिए अपर जिलाधीश धौलपुर, राजस्थान को प्राधिकृत करना है।

(सत्ताईस) का.आ. 1033 (अ) जो 13 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा–ग्वालियर खंड) पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त करना है।

(अठाईस) का.आ. 1041 (अ) जो 10 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी पर दूसरे विवेकानन्द पुल के निर्माण, रख–रखाव, प्रबंध, प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना है।

(उनत्तीस) का.आ. 1015 (अ) जो 10 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (पुणे से सतारा खंड) पर भूमि का अर्जन करना है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4479/2001]

(2) मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय मोटरयान (चौथा संशोधन) नियम, 2001 जो 12 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 659 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा तत्संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय मोटरयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2001 जो 12 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 660 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा तत्संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय मोटरयान (छठा संशोधन) नियम, 2001 जो 17 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 675 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा तत्संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4480/2001]

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्रीमती वसुंधरा राजे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इंडो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो डेनिश टूल रूप, जमशेदपुर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4481/2001]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4482/2001]

(3) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के दृष्टिकोण पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4483/2001]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 7 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी नाविक भविष्य निधि (कर्मचारीवृंद और सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 6 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 562 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4484/2001]

(2) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4485/2001]

(3) (एक) मर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) मर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4486/2001]

(4) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4487/2001]

(5) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2000–2001 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4488/2001]

(ख) (एक) मर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2000–2001 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4489/2001]

(ग) (एक) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के वर्ष 2000–2001 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4490/2001]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4491/2001]

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 23 की उपधारा (4) तथा धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 से संबंधित आदेशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4492/2001]

(3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 2001 जो 4 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4493/2001]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल), आगरा के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल), आगरा के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल), आगरा के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर

रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4494/2001]

(3) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4495/2001]

(5) नेशनल काउंसिल आफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 1996–97 से 1999–2000 तक के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखावर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4496/2001]

(6) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की उप–धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन, उसे प्रस्तुत करने की रीति, संस्थाओं की मान्यता के लिए शर्तों का अवधारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने की अनुज्ञा) विनियम, 1995 जो 11 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 9–1/2001/ एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (विद्यालयों में अध्यापक की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताओं का अवधारण) विनियम, 2001 जो 4 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 9–2/2001/एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन, उसे प्रस्तुत करने की रीति, संस्थाओं की मान्यता के लिए शर्तों का अवधारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने की अनुज्ञा) (संशोधन) विनियम, 1998 जो 4 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 9–3/2001/ एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4497/2001]

(7) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चंडीगढ़ के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद, चंडीगढ़ के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4498/2001]

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4499/2001]

(11) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के वर्ष 1998–1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के वर्ष 1998–1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4500/2001]

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

[हिन्दी]

नियम समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री चन्द्र प्रताप सिंह (सिधी) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331 के उप–नियम (1) के अंतर्गत नियम समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

[हिन्दी]

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां और चौदहवां प्रतिवेदन

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) 'नौसेना पोतों हेतु मरम्मत/रखरखाव सुविधाएं' (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन; और

(दो) 'भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण' विषय पर समिति के सातवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी चौहदवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02½ बजे

[हिन्दी]

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का ''उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001'' के बारे में 12वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

तिरेपनवां प्रतिवेदन

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, मैं परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति का वायुयान (ईंधन और स्नेहकों पर कर तथा शुल्क से छूट) विधेयक, 2000 से संबंधित तिरेपनवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

साक्ष्य

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, मैं वायुयान (ईंधन और स्नेहकों पर कर तथा शुल्क से छूट) विधेयक, 2000 के संबंध में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के रिकार्ड की एक प्रति (अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[हिन्दी]

समिति के लिए निर्वाचन

कॉयर बोर्ड

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं

"कि कॉयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए कॉयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि कॉयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए कॉयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04½ बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2001-2002

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं वर्ष 2001–2002 के बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4501/2001]

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1998-1999

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं वर्ष 1998-1999 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4502/2001]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 'शून्य काल' की कार्यवाही आरंभ करेगी। श्री एस. जयपाल रेड्डी बोलेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, जम्मू–कश्मीर रिसैटलमेंट एक्ट के बारे में मुझे बोलना है। देश की एकता का मामला है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, आपको पता ही है कि मैंने नियम 184 के अधीन चर्चा की सूचना दी है जो श्री जार्ज फर्नान्डीज के पुनः मंत्रिमंडल में शामिल करने में हुई भारी अनियमितता से संबंधित है क्योंकि

न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी आयोग भी अपने तरीके से इस मामले की जांच कर रहे हैं। मेरे विचार से सभा में इस मामले पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए इसलिए हम इस पर नियम 184 के अधीन तत्काल चर्चा कराने पर जोर दे रहे हैं। कोई न कोई बहाना बनाकर सरकार इस मामले को टाल रही है। यह ठीक नहीं है। सभा इस मामले के संबंध में आंख और कान बंद नहीं कर सकती....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेडड्डी, यह सूचना पहले ही मेरे विचाराधीन है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : कांग्रेस के पास क्या सारे मुद्दे खत्म हो गये हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : यही मैं भी कह रहा हूं। कल भी जब यह मामला श्री दासमुंशी ने उठाया था मैंने कहा था कि यह मामला मेरे विचाराधीन है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, उस सूचना का क्या हुआ हमें पता नहीं है....*(व्यवधान)* एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत चुका है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मुझे सूचना दिए हुए एक सप्ताह से भी ज्यादा समय बीत चुका है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह कार्य सप्ताह का आखिरी दिन है। यह मामला अत्यंत महत्व का है। यह औचित्य से संबंधित मामला है। संसद की यह परंपरा रही है कि किसी मामले में नियमों का उल्लंघन होने पर चर्चा के लिए सभा में उसे प्राथमिकता दी जाती है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, यह मामला पहले ही मेरे विचाराधीन है। अब डा. रघुवंश प्रसाद सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : बोफोर्स में कौन–कौन लोग संलिप्त हैं उनके नाम बताइये....*(व्यवधान)*

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : आप अध्यक्ष जी की रूलिंग के बाद भी विषय को उठा रहे हैं।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : यह प्रधान मंत्री के विशेषाधिकार के अन्तर्गत आता है....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आयोग की अच्छाइयों पर निर्णय करना उनका विशेषाधिकार नहीं है....*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री को आयोग के भाग्य का फैसला करने का विशेषाधिकार नहीं है ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ ने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रियंरजन दासमुंशी : प्रधानमंत्री को कोई नैतिक अधिकार नहीं है....*(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : महोदय, इस पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ ने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह जोड़–तोड़ की राजनीति है। माननीय सदस्य राजनैतिक नैतिकता की बात नहीं कर सकते ....*(व्यवधान)* वे नैतिकता का प्रश्न उठा रहे हैं। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? वे ऐसा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ इस मामले में पहले ही विनिर्णय दे चुके हैं। कार्यवाही–वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम पुकारा है। उनके भाषण को छोड़कर कार्यवाही–वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.08 बजे

बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव को न्यायिक हिरासत में पर्याप्त सुरक्षा देने के बारे में

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को केन्द्र सरकार और सीबीआई के षड्यंत्र से जेल भेज दिया गया है और वहां पत्रकारों को मारा गया है तथा सांसद रामदेव भंडारी जी की भी टांग जख्मी हुई है। आरजेडी अध्यक्ष की सुरक्षा का प्रबंध सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया गया है।....*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। जो सुरक्षा भारत सरकार की ओर से दी जानी चाहिए वह नहीं दी गयी है। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह इस पर वक्तव्य दे।

लालू यादव जी की जान खतरे में है। आशंका है कि भारत सरकार और बिहार सरकार ने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है। भारत सरकार के निर्देश पर झारखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। षड्यंत्र रचा गया है कि लालू यादव जी की हत्या करा दी जाए। मैं इस षड्यंत्र का सदन में भंडाफोड़ करना चाहता हूं। उनके ऊपर गलत मुकदमे चला कर फंसाया गया है। उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है। इसलिए इस मामले पर सरकार वक्तव्य दे।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार हाऊस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। कृप्या अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपके नाम नहीं पुकारे हैं।

(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है और यह हमारे लिए आवश्यक हो गया कि हम सुनिश्चित करें कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करायी जाए। हमने इस देश में बड़े कष्ट सहन किए हैं। हम नहीं चाहते कि आगे भविष्य में भी हमें कष्ट हो और अगर श्री लालू प्रसाद जी जैसे व्यक्ति की ओर आशंका व्यक्त की गई है तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हम उनसे सहमत हैं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव जी, श्री शिवराज पाटील ने जो कुछ कहा है आप भी उससे सहमत हो सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : प्रभुनाथ जी, आप मुकदमा चलाइए, जेल भेजिए लेकिन उनकी हत्या मत करवाइए। आप उन पर मुकदमा चला सकते हैं, मामले की जांच करवा सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, क्या उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? सबको पता था कि वह जुलूस के साथ जा रहे हैं, रेलगाड़ियों में जा रहे हैं, रथ में जा रहे हैं और बहुत अधिक भीड़ के साथ जा रहे हैं। फिर भी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था न करना एक गलत बात है।....*(व्यवधान)* यह एक गम्भीर सवाल है।....*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी रांची के न्यायालय में समर्पण करने गए तो काफी संख्या में असामाजिक तत्वों को अपने साथ इसलिए लेकर गए कि न्यायालय पर अनावश्यक दबाव डाला जाए। *(व्यवधान)* वह वहां के पुलिस प्रशासन को डराने के लिए राज्य सरकार को धमकी देते रहे।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह जी के भाषण को छोड़ कर, कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अभी न्यायपालिका ने उनको 14 दिन के रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें गैर कानूनी ढंग से आई. बी. में रखा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया जाए कि न्यायालय के आदेश के मुताबिक उन्हें जेल में रखा जाए चूंकि जेल के बराबर सुरक्षा की व्यवस्था रहती है इसलिए वहां असुरक्षा का सवाल पैदा ही नहीं होता।....*(व्यवधान)* असामाजिक तत्वों के माध्यम से जुलूस निकाल कर और धरना देकर न्यायालय को धमकी दी जाती है।....*(व्यवधान)* यह एक गम्भीर मामला है। न्यायालय में असामाजिक तत्वों के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाता है। इस कारण न्यायपालिका के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। आप झारखंड के मुख्य मंत्री को आदेश दें....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, इस पर सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर जाइए। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया, अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री लालू प्रसाद यादव जी के आत्मसमर्पण से संबंधित मुद्दे को नोट किया है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप शोर कर रहे हैं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय, अनेक सदस्यों ने इस संबंध में अनेक मुद्दे उठाए हैं, और मैंने उन सभी को नोट किया है....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : जी नहीं, महोदय, इस तरह से मंत्री महोदय बच नहीं कर सकते, उन्हें सभा को आश्वासन देना होगा।

श्री शिवराज वि. पाटील : मंत्री महोदय को सदन को आश्वासन देना होगा कि श्री लालू प्रसाद यादव को सुरक्षा दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, वे लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : मैं सुनिश्चित करूंगा कि सुरक्षा के सभी उपाय किए जाएं।

श्री शिवराज वि. पाटील : श्री यादव की सुरक्षा के बारे में पूछा गया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को नोट किया है और वे सभी सुरक्षा उपायों पर विचार करेंगे।

अपराह्न 12.17 बजे

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्व्यवस्थापन विधेयक के बारे में

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और हमारे देश की जनता एकजुट है। जम्मू कश्मीर में 1982 में जो कानून पास हुआ जिसके कारण 1947 में लोग पाकिस्तान चले गये थे, उनको फिर से वापस भारत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद का मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, रीसैटलमेंट एक्ट, जे. एंड के. स्टेट, 1982 के अनुसार 1 मार्च, 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गये थे, अगर लिखकर दे दें तो स्थायी रूप से जम्मू कश्मीर में बसाये जा सकते हैं। यह भी कहा गया कि जो लोग प्रोपर्टी छोड़कर गये, उन्हें मुआवजा मिलेगा। लगभग 5 लाख लोग उस समय पाकिस्तान से आये जो कश्मीर में बसे हुए हैं। उन लोगों को 52 साल की आजादी के बाद पार्लियामेंट के चुनाव में वोटिंग का अधिकार है लेकिन असैम्बली के चुनाव में वोट देने का हक नहीं है। जब यह बिल पास हुआ तो तत्कालीन गवर्नर श्री बी. के. नेहरू ने यह बिल वापस कर दिया लेकिन यह फिर पास हुआ। उसी समय गवर्नर ने इस बिल के खिलाफ सैंट्रल गवर्नमेंट को लिखकर भेजा और कहा कि यह बिल असंवैधानिक है, माइग्रेशन का मामला सैंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, इसमें राज्य सरकार तय नहीं कर सकती क्योंकि लोग दूसरे देश से यहां आये हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि अगर यह बिल लागू हो गया तो यहां आई.एस.आई. के लोग और आतंकवादी इसके अंदर आयेंगे। तत्पश्चात् यह मामला राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट की राय लेने के लिये रैफर कर दिया "क्या यह विधेयक वैध है या नहीं" हालांकि 1982 में यह बिल स्थगित हो गया लेकिन 6 नवम्बर, 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर बिल फिर से वापस भेज दिया है कि चूंकि जम्मू कश्मीर में यह कानून बन गया है, हम कोई राय नहीं देंगे। इस समय जम्मू कश्मीर के स्पीकर और लॉ मिनिस्टर ने कह दिया है चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय नहीं दी है, इसलिये यह कानून हम जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहते हैं। यह बहुत सीरियस मैटर है। अगर यह कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गया तो वे लोग जिन्होंने 52 साल से भारत के खिलाफ जंग लड़ी है, वे वापस आ सकते हैं। वे लोग आई. एस. आई. के लोग होंगे तो वापस आ सकते हैं।

एक तरह से हम टैररिस्ट्स को फिर से हिन्दुस्तान में आने का परमिट दे रहे हैं....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : उस बिल को वहां लागू न करने का केन्द्र सरकार को अधिकार है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यही मैं कहने जा रहा हूं....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : केन्द्र सरकार क्यों नहीं कहती, आप यहां क्यों कह रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यही मैं कहने जा रहा हूं....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आपकी बात आडवाणी जी भी नहीं सुनते तो हम लोग क्या कर सकते हैं।

श्री मदन लाल खुराना : आज जबकि हमारी सरकार क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म के खिलाफ लड़ रही है, अगर यह बिल वहां लागू हो गया तो....*(व्यवधान)* मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उसे राज्य सरकार को यह आदेश देना चाहिए कि वह इस एक्ट को खत्म करे और इसे सुप्रीम कोर्ट को इसी भावना के साथ भेजना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष जी, यही खुराना जी अकेले आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, यही कहते थे कि समय बता दो और जगह बता दो हम हमला करेंगे, अब देर क्या है। क्या आतंकवाद के खिलाफ यही अकेले लड़ रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, ये तो एन. डी. ए. सरकार की परस्पर विरोधी बातें हैं। इस मुद्दे को उन्हें आपस में मिलकर सुलझा लेना चाहिए। वे सदन का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : चन्द्रशेखर जी, आप कैसी बात कर रहे हैं....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : वे श्री फारुक अब्दुल्ला को खुश रखना चाहते हैं, उनके समर्थन से वे सरकार चलाना चाहते हैं। वे हिन्दुओं और वहां से आए लोगों के बारे में मुद्दे को उठाना चाहते हैं।....*(व्यवधान)* यही तो समस्या है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मामला मणिपुर का है, जिसे मैं उठाना चाहता हूं....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपकी सरकार है, आप होम मिनिस्टर को बोलिये....*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : सर, क्या यह उसी मैटर पर बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इनका एक और मैटर है।

श्री मोहन रावले : सर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हम सरकार से जानना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार क्या कर रही है।....*(व्यवधान)* वहां कोई हिन्दू सरकार नहीं है। यदि कल को वहां पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आई. एस. आई. के आदमी आ जायेंगे। इनका अलग मैटर है, पहले इस मैटर पर हम सरकार से जानना चाहते हैं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बुलाया है, आप बैठिये।

श्री मोहन रावले : सर, खुराना जी ने जो बातें यहां कही हैं, हम उनका समर्थन करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार से पहले ही पूछा है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यहां बैठे हैं, आप उन्हें जवाब देने के लिए बोलिये। वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जायेगा। वहां एन्टी नेशनल एक्टीविटीज बढ़ जायेंगी....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : आप उनसे समर्थन वापस ले लीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना जी मैंने सरकार से पहले ही पूछा है....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं, संबंधित मंत्री महोदय को मैं उनसे अवगत करवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, इस तरह के मुद्दे सत्तारूढ़ दल द्वारा उठाए जा रहे हैं। दरअसल, यह उन्हीं की सरकार है जो सत्ता में काबिज हैं। यह तो उनकी सरकार पर है कि वे इस पर कार्यवाही करें। बांग्लादेश या देश के अन्य राज्यों में जो कुछ भी होता है, उसके लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार इस पर कार्यवाही नहीं कर रही है और सत्तारूढ़ दल के सदस्य इन मुद्दों को उठा रहे हैं ताकि भारतीय समाज को विभाजित किया जा सके, यह ठीक नहीं है। इस पर ध्यान देकर उचित कार्यवाही करनी चाहिए....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा। चूंकि मणिपुर राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है, इसलिए मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं। वहां बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। मैं सरकार को उससे अवगत कराना चाहता हूं।

गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेशानुसार तथा यू. जी. सी. के निर्देशों के अनुसार ही मणिपुर लोक सेवा आयोग ने अध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा करायी और साक्षात्कार लिए। एक पैनल बनाया गया है इसमें 99 नाम हैं।

पिछले एक साल से ये अध्यापक अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। उनको नियुक्त नहीं किया जा रहा है दूसरी ओर, कुछ अन्य ऐसे लोग हैं, जो न तो परीक्षा में ही

बैठे और न ही उनका साक्षात्कार हुआ है लेकिन उन पर विचार चल रहा है, तथा उनको भर्ती किया जा रहा है। अब क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। सभी लोग इन अध्यापकों का समर्थन कर रहे हैं। परीक्षा में चुने जाने के बाद तथा पैनल में आने के बाद भी इन लोगों को रोजगार प्रदान नहीं किया जा रहा है। इससे कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो गयी है। इन अध्यापकों के, जो भूख हड़ताल पर हैं, समर्थन में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करें। इससे पहले भी हम मंत्री जी को लिख चुके हैं। मैंने मणिपुर के राज्यपाल को भी लिखा है। उन्हें मेरा पत्र प्राप्त हो गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। पैनल के उम्मीदवारों के बजाय बाहर से नियुक्ति की जा रही है। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मामले की तत्काल जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि चुने हुए और पैनल में सम्मिलित उम्मीदवारों को नौकरी दी जाए।

अपराह्न 12.26 बजे

[अनुवाद]

भारतीय वायु क्षेत्र में अमरीकी हेलीकॉप्टर के प्रवेश के बारे में

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा का ध्यान बहुत ही गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। 25 तारीख की सुबह अमरीकी नौसेना का टोही हेलीकाप्टर, जो मद्रास बंदरगाह पर रुका हुआ था, चेन्नई के आसपास करीब 100 कि.मी. दूर तक उड़ा। इसकी अनुमति न तो रक्षा मंत्रालय ने दी थी और न ही नागर विमानन ने। यहां तक कि हेलीकाप्टर ने ए. टी. सी., से भी संपर्क नहीं किया, जो की अनिवार्य है....*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : इन्होंने देश को अमरीका के हाथों बेच दिया है। विदेश मंत्री को यहां बुलाया जाना चाहिए....*(व्यवधान)*

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : दक्षिण में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केन्द्र मात्र 100 कि.मी. की दूरी पर है, जहां हमारी सभी न्यूक्लिअर गतिविधियां चल रही हैं। दक्षिण में, श्री हरिकोटा है जहां हमारी रक्षा गतिविधियां जारी हैं, पश्चिम में, ताम्बरम वायु सेना केन्द्र है। इन सभी सामरिक महत्व के प्रतिष्ठानों के आस-पास होने पर भी इसकी अनुमति क्यों दी गई, मैं नहीं समझ पा रहा हू....*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.28 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : भारत सरकार क्यों चुप है? क्या हमने इन संस्थानों का विनिवेश कर अमरीका को सौंप दिया है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है; सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह खतरा है। यह घटना 48 घंटे पहले हुई है लेकिन सरकार चुप है। हालांकि यह घटना 48 घंटे पहले घटी है लेकिन सरकार ने राष्ट्र को अभी तक इसके बारे में नहीं बताया है। मैं चाहता हूं कि सरकार को सावधान रहना चाहिए और जनता तथा सभा को इस घटना के बारे में बताना चाहिए। क्या सरकार ने अमरीका को सब कुछ समर्पित कर दिया है? मैं चाहता हूं कि अध्यक्षपीठ सरकार को निदेश दें....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने भी इस मामले पर नोटिस दिया है....*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : वहां जहाज 48 घंटे से हैं। वे वहां विश्राम आदि के लिए आते हैं। भारतीय बंदरगाहों पर उन्हें सभी सुविधाएं दी जाती हैं और वे वहां सभी तरह की गतिविधियां करते हैं....*(व्यवधान)* अमरीकी नौसेना के जहाज अपने कर्मियों के साथ वहां विश्राम आदि के लिए आते हैं और हमारे बंदरगाहों का उपयोग करते हैं* यही तो मुद्दा है....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, अमरीकी हेलीकाप्टर चेन्नई से पूर्व में 60 समुद्री मील (नोटीकल मील) हवाई क्षेत्र में नागर विमानन और रक्षा अधिकारियों की जानकारी के बिना उड़ता रहा। यह हेलीकाप्टर यू. एस. एस. जोन यंग अमरीका के सातवें बेड़े के नौसेना के विध्वंसक से उड़ा और चेन्नई के ऊपर उड़ता रहा....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री वैको (शिवकाशी) : महोदय, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा द्वारा प्रयोग किए गए शब्द अपमानजनक हैं, उन्हें कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वाजपेयी सरकार अमरीका को गुप्त रूप से संभारिक अमरीकी सुविधाएं प्रदान कर रही है।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

महोदय, अमरीकी सशस्त्र सेना को विश्राम आदि की सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति भी दी जा रही है। उन्होंने हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है और उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। यह हेलीकाप्टर भारत सरकार की जानकारी के बिना कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के ऊपर से उड़े।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय पर अमरीकी प्रशासन के साथ विचार–विमर्श किया गया है, और सरकार हमारे देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है। हमारी मांग है कि संयुक्त राज्य अमरीका के नौ सैनिक जहाजों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं को तत्काल वापस लिया जाए....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, सर्वप्रथम, सरकार सभा को यह स्पष्टीकरण दे कि यह कैसे किया गया। हम उन्हें चुपचाप बैठने की अनुमति नहीं देंगे कि वे केवल मामले की जानकारी मंत्री को दे दें....*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, इसमें हमारी सुरक्षा अन्तर्ग्रस्त है। हम अमरीका को पिछले 50 वर्षों से जानते हैं। वे जहां भी गए, उन्होंने इसी तरह से व्यवहार किया है। ये तो शुरूआत है। वे हमारे बंदरगाह और अन्य सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सरकार ऐसे किस प्रकार इसकी अनुमति दे सकती है....*(व्यवधान)* सरकार को सभा को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसने इसकी अनुमति कैसे दी? क्या प्रधानमंत्री सो रहे हैं? महोदय, इस मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, उन्हें अवश्य उत्तर देना चाहिए....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार उत्तर देना चाहती है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार उत्तर दे रही है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, प्रधानमंत्री को आना चाहिए ....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आकाश मार्ग का उल्लंघन एक गंभीर मामला है और जब भी किसी देश में या इस देश में ऐसा होता है तो इस सभा में यह प्रथा है कि सरकार स्वतः पूर्ण वक्तव्य देती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे गंभीर मामले पर भी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। यदि यह मामला उठाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से सदस्य उत्तेजित होंगे। यह बहुत ही खेद की बात है कि सभा में कोई भी वरिष्ठ सदस्य उपस्थित नहीं है। कम से कम सरकार को सारी स्थिति तो स्पष्ट करनी ही चाहिए।

इसकी अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई? यदि इसकी अनुमति नहीं दी गई है तो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या विरोध प्रकट किया गया और क्या कार्यवाही की गई है? ऐसे मामलों पर यदि सभा में मत विभाजन किया जाए तो सभा व देश के लिए यह एक दुर्भाग्यजनक स्थिति होगी। इसलिए, सरकार को स्वयं ही एक वक्तव्य देना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य सभा में इस मुद्दे को उठा रहे हों तो, आपकी सरकार को इस संबंध में वक्तव्य देने का निदेश देना चाहिए....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, कोड ऑप कंडक्ट किसलिए बनाया है?....*(व्यवधान)* सब पार्टियों ने कोड ऑफ कंडक्ट का समर्थन किया था।....*(व्यवधान)* क्या यह पार्लियामैंट का अनुशासन है?....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : ये वहां बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।....*(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी,....*(व्यवधान)* मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ये उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये सभा के माननीय सदस्य हैं। ये भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अभी विपक्ष के सदस्यों और चन्द्र शेखर जी ने मामला उठाया है। यह बहुत ही गंभीर मामला

है और सचमुच अगर सरकार को पता होता है कि इस समय क्या मामला उठाया जाएगा, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया।.... *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : पूरा हिन्दुस्तान जानता है, क्या सरकार नहीं जानती?....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे जो कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : यह काफी गंभीर मामला है। अगर हमारी एयर बेस का वॉयलेशन हुआ है, बिना परमीशन के कोई वहां आया है,....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूप चंद पाल (हुगली) : हम नोटिस दे चुके हैं।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : इसके बारे में सदस्यों को जानने का अधिकार है कि क्या बात हुई है। सरकार इसके बारे में वक्तव्य दे, मैं इस बात से सहमत हूं परन्तु जीरो आवर में यह कहना कि प्रधानमंत्री जी आएं, कहां रह गए, किधर चले गए, ठीक नहीं है। जब मालूम ही नहीं है....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है और 27 सितम्बर को सर्वदलीय बैठक में प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री जो उस समय रक्षा मंत्री भी थे, ने पूरी तरह आश्वस्त किया था कि जब तक अफगानिस्तान का मामला है, आतंकवाद का संकट है, अंतर्राष्ट्रीय संकट है तक तक आसमान, समुद्री या जमीनी किसी तरह का बेस अमरीका को नहीं दे सकते यह वायदा किया था। यह मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि सर्वदलीय बैठक में वायदा किया और उच्च सदन में बहस भी हो चुकी है। वहां भी यही बातें कहीं। उसके बाद छिपाए रखना, यह देश की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए कोई नुक्ताचीनी नहीं हो, चाहे इधर के लोग हों या उधर के हों। यह कह देना कि आतंकवाद के खिलाफ केवल बी. जे. पी. ही लड़ रही है, ऐसा नहीं है, बी. जे. पी. तो समर्थन दे रही है, जहाज में बिठा कर आतंकवादियों को ले जा रही है, मेहमान बना कर ले जा रही है, कंधार में छोड़ कर आ रही है। विपक्ष को विश्वास में लिए बिना हुर्रियत के लोगों को छोड़ रहे हैं और उन्हीं पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं।....*(व्यवधान)* दोनों बातें करते हैं। पूरा राष्ट्र खतरे में है। हमने हमेशा कहा, चन्द्र शेखर जी ने भी कहा, किताब लिखी और कुछ नोट्स भी बांटे कि आर्थिक गुलामी के सहारे राजनैतिक गुलामी और इससे हमारे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। आप कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांगते। आप आर्थिक मदद की भीख मांगते हैं और उसके सहारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है। क्यों दिया एयरबेस? शर्म की बात यह है। हमारे देश के सम्मान का सवाल है, हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है। आप तो सभ्यता और संस्कृति का केवल नारा देते हो,*....*(व्यवधान)** ये पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब व्यवधान उत्पन्न न करें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : शिवसेना के लोग तो इससे सहमत होंगे। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सदन में आयें। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में पूरी तरह बाकायदा वायदा किया था, आश्वस्त किया था, इसलिए आज प्रधानमंत्री जी इस बारे में बयान दें और सदन को बतायें। आखिर जब कल उच्च सदन में भी उन्होंने उत्तर दिया था तो क्या उनको वस्तुस्थिति मालूम नहीं थी? यह हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, देश का सवाल है, यह किसी दल का सवाल नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा सदन एक राय होकर इस पर गम्भीरता से विचार करे, इसको सरकार गम्भीरता से ले और प्रधानमंत्री जी आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, मैं सभा का ध्यान इस परेशान कर देने वाली घटना के दो बहुत ही महत्त्वपूर्ण और नए पहलुओं की ओर दिलाना चाहता हूं ....*(व्यवधान)* पहला पहलू तो यह है कि जब एयर कंट्रोल टॉवर ने सुबह के समय इस हेलिकाप्टर के चालक दल से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया, जो उस समय भी आकाश

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

में उड़ रहा था, हेलीकाप्टर के चालक दल ने उत्तर देने और अपनी पहचान बताने से इंकार कर दिया था। दरअसल, इससे भी अधिक गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। मुझे नहीं पता कि एयर कंट्रोल टॉवर द्वारा यह संयम दिखाने के लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं।

परेशान कर देने वाला दूसरा पहलू यह है कि इस हेलीकाप्टर पर टोही उपकरण लगे हुए थे। इन उपकरणों के साथ यह हेलीकाप्टर कलपक्कम परमाणु केन्द्र के ऊपर मंडराता रहा। इसने इस केन्द्र के इसी ओर से फोटो लिए। कलपक्कम परमाणु केन्द्र में फास्ट ब्रीडर रीएक्टर है जो अति आधुनिक परमाणु रिएक्टर है। क्या अमरीका की पहुंच हमारे गोपनीय स्थानों तक है....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : गवर्नमेंट से फैक्ट्स आने के बाद बहस करें तो बात समझ में आयेगी।

[अनुवाद]

सरकार के उत्तर देने से पहले ही हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : ये बिना बात के आरोप लगा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : सभी समाचार पत्र रिपोर्टों से भरे हुए हैं। क्या वे इन रिपोर्टों से इंकार कर सकते हैं? ....*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : चेन्नई में हमारे वायु मुख्यालयों ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है। हमारे वायु मुख्यालयों ने अपने अपने वंक्तव्य में खुलकर कहा है कि अमरीका ने स्पष्ट रूप से हमारे वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया है। यह हमारी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता पर हमला है। अमरीकन सरकार इसकी दोषी है। इसलिए, यह सरकार इस सभा को स्पष्ट करे। यह सरकार सभा के समक्ष स्वतः पूर्ण वक्तव्य न देने की दोषी है....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं है कि यह हो गया है तो वे प्रधानमंत्री के पद पर रहने के लायक हैं क्या? इनको इस बात का पता नहीं है कि देश के अंदर क्या हो रहा है और कह रहे हैं कि पता नहीं है।

श्री मोहन रावले : इन्होंने नोटिस दिया है क्या? ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको नोटिस देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्हें स्वतः पूर्ण वक्तव्य देना चाहिए था....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या सरकार यह चाहती है कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले में—जिस पर यहां तक कि डा. विजय कुमार मल्होत्रा भी अपनी चिंता व्यक्त कर चुके है—हमें यहां चुपचाप प्रतीक्षा करनी चाहिए? और हमें देश को बेचने में भागीदार बनना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था बेच दी गई है, हमारे राष्ट्रीय हितों को बेचा गया है। एक भी तरफ से इंकार नहीं किया गया। दो ही दिन पहले यह स्पष्ट हुआ था, कल भी यह स्पष्ट हुआ था। यह मामला राज्य सभा में भी उठाया गया था किंतु सरकार इस मामले पर चुप है। क्या यह भारत सरकार और प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं था कि वे यहां आते और सभा व देश को विश्वास में लेते कि ऐसा हुआ था या नहीं? मात्र इसलिए, क्योंकि इस राष्ट्र विरोधी कार्य में अमरीका शामिल है। जहां तक हमारा संबंध है यह हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है इसलिए यह सरकार चुप है। किस प्रकार का समझौता हुआ है? श्री मुलायम सिंह यादव ने हमें ठीक ही याद दिलाया है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने पक्के तौर पर यह आश्वासन दिया था कि बेस के रूप में कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। किंतु तेल भरने के नाम पर अब यह किया जा रहा है। अमरीकी नौसेना अधिकारियों का अहंकार तो देखिए। उन्होंने अपना हेलीकाप्टर दो घण्टे के लिए भेजा, वह देश भर में घूमता रहा। कोई भी उसे रोक नहीं पाया ....*(व्यवधान)* यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। हम इसे कभी माफ नहीं कर सकते। एक नोटिस भी दिया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि नोटिस नहीं दिया गया था। मैं फिर दोहराता हूं कि नोटिस दिया गया था....*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभा की बैठक स्थगित होने से पहले प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को आना चाहिए। उन्हें एक

वक्तव्य देना चाहिए। हम इससे सहमत नहीं हैं....*(व्यवधान)* मैं इसे रिकॉर्ड में रखना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को निभाने में असफल रहे हैं....*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.47 बजे

(इस समय श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या प्रधानमंत्री वक्तव्य देने आ रहे हैं या नहीं....*(व्यवधान)* यह एक निष्क्रिय सरकार है।

अपराह्न 12.48 बजे

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : जब माननीय मंत्री उत्तर देना चाहते हैं तो आप उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अब मैंने उन्हें बोलने का समय दिया है। माननीय मंत्री उत्तर देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : हम इस मुद्दे पर एक संपूर्ण चर्चा चाहते हैं। यह एक गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री को आकर एक स्वतः पूर्ण वक्तव्य देना चाहिए।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, विपक्ष द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर, जिसका डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा ने भी समर्थन किया है, चिंतित हैं। हैरानी की बात यह है कि अब हमें भारत की स्टैलिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अपने देश की प्रभुसत्ता और देशभक्ति के बारे में सुनना होगा। भारतीय इतिहास के द्वारा उनके कार्यों की हमें जानकारी है। जब भारत में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था और जब हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे भारतीय एतिहासिक आंदोलन में तब उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी? अब वे कह रहे हैं कि वे सबसे देशभक्त लोग हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे देश की प्रभुसत्ता की उन्हें सबसे अधिक चिंता है। इस सभा में भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं हम उन्हें कोई महत्व नहीं देते। हम पूरी तरह से चिंतित हैं। श्री चंद्रशेखर ने भी कुछ कहा है। निश्चय ही, सरकार को सामने आकर कुछ कहना चाहिए। इस बारे में हम सभी सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा व्यक्त विचारों का मैं समर्थन करता हूं....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की स्थिति को देखने और डॉ. मल्होत्रा, श्री चंद्रशेखर तथा अन्य वरिष्ठ सदस्यों को सुनने के बाद यही उचित होगा कि संबंधित मंत्री इस मामले पर कल विस्तारपूर्वक वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बांग्लादेश में नये सिरे से तालीबानीकरण शुरू हुआ है। बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने बांग्लादेश की सरकार की निन्दा की है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों को नष्ट किया जा रहा है, उनके घरों पर हमले किये जा रहे हैं, उनकी महिलाओं पर हमले किये जा रहे हैं और यह इसलिए हो रहा है कि बांग्लादेश में एक एनीमी एक्ट के तहत ऐसा है कि अगर कोई बांग्लादेश का नागरिक भागकर हिन्दुस्तान आ जाता है तो उसकी प्रोपर्टी उस एनीमी एक्ट के तहत जब्त कर ली जाती है। वहां इस देश के बड़े-बड़े लोगों की जन्मभूमि है और तमाम प्रोपर्टी जैसे चेतन्य महाप्रभु और बल्लभाचार्य जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है, अनेक देव स्थानों के नामों वाली प्रोपर्टी जब्त करने के लिए वहां यह हो रहा है और वहां की सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाये और उनसे कहे कि वह एनीमी एक्ट समाप्त करे जिससे वहां के हिन्दुओं पर जो सम्पत्ति के लिए उत्पीड़न हो रहा है, उस पर रोक लगाई जा सके।....*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया हुआ है जो हिन्दू महिलाओं पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? उस पर हमारी सरकार कुछ कार्रवाई करने वाली है या नहीं है?....*(व्यवधान)* वहां यह बार-बार हो रहा है।....*(व्यवधान)* वहां के हिन्दुओं की सुरक्षा धोखे में है।....*(व्यवधान)* सरकार इस पर कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है।....*(व्यवधान)* मुस्लिम वोटों के लिए धक्का लगेगा, इसलिए अलवी जी भी बोलना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं सरकार से आश्वासन लेना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार क्या सख्त कार्रवाई करने जा रही है?....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरकार को उत्तर देना चाहिए। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

वहां के लोगों की सुरक्षा धोखे में है और वहां कोर्ट ने निर्णय दिया हुआ है। आज के पेपर में आया हुआ है। ....*(व्यवधान)* हमारी सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है?....*(व्यवधान)* वहां नयी सरकार आने के बाद जो आईएसआई है....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने क्या रैस्पांड करना है या नहीं करना है, मैं सरकार को कम्पैल नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : सरकार क्या करने जा रही है? सरकार की तरफ से कुछ तो आना चाहिए।....*(व्यवधान)* मैं सही बात बोलता हूं।....*(व्यवधान)* यह कैसी नीति है? यह कैसा कोड ऑफ कंडक्ट है?....*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत गंभीर मामला मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : योगी आदित्य नाथ, मैंने अब उन्हें बोलने का अवसर दिया है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.56 बजे

[हिन्दी]

'दि हिन्दू' समाचार पत्र में प्रकाशित पैगम्बर मोहम्मद तथा हजरत अबू बकर सिद्दीक के कथित व्यंग्य चित्र के बारे में

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : उपाध्यक्ष जी, 24 नवम्बर को 'हिन्दू' अखबार के अंदर प्रोफेट हजरत मोहम्मद साहब का कार्टून छपा और यह इतना खौफनाक और खतरनाक मामला है और मल्होत्रा साहब ने कहा कि इन लोगों ने नोटिस नहीं दिया है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इसका नोटिस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और ब्रॉड कॉस्टिंग मिनिस्टर को दिया और मैंने कहा कि मैं जीरो ऑवर में इस मामले को उठाना चाहता हूं। सरकार इस मामले में कार्रवाई करे और इंफॉर्मेशन कलैक्ट करे। परसों अलीगढ़ के अंदर यह मामला इतना खतरनाक होता जा रहा है और यह इतना संवेदनशील मामला है कि सारा देश जानता है कि 'हिन्दू' अखबार की सैकुलर इमेज है। यह किस तरीके से छपा है? हजरत मोहम्मद साहब का कार्टून और अबू बकर साहब का कार्टून तीन दिन पहले उठाया भी गया था लेकिन सरकार इतनी गैर–जिम्मेदार है कि न तो गृह मंत्री जी ने हाऊस में आने की जहमत गवारा की और न ब्रॉडकॉस्टिंग मिनिस्टर ने हाऊस में आने की जहमत गवारा की। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इससे पूरे देश के अंदर आग लग सकती है। यह मामला सिर्फ हिन्दुस्तान का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का मामला है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस अखबार की कॉपी पर पाबंदी लगाई जाये और इस कार्टूनिस्ट के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जाये और गिरफ्तारी की जाये। मैं चाहता हूं कि....*(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं।....*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : ठीक है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन सरकार का जो एटीट्यूड है....*(व्यवधान)*

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का व्यवहार बहुत गलत है। नोटिस देने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई आने को तैयार नहीं है। यहां मंत्री जी बैठे हैं वह इस पर कुछ कहें।....*(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं भी इसका सपोर्ट करता हूं। महोदय मैं इस पर बोलना चाहता हूं....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, यह एक गंभीर मामला है। सरकार को अपना वक्तव्य देना चाहिए कि वह क्या कर रही है। इस मामले की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह एक गंभीर मामला है। मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। हजरत मुहम्मद और उनके सहयोगी के कॉर्टून

छापे गए हैं जिसे शीर्षक दिया गया है 'पॉपकॉर्न'। यह पूरी तरह से अपमानजनक और अपवित्रकारी है....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इस पर उत्तर देना चाहते हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : सरकार को इस पर वक्तव्य देना होगा कि वह क्या कर रही है....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला उठाया गया है यह सचमुच में बड़ा गंभीर मामला है और इस्लाम के मानने वालों के लिए बहुत आहत करने वाला है। पैगम्बर साहब, जिसका दुनिया में सब आदर करते हैं, उनका केरीकेचर छापना बहुत ही गलत है। किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए, खास तौर से जो इन्हें मानते हैं, उनके लिए इस तरह करना ठीक नहीं है। दुनिया भर में केरीकेचर छापने पर प्रतिबंध है। जिस अखबार ने यह छापा है उसके उस हिस्से पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उसने अगले दिन माफी मांगी और फ्रंट पेज पर वे सब बातें हैं, इसलिए मेरा कहना है कि उसके उस हिस्से पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं माननीय सदस्य की बात पूरी तरह सहमत हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : यह इतिहास को भी तोड़ा-मरोड़ा गया है। मैं बहुत ही खेद के साथ कह रहा हूं कि यह 'द हिन्दू' जैसे समाचार पत्र में छपा है....*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : यह सभा को संतुष्ट नहीं कर सकता। गृह मंत्री इस पर वक्तव्य दें। उन्हें पूरे मामले की जांच करनी चाहिए....*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : इससे न केवल हमारे देश के मुसलमान प्रभावित हुए हैं बल्कि विश्व के एक बिलियन मुसलमान भी इसका विरोध करेंगे। हमें खेद है कि यह 'द हिन्दू' जैसे समाचार पत्र में छपा है। 'द हिन्दू' ऐसा समाचार पत्र नहीं है। उन्हें हमारी संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए। यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसकी इस तरह उपेक्षा नहीं की जा सकती....*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रालय की ओर से यह बताना चाहता हूं कि हमने 24 नवम्बर, 2001 और 25 नवम्बर, 2001 को प्रकाशित दोनों वक्तव्यों को पढ़ा है। तथ्य यह है कि 24 नवम्बर, 2001 के 'यंग वर्ल्ड' के परिशिष्ट (सप्लिमेंट) में पैगम्बर मोहम्मद के जीवन से संबंधित एक घटना का वर्णन किया गया था जिसके साथ इस्लामिक परंपरा की दृष्टि से आपत्तिजनक व्यंग्य चित्र दिए गए थे जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस पर अपना आक्रोश प्रकट किया है।....*(व्यवधान)* इसके मद्देनजर 'द हिन्दू' ने यह कहते हुए क्षमायाचना की है कि यह असावधानी के कारण छप गया। जैसा श्री मल्होत्रा ने अभी बताया है यह क्षमायाचना 25 नवम्बर, 2001 को प्रथम पृष्ठ पर व्यापक रूप से प्रकाशित की गयी। ....*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : उन्होंने क्षमायाचना प्रकाशित की है, पर यही काफी नहीं है। *(हिन्दी)* कम से कम पेपर के उस हिस्से के ऊपर सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए। उस पर पाबंदी क्यों नहीं लग रही है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे एक घोषणा करनी है

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, अनुसूचित जाति में नाम लिखाने के लिए नोनिया जाति के हजारों-हजार लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं। बिहार में नोनिया जाति के अति पिछड़ी जाति के लोग हैं। वे अनुसूचित जाति में अपना नाम लिखाने के लिए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग जायज है। सरकार बराबर आश्वासन देती है लेकिन कार्यवाही नहीं करती, इसलिए ये लोग अपना नाम अनुसूचित जाति में लिखाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार ने अनुशंसा भी की है और सारी औपचारिकताएं पूरी हैं।

अपराह्न 01.00 बजे

लेकिन उनकी मांग मानी जा रही है, इसलिए वे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं सरकार से इस बारे में उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : मैं माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह की बात का अनुमोदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय भूरिया जी और सरदार बूटा सिंह जी रघुवंश प्रसाद सिंह जी के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : महोदय, हमारे पड़ोसी देश, नेपाल में एक कटु परिस्थिति पैदा हो गई है। वहां सशस्त्र विद्रोह हुआ है तथा सशस्त्र विद्रोहियों ने देश के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। अब, यदि भारत नेपाल में सशस्त्र विद्रोह की अनुमति देता है तो मैं नहीं समझता हूं कि नेपाल जैसा शांतिप्रिय देश शांत रह पाएगा। दूसरा आरोप यह है कि ये विद्रोही प्रशिक्षण तथा आश्रय के लिए भारतीय भूभाग का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मैं सरकार का ध्यान नेपाल की इस अत्यंत गम्भीर घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा इस सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि वे नेपाल में सशस्त्र विद्रोह के संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, जैसा कि आपको ज्ञात है आज की कार्यसूची में दो संविधान (संशोधन) विधेयक विचारार्थ तथा पारित किए जाने के लिए शामिल किए गए हैं। आज की कार्यसूची के अनुसार पहला विधेयक अपराह्न 1.00 बजे विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है। मतदान यंत्र में थोड़ी खराबी है, इसको ठीक करने में आंधे घंटे का समय लग सकता है। पहले कार्य मंत्रणा समिति में भोजनावकाश छोड़ देने का निर्णय लिया गया था। अब इस गतिविधि की वजह से मैं सभा को आधे घंटे के लिए स्थगित कर रहा हूं।

सभा अपराह्न 1.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराहन 1.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 01.34 बजे

लोक सभा अपराहन् 1.34 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। लगता है कि सरकार इस बारे में गंभीर नहीं है और कोरम जुटाने में लग रही है।

अपराह्न 01.35 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले तथा आरक्षित सूची सभा पटल पर रखी मानी जाए।

(एक) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : राजस्थान इस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। करोड़ों लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने इसे ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाने की अनुमति प्रदान की है। आकाशवाणी जयपुर से भी कई कार्यक्रम राजस्थानी भाषा में प्रसारित हो रहे हैं। 74 प्रतिशत निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने या उनसे सम्पर्क करने के लिए राजस्थानी भाषा के अलावा दूसरी भाषा राजस्थानी हो ही नहीं सकती। राजस्थानी भाषा के विकास एवं मान्यता से हिन्दी के राष्ट्र भाषा बनने में सहायता ही मिलेगी। राजस्थान की प्रगति राजस्थानी भाषा से ही संभव है। राजस्थानी राजस्थान की एवं विश्व में फैले करोड़ों बंधुओं की भाषा है, जिसका अपना अलग अस्तित्व है। यह निर्वाह सत्य की राजस्थानी संस्कृति और उसका वीर रस एवं भक्ति रस से ओत–प्रोत साहित्य तथा इनके लोक गीत समूचे विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित किया जाए, जिससे राजस्थान का गौरव बढ़ सके और हिन्दी भाषा के विकास में यह भाषा सहायक हो सके। इस भाषा के चलने में हिन्दी भाषा की कोई हानि नहीं होगी।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों विशेष रूप से राजस्थान के अलवर जिले का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. जसवंतसिंह यादव (अलवर) : मान्यवर, सरकार ने दिल्ली की जनसंख्या को सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्थापित करने हेतु लगभग दो दशक पूर्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना का शुभारंभ किया था। राजस्थान के अलवर जिले को भी इस परियोजना में शामिल किया गया था। इस परियोजना के तहत जिले में महानगरीय स्तर की सभी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ यहां के सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में बदलाव करना था। दो दशक के अंतराल के बाद भी अलवर की जनता विकास की बाट जोह रही है। जो मूलभूत सुविधाएं इस परियोजना के अंतर्गत दी जानी थीं वह अभी तक नहीं दी गयी हैं, जिससे अलवर में विकास की गति धीमी चल रही है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना की समीक्षा की जाए तथा वह सभी मूलभूत सुविधाएं अलवर जिले को मुहैया करवायी जाएं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना के उद्देश्यों में निहित हैं।

(तीन) मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में धान और बाजरा के समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : केन्द्र सरकार के द्वारा किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी की दर घोषित की है, परन्तु मुरैना–श्योपुर ससदीय क्षेत्र के किसानों की फसल धान एवं बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही है, जिससे किसानों में भारी रोष है। किसान अपना ट्रेक्टर तीन चार दिनों तक मंडियों में खड़ा किये रहते हैं, जिससे उन्हें अनेक परेशानियां होती हैं।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार धान एवं बाजरा की खरीद हेतु प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की व्यवस्था करे।

(चार) सहकारी समितियों के लिए दोहरी लेखापरीक्षा का प्रावधान करने वाले आयकर अधिनियम के उपबंधों की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : सहकारी समितियों के लिए आयकर अधिनियम के नियम तथा उपनियमों के तहत विभागीय ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। किन्तु, आयकर अधिनियम में संशोधन के पश्चात ऐसी संस्थाओं को, जिनका वार्षिक टर्न ओवर 40 लाख रुपये से ऊपर है, उनके लिए विभागीय ऑडिट कराना तो अनिवार्य है ही, किन्तु उनको चार्टेड एकाउन्टेंट से भी ऑडिट कराना अनिवार्य है। इस प्रकार से सहकारी संस्थाओं को दोहरे ऑडिट से गुजरना होगा।

अतः यह आवश्यक है कि या तो उनको आयकर अधिनियम में किए गये संशोधन के अनुसार चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा पुनः ऑडिट कराने से मुक्त कर दिया जाये अथवा विभागीय ऑडिट से मुक्त रखा जाये।

देश भर में जो सहकारिता की स्थिति है, उस दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि आयकर अधिनियम में किये गये उक्त संशोधन से मुक्त रखा जाए व तद्नुसार संशोधन किया जाये। यदि मुक्त किया जाना संभव नहीं हो तो आयकर विवरणिका प्रस्तुत करने की समय सीमा में छूट देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

जो सहकारी संस्थायें सार्वजनिक वितरण (पी डी एस) प्रणाली के अन्तर्गत और समर्थन मूल्य पर खरीद (पी पी एस) प्रणाली के तहत कार्य करती हैं, उन्हें आयकर के उक्त प्रावधानों से मुक्त रखा जाए।

(पांच) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

डा. अशोक पटेल (फतेहपुर) : फतेहपुर से जयपुर तथा जोधपुर की यात्रा करने वाले यात्री पहले 3111 ट्रेन से यात्रा करते थे लेकिन यह ट्रेन बाद में दिल्ली आने लगी और इसके स्थान पर 2307 एवं 2308 (हावड़ा–जोधपुर एक्सप्रेस) गाड़ी आरंभ की गयी। यह गाड़ी फतेहपुर स्टेशन पर नहीं रुकती। फतेहपुर एक व्यापारिक केन्द्र है। यहां से बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। उक्त गाड़ी के यहां न रुकने के कारण यहां से सवार होने वाले यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फतेहपुर स्टेशन पर 20.20 बजे से सुबह 4.00 बजे तक किसी भी गाड़ी का ठहराव नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि यात्रियों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए हावड़ा–जोधपुर एक्सप्रेस का फतेहपुर स्टेशन पर हाल्ट होना चाहिये, जिससे यहां के लोगों को हो रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

(छह) राजस्थान में स्वरूपसर-श्रीगंगानगर रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में बदलने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चंद चौहान (श्रीगंगानगर) : मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर (राज.) की स्वरूपसर से श्रीगंगानगर की मीटर गेज लाइन 127 किलोमीटर की दूरी पर है। सीमान्त क्षेत्र में यह एकमात्र लाइन मीटर गेज है। सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा विभाग के लिए भी यह लाइन ब्रॉडगेज होना बहुत जरूरी है। महोदय, यह दो बार बजट में भी इस लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तन के लिए रखा गया, पर आज तक इसे वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की।

मेरा अनुरोध है कि इस लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तन करने की अनुमति शीघ्र प्रदान करें।

[अनुवाद]

(सात) चिकित्सा शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री जी. एस. बसवराज (तुमकुर) : भारतीय चिकित्सा परिषद ने वर्ष 1996 में बंगलौर मेडिकल कॉलेज, बंगलौर, मैसूर मेडिकल कॉलेज, मैसूर, कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, हुबली, विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, बेलारी तथा सभी सम्बद्ध अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के पश्चात् इन चार महाविद्यालयों में नामांकन हेतु अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों की संख्या 600 से घटाकर मात्र 400 कर दी गयी है।

बंगलौर मेडिकल कॉलिज, बंगलौर से सम्बद्ध अस्पतालों जैसे विक्टोरिया अस्पताल, वाणी विलास अस्पताल, बोवरिंग एवं लेडी कर्जन अस्पताल तथा एस. डी. एस. टी. बी. सेनिटोरियम को भी बेहतर उपकरण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है ताकि वे पर्याप्त डायगोनिस्टिक और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर सके तथा मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य कर सकें।

आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं व शोध संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा चिकित्सीय शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार ने "इम्प्रूवमेन्ट ऑफ मदर एण्ड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फॉर बंगलौर मेडिकल कॉलेज एण्ड अटैच्ड टीचिंग हास्पिटल" शीर्षक से एक प्रस्ताव अग्रेषित किया है तथा जेपनीस इंटरनेशनल को–ऑपरेटिव एजेन्सी से सहायता अनुदान के रूप में 60.00 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिए अनुमोदन हेतु प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव अभी भी केन्द्र सरकार के पास लम्बित है।

मैं केन्द्र सरकार से उपरोक्त प्रस्ताव पर यथाशीघ्र अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) राजस्थान में रामगढ़ से गदारा रोड तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम चरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : मैं बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि सूखाग्रस्त तथा अत्यंत पिछड़े एवं अविकसित इलाके हैं। राजस्थान नहर (अब इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो गया है) पर कार्य छठे दशक में शुरू के ही प्रारंभ हुआ। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है और प्रारंभ से ही केन्द्र सरकार की इसमें भागीदारी रही है।

यह पता चला है कि पिछले दो वर्षों (1999–2000) से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम) के तहत वित्तीय सहायता रोक दी गयी है। इस संबंध में कहा गया है कि तभी से इस कार्यक्रम का नवीनीकरण कर दिया गया है तथा नवीनीकृत बी. ए. डी. पी. के तहत परियोजना का वित्त पोषण रोक दिया गया।

इसके परिणामस्वरूप इस नहर के अंतिम चरण का कार्य रुक गया है। नहर का बकाया कार्य रामगढ़ (जिला जैसलमेर) से पाकिस्तान सीमा से सटे गदारा रोड (बाड़मेर जिला) तक का हैं। इस पिछड़े क्षेत्र की जनता इस मुद्दे पर आक्रोश में हैं। उन्हें जल मुहैया नहीं है। राजस्थान सरकार भी आर्थिक संकट का सामना कर रही है और राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को धन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पूरा होने तक पर्याप्त निधि जारी करें।

(नौ) सुपारी और पिराई योग्य कोपरा के मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : सुपारी और पिराई योग्य कोपरा की कीमत उत्पादन लागत से भी काफी नीचे तक गिर गयी है तथा बिचौलिये असहाय किसानों के मुसीबतों का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार ने नैफेड जैसे अपने अधिप्राप्ति करने वाले अभिकरणों, जो किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाते हैं, के माध्यम से बाजार में दखल देने से अपने उत्तरदायित्व का परित्याग कर दिया है। नैफेड कभी–कभी ही अधिप्राप्ति का कार्य करता है जिससे भण्डारों के समाप्त होने की कोई आशा नहीं है। अभी कुछ महीनों से धन की कमी के कारण नैफेड ने अधिप्राप्ति संबंधी कार्यों को स्थगित कर दिया है।

कीमतों में गिरावट की यह समस्या पॉम आयल और सोयाबीन आयल जैसे खाद्य तेलों के आयात, जिसके कारण स्थानीय तेल पिराई उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इसके परिणामस्वरूप तेल पिराई उद्योग ने कोपरा की खरीद बंद कर दी है।

मैं सरकार से इस संबंध में दोतरफा कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। पहला अधिप्राप्ति के लिए और अधिक धन मुहैया कराके नैफेड द्वारा अधिप्राप्ति संबंधी कार्यों को शुरू करवाना। दूसरा, घरेलू तेल उद्योग को बराबरी पर लाने के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाकर ओ. जी. एल. के तहत भारत में खाद्य तेलों की कीमतों को गिरने से रोकना।

(दस) पश्चिम बंगाल में हाथियों के उत्पात को रोकने हेतु राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : मैं सभा तथा पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान पश्चिम बंगाल में बांकुरा, मिदनापुर के कुछ मार्गों और उड़ीसा के कुछ हिस्से में किसानों और लोगों पर हाथियों द्वारा उत्पन्न आतंक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव से दो दिन पहले मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र, दुर्गापुर के एक भाग बरजोरा विधान सभा क्षेत्र के तहत आने वाले घुटगोरिया में एक हाथी ने दो लोगों को जान से मार डाला। मेरे चुनाव क्षेत्र के सोनामुकी में हाथियों ने कुछ लोगों को मार डाला। हाथी डाल्मा (बिहार) से आ रहे हैं और गड़बेता (मिदनापुर), बदायूं (पुरुलिया और रानीबांध), जोधपुर (बांकुरा) में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद ये हाथी पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिला के सोनामुखी, चन्दर, वृन्दावन पुर, गोधरडिही, सहरजोरा, घुटगोरिया और बरजोरा के किसानों और आम लोगों के बीच आतंक पैदा करते हैं। किसानों को हाथियों द्वारा धान की फसल खाने से हुई हानि का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में अभय अरण्य नाम से एक वन्य क्षेत्र बनाए तथा किसानों एवं आम लोगों को हाथियों के आतंक से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को पर्याप्त धन मुहैया कराए।

(ग्यारह) लुम्बनी (नेपाल) खनुवा-नौतनवां-कुशीनगर सड़क को बौद्ध परिपथ से जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ. प्र.) : खनुवा–नौतनवां–ठूठीबारी–नीचलौल–सिसवां–कप्तानगंज से होकर लुम्बिनी को कुशीनगर से जोड़ने वाले मार्ग को बौद्ध परिपथ में शामिल न किये जाने के कारण वहां आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को लगभग 50 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। अगर उक्त मार्ग को बौद्ध परिपथ में शामिल कर लिया जाता है तो नेपाल से भारत में गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली के दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को कुशीनगर तक यात्रा करने के लिए लगभग 50 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। इस मार्ग पर भारी वाहनों का दबाव भी कम होगा और भारत–नेपाल के मध्य आवागमन के साधन भी विकसित होंगे। इससे विदेशी पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि होगी और भारतीय पर्यटन उद्योग का विकास हो सकेगा। मैं अपने क्षेत्र की समस्त जनता और गौतम बुद्ध की जन्म स्थली व निर्वाणस्थली के दर्शनार्थियों की तरफ से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि लुम्बिनी (नेपाल)–खनुवा–नौतनवां–ठूठीबारी–नीचलौल–सिसवां–कप्तानगंज–कुशीनगर मार्ग को बौद्ध परिपथ में सम्मिलित कर प्राथमिकता के आधार पर इसका शीघ्र निर्माण कराया जाए।

[अनुवाद]

(बारह) हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश में राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री बी. वी. एन. रेड्डी (नांदयाल) : सूचना प्रौद्योगिकी अब एक विश्वव्यापी विषय बन गया है। इस विषय पर शोध

और उच्च अध्ययन हेतु देश में अपने आप में पूर्ण एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। मेरी राय है कि भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय अवश्य होना चाहिए : जैसे कि हैदराबाद में राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय क्योंकि यह भारत में सभी भागों के लिए केन्द्रीय स्थान हैं। संयोगवश, आंध्र प्रदेश सरकार ने 1989 में दूरसंचार शोध सुविधाओं के लिए दूरसंचार विभाग को 30 एकड़ जमीन आवंटित की थी। इस अप्रयुक्त जमीन का उपयोग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यथाशीघ्र आवश्यक धनराशि मंजूर करेगी।

(तेरह) घोसी, उत्तर प्रदेश के अफीम उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : मेरे संसदीय क्षेत्र घोसी के अन्तर्गत दो विधान सभा क्षेत्रों–क्रमशः घोसी एवं नत्थूपुर में अफीम की खेती से सैकड़ों किसान पिछले कई वर्षों से अपना जीविकोपार्जन करते रहे हैं।

लेकिन वर्ष 1999–2000 में दैवी आपदा के कारण उनकी सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गयी, जिसके कारण अफीम की खेती के सम्पूर्ण एरिया की जुताई संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनी उपस्थिति में करा दी गयी। उसके बावजूद अधिकारियों ने किसानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया, जिससे अफीम उत्पादक सभी किसान अपने जीविकोपार्जन के साधन से वंचित होने के कारण दयनीय स्थिति में हैं।

पूर्व लम्बरदार किसानों के साथ साथ अन्य किसानों की मांग है कि पूर्व लम्बरदार किसानों के निरस्त लाइसेंस पुनः जारी किये जाएं तथा परगना घोसी एवं मधुबन में अफीम की खेती की उपयोगिता को देखते, हुए जनहित में व्यापक क्षेत्रफल में ऊफीम की खेती की उपयोगिता को देखते हुए जनहित में व्यापक क्षेत्रफल में अफीम उगाने का लाइसेंस प्रदान किया जाए।

अतः सरकार से मैं मांग करता हूं कि परगना घोसी के पूर्व लम्बरदार किसानों का निरस्त लाइसेंस बहाल करें तथा घोसी व मधुबन में व्यापक क्षेत्रफल में अफीम लगाने का लाइसेंस जारी करें।

(चौदह) देश में विशेषकर हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : अध्यक्ष महोदय, बिजली देश के विकास के लिए एक परम आवश्यक साधन है, देश का विकास चाहिए तो आवश्यकतानुसार बिजली की उपलब्धता अनिवार्य है। किंतु खेद है कि देश में बिजली की उपलब्धता में भारी किल्लत है, सामान्यतः बिजली की कमी है। ग्रामीण अंचलों में तो यह कमी ही नहीं बल्कि इसकी उपलब्धता बहुत ही कम है। एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रामीण अंचलों के घरों में बिजली कनैक्शन राष्ट्रीय स्तर पर औसतन केवल 30 प्रतिशत है। 100 में से 30 घरों में बिजली की उपयोगिता की मौजूदा हालत देश के विकास की सही तस्वीर सामने लाती है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां केवल 5 प्रतिशत घरों में ही बिजली का उपयोग हो रहा है। हरियाणा राज्य जो देश के समृद्ध राज्यों में गिना जाता है, वहां भी ग्रामीण घरों में केवल 63 प्रतिशत घरों में बिजली का उपयोग होता है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि बिजली के अभाव की इस स्थिति को तत्काल दूर करने के लिए पहल करे। ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में बिजली के उपयोग हेतु बिजली देने की मौजूदा व्यवस्था के अतिरिक्त व्यवस्था कायम की जाए, जो देश में ग्रामीण अंचलों के रिहायशी क्षेत्रों में बिजली उपयोग बढ़ाने के लिए जवाबदेह हो।

(पन्द्रह) फिरोजपुर सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच नई सड़क खोले जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जोरा सिंह मान (फिरोजपुर) : भारत–पाक पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि आपस में एक दूसरे के हितों से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इसलिए इन दोनों देशों को परस्पर प्रेम और सहयोग से रहना पड़ेगा तभी इन दोनों देशों का विकास हो पायेगा। आधी शताब्दी बीतने के बावजूद पाक नेताओं ने धरातल की सच्चाई से मुंह मोड़ रखा है। दरअसल पाकिस्तान के शासक देश के विकास के काम में बुरी तरह पिछड़े हैं और अब वे अपनी जनता के रोष को भारत के विरुद्ध घृणा पैदा करके शांत रखना चाहते हैं। अतः वे कोशिश में रहते हैं कि भारत के प्रति घृणा और रोष बना रहे। परन्तु यह स्थिति भारत के अनुकूल नहीं। इसीलिए भारत के नेताओं ने सदा शान्ति और सहयोग की बात की है। अभी इतने प्रदूषित माहौल में भी भारत की ओर से अनेकों सौहार्द पैदा करने के प्रयास गत वर्षों में किए गए हैं।

इसी संदर्भ में मेरा निवेदन है कि फिरोजपुर सीमा पर भी एक और नया मार्ग पाकिस्तान के साथ खोला जाए क्योंकि

[श्री जोरा सिंह मान]

यह प्रयास भारत और पाकिस्तान के लोगों में व्यापार बढ़ाने में सहायक होगा। दोनों देशों की जनता एक दूसरे के निकट आएगी।

[अनुवाद]

(सोलह) आन्ध्र प्रदेश में सिकंदराबाद छावनी के सिविलियनों को हो रही कठिनाइयों का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट) : मैं सभा का ध्यान सिकन्दराबाद छावनी के नागरिकों को हो रही कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूं। छावनी क्षेत्र में कोई भी अग्निशमन केन्द्र नहीं है और ऐसा केन्द्र शुरू करने हेतु यथा शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार को निम्नलिखित समस्याओं पर ध्यान देने के लिए छावनी क्षेत्र का प्रशासन चलाने वाले विधान को भी संशोधित करना चाहिए :

(क) छावनी बोर्ड का क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र के बराबर होना चाहिए ताकि उस क्षेत्र में बसे सिविलियन नागरिकों को शहरी क्षेत्रों में बसे लोगों के समान लाभ मिल सके;

(ख) छावनी बोर्ड द्वारा ली जाने वाली चुंगी बहुत अधिक है। इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए;

(ग) अनेक गरीब सिविलियन नागरिक 50 वर्षों से अधिक समय से यहां बसे हुए हैं। उन्हें वे स्थान खाली करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए और उनके स्वामित्व को नियमित किया जाना चाहिए क्योंकि आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार रक्षा प्राधिकरण को इस भूमि के बदले भूमि देने का प्रस्ताव कर चुकी है।

मुझे आशा है कि सरकार तदनुसार उचित कदम उठाएगी।

(सत्रह) बाहरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किए जाने की आवश्यकता

श्री टीएच. चाओबा सिंह (आंतरिक मणिपुर) : बाहरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र है, में 28 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिसमें से 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता मत दे सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यह अजीब स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि इन आठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल नहीं किया गया है जबकि इन्हें बाहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया गया है अर्थात बाहरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है।

मेरे विचार से यह उन लोगों के साथ अन्याय है क्योंकि वे पिछले 50 वर्षों से अर्थात् 1952 से अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं और यदि यही स्थिति रहती है तो अगले 25 वर्षों तक उनका यही हाल रहेगा क्योंकि संसद ने 2026 तक परिसीमन समाप्त कर दिया है।

इन आठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लाखों मतदाताओं के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका है कि इन्हें मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 32 सामान्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल कर दिया जाए जिससे 40 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 12 लाख मतदाता होंगे। दूसरी ओर बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के शेष 20 आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या पूर्वोत्तर क्षेत्र और देश के अन्य आरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहेगी।

(अठारह) राजसहायता देकर चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मान सिंह पटेल (मांडवी) : देश में चीनी का उत्पादन उत्साहजनक है, जिसके कारण गन्ना किसान, गन्ना मिलों में काम करने वाले मजदूर और इसमें संलग्न व्यापारी लोगों के उत्साहजनक कार्य करने की काफी संभावना है और चीनी का उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा है कि इसके स्टाक में काफी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण इसके स्टोर करने में काफी दिक्कत हो रही है। बरसात के दिनों में भी इसे खुले में रखना पड़ता है जिसके कारण बडी मात्रा में चीनी के खराब होने की संभावना रहती है। लगता है कि ज्यादा दिनों तक इसके स्टोर करने से इसको भी गेहूं की तरह समुद्र में फेंकना पड़ेगा। जबकि विश्व के कई देशों में इसे सब्सिडी देकर निर्यात कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा भी कमा सकते हैं।

इन सब कारणों से मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सब्सिडी देकर चीनी के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। यह निर्णय शीघ्र लेना चाहिए।

[अनुवाद]

(उन्नीस) फरक्का और कोलकाता के बीच दिन के समय में एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला राज्य के बीचोंबीच स्थित है तथा पूर्वी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ता है। जिले की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। इस जिले के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। राज्य की राजधानी कोलकाता इस जिले से 200 कि. मी. से अधिक दूर है। गंगा नदी इस जिले से होकर बहती है जो इसे दो भागों में विभाजित करती है। इस जिले के गंगानदी के पश्चिमी तट पर रहने वाले लोगों को दिन के समय में राज्य की राजधानी हेतु रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है। इस जिले का पश्चिमी भाग हावड़ा मंडल के अंतर्गत आता है।

जनसंख्या के एक बड़े भाग को दिन के समय में रेलवे सेवा उपलब्ध नहीं होती है। इसके अतिरिक्त रात के समय में भी फरक्का और कोलकाता के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे दिन में फरक्का से कलकत्ता तक (या तो हावड़ा तक अथवा सियालदाह तक) एक रेलगाड़ी चलवाएं।

(बीस) केरल में कुछ किस्म की मछलियां पकड़ने पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पिछले सितम्बर में 53 समुद्री मछलियों तथा 54 समुद्री जीवों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे हमारे सामान्य मछुआरे गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, उनकी आजीविका संकट में है। इससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को फायदा होगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस आदेश को वापस ले लिया जाए।

(इक्कीस) वर्ष 2002-2003 को तमिल वर्ष घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै) : मैं, प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1999–2000 को संस्कृत वर्ष घोषित करते समय किए गए वायदे को सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि सभी अन्य भारतीय राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मानित करने हेतु आगामी वर्ष को इसी तरह का वर्ष घोषित किया जाएगा। लेकिन दिए गए आश्वासन के अनुसार ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त अनादि काल से इसके अस्तित्व को प्रमाणित करने वाला पौराणिक संदर्भ भी है। भगवान शिव तथा महान तमिल गायक, नक्कीरन के बीच सॉनेट के रूप में वाद–विवाद का भी संदर्भ आता है जिसे भगवान शिव ने स्वयं तमिल में लिखा है। इसके अलावा तमिल भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य के अन्य उदाहरण तोलकप्पियम, अयंपेरूमकप्पियम, पांतिनेन–किजमनक्कु पत्तुर्इपत्तु, इट्टुतोगई आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो बहुत उच्च कोटि के हैं।

अतः, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे वर्ष 2002–2003 को तमिल वर्ष घोषित करें तथा प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाए।

(बाईस) देश के विभिन्न जिलों में केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व संबंधित संसद सदस्यों से परामर्श किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री सड़क योजना (सड़क योजना एस. आर. वाई.), पेय जल तथा इंदिरा आवास आदि जैसी केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं पर सीधे करोड़ों रुपये का निवेश कर रही है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस संबंध में स्थानीय संसद सदस्यों के सुझाव नहीं लिए जाते हैं। यहां तक कि संबंधित संसद सदस्यों को भी इन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं होती है। राज्य सरकार स्थानीय विधायकों से परामर्श करके इन परियोजनाओं को चला रही है। ग्रामीण विकास मंत्री ने लोक सभा में अनेक बार आश्वासन दिया कि शीघ्र ही संबंधित संसद सदस्यों के सुझाव लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मैं, आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान इस संबंध में लोक सभा में दिए गए आश्वासन की ओर दिलाता हूं ताकि वे इस आश्वासन को पूरा करें।

(तेईस) आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर में रेल मण्डल स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री वाई. वी. राव (गुंटूर) : वर्ष 1997 में गुंटूर में नया रेल मंडल बनाया गया। यद्यपि आधारशिला बहुत पहले रखी गई थी लेकिन मंडल को कार्यशील बनाने हेतु निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं हुआ है। आरंभिक निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1997–98 में 1 करोड़ रुपये आवंटित किए थे जो निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के कारण व्यपगत हो गए। चालू वर्ष में आरंभिक निर्माण कार्य शुरू करने हेतु 40 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

हालांकि गुंटूर मंडल के साथ स्वीकृत रायपुर और रांची रेल मंडलों से संबंधित निर्माण कार्य पूरे जोरों पर हैं, गुंटूर मंडल में निर्माण कार्य खतरे में हैं। आंध्रप्रदेश की सरकार ने नालापडू गांव के समीप शेष निजी पट्टा भूमि को अंतरित करने का आश्वासन देने के अलावा इस गांव की भूमि का कुछ भाग अंतरित करने का प्रस्ताव किया है जिसे रेल प्राधिकारियों ने सहमति दे दी है।

चूंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने गुंटूर में रेल मंडल के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि आवंटित करने की सहमति दे दी है। इसलिए मैं, माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

(चौबीस) हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब क्षेत्र में बाता नदी पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य (शिमला) : हिमाचल प्रदेश के पॉवटा साहब क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है और यहां का गन्ना, धान, गेहूं आदि प्रमुख फसलें हैं। आम, संतरा, लीची, नींबू इत्यादि फलों की भी इस क्षेत्र में विशेष उपज है। महोदय, यमुना नदी की सहायक बाता नदी की बाढ़ के कारण हर वर्ष यहां की यह उपजाऊ भूमि जल–कटाव का शिकार हो रही है। इस निरन्तर हो रहे भूमि–कटाव को रोकने का एकमात्र उपाय जलमुशा नामक स्थान पर एक बड़े डैम को बनाना है। ऐसा करने से एक ओर बिजली पैदा होगी और दूसरी ओर ऊंचाई वाले गांवों को जल–उठाऊ योजना द्वारा सिंचाई की सुविधा डैमों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई व मछली पालन के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसा करने से जहां भूमि कटाव रुक सकेगा, वहीं मछली पालन द्वारा बेरोजगार युवकों को काम भी मिलेगा।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करें और सर्वेक्षण दल भेजकर शीघ्रातिशीघ्र इस पर कार्यवाही आरंभ करने की कृपा करें।

अपराह्न 1.36 बजे

[अनुवाद]

संविधान (बानवेवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने 30 जनवरी, 2001 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन के प्रभावों को निष्प्रभावी बनाने के मद्देनजर आरक्षण नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में उन्हें पारिणामिक ज्येष्ठता प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती प्रभाव अर्थात् 17 जून 1995 से संविधान के अनुच्छेद 16 (4) (क) में संशोधन करने के लिए संविधान (बानवेवां संशोधन) विधेयक 2001 पुरःस्थापित किया था।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : यह उल्लेखनीय है कि 30 जनवरी, 1997 को कार्यालय–ज्ञापन वीरपाल सिंह चौहान और अजित सिंह–I के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित तथाकथित 'कैच–अप' अर्थात् पदोन्नति मिलने पर पूर्व वरिष्ठता बनाए रखने के सिद्धान्त को लागू करने के लिए जारी किया गया था जिसे बाद में अजित सिंह–2 के मामले में भी संविधान की खंड–पीठ ने बनाये रखा था। 30 जनवरी, 1997 के कार्यालय ज्ञापन से आरक्षण नीति के कारण सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से पहले पदोन्नत अ. जा. और अ. ज. जा. के सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पड़ा था।

सरकार ने अनु. जा. और अ. ज. जा. के कर्मचारियों के हित में और विभिन्न पक्षों से प्राप्त विचारों के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की थी और 30 जनवरी, 1997 के कार्यालय ज्ञापन के प्रभाव को तुरन्त निष्प्रभावी बनाने के लिए संविधान संशोधन का निर्णय किया गया । केवल 30 जनवरी के कार्यालय-ज्ञापन को वापस लेने से वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी क्योंकि अन्यथा उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्धारित कानून लागू रहेगा, अतः परिणामी वरिष्ठता और आरक्षण के नियम के अंतर्गत पदोन्नति के मामले में व्यवस्था करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 16 (4) (क) में संशोधन किया जायेगा। अनुच्छेद 16 (4) (क) के प्रस्तावित संविधान संशोधन को उक्त अनुच्छेद के लागू होने की तिथि अर्थात् 17 जून, 1995 से ही पूर्ववर्ती प्रभाव प्रदान करना भी आवश्यक है।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहती हूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से भी इस संबंध में परामर्श किया गया और आयोग ने हमारे इस प्रस्ताव की सराहना की। इस संविधान (बानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001 के अधिनियम बनने के पश्चात् सरकार को आरक्षण नियमों के तहत अ. जा. और अ. ज. जा. के कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति पर परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने का अधिकार मिल जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति चाहती हूं

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले 30 जनवरी, 1997 को मंत्री महोदय द्वारा ही जारी अपने कार्यालयी-ज्ञापन को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से लाये गए संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, इस मैमोरेंडम के तहत जो आरक्षण नीति पिछले 52 साल से चल रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा व्यवधान पैदा हो गया था। उसके प्रभाव को शून्य करने के लिये माननीय मंत्री महोदय जी ने संशोधन विधेयक इस सदन के सामने रखा है, हम उसका समर्थन करने के लिये खड़े हुए हैं।

इस विधेयक से सरकारी अर्द्धशासकीय पत्र का प्रभाव कम होगा, कैसे होगा, इसका जो हमें अनुभव है यदि हम उसे सामने रखें तो अभी तक जो दो पहले अमेन्डमैन्ट्स हुए हैं, उनका प्रभाव हमें अभी तक धरती पर देखने के लिए नहीं मिला। चूंकि उसके अन्तर्गत आपने जो आदेश जारी किये वे केवल केन्द्रीय सरकार के सचिवालयों और विभागों को गये। सार्वजनिक क्षेत्र के जो कल-कारखाने थे, अन्डरटेकिंग्स थीं, वहां वे पूरी तरह नहीं पहुंचे और भारतवर्ष में जितनी राज्य सरकारें हैं, उनके पास भी स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचे। परिणामस्वरूप जो पहले आपने संशोधन किये हैं, उनका लाभ अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। सबसे पहले मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपनी ओर से हो सके या प्रधान मंत्री महोदय की ओर से एक अर्द्धशासकीय पत्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के नाम उनका एक व्यक्तिगत पत्र इन संशोधनों का सारांश देकर भेजें, ताकि सभी प्रदेश सरकारों और सभी विभागों जिसमें पब्लिक अंडरटेकिंग्स, बैंक्स, एल. आई. सी. आदि-आदि आपके पास लिस्ट है, सभी उपक्रमों और सभी पब्लिक अंडरटेकिंग्स में स्पष्ट रूप से आदेश के तौर पर यह जाए कि ये संशोधन पार्लियामैन्ट ने पास किये हैं, भारत सरकार ने इनके ऊपर अमल जारी कर दिया है, आप भी इनके ऊपर अमल शुरू करो।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे पांच अर्द्धशासकीय पत्र जारी हुए थे, यह उसमें से तीसरा है, तीन के बारे में आदरणीय मंत्री महोदय ने संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार का मत व्यक्त किया है कि वह इनका असर खत्म करने जा रही है अभी दो ऐसे पत्र बाकी हैं, जिनके ऊपर सरकार अभी भी चुप्पी साधे हुए है, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें एक दो जुलाई 1997 का है जिसमें

[अनुवाद]

न्याय-निर्णय आने तक आरक्षण का निर्धारण अभी रिक्ति-आधारित रोस्टर के स्थान पर पद-आधारित-रोस्टर से होगा। इसका प्रभाव यह हुआ कि चुपचाप एक नया रोस्टर शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

जब भी आपने रोस्टर इन्ट्रोड्यूस करना है या किया है तो आपको चाहिए था कि जो हमारा कमीशन है, आप उसके परामर्श से करते। हमें इस बात की खुशी है आज आपने कहा कि जब आप यह बिल सदन में लाईं तो आपने नेशनल कमीशन

[सरदार बूटा सिंह]

फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्म एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कंसल्ट किया, यह बहुत अच्छा है। यदि आप कोई मेजर पॉलिसी चेंज करती हैं जो संविधान के आर्टीकल 338 में उसकी धारा 9 में लिखा हुआ है, भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है कि जब भी आप नीति में परिवर्तन करो, पॉलिसी चेंज करो तो जब तक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स से कंसल्ट नहीं होता है, आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। परन्तु आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज आपने पहली बार किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि जो इस सदन की पार्लियामेन्ट्री कमेटी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, यदि आप प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन करने जा रही हैं तो उसकी एक प्रतिलिपि इस संसदीय कमेटी को दे दी जाए, ताकि

अपराह्न 1.44 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

उसमें सभी दल रिप्रजेन्टिड हों, वे भी उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त कर सकें और ज्यादा अच्छा होगा और आपका काम भी अच्छा होगा और राष्ट्र को उसका बहुत लाभ होगा। अभी दो ऐसे अर्द्धशासकीय पत्र हैं जिनके बारे में आप खामोश हैं। एक का मैंने उल्लेख किया कि वह दो जुलाई 1997 का पत्र है, उसका आपने अभी तक कुछ नहीं किया। चूंकि रोस्टर प्वाइंट जो इस वक्त आप एप्लाई कर रही हैं, आप अब जो रोस्टर प्रणाली प्रयोग कर रहे हैं वह अनु. जा. और अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए अत्यंत हानिकारक है इसके ऊपर मे ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा, चूंकि समय बहुत कम है।

दूसरा अर्द्धशासकीय पत्र जो आपने 13 अगस्त, 1997 को लिखा जिसमें 15 नवम्बर, 1997 के पश्चात अनुच्छेद 16 (4) (क) के मद्देनजर अ. जा. और अ. ज. जा. के लिए पदोन्नति में आरक्षण पूर्व की भांति बने रहने की बात की गई है। इसके बारे में भी आपने कुछ नहीं किया। मुझे लग रहा है कि 92वें अमेंडमैन्ट के बारे में आप निश्चित रूप से कुछ हल ढूंढ़ेंगी।

मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार कृपया अपना दिमाग इस पर लगाए। एक ऐसा अर्द्धशासकीय पत्र जो कि वर्तमान सरकार ने जारी किया है, जो बहुत ही खतरनाक है और मेरे दृष्टिकोण से यह एक लैण्डमाइन है। इस अध्यादेश का कोई आधार नहीं है। न किसी हाई कोर्ट ने, न सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश के बारे में आपको लिखा है, कहा है या निर्णय दिया है। यह अध्यादेश केवल ब्यूरोक्रेसी के मन की कल्पना है और यह अध्यादेश सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें आपने क्या कहा—

[अनुवाद]

ऐसे अ. जा. और अ. ज. जा. के लोग जिन्होंने आयु, अनुभव परीक्षा देने के अवसरों में किसी प्रकार की रियायत ली है इन्हें आरक्षित रिक्तियों के खाते में ही माना जायेगा, उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नहीं माना जाएगा यदि मैरिट के आधार पर उनका चयन अथवा पदोन्नति होती है, तो अनारक्षित रिक्तियों के लिए उन पर विचार नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

आपने उनको एक बहुत छोटे से दायरे में बांधकर रख दिया। उनकी मैरिट्स भी हैं तो जनरल कैटेगरी लोगों के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे और इसमें नैचुरल जस्टिस उनको डिनाइ किया गया है हमारा सुझाव है कि

[अनुवाद]

आज जिन अ. जा., अ. ज. जा. और अ. पि. व. के लोगों को आरक्षण का फायदा है, उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कार्यालय ज्ञापन से वे केवल आरक्षित पदों और रिक्तियों पर चयन के योग्य होंगे। जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, वहां ऐसे पदों पर अ. जा., अ. ज. जा. व अ. पि. व. के लागों की नियुक्ति नहीं हो सकती। अतः, यदि किसी अ. जा., अ. ज. जा. अथवा अ. पि. व. के कर्मचारी ने अपने सेवाकाल के दौरान यदि कोई रियायत ली है, तो भविष्य में जहां आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है अथवा आरक्षण लागू नहीं होता है तो उसे किसी पद या सेवा या संवर्ग में पदोन्नत नहीं किया जा सकता। यह वर्तमान सरकार द्वारा जारी सबसे हानिकारक कार्यालय ज्ञापन है। अतः महोदया, मैं सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि आप इस सभा में यह संशोधन लाकर अ. जा., अ. ज. जा की मदद करेंगी।

[हिन्दी]

ताकि उनके रास्ते में जो दुविधाएं पैदा हुई थीं, वे खत्म हों। साथ ही साथ आपने एक ऐसी विपदा पैदा कर दी है कि जो किसी भी वक्त उनकी आरक्षण नीति को खत्म कर सकती है। मेरा अनुरोध है कि कृपया इसकी आज ही सदन में घोषणा करें कि ऐसा एस. सी., एस. टी. के खिलाफ हुआ आपका ऑफिशियल मैमोरेंडम आज ही हम वापस लेते हैं, तो मैं मानूंगा

कि सही मायने में आपके मन में और सरकार के मन में इन गरीबों के लिए थोड़ा दर्द बाकी है। नहीं तो सभी अखबारों ने लिखा है कि जो संविधान 92वां संशोधन विधेयक है यह केवल उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को देखते हुए लाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे सभी पार्टियां फायदा उठाती हैं, आप भी कोशिश करेंगे, मगर एस. सी. और एस. टी. की सारी आरक्षण नीति का समाधान तब तक नहीं होगा, जब तक एक सेन्ट्रल एक्ट इस सदन में पास नहीं होगा। आज तक जितना भी अमल हुआ है, शुरू से लेकर आज तक, वह या तो ब्यूरोक्रैसी के ऑर्डर के मुताबिक हुआ है या फिर किसी कचहरी या सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया है तो हुआ है। वरना इतना बड़ा मसला हो, देश की एक–तिहाई जनसंख्या प्रभावित है। और हमारे पास कोई सेन्ट्रल दिशा नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, एक्ट नहीं है। सभी दल के जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में और दूसरे सदन में हैं, सबकी एकमत राय है कि अब समय आ गया है जबकि हमें इस सदन के पास वह कमांड लेनी चाहिए जो आरक्षण नीति को खुद इंप्लीमेंट करे, खुद उसका सुपरविजन करे और यह तब हो सकता है यदि हम यहां पर एक ऐसा कानून पास करें, सेन्ट्रल एक्ट पास करें और उस एक्ट को हम संविधान की नौवें शैड्यूल में रखें ताकि भविष्य में कोई कचहरी या अदालत उसमें छेड़छाड़ न कर सके। अफसोस की बात है कि आज जिस केस का आपने उल्लेख किया है अजित सिंह और वीरपाल सिंह चौहान का, आपको मालूम है कि यह केस कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 1995 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 1996 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया।

उपाध्यक्ष महोदय, होता क्या रहा है कि जब कभी भी इतना महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, तो प्राकृतिक न्याय यह मांग करता है कि जिस व्यक्ति अथवा जिन वर्गों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने इतना महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय मुद्दा हो, उसे सुना जाना चाहिए, लेकिन सुना नहीं गया। उनके खिलाफ मामला एक बार नहीं, तीन बार एक्स पार्टी हुआ और अन्त में जब फैसला हुआ, तो जो सांवैधानिक खंडपीठ उच्चतम न्यायालय की है, जिसमें 9 जज बैठते हैं, उनमें से एक भी जज अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं था। हालांकि उस समय एक जज अनुसूचित जाति का था जो बहुत सीनियर था, लेकिन उसे भी बैंच में नहीं रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज अनुसूचित जाति का नहीं है। जिस वर्ग के जीवन–मरण के बारे में फैसला होना हो और उस वर्ग का जज उपलब्ध हो, तो भी उसे खंडपीठ में शामिल नहीं किया गया और उन्हें सुना नहीं गया।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी और दुखद बात यह है कि खंडपीठ बैकवर्ड क्लासेस के बारे में फैसला करने जा रही थी, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के साथ उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लोगों के गले में फंदा डाल दिया। ऐसा तो अंधे राजा के जमाने में भी नहीं होता। मैं किसी गवर्नमेंट, किसी कर्मचारी या किसी जज के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसे लेकर आज देश की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की युवा पीढ़ी में भयंकर रोष व्याप्त है। आप आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा में वामपंथी गतिविधियां देख रहे हैं, जिसे आप वामपंथी आतंकवाद कहते हैं, वह केवल वामपंथ का नाम है, लेकिन उसके पीछे भावना और शक्ति यही है कि आदिवासियों के प्रति, कमजोर वर्गों के प्रति, सीमान्त किसानों के प्रति जो उदासीनता की भावना शासन में विद्यमान है, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी वजह से उनके अन्तर्मन में रोष पैदा हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में खून–खराबा हो और वह भी गरीब लोगों के हाथों, और उसका कारण हमारे शासक हों, सरकार हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां मैरिट पर जाना चाहता था, लेकिन आपने हुक्म दे दिया है, तो मैं बैठ जाऊंगा। यह किसी पार्टी का मसला नहीं है। यह इस देश की समूची जनसंख्या के 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे कृपा करके हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक, जिसका बी. जे. पी. के बहुत से सांसदों ने समर्थन किया है केन्द्रीय अधिनियम से शासित अनु. जा. और अनु. ज. जा. के लिए आरक्षण नीति को स्वीकार कर लें और उसके अंदर रूल बनाए जाएं जिसे यहां पारित किया जाए और उसे नौवें शेड्यूल में रखा जाए ताकि यह समस्या फिर से न पैदा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम वाक्य कह कर बैठ जाऊंगा। मैंने बहुत समाचार पत्रों की प्रक्रिया पढ़ी है अगर उसका उल्लेख करना चाहूं, तो यहां एक जंग शुरू हो जाएगी कि किस प्रकार से हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा इस विधेयक का मजाक उड़ाए जाने की कोशिश की गई है। इससे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की युवा पीढ़ी में बहुत आक्रोश है क्योंकि वे कहते हैं कि यह हमारा हक है,

[सरदार बूटा सिंह]

लेकिन सरकार कहती है कि हम आरक्षण कर, दान दे रहे हैं। देश के सब लोग जानते हैं कि आरक्षण का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और यह कैसे पनपा है। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस समय एक रिटिन पालीटिकल एग्रीमेंट किया था, लेकिन आज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस देश की नौकरशाही और बड़ी–बड़ी अदालतों के हाथ से आरक्षण को हटाकर उसकी कमान इस देश की पार्लियामेंट के हाथ में दी जाए जिससे महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के एग्रीमेंट का अक्षरशः पालन हो सके और जो सर्वहारा वर्ग है, उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा हो सके।

16(4) और 16(4)(ए) फंडामैंटल राइट नहीं है, ऐसा हमने कहीं जजमैंट देखा ही नहीं। श्रीमान्, मैं आपके हुक्म की पालना करते हुए बैठ जाता हूं, समर्थन करता हूं मगर यह मामला बहुत गंभीर है। इससे पहले कि यह हाथ से छूट जाए और देश में एक नई समस्या उत्पन्न हो जाए, मैं चाहूंगा कि सरकार विधिवत ढंग से इसका एक सैंट्रल एक्ट पास करके इसे नाइन्थ शैड्यूल में रखे, गरीबों की रक्षा करे। धन्यवाद।

डा. संजय पासवान (नवादा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेंडमैंट बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। निश्चित तौर से इस संशोधन के बाद से, इसका प्रभाव मुझे पिछले 5–7 दिनों से दिखाई दे रहा है कि कई कर्मचारी संघ के लोगों ने मुझसे आकर पूछा, बधाई दी और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं था कि इसका लाभ क्या होने वाला है। जब उन कर्मचारी भाइयों ने मुझसे कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग पांच साल से जिस कष्ट से गुजर रहे थे, से उबारने का काम भाजपा सरकार और गठबंधन कर रही है। इसमें 'कौनसीक्वैंशियल सीनियॉरिटी' शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, यह हमें पता नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि इस ओ. एम. के आने के बाद जो ओ. एम कब आया, किसको पता है, हम उस समय नहीं थे। 'करे कोई भरे कोई' की स्थिति बनी हुई है। उस समय जब यह ओ एम आया था, सरकार किनकी थी, किनके समर्थन से यह सब था। उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारी बंधुओं ने जो कष्ट उठाए हैं, उसका निपटारा आज होने वाला है। मैं दलित समाज और एस. सी., एस. टी की ओर से इस जजमैंट और माननीय मंत्री जी को सैल्यूट करना चाहता हूं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निश्चित तौर पर नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं लेकिन फिर भी आरक्षण की बात कुछ बेमानी भी लगती है। मौलिकता यह है कि नौकरियों के अवसर कैसे सृजित किए जाएं। सवाल केवल दलित समाज का नहीं है, सवाल बेरोजगार नौजवानों के लिए भी है, चाहे वे किसी भी समाज से आते हों। इस बदलते परिवेश में नौकरियों के अवसर का सृजन कैसे किया जाए, यह हम सबके लिए चिन्ता की बात है। नौकरी चाहे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे निजी क्षेत्र में हो, अवसर खत्म हो रहे हैं। सरकार ने तमाम विरोध के बावजूद भी, बुद्धिजीवी वर्ग में विरोध हुआ उन सबकी अनदेखी करते हुए सरकार 92वें अमैंडमैंट को लाई है। निश्चित तौर पर यह क्रान्तिकारी कदम है।

अभी बूटा सिंह जी बोल रहे थे कि पोलीटिकल रीजन लाने का है, यू. पी. का चुनाव है। मैं उन्हें बता दूं कि 26 नवम्बर का दिन संविधान लागू होने का दिन था और इसे 26 नवम्बर को आना था। यह सरकार कितनी प्रतिबद्ध है कि डा. अम्बेडकर ने 26 नवम्बर के दिन संविधान लागू किया था, यह उस दिन आना था लेकिन लेट हो गया है। यह पोलीटिकल कारण नहीं बल्कि डा. अम्बेडकर की निष्ठाओं के प्रति हम कितने गंभीर हैं, इस कारण लाया गया है। इसलिए आज इस पावस अवसर पर हम जानते हैं कि जो कर्मचारी हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन वे कितने खुश हैं, कितने आह्लादित हैं कि वे लोक सभा के बाहर या टी. वी. के सामने बैठ कर प्रोसीडिंग्स देख कर काफी खुश हो रहे होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह रिट्रौसपैक्टिव किया गया है, इसे पहले से लागू किया गया है। सही मायने में मंत्री महोदय ने बहुत बड़ा साहसिक काम किया गया है जिससे जब से उन वर्गों का नुकसान हुआ है, तब से लागू किया गया है।

अपराह्न 2.00 बजे

मैं मंत्री महोदया, पुनः आपको और इस सरकार को बधाई देता हूं। एक चर्चा, एक बहस शुरू होनी चाहिए कि किसी वर्ग को, एस. सी., एस. टी. को अगर इससे लाभ हो रहा है तो किसी को नुकसान हो, ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं। निश्चित तौर से कैसे सारे समाज में जो विसंगतियां हैं, जो दूरी बनी हुई है, उससे लगता यह है कि एस. सी., एस. टी. को कुछ मिल गया तो किसी का कुछ जा रहा है, यह भाव किसी के मन में हो तो खत्म होना चाहिए और हम सब लोग भी एस. सी., एस. टी. के लोग यह डिमांड करते हैं कि समस्या की चर्चा हो, जिससे सारे समाज को लाभ हो, सब को लाभ हो, ऐसी बात होनी चाहिए। हमारी सरकार का चिन्तन ऐसा है, हम यह सोचते हैं कि हम सब लोग, समाज के तमाम

लोगों को, नौजवानों को नौकरी का अवसर मिले, चाहे निजी क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, उसकी चिन्ता करें। हम सब लोग कि कैसे हम लोग बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है।

एक बात कही गई है कि दो और बाकी हैं। इस सरकार ने निश्चित तौर से एक ईमानदार प्रयास किया है, एक सार्थक प्रयास किया गया है। जो पांच मैमोरेण्डम थे, जो 1995 में आये, तब यह सरकार नहीं थी, यह गठबन्धन नहीं था, वाजपेयी जी नहीं थे, मगर बावजूद इसके ईमानदारी से सबसे पहले जो कल्याण मंत्रालय नाम था, अभी बूटा सिंह जी ने कहा कि इसमें एक ममता का भाव था, सही मायने में कल्याण शब्द से ही दया का भाव लगता था, उसमें सेंस ऑफ पिटी था, लेकिन उस भाव को खत्म किया गया है। कल्याण मंत्रालय का नाम अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता किया गया है। आज एम्पावरमेंट की बात है, आज एस. सी., एस. टी. एम्पावर होगा तो समाज एम्पावर होगा, इसलिए यह बात बहुत गम्भीर है और यह सरकार दलितों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए यह करना चाहती है, यह हम सब देख रहे हैं। निश्चित तौर से जिन समस्याओं की ओर माननीय बूटा सिंह जी ने इंगित किया है, माननीय मंत्री जी भी उस ओर बहुत चिन्तित हैं; उस विभाग से सम्बन्धित काम बहुत तेजी से हो रहा है और इसका जो लाभ मिलने वाला है, निश्चित तौर से सारा देश, सारा समाज उससे लाभान्वित होने वाला है।

हम पुनः बार-बार इतने बड़े क्रान्तिकारी कदम के लिए उनको और इस सरकार को बधाई देना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदया ने इस वर्ग के लिए जो वंचित था, उपेक्षित था, जिस वर्ग की ओर खासकर कर्मचारी वर्ग बहुत संवेदनशील होता है और आज का समाज उस पर विश्वास करता है। आज के बाद कर्मचारियों में जो मैसेज जायेगा, उसका निश्चित तौर से एक लाभ समाज को होगा और जो समाज उपेक्षित था, जिसकी कोई चिन्ता करने वाला नहीं था, इस सरकार ने उसकी चिन्ता की है, यह बहुत अहम बात है।

मैं पुनः बार-बार इस एन. डी. ए. गवर्नमेंट को और वसुन्धरा जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, क्रान्तिकारी काम किया है। आइये हम सब मिलकर समवेत स्वर में एक कंसेसस बनाकर इसे पास करें, मैं पुनः इस भावना के साथ इस एमेंडमेंट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक सेवाओं में अ. जा. और अ. ज. जा. की पदोन्नति के बारे में है।

वर्ष 1995 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। इस आदेश के तहत 1957 से लेकर 1997 तक अ. जा. और अ. ज. जा. के लोग जिन सुविधाओं का फायदा उठा रहे थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया।

इन्हें समाप्त करने के लिए सरकार को 30 जनवरी, 1997, 2 जुलाई, 1997, 22 जुलाई, 1997, 13 अगस्त, 1997 और 29 अगस्त, 1997 को पांच कार्यालयी-ज्ञापन जारी करने पड़े। उस तारीख से चार वर्ष हो गए लेकिन यह व्यवस्था इन कार्यालयी ज्ञापनों की अधिसूचना के पश्चात् ही लागू हुई है। इन चार वर्षों में, अ. जा. और अ. ज. जा. के कर्मचारियों को अपनी देय पदोन्नतियां मिलनी चाहिए थीं। परन्तु उसकी वजह से वे परेशानियां उठा रहे हैं। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सभी लोगों, वास्तव मे लगभग सभी मुख्य दल, मेरी पार्टी, मा. क. पा. (मार्क्सवादी), कांग्रेस, भाजपा और राजग के अन्य सहयोगी की तरह पहले अ. जा. और अ. ज. जा. को पदोन्नति देने के पक्ष में हैं। परन्तु दुर्भाग्य से, संविधानिक उपबन्ध में कुछ कमी या खामी थी। अब 'परिणामी वरिष्ठता' शब्दों को 'पदोन्नति' और 'से' शब्दों के बीच में जोड़कर संविधान के अनुच्छेद 16 (4) (क) में संशोधन किया जाए परन्तु मुझे अभी भी शंका है कि इन शब्दों के जोड़ने के पश्चात् भी उन खामियों को दूर किया जा सकेगा अथवा नहीं। यदि ये कमियां दूर हो जाती हैं तो ठीक है। सरकार को यह संशोधन पहले लाना चाहिए था क्योंकि उन कार्यालय ज्ञापनों को जारी किए चार वर्ष हो चुके हैं। ये कार्यालयी ज्ञापन श्री गौड़ा और श्री गुजराल के नेतृत्व में गठित मोर्चा सरकार के शासन काल के दौरान जारी किए गए थे। मेरी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी इसका समर्थन कर रही थी। यह मोर्चा सरकार की गलती नहीं थी। संविधानिक उपबन्ध में शुरू से ही यह कमी थी। इस कमी का उस दिन पता चला और इसलिए सरकार को ये कार्यालयी ज्ञापन जारी करने पड़े। चार वर्ष बीत चुके हैं और बाद वाली राजग अथवा अन्य सरकारों को इसमें सुधार करना चाहिए था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः, मैं इस विलम्ब के लिए इस सरकार को दोषी ठहराता हूं। पांच कार्यालयी ज्ञापन जारी किए गए हैं। सरकार दो बार संविधान में संशोधन कर चुकी

[श्री बाजू बन रियान]

है और अब तीसरी बार संशोधन कर रही है, उसके बावजूद भी मुझे शंका है कि ये खामियां दूर हो जायेंगी अथवा नहीं।

आर्थिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। उनके अनुभव, उनके कार्य मानदंड और उनकी क्षमताएं उच्च जाति के लोगों अथवा कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम हो सकती हैं। इसका मुख्य कारण वे विद्यालय, महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थायें हैं, जहां वे शिक्षा पाते हैं क्योंकि इनका स्तर अधिक अच्छा नहीं है। ऐसे विद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापकों की कमी रहती है और उनका स्तर गुणात्मक दृष्टि से निम्न है।

इन संस्थाओं के विद्यार्थी ज्यादा योग्य नहीं हो सकते हैं। उनका स्तर अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। जब ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों या किसी सरकारी उपक्रम में नौकरी दी जाती है तो उनमें ज्ञान की कमी होती है और उनके काम में भी कुछ कमी हो सकती है। परन्तु सरकार को उनका ध्यान रखना पड़ेगा।

मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति का सदस्य रहा हूं। अन्य विषयों के अलावा समिति ने 'अ. जा. और अ. ज. जा. के कर्मचारियों की सेवाओं में नियोजन और पदोन्नति' विषय पर भी विचार किया है। समिति ने अनेक विभागों और उपक्रमों की जांच की है। यह मेरा अनुभव है कि लगभग सभी सरकारी उपक्रमों में और यहां तक कि सरकारी सेवा में अ. जा. और अ. ज. जा. का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आरक्षण नीति को लागू किए बिना अ. जा. और अ. ज. जा. के उम्मीदवारों को सेवाओं में रोजगार देना बहुत मुश्किल होगा। बेरोजगार अ. जा. और अ. ज. जा. के उम्मीदवार यह आरोप लगाते हैं कि हालांकि शिक्षित अ. जा/अ. ज. जा. के उम्मीदवारों की संख्या बहुत है और लगभग सभी विभागों में रिक्तियां हैं परन्तु उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। यदि सरकार ईमानदार है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अ. जा/अ. ज. जा. के लिए आरक्षित कोटा भरा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मतदान अपराह्न (3.30 बजे होगा) हमें आवंटित समय के अनुसार ही चलना है। श्री राजैया के पास केवल छः मिनट हैं।

श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट) : महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने और समय–सीमा से मुझे अवगत कराने के लिए आपका धन्यवाद। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। आम तौर पर जब किसी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया जाता है तो वह पदोन्नति के बारे में सोचता है। इस सम्बन्ध में अ. जा./अ. ज. जा. के लिए सांविधानिक प्रावधान था। वे इस उपबन्ध का फायदा भी उठा रहे थे परन्तु उच्चतम न्यायालय के कुछ आदेशों से इस उपबन्ध पर प्रभाव पड़ा और उनमें से एक निर्णय के मद्देनजर 30 जनवरी, 1997 को एक कार्यालयी ज्ञापन जारी किया गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारी इस ज्ञापन से डरे हुए हैं।

वे इस बात पर नाखुश हैं क्योंकि उनके विचार से उनको और आगे पदोन्नति नहीं दी जाएगी। सौभाग्य से इस सम्मानीय सभा में इन पांच कार्यालय ज्ञापनों पर पिछली बार छः घंटे की लंबी चर्चा हुई थी। इस चर्चा के दौरान हमें पता चला कि दो कार्यालय ज्ञापन वापस ले लिए गये हैं परन्तु हमें इसमें कोई राहत नहीं दिखाई दी। ये कार्यालय ज्ञापन उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत जारी किए गये थे। सरकार के विचार से इन कार्यालय ज्ञापन को महज वापस लेने से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी और इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार ने इस संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

महोदय, इन दिनों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी अपनी पदोन्नति के बारे में काफी चिन्तित हैं। परन्तु अब उन्हें कुछ राहत मिलेगी। जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस बाबत पहले ही बोल चुके हैं, हमें इसी उद्देश्य के लिए संविधान में आगे भी संशोधन करने होंगे। परन्तु यहां मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान द्वारा जो भी प्रावधान किए गये हैं उन्हें नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सके और न ही कोई इसे अदालत में चुनौती दे सके।

महोदय, कई सामाजिक संगठनों और संसद सदस्यों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया था। इसलिए यह निर्णय लिया गया है। मेरा अनुरोध है कि इसे सख्ती से लागू किया जाए और 16 (4) (क) में संशोधन करके अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति के प्रत्येक अवसर दिए जाएं।

महोदय, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 26 नवम्बर, 2001 को हाल ही में दिए निर्णय का स्वागत करता हूं जिसमें अखिल

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। पहले इस पद पर आरक्षण नहीं था। मुझे इस पर सच में खुशी हुई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसे आई. आई. टी. और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में भी लागू किया जाए।

महोदय, मैं सरकार को इसकी पुनरीक्षा करने के लिए पुनः बधाई देता हूं। अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी। महोदय, संविधान में इससे आगे कोई संशोधन नहीं किया जाए जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से यह लाभ भी छिन जाए।

महोदय इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, केवल छः मिनट का टाइम है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : कान्स्टीट्यूशनल अमेंडमैन्ट पर बहस की पूरी गुंजाइश है।

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, टाइम फिक्स करने में आपका भी हिस्सा है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : दिग्विजय जी, मेरा समय जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, रेल राज्य मंत्री जी का बोलना बंद करिये, यह बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आपका एक मिनट चला गया है।

श्री रामजीलाल सुमन : सर, इनका प्रयास ही मेरा समय बरबाद करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इधर चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो 92वां संशोधन विधेयक वसुन्धरा जी ने सदन में प्रस्तुत किया है वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों के हितों के संरक्षण से सम्बद्ध है। यह भले ही विलम्ब से ही आया है, लेकिन मैं उसका स्वागत करता हूं। चूंकि संसद और संसद के बाहर जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के कर्मचारी थे और पिछले एक अरसे से सर्वोच्च न्यायालय का जो व्यवहार रहा, उसके चलते लोगों में एक शंका पैदा हो गई थी कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से जो दिशा–निर्देश अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के प्रमोशन के लिए थे कि जिस दिन से इनको प्रमोशन मिलेगा उसी दिन से इनको ज्येष्ठता मिल जायेगी, उनके वे हित प्रभावित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर 1995 का वीरपाल सिंह चौहान वाला, फिर दूसरा आदेश जगदीश लाल वाला हालांकि यह आदेश पक्ष में था और सितम्बर, 2000 में अजित सिंह का जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में वीरपाल सिंह चौहान वाले जजमैन्ट को ही जस्टीफाई किया। मैं समझता हूं कि जो सरकार ने प्रयास किया है, वह ठीक प्रयास है, लेकिन दबाव में किया है। वसुन्धरा जी से बड़ी विनम्रता से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके संरक्षण का संवैधानिक दायित्व सरकार का है। मुझे लगता है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई वाद दायर हो जाता है तो सरकार को जितनी गंभीरता से उस मुकदमे की पैरवी करनी चाहिए, वह पैरवी नहीं होती।

उपाध्यक्ष जी, मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि जो विवाद अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंध रखता है चाहे वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए और उसमें कार्मिक मंत्रालय, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, कानून मंत्रालय, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग ये सब मिलकर एक कमेटी बनायें और जब भी कोई इस प्रकार का वाद दायर हो तो सरकार उसे गंभीरता से लेने का काम करे। चूंकि यह कोई मेहरबानी नहीं है यह सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को आरक्षण से संबंधित केन्द्रीय कानून बनाना चाहिए। इस बारे में सरकार को प्रयास करना चाहिए था, सरकार को पहल करनी चाहिए थी। आज हिन्दुस्तान के सात राज्यों में आरक्षण को ढंग से लागू करने और यदि कोई आरक्षण को लागू करने में दिक्कत पैदा करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है, उसके लिए कानून बने हुए हैं। ये सात राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु हैं। तमिलनाडु ने उसे नौवीं अनुसूची में डाला है। भारत सरकार ने अभी तक इस तरह का सेन्ट्रल एक्ट नहीं बनाया है। रामविलास पासवान जी यहां बैठे हुए हैं। हम सब

[श्री रामजीलाल सुमन]

लोगों ने मिलकर डा. अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह मनाया था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय उसके अध्यक्ष थे, रामविलास जी उपाध्यक्ष थे। उनके बाद मैं उस डिपार्टमैन्ट में रहा। बहुत परिश्रम करने के बाद एक 45 सूत्री कार्यक्रम बना था, जिसके लिए सरकार का कमिटमैन्ट था कि सरकार उस 45 सूत्री कार्यक्रम को मानेगी। उस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम वह सैन्ट्रल एक्ट था। वर्ष 1996 से आपके दफ्तर में वह सैन्ट्रल एक्ट धूल चाट रहा है लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम मांग करना चाहते हैं कि जब तक आप सैन्ट्रल एक्ट नहीं बनाएंगे तब तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का कल्याण नहीं होगा। जो आरक्षण लागू करने वाले लोग हैं जब तक उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं होगा, एक दहशत नहीं होगी तब तक यह काम मजबूती से नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज जो भारत सरकार में आरक्षण का प्रतिशत है वह क्लास–I में एस. सी. का 15 प्रतिशत की जगह 10.38 है। एस. टी. में 7.5 प्रतिशत होना चाहिए, जो 3.21 प्रतिशत है और क्लास–II में अनुसूचित जाति का 15 प्रतिशत की जगह 11.73 प्रतिशत और एस. टी. का 2.68 प्रतिशत है। जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनमें रिजर्वेशन का बुरा हाल है।

अंत में मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार जिस तरह काम कर रही है, जिस तरह से डिसइनवैस्टमेंट हो रहा है उसके कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जब तक निजी क्षेत्र में भी आरक्षण नहीं होगा, तब तक इन वर्गों का कल्याण नहीं हो सकता।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में अपनी पार्टी शिव सेना का स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हुए सदन को बताना चाहता हूं कि हम किसी शैड्यूल्ड कास्ट्स या शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह आरक्षण कितने दिन तक चलेगा? जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, 45 सालों तक कांग्रेस ने यहां राज किया और इन 45 सालों में कांग्रेस ने आरक्षण को बढ़ावा ही दिया है।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन, आप बैठ जाइए। श्री मोहन रावले, आप सब्जैक्ट पर बोलें। तीन मिनट बाद आपको बैठना होगा।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : अगर किसी के दिल में ऐसी भावना होगी कि काम करके मुझे प्रमोशन नहीं मिलने वाला है तो वह काम क्यों करेगा?....*(व्यवधान)* इसी प्रकार अगर किसी को मालूम हो जाए कि उसे जाति के नाम पर प्रमोशन मिलेगा ही, तो वह भी काम क्यों करेगा....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? व्यवधान मत डालिए। श्री रामजीलाल सुमन क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कैन्डीडेट की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी देखनी चाहिए, उसकी कार्यक्षमता देखनी चाहिए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया व्यवधान मत डालिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : जो गलती पिछली सरकारों ने की, हमारी प्रार्थना है एन. डी. ए. सरकार से कि वह उस गलती को न दोहराएं। मैं कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन को बार बार दस वर्षों के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। आप ऐसा कार्यक्रम बनाएं ताकि अगले 10 सालों में दलित इतने सक्षम हो सकें कि दूसरों की बराबरी पर आ सकें। अगर आरक्षण देना है तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को मिलना चाहिए जिसमें सारे समाज के लोग आ जाते हैं, भले ही वे अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जातियों के हों, किसी भी जाति के हों, सब उसमें आ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने जैसा कहा था जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे....*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : यह भानुमती का कुनबा इकट्ठा कर रखा है। अनुसूचित जातियों के लोगों के हित के खिलाफ यह बोल रहे हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं यहां सभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए बैठा हूं। यदि कुछ असंसदीय बात कही गई है तो मैं श्री मोहन रावले से इसे वापस लेने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]]

श्री मोहन रावले : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। संविधान निर्माता डा. अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण सिर्फ दस वर्षों के लिए होना चाहिए और हम लगातार इसे बढ़ाते जा रहे हैं।....*(व्यवधान)* ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरे तीन मिनट तो इसमें ही चले गए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सरकार को ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिले जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, सरकार उनकी इतनी सहायता करे ताकि वे सबके साथ कंपीट करने के लिए तैयार हो सकें। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. जगन्नाथ मन्दा, यह क्या हो रहा है? आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया। अब आप बैठ जाइए।

श्री मोहन रावले : आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मुनियप्पा की बारी है।

आपके दल को 25 मिनट दिए गये हैं जो सदस्य पहले बोले उन्होंने 17 मिनट लिए हैं। इस प्रकार आपके पास आठ मिनट ही बचे हैं।

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। हम सरकार और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हितों की रक्षा करने हेतु यह संविधान संशोधन लाए। पिछले पांच वर्षों में, सभी संसद सदस्यों ने दलगत मतभेद भुला कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को न्याय दिलाने हेतु यह संशोधन लाने के लिए मिल कर संघर्ष किया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कुछ कार्यालय ज्ञापन पहले ही वापस लिए जा चुके हैं। अब यह 92वां संविधान संशोधन पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है।

अपराह्न 2.31 बजे

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं***)**

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं माननीय मंत्री और सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक इसे एक विधान बनाकर संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं कर लिया जाता तब तक यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोगी नहीं होगा। मैं इस माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पहले ही दो कार्यालय ज्ञापनों को वापस ले लिया है। मेरे विचार से माननीय मंत्री जी इस बात को समझेंगे। राज्य स्तर पर यहां तक कि केन्द्रीय स्तर पर भी ऐसा कुछ लागू नहीं किया गया था। वे इस बात पर चुप्पी लगाए हुए हैं। सरकार ने पहले ही कार्यालय ज्ञापन वापस ले लिये हैं। यह मेरा व्यवहारिक अनुभव है कि केन्द्रीय विधान को लाए बिना और उसे लागू किए बिना तथा साथ ही साथ इसे नौवीं अनुसूची में शामिल किए बिना उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। आपने पहले ही दो संशोधन वापस ले लिए हैं। इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा और इस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं हो रही है, इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं।

किसी भी प्रकार से वे इस विधेयक को लाए हैं। यह सरकार द्वारा लिया गया निर्णय है। विशेष रूप से माननीय

[श्री के. एच. मुनियप्पा]

मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ने इस सभा में आश्वासन दिया है। अब उन्होंने अपने आश्वासन को पूरा किया है। परन्तु इस विधेयक को लाने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं केवल यही सुझाव देना चाहता हूं कि एक विधान लाइए और इसे लागू करने के लिए इसे नौवीं अनुसूची में डाल दीजिए।

मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे सहयोगियों को भी बोलना है।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : चेयरमैन मैडम, मैं सदन के नेता, प्रधान मंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी एवं माननीय मंत्री महोदया को 92वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत करने पर बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आज जो यह संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है, यह भारत के उन करोड़ों दलितों के जख्मों पर मरहम लगाएगा, जो जख्म 1995 से लेकर 1997 तक एक न एक बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों एवं जो पांच आफिस मैमोरेंडम जारी हुए थे उनके कारण पैदा हुए थे।

माननीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का विजन बड़ा क्लीयर है। जैसे ही सरकार बनी, हमने 10 साल के लिए आरक्षण को बढ़ाया और उसके बाद न केवल आरक्षण को बढ़ाया इतना खुलापन रखा कि सरकार बनने के तुरन्त बाद सारे हिन्दुस्तान के दलित सांसदों, चाहे वह किसी भी पार्टी से हों, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, उनका एक तीन दिन का सम्मेलन बुलाया।

उस सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी स्वयं आए, उस समय के लॉ मिनिस्टर श्री जेठमलानी आए, सामाजिक अधिकारिता मंत्री मेनका जी आईं, बहन वसुंधरा जी आईं और वहां एक ड्राफ्ट रैजोल्यूशन बना कि सारे देश के दलित समाज के सामने जो भी कठिनाइयां उस समय आ रही थीं, उनको मद्देनजर रखते हुए एक के बाद एक जो ओ. एम. जारी हुए थे, जिनको विदड्रा करने की प्रक्रिया जारी है जिसमें से आज तीसरा ओ. एम. हमारे सामने आया है। भारत के दलित समाज के लिए आरक्षण देने वाले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यह कल्पना नहीं की थी कि आरक्षण से हम केवल झाड़ू लगाने वाले को नौकरी देंगे। उनकी कल्पना थी कि आज भारत का दलित समाज शिक्षा की दृष्टि से भी इतना आगे बढ़ गया है और वह चाहता है कि इस देश के अंदर हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हों, आज दुनिया के अंदर भारत की ओर से लगाए जाने वाले हमारे ऐम्बैस्डर्स, गवर्नर्स, हाई कमिश्नर्स हों। इस प्रकार का बिल आने से हमारे देश के नवयुवक, जो इस वर्ग से संबंध रखते हैं, उनको एक नई रोशनी की किरण मिली है।

अभी हमारे दलित समाज के वरिष्ठ नेता श्री बूटा सिंह ने भी उन ओ. एमस. का जिक्र किया था। लेकिन वे स्वयं जानते हैं कि जब दलित विरोधी निर्णय हुए, इस देश में किसकी सरकार थी। कांग्रेस पार्टी स्वयं उस सरकार का समर्थन कर रही थी और जो सामाजिक न्याय के झंडावरदार बने फिरते हैं उनके समय के अंदर ही एक के बाद एक इस प्रकार के दलित विरोधी निर्णय आए।

मैडम चेयरमैन, आज दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। अभी दोहा में डब्ल्यू. टी. ओ. पर एक सम्मेलन हुआ। सारी दुनिया के विकासशील राष्ट्र चाहते हैं कि विकसित राष्ट्रों द्वारा किसी भी गरीब देश का शोषण नहीं हो। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोशिशें चल रही हैं, जब सारी दुनिया मिलकर गरीबी दूर करना चाहती है तो यह कैसे सहन हो सकता है कि हिन्दुस्तान जैसे प्रजातांत्रिक देश में दलितों के हितों के ऊपर कुठाराघात हो। यह किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। आज जो अमैंडमेंट आया है, मैं सदन के नेता को बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार का अमैंडमेंट आने से उन लोगों को फायदा होगा जो आज भी बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं।

ट्राइबल एरियाज में तो शिक्षा का बहुत बुरा हाल है, विशेषकर महिलाओं का हाल बहुत बुरा है। मध्य प्रदेश और कालाहांडी क्षेत्रों में आज भी दलित महिलाओं की साक्षरता दो प्रतिशत से कम है। कई बार एक हौवा खड़ा किया जाता है कि दलित समाज किसी के हक छीन रहा है। हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट के अंतर्गत हमें जो कुछ प्रदान किया, हम केवल मात्र उसे प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत से दलित आर्गनाइजेशन्स हमें मिलते हैं जो अपने ऊपर शोषण की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर हमें इस समाज में जीने का हक नहीं है तो कम से कम हमारी भर्ती सेना में की जाए और हमें देश के ऊपर मरने का हक दिया जाए। सेना में भर्ती के मामले में भी हम नहीं चाहते कि हमें कद में रिलैक्सेशन दी जाए, हम यह भी नहीं चाहते कि हमें शिक्षा में छूट दी जाए, हम कोई छूट को नहीं चाहते लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि हमें देश के ऊपर मरने का हक मिले और सेना में दलितों की भर्ती का प्रावधान होना चाहिए।

यूनीवर्सिटीज में जब हमें प्रोफेसरों को गिनते हैं तो नाममात्र के दलित और शैड्यूल्ड ट्राइब्स क्षेत्र के प्रोफेसर दिखाई पड़ते हैं। यूनीवर्सिटीज में दलितों के लिए कोई रक्षात्मक उपाय न होने के परिणामस्वरूप इस वर्ग के अंदर उनकी स्थिति नगण्य है।

आई. ए. एस. और आई. पी. एस. के अन्दर भी जब हम देखते हैं तो 53–54 साल की आजादी के बाद यह प्रतिशत एस. सी. श्रेणी में कहीं 12 परसेंट है तो कहीं पर 10 परसेंट है और ट्राइबल श्रेणी में तो यह और भी बहुत कम है। इस प्रकार का एमेंडमेंट आने से आज हमारे समाज को एक नई आशा की किरण पैदा हुई है और आज मैं सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि एक के बाद एक दलितों के हक में कदम उठाये जा रहे हैं। मैं इस सरकार को महर्षि बाल्मीकी डा. अम्बेडकर के नाम पर गृह योजना बनाने के लिए भी बधाई देता हूं जिस योजना के अन्तर्गत चार लाख घर शहरों में रहने वाले गरीबों को मिलेंगे। इसी तरह से ग्रामीण रोजगार मंत्रालय ने दलित समाज और इन वर्गों को अच्छे बढ़िया किस्म के 25 लाख मकान एक साल में बनाने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय से भी इस समाज के हित सधेंगे और इनको तरक्की की ओर जाने का मौका मिलेगा। आज भारत का दलित समाज केवल मात्र सत्ता में भागीदारी ही नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर फैसले लेने वाला बनना चाहता है और यह काम तभी होगा, जो आज बिल आया है इस बिल से जो भी दिक्कतें पिछले समय में, पिछले 5–6 वर्षों में हमारे सामने आई थीं वे सब दिक्कतें आज इस बिल के आने से दूर होंगी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, हम ऐसे लोगों को चुनौती भी देना चाहेंगे कि भारत का दलित समाज एक जागरूक समाज है, जब तक समाज के अन्दर विषमता जारी रहेगी, हम सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण की मांग करते रहेंगे और इसके बीच में किसी ने रोड़ा अटकाने की कोशिश की तो उसको इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। आज हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम देश के 30 प्रतिशत भाग को विकास की प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते हैं आज इतने बड़े देश के अन्दर जो दुनिया की जनसंख्या के हिसाब से....*(व्यवधान)* विश्व का दूसरा देश है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के छः स्पीकर हैं, इसलिए मैं थोड़ा लिमिट में करना चाहती हूं।

श्री रतन लाल कटारिया : मैडम, अभी तो तवा ही गरम होने लगा था।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के टाइम को मुझे सब में बांटना पड़ेगा। मैं एक ही स्पीकर को पूरा टाइम नहीं दे सकती। आप एक मिनट में खत्म करें क्योंकि छः स्पीकर हैं, मुझे सब में टाइम बांटना पड़ेगा। अब आप खत्म करिए।

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जब से देश आजाद हुआ है, तब से लेकर आज तक कोई दो–ढाई लाख अनुसूचित जाति और जनजाति के पद खाली पड़े थे। वे किसी न किसी बहाने से समाप्त कर दिये गये और कई बार तो यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि स्वीपर का जब इण्टरव्यू होता है उसमें ब्यूरोक्रेट्स यह कह देते हैं कि योग्य स्वीपर नहीं मिले। कई मामले तो शैड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन के अन्दर ऐसे ध्यान में लाये गये हैं कि जनरल कैटेगरी के लोगों ने उस स्वीपर के पद का लाभ ले लिया और वहां किसी और को ठेके पर लगा दिया। वे पांच साल तक बाट देखते हैं और पांच साल के बाद क्लर्क बन जाते हैं। इस तरह से हमारे अधिकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है। आज मैं मंत्री महोदय से यह भी मांग करूंगा कि इस बारे में एक सैण्ट्रल एक्ट बनाया जाये और संविधान की नौवीं सूची में लाया जाये। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, यह सारा का सारा एक एक्ट बन जायेगा और संविधान में आ जायेगा तो ये शिकायतें दूर हो जाएंगी।

मैं इस महान सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जो भी अधिकारी आरक्षण की अवेहलना करता है, उसके लिए सेंटर के किसी कानून के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए ताकि गरीबों के हक में आगे का रास्ता खुले। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में यह बिल यहां आया। इसी के साथ में प्रधान मंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहूंगा।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : माननीय सभापति महोदया, मैं 92वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसके साथ ही सरकार का ध्यान कुछ बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का इस देश की आबादी में करीब 30 प्रतिशत हिस्सा है। इन लोगों के उत्थान के लिए, मानवीय गरिमा की बहाली के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी

[श्री बालकृष्ण चौहान]

ने 1917 से अपने जीवन पर्यन्त अथक प्रयास किया था। जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में दलितों के लिए दो वोट का अधिकार प्रदान कर लिया था। लेकिन महात्मा गांधी ने पुणे पैक्ट के तहत उनसे एक वोट का अधिकार छीन लिया। शेष एक वोट का अधिकार रह गया। दो वोट का अधिकार दलितों को इसलिए दिया गया था कि वे अपनी नीतियों को लागू करने के लिए स्वयं पहल कर सकें। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। पिछले सरकारों के समय में राष्ट्रपति महोदय ने 100 अनुसूचित जाति के माननीय सांसदों से मिलने से इन्कार कर दिया था। पूर्व मंत्री जगजीवन राम जी और अन्य ऐसे लोगों द्वारा किए गए शिलान्यास या मूर्तियों के किए उद्घाटनों के बाद मूर्तियों को गंगाजल से धोया गया। यहां तक कि न्यायाधीशों की पोस्ट पर रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों का जब कभी ट्रांसफर हुआ तो मनुवादी दृष्टिकोण के लोगों ने उस कमरे को धुलाकर फिर कुर्सी पर बैठने का काम किया। यह हमारे ऊपर हजारों वर्षों का कलंक और कोढ़ था। इसके बारे में सरकारों की भी मानसिकता बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन बहुत दबाव के बावजूद यह सरकार थोड़ा–बहुत प्रयास कर रही है। संविधान के तहत बाबा साहेब ने आरक्षण का जो प्रावधान किया था, उसके विरुद्ध 1997 में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस पर रोक लगा दी गई। चार साल तक यह मामला लम्बित रहा। लेकिन मैं कार्मिक मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि चार साल के बाद उन्होंने इसको सुधारने के लिए यह संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है और फिर से पदोन्नतियों में आरक्षण को बहाल किया है।

सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, फिर उनमें पदोन्नति कैसे होगी इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर या कार्पोरेट सेक्टर में भी संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, जो बाबा साहेब ने दलितों को प्रदान किया था। उनको सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती रहे इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके हितों के बारे में वह सोचे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री ए. कृष्णास्वामी आपके दल का समय केवल तीन मिनट है, परन्तु मैं आपको पांच मिनट का समय देती हूं। कृपया इसी समय में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरुम्बुदुर) : महोदया, डी एम के पार्टी की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नतियां पूर्वव्यापी प्रभाव से मिलेंगी।

महोदया, मैं ई वी आर पेरीयार, जिन्होंने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया था और डा. कलिगनार जिन्होंने तमिलनाडु में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक हाल का निर्माण कराया था, की भूमि से यहां बोलने के लिए आया हूं।

महोदया, मैं इस सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं परन्तु इसका संदेश लोगों तक नहीं पहुंच रहा है।

महोदया, हम जो भी संशोधन करें, उन्हें अधिसूचित किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए तभी लोगों का हमारी सरकार में विश्वास पैदा होगा। दो वर्ष पूर्व भी हमने इस अधिनियम में संशोधन किया था परन्तु कुछ नहीं हुआ।

मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, पिछले साल आरक्षण की समयावधि दस वर्ष और बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं। आज राजनीतिक दल डा. बी आर अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे उनका नाम स्वयं अपनी उन्नति के लिए यह कहते हुए करते हैं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परन्तु वे डा. बी. आर अम्बेडकर के विचारों और आदर्शों को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं इस सभा के सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि हम सब तहेदिल से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भलाई के लिए कार्य करें।

तीन महीने पूर्व, हालांकि मैं संसद सदस्य हूं एक पुलिस अधीक्षक ने मेरे जाति के नाम से पुकार कर मुझे अपमानित किया और धमकी दी। यह घटना तिरूवलूर जिले की है। तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ भेदभाव करने की दो गिलास रखने की प्रथा अभी भी है। हम यह नहीं कह सकते की सभी अ.जा/अ.ज.जा. लोगों का उत्थान हो चुका है। अभी भी करोड़ों लोग पददलित हैं और वे बिना भोजन, आवास व अधिकारों के रह रहे हैं।

'क्रीमी लेयर' व्यवस्था में भी किसी अ. जा/अ. ज. जा. के अधिकारी का पुत्र पुनः अधिकारी नहीं बनना चाहिए। परन्तु अन्य लोगों के मामले में एक अधिकारी का पुत्र सरकारी नौकरी

में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। यह कैसा अन्याय है हमें यह नीति बनानी चाहिए कि यदि एक बार एक व्यक्ति सरकारी नौकरी का लाभ उठाता है तो, उसका बेटा या कोई अन्य रिश्तेदार पुनः सरकारी नौकरी में अधिकारी बनके न आ सके। हमें इसे सामान्य बात बनानी चाहिए। तभी इसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है। इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिए, अब मेरी यही मांग है।

मैं सरकार से इस बाबत विस्तार से जानना चाहता हूं। हमारे देश के 40 करोड़ अ. जा./अ. ज. जा. लोगों में से कितने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत हैं और उनमें से कितने अधिकारी हैं और कितने कर्मचारी। इस सभा को इसकी विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को पदोन्नति मिली है या पदोन्नति का लाभ उठा रहे हैं। इन जानकारियों के बगैर हम कह नहीं सकते कि अ. जा/अ. ज. जा. लोगों की जरूरतें पूरी हो गई हैं क्योंकि अधिकतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग सफाई कर्मचारी या चपरासी के रूप में कार्य कर रहे हैं न कि अधिकारियों के पदों पर सभा को इन बातों का विस्तृत ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

पुनः मैं डी एम के पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : सभापति महोदया, मैं अपने दल ए आई ए डी एम के की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आपके माध्यम से क्या मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे जी से एक अनुरोध कर सकता हूं? वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष है। महोदया आप इस मंत्रालय की मंत्री हैं। क्या अपने कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को और अधिक शक्तियां देने का आश्वासन देंगी?

यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 16 (4) (क) में संशोधन के बारे में है जिसमें आरक्षण नियम की बदौलत पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान है।

महोदया, यह भी आवश्यक है कि अनुच्छेद 16 (4) में प्रस्तावित सविधान संशोधन को भूतलक्षी रूप में प्रभावी बनाते हुए उसी तिथि से लागू किया जाए जब अनुच्छेद 16 (4) (क) को लागू किया गया था अर्थात् इसे 17 जून 1995 से लागू किया जाये।

महोदया आरक्षण कोई दान नहीं है, मैं इसे दुहराता हूं, आरक्षण दान नहीं है। बल्कि यह अल्पाधिकार प्राप्त लोगों, दलितों और शोषितों के लिए आरक्षण एक सांवैधानिक अधिकार है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदाय को पृथक् निर्वाचन क्षेत्र के बदले दिया गया है।

महोदया, एक दीर्घकालिक आरक्षण नीति होनी चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग को इन समुदाय के व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं की निगरानी करने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास निगम का कार्यालय कालकाजी से हटाकर संसद भवन परिसर में लाया जाना चाहिए ताकि देश की जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

महोदया, इस सम्माननीय सदन में मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि जब हमारी नेता डा. जे. जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं तब आरक्षण अधिनियम 1996 में पारित हुआ था और आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को मिला था और संविधान की नौवीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 257 (क) पर इसे रखा गया। हालांकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, बिहार आदि अन्य राज्यों ने भी इस अधिनियम को पारित कर दिया लेकिन उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित नहीं किया है। इस समय मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एक केन्द्रीय अधिनियम बनायें और इसमें निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल हों। अधिनियम में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए

(1) संविधान में दिए गए सभी सांवैधानिक सुरक्षा उपाय तथा ऐसे सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी कार्यकारी अनुदेश परिपत्र तथा ज्ञापन।

(2) भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण तथा आरक्षण से संबंधित सभी मामले जैसे छूट तथा रियायत आदि।

(3) उच्च शिक्षा में आरक्षण।

(4) सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, बैंकों आदि की सेवाओं में आरक्षण।

(5) अंतिम जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं है, संवैधानिक प्रावधानों और उनके तहत जारी अनुदेशों का क्रियान्वयन न करने वालों को दण्ड देना।

[डा. वी. सरोजा]

महोदया, 20 दिसम्बर 2000 को शून्य काल में संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। श्री महाजन ने जो कहा, मैं उसे उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा :

"इस मुद्दे पर मैं प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से बात करूंगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण नीति उचित प्रकार से लागू की जाए। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि इस संबंध में जो केन्द्रीय आदेश है वह सभी राज्यों में भेजे जाएं।"

सभापति महोदया, क्या मैं आपके माध्यम से यह जान सकता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का क्या हुआ? इस सम्माननीय सदन को भी इन्होंने आश्वासन दिया था कि विशेष भर्ती अभियान के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पड़े पदों को भरा जायेगा।

महोदया इसके अलावा रेलवे में उच्च स्तर के तीन पद हैं नामतः सी पी ओ, सी पी ओ/जी तथा सी पी ओ/आई आर, तथा यह सभी पद अन्य समुदाय के व्यक्तियों द्वारा भरे गए हैं। अतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समुदायों से संबंधित कर्मचारियों की कठिनाइयों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः उपर्युक्त में से एक पद अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए ताकि उनकी कठिनाइयों का भी निवारण किया जा सके।

महोदया, डा. अम्बेडकर द्वारा संविधान में जो भी वायदा किया गया था आजादी के 53 वर्षों के बाद भी उसका अंशमात्र ही निचले स्तर के लोगों तक पहुंच पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसे समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पूरा किया जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : सभापति महोदय, बहुत कम ऐसे वक्त होते हैं कि विरोधी दल सरकार का स्वागत करते हों। मुझे याद है इस सभागृह में दोनों तरफ के एस. सी., एस. टी. सांसद एक दिन वैल में आ गये थे और सब प्रधान मंत्री महोदय से आग्रह कर रहे थे कि वह एश्योरेन्स दे दें। मैं इस सभागृह को याद दिलाना चाहता हूं कि एक पार्टी लाइन के ऊपर ऊंचाई से यह सवाल उठता है, न कांग्रेस का, न भारतीय जनता पार्टी का, न किसी पार्टी का, लेकिन भारत में एक ऐसा समाज है जो अति पिछड़ा है जिसे हम देश में प्रजातंत्र के आने के पचास वर्षों के बाद भी सामान्य समाज के साथ लाने का प्रयास नहीं कर सके हैं तो हम महात्मा गांधी का नाम लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वह पार्टी भी महात्मा गांधी का नाम लेती है और यह पार्टी भी महात्मा गांधी का नाम लेती है....*(व्यवधान)* महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें अनटू दि लास्ट जो आदमी अंधेरे में है, जो दिखाई नहीं देता है, उसे सामने लाना है, प्रकाश में लाना है और उसे मदद देनी है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमें रिजर्वेशन मिला, लेकिन रिजर्वेशन मिलने के कम से कम 10–15 वर्ष तक इसका इफैक्ट हमारे समाज पर नहीं हुआ। चूंकि लोग शिक्षित ही नहीं थे तो रिजर्वेशन का लाभ कहां से लेते। जब लोग शिक्षित हो गये तो रिजर्वेशन में अड़ंगा लगना शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट में जाना शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट में भी मंडल कमीशन का सवाल जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रेफरेन्स कहां था। मुझे किसी को क्रिटीसाइज करने की आदत नहीं है। लेकिन जिस जूडीशियरी पर हम भरोसा रखते हैं, वह अंधी जूडीशियरी, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट का रेफरेन्स आ जाता है, हम गरीब लोग किस पर विश्वास रखें। मैं दलित हूं, मेरी बहन कह रही थी कि हम कोई भीख मांगने के लिए नहीं आते हैं हमारा कांस्टीट्यूशनल राइट है। जब मुझे जरूरत थी मैं नाइट क्लास में पढ़कर इसकी सहूलियत लेना चाहता था, मैंने वह ले ली और सहूलियत प्राप्त करके हम आगे बढ़ चुके। मैं जिस कांस्टीटुएंसी से आता हूं, वहां से दो टर्म यहां चुनकर आ चुका हूं शेड्यूल्ड कास्ट का होते हुए भी मेरी कांस्टीटुएंसी जनरल कांस्टीटुएंसी है। हम यह ठीक नहीं मानते। हम एक क्रान्तिकारी विचार लेकर समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम उसके हाथ में कटोरा नहीं देना चाहते हैं, हम उसे इस देश में स्वाभिमान से खड़ा करना चाहते हैं और जब हम उन्हें स्वाभिमान से खड़ा करना चाहते हैं तो हजारों वर्षों से चली आ रही चातुरवर्ण व्यवस्था आड़े आती है।

सभापति महोदय, धर्म के नाम पर हम संस्था चलाते हैं, जबकि हमारा धर्म है पिछड़ों को ऊपर उठाना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं पहले भी इस पर बोल चुका हूं। भारत सरकार ने पूरे देश के सांसदों की एक समिति बुलाई थी और 1999 में यहां प्रधान मंत्री जी ने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एक कांफ्रेन्स बुलाई थी और उस कांफ्रेन्स में एक रिजोलूशन निकाला था, उसमें हम काफी आगे बढ़े थे, उस रिजोलूशन का डॉकूमैंट मेरे पास है। सत्ता में बैठे हुए लोग

यह सोचें, यह आत्म–चिन्तन करें। आपने 1999 में शिक्षा, में रिजर्वेशन पर और प्राइवेट एंटरप्राईज में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन पर जो बिल लाए थे, उस पर आपने आश्वासित किया था। मैं इस संस्था को याद दिलाना चाहूंगा। मंत्री महोदय बहुत क्रान्तिकारी हैं, मुझे आज अच्छा लगा कि इनका पूरा वंश एक तलवार से लड़ता है।

समाज में जिसकी घृणास्पद दृष्टि है, उसको काटकर महाराष्ट्र से आते हुए मध्य प्रदेश में चले गए और भारतवर्ष में एक ऊंचाई पर सिंधिया जी चढ़ गए। और उसी बहिन के हाथ में एक संस्था की तलवार है और हम इनसे बड़ी आशा करते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इनको बहुत अच्छा समाज सेवा का काम दिया है। बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, मैं उनकी चर्चा यहां नहीं करूंगा लेकिन आपके हाथ में जो शस्त्र है, वह बहुत बड़ा है। इस पर आप आत्मचिन्तन कर सकती हैं। चाहे कल कोई भी बात हो गई हो, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते लेकिन 1999 में जो रेजॉल्यूशन हो गया, हमारे एनेक्सर में रेजॉल्यूशन हो गया है कि जो चार डीओपीटी के सर्कुलर थे हम उनका पुनर्मूल्यांकन करेंगे और वे फिर वापस लिए जाएंगे। सही बात है न अशोक जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष का सवाल नहीं है। आप एक व्यवस्था कर दें कि आने वाले 10–15 सालों में 40 करोड़ लोगों को इतनी ऊंचाई पर लेकर जाएंगे कि प्रधान मंत्री जी की जो कविता है कि मैं ऐसी ऊंचाई पर जाकर समाज को देखना चाहता हूं, वैसी ऊंचाई पर जाकर आपकी सरकार समाज को देखे और वह कितना ऊंचा आ सकते हैं, उसका प्रयास आप करें।

हमारे एक साथी कह रहे थे कि रिजर्वेशन दस साल रहे। मैं उस समय सदन में नहीं था, कुछ काम के लिए राष्ट्रपति जी के पास गया था। उसमें किसी ने कहा कि रिजर्वेशन थोड़े साल रहना चाहिए। हम उसके हक में नहीं हैं। रिजर्वेशन कल नहीं, आज चला जाए लेकिन जो पिछड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं का कोई समाधान होगा या नहीं? हमारे तमिलनाडु के एक साथी बोल रहे थे कि एक ही फैमिली के आठ–दस लोग सरकार की सेवा में आते हैं और जब वह आते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती और शेड्यूल्ड कास्ट्स का एक आदमी आता है और उसके बाद दूसरा आ गया तो उसकी चर्चा होने लगती है।

महोदया, आपने बैठने के लिए घंटी बजा दी है लेकिन मैं कहूंगा कि हम सबकी मांग है क्योंकि हम पिछले कितने सालों से देखते आ रहे हैं कि इस रिजर्वेशन का कोई प्रभाव नहीं होता है। हम कुछ नए एक्ट लाते हैं, कुछ नए सर्कुलर निकालते हैं, फिर वह डस्टबिन में चले जाते हैं। लेकिन मैं सरकार से विनती करूंगा कि एक अच्छा काम आपके हाथ में आया है। इसलिए रिजर्वेशन के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक कंप्रिहेन्सिव बिल बनाएं और उसको संविधान के नौवें शेड्यूल्ड में रखें ताकि दूसरा कोई उसे छेड़ न सके। एक बार आप करके देखें। संसद तो यहीं पर है। कोई ज्यादती हो गई तो वापस ले लें, मेजॉरिटी तो आप लोगों की है, हम दलितों की मेजॉरिटी नहीं है। मैं जनरल सीट से आता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि एक बार 10–15 साल के लिए कंप्रिहेन्सिव एक्ट करके नौवें शेड्यूल्ड में डालें और पिछड़े लोग जो अंधेरे में हैं, उनको नई रोशनी में लाएं। मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे से अपेक्षा करता हूं कि वे हम लोगों के साथ न्याय करेंगी।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदया, मैं 92वें संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और मंत्री महोदया का अभिनन्दन करता हूं क्योंकि जो मांग थी, उसके लिए सारे देश में लोगों ने रैलियां निकालीं, बड़े–बड़े नेताओं ने अपना वक्तव्य दिया कि अध्यादेश खत्म होना चाहिए। इसके पहले भी इन अध्यादेशों पर चर्चा करते हुए मैंने कहा था कि एक बार गलती कर देते हैं तो उसे सुधारना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। शुरूआत की सरकार ने गलती कर दी, पांच अध्यादेश निकाल दिए और दलितों का जो कल्याण होना था, वह नहीं हुआ, उनका जो बैकलॉग पूरा होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और लोग बहुत परेशान हो गए। आज दलित समाज बड़ी खुशी से इस चर्चा को सुन रहा है।

सभापति महोदया आज अधिकारी वर्ग में खुशी है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल आज एक तीसरा संशोधन लाए हैं इससे बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उन्हें फायदा होगा। मेरी मंत्री महोदया से प्रार्थना है कि देश के अन्दर दलितों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसे दूर किया जाए। कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि जाने–अनजाने में ऐसा कर देते हैं जिससे समाज के एक व्यापक वर्ग को नुकसान पहुंचे और उसके ऐसे कदम से देश में रिजर्वेशन का जो अर्थ है वह समाप्त हो जाता है। ऐसे कदमों से पूरा समाज दुखी हो जाता है।

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

महोदया, यहां चर्चा हुई कि प्राइवेट कंपनियों, बैंक्स एवं पब्लिक अंडरटेकिंग्स में दलितों को रिजर्वेशन अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इतने वर्षों में आज तक इन संस्थाओं में रिजर्वेशन पूरी तरह क्यों लागू नहीं हुआ, यह चिन्ता का विषय है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक समय–सीमा निश्चित कर दी जाए कि इस तिथि तक सभी जगह रिजर्वेशन लागू हो जाएगा और एक निश्चित तिथि तक रिजर्वेशन का जो बैकलॉग अभी तक चला आ रहा है वह भी पूरा हो जाएगा। यदि ऐसा हो जाए, तो फिर कहीं कोई शिकायत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार पूरा रिजर्वेशन तो हो जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था यदि वह पूरा हो जाए और कहीं कोई शिकायत नहीं रहे। ऐसा एक बार हो जाए, फिर भले ही उसके बाद यदि रिजर्वेशन समाप्त करना हो, तो कीजिए। कोई भी दलित आप से भीख नहीं मांगेगा। यदि किसी दलित का हक मारोगे, तो उससे उसे ठेस पहुंचेगी। आज स्थिति यह है कि जितना कोटा निर्धारित है, वह भी पूरा नहीं हुआ है।

महोदया, नौवीं सूची की जो बात बार–बार हो रही है वह विचार भी ठीक है, वरना क्या होता है कि एक नवयुवक इंजीनियर कोर्ट में केस दाखिल कर देता है और कोर्ट सभी दलितों के खिलाफ फैसला दे देती है। इसलिए इसको नौवीं सूची में डालना चाहिए ताकि कोई कोर्ट–कानून में उलझा कर दलितों का हक समाप्त न कर सके।

महोदया, शिन्दे साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है, तो उसके बारे में केन्द्र सरकार का संशोधन निकलता भी नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें उससे पहले उस पर अमल करना शुरू कर देती हैं। हमारे लोगों के बार–बार प्रार्थना करने के उपरान्त भी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं मानते। इसी प्रकार स्थाई संसदीय अनुसूचित जाति जनजाति समिति जब दौरा करती है और जो मौके के निरीक्षण के बाद निर्देश देती है, उसे भी अधिकारीगण दरकिनार करते हैं। समिति के निर्देशों पर अमल नहीं करते।

महोदया, जो पांच अध्यादेश सरकार ने दिए थे, उनमें से तीसरे अध्यादेश के संशोधन हेतु यह विधेयक लाया गया है। इसके बाद भी दो अध्यादेश दिनांक 02.07.1997 एवं दिनांक 13.08.1997 और रह जाएंगे। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि उनके असर को भी जल्दी से जल्दी खत्म करने हेतु संशोधन लाया जाए। और नौवें शेड्यूल्ड में इसको लाकर ऐसा पुख्ता इंतजाम किया जाए कि भविष्य में कोई इसके साथ छेड़छाड न करे। सरकार और प्रतिपक्ष जब दोनों इस बात का समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसे शीघ्र संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं दो वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। दलित समाज देश का पिछड़ा समाज है। कभी–कभी हम कहते हैं कि मांगने से किसी को कुछ नहीं मिला है।

"मांगने से किसे मिला है।

आंखों के आंसू से कहां पत्थर पिघलने वाले हैं।

तुम लोहा बन कर टकराओ।"

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि आज दलित समाज लोहा बन कर टकराना नहीं चाहता है। वह आत्मीयता से जीना चाहता है। दलित समाज आज अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। कहीं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इसे सिर्फ मौका मिलना चाहिए, सिर्फ समर्थन मिलना चाहिए, आत्मीयता मिलनी चाहिए। उसे पहचानने की आवश्यकता है। अगर एक बार पहचान हो जाएगी तो वह अपने आप कभी पीछे नहीं हटेगा।

महोदया, मैं आज सदन का भी अभिनन्दन करना चाहता हूं क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगा। मैं आशा करता हूं कि आप बाकी दो अध्यादेशों को समाप्त करने के लिए भी जल्दी से जल्दी विधेयक लाकर उन्हें समाप्त कराएं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदया, सुप्रीम कोर्ट ने पांच फैसले दिए जो आरक्षण विरोधी थे। उन आरक्षण विरोधी फैसलों के मुताबिक पांच अध्यादेश भारत सरकार की ओर से निकले। उनमें पहला 30 जनवरी, 1997 को, दूसरा 2 जुलाई, 1997 को, तीसरा 22 जुलाई, 1997 को, चौथा 13 अगस्त, 1997 और पांचवां 29 अगस्त, 1997 को। इस प्रकार विभिन्न तिथियों में एक ही वर्ष में पांच अध्यादेश सरकार ने निकाले। यह जो 92वां संशोधन विधेयक है इससे 30.01.1997 वाला जो फैसला था, वह निरस्त या और निष्प्रभावी हो जाएगा। बाकी जो अध्यादेश हैं, जैसे 2.7.1997 का है, उसका क्या होगा?

महोदया, इनकी सरकार 1998 में आ गई थी, लेकिन इन्हें संविधान विरोधी सरकारी अध्यादेशों को खत्म करने में तीन वर्ष लग गए और वह भी तब, जब तमाम शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के माननीय सदस्यों ने कहा और वे एकजुट होकर सरकार को हिलाने लगे और सदन के बाहर भी हंगामा

होने लगा, तब ये ढोल पीट रहे हैं कि ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के पक्षधर हैं।

मैं अभी ढोल की पोल खोल देता हूं। उधर से कोई जवाब दे। पांच आदेश में बहाना बना दिया कि न्यायालय ने आरक्षण विरोधी फैसला दे दिया इसलिए सरकार की मजबूरी थी। लेकिन 1 जुलाई, 1998 वाला फैसला कौन सी कोर्ट के आधार पर है, यह बताएं? मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता, श्री बूटा सिंह ने पढ़ा है। उससे शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास, तीनों की तबाही हुई है। यह क्यों निकाला है? यह साबित करता है कि न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन में मजबूरी हुई लेकिन आप आरक्षण विरोधी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं। जो पांच में से दो आदेश हैं, उन्हें कैसे खत्म करेंगे। इस देश में जब तक सामाजिक विषमता है तब तक सामाजिक न्याय और आरक्षण की जरूरत है और तभी यह देश मजबूत होगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा। यदि यह सरकार सामाजिक न्याय की पक्षधर है तो तीन काम करे

1. नेशनल ज्यूडीशियल कमीशन बनाए।
2. ज्यूडीशियरी में आरक्षण दे।
3. सैंट्रल कम्प्रीहैन्सिव एक्ट आरक्षण के लिए बनाए और इसे नाइन्थ शैड्यूल में डाले।

मैं चुनौती देता हूं कि इस सरकार की हिम्मत नहीं है क्योंकि यह सरकार आरक्षण विरोधी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों की विरोधी है। 1 जुलाई, 1998 वाला आदेश इसका सबूत है।....*(व्यवधान)* श्री राम विलास पासवान अनुसूचित जाति के सबसे बड़े नेता हैं और आज के अम्बेडकर कहलाते हैं। सरकार में उनकी हैसियत अभी बता दी गई है। क्या यही है हैसियत अनुसूचित जाति की?....*(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : उस समय सत्ता में इनकी सरकार चल रही थी।....*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह नियम संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का है। श्री राम विलास पासवान, श्री शाहनवाज हुसैन और श्री शरद यादव के विभाग बदल दिए गए।....*(व्यवधान)*

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : आप राजनीति कर रहे हैं या अनुसूचित जाति के लोगों की बात कर रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आज मैं ढोल का पोल खोल दूंगा। अनुसूचित जाति के लोगों की यही दुर्दशा है।....*(व्यवधान)* इधर से उधर और उधर से इधर कर रहे हैं। सरकार 4–5 सवालों के उत्तर दे। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। संघर्ष होगा और यह सरकार धराशायी होगी।....*(व्यवधान)*

याचना नहीं अब रण होगा
जीवन जय या मरण होगा
देखें इस भारत में कौन
बड़ा वीर बलिदानी है
किसकी धमनी में खून
और किसकी धमनी में पानी है
जात तोड़ सब पात तोड़
जब फौज यह हल्ला बोलेगा
मांगेगा नहीं जो चाहेगा सो ले लेगा।

श्री आनन्द मोहन बिश्वास (नवद्वीप) : सभापति महोदय, तृणमूल कांग्रेस की ओर से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा साथ ही इसका समर्थन भी करता हूं। दलगत राजनीति से उठकर आरक्षित संसदीय क्षेत्रों से चुने गए सभी संसद सदस्यों की वर्ष 1999 में बैठक आयोजित करने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह वचन दिया था कि उच्चतम न्यायालय के पांच कठोर फैसलों जिनके अनुसार अनुच्छेद 16(क) में दिए गए सांवैधानिक औचित्य तथा अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, को पुनः बहाल किया जाएगा। इसलिए यह विधेयक लाया गया है।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह पांच कठोर फैसले न्यायिक सक्रियता के परिणाम हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि न्यायिक मंच द्वारा दिमाग का इस्तेमाल न करने के फलस्वरूप ऐसा हुआ है और इसमें वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आरक्षण को जारी नहीं रखा जाना चाहिए। यह अस्थायी चरण है। पिछले वर्ष ही इसी सम्माननीय सदन में दलगत राजनीति से उठकर सभी सदस्यों ने एकमत से संकल्प लिया कि आरक्षण

[श्री आनन्द मोहन बिश्वास]

और 10 वर्ष के लिए जारी रहेगा। लेकिन फैसला देते समय इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया। मैं यहां डा. अम्बेडकर द्वारा की गई एक बहुत अच्छी और एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करता हूं। संविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा :

> "मैं नहीं जानता कि संघीय या सर्वोच्च न्यायालय में बैठे पांच या छह सज्जन, जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच अपने व्यक्तिगत विवेक या पूर्वाग्रह या अपने पूर्व निर्णय से ग्रसित होकर करते हैं पर विश्वास किया जा सकता है कि कौन–सा कानून अच्छा है और कौन–सा बुरा है।"

अतः वीरपाल सिंह चौहान और अजित सिंह के इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 10 अक्तूबर, 1995 को निर्णय दिया, जिससे सरकारी सेवा के अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों और हितों पर प्रभाव पड़ा। इसमें सिद्धांत यह है कि यद्यपि आरक्षण या रोस्टर के कारण अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पहले पदोन्नति दे दी जाए तथा बाद में एक वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार को उसी स्तर पर पदोन्नति दे दी जाती है तो सामान्य उम्मीदवार पहले पदोन्नत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से ऊपर अपनी मूल वरिष्ठता प्राप्त करेगा। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की पदोन्नति पहले होने से सामान्य उम्मीदवार की तुलना में वह वरिष्ठ नहीं हो जाता, चाहे सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को उस श्रेणी में बाद में पदोन्नति दी गई हो।

इसमें एक दोष है। यही एक रास्ता है जिससे हम लोग इस दोष को दूर कर सकते हैं। इस संविधान (संशोधन) विधेयक के माध्यम से हमें इस फैसले को निष्प्रभावी बनाना है। इस तरह से यह विधेयक देश के दलित व्यक्तियों के व्यापक हितों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे दो बिन्दुओं पर विचार करें, पहले 88वें संशोधन, में अर्थात् विनोद कुमार के मामले में कम अर्हकांक का सिद्धांत बनाया गया था तथा अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति के मामले में कम स्तर का मूल्यांकन अनुमत्य नहीं था। इस सम्माननीय सदन को उस निर्णय को बदलना पड़ा और वह निर्णय अब प्रभावी नहीं है तथापि हम लोगों का यह दुःखद अनुभव है कि पांच या छह महीने तक इसे सभी संबंधित विभागों में परिचालित नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को पारित किए जाने के तुरन्त बाद इसे प्रभावी बनाने वाला परिपत्र सरकारी क्षेत्रों के सभी उपक्रमों सहित सभी सरकारी विभागों को भेजा जाना चाहिए। हमारा अनुभव है कि सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम तुच्छ बहाना लेकर इन्हें क्रियान्वित नहीं करते।

दूसरा, सरदार बूटा सिंह जी ने संविधान में संशोधन करने से संबंधित आर. के. सब्बरवाल के मामले का उल्लेख ठीक ही किया है।

रिक्त पद पर आधारित रोस्टर को बदलकर पद आधारित रोस्टर में परिवर्तित कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले की समीक्षा करें। उच्चतम न्यायालय का निर्णय एकदम स्पष्ट है। यह कहा गया है कि रिक्त पद आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर में लाया जाए बशर्ते कि सभी बकाया रिक्त पद भर दिए गए हों। लेकिन लगभग सभी विभागों में बकाया रिक्त पदों को भरे बिना ही पद आधारित रोस्टर आरम्भ कर दिए हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर ध्यान दें....*(व्यवधान)*

तीसरा, चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो दलितों के हित में है, मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे। लेकिन अगर वे इस विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे तो मैं उन्हें दलित–विरोधी मानूंगा।

सभापति महोदय : आपके नेता ने आपको तीसरा बिन्दु बताया है।

श्री माणिकराव होडल्या गावित (नन्दुरबार) : माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले मैं वसुंधरा राजे जी को इस संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस दिन से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए नौकरियों में पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी, उस दिन से यह लागू होना चाहिए। इससे इन वर्गों के लोगों को लाभ मिलेगा।

मैं सरकार के समक्ष कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उससे यह स्थिति पैदा हुई। जो पांच ओ.एम. निकाले गए थे, उनमें से कुछ वापस ले लिए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। इस बात का हमारे में दुख है।

केन्द्रीय सरकार के पांच मंत्रालयों को छोड़कर संविधान के हिसाब से अनुसूचित जाति के लोगों को 15 प्रतिशत आरक्षण

का प्रावधान है और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि अभी तक अनुसूचित जाति के लोगों को 'क' श्रेणी में सिर्फ दस प्रतिशत आरक्षण मिला है, जनजाति के लोगों को 3.2 प्रतिशत। इसी तरह से 'ख' श्रेणी में अनुसूचित जाति के लोगों को 11 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सिर्फ दो प्रतिशत आरक्षण मिला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के तहत पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी, तब अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों के फोरम ने अपनी मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया और प्रधान मंत्री जी के पास भी हमारा शिष्टमंडल मिलने के लिए गया था।

एससी और एसटी से संबंधित जो समिति है, उसमें मैं भी सदस्य हूं। हमने देखा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में आरक्षण नहीं है, भारत सरकार की अंडरटेकिंग कंपनीज में आरक्षण नहीं है, राज्य सरकारों में भी वही स्थिति है और भारत सरकार के मंत्रालयों में भी आरक्षण और पदोन्नति के बारे में ये दिक्कतें हैं। पदोन्नति देते समय पिछले तीन साल की ए.सी.आर. देखी जाती हैं और यदि दो ए.सी.आर. ठीक हैं तो पदोन्नति मिलती है अन्यथा नहीं मिलती। इस बारे में भी माननीय मंत्री जी को देखना चाहिए और बहुत सारे सदस्यों ने सैन्ट्रल एक्ट बनाने के बारे में मांग की है और मैं भी यहीं मांग करता हूं और नौवें शेड्यूल्ड लिस्ट में लाने के लिए मांग करता हूं।

सभापति महोदय : आप बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करिए।

श्री माणिकराव होडल्या गावित : मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : चेयर जैसा निर्देश देती है, उसी के अनुसार हम लोग भी अपने कार्यक्रम लगा देते हैं। अब 15.30 बजे वोटिंग थी। 15.30 बजे हमने भी पैट्रोलियम कमेटी की बैठक 15 दिन पहले बुलाई थी। अब यह क्या तरीका है, हम लोग भी अपने-अपने तरीके से कार्यक्रम बना लेते हैं।

सभापति महोदय : यादव जी, दस मिनट में हों जाएगा। तीन-चार सदस्य और रहते हैं। सब तीन-तीन मिनट बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : महोदया, मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति का संबंध है, यह संशोधन उनके हितों की रक्षा के लिए है। यह सभी कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित नहीं है। इस संशोधन का यही प्रयोजन है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा 1995 और 1996 में दो मामलों में दिए गए निर्णयों के कारण यह संशोधन लाया गया है। इसके बाद 30 जनवरी, 1997 को एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया गया। इन्हीं कारणों से यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

अनुच्छेद 16(4) में त्वरित पदोन्नति की गारन्टी दी गयी है। 1995 और 1996 में क्रमशः श्री वीरपाल सिंह चौहान और अजित सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया था। लेकिन यह त्वरित अनुवर्ती वरिष्ठता से संबंधित नहीं है। इसलिए मंत्री महोदया उत्तर देते समय इस मुद्दे पर भी बोलें। दोनों ही मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कभी भी अनुच्छेद 16 के खण्ड 4(क) पर चर्चा नहीं की। अनुच्छेद 16 का खण्ड 4 नियुक्तियों से संबंधित है और इसमें पदोन्नति शामिल है लेकिन खण्ड 4(क) के संबंध में चर्चा नहीं की गयी है। जिसका 1995 में संविधान में संशोधन हुआ और इसे शामिल किया गया। फिर 30 जनवरी, 1997 को ऐसा गलत कार्यालय ज्ञापन क्यों जारी किया गया? मंत्री महोदया इस बात का उत्तर दें। मेरा यही अनुरोध है। सभा को स्पष्टीकरण चाहिए।

यह विधेयक त्वरित अनुवर्ती वरिष्ठता से संबंधित है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के द्वारा एक और कार्यालय ज्ञापन जारी करना होगा जिसमें कहा जाएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की अनुवर्ती वरिष्ठता को बनाए रखा जाए। यह मेरा दूसरा प्वाइंट है। मैं एक या दो मुद्दों पर और बोलूंगा। मैं एक मिनट और लूंगा।

इस प्रक्रिया से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे? यदि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया तो 1995 से उस पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

मैं इस सदन का और सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ओरांव, मुण्डा, खड़िया और धनाका आदि जैसी कई आदिवासी जातियां हैं जिन्हें अभी तक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 54 वर्षों के बाद भी उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं।

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मुझे यह बताया गया कि अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र ने इन जनजातियों के नाम नहीं भेजे हैं। इसलिए उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र हैं। यह केन्द्र सरकार का एक भाग हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इस मामले पर तुरंत विचार करने का अनुरोध करता हूं।

अंत में, लेकिन यह बात कम महत्वपूर्ण नहीं है कि जहां तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों में संपन्न वर्ग के लोगों का संबंध है, उन्हें अब ये लाभ नहीं लेने चाहिए। इसका लाभ अनुसूचित जातियों व जनजातियों के सबसे निचले तबके को मिलना चाहिए ताकि हम बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर सकें।

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम) : महोदया, मैं अपनी पार्टी, पीएमके और अपने नेता डा. रामदास की ओर से माननीय प्रधान मंत्री, श्री वाजपेयी और सरकार का कम से कम यह संशोधन लाने के लिए आभारी हूं। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीब लोगों को लाभ मिल सकेगा।

मुझे अनुसूचित जाति का कहा जाता है। डा. अम्बेडकर ने मुझे उत्पीड़ित कहा, सरकार ने अनुसूचित जाति कहा, गांधी ने हरिजन कहा और अन्य लोगों ने अछूत कहना उचित समझा। कुछ लोगों ने मुझे दलित कहा। वर्तमान दलित शब्द बड़ा ही कठोर शब्द है। मराठी में इसका अर्थ 'सताए हुए' से है। मुझे यह नहीं पता कि इन लोगों को, जिन्हें जानबूझ कर समाज की मुख्यधारा से अलग रखा गया है, उन्हें इन नामों से क्यों पुकारा जाए। लेकिन हमारे प्रिय नेता डा. रामदास हमें 'अन्नाची' कहते हैं। इसका अर्थ होता है बड़ा भाई। अन्य नेताओं और हमारे नेता के बीच में यही अंतर है। डा. अम्बेडकर के बाद हमारे नेता ने ही अनुसूचित जाति के आदमी को 'अन्नाची' अर्थात् 'बड़ा भाई' कहा है।

योग्य और अयोग्य को नापने का मापदण्ड क्या है? समाज में काई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति समान पैदा होता है, समान रूप से जीता है और समान रूप से मरता है। आप योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्धारण नहीं कर सकते।

यदि कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन प्राप्त, संयुक्त मोर्चा सरकार 1995 और 1997 में काफी पहले यह संशोधन लाती तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। कम से कम हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह संशोधन प्रस्तुत तो किया है।

सभापति महोदय : इसलिए आप इसका समर्थन कीजिए।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : मैं, अपने दल और अपने नेता डा. रामदास की ओर से इस संशोधन का तहेदिल से समर्थन करता हूं जिससे सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की सहायता हो सकेगी। किन्तु कुछ लोग कहते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण एक उपहास है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। समय नहीं है। सभी मतदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : ऐसे लोगों की बात कैसे मानी गई? यदि उच्चतम न्यायालय ने यह तर्क सुना होता तो वह ऐसा निर्णय नहीं देता। कम से कम हमारे माननीय प्रधान मंत्री अब अनुसूचित जातियों और अनुसूसित जनजातियों के लोगों की इस प्रकार सराहनीय सेवा कर सकते हैं। अब संविधान (संशोधन) विधेयक हमारे समक्ष विचाराधीन है। इस सम्माननीय सभा के पूरे समर्थन से यह विधेयक पारित किया जाना चाहिए क्योंकि हमने इन लोगों को योग्यता अथवा अयोग्यता के आधार पर इन्हें दूर रखने का जो पाप किया है उससे हमें उऋण होना पड़ेगा। मैं अपने नेता, डा. रामदास की ओर से यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : अब समय नहीं है, कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : वे ऐसे गैर दलित नेता हैं जो दलित लोगों के उत्थान और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य बनाने के लिए सहायता कर रहे हैं। इस उद्धरण के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जी नहीं, कार्यवाही–वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, अटल जी को मैं दे रहा हूं बधाई, मगर इनके दूसरे मंत्रियों के कारनामों की मैं करूंगा खुदाई, फिर सोनिया जी, मुलायम सिंह जी, शरद पवार जी और चंद्रशेखर जी मुझे देंगे बधाई, फिर भी मैं करता रहूंगा इनकी खुदाई। अटल जी, यदि दलितों के लिए आप कलम नहीं चलाएंगे तो उधर के जो हमारे सर्वश्री रामविलास पासवान जी, करिया मुंडा, सत्यनारायण जटिया, अशोक प्रधान

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

और बाकी उधर के जो एस.सी., एस.टी., एम.पीज. को हम यहां बुलाएंगे, दलितों के लिए अगर आप कलम नहीं चलाएंगे तो वहां के बहुत सारे लोगों को हम यहां बुलाएंगे और फिर अटल जी की सरकार को हम सत्ता से हिलाएंगे और हम सब मिल कर राज चलाएंगे और उधर के लोगों को इधर बुलाएंगे और उन्हें आप उधर बुलाएंगे, फिर आप सरकार चलाएंगे।

अपराह्न 3.43 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

अध्यक्ष जी, 16(4)ए आर्टीकल में जो 92वां संशोधन लाने का प्रस्ताव सरकार लाई है, वह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सरकार कोई भी हो, लेकिन दलितों के लिए संविधान में जो हक दिए हैं, उन हकों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी सरकार की है। चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जनता दल की सरकार हो, चाहे थर्ड फ्रन्ट की सरकार हो और चाहे एन.डी.ए. की सरकार हो। सरकार को कांस्टीट्यूशन के मुताबिक राज चलाना चाहिए। संविधान को नजरअंदाज करके जो लोग राज चलाने का प्रयत्न करेंगे, जनता उसका विरोध करेगी। 30 जनवरी, 1994 को जो सरकार थी, पासवान जी उधर थे, बाकी सब लोग भी उधर थे, मगर ऐसा क्यों हुआ, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप सबके वहां होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमैंट आया, उसके आने के बाद यहां अधिकारियों ने बताया कि यहां इसी तरह का कानून निकालने की आवश्यकता है और एक साल में पांच आर्डर निकालकर दलितों के रिजर्वेशन का विरोध करने का एक बहुत बड़ा प्रयत्न हुआ था। चूंकि एन.डी.ए. के एम.पीज ने प्रधान मंत्री जी को बताया कि आपको यह करना चाहिए। अगर आप यह नहीं करेंगे तो हमारा समाज हमें दोष देगा और अगली बार चुनकर नहीं भेजेगा, इसलिए आपको यह करना ही है। फिर हम सब लोगों ने मिलकर हंगामा किया। तभी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, एन.सी.पी. के, सी.पी.आई., सी.पी.एम. के सब एम. पीज मिलकर वैल में आये। तब हम इन्हें भी बुला रहे थे लेकिन वे बोले हम यहां नहीं आयेंगे।

वे बोले कि हम उधर आएंगे तो फिर ये पार्टी से निकाल देंगे। मैंने कहा था कि आपको कोई पार्टी से नहीं निकाल सकता जब तक अटल जी हैं। लेकिन अटल जी अगर इस जगह पर नहीं होंगे तो आपका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक अटल जी हैं, तब तक आपको निकालने का सवाल ही नहीं होता है। हम भी वैल में आए और फिर सरकार ने इस ओ.एम. को विदड्रा करने का एश्योरेन्स दिया। हम फिर भी वैल में आए और आपने सोचा कि आठवले वैल में आएगा तो हम उसको जेल में भेज देंगे। इसलिए वैल में आने पर भी आपने पाबंदी लगाई है और इसलिए मैं भी वैल में नहीं आता हूं। यह आपने अच्छा किया...*(व्यवधान)* इसलिए जो आपका बिल है, दलितों के लिए रिवॉल्यूशनरी बिल है। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उसको रोकने के लिए कानूनी तौर पर यह संरक्षण हमें मिल रहा है, यह हमारे लिए अभिमान की बात है। इसलिए हमें प्रमोशन चाहिए, इसका मतलब यह है कि रिजर्वेशन का मतलब इतना ही है कि 15 प्रतिशत रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए हर कैटेगरी--ए, बी, सी, डी में होना चाहिए और हम राज नहीं चला सकते हैं ऐसा नहीं है। स्पीकर साहब भी हमारे हैं और वह हाउस भी चला रहे हैं। सरकार भी हम चला सकते हैं, राज भी हम चला सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में भी रिजर्वेशन होना चाहिए और जो मंत्री हमारे हैं, उनके डिपार्टमेंट बार--बार बदलने की कोशिश मत करें। इसलिए आप जो बिल लाए हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस बिल का हमारी पार्टी जोर शोर से समर्थन करती है। इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहेंगे तो तीन साल रहेंगे नहीं तो तुम भी नहीं और हम भी नहीं। इसलिए जो तीन साल बचे हैं, उसमें आप भी रहो और हमें भी रहने दो।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम इस बिल का पूरा--पूरा समर्थन करते हैं और जो दो मैमोरंडम हैं उनको भी विदड्रा करने के बारे में आप निर्णय लें, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मैं इस जीवंत चर्चा में भाग लेने और इस संशोधन का समर्थन करने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं।

हम इस सभा के माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट की गई चिन्ता को समझते हैं। मैं यहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देना चाहती हूं। पिछले दो वर्षों में सभा में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हुई है। हाल ही में, पिछले चार माह पहले, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल के गैर--सरकारी सदस्य विधेयक पर चर्चा के दौरान इस पर चर्चा की गई थी।

सरकार ने अपने नेक इरादों को न केवल बातों से बल्कि अपने कार्यों से भी अनेक बार सिद्ध किया है। हमने दो संविधान संशोधन प्रस्तुत किए हैं और शीघ्र ही विशेष भर्ती अभियान को पुनः शुरू करने का आदेश जल्दी ही जारी करना चाहते हैं। आज हमने इस सभा में संविधान (बानवेवां संशोधन) विधेयक पारित करने के लिए प्रस्तुत किया है।

मैं आपको जल्द ही इस तथ्य से अवगत कराती हूं कि यह विधेयक 30 जनवरी, 1997 के कार्यालय ज्ञापन से संबंधित है। यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नकारने के लिए लाया गया है क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता और उनकी प्रोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था। इसके कारण काफी चिन्ता बढ़ गई थी और सरकार ने निश्चय किया कि इस कार्यालय आदेश के कुप्रभावों को समाप्त कर दिया जाए तथापि, केवल इस परिपत्र को वापस लेने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी क्योंकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी बना रहेगा। अतः संविधान के अनुच्छेद 16(4)(क) को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है, साथ ही इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाए। अब हमारा यही सुझाव है।

महोदय, माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाए हैं वे भिन्न प्रकार के तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मैं उन सभी सदस्यों विशेषकर श्री सुशील कुमार शिंदे, श्री संजय पासवान, श्री बूटा सिंह, श्री बाजू बन रियान, श्री राजैया मल्याला, श्री रामजीलाल सुमन, श्री मोहन रावले, श्री रतन लाल कटारिया, श्री के. एच. मुनियप्पा, श्री बालकृष्ण चौहान, डा. वी. सरोजा, श्री रतिलाल कालिदास वर्मा, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री आनन्द मोहन बिश्वास, श्री माणिकराव होडल्या गावित, श्री त्रिलोचन कानूनगो, श्री पोन्नुस्वामी और अन्त में लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण, श्री रामदास आठवले को उनके वाग्मी भाषण के लिए धन्यवाद देती हूं।

महोदय लाए गए सभी मुद्दे व्यापक विधान से संबंधित थे। यह सच है कि विधायिका को अपने आप को न्यायपालिका के अधीनस्थ नहीं समझना चाहिए। सामान्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में वृद्धि और निसंदेह वर्ग क और ख की सेवाओं में भी उनके प्रतिनिधित्व के संबंध में हुई प्रगति दिनांक 2 जुलाई और 13 अगस्त, 1997 के दोनों कार्यालय ज्ञापनों तथा सेना, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी आरक्षण के मुद्दों पर गत चार महीनों में बार–बार विचार किया गया है।

महोदय, चूंकि इन पर कार्यवाही के दौरान व्यापक विचार हुआ है और चूंकि हम सभी दलित वर्गों के हितों की रक्षा के प्रति चिन्तित हैं और चूंकि आज हम जो करने वाले हैं उसके प्रति लोगों की आम सहमति मुझे दिखाई देती है इसलिए मैं माननीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना चाहती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पारित करने के लिए इस सम्माननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं सभा को सूचित करता हूं कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः इस पर मतदान मत–विभाजन द्वारा होगा।

अपराह्न 3.52 बजे

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

महासचिव : सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए :

1. मत विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और वहीं से इस प्रणाली का उपयोग करे।

2. जैसा कि दिख ही रहा है अध्यक्षपीठ के दोनों ओर प्रदर्शन पट्ट के ऊपर लाल बल्ब जल रहे हैं। इसका अर्थ है कि मतदान प्रणाली कार्यशील है।

3. मतदान के लिए पहली घंटी के तुरन्त बाद दोनों बटनों को एक साथ दबाएं, यथा :

   (i) हेडफोन प्लेट पर सदस्य के सामने एक 'लाल' बटन, और

   (ii) सीटों के डेस्कों के ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन :

   'पक्ष में' – हरा रंग

   'विपक्ष में' – लाल रंग

   'भाग नहीं लिया' – पीला बटन

4. दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना जरूरी है

जब तक दूसरी घंटी न सुनाई दे और लाल बल्ब 'बुझ' न जाए।

महत्वपूर्ण : माननीय सदस्य कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यदि दूसरी घंटी बजने तक दोनों बटनों को दबाए नहीं रखा जाएगा तो उनका मत दर्ज नहीं होगा।

5. मत विभाजन के दौरान पीले बटन (पी) को न दबाएं।

6. माननीय सदस्य अपने मत को प्रदर्शन बोर्ड और अपनी डेस्क पर भी देख सकते हैं। यदि उनका मत दर्ज नहीं होता है तो वे पर्चियों द्वारा मतदान के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों को सीट आवंटित नहीं की गई है वे अपना मत डिविजन क्लर्क/सुपरवाइजर द्वारा दी गई मत विभाजन पर्ची से दर्ज करें।

अपराह्न 4.00 बजे

उन्हें पर्ची पर अपना नाम, परिचय पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य और दिनांक अंकित करना होगा।

दीर्घाएं पहले ही खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

मतविभाजन संख्या 1 **अपराह्न 4.06 बजे**

पक्ष में

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अर्गल, श्री अशोक

अहमद, श्री ई.

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

ईडन, श्री जार्ज

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कलिअप्पन, श्री के. के.

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुरुप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णदास, श्री एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी. आर.

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी. एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गाड्डे, श्री राम मोहन

गामलिन, श्री जारबोम

गालिब, श्री जी. एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रुपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम.

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगतरक्षकन, डा. एस.

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए. डी. के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जालप्पा, श्री आर. एल.

जावमा, श्री वनलाल

जावीया, श्री जी. जे.

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए. सी.

झा, श्री रघुनाथ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिरुनावकरसू, श्री

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

थामस, श्री पी. सी.

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी.

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दुराई, श्री एम.

दूलो, श्री शमशेर सिंह,

देलकर, श्री मोहन एस.

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री सन्तोष मोहन

*नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री आत्माराम भाई

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दिन्शा

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

परस्ते, श्री दलपत सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी. एच.

पाटसाणी, श्री प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पायलट, श्रीमती रमा

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डॉ. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी. एम.

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

*बराड़, श्री जे. एस

बर्मन, श्री रनेन

बसवनागौड़, श्री कोलुर

बसवराज, श्री जी. एस.

बालू, श्री टी. आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोस, श्रीमती कृष्णा

बौरी, श्रीमती संध्या

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगोरा, श्री ताराचन्द

भाटिया, श्री आर. एल.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री सनत कुमार

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई. जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मांझी, श्री रामजी

मांझी, श्री परसुराम

मिश्र, श्री राम नगीना

*मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस. बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरुगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री रूपचंद

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए. के.

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.

*मेघवाल, श्री कैलाश

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री भालचन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

*रमैया, डा. बी. बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी. पी.

राधाकृष्णन, श्री पोन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राम सजीवन, श्री

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.

रामशकल, श्री

राय, श्री विष्णु पद

राय, श्री सुबोध

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी. वी. जी. शंकर

राव. श्री वाई. वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन,

रियान, श्री बाजू बन,

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री बी. वी. एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए. के. एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शशिकुमार, श्री

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी. एस.

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

श्रीनिवासन, श्री सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन. टी.

सईद, श्री पी. एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई. जी.

सर, श्री निखिलानन्द

सरकार, डा. बिक्रम

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्री तूफानी

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के. ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री चन्द्रनाथ

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के. पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.

सुब्बा, श्री एम. के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 358

विपक्ष में : शून्य

*पक्ष में : 358 + 5 (सर्वश्री बी. बी. रमैया, जे. एस. बराड, श्रीमती रानी नरह, श्री कैलाश मेघवाल और श्री मधुसूदन मिस्त्री ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की) = 363

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंडवार विचार

अध्यक्ष महोदय : मैं अब खंड–2 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

दीर्घायें पहले ही खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड–2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत–विभाजन हुआ :

मतविभाजन संख्या 2 अपराह्न 4.08 बजे

पक्ष में

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अर्गल, श्री अशोक

अहमद, श्री ई.

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

ईडन, श्री जार्ज

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कलिअप्पन, श्री के. के.

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुरुप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णदास, श्री एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी. एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गाड्डे, श्री राम मोहन

गामलिन, श्री जारबोम

गालिब, श्री जी. एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम.

चीख़ली़या, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

*चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री शिवराज सिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगतरक्षन, डा. एस.

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए. डी. के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जालप्पा, श्री आर. एल.

जावमा, श्री वनलाल

जावीया, श्री जी. जे.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए. सी.

झा, श्री रघुनाथ,

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिरुनावकरसू, श्री

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

थामस, श्री पी. सी.

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू,

दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी.

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी,

दुराई, श्री एम.

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देलकर, श्री मोहन एस.

देव, श्री बिक्रम केशरी

*देव, श्री सन्तोष मोहन

*नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

*पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री आत्माराम भाई

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दिन्शा

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री धर्मराज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

*पटेल, श्री मानसिंह

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

*पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी. एच.

पाटसाणी, श्री प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमर सिंह वसंतराव

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पायलट, श्रीमती रमा

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री राम चन्द्र

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी. एम.

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

*बराड़, श्री जे. एस.

बर्मन, श्री रनेन

बसवनागौड़, श्री कोलुर

बसवराज, श्री जी. एस.

बालू, श्री टी. आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोस, श्रीमती कृष्णा

बौरी, श्रीमती संध्या

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगोरा, श्री ताराचन्द

*भाटिया, श्री आर. एल.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री सनत कुमार

**मकवाना, श्री सवशीभाई

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

**पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई. जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मांझी, श्री रामजी

मांझी, श्री परसुराम

मिश्र, श्री राम नगीना

*मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस. बी.

**मुण्डा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरुगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री रूपचंद

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए. के.

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.

*मेघवाल, श्री कैलाश

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया

**पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री भालचन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

रमैया, डा. बी. बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी. पी.

राधाकृष्णन्, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.

रामशकल, श्री

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी. वी. जी. शंकर

राव, श्री वाई. वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

*रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन,

रियान, श्री बाजू बन,

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री बी. वी. एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए. के. एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

*वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

वैको, श्री

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शशिकुमार, श्री

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी. एस.

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

श्रीनिवासन, श्री सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन. टी.

सईद, श्री पी. एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई. जी.

सर, श्री निखिलानन्द

सरकार, डा. बिक्रम

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्री तूफानी

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के. ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री चन्द्रनाथ

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के. पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.

सुब्बा, श्री एम. के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 345

विपक्ष में 1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के खंड 1 के संबंध में एक संशोधन है। मंत्री महोदय संशोधन पेश कर सकते हैं।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 2

---

*पक्ष में : 345+15 (सर्वश्री आर. एल. भाटिया, जे. एस. बराड़, मणिभाई रामजीभाई चौधरी, राम नायडू दग्गुबाटि, संतोष मोहन देव, कैलाश मेघवाल, श्री मधुसूदन मिस्त्री, कड़िया मुण्डा, रंजीत कुमार पांजा, मानसिंह पटेल, सुन्दर लाल पटवा, रासासिंह रावत, बी. वेंकटेस्वरलु, सवशीभाई मकवाना और श्रीमती रानी नरह ने भी पर्ची के माध्यम से अपना मतदान किया/मतदान में शुद्धि की) = 360

विपक्ष में : 1–1 = शून्य (श्रीमती रानी नरह ने पहले विपक्ष में अपना मत दिया था किन्तु बाद में संशोधन कर पक्ष में अपना मत दिया।)

"(बानवेवां संशोधन)" के स्थान पर

"(पचासीवां संशोधन)" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब खंड 1, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

दीर्घायें पहले ही खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत–विभाजन हुआ :

मत विभाजन संख्या 3 **अपराह्न 4.11 बजे**

पक्ष में

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अर्गल, श्री अशोक

अहमद, श्री ई.

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

ईडन, श्री जार्ज

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कलिअप्पन, श्री के. के.

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुरुप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णदास, श्री एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन
खुराना, श्री मदन लाल
*खूंटे, श्री पी. आर.
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गढ़वी, श्री पी. एस.
गमांग, श्रीमती हेमा
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती मेनका
गाड्डे, श्री राम मोहन
गामलिन, श्री जारबोम
गालिब, श्री जी. एस.
गावित, श्री माणिकराव होडल्या
गावीत, श्री रामदास रुपला
गिलुवा, श्री लक्ष्मण
गेहलोत, श्री थावरचन्द
गोयल, श्री विजय
गोविन्दन, श्री टी.
गोहेन, श्री राजेन
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देल, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम.
चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री पदमसेन
चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई
*चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्री हरिभाई
चौधरी, श्रीमती रेणूका
चौधरी, श्रीमती सन्तोष
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
चौहान, श्री निहाल चन्द
चौहान, श्री शिवराजसिंह
चौहान, श्री श्रीराम
जगतरक्षन, डा. एस.
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जटिया, डा. सत्यनारायण
जयशीलन, डा. ए. डी. के.
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद
जालप्पा, श्री आर. एल.
जावमा, श्री वनलाल
जावीया, श्री जी. जे.

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए. सी.

झा, श्री रघुनाथ,

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिरुनावकरसू, श्री

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

थामस, श्री पी. सी.

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू,

*दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी.

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी,

दुराई, श्री एम.

दूलो, श्री शमशेर सिंह,

देलकर, श्री मोहन एस.

देव, श्री बिक्रम केशरी

*देव, श्री सन्तोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री आत्माराम भाई

पटेल, श्री चन्द्रेश

*पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दिन्शा

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री धर्मराज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

*पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी. एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पायलट, श्रीमती रमा

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी. एम.

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

*बराड़, श्री जे. एस.

बर्मन, श्री रनेन

बसवनागौड़, श्री कोलुर

बसवराज, श्री जी. एस.

बालू, श्री टी. आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोस, श्रीमती कृष्णा

बौरी, श्रीमती संध्या

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगोरा, श्री ताराचन्द

भाटिया, श्री आर. एल.

*भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्याला, श्री राजैया

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई. जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

मिश्र, श्री राम नगीना

*मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस. बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरुगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री रूपचंद

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए. के.

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.

*मेघवाल, श्री कैलाश

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री भालचन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

रमैया, डा. बी. बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी. पी.

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

रामचन्द्रन, श्री गिनगी

रामशकल, श्री

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी. वी. जी. शंकर

राव, श्री वाई. वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन,

रियान, श्री बाजू बन,

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री बी. वी. एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए. के. एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शशिकुमार, श्री

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी. एस.

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीनिवासन, श्री सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन. टी.

सईद, श्री पी. एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई. जी.

सर, श्री निखिलानन्द

सरकार, डा. बिक्रम

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्री तूफानी

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के. ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री चन्द्रनाथ

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधामोहन

*सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के. पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.

सुब्बा, श्री एम. के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

*हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि** के अध्यधीन, मत–विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 352

विपक्ष में शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

**पक्ष में : 352+12 (सर्वश्री गिरधारी लाल भार्गव, जे. एस. बराड़, राम टहल चौधरी, दलित इजिलमलाई, संतोष मोहन देव, थामस हंसदा, पी. आर. खूंटे, कैलाश मेघवाल, मधुसूदन मिस्त्री, डॉ. रंजीत कुमार पांजा, सर्वश्री ताराचंद शिवाजी पटेल, रामजीवन सिंह ने पर्ची के माध्यम से अपना मतदान किया/मतदान में शुद्धि की) = 364

...सुन्धरा राजे : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव को "कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए" सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें पहले ही खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

लोक सभा में मत–विभाजन हुआ :

मत विभाजन संख्या 4 अपराह्न 4.14 बजे

पक्ष में

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अर्गल, श्री अशोक

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति झा

आठवले, श्री रामदास

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

ईडन, श्री जार्ज

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कलिअप्पन, श्री के. के.

*कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुरुप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णदास, श्री एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदल लाल

खूंटे, श्री पी. आर.

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी. एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गाड्डे, श्री राम मोहन

गामलिन, श्री जारबोम

गालिब, श्री जी. एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रुपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम.

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगतरक्षकन, डा. एस.

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए. डी. के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जालप्पा, श्री आर. एल.

जावमा, श्री वनलाल

जावीया, श्री जी. जे.

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर
जोशी, श्री मनोहर
जोस, श्री ए. सी.
झा, श्री रघुनाथ,
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स
डूडी, श्री रामेश्वर
डोम, डा. राम चन्द्र
तिरुनावकरसू, श्री
तिवारी, श्री नारायण दत्त
तिवारी, श्री सुन्दर लाल
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
थामस, श्री पी. सी.
दग्गुबाटि, श्री राम नायडू
दलित इजिलमलाई, श्री
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दिनाकरन, श्री टी. टी. वी.
दिलेर, श्री किशन लाल
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी,
दुराई, श्री एम.
दूलो, श्री शमशेर सिंह,
देलकर, श्री मोहन एस.
देव, श्री बिक्रम केशरी
देव, श्री सन्तोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मोहम्मद
निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद
नीतीश कुमार, श्री
पटवा, श्री सुन्दर लाल
पटेल, डा. अशोक
पटेल, श्री आत्माराम भाई
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी
पटेल, श्री दिन्शा
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री धर्मराज सिंह
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
परस्ते, श्री दलपत सिंह
पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.
पवैया, श्री जयभान सिंह
पांजा, डा. रंजीत कुमार
पांडियन, श्री पी. एच.
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव
*पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के
पाटील, श्री उत्तमराव
पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पायलट, श्रीमती रमा

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी. एम.

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

*बराड़, श्री जे. एस.

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

बर्मन, श्री रनेन

बसवनागौड़, श्री कोलुर

बसवराज, श्री जी. एस.

बालू, श्री टी. आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैठा, श्री महेन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बोस, श्रीमती कृष्णा

बौरी, श्रीमती संध्या

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगोरा, श्री ताराचन्द

भाटिया, श्री आर. एल.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई. जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

मिश्र, श्री राम नगीना

*मिस्त्री, श्री मधुसूदन

*मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस. बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरुगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री रूपचंद

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए. के.

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.

*मेघवाल, श्री कैलाश

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री भालचन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

रमैया, डा. बी. बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

*राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

*राधाकृष्णन, श्री सी. पी.

राधाकृष्णन्, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.

रामशकल, श्री

राय, श्री विष्णु पद

राय, श्री सुबोध

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी. वी. जी. शंकर

राव, श्री वाई. वी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री बी. वी. एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह

वाघेला, श्री शंकर सिंह

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए. के. एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शशिकुमार, श्री

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी. एस.

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीनिवासन, श्री सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन. टी.

सईद, श्री पी. एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई. जी.

सर, श्री निखिलानन्द

सरकार, डा. बिक्रम

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्री तूफानी

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के. ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह राजकुमारी रत्ना

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्र विजय

सिंह, श्री चन्द्रनाथ

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के. पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री यशवन्त

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.

सुब्बा, श्री एम. के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 355

विपक्ष में शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जिस विधेयक पर अब विचार किया जाएगा उस विधेयक पर मतदान का संभावित समय क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : सायं 7.00 बजे होगा।

---

*पक्ष में : 355+8 (सर्वश्री जे. एस. बराड़, राम सिंह कस्वां, मधुसूदन मिस्त्री, भेरूलाल मीणा, कैलाश मेघवाल, बसनगौडा रामनगौड पाटिल, सी. पी. राधाकृष्णन, श्रीमती वसुन्धरा राजे ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की) = 363

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, लगभग सायं 7.30 बजे का समय रखा जाए।

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, उस समय माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं रह पायेंगे क्योंकि वे भारत आने वाले थाइलैण्ड के प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन कर रहे हैं।

तथापि सायं 7.00 बजे का समय ठीक रहेगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस विधेयक पर कितनी बहस करना चाहते हैं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, यह संविधान संशोधन विधेयक है और इसका समर्थन प्रत्येक संसद सदस्य करेगा। आप इसके लिए अधिक समय दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अतः इस विधेयक पर मतदान सायं 7.00 बजे होगा।

अपराह्न 4.15 बजे

[हिन्दी]

संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 21क का अंतःस्थापन, अनुच्छेद 45 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन तथा अनुच्छेद 51क का संशोधन)

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

> 'कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।'

अभी–अभी सदन ने संविधान संशोधन का एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है। वैसा ही एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक मैं आज प्रस्तावित करने के लिए सदन के सामने उपस्थित हूं। यह एक ऐतिहासिक विधेयक है और इसके पारित हो जाने से भारत की चतुर्मुखी प्रगति के लिए रास्ते खुलेंगे, सामाजिक न्याय और भारत के प्रत्येक बालक और बालिका को सुशिक्षित होने का सुअवसर मिलेगा। आज भारत विश्व के सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाले देशों में अकेला देश बचा है जिसमें यह व्यवस्था हम लागू नहीं कर पाए। हाल ही में हमारे पड़ोसी बंगलादेश ने भी ऐसी व्यवस्था अपने यहां कानूनी तौर पर स्थापित कर दी है।

दुनिया के जितने भी बालक–बालिकाएं अशिक्षित हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या भारत में है। इस देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के लगभग 21 करोड़ बालक–बालिकाएं इस देश में हैं और जिनमें से 20 प्रतिशत बालक और बालिकाएं इस शिक्षा व्यवस्था के दायरे के बाहर हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है। यह हमारे देश के लिए एक ऐसा अभिशाप है जिससे हमें जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहिए। पिछले दशक में 1991 से 2001 तक शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की है। आज हमारी साक्षरता दर लगभग 66 प्रतिशत हो गयी है और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि पिछले तीन–चार वर्षों में जिस रफ्तार से हम आगे बढ़े हैं वह रफ्तार जारी रही तो हम बहुत शीघ्र ही जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उससे पहले ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

भारत की स्थिति आज जो है वह हमेशा नहीं थी। मैं पुराने इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं जब भारत के विश्वविद्यालय दुनिया में प्रसिद्ध थे और दुनिया से तमाम लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वे सारी बातें सदन को और देश को मालूम हैं। लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में जो शिक्षा की स्थिति थी वह अंग्रेजों के 50–60 साल के शासन में ही बहुत अधिक बिगड़ गयी थी। हमारी शिक्षा और विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीनता का उस जमाने में बहुत बड़ा कारण अंग्रेजी शासन था। महात्मा गांधी जी ने बहुत जोरदार शब्दों में सन् 1931 की गोल मेज कांफ्रेंस में एक बात कही थी, जो बहुत महत्त्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

> "हमारे सामने भावी राज्य अर्थात भारत की शिक्षा का सवाल है। मैं अपने आंकड़ों को चुनौती दिए जाने से डरे बिना कहता हूं भारत मे आज अशिक्षा का आंकड़ा पिछले 50 या 100 वर्षों से अधिक है, और यही स्थिति बर्मा की भी है क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन जब भारत आए तो उन्होंने विद्यमान स्थिति पर अपना नियंत्रण बनाने के बजाय उन्हें उखाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जड़ें खोद कर उन्हें कमजोर कर दिया और एक समृद्ध व्यवस्था नष्ट हो गई, ब्रिटिश प्रशासकों को गांव के स्कूल अच्छे

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

नहीं लगे। अतः वे अपना कार्यक्रम लाए। प्रत्येक विद्यालय के संबंध में उन्होंने मानदंड निर्धारित किए कि कहां कितने उपकरण, कितने भवन आदि होने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई विद्यालय नहीं था। ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा छोड़े गये आंकड़ों से ज्ञात होता है कि जहां भी उन्होंने सर्वेक्षण किया, वहीं प्राचीन विद्यालयों को नजरअंदाज किया जा रहा था क्योंकि इन विद्यालयों की कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी और यूरोपीय पद्धति पर स्थापित विद्यालय लोगों के लिए बहुत अधिक महंगे पड़ते थे, अतः वे शिक्षा की स्थिति को पहले जैसे स्तर पर नहीं ला सके।"

[हिन्दी]

यह उन्होंने उस समय की परिस्थिति के बारे में वर्णन किया। मेरे पास वह रिपोर्ट है जो एडम्स की रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, जो एक पादरी थे और बाद में जो जर्नलिस्ट हो गये थे। उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण बात कही है

[अनुवाद]

"इसका मतलब यह हुआ कि बंगाल और बिहार में इस प्रकार के एक लाख विद्यालय हैं और यह अनुमान लगाते हुए कि इन दोनों प्रान्तों की जनसंख्या चार करोड़ है प्रत्येक 400 व्यक्ति पर एक ग्रामीण विद्यालय होना चाहिए।"

[हिन्दी]

यह हालत हमारे देश में अंग्रेजों के आने से ठीक पहले थी। आगे चलकर उन्होंने जो मानदंड बनाये थे, उसके आधार पर वे कहते हैं कि

[अनुवाद]

"उपर्युक्त 400 व्यक्तियों का 11/30वां भाग और 11/30वें भाग के 3/7वें भाग को देखा जाए तो बंगाल और बिहार में, विद्यालय जाने लायक उम्र के 63 बच्चों पर एक ग्रामीण विद्यालय है।"

[हिन्दी]

यह परिस्थिति हमारे देश की थी। मैं इस संबंध में और अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। डॉ. धर्मपाल जी ने 'दी ब्युटिफुल ट्री' पुस्तक में तमाम चीजों को संकलित किया है जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं। यह पुस्तक हमारे देश के शिक्षाशास्त्रियों के लिये पठनीय और मननीय है क्योंकि इससे पता चलता है कि उस समय हमारे देश के स्कूलों की क्या दशा थी। गांवों और कस्बों में क्या व्यवस्था थी, पंचायतें किस प्रकार स्कूलों का प्रबंध कर रही थीं और गांवों तथा कस्बों में विशेषज्ञों का निर्माण किस प्रकार से हो रहा था। इस रिपोर्ट को देखने से यह भी पता चलेगा कि बंगाल, बिहार, मद्रास प्रेजीडेंसी, बम्बई प्रेजीडेंसी, पंजाब में शिक्षा की स्थिति अंग्रेजों के ठीक आने के पहले अच्छी थी। लेकिन यह बात में बिगड़ी। उसका कारण यह था कि शिक्षा का जो तौर–तरीका अपनाया गया, वह बहुत महंगा था और इस देश की व्यवस्था, परम्परा, संस्कृति और आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता था। इसका नतीजा यह हुआ कि जब अंग्रेज यहां से गये तब हमारी शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी।

अध्यक्ष महोदय, महिला शिक्षा की स्थिति तो और भी खराब थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बारे में विचार किया और संविधान के अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था की कि राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करेगा और 10 वर्ष के अंदर कर देगा। अगर आप देखें तो ज्ञात होगा कि 1951–52 के बाद 1961–62 तक यह पूरा हो जाना चाहिये था लेकिन आज हम 2001 तक आ गये हैं। अभी तक इस तरफ सभी प्रयत्नों के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाये या हमने इसकी उपेक्षा की और विकास के अन्य मानदंडों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। शिक्षा को महत्त्वपूर्ण न समझकर इसकी उपेक्षा की गई। मैं उन तमाम कारणों में नहीं जाना चाहता कि किस कारण से यह स्थिति आई लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये जिस अनुदान की व्यवस्था की गई थी, उससे अधिक आज तक कोई सरकार ने प्लान आउटले में हिस्सा नहीं दे पाई है। मेरे ख्याल से यह 7.9 प्रतिशत ऐलोकेशन किया गया था लेकिन आज हम 4 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह ठीक है कि तब मात्रा 100 करोड़ लगती थी और आज 20–40 हजार करोड़ रुपया दिखाई देता है लेकिन अर्थ–व्यवस्था के विस्तार के साथ–साथ जितनी धनराशि की आवश्यकता थी, वह नहीं दी गई है या नहीं दी जा सकी है। मैं उस कारण में नहीं जाना चाहता। आज सारा देश और सदन इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत में शिक्षा की अनिवार्यता और निःशुल्क व्यवस्था की आवश्यकता है। इसे यथाशीघ्र किया जाना चाहिये। हमें इस बारे में ध्यान देना होगा कि अभी भी करीब–करीब 50 साल के कार्यकाल में हम वह नहीं कर पाये हैं जो हमें

10 साल में करना था। ऐसा नहीं है कि शिक्षा के बारे में अनिवार्यता और निःशुल्कता के बारे में पहली बार विचार किया गया हो। सच तो यह है कि आजादी की लड़ाई के जमाने में हमारे तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने, चाहे वह गोपाल कृष्ण गोखले रहे हों, महात्मा गांधी रहे हों या महर्षि अरविन्द या डा. जाकिर हुसैन रहे हों, उन सब ने शिक्षा की अनिवार्यता और निःशुल्कता के लिये बल दिया। महात्मा गांधी ने मराठी दैनिक "आत्मोद्धार" में यह लिखा था

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय शिक्षा की पांचवीं आवश्यकता उसका निःशुल्क होना है।"

[हिन्दी]

फिर उन्होंने आगे चलकर कहा :

[अनुवाद]

"अन्ततः शिक्षा के नियोजन और कार्यान्वयन पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। इस नियंत्रण में शिक्षा भी सम्मिलित है। तभी लोगों के मन में उनके बच्चों को दी जा रही शिक्षा के प्रति विश्वास बनेगा और वे इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे।"

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि शिक्षा का सामाजिक तौर से प्रबंध किया जाये जिसकी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। उस पर तब ध्यान दिलाया था कि जब तक समाज की सहमति और सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक लोगों को अपने बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। शायद स्व. गोपाल कृष्ण गोखले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1911 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में 16 मार्च को एक विधेयक पर बोलते हुए एक महत्त्वपूर्ण बात कही थी।

[अनुवाद]

"महोदय, अमेरिका के एक विधायक ने लगभग अर्धशती से भी पहले अपने देश के लोगों को सम्बोधित करते हुए एक बार कहा था कि यदि मेरे पास किसी देवदूत की तुरही होती जिसे सुनकर सभी देशों के लोग चौकन्ने हो जाते तो मैं उनके कानों के नजदीक जाकर कहता, "अपने बच्चों को शिक्षित करो, अपने सभी बच्चों को शिक्षित करो, अपने प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करो।' इस प्रेरणाप्रद बात के पीछे जो गहरी बुद्धिमत्ता और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता है, अब उसे आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है, और अधिकांश सभ्य देशों में बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है।"

[हिन्दी]

इसलिए यह 1911 से उन्होंने किया। उसके बाद 1916 में यह विधेयक पास नहीं हो सका। फिर श्री विट्ठलभाई पटेल ने मुम्बई में 1916 या 1917 में एक विधेयक इस देश में, मुम्बई क्षेत्र में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करने के लिए पास करा लिया था। इसलिए यह एक ऐसा महत्त्वपूर्ण काम है, जो हमारी आजादी की लड़ाई के जमाने में भी बराबर चलता रहा। श्री गोखले ने इसी भाषण में आगे चलकर कहा था :

"विभिन्न देशों द्वारा अपनायी गयी शिक्षा प्रणाली को देखने पर हम पाते हैं कि जहां अधिकांश देशों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है तथा कुछ देशों में जहां अनिवार्यता के सिद्धांत को सख्ती से लागू नहीं किया गया है अथवा अभी तक शुरू नहीं किया गया है, वहां यह पूर्णतः या अधिकांशतः निःशुल्क है। सिर्फ भारत में यह न तो अनिवार्य है और न ही निःशुल्क; इस तरह, इंगलैंड और आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रिया, हंगरी, इटली, बेल्जियम, नार्वे, स्वीडन, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और जापान में यह अनिवार्य और निःशुल्क है। इन देशों में अनिवार्यता की अवधि सामान्यतया छह वर्ष है यद्यपि कुछ अमरीकी राज्यों में अब यह अवधि नौ वर्ष की है। हालैण्ड में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है पर निःशुल्क नहीं। स्पेन, पुर्तगाल, यूनान, बुल्गारिया सर्विया और रुमानिया में यह निःशुल्क तथा सिद्धांततः अनिवार्य है, यद्यपि अनिवार्यता को सख्ती से लागू नहीं किया जाता। तुर्की में भी यह निःशुल्क और सामान्यतया अनिवार्य है तथा रूस में यद्यपि कि इसे अभी तक अनिवार्य नहीं बनाया गया है पर अधिकांशतः निःशुल्क है।"

[हिन्दी]

उनका तब से इस बारे में बड़ा आग्रह था। दुनिया के देशों से तब भारत की तुलना की जा रही थी कि अन्य देशों की तुलना में भारत की क्या स्थिति है और हम शिक्षा के मामले में कितने पीछे हैं। डा. जाकिर हुसैन ने 1941 में बेसिक एजुकेशन कांफ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा था :

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

[अनुवाद]

"मैं समझता हूं बुनियादी शिक्षा एक ऐसा कार्य है जिसका भारवहन और संचालन राष्ट्र को करना चाहिए। यह कार्य इतना जटिल और व्यापक है कि निजी प्रयास से इसको संचालित तथा नियंत्रित नहीं किया जा सकता।"

[हिन्दी]

इस तरह ऋषि अरविन्द ने ये सब बातें कहीं थीं। उन्होंने अपने लेख में कहा था, जो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के बारे में लिखा था

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की पहली समस्या पढ़ाई के तनाव व पुस्तकों की बुराइयों से परे हटकर यूरोपीयनों की तरह व्यापक तथा अपेक्षाकृत अधिक सम्यक शिक्षा देने का है। ज्ञान के साधनों के अध्ययन तथा स्वाभाविक, सरल और प्रभावी शिक्षा प्रणाली की खोज द्वारा ही इसे संभव बनाया जा सकता है। सरल एवं आसान साधनों के माध्यम से ही मस्तिष्क के तंतुओं को पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। केवल तभी उनसे किसी बौद्धिक प्रतिभा की अपेक्षा की जा सकती है।"

[हिन्दी]

अर्थात उन्होंने आग्रह किया कि इतना बोझ बच्चों पर मत लाद दीजिए कि उनका मस्तिष्क काम न कर सके, बल्कि उनके मस्तिष्क को एक आकर्षक ढंग से, सुविधाजनक ढंग से प्रशिक्षित कीजिए, ट्रेन कीजिए। उसके बाद फिर वह बड़ा काम करने के लिए इनटेलेक्चुअल दृष्टि से सफल होगा। इन सब बातों पर विचार करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समय से यह मांग अभिभावकों की तरफ से, अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से उठती चली आ रही है और हमारे राष्ट्रीय गठबंधन के एजेन्डा में भी है कि हम इस देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। आपको स्मरण होगा कि इस पर काफी विचार करने के बाद पिछली बार 1997 में संसद में एक विधेयक रखा गया था, जिसे स्थाई समिति के पास भेज दिया गया। स्थाई समिति ने उस पर विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने कुछ सुझाव दिये। उन सुझावों को जब हमने देखा तो यह लगा कि उनमें काफी सच्चाई है।

वह सुझाव बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और उनका उपयोग किया जाना चाहिए। वह उस विधेयक को पूरा विधेयक, कारगर विधेयक बनाएंगे और व्यवस्थित बनाएंगे। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस पर विचार हुआ और उन्होंने यह आदेश दिया कि इस विधेयक को ठीक ढंग से दुरुस्त करके सामने रखा जाए। उन्होंने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों को यह काम सौंपा और उसकी बैठकों के पश्चात् विधि मंत्रालय की सलाह के बाद और विधि आयोग की सलाह के बाद हमने अब इस विधेयक को इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। जो विधेयक की व्यवस्था 1945 में हमारे संविधान में थी, वह उनका एक निदेशात्मक सिद्धांत था, वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे। यद्यपि उन्नीकृष्णन जी के मामले में जो निर्णय हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि यह अनुच्छेद यद्यपि निदेशात्मक सिद्धांत है पर यह उतना ही प्रभावी है और होना चाहिए जितना कि कोई मौलिक अधिकार वाला अनुच्छेद हो सकता है। एक तरह से उन्होंने उस बात की स्वीकृति दी कि शिक्षा भी एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 45 को उसी रूप में देखा जाना चाहिए। इसको भी ध्यान में रखते हुए बहुत सी सरकारों ने कुछ अपने यहां कानून बनाए। 18–19 राज्यों ने अपने यहां कानून बनाए हैं, लेकिन क्योंकि शिक्षा समवर्ती विषय है और शिक्षा की व्यवस्था सारे देश में और सारे समाज के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, इसलिए केन्द्र सरकार का दायित्व है कि वह भी इस रूप में उस व्यवस्था को लागू करे और इसलिए इस विधेयक को पास करना और सामने लाना बहुत जरूरी था।

पिछला जो संशोधन था, उसमें एक बात यह कही गई थी कि अनुच्छेद 45 को पूरे तौर पर समाप्त कर दिया जाए और केवल अनुच्छेद 21 में एक दूसरा अनुच्छेद 21अ जोड़कर शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना लिया जाए और अभिभावकों पर भी कुछ दायित्व डाला जाए जो फंडामेन्टल ड्यूटीज में और मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद में डाल दिया जाए। इस पर जब संसदीय समिति ने विचार किया तो उनको लगा और ठीक लगा, मैं भी इससे सहमत हूं कि जो अनुच्छेद 45 है, वह बच्चों को 14 वर्ष तक की अवस्था की शिक्षा का सरकार को निर्देश देता है। उसमें जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को भी शामिल किया गया है और जिस रूप में पिछला विधेयक सामने रखा गया था, उसको मान लिया जाता तो जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे का जो शिक्षा के बारे में, कोई व्यवस्था कोई निर्देश किसी सरकार को, राज्य अथवा केन्द्र को संवैधानिक दृष्टि से उपलब्ध नहीं होता, यह बात मैं समझता हूं कि एक कमी थी उसके अंदर, और जब संसदीय स्थायी समिति ने इस तरफ ध्यान दिलाया तो हम लोगों ने इस पर

गहराई से विचार किया और कहा कि यह बात उठानी है और इसको किसी न किसी रूप में लाने की जरूरत है। हमने अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था की है कि वह 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के पूर्व की व्यवस्था और उनकी देखभाल करे, इसका निर्देश केन्द्र और राज्य सरकारों को देना भी जरूरी है, राज्य और केन्द्रों को, क्योंकि अगर यह व्यवस्था न की गई तो शिक्षा का पूरा महत्त्व हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। मैं इसको थोड़ा साफ करना चाहता हूं।

बालक की केवल शारीरिक तंदुरूस्ती होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि बालक का मस्तिष्क भी ठीक तरह से काम करने वाला होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने इस संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार किए जाने और इसे पारित करने के लिए मात्र दो घंटे का समय आवंटित किया है। आप लगभग आधे घंटे तक बोल चुके हैं। आप जवाब देने के वक्त भी कुछ समय ले सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं अभी पांच–सात मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। यह विधेयक बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसमें माता की अगर चिन्ता नहीं की जाएगी और जिस बच्चे ने जन्म लिया है, उसके स्वास्थ्य की, दवाइयों की चिन्ता नहीं की जाएगी तो वह 6 वर्ष की अवधि तक नहीं पहुंचेगा और पहुंच भी गया तो पढ़ने के नाकाबिल होगा। इसलिए यह विचार किया गया कि अर्ली चाइल्ड केयर का प्रबंध करना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, इस हेतु हमारी अनेक स्कीमें हैं जिनके माध्यम से हम इसे लागू कर रहे हैं। हमारा महिला और बाल विकास का विभाग है। वह इस तरफ पूरा ध्यान दे रहा है। आई.सी.डी.एस. की स्कीम है जो इस चीज को देखती है। अब हमने उसे यूनीवर्सलाइज कर दिया है। उसे सारे देश के लिए उपलब्ध करा दिया है। प्लानिंग कमीशन से निरन्तर बातचीत चल रही है कि कैसे पोषण की स्थिति अच्छी बने, कैसे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से इस बारे में पूरी चर्चा हुई है। इसलिए यह जो शून्य से छह साल तक के बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हैं वे व्यवस्थाएं हम पक्के तौर पर आज भी, जितना और जहां तक भी संभव है, राज्य सराकरों के साथ मिलकर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, शून्य से छह साल तक के बच्चों की संख्या भी हमारे देश में बहुत बड़ी है। 12 से 14 करोड़ के लगभग ऐसे बच्चों की संख्या है। इसलिए यदि उसका प्रबंध हम सरकारों पर डाल देंगे, तो मुश्किल होगा। जब हमने उनसे बात की, तो अधिकांश राज्य सरकारों ने कहा कि हम इस स्थिति में नहीं हैं। इसलिए पहले छह से 14 वर्ष तक के प्रावधान को पूरा कर लें, उसके बाद इस तरफ ध्यान देंगे, लेकिन तब तक हम इसको किसी कीमत पर पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। भले ही इसे हमने मौलिक अधिकारों में नहीं रखा है, लेकिन डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स को भी हम उसी रूप में स्वीकार करते हैं और बराबर उस पर पूरा ध्यान देते जाएंगे और इसके लिए जितना भी आवश्यक होगा वह हम करेंगे। हमने कई योजनाओं को एक साथ मिलाकर इसका पूरा प्रबन्ध कर दिया है। इस दृष्टि से मैं अब समझता हूं कि जो संविधान के अनुच्छेद 45 की भावना थी उसको हमने पूरे तौर पर स्वीकार कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि अगर आपने इस मामले को मौलिक कर्तव्यों के अन्तर्गत माता–पिता के ऊपर दायित्व डाल दिया, तो कहीं उनको दंडित तो नहीं किया जाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि यह सोच ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि आप अन्यथा न लें तो मैं एक मिनट समय लूंगा। यदि मैं इसे अभी बताता हूं तो इससे आपको और सदन को भी इसमें सुधार करने में मदद मिलेगी। अनुच्छेद 45 में कहा गया है

> "राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।"

नए अनुच्छेद में जिसे हम संविधान में समाविष्ट करना चाहते हैं, कहा गया है

> "राज्य, सभी बालकों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख और शिक्षा के लिए प्रयास करेगा।"

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

सरकार ने कहा है कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख के लिए प्रयास करेगा। यह अतिरिक्त रूप से जोड़ा जा रहा है। यह अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। जो शब्द इसमें और जोड़े जाने चाहिए वे हैं "निःशुल्क और अनिवार्य"। आखिरकार यह अध्याय, 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' में समाहित होने जा रहा है। यह राज्य सरकारों के लिए बोझ नहीं बनेगा। दो शब्दों, "निःशुल्क और अनिवार्य" को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। यदि आप इसे उचित समझें तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, जो शून्य से छह साल की अवस्था का परसेंटेज है, इसके ऊपर हमने बहुत शिक्षाविदों से राय ली है। इसको आप कंपलसरी नहीं कर सकते क्योंकि वह ऐसी अवस्था है कि जिसमें तीन-चार साल का बच्चा तो कुछ भी पढ़ने समझने लायक नहीं होता है। दुनियाभर में जिसमें बच्चे फार्मल शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए तैयार किए जाते हैं, तो उसे कंपलसरी करना संभव नहीं है और फिर इसे करने में जो कठिनाई है, मैंने आपको बताई कि राज्य सरकारें तैयार नहीं हैं। आज हम फ्री करने की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी छह से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। उसकी तरफ ध्यान देकर हम उसको पूरा कर रहे हैं। तब तक ये बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे और तीन-चार साल का समय और निकल जाएगा, तब यह कोशिश भी की जाएगी कि इसके लिए भी और व्यवस्थाएं करें। फिर भी हमारी चिन्ता यह है कि शिक्षित होने लायक बच्चे स्वस्थ हों और स्वस्थ व सबल मस्तिष्क के बनें।

अध्यक्ष महोदय, दुनिया के किसी देश में शून्य से छह साल के बच्चों का कंपलशन नहीं है और न ही फ्री है। वे अधिकांश स्थानों पर समाज के सहयोग से, कम्युनिटी के सहयोग से, माता-पिता के सहयोग से और सरकार के सहयोग से चलते हैं। हमारे देश में करीब 10 लाख स्कूल और गांव हैं जिनमें राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को ये व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। अगर सिर्फ लिखने की बात है, तो अलग है। उसमें लिख दें, उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसे हम अभी कर नहीं पाएंगे। आज तक हमने लिख रखा था फ्री और कंपलसरी शिक्षा हम 10 वर्ष में पूरी कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। 10 वर्ष क्या 50 वर्ष में भी संभव नहीं हो पाया। इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। वह संभव नहीं है। इसलिए जो संभव है उसे करें, तो बेहतर है। चाहे कोई भी सरकार आए। हमारी सरकार आए या आपकी सरकार। हम पूरी निष्ठा के साथ काम करें। इस बारे में तो पूरा और सबका मतैक्य है कि इस तरफ पूरा ध्यान देना है और इस काम को जल्दी से जल्दी करना है। मैं आपको निश्चित रूप से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बारे में कोई कोताही नहीं होगी और यह शून्य से छह साल तक के बच्चों के लिए जो फ्री एजूकेशन एंड चाइल्ड केयर की व्यवस्था है उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे।

हम जो विदेशी सहायता भी इसमें लेते हैं, उसकी दृष्टि से भी और बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन से भी बातें कर रहे हैं। हम इस देश की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह कर रहे हैं, कारपोरेट हाउसेज से आग्रह कर रहे हैं कि वे इस क्षेत्र में आकर जल्दी से जल्दी मदद करें। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

जो अन्तिम बात इसमें मुझे कहनी है, वह यह है कि इस विधेयक को पारित होने के पश्चात जो हम राज्य और सरकार मिलकर धन की व्यवस्था कर सकते थे, वह भी हमने प्रबन्ध किया था। हमने जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बिठाया था, उसने सब देखकर 89-90 हजार करोड़ रुपये की बात की है, जो हमें आने वाले 10 वर्षों में लगाना है। आज भी हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान है, वह एक गोइंग स्कीम है। यहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, मुझे उनका बहुत आभार प्रकट करना है कि यह एक मात्र स्कीम ऐसी है, जिसको उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि यह चलती रहेगी। आज भले ही पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है, लेकिन अगली योजना में भी यह स्कीम चलती रहेगी। अभी पंचवर्षीय योजना तो बनी नहीं है, लेकिन यह ओन गोइंग स्कीम के रूप में स्वीकार कर ली गई है। इसके लिए 85 प्रतिशत धन केन्द्रीय सरकार दे रही है और 15 प्रतिशत राज्य सरकारें दे रही हैं। अगली बार 75 प्रतिशत हम देंगे और 25 प्रतिशत राज्य सरकारें देंगी। उससे अगली योजना में 50 प्रतिशत हम और 50 प्रतिशत राज्य सरकारें देंगी, जो निरन्तर चलती रहेगी, इसलिए इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धान्त हैं, जिसके अन्दर एक सैटिसफैक्टरी क्वालिटी की व्यवस्था की गई है, उसका भी इन्तजाम हम कर रहे हैं और आज लगभग सभी राज्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस सर्व शिक्षा अभियान के मातहत स्कूलों में क्वालिटी का, गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा और आने वाले वर्षों में फेजेज में वे इस व्यवस्था को लागू करेंगे, इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि इस व्यवस्था को, इस अनुच्छेद में संशोधन को आप सर्वसम्मति से पारित करें

और भारत को एक नोलिज सोसायटी बनाने की तरफ महत्त्वपूर्ण कदम उठाने के लिए मदद करें। आगे आने वाले विश्व में केवल नोलिज सोसायटीज ही प्रतिस्पर्धाएं कर सकेंगी। भारत का रिकार्ड, भारत की परम्पराएं इस मामले में बहुत महान रही हैं और आगे भी अगर हम जल्दी से जल्दी शिक्षित, सुशिक्षित और स्वस्थ बना सकेंगे तो एक समर्थ और सम्पन्न राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने का एक संकल्प लिया है, उसको पूरा करने में मदद करेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें जवाब भी समाविष्ट है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अब और जवाब की आवश्यकता नहीं है।

श्री समीक लाहिड़ी (डायमंड हार्बर) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री का आभारी हूं जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इससे हमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के संबंध में चर्चा करने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के 54 वर्ष बाद हम शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की अब पहल कर रहे हैं।

हमारे संविधान में अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि एक निश्चित अवधि के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी।

अपराह्न 4.44 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए)*

मैं अनुच्छेद 45 से उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। इसमें कहा गया है

> "राज्य, इस संविधन के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।"

किन्तु यदि इस अनुच्छेद के अनुसार अच्छे प्रयास किए गए होते तो निश्चित तौर पर वर्ष 1960 तक यह स्वप्न साकार हो गया होता। किन्तु उस वक्त उसे 1970 तक के लिए, तत्पश्चात् 1980, फिर 1990 और उसके बाद 2000 तक के लिए आस्थगित कर दिया गया। हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री जोशी ने घोषणा कि है कि भारत इस लक्ष्य को 2010 तक प्राप्त कर लेगा।

इस तरह से समय बीतता जा रहा है। यदि हम पीछे देखें तो हमें पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एवं जांच करने के लिए कई समितियां एवं आयोग बने हैं। जहां तक शिक्षा का सवाल है हमारे देश में समितियों और आयोगों की कमी नहीं रही है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए 120 से अधिक समितियों और आयोगों का गठन किया जा चुका है।

यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो डॉ. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित 17 सदस्यीय शिक्षा आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट 29 जून, 1966 को सौंपी। इसमें कहा गया है :

> "भारत का भाग्य का निर्माण अब कक्षाओं तक सीमित रह गया है। हमारा विश्वास है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित विश्व में अब यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं रही। यह शिक्षा ही है जो लोगों की संपन्नता, कल्याण और सुरक्षा के स्तर को निर्धारित करती है।"

परन्तु स्वतंत्रता के 54 वर्ष के बाद भी तथा इस आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के तीन दशकों के बाद भी आज तक इस तथ्य को नहीं समझा जा सका।

अब हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश के सामर्थ्य तथा विश्व में इसके स्थान पर गौर करें। माननीय मंत्री द्वारा यह बताया गया है कि हमारी स्थिति बिलकुल ठीक नहीं है। विश्व शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निरक्षर लोगों का 32.3 प्रतिशत भारत में है और रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि 2004 में विश्व के निरक्षर लोगों का 34 प्रतिशत भारत में होगा।

महोदय, हम जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या का मात्र 16.9 प्रतिशत भारत में है। इसलिए, यह आंकड़ा हमारे देश में शिक्षा और साक्षरता की दयनीय स्थिति को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। जब हमारी स्थिति इतनी खराब है तो यदि हम विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तथा शिक्षा पर होने वाले खर्च पर गौर करें तो वहां की स्थिति बहुत बेकार है बल्कि यूं कहें कि बदतर है।

यदि मैं मानव विकास रिपोर्ट 1997 को उद्धृत करूं—मैं 1997 का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि तब तिरासीवां संविधान (संशोधन) विधेयक स्थायी समिति के चर्चा के अधीन था, जिसका

[श्री समीक लाहिड़ी]

माननीय मंत्री द्वारा बहुत सही उल्लेख किया है–उस समय भारत में शिक्षा पर खर्च कुल व्यय का 11.9 प्रतिशत था, जबकि इसका वैश्विक आंकड़ा 14 प्रतिशत था। यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देशों में यह आंकड़ा 16.99 प्रतिशत था।

अब, यदि हम प्रति विद्यार्थी पर होने वाले सरकारी व्यय को भारत की प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय सकल घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में देखें, तो यह विश्व आंकड़े की तुलना में बहुत कम है। इस संबंध में हम कहां ठहरते हैं? भारत में इसका प्रतिशत केवल 16.3 प्रतिशत है और विश्व का आंकड़ा 23.3 प्रतिशत है।

महोदय, हमारे यहां विश्व के अनपढ़ लोगों का एक बड़ा भाग है। हमारे यहां समय से पूर्व स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। अतः, हमें शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च करना चाहिये। परंतु दुर्भाग्य से, हमारे देश में शिक्षा पर होने वाले व्यय में पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर नौवीं पंचवर्षीय योजना तक कमी आई है। माननीय मंत्री ने भी इसका उल्लेख किया है और प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह आवंटन बहुत अधिक था। यह कुल योजना परिव्यय का 6.79 प्रतिशत था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में यह कम होकर केवल 4.25 प्रतिशत ही रह गया। इससे निरक्षरता काफी बढ़ी, अशिक्षित लोगों की संख्या बढी और बड़ी संख्या में बच्चे समय से पूर्व स्कूल छोड़कर गये और इस प्रकार शिक्षा के मामले में हमारे देश की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बहुत खराब है। ऐसा केवल शिक्षा की उपेक्षा के कारण ही हुआ है।

महोदय, इसी बात के मद्देनजर, जब 83वां संविधान (संशोधन) विधेयक दूसरी सभा में पेश किया गया, तो इसे स्थायी समिति को भेजा गया था। यह हमारे देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने का पहला प्रयास था। यह विधेयक तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार ने पेश किया था। हालांकि इसकी अपनी खामियां थीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश में यह पहला प्रयास था। हालांकि स्थायी समिति ने निर्धारित तिथि के भीतर संसद को अपनी रिपोर्ट दे दी थी, परन्तु संसद में इस पर चर्चा नहीं की जा सकी थी क्योंकि संयुक्त मोर्चा की सरकार गिर गई थी। उसके पश्चात् क्या हुआ? उसके पश्चात् 83वां संविधान (संशोधन) विधेयक कभी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। यह वर्षों से धूल चाट रहा था। इस दौरान हमने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री जोशी के अनेक वक्तव्य देखे हैं। संसद का प्रत्येक सत्र शुरू होने से पहले हम समाचार पत्रों में देखा करते थे कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री राष्ट्र से यह वायदा कर रहे हैं कि थोड़े समय में वह इस विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। परंतु गत वर्षों में इसे पुरःस्थापित नहीं किया गया। परन्तु, अब अंततः, इसे 93वें संविधान (संशोधन) विधेयक के रूप में पुरःस्थापित किया गया है। हालांकि इसके नाम में परिवर्तन के लिए इसमें एक संशोधन परिचालित किया गया है, फिर भी इसे अन्य संशोधनों को रखते समय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

अब इस 93वें संविधान (संशोधन) विधेयक के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के उपरांत मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि यह वर्तमान स्थिति की तुलना में विपरीत दिशा में उठाया गया कदम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? महोदय, जैसा कि श्री शिवराज वि. पाटील ने कहा है 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी, जिसकी संविधान के अनुच्छेद 45 में पहले से ही व्यवस्था है।

महोदय, मैं उच्चतम न्यायालय के प्रख्यात निर्णय, अर्थात् श्री उन्नीकृष्णन निर्णय का उल्लेख करना चाहता हूं जो 1993 में दिया गया था। मैं उद्धृत करता हूं

> "यह ध्यान देने योग्य बात है कि भाग चार के अनेक अनुच्छेदों में से केवल अनुच्छेद 45 में ही समय–सीमा की बात की गई है। किसी अन्य अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था नहीं है।"

क्या इसका कोई महत्व है? क्या यह हमारी स्वतंत्रता के 54 वर्षों के पश्चात् की गई एक छोटी–सी नेक अभिलाषा है?....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री समीक लाहिड़ी : महोदय, मैं जल्दी ही अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। कृपया मुझे थोड़ा सा समय और दीजिये।

अतः, महोदय, इस विशेष निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष तक की आयु के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का मौलिक अधिकर प्रदान किया था। अब, प्रस्तावित 93वें संविधान (संशोधन) विधेयक में 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को हटा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? मैं यह जानना चाहता

हूं कि किस कारण ने सरकार को यह निर्णय करने के लिए प्रेरित किया है।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक प्रस्तुत करते समय यह कहा गया है कि 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों के लिए वे इसे अनिवार्य नहीं बना सकते। परन्तु आप इसे निःशुल्क क्यों नहीं बना सकते। मंत्री महोदय ने यह प्रश्न किया है कि इसके लिए धनराशि कहां से आयेगी? महोदय, आजादी के 54 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी हम अपने संविधान निर्माताओं के स्वप्न को साकार नहीं कर सके हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि दस वर्षों के भीतर यह कार्य कर लिया जायेगा। अब, यदि आप पुनः, यह बात अनुच्छेद 45 पर छोड़ दें, तो इसे कभी भी साकार नहीं किया जा सकेगा। आप 6 वर्ष तक के आयु वर्ग को अलग नहीं कर सकते। यह सपना कभी साकार नहीं होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के 54 वर्षों के उपरांत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के बारे में चर्चा करने का हमें समय अब मिला है। हम नहीं जानते कि कितने वर्षों के उपरांत संविधान के इस विशेष पहलू पर चर्चा करने के लिए हमारे पास दुबारा समय होगा। इसीलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 6 वर्ष तक के आयु वर्ग को न छोड़ा जाये। आरम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप इसे प्राथमिक शिक्षा से अलग नहीं कर सकते। यह अनिवार्य शिक्षा का अभिन्न अंग है और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से हर जगह सभी ने इस अवधारणा का बड़े उत्साह से स्वागत किया है।

आप काफी समय तक अध्यापन कार्य से जुड़े रहे हैं। आपको वह अनुभव है। यहां तक कि हमने वर्ष 1992 में हुए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किये हैं। वहां भी यह कहा गया है कि आरम्भिक बाल अवस्था में बच्चे की शिक्षा का जिम्मा सरकार पर होना चाहिये। फिर, आप इस 6 वर्ष तक के आयु वर्ग को बाहर क्यों रख रहे हैं? मेरे मस्तिष्क में कुछ संदेह पनप रहा है। इस 6 वर्ष तक के आयु वर्ग को क्यों छोड़ दिया गया? क्या मैं यहां एक बात का उल्लेख करूं? 16,000 स्कूलों का संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों के रूप में किया जा रहा है। क्या आप उन स्कूलों को राज्य के क्षेत्र और सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? इसलिए इस आयु वर्ग को बाहर रखा गया है। माननीय मंत्री को कुछ वैज्ञानिक और वास्तविक स्पष्टीकरण देना चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री समीक लाहिड़ी : मैं भाषण खत्म कर रहा हूं। परन्तु यह बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इतने वर्षों के उपरांत हमें इस मौलिक अधिकार पर चर्चा करने का कुछ समय मिला है। अतः, कृपया मेरे बोलने के अधिकार पर अंकुश मत लगाइए....*(व्यवधान)* महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस विधेयक का वित्तीय पहलू है। यदि हम इसे मौलिक अधिकार बना दें, तो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि चाहिये। एक समिति का गठन किया गया था। प्रो. तपस मजूमदार समिति ने संकेत दिया था कि कुल 1,36,92,200 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। आप पहले ही बता चुके हैं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में यह भागीदारी 15 : 85 के अनुपात में होगी। अगली पंचवर्षीय योजना में, यह अनुपात 25 : 75 का होगा और उससे अगली योजना में यह 50 : 50 के अनुपात में होगा और उसके पश्चात् यही स्थिति जारी रहेगी। परंतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के पूरे होने में कुछ ही महीने बचे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह 75 : 25 के अनुपात से शुरू होगा। आपको इस पर विचार करना है। धनराशि की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। यह पहलू अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से है। श्री कोठारी ने यह बात कही है और यहां तक कि इस विशेष विधेयक को प्रस्तुत करते समय भी आपने अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के विशेष महत्त्व के बारे में बोला। यदि मैं प्रो. अमर्त्य सेन और जॉन ड्रेज का उल्लेख करूं, तो उनके शोध पत्रों में कहा गया है कि यदि आप पांच पैसे प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद के रूप में आपको 25 पैसे प्राप्त होंगे। यहां तक कि उसमें वित्तीय पहलू भी है। अतः, आप इतनी धनराशि की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? यह एक सामाजिक निवेश है। परंतु दुर्भाग्य से, यदि इस सरकार के पिछले तीन वर्षों के बजट पर नजर डालें, तो प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर किया गया आवंटन कम हुआ है। मैं उद्धृत कर सकता हूं परंतु मैं सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता; इसलिए, मैं इन आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु यह सत्य है। जबकि आज आपको और अधिक से अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता हैं और आप शिक्षा के लिए अपने बजट में भारी कटौती किए जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री महोदय या वित्त मंत्री आपको पर्याप्त धनराशि नहीं दे रहे हैं, परंतु यह समस्या आपकी सरकार की है और आपको इसकी व्यवस्था करनी है। आप किसी वैकल्पिक व्यवस्था का सहारा क्यों नहीं लेते? आप औद्योगिक घरानों को इतनी अधिक रियायतें दे रहे हैं। आप इन औद्योगिक घरानों पर शिक्षा उपकर क्यों नहीं लगाते और इस तरह कुछ धनराशि एकत्रित क्यों नहीं करते ताकि इसका लक्ष्य पूरा किया

[श्री समीक लाहिड़ी]

जा सके? इसी तरीके से आपने सड़क के लिए कुछ धनराशि एकत्रित करना शुरू किया है। अतः, जहां तक शिक्षा का संबंध है, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसका अत्यधिक महत्त्व है।

यह अंतिम बात है परंतु यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस विधेयक के अंतिम खंड में अत्यधिक महत्त्वपर्ण पहलुओं में से एक में यह कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 51(क) में, खंड (त्र), के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाये, "शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए अभिभावक या संरक्षक कौन है।" यह किसकी जिम्मेदारी है? यह अवसर प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है या संरक्षक की?

अपराह्न 5.00 बजे

यहां आपने बताया है कि कोई व्यक्ति जो अभिभावक अथवा संरक्षक है, उसे शिक्षा का अवसर प्रदान करना होगा। यह राज्य का कर्त्तव्य है। यदि आप इसे मूल अधिकार बना दें, तो बच्चे को शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्त्तव्य होगा। यह अभिभावकों अथवा संरक्षकों का कर्त्तव्य नहीं है। आप कह सकते हैं कि अभिभावकों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे बच्चों को स्कूल में जाने अथवा शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें परंतु आप उन पर यह जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। अभिभावकों और संरक्षकों के कंधों पर बोझ डालकर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते अथवा आप अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। यह एक अन्य मुख्य प्रश्न है, जहां सरकार अपने कर्त्तव्य निर्वहन से बचने का प्रयास कर रही है। ये मुख्य कमियां हैं। मैं माननीय मंत्री और सम्माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि इस कमी पर विचार किया जाये।

यह एक महत्त्वपूर्ण विधेयक है। इतने वर्षों के पश्चात् हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं। अतः, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर उदारतापूर्वक विचार करें। वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन 6.5 करोड़ बच्चों पर विचार करें जो शिक्षा से वंचित हैं और निर्धन परिवारों के बारे में सोचें। हमारे देश में हमारी जनसंख्या का 35 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है। उन्हें उनके बारे में विचार करना चाहिए कि उनका क्या होगा। उन्हें इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। यदि इस सभी खामियों को दूर नहीं किया जाता, तो यह विधेयक उनके हितों के अनुकूल नहीं होगा और वह प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकेंगे।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री निश्चित रूप से इसे समझेंगे और इन प्रश्नों को विधेयक में शामिल करेंगे तथा इस विधेयक की खामियों को दूर करके इसे और अधिक व्यापक विधेयक बनाएंगे।

इन शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : सभापति जी, संविधान के 93वें संशोधन विधेयक–2001 पर बोलने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, जीवन के प्रारम्भिक काल से शिक्षा हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करती है और शिक्षा से लोग स्वावलम्बी और पुरुषार्थी बनते हैं। आज अनेक प्रयत्नों के फलस्वरूप ही भारत ने प्रारम्भिक शिक्षा में स्कूलों की, छात्रों की, अध्यापकों की बहुत अधिक संख्या बढ़ाई है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। इसी कमी को पूरा करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने यह संविधान संशोधन विधेयक लाने का कष्ट किया है और वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। यह सरकार और इसके मानव संसाधन मंत्री माननीय जोशी जी जो खुद शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं उन्होंने देश मे शिक्षा की दुर्दशा को पीड़ा और वेदना के साथ देखा है। हमारे पूर्व–वक्ता माननीय समीक लाहिड़ी जी ने अभी जो बातें कही हैं उनको दोहराने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। लेकिन देश की स्वतंत्रता के पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा की जिम्मेदारी जिन पर थी उन्होंने पूरी नहीं की। मैं दलगत आरोप लगाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन यह एक वास्तविकता है। माननीय लाहिड़ी जी, जिस सरकार को आपकी पार्टी समर्थन देती रही, उसने पूर्व में यह कभी नहीं कहा कि अनिवार्य शिक्षा का विधेयक लाना चाहिए और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। माननीय लाहिड़ी जी, आप जिस प्रदेश से आते हैं उसमें आपकी सरकार है और आप अपने प्रदेश में इस बात के लिए अगुवाई किये होते और इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था किये होते तो आज आपने जो भाषण किया वह अनुकरणीय होता।

'पर उपदेश कुशल बहुतेरे'–वह वहां कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आप यहां आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। अच्छे काम के लिए यह विधेयक आया है। माननीय जोशी ने उस अच्छे काम की शुरूआत की है। उनको धन्यवाद देना चाहिए

और बहुत–बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि उन्होंने इसमें पहल की है।

मैं 1950–51 में स्कूलों की संख्या के बारे में बताना चाहता हूं ताकि यह बात रिकार्ड में आ जाए। 1950–51 में स्कूलों की संख्या 2 लाख 31 हजार थी। जो लगातार बढ़ती गई। आज यह संख्या चार गुना बढ़ कर 1998–99 में 9 लाख 30 हजार पहुंच गई। प्राथमिक शिक्षा चक्र में नामांकन में छः गुना वृद्धि हुई है। नामांकन 1.9 करोड़ से बढ़ कर 11 करोड़ पहुंच चुका है। प्राथमिक स्तर के नामांकन में इतना एडिशन हुआ यानी 13 गुना की वृद्धि हुई है। लड़कियों के नामांकन में 32 गुना की रिकार्ड वृद्धि हुई है। यह एक उल्लेखनीय बात है। अभी भी देश में लगभग एक लाख ऐसी बस्तियां हैं जहां एक किलोमीटर की दूरी के भीतर स्कूली सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपने इस दिशा में बहुत अधिक प्रयास किया लेकिन आज भी जो कमियां हैं, वह हमें चुनौती दे रही हैं। उस चुनौती को यह सदन स्वीकार करे। आपने सर्व शिक्षा अभियान चला कर अच्छी योजना चलाई। राज्यों के सहयोग से एक समयबद्ध विकृत पद्धति के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा से सर्व सुलभीकरण का लक्ष्य पूर्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास किया। विभाग और आप इसके लिए धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। आपके विभाग ने जिस तरीके से काम प्रारम्भ किया और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए जो प्रयास किया, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो लक्ष्य रखा कि 2003 तक सभी बच्चे स्कूली शिक्षा वैकल्पिक स्कूलों अथवा वापस स्कूल चलो शिविरों में होंगे, वह एक स्वागतयोग्य कदम है। सभी बच्चे 2007 तक पांच वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेंगे। सभी बच्चे 2010 तक आठ वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेंगे। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना आपके विभाग की तरफ से प्रारम्भ हुआ है। वह फलदायी साबित हो रहा है, मैं इसके लिए सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं और सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं।

मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि भवन निर्माण की बहुत आवश्यकता है। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देने के लिए भवनों की आवश्यकता बहुत अधिक है। बहुत से टूटे–फूटे भवन पूरे देश और उत्तर प्रदेश में भी हैं। मैं चाहूंगा कि इसके लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाए जिससे स्कूलों का निर्माण हो सके। केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के बीच में 75 और 25 का जो आधार है उसे भी देखा जाए। अगर कोई राज्य सरकार कमजोर है जैसे बिहार सरकार है। ....*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उत्तर प्रदेश की सरकार है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से भी कमजोर है। अगर मैं कहूं कि आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार से कमजोर बिहार सरकार है....*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आसन की बिना अनुमति से रघुवंश बाबू ने बोला है इसलिए उस पर कोई ध्यान न दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री शंकर जायसवाल : 75 और 25 का जो रेशो है ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपस में टोका–टाकी मत कीजिए। आप अपना भाषण प्रारम्भ करिए।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : मैं बुद्धिमान का उत्तर दे सकता हूं लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर है। इसलिये केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि 75–25 परसेंट का रेशो कम करे लेकिन हमारे साथी ने जो कुछ कहा, वह अलग बात है, इस पर मैं नहीं जाता।

कुंवर अखिलेश सिंह : इसमें उत्तर प्रदेश को जोड़िये।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : माननीय सभापति महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में देश ने शानदार प्रगति की है। 6–14 वर्ष आयु वर्ग के 20 करोड़ बच्चों में से 4.2 करोड़ बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। इस बात को सरकार ने स्वीकार किया है कि बड़ी संख्या में बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित हैं। अभी तक देश में एक लाख बस्तियां ऐसी हैं जिनको एक किलोमीटर तक के स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे मालूम होता है कि प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने में कितने बच्चे पिछड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आज भी दिनभर बच्चे कूड़े के ढेर में से सामान एकत्रित करते हैं जिसे वे बेचकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो ईंट भट्टे पर काम करते हैं और भीख मांगकर अपना भरण–पोषण करते हैं। 6–14 वर्ष के गरीब बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जाये, इस पर शिक्षा विभाग ने विस्तृत विचार किया है। मैं चाहूंगा कि इन बच्चों के लिये भी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये जिससे वे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो काम किया है, अच्छा किया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसे राज्यों में सहयोग और समयबद्ध एकीकृत पद्धति के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा सर्व सुलभीकरण शिक्षा का लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में ऐतिहासिक प्रयास है। आपके प्रयास की जितनी प्रशंसा की जाये, उतनी कम है। मंत्री जी ने प्रारम्भिक शिक्षा को और पुष्ट करने के लिये पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया है। इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन...

सभापति महोदय : सरकार की तरफ से जवाब आयेगा, आप अपनी बात कहिये।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : सभापति महोदय, मध्याह्न भोजन की योजना एम.डी.एम. के नाम से विख्यात है जिसे 15 अगस्त, 1995 से शुरू किया गया था। इसी योजना के कारण 1–5 कक्षा के बच्चों का प्रवेश बढ़ा और इससे बच्चों का कक्षाओं में टिकाव बढ़ा। बच्चों को स्कूल जाने की आदत हुई। इस योजना के अंतर्गत जो खर्च किया गया, वह प्रारम्भिक शिक्षा पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। 1995 में 3.34 करोड़ बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया। 1996–97 में 5.57 करोड़, 1997–98 में 9.10 करोड़, 1998–99 में 9.79 करोड़, 1999–00 में 9.90 करोड़ और 2000–01 में 10.50 करोड़ बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई। मेरा सुझाव है कि इसमें और बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जहां तक बच्चों के लिये खाद्यान्न मात्रा का सवाल है, यह पर्याप्त है। जिन राज्यों ने उठाया है, वह पर्याप्त मात्रा में उठाया है लेकिन बहुत से राज्य ऐसे हैं जो दोपहर के भोजन के स्थान पर अनाज का वितरण कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि उन लोगों को भोजन मिल सके। आप चाहते हैं कि मैं थोड़े समय में समाप्त कर दूं, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि छात्रदेवों भव: की मानसिकता लेकर काम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उन प्राइवेट विद्यालयों में पब्लिक स्कूलों द्वारा जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है और जिस तरीके से धन उपार्जन के लिए वहां शिक्षा को व्यवसाय बनाकर शिक्षा दी जा रही है, बड़े शहरों में बहुत सारे पब्लिक स्कूल खुले हैं। उनमें एक प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, फीस में समानता होनी चाहिए। वहां दो सौ, तीन सौ रुपये फार्म के ले लेते हैं और हजारों रुपये एडमीशन के लेते हैं। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपके माता, पिता को अंग्रेजी आती है या नहीं, यदि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती तो एडमीशन नहीं होगा। एक तरफ हमारे स्कूलय हैं, जहां हम टाट और पट्टी भी नहीं दे पाते हैं, ब्लैकबोर्ड की व्यवस्था भी नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से समाज के अंदर जो असमानता है, इस असमानता को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने 36000 राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं। उन्होंने पाठशालाएं तो खोल दी हैं, लेकिन उनमें एक–एक अध्यापक रख दिया है। वह अध्यापक आठवीं पास हैं, यह उसकी योग्यता है। आठवीं पास लोगों को वहां नियुक्त कर दिया है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : जो स्वयं शिक्षित नहीं है, वह क्या शिक्षा देगा। यहां जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका समर्थन करते हुए अंत में एक बात और कहना चाहता हूं।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

*(व्यवधान)**

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। यह बहुत अच्छी बात है कि माननीय मंत्री जी को यह ख्याल आ गया कि हिन्दुस्तान के सौ करोड़ के लोकतंत्र को अब डंडे से नही हांका जा सकता। व्यवस्थाएं बन रही हैं एक क्रांतिकारी इनैक्टमैन्ट हिन्दुस्तान को एक नये युग के दहाने पर ले जा रहा है, इसमें व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करने का सकल्प समाया हुआ है। लेकिन इसे आने में इतनी देर लगी। शिक्षा के करीकुलम की जांच करने में और शिक्षा का भगवाकरण करने में सरकार इतना गौर कर रही थी। सरकार ने अब तक दूसरे गैर जरूरी मुद्दे, जो शिक्षा से जुड़े हुए थे, पर इतना ध्यान दिया। यह संविधान संशोधन जो कि एक

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बहुत ही महत्त्वपूर्ण संशोधन है, वाकई में आने में बहुत देर लगी है। जब मुल्क आजाद हुआ था तब संविधान के नीति निर्माताओं ने यह प्रावधान किया था कि यूनिवर्सल एलीमेन्ट्री एजुकेशन दस साल के अंदर दी जायेगी। लेकिन आज 54 साल हो गये। इन 54 वर्षों का लेखा–जोखा आप जानते हैं, इस बीच कितना दुख गरीब और असहाय जनता ने पाया है। हिन्दुस्तान की तकदीर कहां से कहां तक पहुंच गई है। आज 54 वर्षों के बाद आप जागे हैं। आपको इसके लिए बधाई देने को दिल तो करता है लेकिन बहुत कुछ याद भी आता है, जिससे सीना भारी है। आज हालत यह है कि हिन्दुस्तान की जो रूपरेखा बन गई है एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पूंजी का पजेशन और टैक्नोलोजी का पजेशन इतनी विसंगतियां पैदा हो गई हैं। आदमी, आदमी के शोषण का शिकार हुआ है, ऐसी व्यवस्था बन गई है। अपेक्षित आर्थिक विकास नहीं हो सका।

आज हालत यह है कि मैकिन्से बिजनेस कंपनी के एडवाइजर साहब आकर बताते है कि अगर आपने हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास की दर 10 प्रतिशत नहीं पहुंचाई तो हिन्दुस्तान को वर्तमान स्वरूप में साबुत नहीं रख पाएंगे। आखिर 54 सालों में जो लापरवाहियां हुई हैं, जो उपेक्षा बरती गई है शिक्षा के प्रति, उसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है, इस पर गंभीरता से गौर करने की जरूरत है।

आज भी हमारे मुल्क में खेती पर निर्भरता 80 प्रतिशत है। आदमी जानता नहीं कि उसे कैसे जिन्दगी जीनी है। आज भी 80 प्रतिशत आदमी खेती पर निर्भर हैं और उनमें भी आधे से ज्यादा अशिक्षित हैं। मजदूर अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते, यह नहीं जानते कि उसका कल क्या था, और भविष्य क्या होगा।

माननीय सभापति महोदय, इतने वर्षों में शिक्षा की कमी से जो व्यवस्था बनाई गई है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि किस तरीके से इस कुव्यवस्था के कारण देहातों में जो पूंजी पैदा हुई, वह शहरों की ओर भाग रही है जो टेलेन्ट पैदा हुआ वह शहरों की ओर भाग रहा है। हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत आबादी जो खेतों–खलिहानों में रहती है, शिक्षा से वंचित रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को लाने में वाकई बहुत देर हुई। कितनी कमेटियां बनाई गईं, कितने जांच आयोग बैठे। मेरे पास लिखा हुआ है, राधाकृष्णन कमीशन 1948–49 में, मुदलियार कमीशन 1952 में आया, कोठारी कमीशन 1964–66 में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में, राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट 1990 में, बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, जिसकी भारत ने 1992 में पुष्टि की, उन्नीकृष्णन जी का जजमेंट आया 1994 में, सैकिया कमेटी की रिपोर्ट 1997 में आई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्टैन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट 1996 में आई, एजुकेशन मिनिस्टर्स का रेजोल्यूशन 1998 में आया। 'नेशनल कमेटी रिपोर्ट ऑन मिशन मोड' 1999 में आई, डाकार डिक्लेयरेशन 2000 में हुआ। कहां प्रयास किया गया? जिस मुल्क के अंदर संविधान ने कह दिया था कि हर आदमी को मुफ्त और कंपलसरी शिक्षा, एलीमेंट्री एजुकेशन की व्यवस्था 10 साल के अंदर की जाएगी, उसी मुल्क के अंदर समाज का संविधान भी हजारों सालों से कहता रहा है कि शूद्रों को शिक्षा का हक नहीं है, क्या इस बात की छाया पड़ गई? हिन्दुस्तान की तकदीर इतने सालों में अपना लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त कर सकी, हिन्दुस्तान की जनता और लोकतंत्र जिस मंजिल पर पहुंचना चाहता था वहां क्यों नहीं पहुंचा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को गौर करना है।

आज इतनी असुरक्षा और अन्याय केवल अशिक्षा के कारण ही हो रहा है। आज हिन्दुस्तान विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमने देखा है कि जो आदमी चोट खाया हुआ है, अन्याय का शिकार हुआ है, असुरक्षा का शिकार है, उससे विकास की बात करके देखिये, आपकी शक्ल देखकर वह हंसने लगता है। स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह एकनॉलेजमेंट है कि जो अनपढ़ आदमी है, वह कहता है कि अनपढ़ आदमी जिन्दगी भर कष्ट में रहता है। यह 54 सालों की कहानी है, दो पुश्तें बीत गईं। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, दो पुश्तें पूरी हो गईं। आज हम एक नया कदम रखने जा रहे हैं, जहां नये भविष्य की रूपरेखा हमें रखनी है।

आज शिक्षा की जो स्थिति है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। हालत यह है कि सरकार पर इस बात का दबाव है कि संसाधनों की कमी है। अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्य कई वर्षों से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि यह सरकार इस बिल को सदन में लाए। करीब 162 माननीय सदस्यों ने प्लैज फार्म भरकर दिया था एक्रॉस द पार्टी लाइन्स। यह एक सार्वभौमिक मुद्दा है जिस पर आम सहमति थी। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति है, वह वाकई में बहुत खराब है।

सभापति जी, उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि हजारों

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

स्कूल खाली पड़े हैं। वहां अध्यापक नहीं हैं। मैं उद्देश्य की बात कहना चाहता हूं कि मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी के एक गांव में गया था। दूरदराज का क्षेत्र था। वहां के बुजुर्ग शिक्षा के प्रति बहुत चिन्तित थे। मुझसे उन्होंने कहा तीन साल से विद्यालय बना हुआ है, लेकिन इसमें अध्यापक नहीं आया है। नाराज़ हो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि यहां शिक्षक नहीं आया, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन दरोगा कितने दिन से नहीं आया, तो वे बोले कि दरोगा एक दिन में दो बार आता है। यह स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या वाकई आज हमारी नीति और नीयत है और क्या वाकई हम शिक्षा को गांवों में पहुंचाना चाहते हैं, जैसा हम यहां कह रहे हैं?

सभापति महोदय, जो बिल सामने रखा गया है, उसके बारे में बोलते हुए मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो एनरोलमेंट है, उसमें ड्राप आउट रेट बहुत ज्यादा है। आज हालत यह है कि हिन्दुस्तान के साढ़े 12 करोड़ छात्र–छात्राओं का एनरोलमेंट ही नहीं हो पाता है। 15 करोड़ बच्चे पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते हैं, विशेषकर छात्राओं के मामले में ड्राप आउट रेट बहुत ज्यादा है। यह बहुत चिन्ता का विषय है। आपने जो विधेयक प्रस्तुत किया है इसमें आपने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया है, लेकिन क्या विधेयक का उद्देश्य पूरा हो पाएगा?

सभापति महोदय, शिक्षा विभाग की पार्लियामेंट्री स्टेंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है जिसमें न केवल शिक्षा को मुफ्त करने की बात कही गई है, बल्कि दोपहर का भोजन, किताबें और कपड़े मुफ्त देने का प्रावधान भी होना चाहिए, यह अनुशंसा की गई है। लेकिन आपने विधेयक में ये प्रावधान नहीं किए। इस प्रकार से यह विधेयक अधूरा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में 39 प्रतिशत आदमी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। जो साधन संपन्न लोग हैं उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है। वे एक–एक साल में एक–एक लाख रुपए एक–एक बच्चे पर व्यय कर सकते हैं, लेकिन ग़रीब कहां से व्यय करेगा। गरीबी रेखा के नीचे एक बच्चे के पैदा होने का उसके लिए मतलब है कि दो हाथ कमाने वाले और पैदा हो गए। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो यह विधेयक अधूरा रह जायेगा और जो आपकी मंशा है, वह पूर्ण नहीं हो पाएगी।

सभापति महोदय, शिक्षा से मतलब यह है कि छात्र को मीनिंगफुल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो उसका सर्वांगीण विकास करे, लेकिन इस पर आपने गौर नहीं किया है। आज भी ऐसे विद्यालय हैं जहां पर अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, उनकी दशा बहुत खराब है। सरकारी विद्यालयों का हाल आपसे छिपा नहीं है। दोहरी शिक्षा प्रणाली चलती है। अगर हम अपने देश के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, तो हम सच्चे मायने में संविधान की भावना और इस विधेयक के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज देश की 54 वर्ष की आजादी के बाद देश के गरीब व्यक्ति की शिक्षा की दृष्टि से हालत बहुत खराब है। यदि आप अब भी देश के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य करने संबंधी विधेयक नही लाएंगे, तो आप कभी भी लोगों का भला नहीं कर पाएंगे।

महोदय, सरकार छः वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का विधेयक पास कराना चाहती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वैज्ञानिक तथ्य है कि यदि माता कुपोषण की शिकार है तो बच्चा कभी तन्दुरुस्त पैदा नहीं हो सकता। आज देश में गरीब गर्भवती महिलाएं बड़े पैमाने पर कुपोषण का शिकार हैं। उन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता। गर्भवती महिला की भोजन की कमी के कारण जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके बारे में वैज्ञानिक बताते हैं उन बच्चों को आई. क्यू. लैवल कम होता है। बच्चे कि बौद्धिक क्षमता कम रहती है। ऐसे कौन से कारण हैं जो हिन्दुस्तान में 54 वर्ष की आजादी के बाद आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। क्या कारण हैं कि वे पेट भर भोजन नहीं कर पाती हैं जिसके कारण वे कुपोषण का शिकार बनती हैं और ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जो वजन में कम होते हैं और आम बौद्धिक स्तर से उनका बौद्धिक स्तर नीचा होता है और आगे जाकर वे अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों को आखिर आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। ऐसा कर के आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मात्र राज्य सरकारों के ऊपर इस कार्य को छोड़कर निश्चिन्त नहीं हुआ जा सकता।

आपने राज्यों का हाल देखा है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा उनके पास नहीं है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप विषय से बाहर जा रहे हैं। बिल पर बोलिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : मैंने बताया कि जन्म से लेकर

छः साल तक की उम्र तक का पीरियड बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिछले साल सदन में चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि जो गृहणियां हैं, बच्चों की माताएं हैं, आप उनको इनकम टैक्स में इस बात की रिबेट दे सकते हैं कि वे बेसिक इंस्टीटयूट फॉर्म करती हैं, राष्ट्र की सेवा करती हैं, परिवार की सेवा करती हैं। क्या आप उनको रिबेट दे सकते हैं? आप भिन्न भिन्न योजनाओं के माध्यम से बहुत सा पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन आपका डिलीवरी सिस्टम फेल हो चुका है। आपके सरकारी कर्मचारियों की एकाउंटेबिलीटी के ऊपर सवाल है, सरकार के संकल्प के ऊपर सवाल है।....*(व्यवधान)* इन बातों पर सोचना पड़ेगा कि क्या आप जन्म से छः साल तक की उम्र के बच्चों के शिक्षा एवं विकास के मामले को राज्य सरकारों पर छोड़ सकते हैं? मेरा निवेदन है कि आप विशेष रूप से इस एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाएं।

दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल 14 साल से 18 साल तक की आयु का है। 14 से 18 साल की एज ग्रुप बहुत ही वाइटल है। मैं बताना चाहता हूं कि जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं, उनमें 14 से 18 साल तक की उम्र में ज्यादातर लड़कियां होती हैं। बड़ा दुर्भागपूर्ण तथ्य है कि हम अंतर्राष्ट्रीय सशक्तिकरण महिला वर्ष मना रहे हैं और इसमें अगर 14 से 18 साल की बहनों के हितों की रक्षा भारत सरकार के माध्यम से नहीं कर सके। अगर इस नए विधेयक के अंदर उसका प्रावधान नहीं कर सके तो यकीन मानिए, हम उनके प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए, और भी माननीय सदस्यों को बोलना है। आपने पन्द्रह मिनट ले लिए हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए। रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक हमारे माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। मैं उन्हें सभी के लिए शिक्षा हेतु यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। जब तक हम सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त नहीं करते, तब तक हम गरीबी नहीं हटा सकते हैं। ये दोनों बातें परस्पर संबद्ध हैं। हम महसूस करते हैं कि अनेक पिछड़े राज्यों में शैक्षिक सुविधाओं को समुचित रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया है। ऐसा गरीबी के कारण है। जब तक हम गरीबी नहीं हटाते तब तक हम लोगों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। इसलिए, संविधान के संशोधन तथा नया अनुच्छेद 21 क लाने का उपबंध केन्द्रीय सरकार सहित राज्यों पर भी जिम्मेदारी डालेगा। अब, केन्द्र सरकार सार्वभौमिक शिक्षा का भार उठाना चाहती है। यह शुभ संकेत है तथा सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य नया अनुच्छेद अंतःस्थापित करना तथा अनुच्छेद 51 क को संशोधित करने का है।

ऐसा माता–पिता पर जिम्मेदारी सौंपने की दृष्टि से किया गया है। जैसाकि उन्होंने बताया है कि यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा माता–पिता अथवा अभिभावकों के बीच साझेदारी है। जब तक आप समाज में विशेष रूप से गांवों में यह आंदोलन नहीं चलाएंगे तब तक 6 से 14 वर्ष की आयु में आरंभिक स्तर की सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन है।

जैसाकि अनेक माननीय सदस्यों ने महसूस किया है और यह सच भी है कि अनेक गांवों में बुनियादी सुविधाएं जैसे स्कूली इमारतें तथा अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं। निसंदेह, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब तक भवन नहीं होंगे, आप स्कूल नहीं चला सकते हैं; इसी तरह जब तक अध्यापक नहीं होंगे, आप स्कूल नहीं चला सकते हैं। स्कूलों में अध्यापक नियुक्त करना एक समस्या बनती जा रही है क्योंकि यह एक वित्तीय वचनबद्धता है। इस कठिनाई से उबरने हेतु आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने पिछले तीन या चार वर्षों में दो लाख से अधिक स्वैच्छिक अध्यापक नियुक्त किए हैं।

अपराह्न 5.36 बजे

(श्री श्रीनिवास पाटील *पीठासीन हुए*)

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : वे स्कूल अध्यापकों को वेतन नहीं दे रहे हैं।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्कूल समितियां नियुक्त की हैं। कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनेक स्थानों में कोई स्कूल समितियां नहीं हैं। उन्होंने प्रत्येक गांव में स्कूल समितियां गठित की हैं। ये स्कूल समितियां स्वैच्छिक अध्यापकों की जिम्मेदारी लेगी तथा राज्य सरकार भी कुछ वित्तीय भार उठाएगी। इसलिए यह विचार बहुत अच्छा है। जब तक आप प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करते हैं, आप सार्वभौमिक शिक्षा को वास्तविकता में नहीं बदल सकते हैं।

यहां काफी शिक्षित युवा हैं। अभी उनके पास कोई रोजगार का साधन भी नहीं है। यद्यपि हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ष एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है लेकिन अब तक हम उसे पूरा नहीं कर पाए हैं।....*(व्यवधान)* कृपया मुझे परेशान मत कीजिए। जब आपके सदस्य बोल रहे थे तो मैंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया। मैंने धैर्यपूर्वक आपकी बात सुनी है और आपको भी धैर्य धारण करना चाहिए....*(व्यवधान)* किन्हीं माननीय सदस्यों को कुछ कटु सत्य अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : उन्होंने अपने सफाई कर्मचारियों को भी वेतन नहीं दिया है। उनसे पूछिए कि यह सच है या नहीं। पिछले दो वर्षों से अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया है। वे क्या बात करते हैं? इस पर आपत्ति की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मैंने उन्हें मामले में हस्तक्षेप करने को नहीं कहा है।

जब तक आप प्रत्यंक गांव में इस विचार पर अमल नहीं करते, तो आप किस तरह बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। आपके पास अध्यापक होने चाहिए, भवन होने चाहिए और आपके पास इच्छा भी होनी चाहिए। कम से कम कुछ राज्यों सरकारों में लोगों को शिक्षित करने की इच्छा तो है। इसमें कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं लेकिन हमारा राष्ट्र एक गरीब राष्ट्र है। हम रातोंरात सब कुछ प्रदान नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने की हमारी इच्छाशक्ति होनी चाहिए। इसलिए, सबसे पहले इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। इस कारण से मैं इस संविधान (संशोधन) विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं यद्यपि, यह विधेयक विलंब से लाया गया है। यह विधेयक 1997 या 1998 में ही प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने यह संशोधन प्रस्तुत करने में कुछ समय लिया देर आए, दुरुस्त आए।

अब हमने यह निर्णय ले लिया है कि एक बार यह संशोधन हो जाने के बाद उन्हें सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा के लिए पुनः विधेयक पारित करना होगा । गुणवत्ता शिक्षा अभी भी एक ऐसा स्वप्न बना हुआ है जिसे पूरा नहीं किया जा सका है। मैं इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं। इसलिए, गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा सही दिशा में पहला कदम है। संविधान के मौलिक अधिकारों में स्पष्ट उपबंध किया जाना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बनाने पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हम शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 45 में अंतःस्थापित करने हेतु बहुत अधिक उत्सुक हैं। लेकिन हम भाग–तीन के संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है। इसलिए, जब यह एक बार अधिनियम बन जाएगा तो हमें इसे अनिवार्य रूप से क्रियान्वित करना होगा।

इसके लिए काफी धनराशि की आवश्यकता है। उन्होंने बताया है कि 10 वर्षों के लिए 98,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। प्रति वर्ष यह आवंटन 9,800 करोड़ रुपये बनता है। मुद्रास्फीति के कारण यह बढ़ सकता है। भारत सरकार को अपनी वचनबद्धता के बारे में पता है। एक बार वचनबद्धता के बारे में जानने के बाद वे उसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए सभा को इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करना चाहिए।

राज्य सरकारों पर अधिक भार नहीं डालना चाहिए। यदि राज्य सरकारों पर अधिक बोझ डाला जाएगा तो वे इन्हें वहन नहीं कर पाएंगे और अन्य योजनाओं की तरह यह योजना भी क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। भारत सरकार को कम से कम पांचवीं कक्षा तक 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देनी चाहिए। केवल तभी हम सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। यह उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात् ही हम उच्च स्कूली शिक्षा के बारे में विचार कर सकते हैं। जब तक सरकार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाती है तब तक किसी गांव का विकास नहीं हो सकता है। यदि मैं कहूं कि वह आंध्रप्रदेश में ऐसा कर रहे हैं तो कुछ सदस्य पुनः शोर शराबा कर सकते हैं। आंध्रप्रदेश में शिक्षा समितियां हैं यदि कोई स्कूल छोड़कर चला जाता है तो समिति उस गांव

में जाएगी यह पता लगाएगी कि बच्चों ने स्कूल क्यों छोड़ा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे मुख्यमंत्री का कहना है कि हमें गरीबी उन्मूलन के लिए यथाशीघ्र ज्ञान आधारित समाज बनाना चाहिए। हम उस भावना से काम कर रहे हैं। इसलिए हम इस संशोधन का स्वागत करते हैं। मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि माता–पिता तथा राज्य सरकारों पर अधिक बोझ नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार को यह कार्य स्वयं करना चाहिए ताकि हम धीरे–धीरे उच्च सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, मंत्री जी ने संविधान में संशोधन करने वाला जो विधेयक पेश किया है, उसका मैं शिव सेना पार्टी की तरफ से अभिनंदन करता हूं। पिछले 50 साल से जिन लोगों ने राज किया, उन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ नहीं किया। हमारी सरकार देर से भले आई, लेकिन उसने सभी को शिक्षा देने के अधिकार को अनिवार्य करने सम्बन्धी विधेयक पेश किया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 45 में लिखा है

> "राज्य संविधान के प्रारम्भ से दस वर्षों की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरा करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।"

आज इस बात को कितने साल हो गए, लेकिन अभी यह काम पूरा नहीं हुआ। अब हमारी सरकार यह काम पूरा करने जा रही है। इसलिए मैं डा. मुरली मनोहर जोशी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं।....*(व्यवधान)* पहले बच्चों को अनपढ़ रखा जाता था। महाराष्ट्र में विख्यात समाज सुधारक महात्मा फुले जी ने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा देने के लिए बहुत प्रयास किया था। आज उनकी पुण्य तिथि है। शिवराज पाटिल जी पहले महाराष्ट्र विधान सभा में सभापति रह चुके हैं और यहां भी रहे हैं। उनको भी इस बात का पता है। महात्मा फुले ने मराठी में कहा था, मैं उसको सदन में बताना चाहता हूं :

विद्येविना मति गेली, मतिविना नीति गेली

नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले

इत्तके अनर्थ एका अविद्येने केले।

इसका मतलब यह है कि अगर हम विद्या नहीं पाएंगे तो इससे हमारी बुद्धि चली जाएगी। अगर मति यानी बुद्धि नहीं रहेगी तो नीति नहीं आएगी। अगर नीति नहीं है तो फिर गति भी चली जाएगी और गति के बिना आदमी जिंदगी में खड़ा नहीं रह सकता। यह क्यों हुआ, यह इसलिए हुआ कि आज तक सभी को विद्या नहीं मिली। हमारे महान समाज सुधारक महात्मा ज्योति बा फुले जी की आज पुण्य तिथि है और आज ही यह बिल पेश हुआ है। मुझे लगता है कि इस प्रकार हमने उनका सम्मान किया है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।

6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी।....*(व्यवधान)* मैं थोड़ा ज्यादा समय लूंगा क्योंकि

[अनुवाद]

यह शिव सेना से संबद्ध है।

[हिन्दी]

लेकिन यह कई बार देखा गया है कि जहां स्कूल मास्टर होते हैं तो वहां बच्चे नहीं होते और जहां बच्चे होते हैं तो वहां स्कूल मास्टर नहीं होते। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए लेकिन यूनीसैफ की रिपोर्ट है कि 10,000 करोड़ बच्चे आज स्कूल में नहीं पढ़ सकते। यह हमने पेपर में पढ़ा है, उसकी जानकारी के मुताबिक हम लोग कह रहे हैं। कई बार देखा गया है कि रूरल एरिया में जो पिता हैं, उनके साथ बच्चे भी खेतों में चले जाते हैं। इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि 1995 तक दस वर्ष तक के बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ देने की नीति जो अपनाई थी, वैसी नीति आप अपनाएं। कम से कम बच्चे खाना खाने के लिए तो स्कूल आ सकते हैं और इस बहाने से शिक्षा और खाना दोनों हो जाएगा। रूरल एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन का स्तर अच्छा नहीं है। नतीजा यह है कि गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं करते। कोई भी गरीब परिवार अपने बच्चों को कई बार पेट की भूख के कारण भी स्कूल नहीं भेजते। वे अपने बच्चों को इसलिए तो स्कूल नहीं भेजेंगे जिससे लिटरेसी के स्टेटिसटिक में बढ़ोतरी हो सके।

हम अशिक्षा हटाने पर अपने जीडीपी का तकरीबन 3.8 फीसदी खर्च करते हैं जबकि प्राइमरी एजुकेशन का अच्छा रिकार्ड रखने वाले विकासशील देश अपनी जीडीपी का तकरीबन 9 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमें कम से कम 5 प्रतिशत

[श्री मोहन रावले]

तो बढ़ाना चाहिए, ऐसी मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं। प्राइमरी एजुकेशन में जहां स्कूल में अगर जाएंगे तो बच्चों के लिए ब्लैक–बोर्ड भी नहीं होता। किसी–किसी स्कूल में तो बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाते हैं।

आंगनवाड़ी में जो संगठन काम करते हैं, जो बच्चों को पालते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखते हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आंगनवाड़ी के लोगों को अच्छी तरह से वेतन दिया जाना चाहिए। पॉलिसी के लिए आप 98000 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं जिसमें दस वर्ष तो लग जाएंगे। दस वर्ष क्यों, अभी से ही शुरू कर दीजिए जिससे जल्दी से जल्दी और ज्यादा प्रगति हो सकती है। डा. अम्बेडकर ने कहा था कि 15 वर्ष तक इनको आरक्षण देना चाहिए लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि पढ़ो और अपना हक प्राप्त कर लो। पढ़कर सामान्य लोगों के साथ खड़े होकर अपना हक प्राप्त करना चाहिए।

सभापति महोदय : आपका प्वाइंट हो गया। ठीक है।

श्री मोहन रावले : आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं लेकिन मुझे अभी और बोलना था। आप चाहें तो मैं अपना भाषण यहां रख सकता हूं। सभापति जी, क्या मैं इसे टेबल पर रख दूं?

सभापति महोदय : ठीक है, दे दो।

श्री मोहन रावले* : अध्यक्ष महोदय, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा (फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन ऑफ द ऐज ऑफ सिक्स टू फोरटीन इयर्स) देने के संबंध में लाया गया यह 93वां संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा कदम है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए, कम है। क्योंकि यह ऐसा कदम है जिसके बारे में पिछले पचास वर्षों में बातें तो हुईं लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इस नजरिए से एन डी ए सरकार का यह संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है।

अध्यक्ष जी, यह संशोधन विधेयक इसलिए काफी महत्वपूर्ण है कि हमारे यहां करीब 90 प्रतिशत बच्चे स्कूल में नाम तो लिखाते हैं लेकिन उनमें से करीब 65 प्रतिशत बच्चे पांचवीं तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते। इसके बाद के आंकड़े बताते हैं कि यदि पहली कक्षा में 100 बच्चों ने नाम लिखाया हो तो उनमें से सिर्फ 15 ही आठवीं तक पहुंचते पहुंचते स्कूल में रह पाते हैं। ऐसे में शिक्षा का बुनियादी हक दिलाने वाला यह कदम काफी जरूरी लगता है।

सरकार ने इस बिल में आर्थिक प्रावधानों को जोड़कर और भी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। बिल के मुताबिक इस लक्ष्य को पाने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर अगले दस वर्षों में 98,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें इस क्रम में फंड्स की कमी का रोना न रोएं। इसके साथ ही मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि अगर संभव हो तो इस राशि में कुछ और राशि भी जोड़ दी जाए, जिसका इस्तेमाल शिक्षकों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संचालित करने वालों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल सके। इसी क्रम में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शुद्ध की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जिक्र करना चाहूंगा।

महोदय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं

1. प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालयों सहित कम से कम दो क्लास रूमों की व्यवस्था करना,
2. जिला प्राइमरी स्कूलों में एक ही शिक्षक है वहां एक और शिक्षक की नियुक्ति, और
3. इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सभी अध्यापकों के लिए फर्नीचर सहित जरूरी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना स्पीकर सर, मुझे बताया गया है कि इन तीन घटकों को पूरा करने के काम में वर्ष 2000–2001 में काफी तेजी आई है, लेकिन अभी भी इसे शत–प्रतिशत पूरा नहीं किया गया है। शिक्षा के लिहाज से यह बुनियादी सुविधायें जरूरी हैं और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना आवश्यक है।

अध्यक्ष जी, अनिवार्य शिक्षा से ही जुड़ा हुआ एक और मसला है भोजन का। हमारे यहां ज्यादातर बच्चे स्कूली शिक्षा को इसलिए बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास अपना पेट भरने के लिए काम करना जरूरी हो जाता है। इस समस्या को ध्यान में रखकर सरकार ने 1995 में मिड डे मिल नाम की योजना की शुरूआत की थी। यह कार्यक्रम पहली से पांचवीं तक के बच्चों को स्कूल में बनाये रखने के लिए तैयार किया गया था। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2000–2001 में इस

*सभा पटल पर रखा गया।

योजना में करीब 10.50 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया तथा सत्र 7 मार्च, 2000 तक इस मद पर 1081.81 करोड़ रुपये खर्च किये गये। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने वाला यह 93वां संविधान विधेयक लेकर आये हैं, उसी तरह हमें यह व्यवस्था भी करनी चाहिए कि इनमें से गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाई के साथ–साथ दोपहर का खाना भी अनिवार्य रूप से मिले।

एजुकेशन

– सरकार सालाना तकरीबन 3800 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च करती है।

– लिटरेसी रेट में बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन ये गति इतनी कम है कि हर साल इलीटरेट्स की तादात बढ़ती जा रही है। इंटरनेशल स्टेन्डर्ड की अगर बात करें तो हमारा पर्सेंटेज श्रीलंका से भी खराब है।

रूरल एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन का स्तर अच्छा नहीं है। नतीजा यह होता है कि यह गरीबों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करती। कोई भी गरीब परिवार अपने बच्चे को इसलिए स्कूल नहीं भेजेगा कि इससे लिटरेसी के स्टेटिसटिक में बढोत्तरी हो सके। बल्कि वो ये जानना चाहेगा कि इससे उसे आर्थिक फायदे होंगे। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी प्राथमिक शिक्षा के पास नहीं है। प्राथमिक शिक्षा (प्राइमरी स्कूल एजुकेशन) अनिवार्य तो होना ही चाहिए उसमें यह भी ध्यान दिया जाए कि इसे रोजगार के साथ कैसे जोड़ा जाए ताकि यह मैसेज जाए कि थोड़ा पढ़ने से कमाई का भी फायदा होगा। रोजगार उन्मुखी शिक्षा जरूरी हो ग्रामीण इलाकों के लिए।

– एक्सपर्ट बताते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन की खराब हालत के लिए सरकारी रवैया भी काफी हद तक जिम्मेवार है। सरकार प्राथमिक शिक्षा के मुकाबले हायर एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देती है। नतीजा सामने है, प्राइमरी एजुकेशन का स्तर घटता जा रहा है इसलिए प्राथमिक शिक्षा पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए।

– हम अशिक्षा हटाने पर अपने (जी डी पी) का तकरीबन 3.8 फीसदी खर्च करते हैं। जबकि प्राइमरी एजुकेशन का अच्छा रिकार्ड रखने वाले देश अपने यहां जी डी पी का तकरीबन 9 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। हमें इसे बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है कि यह प्रतिशत थोड़ा ज्यादा हो क्योंकि सरकार के सामने दूसरी प्राथमिकताएं भी हैं। फिर भी हमें अपनी शिक्षा का बजट थोड़ा जरूर बढ़ाना चाहिए और इसे जी डी पी का 5 प्रतिशत करने की कोशिश करनी चाहिए।

धन्यवाद।

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, यह जो संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001 पेश किया गया है, इसमें कुछ गंभीर कमियां हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय इस बात को नीति–निदेशक तत्वों के आर्टिकल 45 में बता दिया था कि दस वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए राज्य प्रयास करेगा। दस वर्षों के बदले 52 वर्ष बीत गए लेकिन अभी जो प्रयास करना शुरू हुआ है, उसमें सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक के स्थान पर सरकार ने इसे छह से 14 वर्ष तक कर दिया है। जीरो से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें मूल अधिकारों में ले जाने की कोई बात नहीं की गई है। मूल अधिकारों में ले जाने की बात 52 साल के बाद शुरू की गई है। 1997 में राज्य सभा में यह बिल लाया गया था, जो मूल अधिकार के अनुच्छेद 21(क) के रूप में लाया गया था, जिसमें मूल अधिकारों के रूप में दिया गया था कि छह वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा की गारंटी होगी, लेकिन उसे बदल कर मूल अधिकारों की जो मूल भावना है, उसे इसमें समाप्त करके राज्य सरकार के ऊपर कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। राज्य विधि अवधारित करे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध वह करेगी। इसलिए इसमें मूल अधिकार नहीं रह जाता है, केवल राज्य की मंशा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जो दूसरे ढंग से पेश किया जा रहा है, मूल अधिकारों के रूप में परिभाषित नहीं हो पा रहा है। धारा 4(क) के अंतर्गत मूल कर्तव्य में धारा 51(क) लाकर कहा जा रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं। यह तो हमेशा से कर्तव्य रहा है, लेकिन यह लिखने का मतलब है कि राज्य सरकार नियमों द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर देगी कि हर गार्जियन अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा ग्रहण कराएं। इसके लिए सरकार कोर्ट में जाकर उन पर मुकदमा चला सकती है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं।

[श्री बालकृष्ण चौहान]

आप अनुच्छेद 51 में संशोधन कर रहे हैं कि माता–पिता या संरक्षक छह वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। परोक्ष रूप से आप कह रहे हैं कि माता–पिता जीरो से छह वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास न करें। इस तरह इसमें तमाम त्रुटियां हैं, जो मूल भावना संविधान निर्माताओं की रही हैं कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, इसमें मूल अधिकार कहीं नहीं बनाया जा रहा है, जबकि हमारे देश में गरीबी और अशिक्षा बहुत ज्यादा है।

यहां दलित और कमजोर तबके के लोग ज्यादा संख्या में हैं। इनकी पढ़ाई–लिखाई का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 लागू किया गया था। 52 वर्षों के बाद उसका संज्ञान लिया गया है। उसके बावजूद जो अवधारणा थी, उसे दरकिनार किया गया है। केवल यह दिखाया जा रहा है कि सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए काफी अच्छे ढंग से सोच रही है, लेकिन मेरा निवेदन है कि पुनः इसे ठीक ढंग से सोच–समझ कर मूल अधिकार बनाया जाए, क्योंकि जो जीरो से छह वर्ष के बच्चे हैं, जिनकी जनसंख्या 14 करोड़ है, उनके लिए क्या होगा, उनकी देख–रेख कौन करेगा? उन जीरो से छह वर्ष तक के बच्चों को आप नहीं देखेंगे, छह वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। आप संविधान की जो मूल भावना है उसके विपरीत संशोधन कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर पुनः अध्ययन करके, पुनर्विचार करें। इस पर चार साल का समय लगा है, पुनः और समय लगा कर इसे वास्तविक मूल अधिकारों की श्रेणी में लाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तिरानवेवां संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करती हूं। इस विधेयक के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। मुझे आशा है कि पूरी सभा इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करेगी।

महोदय, यह एक मांग है जो लम्बे समय से लंबित है। जब हम विद्यार्थी आंदोलन अथवा युवा आंदोलन के दौर से गुजर रहे थे, आरंभ से हमारी मांग 'सभी के लिए शिक्षा' की ही थी। शिक्षा को इस देश में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय समझा जाना चाहिए और इसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए।

सरकार संविधान के अनुच्छेद 45 में यह संशोधन कर रही है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमें मुख्य समस्याओं पर विचार करना चाहिए कि हमारे देश में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर तथा निरक्षरता दर इतनी अधिक क्यों है, स्कूली बच्चे कई बार स्कूल क्यों नहीं जा पाते हैं तथा शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो गई है। यदि हम निम्नतम स्तर पर देखें तो पाएंगे कि सरकार ने शिक्षा के लिए जो धनराशि दी उसका बहुत दुरुपयोग हुआ है। इसलिए सरकार से मेरा यह पहला निवेदन है। अनुच्छेद 41 में शिक्षा के अधिकार तथा काम के अधिकार के बारे में विस्तृत ब्यौरा है। यदि हम शिक्षा के अधिकार की काम के अधिकार, जो इस देश की मुख्य तथा सामाजिक समस्या है, के साथ तुलना तथा सम्बद्ध नहीं कर सकते हैं तो सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के बावजूद लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। यद्यपि सरकार कानून लागू करेगी लेकिन मूल सिद्धांत की दृष्टि से कठिनाई होगी।

महोदय, सरकार ने बच्चों को मौलिक अधिकार में रूप में शिक्षा प्रदान करने हेतु यह विधेयक प्रस्तुत किया है। यह एक बहुत अच्छा प्रयास है लेकिन साथ ही यदि सरकार अनुच्छेद 41 को भी निदेशात्मक सिद्धांतों से मौलिक सिद्धांतों में संशोधित कर सकती है तो शिक्षा के अधिकार संबंधी मूल समस्या का समाधान हो जाएगा।

महोदय, मैं शिक्षा के बारे में विचार व्यक्त करने वाले अपने मित्रों की सराहना करती हूं। यह सच है माता–पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं लेकिन समस्या यह है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश में इनके पास न खाना और न रहने को कोई जगह है। अनेक ऐसे गांव हैं जहां बिजली तथा पेयजल की सुविधा नहीं है। यद्यपि हमारे पास अनेक योजनाएं तथा अन्य अनेक स्कीमें हैं लेकिन कई घरों में लोगों को नलकूपों से भी पेयजल नहीं मिलता है। यह मूल समस्या है। इसलिए, यदि अभी यह संभव नहीं है तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि यदि वह शिक्षा के अधिकारों को वास्तव में तथा सार्थक रूप से क्रियान्वित करना चाहती हैं तो काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करें।

मुझे याद है कि जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया और सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों को बहुत अधिक धनराशि दी थी। महोदय, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इस संबंध में जांच करें। अनेक

राज्य साक्षरता के नाम पर अपने राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं किसी राज्य विशेष के बारे नहीं कह रही हूं। मैं जानना चाहती हूं कि कितने जिले वास्तव में साक्षर हुए। क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने ऐसे अनेक जिले देखे हैं जहां लोग बिलकुल भी साक्षर नहीं हैं लेकिन सरकार ने उन्हें पुरस्कार दिया है।

सायं 6.00 बजे

ऐसा राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान नहीं था। लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि एक वर्ष से क्या चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। पश्चिम बंगाल में एक जिला बर्धवान है। हमने इसे देखा है। यदि आप सरकार का रिकार्ड देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसा आपके सत्ता में आने के बाद नहीं हुआ है। ऐसा आपके आने से पहले हुआ है। उन्होंने बर्धवान जिले को शत–प्रतिशत साक्षरता प्राप्त जिला घोषित किया है। लेकिन यदि आप लोगों को देखेंगे तो पाएंगे कि 50 प्रतिशत लोग हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते हैं। आप उनके हस्ताक्षर भी ले सकते हैं। अतः कुछ राज्य साक्षरता के नाम पर यह कर रहे हैं।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : यह शत–प्रतिशत नहीं है। यह 80 प्रतिशत साक्षरता दर है।

कुमारी ममता बनर्जी : हम इसकी जांच करेंगे।

सभापति महोदय : ममताजी कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उनका समय बर्बाद कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूं....*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : चोर की दाड़ी में तिनका।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, सच ये है कि ऐसे कुछ जिले हैं। यह सच्चाई है कि उन्होंने जिन जिलों को साक्षरता दर प्राप्त जिला घोषित किया है वे बिल्कुल भी साक्षर नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि प्रत्येक व्यक्ति साक्षर बने। मैं किसी राज्य विशेष की बात नहीं कर रही हूं। मैं आपको उदाहरण दे रही हूं ताकि आप इस मामले की जांच कर सकें। यदि मेरी बात गलत होगी तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगी। यदि वे सही हैं तो उन्हें इसे साबित करना होगा। मुख्य मुद्दा यही है कि साक्षरता के नाम पर यह सब किया गया।

दूसरे, 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम' चलाया गया है। यदि आप गांवों में जाकर देखे तो वहां न तो शिक्षा के प्रसार का कार्य हो रहा है न ही कोई सुविधाएं दी जा रही हैं। वहां शिक्षा के प्रसार का कोई भी काम नहीं हो रहा है।

यदि हम स्कूल की इमारतों की बात करें तो मैं संसद सदस्यों को इसके लिए बधाई देना चाहती हूं कि वे 'एमपीलैड' कार्यक्रम से इन स्कूलों और कालेजों को निधि दे रहे हैं, जब कि राज्य सरकारें उसके लिए धनराशि नहीं दे रही हैं जैसा कि मैं जानती हूं शिक्षा राज्य का विषय है। जी हां, यह राज्य का ही विषय है....*(व्यवधान)* मैं गलत भी हो सकती हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।

कुमारी ममता बनर्जी : परन्तु मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ममताजी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

माननीय सदस्य गण, उनके बीच में व्यवधान मत डालिए। आप अपनी बात जारी रखिए।

कुमारी ममता बनर्जी : यदि यह समवर्ती सूची में है तो ठीक है परन्तु मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। कार्यान्वयन अधिकार राज्य सरकारों के पास है। मैं कार्यान्वयन एजेन्सी और कार्यान्वयन प्राधिकार की बात कर रही हूं।

पढ़ाई अधूरी छोड़ने वालों की दर विशेषकर लड़कियों में बहुत ज्यादा है। ऐसे कई परिवार हैं। हालांकि हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं लेकिन हमारी कुछ सामाजिक समस्याएं हैं। यही वजह है कि, कुछ परिवार सोचते हैं कि बालिकाओं को स्कूल भेजने के बजाय इनकी शादी कर दी जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे सभी को साक्षर करने के लिए गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। 6–14 वर्ष के ग्रुप को ही सिर्फ क्यों चुना गया है? मेरा आपसे अनुरोध है कि बालिकाओं के लिए कालेज स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। लोगों तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि बालिकाओं में शिक्षा अधूरी छोड़ने की संख्या बहुत ज्यादा है। बालिकाओं को कालेज स्तर तक शिक्षा सुविधा दी जाए।

[कुमारी ममता बनर्जी]

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मेरा सुझाव है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले माता–पिता के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास घर, आवास और भोजन की सुविधाएं नहीं होती हैं। वे इसलिए सोचते हैं कि बच्चों को मजदूरी और काम के लिए भेजना बेहतर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस बाबत गंभीर हैं तो राज्य सरकारों से बातचीत करके, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले माता–पिता के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू कीजिए ताकि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज सकें। इसी के साथ मैं निवेदन करती हूं कि इसके लिए कोई निगरानी या कार्यान्वयन एजेन्सी बनाई जाए। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी का आवंटित समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मेरे लिए ही क्यों समय कम है?

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं चाहता हूं कि वे अपनी बात समाप्त करें। वे बैठी हैं। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, यदि वे अपनी इच्छा से बैठ रही हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं सभा के समय का दुरुपयोग नहीं करती क्योंकि सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। महोदय, केवल कुछ ही मुद्दे बचे हैं।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को आवंटित समय तीन मिनट है और आप आठ नौ मिनट पहले ही बोल चुकी हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : हमारी पार्टी को आप सिर्फ तीन मिनट ही दे रहे हैं जबकि अन्यों को आपने 25 मिनट का समय दिया है...*(व्यवधान)*

ठीक है बहुत–बहुत धन्यवाद। बोलने की अनुमति देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देती हूं।

[हिन्दी]

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस) : सभापति महोदय, मैं 93वां संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाई है। इसलिये मैं अपनी पार्टी आर. एस. पी. की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, यहां निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही जा रही है लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये चर्चा हो रही है और संविधान संशोधन विधेयक में रखा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस समस्या के समाधान के लिये माननीय मंत्री जी संशोधन विधेयक लाये हैं, वह अपूर्ण है क्योंकि इसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि ड्राप–आउट ज्यादा होगा। जो परिवार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उन्हें किसी भी तरह का इनसैंटिव दिये जाने का प्रावधान नहीं है। यह सोचना आवश्यक होगा कि केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये बात की जा रही है जबकि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिये कोई बात न सोची जाये। आप निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिये जाने की बात कर रहे हैं। इसके लिये संविधान के नीति–निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन करना चाहिये ताकि सीनियर सैकेंडरी लैवल तक निःशुल्क शिक्षा दी जा सके। यह मेरा सुझाव है। जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, उनके लिये स्कूल तक जाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये अन्यथा जिस परिवार को खाना नहीं मिलता, जिसके पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, रहने के लिये घर नहीं, उस परिवार का बच्चा स्कूल नहीं जा पायेगा और वे अपने बच्चों को काम में लगा देंगे। यदि ऐसा होता रहा तो जिस टारगेट को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाये, वह पूरा नहीं हो सकेगा।

इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में विचार करें और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिये कोई व्यवस्था की जाये ताकि सब को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन पाने का अधिकार मिल सके।

इतना कहकर मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा (नामनिर्दिष्ट) : माननीय, सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला यह महत्वपूर्ण और काफी समय से प्रतिक्षित संशोधन संसद को भी वर्तमान न्यायिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार्य है।

नब्बे के दशक में ही उच्चतम न्यायालय में उन्नीकृष्णन और मोहिनी जैन मामले में यह निर्णय दिया था कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार अनुच्छेद 21 से लिया गया है जो जीवन के अधिकार से संबंधित है क्योंकि जीवन के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार निहित है और इस बात की कल्पना की जाती है कि मौलिक आवश्यकताओं के अलावा हमें लिखने, बोलने और सम्प्रेषण के अवसर भी प्राप्त हैं।

मेर विचार से आयु सीमा का निर्धारण मनमाने ढंग से किया गया है। सामान्यतः एक बालक पांच वर्ष की आयु में कक्षा 1 में प्रवेश करता है। यदि आपको अनौपचारिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा को इसमें शामिल करना पड़े—और मुझे आशा है कि आप इसे शामिल करेंगे—तो आपको यह आयु सीमा 16 वर्ष तक बढ़ानी होगी।

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 45 का पुनः प्रारूप तैयार किया गया और इसमें कहा गया है : "कि राज्य सभी बच्चों की छः वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।"

इसलिए, जबकि राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तो राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अब यह संविधान की भावना और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के निश्चित रूप से विरुद्ध है जिनमें यह कहा गया है कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। यदि हम इस श्रेणी के अंतर्गत इस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल नहीं करेंगे तो 16 करोड़ बच्चे इस मौलिक अधिकार से वंचित रह जाएंगे।

महोदय, प्राथमिक शिक्षा को अधूरा कार्य कहा जाता है और जब तक हम शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं को पूरी तरह से सुलझा नहीं लेंगे तब तक यह कार्य अधूरा ही रहेगा।

महोदय, एक आशंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि यदि माता–पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं तो उन्हें परेशान किया जाएगा। मेरा विश्वास है कि माता–पिता के मौलिक कर्त्तव्य को सैद्धांतिक रूप से माता पिता की जिम्मेदारी समझा जाना चाहिए। यह बात वैयक्तिक माता–पिता के बजाय सभी के माता पिता पर लागू होनी चाहिए। जब हम इसे माता पिता का मूल कर्त्तव्य मानेंगे केवल तभी यह उचित होगा कि माता–पिता वित्तीय भार का कुछ अंश वहन करें।

सायं 6.12 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

मेरी पुरजोर सिफारिश है कि अगले वर्ष के बजट में शिक्षा उपकर का प्रावधान किया जाए। हमारे देश में समान्तर शिक्षा का ढांचा है जहां अमीरों को बेहतरीन शिक्षा मिलती है, गरीबों को नहीं, इस उपकर से देश में शिक्षा को एक समान करने में मदद मिलेगी। सरकार को इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि 'एमपी लैड' की एक–चौथाई निधि कक्षाओं और कम्प्यूटरों पर व्यय किया जाए। महोदय, अनुमति दी जाए तो मैं भारत में कहीं भी अपनी धनराशि खर्च कर सकती हूं और मैंने कक्षाओं के निर्माण और कम्प्यूटरों पर व्यय करने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये दिये हैं।

महोदय, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी उत्तम होनी चाहिए। शिक्षक को दिया जाने वाला उत्तम प्रशिक्षण भी शिक्षा प्रक्रिया पर अपना प्रभाव छोड़ता है।

यदि कक्षाओं की कमी होगी और इसके लिए नियुक्त शिक्षक, जैसा कि किसी ने कहा है स्वैच्छिक शिक्षक होंगे, जो प्रशिक्षित नहीं होंगे तो यह इस विधेयक की बड़ी हास्यास्पद स्थिति होगी और यदि हम वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देंगे या अनुबंध के आधार पर अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे तो यह पत्राचार कोर्सों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा से भी बुरा होगी। मेरा मानना है कि शिक्षा का विकेन्द्रीकरण पहले ही आरंभ हो चुका है, इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए पंचायतों को शामिल किया जाना चाहिए और मैं समझती हूं कि गांव शिक्षा समितियां शिक्षा लघु आयोजना और स्कूल के नक्शे तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। महोदय, पंचायत इस योजना के लिए समुदायिक समर्थन जुटाने के लिए भी आवश्यक है। लोक जुम्बिश और शिक्षाकर्मी परियोजनाओं की यही मूल रणनीति है।

महोदय, वर्तमान में हमारा शिक्षा बजट बहुत ज्यादा है परन्तु असमान है। बजट की अधिकतर निधि उच्च शिक्षा पर व्यय की जाती है और बहुत कम राशि प्राथमिक शिक्षा पर व्यय की जाती है। जबकि चीन में केवल प्राथमिक शिक्षा को ही राजसहायता दी जाती है लेकिन भारत में अभी भी उच्च शिक्षा को राजसहायता दी जा रही है। हमारे विश्वविद्यालय बेराजगार और रोजगार न पाने लायक स्नातकों की संख्या निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। संयोगवश हमारे देश में कालेज स्नातकों का प्रतिशत सबसे अधिक है और निरक्षर लोगों का प्रतिशत

[डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा]

भी सबसे अधिक है उदाहरण के लिए हमारे उत्कृष्ट स्तर के आई. आई. टी. के स्नातक करदाताओं के पैसे से शिक्षा भावी अमरीकी नागरिकों को प्रदान करते है।

महोदय, निजी उद्योग और निजी शिक्षा संस्थाओं की भी निःशुल्क शिक्षा देने की एक सामाजिक जिम्मेदारी है।

महोदय, भारत का अन्तिम मुख्य संसाधन मानव संसाधन है और शिक्षा की उपेक्षा से मानव समृद्धि और देश की अर्थव्यवस्था का विकास धीमा होगा।

महोदय, इस विधेयक में शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का प्रयास किया गया है इसलिए मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करती हूं।

***श्री सी. श्रीनिवासन (डिंडीगुल)** : माननीय सभापति महोदय, हम 93वीं बार संविधान में संशोधन कर रहे हैं, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देने वाली इस चर्चा में भाग लेते हुए मुझे खुशी हो रही है। 93वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने पर मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं।

विखंडित समाज में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पिछली शताब्दी के दो दशकों से द्रविड आंदोलन द्वारा लोकप्रिय अभियान चलाया जा रहा है। हमारी पार्टी आल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम ही द्रविड आंदोलन की वास्तविक उत्तराधिकारी है। हमारा दल विश्वास करता है कि शिक्षा ही सामाजिक न्याय की कुंजी है। द्रविड आंदोलन इस पर शुरू से ही जोर देता रहा है। सदियों से शिक्षा पाना केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रहा है। आम आदमी को शिक्षा प्राप्त कर पाना अनेक शताब्दियों के बाद ही संभव हो पाया है। द्रविड आंदोलन ने जनता में जागरूकता पैदा करने तथा लोगों को दी जाने वाली शिक्षा को जारी रखने के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

देश की स्वतंत्रता समानता को सुनिश्चित करती है। हम लोग यह दुहाई देते हैं कि हमने देश में सभी लोगों के लिए समानता के अवसर सुनिश्चित कर दिये हैं। लेकिन स्वतंत्रता के 54 वर्ष बाद ही हम शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना पाए हैं। प्रस्तावित संविधान संशोधन जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, का लक्ष्य है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। मैं आशा करता हूं कि इस सभा के सभी वर्ग इसका समर्थन करेंगे।

मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छह वर्ष से कम आयु के बच्चों पर पड़ने वाले विकास संबंधी प्रभाव उसकी विचार विधा और दृष्टिकोण का आधार बनते हैं और उसके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सच यह है कि हमने छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की इस बुनियादी आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मैं आश्वस्त नहीं हूं कि वे क्या कारण थे जिनकी वजह से छह वर्ष की कम उम्र के बच्चों की देखभाल को नीति–निर्देश सिद्धांतों में शामिल किया गया जबकि इसको भी मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए था।

मैं समझता हूं कि यह संविधान संशोधन और अधिक व्यापक होना चाहिए था। हम भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य की आशा तभी कर सकते हैं जब बच्चों और युवाओं पर उचित ध्यान दिया जा रहा हो। इस तरह का विशेष ध्यान भविष्य के लिए एक उपयोगी निवेश बन सकता है।

हमारे संस्थापक नेता पुराटची थालाइवार एम जी आर और हमारी वर्तमान नेता पुराटची थालाइवी जयललिता जी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझा है। उन्होंने सभी स्कूलों और बालवाड़ियों में पौष्टिक मध्याह्न भोजन योजना को आरंभ किया तथा अब इसे सफलतापूर्वक जारी रखा हुआ है। यह योजना न केवल बहुत से राज्यों के लिए एक मॉडल रही है बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे बहुत से देशों में लागू किया है। इससे स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित हुई है और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में गिरावट आयी।

डा. पुराटची थालाइवी की 'क्रेडल बेबी स्कीम' के अंतर्गत बालिका को ही सुरक्षा नहीं दी जायेगी बल्कि महिलाओं के लिए समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के साथ साथ छह वर्ष की आयु से कम के बच्चों को बुनियादी चिकित्सा देख रेख और शरीर और दिमाग के उचित विकास पर ध्यान दिया जायेगा। यह वास्तव में एक क्रांतिकारी स्कीम है। छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल को केवल नीति निर्देश सिद्धांतों में ही शामिल किया गया है। हम इसका तहेदिल से स्वागत करते यदि सरकार इसे बच्चों का मौलिक अधिकार बनाती। जब सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है तो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत माता–पिता तथा अभिभावकों का यह मौलिक कर्त्तव्य बन जाता है कि वे 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ताली दो हाथों से ही बजती है। उसी प्रकार बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार तथा

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

अभिभावकों को एकजुट होना होगा। यह सच है लेकिन साथ ही सरकार के लिए जो कि यह संवैधानिक संशोधन करने जा रही है के लिए यह भी आवश्यक बन जाता है कि वह इसके लिए पर्याप्त राशि का आवंटन करे।

मैं समझता हूं कि राजकोष से प्रतिवर्ष 980 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय पर्याप्त नहीं है। हमें सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत अलग से शिक्षा के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। इस बात को हम पिछले 50 वर्षों से भी ज्यादा से इस बारे में बात करते आ रहे हैं। किसी भी समय यह आवंटन सकल घरेलू उत्पाद से 3.9 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहा। इस समय यह 3.4 प्रतिशत ही है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए और इस विधान को एक सार्थक विधान बनाया जाना चाहिए।

ए. आई. ए. डी. एम. के. दल की ओर से मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. ए. डी. के. जयशीलन (तिरूचेंदूर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक युगप्रवर्तक विधेयक है, या फिर इसे एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विधेयक कहा जा सकता है। मै इसे प्रगतिशील विधेयक या सुधारवादी विधेयक कहूंगा। जब मैं इसे सुधारवादी विधेयक कहता हूं, तो इससे मेरा अर्थ है कि व्यक्ति के जन्म से 14 वर्ष तक दी जाने वाली शिक्षा से समाज में स्वयं बदलाव आयेगा। इससे उसके सोचने के ढंग में परिवर्तन आएगा तथा उसका जीवन स्तर भी सुधरेगा। अतः इसे मैं ठीक ही सुधारवादी तथा प्रगतिशील विधेयक कहूंगा। जब समाज में सुधार आयेगा तभी देश प्रगति करेगा।

मैं आशा करता हूं कि समय बीतने के साथ-साथ देश एक विकसित देश के रूप में प्रगति करेगा। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए डा. जोशी और उनके दल द्वारा किए गए इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। यह संशोधन बहुत देर से आया है। फिर भी यह प्रशंसनीय है कि मंत्री जी ने इस अति कठिन कार्य को करने का साहस दिखाया है। सरकार को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि इसमें पूरा समाज सम्मिलित है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह किसी वर्ग विशेष के लिए है। मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सभी को है। मुझे शिक्षा के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। यह व्यक्ति और साथ ही साथ देश के विकास के लिए आवश्यक है।

इस क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। उनमें से पहला सरकार है। मैं जब सरकार की बात करता हूं तो उसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय सभी शामिल हैं। दूसरा है विद्यार्थी और तीसरा माता-पिता। अतः एक प्रकार का पवित्र और समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। तभी यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। सरकार को और अधिक राशि आवंटित करनी चाहिए। इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम छः से सात प्रतिशत आवंटन किया जाना चाहिए।

मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। तमिलनाडु में हमारे नेता डा. कलियांगर जब मुख्य मंत्री थे तो शिक्षा के लिए अधिक राशि आवंटित की गयी थी तमिनाडु में कामराजर के समय से सभी सरकारों ने शिक्षा पर महत्व दिया है। विशेषकर हमारे नेता डा. कलियांगर ने बच्चों पर तथा स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने पर जोर दिया। मैं इस अवसर पर यह उल्लेख करना चाहता हूं कि चेन्नई निगम के स्थानीय निकायों में हमारे महापौर श्री स्टालिन ने कम्प्यूटर शिक्षा नगर निगम के स्कूलों में भी आरम्भ कर दी है। उन्होंने नए कदम उठाए हैं और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में तमिलनाडु बहुत आगे है।

मानव संसाधन विकास समिति की बैठक में जब हम शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चर्चा कर रहे थे तो एक सदस्य ने सदस्यों द्वारा किए गए निरीक्षण का उल्लेख किया। सदस्य जब उस निरीक्षण पर गए तो उन्होंने पाया कि विद्यालय में पढ़ाने की बजाय अध्यापक उपन्यास पढ़ रहे थे या कुछ और कार्य कर रहे थे। जब वे दूसरे विद्यालय में गए तो उन्होंने देखा वहां कोई अध्यापक ही नहीं है। जब वे अन्य विद्यालय में गए तो पाया कि वहां विद्यार्थी ही नहीं हैं। अंत में वे ऐसे विद्यालय में गए जहां न तो बच्चे थे, न ही इमारत थी, वहां केवल बोर्ड था। यदि सरकार इस तरह से कार्य करती रही तो बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा सुनिश्चित नहीं कर पायेगी। सरकार की इस संबंध में वचनबद्धता और राजनीतिक इच्छाशक्ति होनी चाहिए, केवल तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह लक्ष्य वास्तव में महान है।

मैं मिशनरियों का उदाहरण दे सकता हूं। 200 वर्ष पहले से ही ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने देश के गांवों, और देश के कोने-कोने में स्कूल खोले और चूंकि स्कूल वहां थे तो लोग उन में पढ़ कर अपना जीवन स्तर सुधार सकते थे। हम सरकार की ओर से वचनबद्धता चाहते है-चाहे वह केन्द्रीय, राज्य, या स्थानीय सरकार हो। मेरे विचार से केवल सरकार ही इस कार्य को नहीं कर सकती है। उन्हें वास्तव में देश के विभिन्न भागों में कुछ समर्पित गैर सरकारी

[डा. ए. डी. के. जयशीलन]

संगठनों का पता लगाकर उन्हें यह कार्य सौंपना चाहिए। शिक्षा को बढ़ावा देने वाले तथा शिक्षाविद देश भर में मैं विशेषकर तमिलनाडु में बहुत हैं, वहां सरकार को केवल गैर सरकारी संगठन चुनने हैं, जो अपने कार्य के प्रति वचनबद्ध हों, क्योंकि इसमें वचनबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें गैर सरकारी संगठनों को भी बढ़ावा देना चाहिए। कम से कम सरकार जमीन तथा अन्य आवश्यक चीजों का आवंटन गैर सरकारी संगठनों को देकर शिक्षा के प्रवर्तकों को बढ़ावा दे सकती है। वह वास्तव में बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। आमतौर पर इनमें कुछ गलत तत्व भी हो सकते हैं लेकिन गैर सरकारी संगठन अच्छा कार्य कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : इस योजना में और अधिक गैर सरकारी संगठनों को बढ़ावा मत दो। यदि दिया तो गैर सरकारी संगठनों का उद्देश्य पूरा होगा न कि संसद का।

डा. ए. डी. के. जयशीलन : यदि सरकार इसे अपने हाथ में ले ले तो अच्छा हो। यदि वह इस काम को नहीं कर सकती तो कम से कम यह गैर सरकारी संगठनों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकती हैं। यदि कुछ नहीं हो तो कम से कम वे तो इस संबंध में वहां कुछ कार्य कर सकते हैं।

माता–पिता के संबंध मैं एक बात बता दूं कि सरकार को माता–पिता तथा बच्चों को प्रेरित करना होगा। दरअसल हर कोई अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्यवश सामाजिक और आर्थिक कारणों की वजह से वे मजबूर होकर अपने बच्चों को घर पर रखते हैं या काम पर बाहर भेजते हैं ताकि वे कुछ धन कमाकर लाएं। हमें इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। कुछ राज्यों में 'मिड–डे मिल' तथा इस तरह की अन्य योजनाएं चलायी जा रही हैं। मैं समझता हूं हमें इससे और आगे जाना है; सरकार को चाहिए कि माता–पिता को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं हमें उनकी पहचान करनी चाहिए और उनकी आय में वृद्धि हो इसके लिए उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों को काम पर न भेजकर स्कूल जाने दें।

स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में मैं बता दूं कि उन्हें किताबों का भारी बोझा ढोना पड़ता है। इस बोझ को कम किया जा सकता है साथ ही गुणवता बनायी रखी जा सकती है। जैसा कि महोदया ने अभी जिक्र किया है कि काम करने का भी अधिकार होना चाहिए।

मैं कहना चाहूंगा कि 'जन्म से छह वर्ष तक' का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, वह बुद्धि के विकास का समय होता है, अतः इस समय को महत्व दिया जाना चाहिए। 14 वर्ष की आयु के पश्चात् सरकार को इसे छोड़ नहीं देना चाहिए बल्कि इसे और आगे बढ़ाना चाहिए इसे कम से कम 16 वर्ष तक किया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान हमें उन्हें समाज सेवा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसा कि रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमें कुछ लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें बच्चों को सेना में भर्ती होने या समाज सेवा करने के भी और अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए।....*(व्यवधान)*

यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है। उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर तक महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लोगों की ही तरह सभी समुदायों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी हो सकते हैं और उनकी सहायता की जानी चाहिए। मैं एक विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य था और इसलिए मैं यह जानता हूं। सभी समुदायों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं। जो अधिक खर्च नहीं कर सकते, उनके पास खर्च वहन के लिए धन नहीं होता है। इसलिए आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे लोगों की सहायता के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार को ऐसे लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए।

अतः में मैं मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सहायता भी इस ढंग से की जानी चाहिए कि वे कम से कम विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा जारी रख सकें।

मैं आशा करता हूं कि यह योजना सफल होगी और इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : धन्यवाद महोदय। भारतीय संसद का आज का दिन एक यादगार दिन है।

जैसा कि शिक्षा की गणना भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में की गई है, हम जनता को शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे देश के विकास की पहली शर्त है। जनता की शिक्षा–मानव संसाधन मंत्री डा. जोशी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक में कुछ परिवर्तनों के साथ इसका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री के विचारार्थ मैं कुछ सुझाव दूंगा।

सबसे पहले, नए अनुच्छेद 21क के अंतःस्थापन के **अनुसार** :

"21 क. राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए ऐसी रीति से, जो राज्य विधि द्वारा, निर्धारित करे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा।"

मेरा सुझाव यह है कि यह प्रावधान छः से चौदह वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए ही क्यों है? इस संपूर्ण सभा के विचारार्थ मेरा यही सुझाव है कि यह 18 वर्ष तक या फिर विद्यालय की अंतिम परीक्षा, जो भी पहले हो, तक होना चाहिए।

अनुच्छेद 51 क के दूसरे संशोधन में कहा गया है :

"4. संविधान के अनुच्छेद 51 क में, खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाए, अर्थात्

"(ट) यदि माता–पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक यथास्थिति आयु वाले बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।"

मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप अभिभावकों या माता–पिता पर जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं। यह राज्य का कर्त्तव्य है न कि अभिभावकों या माता–पिता का क्योंकि संविधान के मौलिक अधिकारों में 'शिक्षा का अधिकार' विषय भी सम्मिलित है। इसलिए यह जिम्मेदारी राज्य पर डाली गई है न कि अभिभावकों या माता–पिता पर।

मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि गरीब अभिभावक या माता–पिता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते और वे बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने या शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे, प्राथमिक विद्यालयों में न जाकर, रेस्टोरेंट्स, चाय की दुकानों या होटलों पर जाकर काम करते हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर वे होटलों में ग्राहकों को चाय या कॉफी दे रहे हैं, कप धो रहे हैं और खाने की चीजें लोगों को दे रहे हैं। या ये बच्चे उच्च वर्ग के लोगों के घरों में नौकर का काम भी करते हैं। निम्न वर्ग के लोगों की यह स्थिति है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। इस तरह बालश्रम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं यह कहूंगा कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना माता–पिता या अभिभावकों का कर्त्तव्य नहीं बल्कि अधिकार है और बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करना राज्य का कर्त्तव्य है। अतः इसे हटाया जाना चाहिए। अपने देश के बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करने का कर्त्तव्य माता–पिता या अभिभावकों के बजाय राज्य का होना चाहिए ....*(व्यवधान)* मंत्री महोदय तथा इस सभा के विचारार्थ मेरे कुछ सुझाव हैं

1. भिन्न भिन्न पात्र के लिए निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत समान रूप से शुल्क, वर्दी, किताबें, लेखन–सामग्री मध्याह्न योजना, परिवहन तथा अन्य सुविधाएं शामिल की जानी चाहिए।

2. अनिवार्य शिक्षा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चों के लिए मुफ्त अच्छी शिक्षा उपलब्ध करके सुनिश्चित करने का भार माता–पिता पर न हो बल्कि राज्य पर हो।

3. 6 से 14 वर्ष तक की आयु सीमा स्वीकार्य नहीं है। बल्कि इसे प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 10वीं कक्षा किया जाना चाहिए। अतः 6–14 वर्ष के स्थान पर इसे 10वीं कक्षा तक या फिर 18 वर्ष तक जो भी पहले हो, तक किया जाना चाहिए। शून्य से छः वर्ष को इसमें शामिल करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ई. सी. सी. ई. (प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा) के अंतर्गत मातृत्व, सुरक्षित प्रसव, स्तन पान, नवजात शिशु की देखभाल, पड़ोसी का सहयोग शामिल हैं। तीन वर्ष की आयु के बाद से केन्द्र या आधारित गतिविधियों जैस दिन के दौरान शिशुओं की देखभाल करने वाले केन्द्र, क्रेच और सहायक सेवाओं के बारे में भी विचार किया जाना चाहिए।

4. उचित गुणवत्ता के अंतर्गत न्यूनतम बुनियादी जरूरतों में प्रत्येक कक्षा में शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात 1 : 30 रखते हुए पर्याप्त वेतन प्राप्त शिक्षक, हर क्लास के लिए कमरे, शिक्षण–प्रशिक्षण की पर्याप्त सामग्री, शौचालय, पेयजल, शैक्षिक ज्ञान के अतिरिक्त शारीरिक, सांस्कृतिक व कलात्मक विकास की पर्याप्त सुविधाएं आदि होनी चाहिए। निष्कर्षतः इन न्यूनतम सुविधाओं के बिना कोई भी समानांतर या सस्ता विकल्प नहीं अपनाया जाना चाहिए जैसा कि वर्तमान

[श्री अजय चक्रवर्ती]

समय में केन्द्र व राज्यों की कई योजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। यहां, सात वक्ता हैं। विपक्ष के माननीय नेता को भी अभी बोलना है। 7 बजे हमें मत विभाजन भी करना है।

श्री अजय चक्रवर्ती : मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा।

ये हैं मेरे सुझाव। मैं अपने सुझाव सभा के विचारार्थ रखता हूं। यदि सरकार मेरे सुझाव मान लेती है तो मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा अन्यथा, हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे सुझावों को स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का किंचित संशोधन सहित समर्थन करता हूं।

श्री श्रीनिवास पाटील (कराड़) : मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं, माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। विशेष रूप से महाराष्ट्र और दूसरे गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में गन्ने का मौसम 150 से 160 दिनों से अधिक तक रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों से लाखों श्रमिक चीनी मिलों के इर्द–गिर्द डेरा डाले रहते हैं। वे गन्ना काटने का काम करते हैं। उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती है क्योंकि उन्हें कार्यस्थल पर अपने माता–पिता के साथ रहना पड़ता है। उन्हें पशुओं की देखमाल करनी पड़ती है। महाराष्ट्र में एक प्रयोग किया गया था जिसमें गन्ना काटने के स्थलों के निकट 'शक्कर शाला' नामक विद्यालय खोले गए थे।

तो, इसके आधार पर भट्ठों, खदानों इत्यादि जैसे स्थानों पर, जहां श्रम होता है, वहां यदि स्थानीय अवर–स्नातकों और स्नातकों को निर्धारित वेतन पर नियुक्त कर कुछ शिक्षा व्यवस्था की जाए तो ऐसे बच्चों की शिक्षा की समस्या का समाधान हो जाएगा।

महोदय, पहाडी क्षेत्रों में जहां कृत्रिम रूप से बांध बनाए गए हैं वहां पहले सड़कों के माध्यम से आवागमन होता था किन्तु बांधों के निर्माण से ये रास्ते बंद हो गए हैं। जब तक यहां नावें नहीं चलाई जातीं तब तक आवागमन संभव नहीं है। ऐसे स्थानों में जहां प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, विशेषकर वर्षा ऋतु में, वहां शिक्षकों के लिए विद्यालय जाना और बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं होता है। यदि अवर–स्नातक, शिक्षा स्नातक और मैट्रिक से अधिक शिक्षा प्राप्त लोगों को एक निर्धारित वेतन दिया जाए तो उन्हें ऐसे क्षेत्रों में स्थाई तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। तीन या चार गांवों के लिए किसी केन्द्रीय स्थान को विद्यालय खोलने के लिए निर्धारित किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि इस वैकल्पिक व्यवस्था से निश्चित तौर पर समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे निश्चय ही विद्यालय शिक्षा को एक प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।

महोदय, सरकार ने जनता के सहयोग से समान शिक्षा के लिए अट्ठारह सैनिक विद्यालय खोले हैं। इससे पहले शुल्क मात्र 10,000 से 12,000 रुपये के बीच था जो एक आम आदमी की पहुंच में था किन्तु अब, मुझे यह बताया गया है कि शुल्क को बढ़ाकर 42,000 रुपये कर दिया गया है। यह अब माता–पिता के बूते की बात नहीं रही है। सतारा जिले में बच्चों के माता–पिता जिला न्यायाधीश के दरवाजे पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार स्तरीय शिक्षा देना चाहती है। थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना में अधिकारियों की कमी है। मध्यम वर्ग के या निम्न मध्यम वर्ग के या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे विद्यार्थियों के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार को, राज्य सरकारों के साथ मिलकर वित्तीय भार वहन करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने की समस्या का समाधान हो जाएगा।

मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े अनपढ़ मुल्क के शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसकी शुरूआत में इन्होंने महात्मा गांधी की राउंड टेबल कांफ्रेंस के भाषण को उद्धृत किया है। हमें जहां तक याद पड़ता है 1930 में हिन्दुस्तान की आबादी 30 करोड़ के आसपास थी। अभी के हिन्दुस्तान की आबादी में, महात्मा गांधी के समय की आबादी जो थी, उससे भी चार करोड़ अधिक की आबादी आज शिक्षा से वंचित है। यह विधेयक जैसा कि संस्कृत में कहा जाता है,–विषकुम्भकम् परागकुम्भकम् जैसा है। इसका अर्थ है कि नीचे तो विष भरा हुआ है, लेकिन ऊपर अमृत या मीठा पदार्थ रखा हुआ है। इस विधेयक को एक नजर देखने से लगता है कि सभी को शिक्षा मिलेगी। लेकिन उसी के साथ लिखा हुआ है कि पढ़ाने का कर्त्तव्य गार्जियन का होगा। फर्ज कीजिए अगर कोई महिला कोर्ट में जाती है और कहती है कि हमारे बच्चे को पढ़ाई

का प्रबंध नहीं है, तो सरकार का वकील बोलेगा कि बच्चे को पढ़ाने का मौलिक अधिकार है इसीलिए आपकी ड्यूटी है पढ़ाने की। जब यह बात है तो फिर सरकार बीच में फंडामेंटल राइट को क्यों ला रही है। इसलिए यह छलपूर्ण विधेयक है। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या यही है कि गांव में स्कूल नहीं है, अगर गांव की कोई महिला कोर्ट में जाएगी कि हमारे बच्चे को शिक्षा उपलब्ध नहीं है, इस पर सरकारी वकील यह बोलेगा या नहीं बोलेगा कि यह गार्जियन की ड्यूटी है, यही आप इस बिल में ला रहे हैं। उनका पढ़ने का राइट है इसका आप स्पष्ट जवाब दीजिए। यह प्रतिगामी विधेयक है। सन् 1993 में उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिसमें आर्टिकल 45, 23 और सब मिला कर उसका प्रभाव यह है कि जीरो से 14 वर्ष तक के बच्चों का फंडामेंटल राइट उसी कोर्ट के फैसले से दिया गया। उसे ये इस विधेयक से छीन रहे हैं। ये फंडामेंटल राइट, कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय से उस फैसले से जो अधिकार जीरो से छह वर्ष तक के बच्चों को दिया गया है उसे वापस करने वाला यह खतरनाक विधेयक है।

हिन्दुस्तान में लोग देख रहे हैं कि गरीबी और गैर बराबरी, मानसिक गरीबी की जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक मानसिक गरीबी दूर नहीं होगी। जीडीपी का 3.4 प्रतिशत बहुत कम है, उसे छह, सात और आठ क्यों नहीं करना चाहते हैं। हम डा. लोहिया के साथ नारा लगाते थे, "राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान।" बड़े लोगों के बच्चे खर्चीले स्कूल, डीपीएस और रंग बिरंगा प्रिंस स्कूल है। आम आदमी का बच्चा ऐसे स्कूल में है जहा छप्पर है तो घर नहीं और घर है तो छप्पर नही, ब्लैक बोर्ड नहीं, कही मास्टर नहीं, उनके लिए बैठने के लिए ठीक से स्थान नहीं है।

महोदय, मैं यह रेफरेंस देना चाहता हूं। आज ही राष्ट्रीय सहारा ने निकाला है।....*(व्यवधान)* बिहार में इतिहास, पुराण गवाह है कि रानी मदालसा का पांच वर्ष का बच्चा ज्ञानी हो गया था और आप छह वर्ष के बच्चे को पढ़ाई से हटा रहे हैं। यह शिक्षा का हक छीनने वाला विधेयक है। प्रो. अनिल गोपाल शिक्षा शास्त्री हैं। उनका कहना है कि शिक्षा का हक छीनने वाला विधेयक खत्म किया जाए। उनका कहना है, इसके मायने हैं कि जीरो से छह वर्ष के आयु समूह, यानी जन्म से छह वर्ष तक में आने वाले लगभग 16 करोड़ बच्चे जनगणना 2001 के अनुसार शिक्षा का बुनियादी हक खो देंगे, जो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1993 में दिया था। अंत में उनका कहना है कि किसी भी सरकार ने आज तक जीरो से छह वर्ष के आयु, समूह के बच्चों के लिए शिशु देख-भाल एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु आवश्यक राशि का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं किया है, ऐसा एक अनुमान आचार्य राममूर्ति समिति ने 1990 में प्रस्तुत किया था। लेकिन सरकार ने उस पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। यह स्पष्ट है कि 93वां संशोधन विधेयक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के संरचनात्मक समायोजन आदेशों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि कुल मिला कर उन्नीकृष्णन फैसले के तहत जो बुनियादी हक बच्चों को मिल चुका है उसे छीन लिया जाए ताकि सरकार की संवैधानिक जवाबदेही कम हो जाए। सौभाग्य से इस विधेयक के छिपे हुए एजेंडे को गरीब जनता समझने लगी है और विधेयक को दोबारा लिखने की पुरजोर मांग कर रही है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप जो भी कहना चाहते हैं, आप वह पेपर दे दीजिए, वह मान लिया जाएगा कि उसे पढ़ लिया गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सवाल केवल इतना है कि क्या शिक्षित समाज और गरीब जनता इस विधेयक का समर्थन करेगी?....*(व्यवधान)* दिल्ली में हजारों लोग आए हुए हैं और ये सभी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, इन सवालों पर 93वें संशोधन में क्या होगा।....*(व्यवधान)* आपका इस खबर को पढ़ कर क्या जवाब होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपने इसे पढ़ने का कष्ट नहीं किया होगा।

आचार्य राममूर्ति समिति को ताक पर रख दिया, सन् 1986 की नयी शिक्षा नीति को ताक पर रख दिया, कोठारी कमीशन को ताक पर रख दिया और बच्चों को पढ़ाई से वंचित करने वाला विधेयक लाए हैं। इसलिए हम इसे सदन में बर्खास्त करते है क्योंकि किसी भी सदस्य ने नहीं कहा है कि जीरो से छह तक की जो बात इन्होंने की है वह सही है। सभी लोगों ने कहा है कि जीरो से छह वर्ष वाली बात छोड़ी जानी चाहिए। यह सरकार बताए कि क्या यह फिर से विधेयक लाएगी या इसे जोड़ेंगे या फिर शिशु शिक्षा केन्द्र में आर एस एस

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

पर जीरो से छह तक की पढ़ाई छोड़ देंगे और तालिबानी पढ़ाई पढ़ाएंगे। मैं इसके खिलाफ हूं।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, मैं इस 93वें संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। शिक्षा के बारे में जिस तरह से बात चली कि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए मान लें कि 1951 में साक्षरता अगर 16 प्रतिशत थी तो आज वह साक्षरता 65 प्रतिशत हो चुकी है। उसके बावजूद भी जो प्रचार और प्रसार शिक्षा का हमारे देश में होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हिन्दुस्तान के 20 करोड़ में से 7 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी या मिडिल स्कूल तक नहीं पहुंच पाए हैं। सरकार का प्रयास है कि सभी बच्चों को मौलिक शिक्षा दी जाए लेकिन मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा कि उसके लम्बे प्रयास के बाद भी वह 1947 से अब तक इसमें सफल नहीं हो पाई है। नयी-नयी कमेटियां बनी हैं जिन्होंने अपने सुझाव भी रखे हैं और उन कमेटियों के माध्यम से जो सकारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए थे वे अभी तक उठाये नहीं गये हैं। सेकिया कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए आगे के पांच वर्षों के लिए 40 हजार करोड़ रुपया चाहिए। मैं नहीं समझता कि वह अभी तक पूरी हुई है। मजुमदार कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए आगे के 10 वर्षों में 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपया चाहिए, जिसकी व्यवस्था नहीं की गयी है। पिछले बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा गारंटी योजना की घोषणा की थी और नौवीं योजना खत्म होते-होते लगभग 9 लाख प्राइमरी स्कूल शुरू करने का अंदाज भी लगाया था। लेकिन मैं समझता हूं कि वह योजना अभी तक शुरू ही नहीं की गयी है। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अगर हम गांव या झोंपड़-पट्टियों में रहने वालों की अवस्था देखें तो मां-बाप की जिम्मेदारी इस बिल के माध्यम से जिस तरह से लगाई गयी है वह पूरी नहीं होगी। मां-बाप को इस बात का अहसास ज्यादा रहता है कि उसको दो वक्त की रोटी कमानी है। वह अपने दस-बारह साल के बच्चे से चाहते हैं कि वह मजदूरी किसी होटल में करे, खेत में काम करे और उसका सहगामी बनके उसकी आजीविका का साधन बने।

हम बडी-बडी योजनाएं बनाते हैं लेकिन स्कूलों में झांक कर देखें तो देश में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। झोंपड-पट्टियों में स्कूल चल रहे हैं। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों को पीने का पानी नहीं मिलता और न उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है। कुछ वर्ष पहले ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना शुरू हुई थी। वह बड़ी सस्ती और अच्छी योजना थी। लेकिन सरकार द्वारा बहुत प्रयास करने के बाद भी वह सरकारी स्कूलों में पहुंच नहीं सकी। वह योजना फेल हो गई।

दिल्ली में सभ्य और जागृत समाज के लोग रहते हैं। 1998-99 में प्राइमरी स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों का स्टेटस देखें तो पता लगेगा कि यहां दाखिले 14 लाख 68 हजार 361 हुए लेकिन माध्यमिक स्कूल तक पहुंचते-पहुंचते आधे रह गए यानी 6 लाख 23 हजार 315 रह गए। पूरे देश के आकंड़े देखें तो यही हाल देखने को मिलेगा। माध्यमिक स्कूलों में 17 करोड़ बच्चे रजिस्टर में दाखिल हुए लेकिन माध्यमिक तक पहुंचते पहुंचते 6 करोड़ 78 लाख रह गए।

सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखे। विदेशों में जीडीपी का 6 से 7 परसैंट शिक्षा पर खर्च किया जाता है लेकिन हमारे यहां मात्र 3-4 परसैंट खर्च किया जाता है। गांवों में प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग की जाती है। हमारे यहां 70 बच्चों के पीछे एक अध्यापक है। वह कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? नए स्कूल खोलने की जरूरत है। नए स्कूल खोलने की दर छः हजार प्रति वर्ष है। अगर स्कूल में दाखिले की बात लें तो तकरीबन 180 लाख बच्चे इसके लिए तैयार होते हैं। उसके मुकाबले स्कूलों की बहुत कमी है। हमने मां-बाप के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाली है। मेरा सुझाव है कि पहले मां-बाप की सामाजिक और आर्थिक दशा को सुधारा जाए, शिक्षा को सार्थक बनाया जाए। जब तक शिक्षा सार्थक नहीं बनेगी तब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। आज वह खतरे में है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। झोंपड़-पट्टियों में रहने वाले गरीब लोगों को जागरूक किया जाए ताकि जो सपने चाहे वे सरकार के हों या विपक्ष के हों या हमारे हों, वे साकार हो सकें। शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश किसी भी राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम निवेश होता है। यह दुख की बात है कि एक तरफ ज्ञान की सीमाओं में बहुत ही तेजी से विस्तार हो रहा है लेकिन हमारा देश अभी भी निरक्षरता की भयानक समस्या में उलझा हुआ है।

महोदय, शिक्षा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और अंतर्निहित क्षमताओं के विकास के लिए ही आवश्यक नहीं होती बल्कि यह किसी भी प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने और उसके विकास के लिए भी आवश्यक होती है। हम ऐसे कल्याणकारी राज्य की संकल्पना नहीं कर सकते जो कि अपने बच्चों को शिक्षा देने के अपने प्राथमिक कर्त्तव्य को पूरा नहीं कर सकता।

संविधान के निर्माताओं ने शिक्षा के व्यापक महत्व को महसूस किया था और उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। दुर्भाग्य से यह प्रावधान संविधान के भाग चार के अंतर्गत रखा गया जिसमें कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धान्त हैं और इसलिए इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अतः बच्चों के इस अधिकार को सरकार के विरुद्ध लागू करने को कोई गारंटी नहीं है।

यद्यपि हमारे देश के न्यायालय इस मामले में पीछे नहीं रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने बार–बार कहा है कि 14 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। विशेषकर यह बात उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य के मामला संख्या ए आई आर 1993 एस सी 2178 में दिए गए निर्णय से सामने आई। अतः यह स्पष्ट किया गया कि 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना प्रत्येक राज्य के लिए संवैधानिक बाध्यता है।

इसलिए, हमें किसी भ्रम मे नहीं रहना चाहिए कि केवल आज ही इस तिरानवेवां (संशोधन) विधेयक के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों विशेषकर मेरे द्वारा उद्धृत उपर्युक्त मामले में मान्यता दी है।

महोदय इस विधेयक को पढ़ने पर यह आश्चर्य होगा कि यह विधेयक शिक्षा के मौलिक अधिकार को मान्यता देता है या बच्चों के शिक्षा के अधिकार में कटौती करता है। दुर्भाग्य से दूसरी बात सही है। यह शिक्षा के अधिकार में कटौती करता है। इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त शून्य से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का उद्देश्य इस विधेयक से पूरा नहीं होता ।

उच्चतम न्यायालय छह साल से कम उम्र के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मान्यता देता है और यहां आज हम ऐसे विधेयक पर विचार कर रहे हैं जिसमें छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस अधिकार से वंचित रखा गया है बल्कि इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि यह अधिकार छह वर्ष से चौदह वर्ष के बच्चों को ही दिया जाएगा। यह बड़ी गम्भीर कमी है। वस्तुतः यह उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार पर कुठाराघात है।

सायं 7.00 बजे

महोदय, यह सुविज्ञ है कि आज बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा की शुरूआत तीन या चार वर्ष की आयु से ही हो जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि यह विधेयक की एक बहुत बड़ी कमी है और इसे प्रत्येक बच्चे के निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को बनाए रखने के लिए सुधारा जाए।

विधेयक में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा को परिभाषित नहीं किया गया है। इस पर गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है। प्रथमतः, निःशुल्क शिक्षा का अर्थ शिक्षण (ट्यूशन) शुल्क और विद्यालयों द्वारा लगाए जाने वाले अन्य विद्यालीय प्रभारों के भुगतान से छूट मात्र नहीं है। निःशुल्क शिक्षा में पाठ्य–पुस्तकों, स्टेशनरी, अन्य पाठ्य सामग्री, दिन में कम से कम एक बार भोजन, परिवहन प्रभार, यूनीफॉर्म और अन्य आवश्यकताओं की निःशुल्क आपूर्ति भी सम्मिलित है। माता–पिता इतने गरीब हो सकते हैं कि वे बच्चों को यूनीफॉर्म, महंगी पाठ्य–पुस्तकें और उनको उचित शिक्षा देने के लिए आवश्यक अन्य सामग्री का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं।

महोदय, दूसरे 'बाध्यता' शब्द को उचित रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। 'बाध्यता' शब्द विद्यार्थी या माता–पिता से संबंधित नहीं होना चाहिए। माता–पिता को गरीबी के कारण अपने बच्चों को विद्यालय न भेज पाने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। यह 'बाध्यता' शब्द राज्य से जोड़ा जाना चाहिए और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य होना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त शिक्षा की गुणवत्ता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस बात का विशेष प्रावधान होना चाहिए कि दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर्याप्त रूप से संतोषजनक होनी चाहिए।

'14 वर्ष तक' के प्रश्न को समझना होगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा.... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अब मतदान का समय हो गया है।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं अपना भाषण यथा शीघ्र समाप्त कर दूंगा। आखिरकार मुझे छह संशोधन प्रस्तुत करने हैं और मुझे इन संशोधनों के बारे में सभा को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए।

महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था कि संविधान निर्माताओं ने चौदह वर्ष की आयु रखी क्योंकि उन दिनों सातवीं कक्षा के बाद ही औपचारिक प्रमाण पत्र मिलता था। विद्यालय अध्ययन के औपचारिक प्रमाण पत्र का मानदंड सातवीं कक्षा तक शिक्षा को पूरा करना था। अतः इसका अर्थ यह हुआ कि छह और सात वर्ष मिलाकर तेरह वर्ष होते हैं। आज हमारी शिक्षा का पैटर्न अलग है। अब दसवीं तक विद्यालय में पढ़ने के बाद प्रमाण पत्र मिलता है। यदि औपचारिक शिक्षा छह वर्ष की आयु पर शुरू हो जाए तो छह और दस वर्ष मिलाकर अधिक नहीं तो कम से कम सोलह वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा की गारंटी होनी चाहिए।

महोदय, मेरे दूसरे संशोधन में यह कहा गया है कि विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के एक वर्ष से पहले लागू कर दिया जाना चाहिए। विधेयक में कहा गया है कि यह राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद कभी भी लागू किया जा सकेगा, यह सरकार की मनमानी इच्छा पर है कि वह जब चाहे अधिसूचना जारी करे। इसलिए, बच्चों का यह अधिकार सरकार की दया पर है कि वह इसे कब अधिसूचित करती है।

अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक सिद्धान्तों में इस प्रयोजनार्थ 10 वर्ष के अन्दर ऐसी व्यवस्था करने का उपबंध किया गया है। परन्तु इसके बाद 10 वर्षों तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और हमारे संविधान की स्वर्ण जयंती के बाद भी अनुच्छेद 45 एक सुनहरा स्वप्न ही बना हुआ है। इसलिए, मेरा कहना है इसकी कमियों को दूर किया जाए जिससे कि यह अधिकार मात्र भ्रम ही न बना रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : सभापति महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करती हूं। तथापि, मैं इस विधेयक में अन्तर्निहित कुछ कमियों का जिक्र करना चाहती हूं। मैं अपनी बात केवल इन्हीं कमियों के बारे में संक्षेप में रखूंगी।

एक वर्ष पहले मैंने प्रधान मंत्री को शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी माता–पिता के ऊपर डालने से उत्पन्न खतरे के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए लिखा था। इस कानून का उद्देश्य मुख्यतः गरीब और दलित लोगों को सशक्त बनाना है। फिर भी इस विधेयक विशेषकर अनुच्छेद 51 क के खंड (ट) के द्वारा सारी जिम्मेदारी माता–पिता के ऊपर डाल दी गई है। शिक्षा देने की मुख्य जिम्मेदारी माता–पिता के बजाय राज्य की होनी चाहिए क्योंकि अधिकांश माता–पिता को अपनी जीविका के लिए सदैव संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी अशिक्षित भूमिहीन श्रमिक को किसी व्यवहारिक समस्या के कारण अपने बच्चे को विद्यालय न भेज पाने के लिए किसी अपराध का दोषी क्यों माना जाए? मेरी समझ में इस विधेयक में यह एक बहुत बड़ी कमी है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित अनुच्छेद 21 क में प्रयुक्त शब्द 'अनिवार्य' मूल अधिकारों की भावना के अनुरूप नहीं है। इसका अभिप्राय बाध्यता से है। यदि 6 से 14 वर्ष के बीच के नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार होगा तो राज्य की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह इस प्रकार की शिक्षा के लिए सुविधाएं मुहैया कराये। मेरे विचार से यह बात विधेयक में स्पष्ट की जानी चाहिए।

सायं 7.07 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

दूसरी महत्वपूर्ण बात शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में है। वास्तव में, यदि शिक्षा निम्न कोटि की हो, उसकी गुणवत्ता उपयुक्त एवं अच्छी न हो तो इसे मूल अधिकार बनाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बिल्कुल स्पष्ट किया गया था कि शिक्षा की गुणवत्ता संतोषप्रद होनी चाहिए। इसलिए मै पूर्णतः महसूस करती हूं कि इस विधेयक में गुणवत्ता का भी उल्लेख होना चाहिए।

बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में बात करने के साथ–साथ मैं पाठ्य–पुस्तकों की विषयवस्तु के मुद्दे को भी उद्धृत करना चाहती हूं। जो एक खास विचारधारा के प्रचार के लिए स्कूली पाठ्यपुस्तकों में अनुचित तरीके से संशोधन की कोशिशों के मद्देनजर आज काफी महत्वपूर्ण हो गया है। हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसकी विषयवस्तु की पूरी जानकारी देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। विषयवस्तु को धर्मनिरपेक्ष तथा हमारे संविधान के सिद्धान्तों के अनुरूप होना चाहिए।

प्रधान मंत्री के साथ अपने एक पूर्व पत्राचार में मैंने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धान्तों के तहत अनुच्छेद 45 को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि यह सुझाव मान लिया गया है।

सरकार ने मान लिया है कि शून्य से छः वर्ष तक के बच्चों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

मूल अनुच्छेद 45 में सभी को शिक्षा प्रदान करने के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की गयी थी जबकि संशोधित अनुच्छेद में ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इसके लिए समय-सीमा निर्धारित करे कि छः वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी।

मेरा विश्वास है कि शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र के उत्तरदायित्व का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा राज्य का विषय है और मैं यह मानती हूं कि केन्द्र के लिए यह यथोचित नहीं है कि वह राज्यों से इस मौलिक अधिकार के प्रति उनकी इस भारी जिम्मेदारी को अकेले उनके द्वारा ही वहन करने की आशा करे। मैं मानती हूं कि इस समय तत्संबंधी सारे प्रयासों और उत्तरदायित्वों की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी गई है। इसलिए शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में केन्द्र की भूमिका, इसके उत्तरदायित्व और वचनबद्धता को कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

सायं 7.11 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

इस विधेयक में यह भी बताया गया है कि इस पर वार्षिक व्यय 9800 करोड़ रुपये होगा। यदि हम इस विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सचमुच गंभीर हैं तो इसके लिए संसाधनों के वास्तविक प्रावधान की गारंटी होनी चाहिए। सही रूप में, इस पर जो लागत आएगी उसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सम्मिलित रूप से वहन किया जाना चाहिए तथा इसको लागू करने का प्रशासनिक उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपा जाना चाहिए। अतएव इस प्रयोजनार्थ निर्धारित निधियों के व्यय के तरीकों तथा उन संगठनों का, जिनके माध्यम से यह पैसा खर्च किया जाएगा, बताया जाना आवश्यक है। समुचित कानून में धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था और तरीकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन चिन्ताओं के मद्देनजर मैं सरकार से पुरजोर अनुरोध करती हूं कि वह हमारे संविधान के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए धनराशि उपलब्ध कराने, शिक्षा की गुणवत्ता और विषयवस्तु को नियंत्रित करने के लिए खंड या तो इस विधेयक में अथवा किसी अन्य समुचित कानून में शामिल करे।

श्री ए. सी. जोस (त्रिचुर) : माननीय मंत्री के जवाब देने से पहले मैं एक तकनीकी बात कहना चाहता हूं।

अनुच्छेद 21 क को अब इसमें जोड़ने का विचार है परन्तु माननीय मंत्री जी कृपया अनुच्छेद 21 पर गौर करें। इसमें बताया गया है कि :

> "किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं।"

इसलिए यह अनुच्छेद उसके साथ नहीं आ सकता। यह निर्धारित प्रावधान के विपरीत है। अतएव मेरा यह सुझाव है कि इस खंड को अनुच्छेद 24 के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो इसके लिए उचित स्थान है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि

> "चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।"

इसलिए इस नए अनुच्छेद को अनुच्छेद 24 में पहले या बाद में अंतःस्थापित किया जाना चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार इस खंड को जोड़े जाने के लिए यही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं मंत्री जी से इस पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं। उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अनुसार इस नए अनुच्छेद को अनुच्छेद 21 क के साथ जोड़ना सही हो सकता है, परन्तु यदि संविधान की समूची स्थिति पर विचार किया जाए तो इसे अनुच्छेद 24 में ही जोड़ना सर्वाधिक ठीक होगा। अन्यथा, यह संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आज के सभी सम्मानित सदस्यों, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, इस समस्या के बारे में अपनी गंभीर चिन्ताएं और इस विधेयक

से हमारे देश को जो कुछ लाभ होगा और जितना होना चाहिए, उसके बारे में कहा है। प्रतिपक्ष की सम्माननीय नेता ने अपनी कुछ ऐसी चिन्ताएं व्यक्त की हैं और उनके आधार पर कहा है कि उनका समावेश कहीं न कहीं उचित रूप में किया जाना चाहिए। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का तो समर्थन किया है और उन्हें इसमें जो शंकाएं या किसी प्रकार की कमी दिखाई दी, उसका उल्लेख भी किया है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि इस विधेयक का जो कुछ भी निर्माण किया गया है, वह एन. ई. पी., 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर किया गया, संसदीय सलाहकार की स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया गया, अकेब कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसके अध्यक्ष सम्मानीय जनार्दन रेड्डी जी थे, उनकी सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया गया और लॉ कमीशन से राय लेकर किया गया। इसलिए इसमें किसी प्रकार की आशंका होने का कोई कारण नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप उस समय उपस्थित नहीं थीं, कि जब इसके बारे में केन्द्रीय कानून बनेगा, तब एक अवसर और होगा जिस समय हमें उन तमाम बातों का निराकरण करने और उनका उचित रूप से समाधान करने का अवसर मिलेगा। एक कानून बनेगा जो आप सबके सामने आएगा, आपकी राय से बनेगा। कानून बनाते समय भी हम चेष्टा करेंगे कि जो कुछ अभी उसकी तैयारी हो गई है, उसमें शीघ्रता करें और सभी संबंधित दलों से उसके बारे में परामर्श करें। उसमें हमें किसी प्रकार की तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होगी क्योंकि वह एक ऐसा कानून होगा जो सारे देश के सभी राज्यों के साथ बराबर लगेगा और देश के आने वाले भविष्य के लिए शिक्षा की व्यवस्था और प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक सर्वमान्य नीति का निर्धारण करेगा। क्योंकि एन. ई. पी. संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय नीति है और हमने उसे गहराई से देखा है, उसमें किसी प्रकार की असहमति या मतभेद नहीं है। सारे राष्ट्र ने उसे स्वीकार किया है। इसलिए हम उसी के आधार पर चलते हैं।

जहां तक यह कहा गया है कि फंड्स किसकी मार्फत दिए जाएंगे, अभी भी जो श्रम शिक्षा अभियान में हमने राशियों को बांटने की नीति रखी है, राज्य सरकारों द्वारा जो समितियां बनेंगी, उसी के माध्यम से वह जाएगा। वह किसी गैर–सरकारी या ऐसी संस्था के माध्यम से नहीं बंटेगा जो उस सोसाइटी से, जो राज्यों द्वारा बनेंगी, बाहर हो। इसके अंदर यह व्यवस्था की गई। बाकी भी जो हमारे श्रम शिक्षा अभियान के अंदर आज प्रबंध हैं, हम उसे पंचायतों तक पहुंचा रहे हैं और श्रम शिक्षा अभियान की अध्यापकों की नियुक्ति पंचायतों की खुली मीटिंग में होती है। उसमें भी किसी कमेटी या अलग से प्रावधान नहीं है। खुली कमेटी में सारे गांव के लोग बैठ कर अपना अध्यापक तय करते हैं। इसे हम जितना अधिक पारदर्शी बना सकते हैं। अगर उसमें और भी कोई सुझाव आएंगे तो हम श्रम शिक्षा अभियान को और अधिक पारदर्शी और पंचायती राज को और अधिक अधिकार देने की जो व्यवस्था होगी, उसमें हम जरूर करेंगे, क्योंकि जो बहुत सी बातें बताई गईं, उनमें एक बात यह भी थी कि अध्यापक वहां नहीं जाते, मिलते नहीं हैं। उस सबको ध्यान में रख कर यह किया गया है। मैं उसे भी क्रमशः बताऊंगा।

सम्माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने फंडामैंटल ड्यूटीज के बारे में कहा कि आर्टिकल 51 (ए) में इस प्रकार का प्रावधान क्यों किया गया है दरअसल इसके बारे में सबकी राय यह है कि यह एक कर्त्तव्य है, जैसे उसमें तमाम कर्त्तव्य बताए गए हैं कि हमें अपने झंडे का मान करना चाहिए, हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे महिलाओं का अपमान हो। उसी तरह यह भी एक ड्यूटी है कि माता–पिता का फर्ज है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जाएं। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि यह दंडित करने के लिए है। आर्टिकल 51 (ए) में आज तक किसी कानून के अंतर्गत उसमें दंड नहीं है। इसलिए उसे इसमें रखा है ताकि सारी खतरे की बात है, आशंका है कि वह पनिशेबल होगा, पैनल प्रोवीज़न्स लगेंगे, दंडनीय होगा, वह ऐसा दंडनीय नहीं है, हालांकि 19 राज्यों में लोगों ने जो कानून बनाए हैं, जिन कानूनों में पीनल प्रोवीजंस हैं, यद्यपि कहीं एक रुपया जुर्माना है, कहीं 50 पैसे जुर्माना है तो कहीं 200 रुपये भी जुर्माना होगा, लेकिन मैंने देखा है कि उसमें उन्होंने पीनल प्रोवीजंस रखे हैं, लेकिन हमारा इरादा, जो केन्द्रीय कानून हम बनाएंगे, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था, जिसमें किसी पेरेण्ट को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाये या उसको दंडित किया जाये इसकी पूरी सावधानी रखेंगे और जो भी उपाय आप बताएंगे, वे उपाय, जो प्रावधान आप बताएंगे, वे रखेंगे। यह बात जरूर है कि कोई माता–पिता इस बात को जाने और समझे कि यह भी उनका कर्त्तव्य है। यह तो कोई गलत बात नहीं होगी। कम्युनिटी पर, समाज पर, गांव पर हम इस बात के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं की जायें कि वे इस बात का ध्यान रखें कि इनके इलाके का कोई बच्चा बिना शिक्षा के न रह जाये। इसके लिए उनको मोडीफाई करने की, उनको परसुएड करने की की जाये। यह सारा प्रबन्ध उस कानून में रखने की हम आज

व्यवस्था कर रहे हैं। इस तरीके के और भी जितने आप उसमें प्रतिबन्ध लगाना चाहेंगे कि जिससे कोई व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो, बिना पढ़ा–लिखा हो, प्रथम बार उसके परिवार के लोगों को शिक्षा मिल रही हो, उसका कोई हरैसमेंट किसी प्रकार से उसको दंड की स्थिति में न आना पड़े, यह मैं आपको बिल्कुल अपनी सरकार की ओर से और अपने मंत्रालय की ओर से आश्वासन देना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को दंडित करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। चूंकि कानून आपके पास आयेगा, स्टेंडिंग कमेटी के पास भी जायेगा, उस समय अगर इसमें कहीं कोई कमी होगी तो उसे देखा जा सकेगा, जहां तक इस कानून का सवाल है।

यह पाठ्यक्रम से तो सम्बन्धित नहीं है, इस पर तो सदन में काफी चर्चा हो चुकी है और मैं आपसे फिर बताना चाहता हूं कि सरकार का और प्रधान मंत्री जी का यह स्पष्ट निर्देश है कि जो भी हमारे एन. ई. पी. के जो घोषित उद्देश्य हैं, उससे हम कहीं बाहर नहीं हैं। मैं बार–बार कह चुका हूं कि हमारे इस पाठ्यक्रम में सर्वधर्म समभाव होगा, पूरे पंथनिरपेक्षता के लिए, सैकुलरिज्म के लिए प्रतिबद्धता होगी। जब भी पुस्तकें आयेंगी, आप देखेंगे और उस समय भी यदि कोई यह बतायेगा कि इन पुस्तकों में ऐसी चीज है, जो सर्वधर्म समभाव के विरुद्ध है तो उसको हम तभी निकाल देंगे। इसमें हमें किसी प्रकार का कहीं कोई संकोच नहीं है, यह हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम वह भी रखेंगे और ऐसी बात किसी पाठ्यक्रम में नहीं जाने देंगे, जो किसी जाति, सम्प्रदाय, भाषा या क्षेत्र के बारे में छोटे बच्चों के मन में किसी प्रकार का अवसाद पैदा करे, किसी प्रकार की नफरत पैदा करे, किसी प्रकार का झंझट पैदा करे। हम यह नहीं चाहते कि छोटे इम्प्रैशन बच्चों के मन में, छोटी आयु में कोई ऐसी चीज पढ़ाई जाये, जिससे उनके मन में किसी प्रकार से भी कोई गलतफहमी पैदा हो सके। बड़े होने पर वे चाहे जो पढ़ेंगे, हम किसी विचार को प्रतिबंधित करने के हक में नहीं हैं, कोई पुस्तक बैन नहीं करना चाहते। हालांकि बहुत सी पुस्तकें हमसे पहले भी बैन हुई हैं, लेकिन हम किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक को बैन नहीं करना चाहते, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अच्छा हो कि वे सभी सरकारें इस नीति का अवलम्बन करें। जहां–जहां भी जिस पार्टी की हो, वे सब मिलकर काम करें और हमारी शिक्षा की व्यवस्था को इस रूप में दें कि वे भारत की आवश्यकता के अनुसार, भारत के नागरिकों में सदभाव, सहमन्यता और मिल–जुलकर काम करने की भावनाओं को पैदा करे।

दुनिया बहुत आगे जा रही है, तमाम देशों ने आज अपने ऐसे तमाम मामलों को निपटा लिया है। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर अपने देश में भी जो सामाजिक तनाव के जितने मामले हैं, उनको जल्दी से जल्दी निपटायें और आर्थिक प्रगति और अपने देश की सुरक्षा के लिए मजबूती से आगे एक राष्ट्र के नाते बढ़ें ताकि 21वीं सदी भारत की सदी हो सके।

एक और प्रश्न उठाया गया है और वह बहुत से मित्रों ने उठाया है। मैं सब के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन यह कहा जा रहा है कि ये छः वर्ष की आयु के ऊपर क्यों रखा गया है और बाकी उसको पूरा अधिकार क्यों नहीं दिया गया, पूरे तौर पर क्यों नहीं बदला। इसमें कई बार बहुत विचार हुआ है। विधि आयोग में भी विचार हुआ है, राज्य सरकारों में भी विचार हुआ है और मेरे सामने यह कैब कमेटी की रिपोर्ट जो 1992 में श्रीमान जनार्दन रेड्डी जी की अध्यक्षता में हुई थी, वह भी मौजूद है। आर्टिकल 45 के बारे में कहते हुए आपने इसमें कहा है

> "एन. पी. ई. आर. सी. के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 39 (च), 46 और 47 इसकी व्याख्या का समर्थन करते हैं। परिणामतः एन. पी. ई. आर. सी. ने सिफारिश की कि ई. सी. सी. ई अर्थात् अर्ली चाइल्ड केयर इन एजुकेशन को सम्मिलित करने के लिए अनुच्छेद 45 के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए।"

> "पहले से मान्य व्याख्या से परे हटते वक्त नयी व्याख्या के परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। पूरा देश और खासकर राज्य सरकारें छः से लेकर चौदह वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी भी जूझ रही हैं। तदनुसार यह छः वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–रेख के अतिरिक्त उत्तरदायित्व को अंतर्निहित करता है तथा यह एक काल्पनिक लक्ष्य निर्धारित करेगा जिसे निकट भविष्य में प्राप्त करना सिर्फ कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव होगा। स्वयं एन. पी. ई. आर. सी. ने अनुच्छेद 5.11.0 में ई. सी. सी. ई का सार्वभौमीकरण करने के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा का जिक्र किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि सरकार संसाधनों की इतनी बड़ी मात्रा की पूरी तरह व्यवस्था नहीं कर सकती।"

> इसलिए बाद में उन्होंने कहा है

> हम महसूस करते हैं कि क्षमता से अधिक लक्ष्य व नीतियों

का निर्धारण विवेकपूर्ण नहीं होगा। इसलिए हम मानते हैं कि ई. सी. सी. ई को अनुच्छेद 45 में सम्मिलित किया जाना अपरिपक्वता होगी तथा यह सुझाव देते हैं कि इसके बजाय सरकार पी. ओ. ए. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करे। हम पुरजोर सिफारिश करते हैं कि इसके दायरे का विस्तार करते वक्त वंचित वर्ग पर खास ध्यान दिया जाए जैसा कि कार्य, योजना में सुझाव दिया गया है और एन. पी. ई. आर. सी. ने भी इस पर बल दिया है।

लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस एलीमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन को आर्टिकल 45 में रखा है। यह जानते हुए भी कि उसमें रिसोर्सेज मोबलाइजेशन में क्या दिक्कत है। आज की जो परिस्थिति है, वह मैं बता सकता हूं कि इसको करने में कितना समय लगेगा। आज हमारे देश में शून्य से छः वर्ष तक के बच्चों की गिनती सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 15 करोड़ 78 लाख है। इसका 26 प्रतिशत यानी चार करोड़ तीस लाख बच्चे गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज जो हम कार्यक्रम चला पा रहे हैं, उसमें कुल मिलाकर हम जो आई. सी. डी. एस. और डी. डब्ल्यू. सी. डी. कार्यक्रमों से जिनको लाभ पहुंचा रहे हैं, उनकी संख्या दो करोड़ छियानवे लाख है। एक करोड़ तैंतीस लाख का गैप जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उसी में है।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका क्या होगा?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : हम कर रहे हैं। उनके लिए आई. सी. डी. एस. को बढ़ा दिया है, यूनीवर्सलाइज किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : पैसा भी बढ़ाइए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : पैसा भी बढ़ा रहे हैं और योजना आयोग को भी लिखा है। आपकी मदद भी चाहिए, आपकी सरकार भी बढ़ाए।

श्री बसुदेव आचार्य : उसने भी बढ़ाया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : बढाया है तो अच्छी बात है। हमने राज्यों से अपील की है और बहुत से राज्यों ने सहयोग किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार भी मदद करे और कुछ राशि वह भी बढ़ाए, यह मैं आपकी मार्फत उससे कहना चाहता हूं।

जैसा मैंने सवेरे भी बताया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, योजना आयोग के साथ और वित्त मंत्रालय के साथ बराबर इस पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से आई सी डी एस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे सारे गांवों को इसमें ला सकें। अभी तक आठ लाख स्कूलों में से पौने छः लाख में हम कर पाए हैं। कोशिश है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर इन सबको आच्छादित कर लें। हर गांव और हर स्लम में व्यवस्था हो जाए कि वहां के ऐसे बच्चों का पूरा प्रबंध कर सकें। मैं चाहूंगा सदन इस दृष्टि से पूरी मदद करे। आपकी सद्भावना से हम इसे जरूर पूरा कर सकेंगे।

एक बात मिड डे मील के बारे में कही गई। मैं और हमारी सरकार इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि बच्चों को स्कूल में लाने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक तो प्रारम्भ से उनका स्वास्थ्य ठीक हो। उनकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो। होने वाली माताओं का स्वास्थ्य ठीक हो, तभी यह स्वास्थ्य वाला सवाल ठीक हो सकेगा। इसके लिए न्युट्रीशिन मिशन बना दिया है। योजना आयोग से भी बात की है कि न्युट्रीशिन के लिए पोषण आहार, विशेषकर गर्भवती माताओं के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए और उनके इम्यूनाइजेशन के लिए अधिक से अधिक धनराशि की व्यवस्था की जाए। मैं आशा करता हूं जिस तरह की सहानुभूति हमें योजना आयोग से मिल रही है, हम पोषण के मामले में काफी कुछ आगे बढ़ सकेंगे। उसके बाद सवाल उठता है उन बच्चों के प्रारम्भिक दृष्टि से व्यवस्थाएं करने का, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं।

फिर यह सवाल उठाया गया कि ड्राप-आउट हो जाता है, उसके लिए मैं मानता हूं कि हमें दिन में एक बार भोजन देना चाहिए इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है। अभी तक यहां से केवल अनाज दे रहे हैं, उसे पके हुए भोजन में बदलने का काम राज्य सरकार का है। मुझे खुशी है कि कुछ राज्य सरकारों ने काम किया है जैसे तमिलनाडु ने उल्लेख किया, केरल में व्यवस्था हो रही है। गुजरात भी इसके लिए आगे आ रहा है।....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : यू. पी. की हालत बहुत खराब है।....*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : जी, हां। बहुत राज्यों में हालत खराब है।....*(व्यवधान)* यू. पी. की हालत खराब करने में आपका भी कुछ योगदान है, उसके लिए हम चेष्टा कर रहे हैं। हम यह योजना प्रस्तुत कर रहे हैं कि पके हुए भोजन को प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायतें मिल कर एक व्यवस्था बनाएं, जिससे बच्चों को पका हुआ भोजन मिल सके। मैं सभी माननीय सदस्यों और नेताओं से अनुरोध करूंगा कि जहां-जहां जिस पार्टी की सरकार है उस तरफ पूरा ध्यान देने की कोशिश की जाए। उसके लिए जो स्कीम बनाने की जरूरत है वे बनाई जाएं, उसे हम कैसे कम खर्च में कर सकते हैं। हमने रेडी टू ईट फूड तैयार किया है, जो दूर-दराज के इलाके हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, नार्थ-ईस्ट और उत्तरांचल के इलाके हैं, वहां हम पैकेट में तैयार ऐसी चीजें दे रहे हैं जो चार-छः महीने तक खराब नहीं होतीं। बच्चे उसे खाकर पौष्टिक रूप में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सब तरह की स्कीम्स हैं। बायो टैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि ऐसे पोषण आहार के बारे में रिसर्च करें, जो बच्चों को पोषण दे सकें।

महोदय, यहां एक सवाल किताबों और यूनीफार्म को फ्री करने का उठाया गया। बहुत सारे राज्यों में किताबें और वर्दी लड़कियों के लिए, कहीं पर परिगणित जाति और जनजाति के लिए निःशुल्क है उसे बढ़ाने की बात हो रही है। हमने एक स्कीम बनाई है, जो प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, जिस पर विचार हो रहा है। वह यह है कि लड़कियों की शिक्षा न केवल प्रारम्भ में, बल्कि बी. ए. तक निःशुल्क करें और परिगणित जाति एवं जनजाति की लड़कियों के लिए व्यावसायिक कोर्स, डाक्टर और इंजीनियरिंग में भी निःशुल्क करने के लिए चलाएं। इसके लिए सरकारों से भी बात हो रही है और इसके कम्पोनेंट्स का निर्धारण किया जा रहा है। कोशिश यह है कि आज सरकार के पास जो अर्थव्यवस्था है, उसे लेकर हम जो कुछ कर सकते हैं वह शिक्षा के लिए पुरजोर करें। मैं एक शिक्षित और विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते इस बात से पूरे तौर से सहमत हूं और इसके लिए मैं पुरजोर प्रयत्न करता हूं कि जब तक भारत स्वस्थ और शिक्षित नहीं होगा तब तक भारत विश्व में 21वीं शताब्दी में अपना स्थान नहीं बना सकेगा। हमारा पड़ौसी चीन है, उससे हमें सीखना चाहिए। जिसने अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पिछले 20-25 सालों में बहुत प्रयत्न किया है। यह सामान्य प्रश्न नहीं है, बहुत गंभीर है और आज सदन ने इस विधेयक का समर्थन करके भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मैं सभी सम्मानित नेताओं और सदन के सम्मानित सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने आज बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए समर्थन किया है, आप सब के सहयोग से हम इसे आगे ले जा सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : श्रीमान् हमने इस विधेयक का हमारे नेता, हमारी पार्टी और दूसरे बहुत से लोगों ने स्वागत किया है, मगर हमारे मन में जो शंकाएं हैं वे भी हमने स्पष्ट की हैं, उनका जवाब मिलना जरूरी है। यह इतना बड़ा विधेयक है, इसलिए इसकी शंकाओं का समाधान किए बगैर इसे पास करना कितना मुश्किल होता है, इसे हम सब समझ सकते हैं।

महोदय, हमारी पहली शंका यह है कि उन्नीकृष्णन का जो जजमेंट आया है, उनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसकी वजह से जो कुछ भी बच्चों की पढ़ाई के लिए आज तक किया जा रहा था, उससे कम इस कानून में नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम इस कानून से होगा तो हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं यह होगा। इसलिए हम यह आश्वासन और कानून में बदल चाहते हैं कि जो भी माननीय उन्नीकृष्णन के जजमेंट में जो ज्यूडिशरी ने दिया है लेजिस्लेचर ने निकाल लिया ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आपसे यह मांग करते हैं कि आप हमें आश्वासन दे दें कि जो भी उन्नीकृष्णन जजमेंट में दिया गया है उससे कुछ कम हमारे बच्चों को नहीं देंगे। अगर उससे कुछ कम आ गया तो उसको आप दुरुस्त करेंगे। ऐसा हम आश्वासन चाहते हैं।

दूसरा पाइंट यह है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आप पूरी तरह से काम करें और जितना भी उसमें कानून की मदद से करना जरूरी है या एडमिनिस्ट्रेशन देकर करना जरूरी है उसको भी आप करें, हम आपसे ऐसा आश्वासन चाहते हैं।

तीसरा बिन्दु है कि हमारे यहां जो मां-बाप हैं वे बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे बच्चों के घरवालों पर रहम करें और कहें कि बच्चों को पढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है और हम यह न कहें कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे गरीबी की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं होंगे, इसका आप प्रयत्न करेंगे ऐसा आश्वासन हम आपसे चाहते हैं।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

ऐसा आश्वासन आपसे मिल जाए तो इस बिल की गरिमा भी बढ़ सकती है। अन्यथा जो ज्यूडिशरी ने दिया है या नेशनल एजुकेशन प्लान ने दिया है और पहले हम आर्टिकल 45 के नीचे दे रहे थे उससे आप कम दे रहे होंगे। इसलिए हम आपसे आश्वासन चाहेंगे कि अगर जरूरत होगी तो कानून में भी आप बदल करेंगे।

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, आज भी जो हम कर रहे हैं वह माननीय उन्नीकृष्णन के निर्णय से कहीं ज्यादा कर रहे हैं और उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : देखिये, इसमें अगर कोई राज–कारण कर रहा है तो हम बोलेंगे कि आप राज–कारण कर रहे हैं और आप बोलेंगे कि हम राज–कारण कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं यह मानकर चलता हूं कि इसमें कोई राज–कारण नहीं है। यह देश का सर्व–सम्मत विचार है और सभी का मिलकर विचार है। इसमें कोई राज–कारण नहीं है। सरकार की नीयत और इरादा साफ है कि जो भी अधिक से अधिक हम कर सकते हैं वह हम कर रहे हैं और किसी भी हालत में उन्नीकृष्णन जजमेंट से कम करने का तो सवाल ही नहीं है। आप सब लोग और जनता हमको देखेगी कि हम बराबर इसमें सुधार करेंगे। आपके मन में यह एक निराधार शंका है। आखिर आर्टिकल 45 को संशोधित करने की हमने शुरूआत नहीं की थी, वह उस सरकार ने शुरूआत की थी जिसका आप सर्मथन कर रहे थे। वह कानून वहां से आया था और उसके बाद संसदीय समिति ने उस पर विचार किया और जो कुछ उन्होंने कहा उसमें हमने सुधार किया तथा केयर एजुकेशन को किसी ने भी आर्टिकल 45 में रखने की सिफारिश नहीं की थी, कैब ने भी नहीं की थी लेकिन हमने की है क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों को जीरो से छह वर्ष तक शिक्षा देना हमें करना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व, मैं सभा को यह सूचित करता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

सायं 7.40 बजे

दीर्घायें खाली कर दी जाएं–

दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत–विभाजन हुआ :

मतविभाजन संख्या 5 **सायं 7.41 बजे**

पक्ष में

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अर्गल, श्री अशोक

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

ईडन, श्री जार्ज

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कमलनाथ, श्री

कलिअप्पन, श्री के. के.

कस्वां, श्री राम सिंह
कानूनगो, श्री त्रिलोचन
कुमार, श्री अरूण
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुमारासामी, श्री पी.
कुरुप, श्री सुरेश
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
कृष्णदास, श्री एन. एन.
कृष्णन, डा. सी.
कृष्णमराजू, श्री
कृष्णमूर्ति, श्री के. ई.
कृष्णास्वामी, श्री ए.
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
खन्ना, श्री विनोद
खां, श्री अबुल हसनत
खां, श्री सुनील
खांदोकर, श्री अकबर अली
खान, श्री हसन
खूंटे, श्री पी. आर.
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गढ़वी, श्री पी. एस.
गमांग, श्रीमती हेमा
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्रीमती सोनिया
गाड्डे, श्री राम मोहन
गालिब, श्री जी. एस.

गावीत, श्री रामदास रुपला
गिलुवा, श्री लक्ष्मण
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गेहलोत, श्री थावरचन्द
गोयल, श्री विजय
गोविन्दन, श्री टी.
गोहेन, श्री राजेन
गौतम, श्रीमती शीला
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चक्रवर्ती, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री स्वदेश
चक्रवर्ती, श्रीमती विजया
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत
चन्देल, श्री सुरेश
चिन्नासामी, श्री एम.
चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई
चेन्नितला, श्री रमेश
चौधरी, श्री अधीर
चौधरी, श्री निखिल कुमार
चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई
चौधरी, श्री राम टहल
चौधरी, श्री राम रघुनाथ
चौधरी, श्रीमती रेणूका
चौबे, श्री लाल मुनी
चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
चौहान, श्री निहाल चन्द
चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगतरक्षकन, डा. एस.

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

*जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए. डी. के.

जाफर शरीफ, श्री सी. के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जालप्पा, श्री आर. एल.

जावीया, श्री जी. जे.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए. सी.

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिरुनावकरसु, श्री

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित बरण

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दाहाल, श्री भीम

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी.

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी,

दुराई, श्री एम.

दूलो, श्री शमशेर सिंह,

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नीतीश कुमार, श्री

पटेल, डा. अशोक

*पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दिन्शा

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

परस्ते, श्री दलपत सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.

पवैया, श्री जयमान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी. एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाटील, श्री श्रीनिवास

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पायलट, श्रीमती रमा

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए. के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम. ओ. एच.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी. एम.

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बराड़, श्री जे. एस.

बर्मन, श्री रनेन

बसवराज, श्री जी. एस.

बालू, श्री टी. आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बौरी, श्रीमती संध्या

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री सनत कुमार

*मकवाना, श्री सवशीभाई

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई. जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मांझी, श्री रामजी

मांझी, श्री परसुराम

मिश्र, श्री राम नगीना

*मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस. बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरुगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री रूपचंद

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए. के.

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.

*मेघवाल, श्री कैलाश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री भालचन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

*यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

रमैया, डा. बी. बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी. पी.

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

*पर्ची के माध्यम से मतदान मे शुद्धि की।

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.

रामशकल, श्री

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी. वी. जी. शंकर

राव, श्री वाई. वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री बी. वी. एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह

विजयन, श्री ए. के. एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, डा. एस.

वेणुगोपाल, श्री डी.

*वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शशिकुमार, श्री

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी. एस.

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीनिवासन, श्री सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन. टी.

सईद, श्री पी. एम.

सनदी, प्रो. आई. जी.

सर, श्री निखिलानन्द

सरकार, डा. बिक्रम

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के. ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, राजकुमारी रत्ना

*सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्रनाथ

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बलबीर

सिंह, श्री बहादुर

*सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामजीवन

*सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

*सिंह, श्री साहिब

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

सिंह, श्रीमती श्याम।

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के. पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.

सुब्बा, श्री एम. के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत–विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 340

विपक्ष में 2

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 नये अनुच्छेद 21क का अंतःस्थापन

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे। इससे पहले कि मैं खंड 2 सभा के मतदान के लिए रखूं, तीन माननीय सदस्यों श्री जी. एम. बनातवाला, श्री समीक लाहिड़ी और श्रीमती रेणूका चौधरी जी ने संशोधन दिए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे चाहें तो अपने संशोधन पेश कर सकते हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,–

"छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को" **के** स्थान पर "सभी बालकों को, चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,–

"चौदह" के स्थान पर

"सोलह" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 1,–

पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए–

"परंतु यह कि इस अनुच्छेद के अधीन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए कोई विधि बनाने में राज्य–

(क) राज्य द्वारा पोषित न किए जा रहे अथवा राज्य की निधि में से सहायता प्राप्त न कर रहे किसी शैक्षणिक संस्थान को प्रत्येक कक्षा में अपने विद्यार्थियों में से दस प्रतिशत से अधिक को ऐसी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करना बाध्यकर नहीं करेगा; तथा

(ख) किसी माता–पिता अथवा संरक्षक पर कोई दांडिक अनुशास्ति प्रवर्तित नहीं करेगा।" (4)

पृष्ठ 1,–

पंक्ति 7 के पश्चात्

"व्याख्या–इस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा–

(क) का अर्थ होगा और इसमें अंतर्हित होगा शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य की बाध्यता;

(ख) उसमें अध्यापन फीस और अन्य सामान्य स्कूल शुल्क के भुगतान से छूट और पाठ्य–पुस्तकें, लेखन–सामग्री, अन्य अध्ययन सामग्री, वर्दी की निःशुल्क आपूर्ति और कम से कम एक भोजन और जहां भी आवश्यक हो, निःशुल्क परिवहन का उपबंध शामिल होगा, तथा

(ग) का अर्थ होगा शिक्षा की उचित रूप से संतोषजनक गुणवत्ता।" (5)

अंतःस्थापित किया जाए।

श्री समीक लाहिड़ी (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,–

पंक्ति 6 और 7 के स्थान पर

"21 क. राज्य सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क, साम्यापूर्ण और गुणमूलक शिक्षा का उपबंध सुनिश्चित करेगा।" (9)

प्रतिस्थापित किया जाए।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : मैं अपने संशोधन पेश नहीं कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 2, 3, 4 और 5 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री समीक लाहिड़ी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 9 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

---

*पक्ष में : 340+11 (सर्वश्री सत्यनारायण जटिया, सवशीभाई मकवाना, कैलाश मेघवाल, मधुसूदन मिस्त्री, चन्द्रेश पटेल, अजित सिंह, राजो सिंह, रामपाल सिंह, साहिब सिह, वी. वेत्रिसेलवन और शरद यादव ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की) = 351

विपक्ष में : 2-2 = शून्य (श्री शरद यादव और श्री राजो सिंह ने पहले अपना मत विपक्ष में दिया था किन्तु बाद में संशोधन कर अपना मत पक्ष में दिया।)

श्री समीक लाहिड़ी : महोदय, मैं मत–विभाजन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं संशोधन सं. 9 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 6 और 7 के स्थान पर

"21क. राज्य सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क, साम्यापूर्ण और गुणमूलक शिक्षा का उपबंध सुनिश्चित करेगा।" (9)

प्रतिस्थापित किया जाए।

लोक सभा में मत–विभाजन हुआ :

मतविभाजन संख्या 6 **सायं 7.48 बजे**

पक्ष में

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

आचार्य, श्री बसुदेव

आठवले, श्री रामदास

ईडन, श्री जार्ज

कमलनाथ, श्री

कुरुप, श्री सुरेश

कृष्णदास, श्री एन. एन.

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्रीमती सोनिया

गालिब, श्री जी. एस.

गोविन्दन, श्री टी.

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्रीमती रेणूका

जाफर शरीफ, श्री सी. के.

जालप्पा, श्री आर. एल.

जोस, श्री ए. सी.

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित बरण

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देव, श्री संतोष मोहन

*नरह, श्रीमती रानी

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दिन्शा

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाटील, श्री श्रीनिवास

पायलट, श्रीमती रमा

पाल, श्री रूपचन्द

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.

प्रेमाजम, प्रो. ए. के.

फारूक, श्री एम. ओ. एच.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की।

बंसल, श्री पवन कुमार

*बखला, श्री जोवाकिम

बनातवाला, श्री जी. एम.

बराड़, श्री जे. एस.

*बर्मन, श्री रनेन

बसवराज, श्री जी. एस.

बेगम नूर बानो

बौरी, श्रीमती संध्या

भगोरा, श्री ताराचन्द

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई

**मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुर्मू, श्री रूपचंद

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

यादव, श्री भालचन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राव, श्रीमती प्रभा

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

लाहिड़ी, श्री समीक

वंग्चा, श्री राजकुमार

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

*वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी. एस.

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

सईद, श्री पी. एम.

सर, श्री निखिलानन्द

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्रीमती सुशीला

सांगतम, श्री के. ए.

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, श्री खेलसाय

*सिंह, श्री चन्द्रनाथ

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री बलबीर

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के. पी.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

**पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की।

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.

सुब्बा, श्री एम. के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेन, श्रीमती मिनाती

सोराके, श्री विनय कुमार

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

विपक्ष में

अनंत कुमार, श्री

अर्गल, श्री अशोक

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कलिअप्पन, श्री के. के.

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

कुमार, श्री अरूण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खन्ना, श्री विनोद

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खूंटे, श्री पी. आर.

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी. एस.

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गाड्डे, श्री राम मोहन

गावीत, श्री रामदास रुपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोहैन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम.

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगतरक्षकन, डा. एस.

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए. डी. के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जावीया, श्री जी. जे.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

तिरुनावकरसू, श्री

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दलित इजिलमलाई, श्री

दाहाल, श्री भीम

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी.

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी,

दुराई, श्री एम.

देव, श्री बिक्रम केशरी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नीतीश कुमार, श्री

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी. एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बालू, श्री टी. आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

*मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

हाजन, श्री वाई. जी.

नहाजन, श्रीमती सुमित्रा

मांझी, श्री रामजी

मांझी, श्री परसुराम

मिश्र, श्री राम नगीना

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस. बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुनि लाल, श्री

मुरुगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए. के.

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.

**मेघवाल, श्री कैलाश

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की।

**पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मेहता, श्रीमती जयवंती
मोहले, श्री पुन्नू लाल
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
येरननायडू, श्री के.
रमण, डा.
रमैया, डा. बी. बी.
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राठवा, श्री रामसिंह
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री सी. पी.
राधाकृष्णन, श्री पोन
राम, श्री ब्रजमोहन
रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.
रामशकल, श्री
राय, श्री विष्णु पद
राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण
राव, श्री गंता श्रीनिवास
राव, डा. डी. वी. जी. शंकर
राव, श्री वाई. वी.
राव, श्री सीएच. विद्यासागर
रावत, प्रो. रासासिंह
रावत, श्री प्रदीप
रावले, श्री मोहन
रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेड्डी, श्री बी. वी. एन.
रेनु कुमारी, श्रीमती
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
विजयन, श्री ए. के. एस.
विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, डा. एस.
वेणुगोपाल, श्री डी.
वेत्रिसेलवन, श्री वी.
वैको, श्री
शशिकुमार, श्री
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शान्ता कुमार, श्री
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
श्रीनिवासन, श्री सी.
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा
षणमुगम, श्री एन. टी.
सनदी, प्रो. आई. जी.
सरकार, डा. बिक्रम

सरोजा, डा. वी.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रामलखन

*सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री साहिब

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सी. सुगुणा कुमारी, डा (श्रीमती)

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 104

विपक्ष में 239

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : उनका संशोधन अस्वीकृत हुआ। दीर्घायें पहले ही खाली हो चुकी हैं। मैं अब खंड 2 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत–विभाजन हुआ :

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

*(व्यवधान)***

मतविभाजन संख्या 7 रात्रि 7.50 बजे

पक्ष में

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अर्गल, श्री अशोक

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

*पक्ष में : 104+6–1 (सर्वश्री रनेन बर्मन, जोवाकिम बखला, मधुसूदन मिस्त्री, चन्द्रनाथ सिंह, राममूर्ती सिंह वर्मा और श्रीमती रानी नरह ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की–श्री मंजय लाल ने पहले अपना मत पक्ष में दिया था किन्तु बाद में संशोधन कर अपना मत विपक्ष में दिया) = 109

विपक्ष में : 239+3 (सर्वश्री मंजय लाल, अजित सिंह और कैलाश मेघवाल ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की) = 242

**कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आचार्य, श्री बसुदेव
आठवले, श्री रामदास
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
आदि शंकर, श्री
आदित्यनाथ, योगी
आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता
इन्दौरा, डा. सुशील कुमार
ईडन, श्री जार्ज
उराम, श्री जुएल
उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम
एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.
एम. मास्टर मथान, श्री
एलानगोवन, श्री पी. डी.
कटारा, श्री बाबूभाई के.
कटारिया, श्री रतन लाल
कथीरिया, डा. वल्लभभाई
कन्नप्पन, श्री एम.
कमलनाथ, श्री
कलिअप्पन, श्री के. के.
कस्वां, श्री राम सिंह
कानूनगो, श्री त्रिलोचन
कुमार, श्री अरूण
कुमार, श्री वी. धनंजय
कुमारासामी, श्री पी.
कुरुप, श्री सुरेश
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह
*कुसमरिया, डा. रामकृष्ण
कृष्णदास, श्री एन. एन.
कृष्णन, डा. सी.
कृष्णमराजू, श्री
कृष्णमूर्ति, श्री के. ई.
कृष्णास्वामी, श्री ए.
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार
खन्ना, श्री विनोद
खां, श्री अबुल हसनत
खां, श्री सुनील
खांदोकर, श्री अकबर अली
खान, श्री हसन
खूंटे, श्री पी. आर.
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गढ़वी, श्री पी. एस.
गमांग, श्रीमती हेमा
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्रीमती सोनिया
*गाड्डे, श्री राम मोहन
गालिब, श्री जी. एस.
गावीत, श्री रामदास रुपला
गिलुवा, श्री लक्ष्मण
गुप्त, प्रो. चमन लाल
गेहलोत, श्री थावरचन्द
गोयल, श्री विजय
गोविन्दन, श्री टी.
गोहेन, श्री राजेन
गौतम, श्रीमती शीला

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

घाटोवार, श्री पवन सिंह

*चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासार्मा, श्री एम.

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौबे, श्री लाल मुनी

*चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगतरक्षकन, डा. एस

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए. डी. के.

जाफर शरीफ, श्री सी. के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जालप्पा, श्री आर. एल.

जावीया, श्री जी. जे.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए. सी.

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिरुनावकरसू, श्री

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित बरण

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दाहाल, श्री भीम

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी.

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी,

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

दुराई, श्री एम.

दूलो, श्री शमशेर सिंह,

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नीतीश कुमार, श्री

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दिन्शा

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी. एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाटील, श्री श्रीनिवास

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पायलट, श्रीमती रमा

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए. के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम. ओ. एच.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी. एम.

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बराड़, श्री जे. एस.

बर्मन, श्री रनेन

बसवराज, श्री जी. एस.

बालू, श्री टी. आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई. जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मांझी, श्री रामजी

मांझी, श्री परसुराम

मिश्र, श्री राम नगीना

*मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस. बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरुगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री रूपचंद

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए. के.

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.

*मेघवाल, श्री कैलाश

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री भालचन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

रमैया, डा. बी. बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी. पी.

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.

रामशकल, श्री

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी. वी. जी. शंकर

राव, श्री वाई. वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री बी. वी. एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

*वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह

विजयन, श्री ए. के. एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, डा. एस.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

शशिकुमार, श्री

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शान्ता कुमार, श्री

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी. एस.

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

श्रीनिवासन, श्री सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन. टी.

सईद, श्री पी. एम.

सनदी, प्रो. आई. जी.

सर, श्री निखिलानन्द

सरकार, डा. बिक्रम

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्रीमती सुशीला

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के. ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, राजकुमारी रत्ना

*सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्रनाथ

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बलबीर

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री साहिब

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के. पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.

सुब्बा, श्री एम. के.

*सुमन, श्री रामजीलाल

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 341

विपक्ष में शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

*पक्ष में : 341+9 (सर्वश्री अजय चक्रवर्ती, नंद कुमार सिंह चौहान, राम मोहन गाइडे, रामकृष्ण कुसमरिया, कैलाश मेघवाल, मधुसूदन मिस्त्री, अजित सिंह, रामजीलाल सुमन, राममूर्ती सिंह वर्मा ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की) = 350

खंड 3 *अनुच्छेद 45 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन*

अध्यक्ष महोदय : इस खंड के संबंध में चार संशोधन हैं जिनकी सूचनाएं श्री जी. एम. बनातवाला, श्री समीक लाहिड़ी और श्रीमती रेणूका चौधरी ने दी हैं। मैं सबसे पहले श्री जी. एम. बनातवाला को आमंत्रित करूंगा। जी. एम. बनातवाला जी, क्या आप अपना संशोधन सं. 6 पेश कर रहे हैं?

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 1,—

"छह वर्ष की आयु पूरी करने तक" के पश्चात् "निःशुल्क" अंतःस्थापित किया जाए। (6)

अध्यक्ष महोदय : समीक लाहिड़ी जी, क्या आप अपना संशोधन सं. 10 पेश कर रहे हैं?

श्री समीक लाहिड़ी : मैं इस पर न तो आग्रह कर रहा हूं और न ही इसे पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : रेणूका चौधरी जी, क्या आप अपना संशोधन सं. 14 और 15 पेश कर रही हैं?

श्रीमती रेणूका चौधरी : जी नहीं, मैं इस पर आग्रह नहीं कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 6 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें पहले ही खाली हो चुकी हैं। मैं अब खंड 3 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

मतविभाजन संख्या 8 **रात्रि 7.58 बजे**

पक्ष में

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अर्गल, श्री अशोक

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

ईडन, श्री जार्ज

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कमलनाथ, श्री

कलिअप्पन, श्री के. के.

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

कुमार, श्री अरूण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुरुप, श्री सुरेश

*कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णदास, श्री एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खूंटे, श्री पी. आर.

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

*गालिब, श्री जी. एस.

गावीत, श्री रामदास रुपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

*चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम.

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री अधीर

*चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगतरक्षकन, डा. एस.

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए. डी. के.

जाफर शरीफ, श्री सी. के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जालप्पा, श्री आर. एल.

जावीया, श्री जी. जे.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोस, श्री ए. सी.

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिरुनावकरसू, श्री

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित बरण

तोमर, डा. रमेश चंद

*त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दाहाल, श्री भीम

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी.

दिलेर, श्री किशन लाल

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी,

दूलो, श्री शमशेर सिंह,

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

*नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नीतीश कुमार, श्री

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दिन्शा

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांडियन, श्री पी. एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाटील, श्री श्रीनिवास

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पायलट, श्रीमती रमा

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए. के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम. ओ. एच.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी. एम.

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बराड़, श्री जे. एस.

बर्मन, श्री रनेन

बसवराज, श्री जी. एस.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की।

बालू, श्री टी. आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

ब्रह्मनैया, श्री ए.

*भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई

**मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई. जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

*मिश्र, श्री राम नगीना

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

**पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

*मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस. बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरुगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री रूपचंद

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए. के.

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.

*मेघवाल, श्री कैलाश

*मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री भालचन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

रमैया, डा. बी. बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी. पी.

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

*राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी. वी. जी. शंकर

*राव, श्री वाई. वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री बी. वी. एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह

विजयन, श्री ए. के. एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, डा. एस.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शशिकुमार, श्री

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी. एस.

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

श्रीनिवासन, श्री सी.
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा
षणमुगम, श्री एन. टी.
सईद, श्री पी. एम.
सनदी, प्रो. आई. जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरकार, डा. बिक्रम
सरङगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के. ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
*साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
सिंह, कुंवर अखिलेश
सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, राजकुमारी रत्ना
*सिंह, श्री अजित
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्रनाथ
सिंह, श्री छत्रपाल
*सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री दिग्विजय
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री राजो
सिंह, श्री राधामोहन
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
*सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री साहिब
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह, सरदार बूटा
सिंह देव, श्री के. पी.
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिकदर, श्री तपन
सिन्हा, श्री मनोज
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.
सुब्बा, श्री एम. के.
*सुमन, श्री रामजीलाल
सुरेश, श्री कोडीकुनील
सेठ, श्री लक्ष्मण
सेन, श्रीमती मिनाती
सेनगुप्ता, डा. नीतिश
सेल्वागनपति, श्री टी. एम.
सोमैया, श्री किरीट
सोराके, श्री विनय कुमार
सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह
स्वाइं, श्री खारबेल
स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

मल्याला, श्री राजैया

राय, श्री विष्णु पद

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

वेणुगोपाल, श्री डी.

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 319

विपक्ष में 13

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 *अनुच्छेद 51क का संशोधन*

अध्यक्ष महोदय : इस खंड के संबंध में एक संशोधन है जिसकी समीक लाहिड़ी जी ने सूचना दी है। समीक लाहिड़ी जी, क्या आप अपना संशोधन सं. 11 पेश कर रहे हैं?

श्री समीक लाहिड़ी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2,-

पंक्ति 5 और 6 *के स्थान पर*

"(ट) यदि ऐसा नागरिक बालक का माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करे।" (11)

प्रतिस्थापित किया जाए।

रात्रि 8.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री समीक लाहिड़ी द्वारा खंड 4 के संबंध में प्रस्तुत संशोधन सं. 11 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : खंड 4 को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व, मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें पहले ही खाली हो चुकी हैं।

प्रश्न यह है

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

मतविभाजन संख्या 9 **रात्रि 8.01 बजे**

पक्ष में

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अर्गल, श्री अशोक

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

***पक्ष में : 319+19 (सर्वश्री ताराचन्द भगोरा, निखिल कुमार चौधरी, जी. एस. गालिब, फग्गन सिंह कुलस्ते, जगन्नाथ मलिक, कैलाश मेघवाल, राम नगीना मिश्र, मधुसूदन मिस्त्री, श्रीपाद येसो नाईक, ब्रजमोहन राम, वाई. जी. राव, विष्णुदेव साय, अजित सिंह, रामानन्द सिंह, तिलकधारी प्रसाद सिंह, रामजीलाल सुमन, ब्रज किशोर त्रिपाठी, श्रीमती विजया चक्रवर्ती और श्रीमती जयवंती मेहता ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की) = 338**

विपक्ष में : 13-7 = 6 (सर्वश्री ब्रजमोहन राम, रामानन्द सिंह, निखिल कुमार चौधरी, जगन्नाथ मलिक, विष्णु देव साय, वाई. वी. राव और श्री जी. एस. गालिब ने पहले अपना मत विपक्ष में दिया था किन्तु बाद में संशोधन कर अपना मत पक्ष में दिया।)

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

ईडन, श्री जार्ज

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कमलनाथ, श्री

कलिअप्पन, श्री के. के.

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

कुमार, श्री अरूण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुरुप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णदास, श्री एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खूंटे, श्री पी. आर.

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

*गढ़वी, श्री पी. एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड़डे, श्री राम मोहन

गालिब, श्री जी. एस.

गावीत, श्री रामदास रुपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

*चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम.

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगतरक्षकन, डा. एस.

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए. डी. के.

जाफर शरीफ, श्री सी. के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जालप्पा, श्री आर. एल.

जावीया, श्री जी. जे.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए. सी.

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिरुनावकरसू, श्री

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित बरण

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दाहाल, श्री भीम

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी.

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी,

दुराई, श्री एम.

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

दूलो, श्री शमशेर सिंह,

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नीतीश कुमार, श्री

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दिन्शा

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी. एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाटील, श्री श्रीनिवास

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पायलट, श्रीमती रमा

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए. के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम. ओ. एच.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी. एम.

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

*बराड़, श्री जे. एस.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

बर्मन, श्री रनेन

बसवराज, श्री जी. एस.

बालू, श्री टी. आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बौरी, श्रीमती संध्य

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्त्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई. जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मांझी, श्री रामजी

मांझी, श्री परसुराम

मिश्र, श्री राम नगीना

*मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस. बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरुगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री रूपचंद

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए. के.

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.

*मेघवाल, श्री कैलाश

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री भालचन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

*रमैया, डा. बी. बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी. पी.

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.

*रामशकल, श्री

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी. वी. जी. शंकर

राव, श्री वाई. वी.

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

रावले, श्री मोहन

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री बी. वी. एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह

विजयन, श्री ए. के. एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, डा. एस.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शशिकुमार, श्री

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शाक्य, श्री रघुराज सिंह
शान्ता कुमार, श्री
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिंदे, श्री सुशील कुमार
शिवकुमार, श्री वी. एस.
शुक्ल, श्री श्यामा चरण
श्रीनिवासन, श्री सी.
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा
षणमुगम, श्री एन. टी.
सईद, श्री पी. एम.
सनदी, प्रो. आई. जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरकार, डा. बिक्रम
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के. ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
*साथी, श्री हरपाल सिंह
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
सिंह, कुंवर अखिलेश
सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, राजकुमारी रत्ना
*सिंह, श्री अजित
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्रनाथ
सिंह, श्री छत्रपाल
सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
सिंह, श्री दिग्विजय
सिंह, श्री प्रभुनाथ
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री राजो
सिंह, श्री राधामोहन
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री रामानन्द
सिंह, श्री साहिब
सिंह, श्रीमती श्यामा
सिंह, सरदार बूटा
सिंह देव, श्री के. पी.
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिकदर, श्री तपन
सिन्हा, श्री मनोज
सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)
सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.
सुब्बा, श्री एम. के.
सुमन, श्री रामजीलाल
सुरेश, श्री कोडीकुनील
सेठ, श्री लक्ष्मण

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 340

विपक्ष में 1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 *संक्षिप्त नाम और प्रारंभ*

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 3 के पश्चात्

"परन्तु यह कि ऐसी अधिसूचना की तारीख उस तारीख से जिसको राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की गई है, एक वर्ष से बाद की नहीं होगी।"

अंतःस्थापित किया जाए। (1)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा खंड 1 के संबंध में प्रस्तुत संशोधन सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : लाहिड़ी जी, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री समीक लाहिड़ी : जी नहीं, मैं न तो अपने संशोधन पर आग्रह कर रहा हूं और न ही इसे पेश कर रहा हूं।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 2—

"(तिरानवेवां संशोधन)" के स्थान पर

"(छियासीवां संशोधन)" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

(डा. मुरली मनोहर जोशी)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत–विभाजन हुआ :

मतविभाजन संख्या 10 रात्रि 8.04 बजे

पक्ष में

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अर्गल, श्री अशोक

आंग्ले, श्री रमाकांत

***पक्ष में** : 340+10 (सर्वश्री जे. एस. बराड़, पी. एस. गढ़वी, कैलाश मेघवाल, मधुसूदन मिस्त्री, बी. बी. रमैया, रामशकल, एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव, हरपाल सिंह साथी, अजित सिंह और सुरेश चन्देल ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की) = 350**

विपक्ष में : 1–1 = शून्य (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव ने पहले अपना मत विपक्ष में दिया था किन्तु बाद में संशोधन कर अपना मत पक्ष में दिया।)

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

ईडन, श्री जार्ज

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कमलनाथ, श्री

कलिअप्पन, श्री के. के.

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

कुमार, श्री अरूण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुरुप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णदास, श्री एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खूंटे, श्री पी. आर.

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी. एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

गालिब, श्री जी. एस.

गावीत, श्री रामदास रुपला

*गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम.

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए. डी. के.

*जाफर शरीफ, श्री सी. के.

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जालप्पा, श्री आर. एल.

जावीया, श्री जी. जे.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, डा. मुरली मनोहर

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए. सी.

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिरुनावकरसू, श्री

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित बरण

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दाहाल, श्री भीम

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी.

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी,

दुराई, श्री एम.

दूलो, श्री शमशेर सिंह,

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नीतीश कुमार, श्री

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दिन्शा

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री धर्म राज सिंह

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.

पवैया, श्री जयमान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी. एच.

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौड़ा रामनगौड़

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाटील, श्री श्रीनिवास

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पायलट, श्रीमती रमा

*पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रभु, श्री सुरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.

*प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए. के.

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फारूक, श्री एम. ओ. एच.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

'बचदा', श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बनातवाला, श्री जी. एम.

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

*बराड़, श्री जे. एस.

बर्मन, श्री रनेन

बसवराज, श्री जी. एस.

बालू, श्री टी. आर.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बौरी, श्रीमती संध्या

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगोरा, श्री ताराचन्द

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांतिलाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई

मलिक, श्री जगन्नाथ

मल्याला, श्री राजैया

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महंत, डा. चरणदास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई. जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

*मांझी, श्री रामजी

मांझी, श्री परसुराम

मिश्र, श्री राम नगीना

*मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस. बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनि लाल, श्री

*मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मुरुगेसन, श्री एस.

मुर्मू, श्री रूपचंद

मुर्मू, श्री सालखन

मूर्ति, श्री ए. के.

मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.

*मेघवाल, श्री कैलाश

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

मोहले, श्री पुन्नू लाल

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री भालचन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की/मतदान किया।

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

रमैया, डा. बी. बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री सी. पी.

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम सजीवन, श्री

राम, श्री ब्रजमोहन

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.

रामशकल, श्री

राय, श्री विष्णु पद

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी. वी. जी. शंकर

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

राव, श्रीमती प्रभा

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री बी. वी. एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वंग्चा, श्री राजकुमार

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह

विजयन, श्री ए. के. एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, डा. एस.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शशिकुमार, श्री

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी. एस.

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

श्रीनिवासन, श्री सी.

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन. टी.

सईद, श्री पी. एम.

सनदी, प्रो. आई. जी.

सर, श्री निखिलानन्द

सरकार, डा. बिक्रम

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्रीमती सुशीला

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के. ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, राजकुमारी रत्ना

*सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चन्द्रनाथ

सिंह, श्री छत्रपाल

*सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री दिग्विजय

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बलबीर

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री साहिब

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के. पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.

सुब्बा, श्री एम. के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 335

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करें "कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव "कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए" सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व, मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें पहले ही खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

मतविभाजन संख्या 11 **रात्रि 8.06 बजे**

पक्ष में

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

अर्गल, श्री अशोक

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार

ईडन, श्री जार्ज

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

---

*पक्ष में : 335+11 (सर्वश्री जे. एस. बराड़, लक्ष्मण गिलुवा, सी. के. जाफर शरीफ, रामजी मांझी, कैलाश मेघवाल, मधुसूदन मिस्त्री, के. एच. मुनियप्पा, संजय पासवान, वी. श्रीनिवास प्रसाद, अजित सिंह और तिलकधारी प्रसाद सिंह ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की) = 346

एलानगोवन, श्री पी. डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कमलनाथ, श्री

कलिअप्पन, श्री के. के.

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

कुमार, श्री अरूण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुमारासामी, श्री पी.

कुरुप, श्री सुरेश

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णदास, श्री एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

खांदोकर, श्री अकबर अली

खान, श्री हसन

खूंटे, श्री पी. आर.

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी. एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गाड्डे, श्री राम मोहन

गालिब, श्री जी. एस.

गावीत, श्री रामदास रुपला

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोविन्दन, श्री टी.

गोहेन, श्री राजेन

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चन्देल, श्री सुरेश

चिन्नासामी, श्री एम.

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह
चौहान, श्री निहाल चन्द
चौहान, श्री शिवराजसिंह
चौहान, श्री श्रीराम
जगतरक्षकन, डा. एस.
जगन्नाथ, डा. मन्दा
जगमोहन, श्री
जटिया, डा. सत्यनारायण
जयशीलन, डा. ए. डी. के.
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जायसवाल, डा. मदन प्रसाद
जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद
जालप्पा, श्री आर. एल.
जावीया, श्री जी. जे.
जैन, श्री पुष्प
जोशी, डा. मुरली मनोहर
जोशी, श्री मनोहर
जोस, श्री ए. सी.
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.
ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई
डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स
डूडी, श्री रामेश्वर
डोम, डा. राम चन्द्र
तिरुनावकरसू, श्री
तिवारी, श्री नारायण दत्त
तिवारी, श्री सुन्दर लाल
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, डा. रमेश चंद
त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर
त्रिपाठी, श्री रामनरेश
दग्गुबाटि, श्री राम नायडू,
दलित इजिलमलाई, श्री
दास, श्री नेपाल चन्द्र
दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दाहाल, श्री भीम
दिनाकरन, श्री टी. टी. वी.
दिलेर, श्री किशन लाल
दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी,
दुराई, श्री एम.
दूलो, श्री शमशेर सिंह,
देव, श्री बिक्रम केशरी
देव, श्री संतोष मोहन
नरह, श्रीमती रानी
नाईक, श्री राम
नाईक, श्री श्रीपाद येसो
नायक, श्री अनन्त
नायक, श्री अली मे ग्म्मद
नीतीश कुमार, श्री
पटेल, डा. अशोक
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी
पटेल, श्री दिन्शा
पटेल, श्री दीपक
पटेल, श्री धर्म रा॒ज सिंह
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह
पटेल, श्री मानसिंह
परस्ते, श्री दलपत सिंह
पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.
पवैया, श्री जयभान सिंह
पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांडियन, श्री पी. एच.
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार
पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव
पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के.
पाटील, श्री शिवराज वि.
पाटील, श्री श्रीनिवास
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पायलट, श्रीमती रमा
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, डा. संजय
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री रामचन्द्र
पासी, श्री राजनारायण
पोटाई, श्री सोहन
पोन्नुस्वामी, श्री ई.
प्रधान, डा. देवेन्द्र
प्रधान, श्री अशोक
प्रभु, श्री सुरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर. आर.
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास
प्रेमाजम, प्रो. ए. के.
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फारूक, श्री एम. ओ. एच.
बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप
बंसल, श्री पवन कुमार
बखला, श्री जोवाकिम
'बघदा', श्री बची सिंह रावत
बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह
बनर्जी, कुमारी ममता
बनातवाला, श्री जी. एम.
बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह
बराड़, श्री जे. एस.
बर्मन, श्री रनेन
बसवराज, श्री जी. एस.
बालू, श्री टी. आर.
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह
बिश्वास, श्री आनन्द मोहन
बेगम नूर बानो
बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैनर्जी, श्रीमती जयश्री
बैस, श्री रमेश
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भगोरा, श्री ताराचन्द
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भूरिया, श्री कांतिलाल
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री सवशीभाई
मलिक, श्री जगन्नाथ
मल्याला, श्री राजैया
मल्होत्रा, डा. विजय कुमार
महंत, डा. चरणदास
महताब, श्री भर्तृहरि
महतो, श्रीमती आभा
महरिया, श्री सुभाष
महाजन, श्री वाई. जी.

महाजन, श्रीमती सुमित्रा
मांझी, श्री रामजी
मांझी, श्री परसुराम
मिश्र, श्री राम नगीना
*मिस्त्री, श्री मधुसूदन
मीणा, श्री भेरूलाल
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री एस. बी.
मुण्डा, श्री कड़िया
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनि लाल, श्री
मुनियप्पा, श्री के. एच.
मुरलीधरन, श्री के.
मुरुगेसन, श्री एस.
मुर्मू, श्री रूपचंद
मुर्मू, श्री सालखन
मूर्ति, श्री ए. के.
मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस.
*मेघवाल, श्री कैलाश
मेहता, श्रीमती जयवंती
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन, श्री पी.
मोहले, श्री पुन्नू लाल
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री भालचन्द्र
यादव, श्री मुलायम सिंह
यादव, श्री शरद

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
येरननायडू, श्री के.
रमण, डा.
रमैया, डा. बी. बी.
रवि, श्री शीशराम सिंह
राजवंशी, श्री माधव
राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेन्द्रन, श्री पी.
राठवा, श्री रामसिंह
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री वरकला
राधाकृष्णन, श्री सी. पी.
राधाकृष्णन, श्री पोन
राम सजीवन, श्री
राम, श्री ब्रजमोहन
रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.
रामशकल, श्री
राय, श्री विष्णु पद
राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण
राव, श्री गंता श्रीनिवास
राव, डा. डी. वी. जी. शंकर
राव, श्री वाई. वी.
राव, श्री सीएच. विद्यासागर
राव, श्रीमती प्रभा
रावत, प्रो. रासासिंह
रावत, श्री प्रदीप
रावले, श्री मोहन
रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री एन. जनार्दन
रेड्डी, श्री एस. जयपाल
रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेड्डी, श्री बी. वी. एन.
रेनु कुमारी, श्रीमती
लाहिड़ी, श्री समीक
वंग्चा, श्री राजकुमार
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रवि प्रकाश
वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह
विजयन, श्री ए. के. एस.
विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, श्री डी.
वेत्रिसेलवन, श्री वी.
वैको, श्री
व्यास, डा. गिरिजा
शर्मा, कैप्टन सतीश
शशिकुमार, श्री
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शान्ता कुमार, श्री
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
शिंदे, श्री सुशील कुमार
शिवकुमार, श्री वी. एस.
शुक्ल, श्री श्यामा चरण
श्रीनिवासन, श्री सी.
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा
षणमुगम, श्री एन. टी.
सईद, श्री पी. एम.
सनदी, प्रो. आई. जी.
सर, श्री निखिलानन्द
सरकार, डा. बिक्रम
सरडगी, श्री इकबाल अहमद
सरोज, श्रीमती सुशीला
सरोजा, डा. वी.
सांगतम, श्री के. ए.
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
साय, श्री विष्णुदेव
साहू, श्री अनादि
सिंह, कुंवर आखिलेश
सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, राजकुमारी रत्ना
*सिंह, श्री अजित
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री चन्द्रनाथ
सिंह, श्री छत्रपाल
*सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद
*सिंह, श्री दिग्विजय

*पर्ची के माध्यम से मतदान में शुद्धि की।

सिंह, श्री प्रभुनाथ

सिंह, श्री बलबीर

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामजीवन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सिंह, श्री साहिब

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह देव, श्री के पी.

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.

सुब्बा, श्री एम. के.

सुमन, श्री रामजीलाल

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेन, श्रीमती मिनाती

सेनगुप्ता, डा. नीतिश

सेल्वागनपति, श्री टी. एम.

सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हंसदा, श्री थामस

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

शून्य

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 346

विपक्ष में शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, यह बड़े संतोष की बात है कि आज हमने दो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विधेयक पारित किए हैं। यह इस सम्मानीय सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा ईमानदारीपूर्वक दिए गए सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। मैं सदन के माननीय नेता, विपक्ष के माननीय नेता, सभी नेताओं तथा दल सचेतकों और वस्तुत सभा के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देता हूं।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 29 नवम्बर, 2001/ 8 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*पक्ष मे 346+5 (सर्वश्री कैलाश मेघवाल, मधुसूदन मिस्त्री, अजित सिंह, दिग्विजय सिंह और तिलकधारी प्रसाद सिंह ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मतदान में शुद्धि की) = 351

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

बुधवार,28 नवम्बर, 2001/ 7 अग्रहायण,1923 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(ii)	नीचे से 9	स्वरूपनगर	स्वरूपसर
525	2	खुराना,श्री मदल लाल	खुराना,श्री मदन लाल

पी० एल० एस० — 48/20/8/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौंवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली—110006 द्वारा मुद्रित।